

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

(१९१६ से मई १९५७ तक)

लेखक

डा० आर० एन० चौधरी

एम ए, एम एस एस. (हेग),

डी एस. सी. (एम्सटरडम्)

प्राध्यापक तथा प्रधान, इतिहास विभाग,

एस एम के. कालेज, जोधपुर

द्वितीय सशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

प्रकाशक

फ्रैंक ब्रादर्स एराड कम्पनी

चाँदनी चौक, दिल्ली-६

प्रकाशक

श्री ज. वादराम एण्ड कंपनी,
नांदनी चौक, दिल्ली—६

१९५७

मूल्य ६।।)

प्रस्ताव

नौ रुपये पचास नये पैसे

मुद्रक

नया हिन्दुस्तान प्रेस,
नांदनी चौक, दिल्ली ।

प्रस्तावना

इस पुस्तक में मौलिकता अथवा विद्वता का प्रदर्शन नहीं; बल्कि सीधे-सादे शब्दों में राजनीति तथा इतिहास के विद्यार्थियों के हितार्थ १९१६ से अब तक की महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा परिवर्तनों का संक्षिप्त इतिहास है। मैंने इस पुस्तक की रचना में राजनीति से सम्बन्धित तमाम उच्च स्तर की पुस्तकों से सहायता ली है तथा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से महत्वपूर्ण अंश उद्धृत किये हैं।

मैंने आवश्यक बातों को छोड़ कर केवल उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाला है जो पाठकों के लिए बोल न बनकर ज्ञान वर्धक सिद्ध हों।

इस पुस्तक की रचना करते समय मैंने नेपोलियन के इन शब्दों की ओर विशेष ध्यान दिया है जिनमें कहा गया है “समुचित तैयारी में लड़ाई की आधी सफलता निहित है।”

यद्यपि यह पुस्तक राजनैतिक उथल-पुथल का सीधा बयान है किन्तु जहाँ तक हो सका है उसे दिलचस्प बनाने की कोशिश की गई है।

मेरी यह मेहनत कहाँ तक सफल हुई है इसका निर्णय पाठक स्वयं करेंगे।

अन्त में मैं निम्नलिखित महानुभावों का हृदय से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को तैयार करने में मेरी सहायता की है। महाराजा कालिज जयपुर के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रो० जे० एम० घोष, एम० ए० जिन्होंने मुझे पुस्तक की रचना के लिए प्रोत्साहित किया। महाराजा कालिज जयपुर के राजनीतिक विभाग के प्रो० एस० एल० आदिच्य, एम० ए० तथा ए० वी० माथुर, एम० ए०, जिन्होंने हस्तलिपि के पढ़ने और टिप्पणी करने में तथा ताजी सूचनाएँ सग्रह करने में मेरी सहायता की।

सघ चार्टर—सयुक्त राष्ट्र सघ के अग—महासभा—सुरक्षा परिपद्—राज-
नैतिक तथा सुरक्षा प्रश्न—अणु शक्ति के शांतिकारी प्रयोग—अनुशासित
जनता की समस्याएँ—आर्थिक समस्याएँ—सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम-
स्याएँ—विश्व स्वास्थ्य सघ—मानवीय अधिकार तथा मूलभूत स्वतन्त्र-
ताएँ—मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा—अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय—
सचिवालय—सयुक्त राष्ट्र सघ तथा राष्ट्र सघ की तुलना—सयुक्त राष्ट्र सघ
की अपूर्णताएँ—सयुक्त राष्ट्र सघ को सुदृढ बनाने के प्रस्ताव—महामंत्री
त्रिखेली के सुभाव—शांति प्रस्ताव (१९५०) के लिए एकता—निष्कर्ष ।

७ क्षेत्रवाद

...

...

...

२४१

भूमिका—क्षेत्रवाद की धारणा—क्षेत्रीय संगठन तथा क्षेत्रीय गठबन्धन—
अमेरिकी राज्यों का संगठन—यूरोपीय एकीकरण—वेनेलेक्स सघ—
ब्रूसेल्स संधि संगठन—यूरोपीय परिपद्—उत्तरी अतलांतिक मधि संगठन
(नाटो)—यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय—वाल्कान समझौता—
यूरोपीय सुरक्षा समुदाय—पश्चिमी यूरोप सघ—पूर्वी यूरोप में क्षेत्रीय
व्यवस्था—वारसा संधि अथवा पूर्वी यूरोपीय मधि संगठन—एशिया में क्षेत्र-
वाद—अरब लीग—अरब लीग का ढाँचा—अरब लीग की प्रगति—उपनि-
वेशवाद-विरोधी गैरराजनीतिक प्रवृत्तियाँ—बगदाद संधि—बगदाद संधि की
प्रवृत्तियाँ—मिस्री प्रतिरक्षा-संधियाँ—पूर्वी एशिया : आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड,
अमेरिका (ANZUS)—दक्षिण पूर्व एशिया—दक्षिण पूर्व एशिया प्रति-
रक्षा संगठन (SEADO)—सीडो-संधि—सयुक्त राष्ट्र सघ तथा क्षेत्र-
वाद—क्षेत्रीय समझौतों के हानि लाभ ।

८. विश्व की गति-विधियों में मध्य-पूर्व की स्थिति

...

...

३१६

विषय प्रवेश—अरब विश्व में राष्ट्रवाद—फिलिस्तीन समस्या—मध्यपूर्व
देशों के परस्पर सम्बन्ध में तेल का स्थान—स्वेज नहर प्रश्न—स्वेज नहर
कम्पनी का राष्ट्रीयकरण—राष्ट्रीयकरण कानून (२६ जुलाई १९५६)—
स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रति राष्ट्रों की प्रतिक्रिया—प्रथम लंदन
सम्मेलन—मेंजीज जिफ्ट-मडल—द्वितीय लंदन सम्मेलन—सयुक्त राष्ट्र सघ
में स्वेज नहर का मसला—मिन्न पर इजराइल का आक्रमण—मिन्न पर
अंग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण—सयुक्त राष्ट्र सघ की कार्यवाही—मध्यपूर्व में
रूस की हस्तक्षेप की धमकी—सयुक्त राष्ट्रीय आपात्कालीन सेना—इज-

राज्य ता पत्रागन — नहर नचानन के लिए मिश्री योजना — स्वेज नहर
 तिसार के पत्रिगाम — मध्यपूर्व में बडे राष्ट्रों की प्रतिद्वन्दिता — आइजन
 रावर मिदान की प्रतिनिया — रिचार्ड डिष्टमण्डत — शेपीलोव की छ सूत्री
 गति राजता — जोउन में नवट ।

६ मन् १९१६ में पूर्वी एशिया के अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध ३६६

विषय प्रोज — पेरिन जाति सम्मेलन १९१६ में सुदूर पूर्वी समस्याएँ —
 वाशिंगटन सम्मेलन १९२२ — चार राष्ट्रों की प्रशात मधि — पाच राष्ट्रों
 की नौ मधि — नये राष्ट्रों की 'गुला द्वार' मधि — ६ राष्ट्रों की तटकर
 मधि — चीन जापानी मधि — अमेरिकी-जापानी मधि — वाशिंगटन सम्मेलन
 का मन्शात — विश्व-जापानी में जापान — १९२१-२२ का मचूरिया-
 नवट — मचूरिया पर जापानी आक्रमण — राष्ट्रमन्ध का रस — मघार्ड-युद्ध —
 डिमनात विगत — मचूरिया का निर्माण — मचूरिया के मामले में राष्ट्रसंघ
 की ताववारी ।

व्याख्यान १

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का अध्ययन

प्राक्कथन—अणु तथा उजदन बमों और शीतयुद्ध के वर्तमान युग में युद्ध और शान्ति की समस्या लोगों की दृष्टि में सर्वत्र एक नूतन महत्त्व ग्रहण कर चुकी है। विश्व को बड़ी-बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ते हुए तनाव ने अन्तर्राष्ट्रीय सक्तों की कड़ी कायम कर दी है। एक आधुनिक प्रसिद्ध लेखक कालिजार्वी लिखते हैं “आज का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ऐसा रूप ग्रहण कर रहा है जिसमें पुरानी एक राष्ट्रीय-राज्य व्यवस्था नये राजनैतिक माँचे में ढलती जा रही है। साम्राज्यों के ध्वंस होने के कारण उपनिवेश स्वतन्त्र होते जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय राज्यों का बड़े-बड़े संघों में समावेश हो रहा है। राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था एक नये ढाँचे में ढाली जा रही है और राजनैतिक नियंत्रण एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। राज्य स्वेच्छा अथवा दबाव से क्षेत्रीय गुटों में तामिल हो रहे हैं। इन गुटबंदियों से विश्व में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं जिनमें शान्ति अथवा भयकर युद्ध दोनों की संभावना है। यदि युद्ध हुआ तो शायद यह अतीत से कहीं अधिक भयकर हो। विश्व में होने वाले इन महान परिवर्तनों का अध्ययन न केवल इमलिये आवश्यक है कि उनका हमारी सुरक्षा और कल्याण से काफी गहरा सम्बन्ध है बल्कि इसलिये भी कि कहीं हमारा अस्तित्व ही खतरे में न पड़ जाय।

परिभाषा—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध की परिभाषा क्या है इस विषय पर विभिन्न योग्य लेखकों तथा विचारकों ने अपने अलग-अलग विचार प्रकट किये हैं। प्रो० स्प्रोट का कहना है “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का व्यापक अर्थ—एक राजनीतिक सीमा में रहने वाली जनता के वर्तमान व्यवहार जिसका प्रभाव दूसरे राज्यों की सीमा में रहने वाले मानव पर पड़ता है।” प्रो० स्वाजनवर्जर लिखते हैं, “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का मतलब—वे सम्बन्ध जो समूहों के बीच, समूहों और व्यक्तियों तथा एक दूसरे व्यक्तियों के बीच पैदा होते हैं अथवा कायम हैं जिसका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय समाज पर पड़ना स्वभाविक है।” प्रो० मैनिंग ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध की परिभाषा में कहा है, “इस विश्व में वर्तमान परिस्थितियों में हम एक सामाजिक जीवन की जिस दशा अथवा पहलू का अनुभव करते हैं वही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध है।” यदि इन परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम इन विषय का अध्ययन करें तो हम इन पहलुओं से अध्ययन कर सकते हैं। (क) आधुनिक मानववाद के रूप में (ख) राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध का विवरण, (ग) उन सिद्धान्तों का अध्ययन जिनसे राष्ट्रों के सम्बन्धों का

विभिन्न विषय विषयो का एक समन्वय है। डा० अण्णाडोराय ने कहा है कि इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आज कई सामाजिक अध्ययन एक दूसरे पर निर्भर हैं और प्रत्येक को किसी न किसी रूप में विशेषज्ञों के अध्ययन से कुछ न कुछ ग्रहण करना पड़ता है तब कही जाकर वे पूर्ण हो पाते हैं, जैसा कि राजनीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र के परस्पर निकट सम्बन्ध से प्रकट है। यह ठीक है कि 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' विषय के विद्यार्थी को कई विशेषज्ञों से प्राप्त आकड़ों पर निर्भर करना पड़ता है। लेकिन साथ ही वह एक ऐसा समन्वय करने में सलग्न है कि उसका समन्वय अन्य विशेषज्ञों के समन्वय से भिन्न है और अलग अध्ययन के लिये वैद्विक और सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व रखता है।

विषय की कठिनाइयाँ

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विषय के विद्यार्थियों को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनका इस विषय के साथ विशेष सम्बन्ध है। यह विषय स्वरूप और सार की दृष्टि से अत्यन्त स्वार्थ मूलक है और सभव है कि या तो यह राष्ट्रीय प्रचार का माधन बन जाय अथवा अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हट जाय। इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निष्पक्ष, तटस्थ तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन के बजाय बहुत सभव है एक अटोपियन (आदर्शवादी) अथवा राजनीतिमूलक शक्ति का दृष्टिकोण अपनाया जाय। जैसा कि कार ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रारम्भिक अवस्था में युद्ध रोकने के लिये स्पष्ट और प्रकट रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता था जिनमें प्रारम्भिक अध्ययन को नया मोड़ दिया। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का विश्लेषण करने वालों के लिये ऐसे यंत्रों की आवश्यकता है जिनसे वे अपनी संस्कृति की जेल की चार दीवारियों से अलग रह कर विभिन्न संस्कृति के लोगों के व्यवहार को उचित पूर्ण तटस्थता एवं उदासीनता की भावना से उनकी परीक्षा तथा अनुमान लगा सकें। दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई इस विषय को पढ़ाने के लिये योग्य शिक्षकों की कमी है। जैसा कि प्रो० शेवेलियर ने कहा है कि इस विषय के अध्ययन के लिये वृहद्ज्ञान विगारदो तथा गूड अध्ययन की आवश्यकता है जो अपने विचार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों तक प्रसारित करने में समर्थ हो। साथ ही उनका एक दूसरे के साथ होने वाले व्यवहार का तरीका भी प्रशंसनीय होना चाहिये। ऐसे शिक्षक, जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विषय पर विस्तृत विचार सम्बन्धी अनेक तत्वों के एकीकरण की ममता रखते हैं, अपेक्षाकृत शिक्षा व्यवसाय में बहुत कम पाये जाते हैं। इसमें यह स्पष्ट होता है कि कोई भी शिक्षक या शिक्षाविद् एकाकी रूप में न तो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर अधिकार प्राप्त कर सकता है और न वह विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के आवश्यक विश्लेषण में ही अपनी विश्लेषणात्मक प्रतिभा प्रदर्शित कर सकता है। दूसरी कठिनाई

विगन दो युद्धों ने विश्वभर में लामबन्दी, व्यापक विनाश और आर्थिक सकटों ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करदी है। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जनता में इस जागरूकता की प्रगति मुख्य रूप से उस समय के श्रम आन्दोलन में मिली है जिसमें समय समय पर युद्ध विरोधी कई प्रभावशाली प्रस्ताव स्वीकार किये गये। १९१४ ने पूर्व वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन पर केवल व्यावसायिक कुटनीतिज्ञों का ही एकाधिकार था। कार के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रचार उन गुप्त सधियों के विरुद्ध एक आन्दोलन के रूप में शुरू हुआ। इन आन्दोलन द्वारा इन गुप्त सधियों को युद्ध का कारण बता कर उनकी आलोचना की गई। गुप्त सधियों के लिये जनता में परस्पर मतभेदों को उत्तरदायी ठहराया गया। इस प्रकार यह आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक लोकप्रिय विषय के रूप में अध्ययन की माग का प्रथम लक्षण था जिसने इस नये विज्ञान को जन्म दिया।

राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की असफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध रोकने के लिये उत्कट भावना में भी अधिक आवश्यक कोई और भी बात है। कार ने कहा है कि १९३१ के बाद की घटनाओं के क्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान के लिये शुद्ध लालसा का आधार अपर्याप्त है। उनलिये इन घटनाओं ने प्रथम बार अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में गम्भीर आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विचार का अवसर दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामूहिक शान्ति का विश्वसमृद्धि के लिये एक नये प्रकार के आगावादा का जन्म हुआ जिसने राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) के के स्थान पर अधिक गतिशाली न्युक्लर राष्ट्रसंघ (यूनाइटेड नेशन्स) की स्थापना की। इन प्रकार दो विश्व युद्धों के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न जन भावना ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन के लिये प्रेरित किया।

एक अन्य कारण जिनने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के अध्ययन को प्रोत्साहित किया वह आधुनिक काल का भयकर यांत्रिक विकास है जिनने विभिन्न देशों की दूरी को बहुत कम कर दिया है। अत्यधिक तीव्रगामी जेट विमानों (जिनकी गति प्रति घंटे ७०० मील से भी अधिक है), वे तार के तार (वायरलैस) सामुद्रिक तार (केबिल), दूर मुद्रक यंत्र (टेलीप्रिन्टर), टेलीफोन तथा टेलीविजन जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान ने विश्व को अत्यन्त छोटा बना दिया है। परिणाम स्वरूप कोई भी देश अथवा महादेश स्वयं को अलग नहीं रख सकता। अतः प्रत्येक देश के हित में यह आवश्यक है कि युद्ध रोकना जाय और शांति की स्थापना हो न केवल आदर्शवादी कारणों से बल्कि अपने अस्तित्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी।

राज्य की भावना की तीव्र प्रगति में, जिसके परिणाम स्वरूप विदेश नीति पर विद्वान्-तत्परनामिण कुटनीतिज्ञों के हाथ में हट कर दलबदी के क्षेत्र में चला गया, भारतीय सम्बन्धों के अध्ययन में तभी सहयोग मिला। युद्ध पूर्व की अवधि में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों ने अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में ऐसे नये कुटनीतिज्ञों तथा विशेषज्ञों के प्रति अत्यन्त प्रायश्चित्त प्रदान कर दी है जिन्हें समस्त विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अग्रणी तौर पर कार्य करना पड़ेगा। उस तरह जाते स्थापना की आवश्यकता के प्रति अत्यन्त प्रबोधन कार्यक्रमों के रूप में पर्याप्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हो सकेगी।

यदि भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अध्ययन विश्वविद्यालयों में अग्रणी तौर पर होगा। उन्हा प्रतिष्ठानों अथवा नर माटेग वर्डन (ग्रिडन) और ए. ए. ए. सी. (अमेरिका) के प्रतिष्ठानों अथवा व्याज पूरा प्रयास द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में अग्रणी तौर पर योग दिया। उनका विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा और वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा और वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा और वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा अन्य विषय

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा और वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा और वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा और वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा और वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा और वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में अग्रणी तौर पर योग दिया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का परस्पर काफी निकट सम्बन्ध है तथापि दोनों में जो अन्तर है वह अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

इतिहासकारों का दावा और भी वजनदार है । उनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विषय के प्रत्येक विद्यार्थी को अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास की जानकारी होनी चाहिये । आलोचकों का तो यहाँ तक कहना है कि समकालीन इतिहास अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं । लेकिन फिर भी दोनों में अन्तर है । वह यह कि इतिहास की घटनाओं के क्रम में प्रायः परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के साथ ऐसा नहीं ।

डा० स्वार्ग वॉरर ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन समाजशास्त्र की एक शाखा बताई है जिसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय समाज में है । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय समाज की प्रकृति, इसके विकास, इसके सहायक तत्वों, इसके ढाँचे और इसके विलय, विघटन अथवा परिवर्तन सम्बन्धी गतिविधियों से उत्पन्न रुझानों की समुचित जानकारी प्राप्त करना है । प्रो० ग्रेसन कर्क लिखते हैं "विद्यार्थियों को नैतिकत्व के मनोवैज्ञानिक गुणों के बारे में भी जानना आवश्यक है । साथ ही उन्हें राष्ट्रीय नीतियों पर विचारों के प्रभाव, जनमत में परिवर्तन कर उसे एक पक्षीय बनाने की कारवाइयों तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक विषयों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है ।" अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के कुछ विशेषज्ञों को विश्वास है कि सम्भवतः मनोविज्ञान समस्त सहायक क्षेत्रों का प्रमुख आधार है और छात्रों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के अध्ययन के निमित्त सामाजिक मनोविज्ञान का विशेष पाठ्यक्रम अपनाना नितांत आवश्यक है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के विद्यार्थियों ने अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास 'राजनीति विज्ञान' अन्तर्राष्ट्रीय कानून, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान आदि विषयों की अपनी आवश्यकता के बारे में कभी इन्कार नहीं किया है परन्तु उन्होंने कभी यह भी नहीं माना है कि ये विषय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के आधीन हैं । उनको विभिन्न विषयों से एकत्रित की गई सामग्री को एक विषय के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है ।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एक विषय के रूप में

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को एक स्वतन्त्र विषय के रूप में पढ़ाने में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है । इस विषय के अध्ययन का प्रारम्भ १९४७ में होता है । अधिकांश विश्वविद्यालयों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध की शिक्षा इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र तथा कानून की उपलब्ध पुस्तकों द्वारा दी जाती है । केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की एम. ए. तक पढ़ाई की व्यवस्था है । हाल में (१९५५) नई दिल्ली के मद्रास में उन विषय में अनुनवा-नात्मक अध्ययन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय मस्यौदा नामक एक विशेषित

शिक्षण सस्था चालू की गई है। पटना, अलीगढ़, लखनऊ और उत्कल विश्वविद्यालयों में एक वर्ष के डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था है। राज्य सरकारों द्वारा भारतीय विदेश सेवा में नागरिकों को प्रवेश होने की सुविधा दिये जाने के फनस्वरूप एक या दो विश्वविद्यालयों में विदेशी मामलों में डिप्लोमा कोर्स चालू करने को प्रोत्साहन मिला। कई विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रधान के व्यक्तिगत प्रयास तथा उत्साह से इस विषय के चालू होने में पर्याप्त प्रगति हुई। इसके अतिरिक्त इस विषय में बढ़ती हुई रुचि का कारण यह भी है कि लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का विश्व के अन्य स्वतंत्र देशों के साथ कायम हुए नये सम्बन्धों को दृष्टि में रखते हुए यह अन्यन्त आवश्यक है कि स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को विश्व-समुदाय की दाम्त्विक प्रकृति का ज्ञान हो। साथ ही उन्हें यह भी जानना चाहिये कि ऐतिहासिक दृष्टि से एक समुदाय कैसे अस्तित्व में आया और किस ढंग से इसका संगठन हुआ तथा नये विश्व समुदाय के विकास तथा उगे मुद्दों बनाने में भारत क्या योग दे सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा रहा है कि आज के एक विश्व समुदाय के युग में सामाजिक स्वरूप से सम्बन्धित शैक्षणिक अध्ययन तब तक अपूर्ण है जब तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का नियंत्रण रखने वाले आचारात्मक पहलुओं का समुचित ज्ञान न हो जाय।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रो० कर्क ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन क्षेत्र को पांच भागों में विभाजित किया है (१) उन विभिन्न तत्वों का विश्लेषण जो विश्व के प्रमुख राज्यों की विदेश नीतियों पर पभाव डालते हैं, (२) उन रीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण जिनके द्वारा राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और वे सस्थायें जिनकी स्थापना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये की गई हैं, (३) राज्यों के बीच समकालीन आर्थिक, राजनैतिक तथा कानूनी सम्बन्धों तथा एक दूसरे के प्रति प्रवृत्तियों का विश्लेषण, (४) उन साधनों का अध्ययन जिनके द्वारा राज्यों के परस्पर झगड़ों का निवटारा होता है और (५) उन कानूनी तथा नैतिक सिद्धान्तों पर विचार जिनके द्वारा राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध पर नियंत्रण होता है। अग्रिम पृष्ठों में अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं, अन्तर्राज्य सम्बन्धों, बड़े देशों की विदेश नीतियों, एशिया में जागृति और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का स्थान आदि विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

उपसंहार

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध जो एक मग्नथित (कम्पोजिट) विषय है उसकी उत्पत्ति हाल में हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध की शिक्षा सामाजिक विज्ञान की शिक्षा

का एक भाग है। यह दस कथन से प्रमाणित होता है कि योग्य व्यक्तियों द्वारा विश्व की अच्छी जानकारी प्राप्त करना इस विश्व के लिये हितकर है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध की विषय वस्तु अक्सर कई विषयों की 'खिचड़ी' मानी जाती है। लेकिन लार्ड रसल ने ठीक ही कहा है कि एक भरी हुई टोकरी की वस्तुएँ एक अज्ञात व्यक्ति के लिए अत्यन्त खिचड़ी हो लेकिन एक दूकानदार के लिये, जो उन वस्तुओं की विशेषताएँ जानता है, वह एक शुभ दिन का लक्षण है। हमें यह याद रखना आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एक-बहुत ही अस्पष्ट विज्ञान है। यह एक जटिल विषय है तथा प्रमुखतः यह सम्भावनाओं को लेकर आगे बढ़ता है। इसके साथ ही बड़ी जटिल समस्याओं के लिए इसके पास निश्चित उत्तर नहीं होता और शायद कोई अन्तिम हल भी नहीं। इसलिए इस विषय के विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक समस्या को खुले दिमाग से अध्ययन करें। उसका अध्ययन मनुष्य, मानव समाज तथा भौतिक विश्व से सम्बन्धित ज्ञान के कई क्षेत्रों पर आधारित होना चाहिए। विद्यार्थियों को यथार्थवाद तथा आदर्शवाद के समन्वित दृष्टिकोण के साथ इस विषय का अध्ययन करना चाहिए। उसे जटिल समस्याओं के साथ साधारण हलों की भी जानकारी होनी चाहिए। उसे किसी भी वस्तु की भविष्य सम्बन्धी कल्पनाओं में अथवा युद्ध की अनिवार्यता के सिद्धान्त में ही मलग्न नहीं हो जाना चाहिये। उसे विश्व को वर्तमान अवस्था में ही अध्ययन करना चाहिये। साथ ही उसे आदर्शवाद को वास्तविक सम्भन्धों की भूल नहीं करनी चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि पूर्वी सभ्यता पर पश्चिमी सभ्यता का दबाव स्थिति को गम्भीर बना सकता है। टॉयनबी का कहना है कि हम भविष्य में गैर पश्चिमी समाजों का प्रति प्रभाव पश्चिमी समाजों पर देखेंगे। टॉयनबी की मान्यता है कि कि एशियाई सभ्यताओं, विशेषकर चीनी और भारतीय सभ्यताओं का पश्चिमी देशों तथा आम विश्व पर दीर्घकालीन प्रभाव रूसी साम्यवाद के प्रभाव में कहीं अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होगा। इसलिए विद्यार्थियों को उक्त बातों का ध्यान रखते हुए मनुष्य, यथार्थिक तथा दूर दृष्टिकोण के लिये प्रयास करना चाहिए।

व्याख्यान २

शांति समझौता

विषय-प्रवेश — प्रसा के प्रिस विसमार्क ने एक बार कहा था “मेरी मृत्यु के बीस वर्ष बाद मैं अपने कफन से बाहर आना चाहता हूँ और यह देखना चाहता हूँ कि दुनिया में जर्मनी की प्रतिष्ठा कायम है या नहीं।” प्रिस विसमार्क मन् १८९८ ई० में चल बसे। अगर वह मन् १९१८ ई० में पुनरुज्जिवित हो गया होते तो अपने उत्तराधिकारियों की विचारसून्यता और अयोग्यता को देखकर अत्यन्त ही क्रुद्ध होते। सच तो यह है कि मृत्यु से बहुत पूर्व ही उन्हें इस स्थिति का ज्ञान हो गया था। सम्राट विलियम द्वितीय के बारे में उन्होंने कहा था—“वह युवक किसी दिन अपने राज्य को कुप्रबन्ध के कारण विनष्ट कर देगा।” यह भविष्यवाणी मन् १९१८ ई० में सच्ची निकली। प्रथम विश्व महायुद्ध शुरू होने से कुछ ही महीने पूर्व “विश्व साम्राज्य या विनाश” नामक एक कुप्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई थी और जर्मनो ने इसका त्रिचित्र उत्साह के साथ स्वागत किया। इसका लेखक बर्न हार्डी सफल हुआ। ३ नवम्बर को जर्मन नाविको ने विद्रोह कर दिया और कई जर्मन सड़रो पर लाल झंडा फहराया गया। ९ नवम्बर को बर्लिन तक क्रांति की लहर फैल गई और प्रजा-तंत्र निर्माण किये जाने की घोषणा की गई। उसी दिन सम्राट ने अपना पदत्याग दिया और राजकुमार के साथ वह हॉलैंड चले गये।

विराम सधि

११ नवम्बर मन् १९१८ ई० को जर्मनी ने विराम सधि पर हस्ताक्षर किये और ११ वजे दिन में ‘युद्ध बन्द’ की घोषणा की गई। जर्मनी ने मित्रराष्ट्रो को निम्नलिखित शर्तों पर आत्मसमर्पण किया (१) हस्ताक्षर के ६ घंटे बाद सैनिक कार्यवाही बन्द की जाय (२) अज्ञान देशो—ब्रेल्जियम, फ्रांस, अलसेस-लारेन, लक्सेमबर्ग में १४ दिनों के भीतर मारी फौजे हटा ली जाय (३) खास-खास युद्ध सामग्री माँप दी जाय जैसे १७०० विमान, ५००० इंजिन, ५००० मोटारें और सभी गोताखोर (४) बड़े मनुष्यी बंदे को मनुष्य में डुबा दिया जाय (५) राइन नदी के बायें तट को मित्रराष्ट्रीय फौज के मुमुर्द किया जाय तथा मित्रराष्ट्रीय फौज को वहाँ रखने के लिये रकन भी दिया जाय (६) युद्ध-वदियों की स्वदेश वापसी (७) विराम सधि ३६ दिनों तक रहेगी। उनकी अवधि १३ दिमम्बर १९१८ और मन् १९१९ की १६

जनवरी और १६ फरवरी को पुन बड़ाई जाय और (=) अन्तिम मधि का आधार अमरीका के राष्ट्रपति श्री वुडरो विलसन की १४ शर्तों और उनके वाद के प्रवचन (विशेषकर २७ सितम्बर १९१८ के भाषण) होने चाहिए।

पेरिस का शांति सम्मेलन

विराम-सन्धि युद्ध-वन्द करने मात्र को कहते हैं। शांति के लिये यह पहला सोपान है। स्थायी शांति के लिये काफी समय तक गभीर विचार करना पड़ता है। युद्ध वन्द होने और शांति सम्मेलन की प्रथम बैठक होने तक दो महीने बीत गये। विलम्ब का कारण इंग्लैंड में १४ दिसम्बर १९१८ में हुआ नव-निर्वाचन था। इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी हुआ कि राष्ट्रपति विलसन दिसम्बर से पूर्व यूरोप नहीं पहुच सके।

पेरिस ने अपने शांति सम्मेलन का केन्द्र होने का नाम सार्थक किया। सन् १९१९ ई० के प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डल बहा आने लगे। कई मण्डलों की सख्या सैकड़ों की थी जिनमें सुशिक्षित कूटनीतिज्ञ, सैनिक, नभसैनिक, नागरिक प्रशासन कर्त्ता, कानून विशेषज्ञ, वित्त और आर्थिक विशेषज्ञ, उद्योगों के नायक, मजदूरों के नेता, राज्यमंत्री, नसदीय सदस्य और सभी प्रकार के पत्रकार और प्रचारक थे। ३२ मित्रराष्ट्रों के ७० अधिकारी प्रतिनिधियों का समूह, जिम्मेदार विश्व राजनीतिज्ञों का विशिष्ट जमाव था जिनमें साधारण राजनीतिज्ञों के अलावा अमरीका के स्वयं राष्ट्रपति और ११ प्रधान मंत्री और १२ विदेश मंत्री भी थे।

इस विशिष्ट जनसमूह में ऐसे लोगों के नाम उल्लेखनीय हैं जैसे फ्रांस के क्लेमेंसो, पिचोन, टारडियू, और कैंम्बन, अमरीका के लासिंग तथा कर्नल हाऊस, ब्रिटेन के लायड जार्ज, वालफर और बोनरलो; इटली के ओरलैंडो और सोनिनो; बेल्जियम के हर्मन्स; पोलैंड के डिमोस्की; युगोस्लाविया के पैमिट्च; चेकोस्लोवाकिया के बेनेस (जो वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति हुए), यूनान के वेनिज़ेलोस, दक्षिणी अफ्रीका के स्मट्स और बोथा। पराजित राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित नहीं किया गया क्योंकि उनका काम था तैयार किये गये मधि-पत्रों पर हस्ताक्षर मात्र करना। यह शांति विजयी राष्ट्रों के दबाव में हुई थी। विजित राष्ट्रों के साथ समझौते से नहीं।

शान्ति सम्मेलन का सगठन

सन् १९१९ ई० की १८ जनवरी को फ्रांस के विदेश सचिवालय में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री प्वाइनकर द्वारा शांति सम्मेलन के प्रारम्भिक अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। फ्रांस के प्रधान मंत्री श्री क्लेमेंसो सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गये और सम्मेलन की कार्यवाही को व्यावहारिक रूप से चलाने के लिये १० व्यक्तियों

की एक सर्वोच्च परिषद् बनाई गई। ये दस व्यक्ति ५ प्रधान मित्र-राष्ट्रो—अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान—के प्रधान प्रतिनिधि थे। इन '१० प्रधान प्रतिनिधियों' ने यह अधिकार प्राप्त किया कि साधारण अधिवेशन में रखे जाने वाले विषयों का चुनाव वही करेंगे। लेकिन फिर भी १० व्यक्तियों की परिषद् शीघ्रता से कार्यवाही चलाने के लिये तथा उसे गुप्त रखने के लिए बहुत बड़ी सावित हुई और सन् १९१९ ई० के मार्च महीने में वह काम चार व्यक्तियों की परिषद् को दिया गया। ये चार व्यक्ति अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के मुख्य प्रतिनिधि थे। इनके नाम हैं—विलसन, लायड जार्ज, क्लेमंसो और ओरलैंडो।

“मुख्य चार” का परिचय

विलसन—आदर्शवादी राष्ट्रपति विलसन अमरीकी ससद के सन् १९१८ ई० के निर्वाचन में अपने दल के पराजय के बावजूद भी पेरिस सम्मेलन के सर्वोच्च पुजारी थे। इसमें मन्देह नहीं कि उन्होंने सम्मेलन के प्रारम्भ में बहुत ऊँची प्रतिष्ठा प्राप्त की और इसमें भी मन्देह नहीं कि उनमें नई दुनिया बसाने की लगन थी। उनके परम मित्र कर्नल हाऊस ने लिखा है कि “वह अपने प्रभाव और अपनी सत्ता के उत्कर्ष काल में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे क्योंकि वह दुनिया के नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रवक्ता थे।” श्री स्टेन्नार्ड वेकर का कहना है कि “जिस किसी ने भी राष्ट्रपति विलसन को काम करते देखा उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह विलसन के समक्ष अथवा उनकी पीठ पीछे भी उनकी या उनकी सहनशीलता, शक्ति अथवा साहस की निन्दा या अप्रशंसा करने का साहस करे।” स्वयं श्री लॉसिंग का कहना है कि “प्रतिनिधियों में श्री विलसन के प्रति यह साधारण भावना थी कि वह अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता और न्याय की प्रतिमूर्ति हैं।” डाक्टरों में उनकी योग्यता और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में मतभेद है। श्री केनीस का कहना है कि “श्री विनमन बीर या धर्मावतार (पथ प्रदर्शक) नहीं थे। दार्शनिक भी नहीं थे। उनमें प्राक्-चित्तन नहीं था और जब कार्य करने का अवसर आता था तो उनके खयालात अमम्वद्ध और अपूर्ण होते थे। उनके पास कोई पूर्व-रचित योजना न थी, न कार्यक्रम था और न ऐसे दुनियादी खयालात जो उनके आदेशों के आवरण हों।” श्री विनमन की प्रणाली की गलतियों का कारण उनका चरित्र और व्यक्तित्व था। यूरोपीय मन्त्रियों और यूरोपीय राष्ट्रीय मन्त्रियों की उनकी जानकारी सीमित थी। मन्मन्त्र में पेरिस शान्ति सम्मेलन के अन्य प्रतिनिधियों की वरावरी करने लायक श्री विनमन नहीं थे।

लिए उन्होंने १९१८ के दिसम्बर में ग्राम निर्वाचन किया। लायड जार्ज के दल को जबरदस्त बहुमत प्राप्त हुआ और उनके मयुक्त दल को २५० सीटें प्राप्त हुईं।

पेरिस सम्मेलन में लायड जार्ज का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। वह दूसरों की बातें सदैव सुनने के लिए तैयार रहते थे। वह तेज मस्तिष्क वाले दूरदर्शी, सजग और आकर्षक थे। डा० गुवाने ठीक ही कहा है कि "अभी तक कोई भी कूटनीतिक लायड जार्ज के समान थोड़े से ज्ञान से एक वर्वाद दुनिया के पुनर्निर्माण करने के लिए समर्थ नहीं हुआ है।" केनीस का कहना है कि "लायड जार्ज को ६-७ कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त थे जो एक साधारण व्यक्ति में नहीं पाये जाते जिनमें चरित्र निरीक्षण का ज्ञान, स्वभाव जानने तथा मन की गहराइयों तक पहुँचने के ज्ञान प्रमुख थे।" श्री लॉसिंग ने भी लायड जार्ज के बारे में कहा है कि "लायड जार्ज चार बड़े प्रतिनिधियों में से सबसे कुशल और वृद्धिमान थे लेकिन उनका मन स्थिर नहीं रहता था। वहस में वह बहुत तीक्ष्ण विरोधी थे। लेकिन ऐसे विशिष्ट व्यक्ति में कूटनीतिक चाले कुछ भी नहीं थी।" पेरिस सम्मेलन में लायड जार्ज की सफलता का कारण यह था कि उन्हें जो अच्छी सलाह दी जाती थी वह उस मान लेते थे।

विलमॅसो—जार्जस विलमॅसो की प्रतिष्ठा लायड जार्ज में किसी भी प्रकार कम नहीं थी। उन्हें 'शेर' का नाम दिया गया था। ६० वर्ष पूर्व अमरीकी गृह-युद्ध के समय वह अमरीका में पत्र के सदाददाता थे। उनके विभिन्न प्रकार के अनुभव और अत्यधिक लोकप्रियता के कारण ही १९१७ से १९२० तक उन्हें फ्रांस का प्रधान मंत्री और युद्ध मंत्री का पद मिला।

शायद विलमॅसो पेरिस सम्मेलन में सबसे अच्छे कूटनीतिक थे। विश्व राजनीति और मानव स्वभाव का ज्ञान विलमॅसो में अपने साथियों की अपेक्षा बहुत अधिक था। वह अपने साथियों की हसी उड़ाया करते थे। एक अवसर पर उन्होंने कहा था "ईसा मसीह भी 'दस आदेशों' से सतुष्ट हैं लेकिन विलसन १४ आदेश पर जोर दे रहे हैं।" विलमॅसो ने कहा कि "लायड जार्ज सोचते हैं कि वह नेपोलियन हैं और प्रेंसिडेंट विलसन सोचते हैं कि वह ईसा मसीह हैं।"

वह अपने देश को बहुत महत्व देने थे, चाहे कुछ भी हो, किन्तु उनका राजनीतिक सिद्धांत त्रिसमार्क का-ना था। शांति सम्मेलन में विलमॅसो का प्रभाव सबसे अधिक था। लॉसिंग ने लिखा है कि "उनमें महान नेतृत्व के सभी गुण थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि कब विरोध करना चाहिए और कब समझौता करना चाहिए। वह जो कुछ भी हाथ में लेते थे उसमें वह सफल होने थे।" कर्नल हाऊस का कहना है कि "पेरिस सम्मेलन के अपने नाधियों में वह सबसे अधिक प्रभावशाली थे। विलमॅसो के बारे में कोई छिपी बात नहीं है। उन्होंने शांति और युद्धकाल में समान रूप से सघन

दिया गया कि जर्मनी ही महायुद्ध के लिये उत्तरदायी है और प्रस्ताव में यही कहा गया कि सभी शर्तों को मानना असम्भव है। जर्मनी का कहना था कि यह वह सधि नहीं जिसका आश्वासन उनसे किया गया था। सधि की शर्तें आत्मसमर्पण की शर्तों की विल्कुल विरोधी हैं। एक बड़े राष्ट्र को कुचलकर तथा उसे गुलाम बनाकर स्थायी शांति कायम नहीं हो सकती।

१६ जून को मित्रराष्ट्रों ने अपने उत्तर में शर्तों में सामान्य परिवर्तन किया, विशेषकर पोलैंड की सीमा के सम्बन्ध में। जर्मनी को ५ दिन के भीतर ही सशोधित सधि पर हस्ताक्षर करने को कहा गया और यह भी कहा गया कि हस्ताक्षर न करने का अर्थ आक्रमण होगा। गिडेमान सरकार ने सधि को अस्वीकार कर दिया और त्याग-पत्र दे दिया। इसके बाद गुस्टावबौर प्रधान मंत्री हुए। सरकार में परिवर्तन होने के कारण मित्रराष्ट्रों ने अन्तिम तारीख दो दिन के लिये और बढ़ा दी। २३ जून को निर्धारित समय से दो घंटे पहिले जर्मनी के नये प्रतिनिधि हेनिमल ने सधि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया। उसने कहा कि "मेरा देश दबाव के कारण आत्म समर्पण कर रहा है किन्तु जर्मनी यह कभी नहीं भूलेगा कि यह अन्यायपूर्ण सधि है।" २८ जून को तीन बजे दिन में "हॉल ग्राफ मिरस" में चीन को छोड़कर जर्मनी तथा सभी मित्रराष्ट्रों ने सधिपत्र पर हस्ताक्षर किए।

शान्ति की सधिया

शांति की शर्तें पांच सधियों में रखी गईं जिनके नाम इस प्रकार हैं जर्मनी के साथ वर्साय की सधि (२८ जून १९१९), आस्ट्रिया के साथ सा जर्म की सधि (१० मितम्बर १९१९), बल्गारिया के साथ निकली की सधि (२७ नवम्बर १९१९), हंगरी के साथ ट्रायनन की सधि (४ जून १९२०), तुर्की के साथ सेवर्म की सधि (१० अगस्त १९२०)। इसमें कोई सदेह नहीं कि जर्मनी के साथ सधि ही शांति सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी।

वर्साय की सधि (Treaty of Versailles)

✓ वर्साय का सधिपत्र इतिहास में सबसे बड़ा सधिपत्र है। इसके १५ भाग हैं तथा ४४० धारायें हैं। इस सधि की शर्तें निम्नलिखित हैं

१ राष्ट्रसंघ—वर्साय सधि के राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि एक राष्ट्र-संघ का निर्माण लिया जाय जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को कायम करना है। इस राष्ट्रसंघ की शर्तों पर जिन्हें २९ भाग्य हैं वाद में विचार किया जायेगा।

२ प्रादेशिक—जर्मनी ने अपने पश्चिमी भाग के अलसेस और लारेन का हिस्सा फ्रांस को दे दिया। प्रसा के मोरेसनेट, यूपेन और मालमेडी नामक क्षेत्र बल्जियम को दे दिये गये। उत्तर में स्लेजविग डेन्मार्क को दे दिया गया। ऊपरी साइलेशिया का छोटा हिस्सा चेकोस्लोवाकिया को, पोसेन और पश्चिमी प्रमा पोलैंड को, मेमेल नामक बाल्टिक तटवर्ती बन्दरगाह मित्रराष्ट्रों को दे दिया गया (जो १९२३ में लियुग्रानिया को दे दिया गया)। राष्ट्रमन्त्र के संरक्षण में डानजिग एक स्वतन्त्र शहर बनाया गया जिसके अर्धवासी पूर्ण रूप से जर्मन होते हुए भी पोलैंड चुंगी सन्ध के अधिकार में थे। सार की घाटी १५ वर्ष के लिए फ्रांस को समर्पित की गई। लक्नेमबर्ग जर्मन अगम सन्ध से बाहर हो गया और राइन नदी के बायें किनारे का निगरनीकरण कर दिया गया। सम्पूर्ण जर्मन उपनिवेश साम्राज्य समर्पण कर दिया गया और विजयी राष्ट्रों ने उसे आपस में बांट कर उस पर आदिष्ट प्रणाली (mandate) कायम कर दी। चीन का किआओ (Kiachao) जापान के अधिकार में कर दिया गया। जर्मन दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका ब्रिटिश दक्षिणी सन्ध का अंग हो गया। जर्मन पूर्वी अफ्रीका भी ग्रेट ब्रिटेन के हाथ लगा। फ्रांस ने कामरून और तोगोलैंड पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी प्रशान्त द्वीप आस्ट्रेलिया को, सेमोआ न्यूजीलैंड को और नाऊरु (Nauru) का द्वीप ग्रेट ब्रिटेन को दे दिये गये।

३ निःशस्त्रीकरण—जर्मनी नेना में सैनिकों की संख्या १२ वर्ष के लिए एक लाख कर दी गई। जर्मन प्रधान सैनिक कार्यालय उठा दिया गया। अस्त्र-अस्त्र, गोलाबाद तथा अन्य युद्ध सामग्रियों का उत्पादन सीमित कर दिया गया। अनिवार्य सैनिक सेवा बंद कर दी गई। एक साल में सारी फौज के ५ प्रतिशत में अधिक को घटाने पर रोक लगा दी गई। जलसेना की संख्या सीमित करके उससे ६ युद्धपोत, ६ टर्क गश्ती जहाज, १२ विट्वसकरपोत और १२ टांगपीडो जहाज कर दिये गये और स्वयंसेवक सेना घटाकर १५ हजार कर दी गई। राइन के पूर्वी किनारे पर ३० मील तक अग्निनीकरण किया गया। पनडुब्बी जहाज का बनाना बन्द कर दिया गया। बाल्टिक सागर पर किलेबन्दी करना बन्द कर दिया गया और हेल्सिन्की का किला तोड़ दिया गया। जर्मनी के सन्ध से मित्रराष्ट्रों ने अपना एक कमीशन नियुक्त किया जिसे निःशस्त्रीकरण धाराओं को कार्यान्वित किये जाने के निरीक्षण के लिए कहा गया।

४ युद्ध अपराध—जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय को नार्वैजिक नीर पर अन्तर्राष्ट्रीय नीति और नधियों के विरुद्ध अपराध करने का दोषी ठहराया गया। मित्रराष्ट्रों अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रान्स, इटली और जापान ने मिलकर एक मित्रराष्ट्रीय अदालत नियुक्त की जिसे विलियम द्वितीय के मुद्दामें ली जाच का भार दिया गया।

५ क्षति पूर्ति—मित्र राष्ट्रों ने सारी क्षति और नुकसान का उत्तरदायी जर्मनी को ठहराया। जर्मनी से कहा गया कि वह ५ सैकड़ों के हिसाब से बेल्जियम को सारा रूपया लौटा दे जितना कि बेल्जियम ने युद्धकाल में मित्रराष्ट्रों में ऋण लिया था। संधि में एक क्षतिपूर्ति आयोग नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। इस आयोग का कार्य निश्चय करना था कि जर्मनी १ मई १९२६ से ३० वर्षों तक कितना रूपया क्षतिपूर्ति के लिए देना रहे। इसी बीच में जर्मनी को सोना, जहाज और सिक्युरिटी कुल मिलाकर २५ अरब रुपये देने को कहा गया। जर्मनी से कहा गया कि उसके पास ४४ हजार ८ सौ मन में अधिक वजन के जितने व्यापारी जहाज हों वे सभी मित्रराष्ट्रों को सोप दे और ५ वर्षों तक मित्रराष्ट्रों के लिए प्रतिवर्ष ५६ लाख मन वजन का जहाज बनाता रहे।

६ आर्थिक—जिन क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ था उन क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए जर्मनी को आर्थिक साधन लगाने को कहा गया। जर्मनी ने १० वर्षों तक प्रतिवर्ष निम्नलिखित हिसाब से कोयला देना मजूर किया १६ करोड़ ६० लाख मन फ्रांस को, २२ करोड़ ४० लाख मन बेल्जियम को, १६ करोड़ ६० लाख मन इटली को। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष फ्रांस को ६ लाख ८० हजार मन बेंगोल, १४ लाख मन कोलतार, ८ लाख ४० हजार मन अमोनियम सल्फेट आदि देना स्वीकृत किया गया।

७ विशेष शर्तें—सन् १८७० के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस से जो ट्राफी, ऋद्ध कलात्मक वस्तुएँ प्राप्त की थी उन्हें लौटाने के लिए कहा गया। लोमेन विश्व विद्यालय के कागजात और हस्तलेख जो युद्ध में नष्ट कर दिये गये थे उसकी प्रति लौटाने को कहा गया। हैजाज के बादशाह को खलीफा अथमन के मूलकुरान क लौटा देने को कहा गया और जर्मन पूर्वी अफ्रीका के सुल्तान मकावा की खोपड़ ब्रिटेन को लौटा देने को कहा गया।

८ टेक्निकल बातें—संधि की बहुत सी धाराओं में टेक्निकल बातों सम्बन्ध में आदेश दिया गया था। जैसे युद्ध बन्दी और कन्नगाह, हवाई यातायात कर्ज, सम्पत्ति अधिकार, ठेका इत्यादि। अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन निम्नलिखित नदियों पर नियंत्रण के लिए नियुक्त किये गये। ये नदियाँ हैं—राइन, श्रोडर, एल्ब, निमे और डेन्यूब ताकि जमीन में घिरे यूरोपियन देशों को समुद्री मार्ग मिले। हेम्बर्ग और स्टेटिन के बन्दरगाहों में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को ६६ साल के लिए स्वतंत्र क्षेत्र दिये। काल नहर नवके लिए मुक्त घोषित किया गया।

९ संधि पालन की विशेष व्यवस्था—संधि में ही संधि को कार्यान्वित करने के लिये बुद्ध व्यवस्था की गई थी। राइन नदी से पश्चिम की ओर जर्मन देश का

हिस्सा और उसके साथ सैनिक चौकिया मित्रराष्ट्र के सैनिकों को सधि के कार्यान्वित होने की तारीख से १५ वर्ष के लिये दे दिया गया। अगर जर्मनी की कार्रवाई सधि के खिलाफ सिद्ध हो तो अधिकारी फौजों का जर्मनी पर फौजी अधिकार अनिश्चित काल के लिये बढ़ा दिया जाये। (यग योजना के प्रयोग किये जाने के बाद सन् १९३० में मित्रराष्ट्रों की सारी फौजे हटा ली गई।)

सा जर्म की सधि (Treaty of Saint Germain)

१० सितम्बर १९१९ में पेरिस के निकट सा जर्म नामक स्थान में इस सधि पर हस्ताक्षर हुए। आस्ट्रिया-हंगरी की सम्राट-जाही के बदले में आस्ट्रिया को प्रजातन्त्र बनाया गया। सधि में जर्मनी के साथ आस्ट्रिया को मिलाने पर रोक लगा दी गई। इटली को आस्ट्रिया ने दक्षिणी टाइराल दे दिया (यद्यपि उनमें ढाई लाख जर्मन थे), ट्रिन्टिनो, ट्रिस्ट, इस्ट्रिया और डालमेटियन तट से दूर दो द्वीप भी इटली को दे दिये गये। चेकोस्लोवाकिया का आस्ट्रिया ने अपने देश का निचला भाग दे दिया। इसके अतिरिक्त उसे मोराविया और बोहेमिया और साइलेगिया भी चेकोस्लोवाकिया को देने पड़े। पोलैंड के गालेशिया, रुमानिया को वोकोविना, युगोस्लाविया को वासिनिया, हज्जोगोभिना और डालमीटियन तट और द्वीप देने पड़े। क्षेत्रफल और जनसंख्या के विचार में आस्ट्रिया के तीन चौथाई हिस्से की हानि हुई। डैन्यूब नदी का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का आदेश दिया गया। परन्तु आस्ट्रिया को एड्रियाटिक सागर तक स्वतंत्र मार्ग मिला। फौज की सत्ता घटाकर ३० हजार कर दी गई। जलसेना और हवाईसेना समाप्त कर दी गई। आस्ट्रिया को युद्ध-अपराधियों के समर्पण के लिये तथा ३० वर्ष तक मुआवजा देने को कहा गया। राष्ट्रीय कला की निधिमा २० वर्ष के लिये जप्त कर ली गई।

निडली की सधि (Treaty of Neuilly)

२७ नवम्बर १९१९ को निडली की सधि के अनुसार बल्गारिया को उन जमीनों का बहुत सा हिस्सा लौटा देना पड़ा जो उनमें १९१२-१३ के युद्ध में जीता था। उसे उन विजित क्षेत्रों को भी लौटाना पड़ा जो उनमें विश्वयुद्ध में जीता था। रोसुजा रुमानिया को दिया गया, मन्ट्रूनिया का अधिकांश हिस्सा युगोस्लाविया को, और थ्रेस का किनारा यूनान को दिया गया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिये बल्गारिया ने २ अरब ५० करोड़ रुपये देने का वायदा किया और फौज की सत्ता घटाकर ३३ हजार कर देने का भी वायदा किया। मित्रराष्ट्रों ने बल्गारिया को वायदा किया कि वे एजियन सागर तट उनके अधीन मानायात को सुरक्षित रखेंगे।

ट्रायनन की संधि (Treaty of Trianon)

ट्रायनन की संधि ४ जून १९२० को हुई। इसके अनुसार हंगरी ने स्लो-वाकिया चेकोस्लोवाकिया को, ट्रान्सिल्वानिया रूमानिया को, क्रोशिया युगोस्लाविया को दिया। वनात को युगोस्लाविया और रूमानिया ने आपस में बाँट लिया। आस्ट्रिया को हंगरी का पश्चिमी हिस्सा वीर्जनलैंड मिला। हंगरी को समुद्री मार्ग प्यूम का निर्माण, इटली और युगोस्लाविया के समझौते पर छोड़ दिया गया लेकिन मगयार्स को इसमें हाथ धोना पड़ा। उसकी सेना घटाकर ३५ हजार कर दी गई।

सेवर्स की संधि (Treaty of Sevres)

१० अगस्त १९२० को सेवर्स की संधि हुई जिसको तुर्की के सुलतान ने कभी मजूर नहीं किया फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के पाठको के लिये इसका महत्व है। इस संधि के अनुसार सुलतान को मिस्र, अरब, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोलिटानिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, आर्मीनिया और थ्रेस में अपने सारे अधिकार त्यागने को कहा गया।

इस संधि को तुर्की की राष्ट्रवादी पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रवादी पार्टियों ने १९१९ की जुलाई में अपने नेता मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक समानान्तर सरकार की अफ़ारा में स्थापना कर ली थी जब कि सुलतान की सरकार कुस्तुनतुनिया में थी। राष्ट्रवादी तुर्कियों ने यूनानियों को दो वर्ष के लगातार युद्ध के बाद अपने देश से मार भगाया और मित्रराष्ट्रों को सेवर्स की संधि को बदलने के लिये मजबूर किया।

लौजान की संधि (Treaty of Lausanne)

२४ जुलाई १९२३ को ब्रिटिश विदेशमंत्री लार्ड कर्ज़न के प्रयत्न से लौजान की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस संधि के अनुसार यूनान ने तुर्की को पूर्वी थ्रेस, एड्रियनेपोल तथा इम्ब्रोज और टेनेडोस के द्वीप दे दिये। अज़ालिया, सिमिर्ना, स्लीसिया, थ्रेस, कुस्तुनतुनिया और अनोटोलिया का तुर्की के अधिकार में छोड़ दिया गया जिस पर उमका सर्वाधिकार स्वीकार किया गया। सेवर्स संधि की धारों जिनका सम्बन्ध जर्मनी, हर्ज़ाना और निश्चिन्ताकरण से था हटा दी गई। तुर्की ने इटली को रोड्स, डूडेकनेज़ और कास्टेलोरीजो दे दिया और मेसोपोटामिया, अरब, सिरिया, फिलिस्तीन, मिस्र सूडान और साइप्रस पर से उसे अपना सारा अधिकार त्यागना पड़ा। राष्ट्रमंडल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दाना आयोग नियुक्त किया गया। इसका काम उन मुद्दानों पर नियंत्रण करना था जो सभी राष्ट्रों के उपयोग के लिये छोड़ दिये गये थे और तिनका निश्चिन्ताकरण कर दिया गया था। संधि में यह भी एक शर्त थी कि यूनानी मूलमान और कट्टर तुर्क की अदला बदली अन्तिम रूप से की जाय।

कमाल पाशा की तुर्की के लिये लौजान की सधि एक बड़ी विजय थी। तुर्कों ने वे सारी चीज प्राप्त की जिनके लिये वे लड़े थे। वे थी मास्कृतिक सीमावन्दी, अन्त-राष्ट्रीय गुलामी से मुक्ति तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता। अक्टूबर १९२३ ई० में तुर्की की राष्ट्रीय महासभा ने तुर्की को प्रजातंत्र घोषित किया और कमालपाशा को अपना पहला राष्ट्रपति और अकारा को राजधानी बनाया। सन् १९२४ में खलीफागाही का अन्त कर दिया गया और धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा की गई।

समीक्षा—सन्धि की धाराओं के प्रत्येक शब्द से यह ध्वनित होता था कि तत्कालीन दो प्रतिद्वंद्वी राजनैतिक कूटनीतिज्ञों का एक पारस्परिक सघर्ष तब चल रहा था। उनमें से एक तो “क्रियाशील” कहे जाने थे जो कि “मैकवेली” के पद चिन्हों रूढ़िवादी का अनुसरण कर रहे थे और दूसरे “अग्रगामी”, जो कि समय की नवीन विचारधारा के पोषक समझे जाते थे। दोनों ही तरह के विचार छा जाने को सचेष्ट थे। एक ओर तो यह प्रयत्न जारी था कि न्याय के वर्तन में पूर्ण निष्पक्षता तथा अखंड सत्य का आश्रय लिया जाय। दूसरी ओर कान्फ्रेस की पुरानी प्रथा के अनुसार “शक्ति सन्तुलन” को स्थिर रहने देने की पूरी कोशिश की जा रही थी। इसके लिये आर्थिक तथा भौगोलिक क्षति-पूर्ति हासिल करने पर भी विजेता को विजित से सदा के लिए निर्भय कर देने की कुचेष्टा में भी कान्फ्रेस लीन थी। अन्त में कहना न होगा कि पहली विचार धारा पर दूसरी विचार धारा ने ही विजय पाई।

पेरिस सन्धि के जहाँ समर्थक व्यक्ति थे वहाँ आलोचक भी थे। तत्कालीन शान्ति-स्थापकों के समर्थ शान्ति स्थापित करने का कार्य अत्यंत जटिल था, क्योंकि एक ओर तो यह मामला ही पेचीदा था तथा दूसरी ओर पारस्परिक स्वार्थों का उसमें भीषण टकराव पड़ता था। निदान्त की दृष्टि में पूर्ण तथा नम्भावित निष्पक्ष, किमी समझौते को सर्वसम्मत मोहर लगनी असम्भव थी। अतः क्रियात्मक हल सोचने के लिये तथ्यता को विकृत अवस्था में पेश करना अनिवार्य-ना ही हो गया था। अनुओं द्वारा अविश्रुत प्रवेशों में जिस घृणा के बीज का वपन हो चुका था माथ ही उसे ओभल भी नहीं किया जा सकता था। जिनको किसी भी दुर्भाग्य से नामना नहीं करना पड़ा भले ही वे निष्पक्ष तथा अपने को दयानु प्रकट करे, पर यद्ध में जिन्होंने धन, जन, तथा सम्बन्धी सौधे हैं उनसे वैसी आगा रखना व्यर्थ ही था। वाम्भव में नधि उस समय सम्पन्न हुई जबकि मित्र राष्ट्रों की धति चरम नीमा तक पहुँच चुकी थी, तथा जर्मन अत्याचारों के घाव बिल्कुल ताजे ही थे। मित्र राष्ट्रों द्वारा मृदु व्यवहार के समय यह नहीं भूलना चाहिये कि ‘ब्रेस्ट लिटोविस्क’ संधि के समय जो दुर्दशा पूर्ण व्यवहार विजेता जर्मनी ने रूसियों ने किया था उसके परिणामस्वरूप ही जर्मनी को किसी प्रकार की सुविधा की चर्चा का नैतिक अधिकार, विजेता मित्र राष्ट्रों को

सोचने मात्र तक के लिये भी नहीं रहता था। जर्मनी द्वारा की गई सधि की दो मुख्य धाराओं को स्वयं जर्मन इस सधि से पूर्व तोड़ चुके थे। प्रथम तो १८७० में पकडे फ्रेव वेडे को 'स्केमा पत्रों' में डुगोता दूसरा वॉलिन में फ्रेडरिक महान् की मूर्ति के समक्ष राष्ट्रीय मान के साथ फ्रांसीसी राष्ट्र ध्वज का जलाना। इसमें कोई ग्राह्यर्च्य नहीं कि सधि के समय मित्र राष्ट्रों ने पुराने अनुभव से शिक्षा के आघार पर अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के उद्देश्य से सधि उल्लंघन की रोकथाम पर कड़ी निगरानी की हो।

ब्रिटिश पार्लियामेंट में सधि की शर्तों को उपस्थित करते हुए इस देश के प्रधान मंत्री लायड जार्ज ने इस सधि के विषय में निम्न उद्गार प्रकट किये थे "प्रस्तावित सधि को जर्मनी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं कहा जा सकता। इस सधि पर केवल वही अन्याय का आरोप लगा सकता है जो कि जर्मनी के युद्धकार्यों को भी न्याय सगत ही समझता हो। कुछ विषयों में शर्तें अवश्य भयानक जचती हैं, पर भीषण कुकृत्य स्वयं ही इस भयानकता का समाधान भी करते हैं। यदि जर्मनी कही जीत जाता तो इस से भी अधिक भयावह परिणामों का हमें सामाना करना पड़ता।" "ग्राज मसार शत्रु के अमफल प्रहारों से डावाडोल है यदि ये प्रहार सफल हो जाते तो यूरोप की स्वतन्त्रता समाप्त थी।" सधि की भौगोलिक धाराओं की चर्चा करते हुए लायड जार्ज ने घोषणा की कि ग्रन्सेस, लारेन, श्लेसविग और पोलैण्ड को लेना अधिकारी को सौपना मात्र ही है, इससे अधिक कुछ नहीं। सधि की अतिरिक्त धाराओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि "जर्मन उपनिवेशों के आदि निवासियों की शासन सम्बन्धी सही शिकायतों को सुनने के बाद भी फिर वे उपनिवेश जर्मनी के ही हवाले कर देना एक आघारभूत कृध्नता ही कही जाती।" अब युद्ध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के मुकद्दमे की बात तीजिए। यह एक असाधारण कदम था। यह एक दयनीय स्थिति थी। यदि यह पहले ही हो गया होता तो ससार में इतने युद्ध न होते।

प्रधान मंत्री ने अन्य युक्तियाँ उपस्थित करते हुए कहा कि यह सधि बदला लेने के लिए नहीं की गई। "जर्मनों ने युद्ध का समर्थन किया, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जो राष्ट्र अकारण ही आक्रान्त वन जाते हैं उन्हें यही शिक्षा मिलनी चाहिये, और पड़ोसियों पर हमला करने वालों के भाग्य पर ऐसी ही मोहर लगनी चाहिये।" गैथोर्न हार्टी ने भी इन्हीं विचारों का प्रबल समर्थन किया "वास्तव में पहले कभी भी ऐसे उच्च आदर्शों पर आघारित कोई सधि पत्र बना ही नहीं।" "विलसन के निदान्तों का उनमें निचोड़ पाया जाता है, किसी भी अंश में उन सिद्धांतों से हम भटके नहीं। इस सधि में किन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति तथा असुरक्षा के कण भी नहीं

मिलते।" विजेताओं के पेरिस में मिलने से पहले ही आस्ट्रिया का विघटन एक तथ्य वस्तु बन चुका था। पोलिस, हम्बेन्स, स्लाव और जक को विदेशी प्रभुत्व से स्वतन्त्र करना मित्र-राष्ट्रों द्वारा उद्धोषित युद्धनीति का सर्वदा एक अंग रहा है।

इसमें इन्कार नहीं किया जा सकता कि वास्तव में पेरिस सम्मेलन, प्रधान मंत्रियों के एक विशेष गुट की स्वेच्छाचारिता का नमूना था। अन्त में ये भी सन् १८१५ के वियना सम्मेलन के विचारों के प्रवाह के शिकार हो गए। युद्ध की लूट को वांटने का पहला काम था, इसके लिए कुछ विजेताओं ने उपनिवेश सम्भाले तथा कुछ ने यूरोपीय भूमि पर आधिपत्य जमाया और क्षति-पूर्ति की क्रिया में परिणत किया। विजेताओं ने राष्ट्रीयता की आड़ में पराजितों को खूब रौंदा। प्रधान मंत्रियों का यह गुट सफल राजनैतिक खिलाडी रहा जो अपने-अपने देशों को सही-सलामत लड़ाई में से सुरक्षित ही निकाल ले गए। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी इन लोगों की अचूरी थी। इसी कारण समझौते के काम को वे अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के हवाले न कर सके। सम्मेलन की कार्यवाही में खरेपन का साफ अभाव था। मि० वेल्स के शब्दों में सम्मेलन "पुराने ढर्रे का एक कटनीतिक पड्यन्त्र" मात्र था। राष्ट्रपति विलसन का कहना था कि "संसार को जनतन्त्र पद्धति के लिए सुरक्षित रखना ही होगा।" विलमैसो ने विलसन के इस प्रकार विचार प्रकट करने के लिए कहा कि जैसे वे ईसा मसीह की तरह बोल रहे हो। यही, फ्रांस के प्रधान मंत्री, कहा जाता है कि प्रात उठते ही रट लगाते थे कि "मैं राष्ट्र सभ में विश्वास रखता हूँ।" थोरलेंडो ने राष्ट्रसभ के वारे में सावधानता से टिप्पणी करते हुए कहा कि "मैं राष्ट्र सभ में तो विश्वास रखता हूँ पर पयूम के मामले को पहले तय किया जाना आवश्यक है"। सम्मेलन की दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना का जिक्र भी करना यहाँ आवश्यक है। वह यह कि अमेरिका ने जापान के जाति-समता के निर्दोष सिद्धान्त को मानने में इन्कार कर दिया। मित्रराष्ट्रों द्वारा सहयोग का उदाहरण उपस्थित न कर सकने के कारण पेरिस सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य राष्ट्रों में भी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास की सम्भावना समाप्त हो गई।

वास्तव में नवि की धाराएँ अत्यन्त कठोर थीं। लीजान की सधि के अतिरिक्त दोष सब नविया विजेताओं ने पराजितों पर मड़ी थी न कि कुछ आदान-प्रदान की भावना में सधि की धाराएँ तैयार की थीं। मित्र-राष्ट्रों का दृष्टिकोण संधि के विजय में त्रिटिका प्रान्त मंत्री लायड जार्ज के निम्न वाक्य से साफ भ्रमकना है "इस सधि की धाराएँ युद्ध में मृत गद्दीदों के खून से लिखी गई हैं, परमात्मा का आदेश पालन करना हम सब का इस समय का कर्तव्य है। जो लोग इन लड़ाई में प्रवृत्त हो गए हैं हमें उन्हें दुवाग ऐना न करने की शिक्षा अवश्य देनी है। आज जर्मन जन नवि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करते हैं, हमारा उनमें यही कहना है, 'महानुभाव' आपको वह

करना ही होगा। आज जो वर्साय में नहीं होगा कल वही बर्लिन में मानना पड़ जायगा"। मामूली शिष्टाचार के अभाव तथा सार्वजनिक अप्रतिष्ठा से परेशान होकर एक जर्मन प्रतिनिधि को भी कहना ही पड़ा "हमारे प्रति फैलाई गई उग्र घृणा की भावना से हम आज सुपरिचित हैं।" चौदह शतों जब वर्साय संधि में प्रयोग की जाय तो संधि सैद्धांतिक और क्रियात्मक दृष्टि से बहुत त्रुटिपूर्ण मिलेगी। जर्मनी के डानज़िग नगर को छीन कर पोलैंड को दिलवा देना, आस्ट्रिया को जर्मनी से खण्डित रहने के लिए विवश रखना, मित्र राष्ट्रों द्वारा सीमा सम्बन्धी भगडों को आत्म निर्णय द्वारा निपटाने के उद्घोषित सिद्धान्त का खुला उपहास था। इसके अतिरिक्त सब जर्मन उपनिवेशों को हथियाने के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा औपनिवेशिक मामलों को तय करने में पूर्ण निष्पक्षता तथा खुले दिल व्यवहार का दावा अब कहा रहा।

✓ वर्साय की संधि के फलस्वरूप जर्मनी को यूरोप में अपने भू-भाग के १३ प्रतिशत क्षेत्र (२५ हजार वर्गमील) से वंचित हो जाना पड़ा। इसके साथ उसे निम्न क्षतियाँ और उठानी पड़ी—आवादी का १२ प्रतिशत (६० लाख) आदमी कम हो गए। कच्चे लोहे के ढंढार का ६५ प्रतिशत, कोयले का ४५ प्रतिशत, कच्चे जस्त का ७२ प्रतिशत भाग, सीसे का ५७ प्रतिशत, कृषि-उत्पादन का १२ से १५ प्रतिशत और तैयार किए माल के लगभग १० प्रतिशत भाग से हाथ धोना पड़ा। जर्मनी की नौ सेना समाप्त कर दी गई तथा फौज की संख्या बेल्जियम की सेना के बराबर कर दी गई। जर्मनी के खर्चों पर ही विदेशी सेनाओं को उसी के देश में रखा गया। विदेशी व्यवस्थापकों को जर्मनी के आर्थिक तथा सैनिक जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार दे दिया गया। जर्मनी को क्षति-पूर्ति के लिए एक कोरे बैंक पर हस्ताक्षर करने पड़े, यही इस संधि का सार था।

आस्ट्रिया को समुद्री सीमा से वंचित कर दिया गया और जर्मनी से सहयोग करने की मनाही कर दी गई। बोहेमिया से कोयला खरीदना मना कर दिया, हंगरी से अनाज और मांस लेना आस्ट्रिया के सामर्थ्य से दूर हो गया। इस प्रकार गणतन्त्र आस्ट्रिया २० लाख आवादी के बोझ को लिए एक कटे सिर के समान शरीर की भाँति हो गया। १ लाख २५ हजार वर्गमील क्षेत्र वाले हंगरी की २ करोड़ बीस लाख आवादी को मित्रोंड कर ३७ हजार वर्गमील के क्षेत्र में सिर्फ ८० लाख की आवादी कर दी गई। बल्गारिया को एजियन समुद्र तट से दूर करके उसे बाल्कन देशों में क्षेत्रफल, आवादी, साधन सम्पन्नता और सामरिक दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बना दिया गया।

लॉसिंग के इस कथन पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि "मे इस सन्धि को अत्यन्त कठोर तथा अपमानजनक मानता हूँ और इसकी कुछ धाराओं को तो बिल्कुल ही अव्यवहार्य नमनना हूँ।" मि० केनीस ने तो क्षति-पूर्ति की कठोर शर्तों के विरोध

में अपना पद-त्याग कर दिया था तथा इस सन्धि को 'कारथेजियन' सन्धि कह कर लताड़ा था। इसकी चर्चा सप्ताह में बहुत दिनों तक रही। फ्रांसीसियों ने इन सन्धि को विशेष उत्साह से नहीं माना क्योंकि उन्हें सार की घाटी पर आविपत्य इसके द्वारा नहीं मिलता था। जर्मनी में तो इस सन्धि-पत्र पर अत्यन्त कठोर आलोचनाएँ हुईं। जर्मनी के एक भूतपूर्व चामलर वैथमहालवेग ने इसके बारे में एक स्मृति-पत्र में लिखा कि "पराजित को गुलाम बनाने का इसमें बड़ कर दिव्व ने कभी भी भयानक उपाय नहीं देखा।" फ्रांक-फॉर्टर जेडग नामक एक समाचार पत्र ने कहा कि "हम जर्मन आज अधिकार की कन्न के किनारे खड़े हैं। हमें सन्देह है कि यह कन्न कहीं सारे जर्मन राष्ट्र के लिये तो नहीं?" जर्मन के अनुसार जर्मनी को बुरी तरह कुचल दिया गया और उसे राष्ट्र सभ में भी शामिल न होने दिया।

परिणाम--विलसन के अनुसार शान्ति-समझौते ने 'भावी युद्धों का अन्त करने वाले' प्रथम विश्व-युद्ध का अन्त कर दिया। यह युद्ध १५६५ दिनों तक चला और इसमें २० प्रतिशत व्यक्ति मारे गए तथा ३३ प्रतिशत मैनिक घायल हुए। निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सन्धियों की धाराएँ न केवल एक पक्षीय थी वल्कि अस्थायी समझौते कि बू लिए हुए थी। उसमें आदर्शवाद के स्थान पर भौतिकवाद की छाया थी और भविष्य में भगड़े के बीज छिपे हुए थे। जनरल स्मट्स ने ठीक ही कहा था कि मैंने सन्धि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किये कि वह एक सन्तोषजनक समझौता है, वल्कि केवल इसलिए कि इससे युद्ध बन्द होता है। हमने केवल अपने शत्रुओं के हृदयों को ही नहीं बदलना है अपितु हमें अपने हृदयों में भी परिवर्तन करना है। क्षत-विधत ईसाई समाज को सात्वना देने के लिए तथा उसके शोक और दुःख को भुलाने के लिए इस युग के प्रत्येक निवासी को अपने हृदय में एक नवीन उदारता तथा मानवीयता की उमंग को स्थापित करना होगा।

व्याख्यान ३

राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स)

विषय प्रवेश—बहुत प्राचीन काल से राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। प्रथम महायुद्ध से पहले भी २२२ वार शांतिप्रिय व्यक्ति या सस्थाये इस दिशा में प्रयत्न कर चुकी थी। चौदहवीं सदी में पीरी डू-वायस ने फ्रेंच राजा की आधीनता में समस्त ईसाई जगत को एक सूत्र में पिरोने का सुझाव रखा था। सिली ने अपनी 'ग्रॉंड डिजाइन' पुस्तक में सारे यूरोप को इस प्रकार १५ रियासतों में बाँटने का प्रस्ताव पेश किया था कि वे सब मिलकर अबसर आने पर एक साधारण सभा (जनरल कौंसिल) के संरक्षण में किसी भी सामूहिक कार्यवाही को कर सके। सन् १७६५ में प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक केट ने 'परपेचुअल पीस' पुस्तक में युद्धों के रोक-थाम की एक योजना प्रस्तुत की थी।

१९ वीं शताब्दी के प्रथम चरण में जार अलेक्जेंडर प्रथम ने 'पवित्र मैत्री' (होली अलायंस) की स्थापना की, मैट्रनिक ने यूरोपीय गोष्ठी स्थापित की। सन् १८५६ में पेरिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निवटाने के लिये नियम बनाए गये। सन् १८६७ में तत्कालीन प्रभावशाली व्यक्तियों में से जॉन ब्राइट, जोन स्टुअर्ट मिल, विक्टर ह्यूगो, गेरीबाल्डी और माइकेल वाकुनिन ने सम्मिलित प्रयत्न से एक 'शान्ति संघ' (लीग ऑफ पीस) की स्थापना इस उद्देश्य से की कि जिसके द्वारा यूरोप की तमाम रियासतों का एकीकरण हो तथा ससार में स्वतन्त्रता न्याय और शान्ति कायम रह सके। सन् १८६९ में टस के जार निकोलस द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय शान्ति सम्मेलन हेतु बुलाया। जार ने इस अवसर पर कहा कि "शान्ति कायम रखना ही अंतर्राष्ट्रीय नीति का आज ध्येय बन चुका है"। इस सम्मेलन में २६ राष्ट्रों ने भाग लिया। यद्यपि शस्त्रीकरण के खास सीमानिर्धारण पर कोई ममभौता न हो सका किन्तु युद्ध के समय कुछ गस्त्रों के प्रयोग पर पाबन्दी और अंतर्राष्ट्रीय कानून स्थापित करने तथा पंच न्यायालय की स्थापना के लिये इस सम्मेलन में आवश्यक कदम उठाया गया। १९०७ के द्वितीय हेग शान्ति सम्मेलन में ४४ राष्ट्रों ने सक्रिय भाग लिया। इसमें शस्त्रीकरण पर प्रतिबन्ध लगाने में यद्यपि अग्रसर रहे परन्तु फिर भी युद्धावरोध के लिये समय-समय पर शान्ति सम्मेलनों को बुलाने की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त दो लड़ने वाले के बीच में तीसरे की मध्यस्थता द्वारा युद्ध-समाप्त की पद्धति को उचित

ठहराया गया। तीसरा हेग सम्मेलन १९१५ में होने को था कि विश्वयुद्ध के छिड़ जाने में सम्मेलन स्थगित करना पड़ा।

राष्ट्र-संघ का जन्म

युद्ध छिड़ने ही तटस्थ सयुक्त राष्ट्र अमरीका में एक राष्ट्रसंघ की स्थापना के विषय में आम चर्चा चल पड़ी। जून १९१५ ई० में अमरीका के राष्ट्रपति टैपट ने शांति की स्थापना के लिये एक लीग (संघ) के गठन के हेतु फिताटेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में एक चार सूत्री कार्यक्रम निश्चित हुआ (१) अन्तर्राष्ट्रीय सब विवादों को मध्यस्थ के सुपुर्द कर दिया जाय, (२) दूरी प्रकार के भगड़े नम-भौते के लिये एक कौंसिल के सामने रखे जायें, (३) शांतिपूर्ण हल को स्वीकार न करने वाली पार्टी के विरुद्ध आर्थिक और सैनिक कार्यवाई प्रारम्भ की जाय। (४) समय-मसय पर ऐसे सम्मेलनों का आयोजन किया जाय जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कानून निर्माण करे। मई १९१६ में वाशिंगटन में एक सम्मेलन उपर्युक्त निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए बुलाया गया। २२ जनवरी १९१७ में राष्ट्रपति विलसन ने अमेरिकन सीनेट के समक्ष "शांति के लिये विश्व संघ" के विषय में निम्न उद्गार प्रगट किए "आज के बाद समार में शांति स्थापना तभी सम्भव है जबकि हम एक नई तथा ठोस कूटनीति को अपनाए, समार के बड़े राष्ट्र किसी भी आपसी समझौते को मान लें, शान्ति स्थापित करने के मूलभूत आधारों के विरुद्ध जब कोई गुट युद्ध द्वारा कार्यवाई करने लगे उस पर तुरन्त मामूहिक कार्यवाई की जा सके तभी सभ्यता कायम रह सकेगी।" "हमारी मान्यता है कि (१) विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपनी सरकार का स्वयं निर्णय करे (२) विश्व के राज्यों का भी अपनी सर्वभौमिकता और प्रादेशिक स्वातन्त्र्य को कायम रखने का उतना ही अधिकार है जितना कि बड़े राष्ट्रों को और (३) यह कि किसी भी मूल्य पर विश्व-शान्ति बनाये रखना जरूरी है।"

प्रेसिडेन्ट विलसन के भाषण के एक सप्ताह के बाद ही जर्मनी के पन्डुव्री वेडे ने लडाई की घोषणा कर दी। इसके प्रत्युत्तर में ६ अप्रैल १९१७ को प्रेसिडेन्ट विलसन ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अपने युद्ध नदेश में प्रेसिडेन्ट विलसन ने कहा कि जनतन्त्रीय देशों में पारस्परिक विश्वव्यापी सहयोग के बिना समार में शान्ति व्यवस्था कायम रखना नितांत असम्भव है। जगह-जगह अपने भाषणों में विलसन ने 'युद्धान्तक-युद्ध' की आवश्यकता सम्बन्धी अपना विचार स्पष्ट किया। आपने कहा कि जर्मनी के विरुद्ध हमने युद्ध की घोषणा विश्व युद्ध की नमानि और जनतंत्र की सुरक्षा के लिये की है। ८ जनवरी १९१८ की प्रेसिडेन्ट विलसन ने अपनी १४ सूत्री योजना प्रस्तुत की *। नितम्बर १९१८ में प्रेसिडेन्ट विलसन ने कहा कि राष्ट्रसंघ का

* पृष्ठ १४ देखिए।

विधान शान्ति समझौता का ही एक अंग होना चाहिए। ११ नवम्बर १९१८ को युद्ध विराम हुआ और जनवरी १९१९ में पेरिस में शान्ति-सम्मेलन बुलाया गया।

इस समय राष्ट्रसंघ के लिये कितनी ही सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाएँ सामने आने लगीं। २० जनवरी १९१९ को ब्रिटेन की तरफ से लार्ड सिसिल, जर्नल स्मट्स और लार्ड फ़िलीमोर ने एक रूपरेखा तैयार की। इसी समय विलसन ने अपने विश्वस्त सहयोगी कर्नल हाऊस द्वारा एक और योजना तैयार की। ये योजनाएँ पेरिस शान्ति सम्मेलन की १९ व्यक्तियों की समिति के सामने रखी गईं। इसके सभापति विलसन थे जिन्हें फरवरी १९१९ में पेरिस शान्ति सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने निर्वाचित किया था। २८ अप्रैल को पेरिस शान्ति सम्मेलन ने प्रतिश्रव (केवनेन्ट) की दुहराई हुई योजना को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। राष्ट्रसंघ की प्रतिश्रव योजना वर्साय, साँ जर्म, निऊली, टायनन और सेवर्म की सन्धियों के अन्तर्गत लागू की गई। १० जनवरी १९२० को वर्साय की संधि के अभिषेक के साथ-साथ राष्ट्रसंघ का जीवन नियमानुकूल प्रारम्भ हो गया।

प्रतिश्रव (Covenant)

राष्ट्रसंघ का रूप या भार ही प्रतिश्रव है जिसके २६ आलेख पेरिस में हुई विभिन्न संधियों के अंश हैं। इस संघ के उद्देश्य जैसे कि प्रतिश्रव में उल्लिखित हैं, ये चार हैं (१) युद्ध निराकरण (२) शान्ति की स्थापना (३) संधियों के नियम तथा उपनियमों को लागू करना (४) मानव समाज की भौतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।

(१) युद्ध निराकरण—दसवीं धारा सदस्यों को बाह्य आक्रमण में एक दूसरे की प्रादेशिक सीमा और विद्यमान राजनैतिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा और सम्मान करने को बाध्य करती है। ११ वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रसंघ को यह अधिकार दिया गया है कि शान्ति की सुरक्षा के लिए कोई भी उचित कदम उठा सकता है। १२ वीं धारा में यह बतलाने के लिए सदस्य देशों की परिषद (कांसिल) द्वारा जांच की जा सकेगी, जांच के निर्णय के तीन मास तक किसी भी हालत में युद्ध नहीं छेड़ा जा सकेगा। १३ वीं धारा में इस बात के विश्वास पर बल दिया गया कि उच्च या जांच में विश्वास रखना और सदस्य देश ने युद्ध करने की सम्भावना न होने देना। १६ वीं धारा के अनुसार यदि कोई सदस्य-देश प्रतिश्रव की धाराओं की अवहेलना करके युद्ध घोषणा करे तो अन्य समस्त सदस्य देशों के विरुद्ध युद्ध के लिए अपराधी माना जायेगा। १७ वीं धारा में इस बात की घोषणा है कि यदि वह देश जो राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं है राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य देश के विरुद्ध युद्ध छेड़े तो उसके साथ भी १६ वीं धारा के अनुसार व्यवहार किया जायेगा।

प्रतिश्रव के द्वारा युद्ध पूर्ण रूप में वर्जित न थे। अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध भी उसी समय वैध माना जा सकता था जबकि उन देशों का विवाद पहले राष्ट्रसंघ में मध्यस्थता के लिए रखा गया हो और वह उसे निर्विरोध सुलभाने में असमर्थ रही हो। प्रतिश्रव की अवहेलना कर यदि कोई राष्ट्र युद्ध छेड़ दे तो धारा १६ राष्ट्रसंघ के अन्य सदस्य राष्ट्रों को आक्रान्ता देश के साथ आर्थिक, व्यापारिक और वैयक्तिक सम्बन्ध तोड़ने के लिए बाध्य करती थी। ऐसी स्थिति पहुचने पर कौंसिल राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों को यह सिफारिश करेगी कि वे प्रतिश्रव की व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रभावात्मक सैनिक, नौसैनिक तथा वायु सेना शक्ति का प्रयोग करे।

(२) शांति की स्थापना—युद्ध बन्द करने के निपेधात्मक प्रयत्नों के साथ-साथ राष्ट्रसंघ युद्धोत्पादक कारणों को भी दूर करने के लिए सक्रिय तौर पर सचेष्ट था। इसके लिए प्रतिश्रव ने गुप्त संधि प्रथा रद्द कर दी। ऐसी व्यवस्था की कि कोई भी संधि तब तक व्यवहार में नहीं आ सकती जब तक कि उसे राष्ट्रसंघ के सचिवालय की स्वीकृति न मिल जाय। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों ने एक प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर भी किये, जिसके अन्तर्गत उन्होंने उन सब पुरानी संधियों को रद्द कर दिया जो कि प्रतिश्रव की मूल नीति में टक्कर खाती थी तथा भविष्य में प्रतिश्रव के सिद्धान्तों के अनुकूल ही नई संधियाँ करने का वचन दिया। प्रतिश्रव ने 'यथा स्थिति' (status quo) पर बहुत अधिक बल देने के भय को समझ कर उन संधियों पर पुन विचार करने की व्यवस्था की जोकि अव्यवहार्य हो चुकी थी और जिनके चालू रहने से नकार की शक्ति को खतरा था। प्रतिश्रव शस्त्रों की होड़ को घटाने के लिए सक्रिय और सचेष्ट था। इस कार्य-मिष्टी के लिए उनमें सदस्य देशों को प्रेरित किया कि "वे केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के निमित्त ही शस्त्र-मज्जा रखें, व्यक्तिगत उद्योगों के द्वारा शस्त्रास्त्रों का तैयार करना भयकर प्रतिवाद का नामना करना है।" प्रतिश्रव ने कौंसिल को शस्त्र-शमन घटाने के स्पष्ट निर्देश दिये।

(३) पेरिस सन्धि को अमल में लाना—धलेनविग, पूर्वी प्रशिया और अफरिलिथिया में जनमत का निरीक्षण राष्ट्रसंघ का दायित्व था। १५ वर्ष के लिए डानजिग नगर की व्यवस्था तथा नार के शासन का भार भी उसे उठाना था। अल्पमतों की सुरक्षा के लिए विधेय संधियों का प्रवन्ध करना था।

(४) मानवीय महयोग को प्रोत्साहन—मनुष्य मात्र में सम्बन्ध रखने वाले मामलों में मनुष्यता के आचार पर सहयोग स्थापित करना भी राष्ट्रसंघ का एक ध्येय रहा। इनके अन्तर्गत पुरुष, स्त्री और बच्चों के उपयुक्त ही श्रम-व्यवस्था कायम करना था। उपनिवेशों के आदि निवासियों के प्रति न्यायपूर्ण बर्ताव करना

था। राष्ट्र सघ के सदस्य देशों में परस्पर युक्तिसंगत समान व्यापार, व्यवसाय और संचार स्थापित करना था। अफीम जैसे मादक तथा हानिकारक द्रव्यों तथा अस्त्र-शस्त्रों का सदस्य देशों के साथ व्यापार नियमित करना था। बीमारियों की रोकथाम और निराकरण का उत्तरदायित्व भी सघ ने लिया था। ससार के कष्टों का उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय आधार पर रेड क्रॉस को सगठित करना भी इसके उद्देश्यों के अन्तर्गत था। सक्षेप में प्रतिश्रव का ध्येय उस नवीन जगत् का निर्माण करना था, जिसमें शान्तिपूर्ण सहयोग की शिला पर सार्वजनिक सुरक्षा की सुदृढ नींव पड़ी हो।

सदस्यता—राष्ट्रसघ के प्रारम्भिक सदस्य ३१ हस्ताक्षरकर्ता थे, जिनके नाम प्रतिश्रव के परिशिष्ट में उल्लिखित हैं। चीन, साँ जर्मनी की सधि पर हस्ताक्षर करके, ३२ वा सदस्य बन गया। इन ३२ हस्ताक्षरकर्ताओं में से ३ हस्ताक्षरकर्ता—ईववेडोर, हेजाज और अमेरिका—सधियों को अभिपुष्ट करने में असफल रहे। अप्रैल १९२० तक ४२ देश राष्ट्रसघ के सदस्य बन गये। इसके पश्चात् २१ देश और इसमें शामिल हो गये। * ससार के जिन ६ राष्ट्रों ने कभी भी सदस्यता के लिए प्रार्थना पत्र नहीं भेजा वे ये हैं सउदी अरेबिया, यमन, ओमन, नेपाल, माचूको और मधुक्तराष्ट्र अमेरिका। कोई भी सार्वभौम-सत्ता सपन्न देश, उपनिवेश अथवा राज्य इस सघ का सदस्य हो सकता था यदि उसे साधारण सभा के दो तिहाई मतों की सहमति प्राप्त हो तथा वह अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के पालन करने का विश्वास दिला सके।

दो वर्ष पूर्व सूचना देकर कोई भी सदस्य देश राष्ट्र सघ से पृथक् हो सकता था। १९३२ में कोस्टारिका और ब्राजील ने कमश 'आर्थिक' और 'सम्मान' के आवारों पर सघ की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया। जापान ने २७ मार्च १९३३ तथा जर्मनी ने ४ अक्टूबर १९३३ में राजनैतिक कारणों से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। १ सितम्बर १९३६ को द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर राष्ट्र-सघ के केवल ४६ सदस्य रह गये। इथोपिया, आस्ट्रिया, अल्बेनिया और चैकोस्लोवाकिया आदि चार सदस्य राष्ट्र नष्ट किये जा चुके थे। १९४० के ग्रीष्म तक सारा राष्ट्र-

* १९२० में अन्वानिया, फिनलैंड, बल्गारिया, आस्ट्रिया, कोस्टारिका और लक्समबर्ग सदस्य बने। १९२० में इथियोपिया, लेटिविया और लिथुआनिया तथा १९२८ में हंगरी, इथोपिया और स्वतन्त्र आइरिश राज्य, १९२४ में औपनिवेशिक गणराज्य, १९२३ में जर्मनी, १९३१ में मैक्सिको, १९३२ में टर्की और इराक, १९३४ में अरुग्वान्तिना, उरुग्वे और हन तथा १९३७ में मिन्न भी राष्ट्रसघ का सदस्य बन गया।

संघ एक स्मृति मात्र बन गया क्योंकि अब बड़ी शक्तियों में ब्रिटेन और छोटी ३१ रियासते ही उसकी मदद रह गई। १६ मई को सरकारी तौर पर राष्ट्रसंघ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई।

इस राष्ट्रसंघ ने अपने काल में एक साधारण सभा, एक परिषद् (कौंसिल) और एक स्थायी सचिवालय के द्वारा कार्य किया।

साधारण सभा (असेम्बली)—इसमें समस्त सदस्य देशों के प्रतिनिधि थे। एक सदस्य राष्ट्र के अधिक से अधिक तीन प्रतिनिधि हो सकते थे, पर परम्परावश मत सख्या एक ही सीमित थी। साधारण सभा का अधिवेशन वार्षिक रूप में सितम्बर के मास में जेनेवा में हुआ करता था किन्तु कई आवश्यक कारणों से विशेष अधिवेशन भी हुए। इस साधारण सभा (असेम्बली) की प्रथम बैठक १५ नवम्बर १९२० को प्रेसिडेन्ट विलसन की अध्यक्षता में हुई और अन्तिम तथा २० वा अधिवेशन १४ दिसम्बर १९३९ को हुआ। सभा अपने अध्यक्षों का निर्वाचन स्वतः करती थी। इसका कार्यक्रम महामन्त्री द्वारा तैयार किया जाता था या आवश्यकतानुसार अधिवेशन में संशोधन हो सकता था। साधारण सभा की ६ स्थायी समितियाँ निम्न कार्यों के लिए थी (१) वैधानिक और कानूनी प्रश्न (२) टेक्निकल मस्यौदा (३) अस्त्रास्त्र का विघटन (४) वज्र और आन्तरिक व्यवस्था (५) सामाजिक समस्याएँ (६) राजनैतिक प्रश्न। इस साधारण सभा को विशेष प्रश्न के लिए विशेष समिति नियुक्त करने का भी अधिकार था।

धारा ३ के अन्तर्गत सभा का कार्यक्षेत्र व्यापक था। परन्तु प्रायः सभा की रचि निम्न तीन विषयों को सुलभाने में ही लगती थी (अ) चुनाव सम्बन्धी (ब) अंगीभूत विषय (Constituent) (स) परामर्शदान। चुनाव सम्बन्धी कार्यप्रणाली के अन्तर्गत सभा के निम्न वर्तव्य थे दो तिहाई वोटों में नये सदस्यों का चुनाव, साधारण बहुमत द्वारा परिषद् (कौंसिल) के अस्थायी सदस्यों में से ३ को सभा के लिए चुनना : प्रति ६ वर्ष के लिए स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए १५ निर्णायकों (जजों) को चुनना, परिषद् में महामन्त्री की नियुक्ति की स्वीकृति देना अंगीभूत कार्यों में से प्रतिश्रव के नियमों में ऐसा संशोधन करे जो परिषद् को तो सर्वसम्मति में स्वीकृत हो तथा प्रभावित सदस्य देशों की रचि के अनुकूल हो सके। परामर्श के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय हित में सम्बन्ध रखने वाले आर्थिक, राजनैतिक तथा टेक्निकल विषयों का साधारण दिग्दर्शन, अध्यक्षवाच्यें मन्त्रियों में संशोधन और उनकी पुनरावृत्ति के लिए सुझाव पेश करना, परिषद् के कार्यक्रम को पटताल तथा नालाना वज्र तैयार करना था।

१०,०००,००० डालर का वार्षिक वज्र जिसे तीन मुख्य मदों में व्यवहृत किया जाता था, वे हैं एक सचिवालय, दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय धर्म कार्यालय और

तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय । व्यय की ६२३ इकाइयों में से ग्रेट ब्रिटेन को १०८, रूस को ६४, भारत को ४६ और अल्बानिया को सिर्फ १ अंश करनी होती थी ।

परिषद् (कौंसिल)—प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान इसके स्थायी सदस्य थे । इसके साथ ४ अस्थायी भी होने थे । संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के इन्कार करने पर स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या मन्तुलित हो गई । १९२२ में अस्थायी सदस्यों की संख्या २ और बढ़ा दी गई । जर्मनी और रूस जब तक परिषद् के सदस्य रहे वे स्थायी ही बन रहे । १९३६ तक परिषद् (कौंसिल) में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस स्थायी सदस्य और इनके साथ केवल ११ अस्थायी सदस्य थे ।

परिषद् का कार्यक्षेत्र भी साधारण सभा की तरह असीमित था । १९२६ के बाद इसका अधिवेशन वर्ष में जनवरी, मई और सितम्बर में तीन बार होने लगा । प्रतिश्रव की धारा ४ के अन्तर्गत इसका कार्यक्षेत्र निर्धारित था । फ्रांसीसी वर्णमाला के आधार पर इसके कार्यवाहक प्रधान वारी-वारी से चुने जाते थे । परिषद् के सब निश्चय सर्वसम्मत होते थे केवल कार्यवाही सम्बन्धी निर्णयों का अपवाद रखा गया । परिषद् के लिए मुख्य विचारणीय विषय निम्न होते थे अन्तर्राष्ट्रीय भगड़ों का निपटाना, शस्त्रास्त्र निराकरण के मुद्दों को समीक्षा, आत्राप्ति-प्राप्त (मैन्डेटरीज) प्रदेशों की वापिक रिपोर्ट पर विचार और सदस्य देशों का बाह्य आक्रमण में बचाव करना । सचिवालय के पदाधिकारियों के अतिरिक्त परिषद् के महामंत्री की नियुक्ति भी परिषद् ही करती थी ।

सचिवालय—यह लीग का स्थाई प्रशासन अंग था । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय सिविल सर्विस के ६०० योग्य अधिकारी काम करते थे । सचिवालय का प्रधान सेक्रेटरी जनरल (महामंत्री) होता था, जिसे परिषद् महासभा की अनुमति से नियुक्त करती थी । उस पद पर १९२० से १९३३ तक ब्रिटेन के सर एरिक डूमड रहे और इसके बाद फ्रांस के जोसेफ एवेनल द्वारा १९४० में त्यागपत्र देने के कारण उनके स्थान पर आयरलैंड के सीन लेस्टर स्थानापन्न महामंत्री नियुक्त किये गये । सचिवालय के अधिकारी, जो योग्यता के आधार पर महामंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते थे वास्तव में वे अपने देशों के हित का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे । महामंत्री की सहायता के लिए दो महतारी सचिव और दो उप-महतारी सचिव होते थे । इन चारों पदों पर राष्ट्रसंघ के सदस्य बड़े राष्ट्रों के ही नागरिक नियुक्त होते थे ।

सचिवालय ११ विभागों में विभाजित था, जिनका संचालन अध्यक्षों के आधीन होता था । महामंत्री राष्ट्रसंघ के सदस्यों द्वारा की हुई समस्त सचिवों के रजिस्टर जन

तथा प्रकाशन के लिये उत्तरदायी होता था । १९४१ तक ४७३३ प्रमाणपत्र रजिस्टर किये गये । राष्ट्रसंघ के विचारार्थ जटिल समस्याओं सम्बन्धी आवश्यक सूचना प्राप्त करना तथा उसे प्रकाशित करना, बैठक का कार्य-क्रम तैयार करना, भाषणों को फ़ामीसी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना, राष्ट्रसंघ की सरकारी पत्रिका में महामभा तथा परिपद् की कार्यवाहियों को प्रकाशित करना मन्त्रिवालय के अधिकारियों का काम था ।

राष्ट्रसंघ की सहायता के लिए टेक्निकल सस्था तथा सलाहकार समिति के नाम से कई सहायक सस्थाएँ स्थापित की गई थी । राष्ट्रसंघ की ५ विधेय टेक्निकल संस्थाओं के नाम इस प्रकार थे अन्तर्राष्ट्रीय स्थाई न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ, आर्थिक तथा वित्तीय संघ, सवाहन तथा यातायात सस्था और स्वास्थ्य संघ । सलाहकार समितियों में अफीम समिति, आदिष्ट प्रणाली और आध्यात्मिक सहयोग मुख्य थे ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

प्रतिश्रव की धारा १४ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के लिए एक स्थाई न्यायालय की स्थापना की गई, जिमको साधारण रूप से 'विश्व न्यायालय' कहते हैं । इसका काम किसी भी राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत विवाद को सुनना व सुलझाना और राष्ट्र-संघ की असेम्बली अथवा परिपद् द्वारा रखे गये किसी भी प्रश्न पर सलाह देना होता था । न्यायालय के सविधान को प्रस्तुत करने के लिए १९२० में अमरीकी इन्सिस्ट की अध्यक्षता में कानून विधेयों का एक आयोग नियुक्त किया गया । यह सविधान सितम्बर १९२१ में लागू किया गया, जबकि २८ सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसकी स्वीकृति की गई और न्यायाधीशों के पहले पैनल का चुनाव हुआ ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले ११ न्यायाधीश और ४ उपन्यायाधीश थे । ये ६ वर्ष के लिए परिपद् और महामभा की बहुमत से चुने जाते थे । न्यायालय अपना एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनता था, जिनका कार्यकाल ३ वर्ष होता था । इसकी बैठक प्रतिवर्ष हेग में होती थी और वह हर वर्ष जून में आरम्भ होती थी । प्रति वर्ष राष्ट्रसंघ उसके लिए ५ लाख डालर खर्च करता था । १९३० में न्यायाधीशों की नरवा बढ़ा कर १५ कर दी गई और फरवरी १९३६ में उपाध्यक्ष का पद नमान कर दिया गया ।

न्यायालय का कार्यक्षेत्र २ प्रकार का था . एक तो 'स्वेच्छा से' और दूसरा 'अनिवार्य' । 'ऐच्छिक धारा' के अन्तर्गत हस्ताक्षर करने वालों को निम्न कानूनी झगड़ों में न्यायालय का न्याय मानना पड़ना था (१) किमी नधि वा स्प्टीकरण, (२) अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी कोई भी प्रश्न, (३) किमी अन्तर्राष्ट्रीय नमन्नीति का उल्लंघन तथा (४) उन प्रकार के उल्लंघन के सम्बन्ध में हर्जाने के रूप या नीमा को

निर्दिष्ट करना। सितम्बर १९३६ में ३६ राष्ट्रों ने न्यायालय की शर्तों पर हस्ताक्षर किए। अनिवार्य धारा के अन्तर्गत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सामने पेशी के लिए बुला सकता था और यदि दूसरा राष्ट्र न्यायालय में न आये तो न्यायालय अपने आप न्याय कर सकता था। जब दो राष्ट्र पारस्परिक सम्मति से आपस के झगड़े न्यायालय में पेश करते थे, तो इसका कार्यक्षेत्र उस समय ऐच्छिक धारा के अनुसार होता था।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 'हेग पंच न्यायालय' से सम्पूर्ण भिन्न था। हेग न्यायालय की स्थापना १८९९ में की गई थी। यह कोई स्थायी अदालत नहीं थी। इसमें केवल १३२ प्रमुख कानून विशेषज्ञों की सूची थी जिसमें से विवादास्पद राज्य पंच चुन सकते थे। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय पंच न्यायालय की तरह कानूनी नहीं था परन्तु स्थायी कानूनी न्यायालय था। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्टीकरण करता था और सधि उल्लंघनों पर निर्णय देता था। संक्षेप में, इस अदालत द्वारा राष्ट्रों के बीच विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से कुछ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के लिये महत्वपूर्ण तथा सफल प्रयास किये गये। इसके विषय में शूमैन ने लिखा है "अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के १७ वर्ष के रिकार्ड में यह सस्था बड़ी मूल्यवान सिद्ध हुई"। १९४० से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के रद्द होने तक उसने ३१ निर्णय दिये तथा ३७ सलाहकार मत और २०० आदेश जारी किये।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ (आई एल ओ) जिसका कार्यालय जेनेवा में था, राष्ट्रमण्ड से सम्बन्धित था। इनके तीन विभाग थे—साधारण सम्मेलन, प्रशासन विभाग और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। साधारण (ग्राम) सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के ४-४ प्रतिनिधि थे। इन चार प्रतिनिधियों में से २ प्रतिनिधि सम्बन्धित राष्ट्र की सरकार द्वारा मनोनीत होते थे, एक को मजदूर चुनते थे और एक को मालिक वर्ग। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती थी। प्रतिनिधि वैयक्तिक रूप से मत देते थे। ये प्रतिनिधि श्रम कानूनों पर सिफारिशें या भसविदे को दो तिहाई बहुमत से पाम करते थे जो कि एक वर्ष के भीतर सदस्य राष्ट्रों की राष्ट्रीय सरकार के सामने स्वीकृति के लिये रखे जा सकते थे।

शासन सभ्या में ३२ सदस्य होते थे, जिन्हें ३ वर्ष के लिये चुना जाता था। इनकी बैठकें हर तीन मास बाद होती थी। इन सदस्यों में से १६ सदस्य, सदस्य राष्ट्रों द्वारा नियुक्त किये जाते थे (८ राष्ट्र अधिक औद्योगिक महत्व के होते थे)। ८ सदस्य सम्मेलन में मालिक वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और शेष ८ मजदूर वर्ग द्वारा चुने जाते थे। शासन सभ्या सम्मेलनों का कार्यक्रम बनाती थी, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मण्ड के अध्यक्ष नियुक्त करती थी और सघ के कार्यों की देख भाल करती थी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय में अध्यक्ष द्वारा नियुक्त ३५० विशेषज्ञ होते थे । यह संघ का सचिवालय था । इसका काम सूचनाओं का सकलन तथा वितरण करना, सम्मेलनों के निर्णयों के आधार पर सरकार द्वारा कानूनों का मसविदा तैयार करने की प्रार्थना पर उनको सहयोग देना, विशेष जांच करना तथा सम्मेलनों की सफलता के लिये साधन उपलब्ध करना होता था । यह एक सरकारी पत्रिका, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विज्ञप्ति तथा अनेकों रिपोर्ट तथा महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रकाशित करती थी । अल्बर्ट थामस अपने मृत्युकाल (अप्रैल १९३२) तक उसके अध्यक्ष रहे । इसके बाद इस पद पर हैरोल्ड बटलर, जान विनोट व एडवर्ड फेलान रहे । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ का व्यय राष्ट्रसंघ के बजट में मे होता था । अब यह संयुक्त राष्ट्र श्रम संघ से सम्बद्ध है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के निम्नलिखित उद्देश्य थे : १. सामाजिक न्याय की उन्नति से स्थायी शांति स्थापना में योग देना, २ अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा श्रमिकों की स्थिति व जीवन स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक व सामाजिक स्थिरता को प्रोत्साहित करना । संक्षेप में श्रम कानून में समानता लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ सरकार, मजदूरों व मालिकों में सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा साधन रहा । यह मजदूरों के वेतनों, काम करने का समय, क्षति-पूर्ति, सामाजिक बीमा, वेतन सहित छुट्टी, औद्योगिक सुरक्षा, श्रम जांच मिलने जुलने की स्वतन्त्रता व सफाई आदि जैसे विषयों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों का मसविदा तैयार करता था ।

अमरीका का असहयोग

जर्मनी के हारने के बाद अमरीका राजनैतिक उथल-पुथल का केन्द्र बन गया । डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता प्रेसिडेन्ट विलसन विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के शिकार बने हुए थे । नवम्बर १९१८ में कांग्रेस के चुनावों में रिपब्लिकन दल की जीत हुई और सीनेट में बहुमत प्राप्त हुआ जिसकी बहुमत सधियों के लिए आवश्यक थी । विलसन ने पेरिस में होने वाले शांति सम्मेलन में कांग्रेस की डेमोक्रेट पार्टी की सहायता ली और रिपब्लिकन नेताओं की उपेक्षा की, जिसका फल यह हुआ कि सीनेट-बहुमत इनके खिलाफ चली गई । रिपब्लिकन पार्टी ने उनको नीचा दिखाने के लिए उन पर अन्वयायी तानाशाही तथा अमरीका के हित का बलिदान करने के आरोप लगाये । जब प्रेसिडेन्ट विलसन जुलाई १९१९ में अमरीका लौटे और राष्ट्रसंघ-प्रतिश्रव तथा वसाय संधि पर आवश्यक नवीकृति की मांग की तो उन्हें सीनेट बहुमत की तरफ से बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा । लगभग २ वर्ष तक प्रेसिडेन्ट विलसन और सीनेट-बहुमत में गतिरोध रहा । विलसन की मृत्यु के पश्चात् भगवा नमाप्त हो

गया। नवम्बर १९२० के चुनावों में विलसन के एक डेमोक्रेट समर्थक की हार हुई और सीनेट के एक रिपब्लिकन सदस्य वारन हार्डिंग प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए। मार्च १९२१ में नए प्रेसिडेंट ने घोषणा की कि वर्तमान राष्ट्रसंघ में रिपब्लिकन सरकार कोई भाग नहीं लेगी। अमरीका ने जर्मनी, आस्ट्रिया और हंगरी से पृथक्-पृथक् शांति संधियाँ की। इस प्रकार अमरीका ने राष्ट्रसंघ के विशेष बुलावे पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों में भाग लिया। १९३४ में उसने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की सदस्यता स्वीकार की। वास्तव में आरम्भ से ही अमरीका द्वारा राष्ट्रसंघ में भाग न लेने से संघ को बड़ी क्षति पहुँची क्योंकि इससे राष्ट्रसंघ को एक बड़े राष्ट्र का नैतिक समर्थन व सहयोग प्राप्त नहीं हो सका।

साधारण मामलों में राष्ट्रसंघ की मध्यस्थता

राष्ट्रों के बीच राजनीतिक झगड़ों के शांतिपूर्वक निवटारे व युद्ध को रोकने में राष्ट्रसंघ को सम्पूर्ण सहायता नहीं मिली। निस्संदेह संघ ने अपनी सस्थाओं द्वारा इस सम्बन्ध में सहयोग अदा किया। २० वर्षों में संघ ने ४० छोटे-बड़े राजनीतिक झगड़ों की जांच की। छोटे राज्यों के मामलों को सुलझाने में राष्ट्रसंघ अधिक दृढ़ और सफल सिद्ध हुआ।

आलैंड द्वीप विवाद

राष्ट्रसंघ को सुलझाने के लिए सबसे पहले आलैंड द्वीपों का विवाद मिला। यह विवाद फिनलैंड और स्वीडन के बीच था। आलैंड द्वीप जिसकी जनसंख्या १९२० में २७००० थी, स्वीडन फिनलैंड के बीच बसा है। इस पर वर्षों तक स्वीडन का कब्जा रहा लेकिन नेपोलियन के युद्धों में यह द्वीप फिनलैंड के साथ रूस के हाथों में गया। १९०६ से १९१७ तक रूस ने फिनलैंड के आलैंड द्वीपों पर एक शासनीय इकाई के रूप में राज्य किया। रूसी क्रांतियों के बाद फिनलैंड स्वतन्त्र हो गया और स्वीडन ने उसकी मान्यता स्वीकार कर ली। आलैंड द्वीपों को कुछ भी नहीं मिला यद्यपि वहाँ के लोग स्वीडिश थे और स्वीडिश भाषा बोलते थे। इसके बाद ही आलैंड द्वीपों के रहने वालों ने स्वायत्त-शासन की मांग करते हुए, स्वीडन के साथ संघ बनाने का आन्दोलन किया। जब अन्त में खुले विद्रोह की आशंका पक्की हो गई तो फिनलैंड की फौजें आलैंड द्वीपों में उतारी गईं और दो पृथक्वादी नेता तत्काल गिरफ्तार कर लिए गये। स्वीडन में जनता की आवाजें बुलन्द हुईं और वहाँ युद्ध-कालीन सी स्थिति पैदा हो गई। जुलाई १९२० में जब फिनलैंड राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था तो इंग्लैंड ने उन और महामन्त्री ड्रेमण्ट का ध्यान आकर्षित किया। प्रत्येक दल के प्रतिनिधि परिषद् के मामले उपस्थित हुए और अपने अपने विचार प्रकट किये। फिनलैंड के प्रतिनिधि ने कहा कि यह मामला बिल्कुल धरेलू है और

युद्ध का खतरा निर्मूल है। साथ ही जब स्वीडन ने फिनलैंड की स्वतन्त्रता को मान्यता दी थी तो आर्लैंड द्वीप के सम्बन्ध में कुछ तय नहीं किया गया था। स्वीडन के प्रतिनिधि ने सकेत किया कि आर्लैंडवासी स्वीडन के साथ मिलना चाहते हैं और स्वीडन ने आन्दोलन का समर्थन नहीं किया था, उसने केवल जनमत सगह का प्रस्ताव रखा था।

परिपद् ने इस मामले को कानून विशेषज्ञों की एक समिति के सुपुर्द कर दिया और स्वीडन, फिनलैंड व आर्लैंड के भ्रमण के लिए एक और समिति नियुक्त की जिससे वह धन इकट्ठा कर सके। इन समितियों की रिपोर्टों पर परिपद् ने २४ जून १९२१ को निम्नलिखित निर्णय दिए : (१) फिनलैंड व आर्लैंड द्वीप पर साम्राज्य स्थापित रहेगा, (२) आर्लैंडवासियों को एकाधिकार शासन तथा उनके राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी जाय, (३) मिली सम्पत्ति का अधिकार व स्कूलों में स्वीडिश भाषा का प्रयोग जारी रखा जाय और, (४) द्वीप को अतटस्थ घोषित किया जाय और उस पर से मोर्चाबन्दी हटा ली जाय। ६ अप्रैल १९२२ को द्वीपों को अतटस्थ घोषित करते हुए एक नई अन्तर्राष्ट्रीय संधि की गई।

विलना विवाद

ज़ार के गद्दी से उतरने तथा जर्मनी के हारने के पश्चात् पोलिस व लिथुआनिया ने क्रमशः वारसा व विलना में अपनी अपनी सरकारें बना लीं। वर्साय संधि के अंतर्गत 'कर्जन रेखा' एक स्थाई सीमा बनाई गई थी जिसके अनुसार विलना लिथुआनिया को सौंप दिया गया था। १९२० में वोल्गेविकों ने विलना पर कब्जा कर लिया लेकिन रूस व लिथुआनिया की मास्को-संधि (१२ जुलाई १९२०) के अनुसार विलना फिर लिथुआनिया में मिला दिया गया। जब रूसियों को एक बार फिर हटा दिया गया तो पोलिस व लिथुआनियों में विलना पर सीधी लड़ाई छिड़ गई। पोलैंड ने राष्ट्रसंघ में अपील की। राष्ट्रसंघ परिपद् ने तुरन्त ही वहा एक सैनिक कमीशन भेजा। ७ अक्टूबर १९२० को पोलैंड व लिथुआनिया की सरकारों ने एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए जिनके अनुसार विलना लिथुआनिया में ही रहा। यह समझौता १० अक्टूबर से लागू होने वाला था लेकिन ६ अक्टूबर को एक स्वतन्त्र पोलिश कमांडर जनरल जेलीगोस्की ने पोलैंड की फौजों की सहायता से लिथुआनियों को विलना में बाहर निवान दिया। पोलैंड सरकार ने जनरल जेलीगोस्की की इस कार्यवाही पर कोई भी उत्तरदायित्व लेना म्बीकार नहीं किया और वह भी कहा कि बिना जनमत संग्रह हुए विलना से उनको निकाला गया तो इसका विरोध किया जायेगा। परिपद् दो वर्ष (१९२०-२१) तक इस झगड़े को सुलझाने में असफल रही। अन्त में १३ जनवरी १९२२ को परिपद् ने विलना से कमीशन को वापस बुला

लिया और इस प्रकार की समस्या को सुलझाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। पोलैंड द्वारा विलना में निर्वाचित एक विधानसभा (असेम्बली) ने विलना को पोलैंड में मिलाने के पक्ष में वोट दिया। ३ फरवरी १९२३ को परिपद् ने दोनो देशों के बीच पुन सीमा निर्धारण किया जिसके अनुसार विलना पोलैंड में मिला दिया गया। लिथुआनिया ने इसका विरोध किया और नई सीमा को स्वीकार नहीं किया। उसका इस प्रश्न पर वार्ता पुन शुरू करने का प्रयास विफल रहा। सक्षेप में पोलैंड ने अपनी शक्ति से विलना पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार पोलैंड और लिथुआनिया का लम्बा विवाद समाप्त हो गया।

मेमेल-मामला

इसी समय लिथुआनिया द्वारा मेमेल पर अधिकार करने के कारण विलना-विवाद की हार की कटुता कुछ शांत पड़ गई। वर्साय संधि के अनुसार मेमेल पोलैंड का एक भाग था जिसे जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों को समर्पण कर दिया था। मेमेल पर मित्र-राष्ट्रों का एक हाई कमिश्नर राज्य करता था और उसकी सहायता फ्रांसीसी फौजें करती थी। यह बात सुनने में आई थी कि डानजिग के हाथ से चले जाने पर पोलैंड ने मेमेल को अपना हिस्सा बनाना चाहा था। मित्रराष्ट्रों ने भी अनुभव किया कि मेमेल का दर्जा भी डानजिग की तरह बना दिया जाय। इस पर लिथुआनिया वाले चिढ़ गये। जनवरी १९२३ के शुरू में लिथुआनिया की फौजों ने मेमेल में प्रवेश करके फ्रांसीसी फौजों को हटा दिया और वहाँ एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। सितम्बर में इस सम्पूर्ण विवाद को राष्ट्रसंघ के सामने रखा गया। परिपद् ने नार्मन एच डेविस के नेतृत्व में एक विशेष कमीशन नियुक्त किया। परिपद् ने कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार कर ली जिसको बाद में १५ मार्च १९२४ को लिथुआनिया तथा मित्रराष्ट्रों ने भी मान लिया। लिथुआनिया को मेमेल पर सार्वभौमिक सत्ता का अधिकार सौंपा गया। इस मामले में केवल पोलैंड ने विरोध किया लेकिन उमका प्रयत्न असफल सिद्ध हुआ।

ऊपरी साइलेशिया की समस्या

ऊपरी साइलेशिया के मामले में वर्साय संधि की धाराओं को कार्यान्वित करना कठिन था। संधि में कहा गया था कि जर्मनी और पोलैंड की सीमा एक अन्तर्मित्र राष्ट्रीय आयोग (कमीशन) के सरक्षण में किये गये जनमत संग्रह के आधार पर निर्धारित की जाय। इनके अनुसार २० मार्च १९२१ को जनमत संग्रह हुआ। नरवारी आंकड़ों के अनुसार जर्मनी को ७०७,६०५ मत तथा पोलैंड को ४१६,३७६ मत पड़े। पोलैंड वामियों ने उन जिलों पर दावा किया जहाँ उनकी गत्या अग्रिम थी। जर्मनी ने कहा कि ऊपरी साइलेशिया प्रात का आर्थिक दृष्टि

से विभाजन करना अमम्भव है इसलिए उसके भविष्य का निर्णय वहाँ के बहु-संख्यको द्वारा ही किया जाना चाहिये। जब यह भगडा चल ही रहा था कोरफैन्टी नाम के एक पोलैंड वासी ने कुछ अनियमित फौजो को लेकर साइलेशिया के एक बड़े भाग पर हमला बोल दिया। फ्रांसीसी फौजो ने खुले तौर पर पोलैंड वासियों का साथ दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए उस स्थान को ६ ब्रिटिश बटालियनों भेजनी पड़ी। अन्तर्नित्र राष्ट्रीय आयोग (कमीशन) में फूट पड गई और अन्त में उसने १२ अगस्त १९२१ को इस मामले को शीघ्र निबटाने के लिये राष्ट्रसंघ की परिषद् के सामने रखा। परिषद् ने ऊपरी साइलेशिया का अध्ययन करने के लिए वेल्जियम, ब्राजिल, चीन व स्पेन के ४ सदस्यों की एक समिति बनाई। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर परिषद् ने २० अक्टूबर १९२१ को निर्णय दिया कि ऊपरी साइलेशिया का विभाजन किया जाय। परिषद् ने निर्णय किया कि अधिक संख्या का क्षेत्र जर्मनी को दिया जाय और पोलैंड को खनिज पदार्थों का क्षेत्र सौंपा जाय। १५ मई १९२२ को जर्मनी व पोलैंड ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और ९ जुलाई को अन्तर्नित्र राष्ट्रीय फौजो ने ऊपरी साइलेशिया खाली कर दिया।

अलबानिया की समस्या

पेरिस के शांति-सम्मेलन ने अलबानिया की समस्याओं का निर्धारण नहीं किया था। यूगोस्लाविया और यूनान ने अपनी सीमा के उस क्षेत्र पर काबू कर लिया था जिम्का निर्धारण १९१३-१४ में किया गया था। अलबानिया का सीमा निर्धारण का प्रश्न उलभ गया। दिसम्बर १९२० को अलबानिया को राष्ट्र-संघ का सदस्य बना लिया गया। राज्य होने के आधार पर अलबानिया की स्वतन्त्रता को मान्यता दी गई। १९२१ में यूगोस्लाविया के १२०० सशस्त्र सैनिको ने अलबानिया पर आक्रमण किया। इनसे एक और बाल्कन-युद्ध का खतरा पैदा हो गया। राष्ट्र-संघ की परिषद् ने राजदूतों की एक परिषद् बनाई और उगने १९१३-१४ के सीमा निर्धारण के अनुसार अलबानिया की सीमा निर्धारित की। परिषद् ने अलबानिया में यूगोस्लाविया की सब फौजों के हटाने का आदेश दिया।

मोमुल विवाद

लोजान-संधि के अन्तर्गत समझौता हुआ था कि तुर्की व टैराक की सीमा ६ मास के अन्दर तुर्की व ब्रिटेन के एक मंत्रीपूर्ण समझौते के अनुसार निर्धारित की जाय। ऐसा न होने पर इस मामले को राष्ट्रसंघ की परिषद् के समक्ष रखा जाय। दोनों देशों के प्रतिनिधि युस्तुनतुनिय्या में मिले लेकिन वे किन्हीं समझौते पर नहीं पहुँच सके क्योंकि दोनों देशों ने मोमुल के तेल कूपों पर अपना अधिकार का दावा

किया। मुद्रोज युद्ध-विराम के समय (३० अक्टूबर १९१८) ब्रिटिश फौजों का जिले के एक चौथाई भाग पर कब्जा था लेकिन इसके बाद ८ नवम्बर को ब्रिटिश फौजों ने आगे बढ़कर मोसुल शहर पर अपना झण्डा फहरा दिया।

६ अगस्त १९१४ को तुर्की ने इस विवाद को परिषद् के सामने रखा। तुर्की ने कहा कि पहले मोसुल पर उसका अधिकार था, युद्ध के समय उस पर कभी अधिकार नहीं किया गया और वहाँ के लोग तुर्की शासन को चाहते हैं। ब्रिटेन ने कहा कि प्राकृतिक सीमा व नियमित अन्न इकट्ठा करने के लिये तुर्की विवादास्पद प्रदेश पर अपना अधिकार कायम करना चाहता है। लेकिन तुर्की व ब्रिटेन ने विवादास्पद प्रदेश की स्थिति यथापूर्व बनाये रखने का निश्चय किया। आभाग्यवश दोनों देश उक्त स्थिति को कायम रखने में असफल रहे और दोनों की सीमा पर लड़ाई छिड़ गई। यह मामला अक्टूबर १९२४ में फिर परिषद् के सामने रखा गया। अन्तिम निर्णय होने तक एक अस्थायी सीमा निर्धारित की गई जिसका नाम 'ब्रुसेल्स रेखा' रखा गया। १९२५ के शुरु में स्वीडन, हंगरी व बेल्जियम के एक तटस्थ आयोग (कमीशन) ने इस मामले पर विचार आरम्भ किया। सितम्बर में इस आयोग की रिपोर्ट परिषद् के सामने रखी गई। परिषद् ने मोसुल पर तुर्की की सार्वभौम सत्ता का समर्थन किया और सुझाव दिया कि वहाँ की जनता के आर्थिक हित की सुरक्षा उसी समय सम्भव है जब वह ईराक के साथ मिला दिया जाय। इसी दौरान में विश्व न्यायालय ने अपना विचार प्रकट किया कि परिषद् का निर्णय दोनों दलों को मानना चाहिए। लेकिन मोसुल में फिर झगडा होने के कारण परिषद् ने इस्कोनिया के जनरल लेडोनर को उक्त विषय में जांच करने के लिए नियुक्त किया। अपनी रिपोर्ट में लेडोनर ने कहा कि तुर्की वासी अस्थायी तुर्की क्षेत्र से ईसाइयों को निकाल रहे हैं। १६ दिसम्बर १९२५ को परिषद् ने निर्णय किया कि तुर्की-ईराक सीमा 'ब्रुसेल्स रेखा' पर बनाई जाय और ब्रिटेन ईराक पर शासनादेश के रूप में २५ वर्ष तक अपना नियंत्रण रखे और मोसुल में कुर्दिश अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये वहाँ के स्कूलों में कुर्दिश भाषा चालू रखी जाय और सरकार में कुर्दिशों को भी नियुक्त किया जाय। इन निर्णयों को ब्रिटेन और ईराक दोनों ने स्वीकार कर लिया। जून १९२६ में एक आंग्ल-तुर्की संधिपत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार कुछ तेलकूप तुर्की को मिले।

कोफ़े घटना

१९२३ में राष्ट्रमन्त्र की परिषद् को एक अन्तर्राष्ट्रीय मकटकालीन स्थिति का नामना पना पना। २७ अगस्त को यूनान व अलबानिया की सीमा निर्धारित करने वाले कमीशन के अध्यक्ष, अन्य इटालियन अधिकारियों तथा एक दुभाषिये

का यूनान में मृत्यु का शिकार होना पटा। इटली सरकार ने तुरन्त यूनान को एक चुनौती दी जिसमें उसमें सरकारी तौर पर क्षमा-याचना को कहा गया। इटली ने ५ करोड़ डालर की क्षतिपूर्ति ५ दिन के भीतर चुका देने की माँग की।

इस चुनौती को स्वीकार करने के लिये २४ घंटे का समय दिया गया। यूनान ने इसे अस्वीकार कर दिया और राष्ट्रसंध में अपील की कि ३१ अगस्त को इटली सरकार ने यूनान के द्वीप कोर्फू पर बम वर्षा की। परिपद् में इटली के प्रतिनिधि सालान्द्रा ने इस मामले को मुलभाने के लिए राष्ट्रसंध को अयोग्य बताया और कहा कि इटली ने कभी भी युद्ध का इरादा नहीं किया। मुसोलिनी ने कहा कि यह घरेलू मामला है और इसमें बाहरी हस्तक्षेप महन नहीं किया जायगा। राष्ट्रसंध ने इस मामले को पेरिस में राजदूतों की परिपद् के सुपुर्द कर दिया। राजदूतों ने कहा कि यूनान में की गई हत्यायें गैर कानूनी थीं, इसके अतिरिक्त इटली की चुनौती भी बड़ी कठोर और अन्यायपूर्ण थी। राजदूतों ने सिफारिश की कि यूनान को माफी माँगनी चाहिए, हत्या करने वालों को दण्ड दिया जाना चाहिए और ५ करोड़ डालर की क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। ये शर्तें मजूर कर ली गईं और २७ सितम्बर को इटली द्वारा कोर्फू छोड़ने पर यूनान और इटली में फिर मैत्री हो गई। निस्सन्देह इसमें राष्ट्रसंध की विजय हुई लेकिन इसमें यह जाहिर हो गया कि वह बड़े देश के खिलाफ विस्वास और दृढ़ता के साथ कार्यवाही नहीं कर सकता।

यूनान-बल्गेरिया मामला

अक्तूबर १९२५ को यूनान व बल्गेरिया के रक्षकों के बीच डेमिरटापू में दो दिन तक गोली चली। परन्तु एथेन्स में इस आशय के समाचार पहुँचने पर कि आक्रमण करने का इरादा पहले बल्गेरिया ने किया यूनान के युद्ध मंत्री ने अपनी सेना को बल्गेरिया के नगर पैट्रिन में घुसने का आदेश दे दिया। २२ अक्तूबर को यूनानी फौजें बल्गेरिया के भीतर ५ मील तक घुस गईं और ७० वर्गमील क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। बल्गेरिया ने राष्ट्रसंध की परिपद् में यूनान के विरुद्ध अपील की। परिपद् ने दोनों देशों को आदेश दिया कि वे अपनी फौजें अपने-अपने देश में वापस हटा लें। इस आज्ञा का पालन किया गया। एक जांच कमीशन ने निर्णय दिया कि बल्गेरिया पर यूनान का पालन अन्यायपूर्ण था और यूनान को २१००००० डालर क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। १ मार्च १९२६ तक यूनान ने यह राशि चुका दी। राष्ट्रसंध की इस सफलता ने बाल्कन में नुस्खा की भावना उत्पन्न हो गई।

दक्षिण-अमरीकी विवाद

नितम्बर १९३२ में पेरुवियन नेना ने जब अमेजन नदी पर कोलम्बिया के लेटा-शिया बन्दरगाह पर कब्जा कर लिया तो परिपद् ने अमरीका में कूटनीतिक नमर्शन

प्राप्त कर पिट्टिवियन सेना पर जोर डाला कि वह उक्त क्षेत्र में हिंसात्मक कार्यवाही न करे और यहाँ से हट जाय। ८ दिसम्बर १९२८ को विवादास्पद क्षेत्र चाको जिले में बोलीविया और परागवे के बीच सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया। इस पर राष्ट्रसंघ की परिषद् ने उक्त मामले में हस्तक्षेप करते हुए दोनों दलों से कहा कि वे विवादास्पद क्षेत्र के प्रश्न को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न करें। दोनों देशों ने अन्तर्ग्रामरीकी सम्मेलन के निर्णय को मानना स्वीकार कर लिया। यह सम्मेलन उस समय वाशिंगटन में हो रहा था। सम्मेलन के आदेशानुसार बोलीविया और परागवे के बीच परस्पर आक्रमण न करने सम्बन्धी एक समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य केवल उक्त क्षेत्र में उपद्रव रोकने का था। किन्तु १९३२ में विवादास्पद क्षेत्र पर दोनों देशों में पुनः सन्नाह छिड़ गया। १९३४ में राष्ट्रसंघ के एक जांच कमीशन ने अमानुषिक तथा अन्यायपूर्ण कार्यवाहियों को रोकने के लिए आक्रमणकारी देशों को शस्त्र पहुँचाने पर पाबन्दी लगा दी। उसी बीच परागवे ने, जो विवादान्पद क्षेत्र पर अपना दखल जमाए हुए था, राष्ट्रसंघ असेम्बली (महासभा) के एक शान्तिप्रस्ताव को ही अस्वीकार कर दिया। फरवरी १९३५ में परागवे ने राष्ट्रसंघ के समक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया जो दो वर्ष बाद स्वीकार किया गया। इस तरह परागवे और बोलीविया के मामले से राष्ट्रसंघ को हाथ धोना पडा। आखिर १९२९ में दक्षिणी अमरीकी राज्यों द्वारा मध्यस्थता करने पर दोनों देशों में समझौता हो गया।

आर्थिक सहायता

इसमें सदेह नहीं कि राष्ट्रसंघ विकट राजनैतिक मामलों को सफलता से सुलझाने में निहायत विफल रहा लेकिन जिस खूबी के साथ उसने उस समय की डावाडोल आर्थिक स्थिति को सम्भाला वह अत्यन्त सराहनीय है। आस्ट्रिया की गणतन्त्री सरकार युद्ध विराम के बाद उत्पन्न आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में नितांत अममर्थ रही। सॉ जर्म की मधि पर हस्ताक्षर होने के बाद कई सहायता कार्यक्रम हाथ में लिए गए। आस्ट्रिया को उधार अन्न सहायता भेजी गई। इसके अतिरिक्त उसकी आर्थिक हालत को मजबूत बनाने के लिए १९१९ में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने मिलकर उसे ४ करोड ८० लाख डालर पेशगी दिये। अमरीका ने भी आस्ट्रिया को दो करोड ४० लाख डालर दिया। उसके अलावा १९१९ से १९२१ तक अन्तर्राष्ट्रीय कोष ने उसे १० करोड डालर ऋण प्राप्त हुआ। इस तरह आस्ट्रिया को पतन के गर्त में गिरने से बचाया जा सका।

इधर आस्ट्रिया भी अपने खर्च में जहाँ तक कटीती हो सके करने को तैयार हो गया। वहाँ १४४०० कागजी क्राउन की कीमत एक मोने के क्राउन के बराबर कर दी गई। बचत की दृष्टि में ८०००० अधिकारी नौकरी से बरखास्त कर दिये

गये। इन सब कार्यवाहियों से आस्ट्रिया को आर्थिक स्थिति में इतना परिवर्तन हुआ कि १ जून १९२६ में राष्ट्रसंघ को उस पर मे अपना आर्थिक नियंत्रण उठा लेना पड़ा।

दिसम्बर १९२३ में राष्ट्रसंघ की परिषद् ने हंगरी के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए एक योजना स्वीकार की। इसके अनुसार वहाँ १—मुद्रा स्फीति को रोकना तथा क्राउन की डगमगाती हालत को स्थिर करना, २—एक स्वतन्त्र बैंक की स्थापना, ३—३० जून १९२६ तक वजट को सतुलित अवस्था में लाना, ४—२५ करोड़ स्वर्ण क्राउन की ऋण सहायता तथा ५—राष्ट्रसंघ द्वारा कमिश्नर जनरल के द्वारा नियंत्रण रखना था। यह योजना मई १९२४ में लागू की गई। बोम्बेन के जेरमिया निम्न हंगरी में राष्ट्रसंघ के कमिश्नर जनरल नियुक्त हुए। वजट निर्धारित तिथि से डेढ़ वर्ष पहले ही सतुलित कर लिया गया। १० जून १९२६ को राष्ट्रसंघ की परिषद् ने हंगरी पर से आर्थिक नियंत्रण हटा लिया।

राष्ट्रसंघ ने १९२४ में यूनान को लगभग ५ करोड़ डॉलर की विदेशी ऋण सहायता दी जिसमें यूनान १९२२ में तुर्की से हुए युद्ध के अपने १५ लाख शरणार्थी बना गये। शरणार्थियों के बसाने के लिए राष्ट्रसंघ ने एक कमीशन भी नियुक्त किया। इस कमीशन ने ४ वर्षों के भातर १४३,००० शरणार्थियों को देहातो में और २८००० को नागरिक क्षेत्रों में बसाया। उसने उनके लिए ७६००० मकान बनवाये और उत्पादन क्षेत्र बढ़ाकर दूना कर दिया। इसी तरह बल्गेरिया सरकार को उसके २२०००० शरणार्थियों को बसाने के लिए, अविनिमिया को अपनी मुद्रा मोने के आधार पर निर्धारित करने और स्वतंत्र डानजिंग नगर को अपना बन्दरगाह मुधारने के लिए विदेशी ऋण दिये गए। इस तरह राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण द्वारा राष्ट्रसंघ ने अपनी योग्यता का परिचय दिया।

सार का प्रकाशन

वर्षाव संधि के अनुसार राष्ट्रसंघ को नार वेमिन पर १५ वर्ष तक धानन करने का अधिकार मिला। जर्मियों के अनुसार परिषद् द्वारा नियुक्त ५ सदस्यों ने कमीशन को उक्त धेड़ पर धानन करने का अधिकार था। उस कमीशन ने एक सदस्य फ्रान का, एक सार का और तीन सदस्य फ्रान अथवा जर्मनी तो छोड़ कर किसी अन्य देश के होने चाहिए थे। परिषद् ने फरवरी १९२० में अपने दूसरे अधिवेशन में एक फ्रान्सीसी देशभक्त एम. गान्ट की अध्यक्षता में एक शाश्वत कमीशन की नियुक्ति की। कमीशन में फ्रान का प्रभाव अधिक होने के कारण फ्रान ने नार से ५००० मैन्कि को अपनी एक मैन्कि टुन्नी कायम रखी और वहाँ फ्रान्सीसी मुद्रा लागू की। यही नहीं बल्कि जर्मन विचारियों पर फ्रान्सीसी रूबों में भरोसे होने के

लिए दवाव डाला गया। १९२३ में जब सार के खनिको ने वेतन वृद्धि की माग करते हुए हड़ताल कर दी तो कमीशन ने उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाई की। इस कार्यवाई के विरुद्ध भारी आन्दोलन पैदा हो गया। किन्तु राष्ट्रसघ ने कमीशन की अत्याचारपूर्ण कार्यवाइयो की निन्दा नहीं की और केवल सुभाव रखा कि विदेशी सेना को हटाकर वहाँ स्थानीय सेना को नियुक्त किया जाना चाहिए। १९२६ में राल्ट ने इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर कमीशन के अध्यक्ष कनाडा के जार्ज स्टेफेन्स, सर अर्निस्ट विल्सन (१९२७) और ज्योफरे जो नोक्स (१९३२) नियुक्त किये गये। इन परिवर्तनों से सार की घाटी में शत्रुता की भावना कम हो गई और धीरे-धीरे वहाँ से सेना हटाली गई। १९३५ में अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में वहाँ जनमत-सग्रह किया गया। मतदान में लगभग ९० प्रतिशत जनता ने सार जर्मनी को वापस करने के पक्ष में मत दिया। १ मार्च १९३५ को सार जर्मनी को लौटा दिया गया।

डानजिग पर शासन

वर्साय-सघि के अनुसार डानजिग एक स्वतन्त्र नगर घोषित कर दिया गया जिसकी देख-रेख का भार राष्ट्रसघ के हाथ में रहा। राष्ट्रसघ की ओर से डानजिग की देख-रेख उसके एक हाई कमिश्नर को करनी थी। राष्ट्रसघ परिषद् ने डानजिग में अपना एक अस्थायी हाई कमिश्नर नियुक्त किया और मई १९२० में डानजिग की विधान परिषद् निर्वाचित की गई। परिषद् का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। १५ नवम्बर को डानजिग नगर सरकारी तौर पर स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया और मई १९२२ में उसका सविधान स्वीकार कर लिया गया। सविधान के अनुसार १२० सदस्यों की एक लोकप्रिय विधान सभा तथा २२ सदस्यों की एक सीनेट का निर्माण किया गया। दोनों भवनों में किसी मामले पर मतभेद होने पर उक्त मामले पर जनता की राय लेनी होती थी। सीनेट के ८ सदस्य सरकार के प्रमुख होते थे। नगर के बाहरी सम्बन्ध तथा उसकी सुरक्षा का भार पोलैड को सौंपा गया। डानजिग बन्दरगाह पर शासन का भार एक कमीशन को सौंपा गया जिसमें पोलैडवासियों और दैजियरो के बराबर-बराबर सख्या में सदस्य थे। पोलैड को स्वतन्त्रता दे दी गई कि वह मनमाने ढंग से डानजिग बन्दरगाह का उपयोग कर सकता है। राष्ट्रसघ के हाई कमिश्नर का काम पोलैड और डानजिग के बीच झगड़ों को निपटाना था। पोलैड और डानजिग आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से अत्यन्त गुथे होने के कारण उनमें कई बार झगड़े उठे, जिनमें कुछ परस्पर समझौते से और कुछ हाई कमिश्नर के हस्तक्षेप से धान किये गये। फिर भी स्वतन्त्र डानजिग नगर कई प्रकार के झगड़ों में घिरा होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से काफी उन्नति कर गया और उमका व्यापार पहले से चौगुना अधिक बढ़ गया। १९३६ में डानजिग को तिन घुरे दिनों का सामना करना पडा उनका उल्लेख बाद में किया जायगा।

आदिष्ट प्रणाली

पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा निर्मित आदिष्ट प्रणाली निरीक्षणार्थ राष्ट्रसंघ के आधीन कर दी गयी। शान्ति संधियों के अन्तर्गत जर्मनी को उपनिवेशों से अपना सारा अधिकार उठा कर मित्र राष्ट्रों के मुमुर्द कर देना पडा। इधर तुर्की को भी अरब देशों पर से अपना कब्जा हटा लेना पडा। जर्मनी और तुर्की के अधिकार से मुक्त क्षेत्रों को राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों के आधीन कर दिया गया, इस शर्त पर कि वे वहाँ के निवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए शासन करेंगे।

उक्त व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित निर्णय किये गये (१) शासनादेश प्रदेशों पर शासन करने वाले आदिष्ट राज्य उस देश की प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रसंघ की परिषद् को प्रस्तुत करेंगे। (२) प्रत्येक आदिष्ट प्रदेश पर नियंत्रण अथवा शासन संरक्षण व्यवस्था राष्ट्रसंघ के परिषद् के आदेशानुसार होगी और (३) आदिष्ट राज्यों की वार्षिक रिपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए एक स्थायी कमीशन (आयोग) की नियुक्ति की जायेगी।

शासन मुविधा के लिए आदिष्ट प्रदेशों को "अ," "ब," और "ग" तीन वर्गों में विभाजित किया गया। वर्ग "अ" में तुर्की के भूतपूर्व प्रदेश ईराक, सीरिया, लेबनान, फिलस्तीन तथा संजोर्डनिया रखे गये। ये प्रदेश इतने विक्रमिंत थे कि एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में स्थित रह सकते थे, किन्तु उनमें प्रशासकीय योग्यता का कुछ अभाव था इसलिए उन्हें आदिष्ट राज्यों के आधीन तब तक के लिए रखा गया जब तक कि वे अपने पर स्वयं शासन करने के योग्य न बन जाये। "ब" वर्ग में केन्द्रीय अफ्रीका स्थित ६ शासनादेश क्षेत्रों को रखा गया। ये क्षेत्र स्थायित्व शासन के योग्य नहीं थे, किन्तु आदिष्ट राज्यों को आदेश था कि वे इन क्षेत्रों में दास प्रथा व अन्ध-शस्त्र व्यापार को बन्द करे और केवल पुलिस अथवा नुस्खा के अतिरिक्त और किसी काम में आदिवासियों का प्रयोग न करें। "ग" वर्ग वाले शासनादेश क्षेत्रों के जो दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका तथा प्रगान्त-द्वीप आदि थे और जो कि कम जनसंख्या अथवा छोटे या सांस्कृतिक केन्द्रों से दूर स्थित थे उनका शासन प्रणाली के अनुसार ही शासित होना सर्वोत्तम समझा गया। आदिष्ट प्रदेशों के वितरण का कार्य मित्र राष्ट्रों को सौंपा गया। १९१९ में शान्ति सम्मेलन के चार बठों ने "ब" और "ग" वर्ग वाले क्षेत्रों को उनके निकटवर्ती सरकारों के हाथ सौंपा। अर्धन १९२० में सानरीमो सम्मेलन में वर्ग "अ" के क्षेत्रों का उस प्रकार वितरण किया गया कि फिलस्तीन, ट्रानजोर्डनिया तथा ईराक ग्रेट ब्रिटेन को मिले और सीरिया तथा लेबनान फ्रांस को। वर्ग "ब" में केमहन (एक छोटा), जर्मन पूर्वी अफ्रीका (टेंगानियाका) तथा तुंगोसैंड का एक तिहाई भाग ग्रेट ब्रिटेन को, केमहन (पानवा उठा हिन्गा) तथा

तुगोलैण्ड (दो तिहाई) फ्रांस को और राउण्डा-उरडी वेल्जियम के आधीन कर दिए गए। "स" में जर्मन दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका दक्षिण अफ्रीकी सघ को, जर्मन समोआ न्यूजीलैंड को, नौरु के द्वीप ब्रिटिश सरकार को, भूमध्य रेखा के दक्षिण स्थित भूतपूर्व जर्मन द्वीप आस्ट्रेलिया को और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित भूतपूर्व जर्मन द्वीप जापान को दे दिये गये।

सन् १९२० के अन्त में एक स्थायी आदिष्ट कमीशन की स्थापना की गयी। इस कमीशन में ९ सदस्य थे जिनमें अधिकांश सदस्य गैर आदिष्ट प्रदेशों के नागरिक थे। १९२७ में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ११ कर दी गई। शामिल किए गए दो सदस्यों में एक जर्मनी का और एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ का प्रतिनिधि था। उक्त कमीशन का काम केवल सलाह देना था किन्तु व्यावहारिक तौर पर वह आदिष्ट क्षेत्रों के निवासियों की वार्षिक रिपोर्टों का निरीक्षण भी करता था।

इस प्रणाली के अनुसार आदिष्ट देशों को अपना शासक चुनने का अधिकार था। किन्तु ईराक, फिलस्तीन और सीरिया में जनता की इच्छा की उपेक्षा की गई और उनकी राय नहीं ली गई। मेसोपोटामिया में अरबों ने ब्रिटिश शासनादेश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जिससे ब्रिटेन को ईराक सरकार को मान्यता देनी पड़ी। हेजाज के वादगाह हुसेन के शाहजादे फैजल को ईराक का शासक नियुक्त किया गया। ३ अक्टूबर १९३२ को ईराक राष्ट्रसघ का ५७ वां सदस्य बन गया। इधर फिलस्तीन में अरबों और यहूदियों के बीच दगा बढ़ता गया और ब्रिटेन उनमें समझौता कराने में निहायत असफल रहा। सीरियाई जनता को उनकी इच्छा के प्रतिकूल फ्रांसीसी नियंत्रण में कर देने से सीरिया में फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध १९२७ तक विद्रोह चलता रहा। तुगोलैण्ड और कैमरून की बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिये फ्रांस को वहाँ की सेनाओं का प्रयोग करने की आज्ञा दी गई। पश्चिमी समोआ क्षेत्र में विद्रोह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की गई। किन्तु वाद में आदिष्ट प्रणाली की घोर आलोचना करते हुए उससे सहयोग हटाने का निश्चय किया गया।

स्थाई आदिष्ट कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि शासनादेश प्रदेशों की जनता को अपनी शिकायतें पेश करने का मौका नहीं दिया गया जिससे उनमें प्रमत्तोप उठा और वाद में यही विद्रोह का कारण बन गया।

अल्प-संख्यकों की रक्षा

१९१९ में यूरोप के पुनर्निर्माण के समय राष्ट्रसघ को करीब ३ करोड़ अल्पसंख्यकों की समस्या का सामना करना पड़ा। इनमें से अधिकांश को अल्प-संख्यकों के लिये हुई सन्धियों के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त था। ये संधियाँ केन्द्रीय तथा

दक्षिण पूर्वी यूरोप के १५ राज्यों और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। इन मंथियों के उद्देश्य इस प्रकार थे १. सरक्षित लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना, २. सरक्षित लोग जो भी धर्म अथवा विचार चाहें अपना सकें यदि वह मार्वाजनिक शान्ति व व्यवस्था के लिये घातक न हो, ३. सरक्षित देशों के सभी व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार हो, ४. अदालत के नामने नवके साथ समान व्यवहार हो और उन्हें समान सुविधा तथा नौकरी के सुयोग प्राप्त हो, ५. व्यापारिक तथा धार्मिक मामलों और प्रेस तथा अदालत में किसी भी भाषा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता हो और ६. अल्पसंख्यकों को उनकी ही भाषा में शिक्षा की व्यवस्था हो। अल्पसंख्यकों को राष्ट्रसंघ के संरक्षण में कर दिया गया।

राष्ट्रसंघ को अल्पसंख्यकों सम्बन्धी अपनी नीति पर कभी-कभी काफी आलोचना का सामना करना पड़ता था। चूँकि उक्त व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय नहीं थी इसलिये वे देश जो अल्पसंख्यक मंडल से सम्बन्धित नहीं थे अल्पसंख्यकों के साथ निर्दयता से व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि उन देशों को भी जिनका सदस्यत्व में हाथ था अल्पसंख्यकों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। उनमें से रमानिया और पोलैंड के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रसंघ की परिषद् ने कभी भी किसी राज्य को आपत्तिजनक कार्यवाहियों के लिए शक्तिशाली तरीके से नहीं रोका। जर्मनी के राष्ट्रसंघ का सदस्य बन जाने पर राष्ट्रसंघ के कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के प्रश्न ने काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। दिसम्बर १९२२ में जर्मन प्रतिनिधि डा० स्ट्रैमरने अल्पसंख्यक सम्बन्धी राष्ट्रसंघ के रवैये और उनके कदम की आलोचना की। इसके फलस्वरूप अल्पसंख्यकों सम्बन्धी राष्ट्रसंघ की वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का निश्चय किया गया। १९२६ में राष्ट्रसंघ परिषद् के अध्यक्ष और दो प्रतिनिधियों को लेकर "अल्पसंख्यक समिति" की स्थापना की गई। समिति ने निर्णय किया कि अल्पसंख्यकों के मामलों को परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाया करे अथवा नहीं।

समिति के निर्णयानुसार परिषद् ने अल्पसंख्यकों के विवाद में सम्बन्धित सरकारों पर अपना निर्णय लागू करने के बजाय दोनों दलों में समझौता बनाने का गम्ना प्रोत्साहन दिया। किन्तु उस हालत में भी वह स्थायी शान्ति कायम करने में निराला बनफला रही और उसने नानी व्यवस्था भंग हो गई।

१९३४ में पोलैंड ने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में सहयोग देने में उत्तार कर दिया। उसने कहा कि जब तक उस सम्झौते में कोई मुद्दा व्यवस्था अपना नहीं ले जाती अल्पसंख्यकों की रक्षा में यह सहयोग नहीं दे सकता। पोलैंड की नीति और राज्यों ने भी अपना ही मार्ग बन कर देा और राष्ट्रसंघ को सहयोग देना बन्द कर दिया।

जर्मनी यहूदी अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये किसी तरह से सधि से बधित नहीं था। सितम्बर १९३५ के नूरेम्बर्ग के कानूनों के अन्तर्गत यहूदी अल्पसंख्यक जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिए गये। उनके बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में भर्ती होने से रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त और कई अत्याचारपूर्ण कार्यवाहियाँ यहूदियों के विरुद्ध अपनाई गईं। किन्तु उक्त अत्याचार को बन्द करने के लिये राष्ट्रसंघ कोई भी कदम उठा न सका।

बड़े विवादों में मध्यस्थता करने में राष्ट्रसंघ की असफलता

ऐसा प्रायः देखा गया कि जिन बड़े विवादों में बड़े देशों का हाथ होता था उन विवादों में मध्यस्थता करने में राष्ट्रसंघ प्रायः असफल होता था। इस तरह वह केवल साधारण विवादों को ही शांत करने में सफल रहा।

मचूरिया की समस्या

राष्ट्रसंघ को प्रथम सबसे बड़ी असफलता उस समय मिली जब वह मचूरिया में जापानी आक्रमण को रोकने में नितांत असमर्थ सिद्ध हुआ। १८ सितम्बर १९३१ की रात को मुकुदेन के समीप दक्षिणी मचूरिया रेलवे लाइन पर एक बम फटा। जापानी नैनिक अधिकारियों ने इस आधार पर कि यह आतंकवादी कार्यवाही है दक्षिणी मचूरिया पर कब्जा कर लिया। तीन दिन बाद चीन ने राष्ट्रसंघ में प्रपील की। राष्ट्रसंघ ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर जापान से अपनी फौजें मचूरिया से हटा लेने को कहा। जापान ने राष्ट्रसंघ के आदेश की उपेक्षा की और उसने उत्तरी मचूरिया में नैनिक कार्यवाही जारी रखी। इस पर राष्ट्रसंघ की परिषद् ने अमरीका से अनुरोध किया कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच पड़ताल करे। किन्तु पृथक्वादी अमरीकी प्रेसिडेंट हूवर तथा विदेश मन्त्री स्टिमसन ने राष्ट्रसंघ के इस निमन्त्रण को अस्वीकार कर दिया।

२४ अक्तूबर को परिषद् ने दूसरी बार जापान को आदेश दिया कि वह अपनी फौजें तीन सप्ताह के भीतर मचूरिया से हटा ले। किन्तु जापान ने इस आदेश की जरा भी परवाह न की और वह मचूरिया में जमा रहा। दिसम्बर १० को परिषद् ने लाइन्स लिटन की अध्यक्षता में ५ सदस्यों का एक आयोग (कमीशन) की नियुक्ति की जिसे मचूरिया की स्थिति का अध्ययन करने का काम सौंपा गया। ४ मार्च १९३२ को जापानी फौजों ने आगे बढ़ कर चीनी बन्दरगाह शघाई पर अपना कब्जा जमा लिया। इन पर चीन ने राष्ट्रसंघ की महामन्त्री में मध्यस्थता के लिये माँग की। महामन्त्री ने इन पर दो प्रस्ताव स्वीकार किये जिनमें से एक में शघाई से जापानी फौजों के अविनाश निमन्त्रण की माँग और दूसरे में स्टिमसन के उस प्रस्ताव को स्वीकार करना जिनमें मचूरिया में जापानी शासन को मान्यता न देने का

उल्लेख था। ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर जान साइमन के अनुसार जापान के आक्रमण का उद्देश्य एशिया को साम्यवाद में वचाना था और यही कारण था कि राष्ट्रसंघ उनके विरुद्ध जल्दी कठोर कदम नहीं उठा पाता था। अभी बीच जापान ने समस्त मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। इमने सितम्बर में राष्ट्रसंघ के आदेश का उल्लंघन कर मंचूरिया को अपना उपनिवेश घोषित कर दिया। यही नहीं उनने चीन के भूतपूर्व सामक हेनरी पियूई को मंचूरिया में अपना सरक्षक नियुक्त कर दिया। मंचूरिया में जापान के अधीन मंचुको सरकार की स्थापना कर दी गई। इसी बीच चीन के साथ युद्ध विराम संधि हो जाने में जापान ने शघाई बन्दरगाह को ग्वाली कर दिया। इधर नितन कमीशन ने जापानी आक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर एक लाग्य शब्दों की रिपोर्ट राष्ट्रसंघ में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में जापान के साथ उचित आधार पर समझौता करने की सिफारिश भी की गई थी। राष्ट्रसंघ ने जापानी कार्यवाहियों की निन्दा करते हुए कमीशन की सिफारिशें स्वीकार कर ली। किन्तु जापान ने समझौता सम्बन्धी सिफारिश को अस्वीकार करते हुए २७ मार्च १९३३ को राष्ट्रसंघ से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रसंघ के अन्य सदस्यों राष्ट्रों ने मंचुको सरकार को केवल मान्यता देने से अस्वीकार कर दिया।

इथोपिया पर इटली का आक्रमण

इटली में तानाशाही शासन के अधीन जनसंख्या में वृद्धि और युद्ध के कारण जनता की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। मुसोलिनी ने जनता में उठता विद्रोह तथा असंतोष को दान्त करने के लिये शिकारी मनोवृत्ति अपनाई। उनकी आत्मे अफ्रीका की ओर उठी। २० जुलाई १९३४ में आगन-इटालियन मिनी समझौता में इटालियन लीबिया की सीमा और बढ़ा दी गई। ५ दिसम्बर १९३४ को इथोपिया सीमा में ओगडन रेगिस्तान स्थित उग्रानुअल में इथोपियाई तथा इटालियन फौजों के बीच गोली चन्ग गई। ३ जनवरी १९३५ को इथोपिया के दादगाह हेली न्नेगी ने राष्ट्रसंघ में अपील की। इन अपील के चार दिन बाद ही फ्रांसीसी विदेश मंत्री पेर्री नेवेल ने मुसोलिनी के साथ मंत्री समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। स्मरण रहे कि फ्रान्स इन बात के लिये प्रयत्नशील था कि इटली के साथ किसी तरह मित्रता करके जर्मन नयासूत्रीकरण नीति का विरोध किया जाय। समझौते के अनुसार इटली ने वायदा किया कि वह आन्ट्रिया की सुरक्षा तथा जर्मनी सम्बन्धी मामलों पर फ्रान्स की राय में ही काम करेगा। फ्रान्स ने इटली को लीबोटी त्रिदिन अबाबा रेन्चे के २५०० घेपर, फ्रांसीसी नौमातीर्नग्ट रेगिस्तान का ३०६ वर्ग मील और लीबिया के दक्षिण स्थित रेगिस्तान का ४४ हजार वर्गमीन भाग दे दिया। फ्रान्स के विदेश मंत्री नेवेल ने जर्मनी के विरुद्ध इटली का मनर्चन

करने के लिये तानाशाही साम्राज्यवाद का समर्थन किया। १९३५ की वसन्त ऋतु में इटली इथोपिया पर आक्रमण की तैयारी के लिये सैनिकों, विमानों तथा टैंकों के साथ स्वेज नहर से होकर आगे बढ़ा। १ अक्टूबर १९३५ को मुसोलिनी ने इथोपिया पर आक्रमण करने के लिये अपनी सेना को आज्ञा दी। दूसरी ओर इटली ने राष्ट्रसंघ को सूचित किया कि इथोपिया ने इटली के विरुद्ध युद्ध का एलान कर दिया है। इटली के आक्रमण के चार दिन बाद परिषद् ने इटली के आरोप का खंडन करते हुए उस पर मन्तव्य किया कि वह राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव का उल्लंघन कर युद्ध करने के लिये आगे बढ़ रहा है। १० अक्टूबर को राष्ट्रसंघ महासभा में उक्त मन्तव्य का समर्थन किया गया। विरोध करने वालों में इटली, आस्ट्रिया और हंगरी थे। इटली के विरुद्ध आरोप लगाते हुए परिषद् ने निम्न पांच प्रस्ताव स्वीकार किये —

(१) इथोपिया को शस्त्र निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटा कर वही प्रतिबन्ध इटली के विरुद्ध लागू कर दिया जाय। (२) इटली को ऋण तथा बैंकों से उधार देना बन्द कर दिया जाय। (३) इटली से समस्त आयात रोक दिया जाय। (४) इटली को कच्चे माल का निर्यात बन्द कर दिया जाय। (५) राष्ट्रसंघ के सदस्यों में पारस्परिक सहयोग कायम करके प्रतिबन्धों से हुई क्षति को कम करना। परन्तु तेल पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। कमजोर मोर्चाबन्दी और कूटनीतिक दृष्टि से अयोग्य होने के कारण इथोपिया को इटली के सामने झुकना पड़ा। २ मई १९३६ को इथोपिया के बादशाह हेली सेलेसी जर्जसलम को भाग खड़े हुए और राष्ट्रसंघ के महामन्त्री को तार दिया कि मैं इथोपियाई जनता को नष्ट होने से बचाने के लिए अपनी राजधानी से भाग रहा हूँ और जब तक इथोपिया स्वतन्त्र नहीं हो जाता, मैं वहाँ नहीं लौटूँगा। आपने राष्ट्रसंघ से अपील की कि वह इथोपिया पर इटली के आधिपत्य को मान्यता न दे और उसके विरुद्ध अपनी कार्यवाही जारी रखे।

४ जुलाई १९३६ को राष्ट्रसंघ साधारण सभा के अध्यक्ष वानजीलैंड (बेल्जियम के प्रधानमंत्री) ने रोम से आया एक पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था “स्वतन्त्रता, न्याय, सभ्यता तथा शांति के प्रतीक इटली की सेना का इथोपियन जनता ने आदर से स्वागत किया। इटली की सरकार भी इथोपिया में ऐसा ही कार्य करेगी, जो राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव के अनुसार होगा और जिसे जनता को लाभ होगा।”

इधर इथोपिया के बादशाह हेली मनेमी अपने देश के लिए सदस्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में

कापते हुए घट्टों में कहा—“यदि कोई अक्षितशाली सरकारकमजोर जनता को कुचल रही हो, उस हालत में उस जनता को हाह है कि वह राष्ट्र-संघ से न्याय के लिए अपील करे जो निष्पक्ष होकर मानवता के नाम पर उसकी मुनवाई करे।” किन्तु उक्त अपील का राष्ट्र-संघ पर कोई असर नहीं हुआ और इथोपिया नदा के लिए नष्ट हो गया।

स्पेन का गृह युद्ध

१९२३ में राजा अल्फ्रेडो १३वें ने जनरल प्रिमोडी रिवेरा को सेना विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया और शासन का मारा भार सेना के आधीन आ गया। इससे पार्लियामेंट भंग हो गई और नागरिक शासन समाप्त होकर वहाँ सैनिक तानाशाही शासन कायम हो गया। सैनिक शासन स्पेन में ७ वर्ष तक रहा। १९३१ में राजा अल्फ्रेडो गद्दी से अलग हो गये और स्पेन में जनतन्त्री गणतन्त्र की स्थापना हुई। इसमें भूतपूर्व सैनिक सरकार का एक भी अधिकारी नहीं रखा गया।

१९३१ से १९३६ तक स्पेन की नई जनतन्त्री सरकार को प्रतिक्रियावादी और साम्यवादी विचारों में सवर्ष चलते रहने से काफी डावाडोल स्थिति का सामना करना पड़ा। जुलाई १९३६ में स्पेनिस मोरक्को के सेनापति जनरल फ्रैंको ने वहाँ सैनिक विद्रोह की घोषणा कर दी। वह भारी फौज के साथ स्पेन में घुस आया और दक्षिण तथा पश्चिमी प्रांतों पर कब्जा कर लिया। नवम्बर में विद्रोही जब मंड्रिड पहुँचे तो मोरक्को की सरकार भाग कर वलेंसिया चली गई। विद्रोहियों को इटली और जर्मनी का सहयोग प्राप्त था। ये दोनों देश विद्रोहियों को सेना, गोलाबारूद, विमान तथा टैंकनाल विशेषज्ञों की सहायता कर रहे थे। १८ नवम्बर १९३६ को रोम और बर्लिन की सरकारों ने फ्रैंको को स्पेन का सामक स्वीकार कर लिया। स्पेन सरकार के वफादार लोगों को तन का समर्थन प्राप्त था। उस तरह स्पेन जनतन्त्री व तानाशाही और साम्यवादी तथा फासिजवादी विचारधाराओं के सवर्ष का एक बड़ा संघर्ष बन गया। अन्त में यूरोप के २७ राज्यों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार समझौते में सम्मिलित राज्यों ने स्पेन के किसी भी पक्ष की सहायता करने का प्रण किया। लार्ड प्लाटमाउथ की अध्यक्षता में लन्दन में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सम्मेलन की समिति की स्थापना की गई। इस समिति का काम शस्त्रों के आयात-निर्यात का निरीक्षण तथा जान करना था किन्तु इटली, जर्मनी तथा पुर्तगाल आदि ने ही समझौता-विरोधी कार्यवाही करने रहे और उन्होंने समझौते को तनिक भी महत्व न दिया जिसके कारण समझौता नितान्त प्रमत्त रहा। समझौता के विफल हो जाने से फ्रैंको तो इटली और जर्मनी ने लन्दन तथा गोलाबारूद गरीबने का मौका मिल गया। २ अक्टूबर १९३७ को राष्ट्र-संघ की मरगना ने आदेश दिया कि स्पेन की

भूमि पर जो विदेशी फौजें पड़ी हुई हैं, वे अविलम्ब हटा ली जाय। इटली और जर्मनी ने अपनी फौजे हटाने से साफ इन्कार कर दिया, किन्तु इस पर राष्ट्र-संघ कुछ भी नहीं कर सका। नतीजा यह हुआ कि स्पेन में गृह-युद्ध जारी रहा। मार्च १९३६ में मैड्रिड और वारसिलौना पर विद्रोहियों का कब्जा हो जाने के साथ ही स्पेन का तीन वर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। इस तरह स्पेन में फ्रैंको सरकार की स्थापना हो गई। ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका ने फ्रैंको सरकार को जनता की वास्तविक सरकार कह कर मान्यता दी। इस तरह राष्ट्रसंघ की उपेक्षा और अप्रभावशाली ताकत के कारण स्पेन के जनतन्त्री शासन का अन्त हो गया।

चीन जापान युद्ध

मार्च १९३३ में जापान राष्ट्रसंघ से अलग हो गया और मंचूरिया पर उसने अपना अधिकार सुदृढ़ बनाये रखा। अप्रैल १९३४ में उसने 'जापानी मुनरो सिद्धांत' की घोषणा करते हुए दावा किया कि प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापना जापान ही कर सकता है। घोषणा में कहा गया कि पूर्वी एशिया में शांति स्थापना के काम में केवल चीन को छोड़ कर और कोई देश भाग नहीं ले सकता। जापान ने यह भी चेतावनी दी कि विदेशी शक्तियों ने यदि चीन को किसी भी तरह का सहयोग दिया—चाहे वह टैक्नि-कल हो अथवा आर्थिक—उसका परिणाम बड़ा भयकर होगा। १९३५ में जापान ने पेंगिंग, तेनसिन तथा चाहर पर कब्जा कर वहाँ पूर्वी होपे स्वायत्त सरकार के नाम से एक कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी। १९३६ में उसने भीतरी मंगोलिया के एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और वहाँ एक दूसरी स्वायत्त सरकार की स्थापना कर दी। जापानी सैनिक अधिकारियों ने चीनी रीति रिवाजों की उपेक्षा कर उत्तरी चीन में जापानी माल की खपत बढ़ानी शुरू कर दी और चीनी व्यापार पर कब्जा कर लिया। ७ जुलाई १९३७ को लुहावो चिआवो में जापानी और चीनी सैनिकों के बीच मुठभेड़ हो गई और जापान ने युद्ध का एलान किये बिना चीन पर हमला कर दिया। जापानी विदेश मंत्री हिरोता ने घोषणा की कि विगल चीनी दीवार के दक्षिण में एक नये कठी-राज्य की स्थापना की जायगी। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा पूर्वी एशिया में जापान की नीति जापान, मंचूकूवो तथा चीन की वुनियाद को परस्पर समझौता तथा सहयोग में मजबूत तथा स्थायी बनाना है। जापान की नीति अपने को चीन तथा मंचूकूवो के कम्युनिस्ट आक्रमण से रक्षा करना है। इस घोषणा के तत्काल बाद ही जापानी सेना ने शंघाई के एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और चीन को अपनी राज-दानी नानकिंग से हटाकर हाकवो और बाद में चुंगकिंग ले जाने के लिये आग्रह किया।

मिनम्बर १९३७ में चीन ने राष्ट्रसंघ में अपनी की और उसका मामला एक नृद्वर्षपूर्व परामर्शदातृ समिति को सौंप दिया गया। चीन ने शिकायत की कि जापान

ने चीन पर आक्रमण कर १९२२ में हुई ६ देगों की संधि का उल्लंघन किया है। चीन की शिकायतों पर राष्ट्रसंध की माध्याम सभा ने स्वीकार करली और निश्चय किया कि राष्ट्रसंध के सदस्य राष्ट्र ऐसी कोई भी कार्यवाही न करें जिससे कि चीन को घबका पहुँचे अथवा उसे कमजोर बनायें। इसके अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रों में कहा गया कि वे जहाँ तक संभव हो सके चीन की मदद करें। नवम्बर में ६ राष्ट्रों की संधि ने सम्बन्धित राष्ट्रों (जापान के अतिरिक्त) का एक सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ किन्तु विना किसी निर्णय के वह स्थगित हो गया। १६ सितम्बर १९३८ में हुए राष्ट्रसंध की महानभा के १६वें अधिवेशन में चीन ने जापान के विरुद्ध कार्यवाही की अपील की किन्तु इस बार यह साफ कह दिया गया कि कार्यवाही का कदम उठाना सदस्य राष्ट्रों की उच्छ्वा पर है वह उन पर जबरदस्ती लादा नहीं जा सकता।

चीन को राष्ट्रसंध में कोई सहायता न मिलते देख साम्राज्यवादी जापान ने राष्ट्रवादी नेता को दुरी तरह परास्त कर अमोय, कैंटन तथा हैनान के द्वीप पर प्रभुत्व जमा लिया। मार्च १९४० में जापान ने राष्ट्रवादी चीन के गद्दार वांग चिंग-चाई के अग्नी नानकिंग में एक नई कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी। वांग चिंग-चाई ने जापानी संरक्षण में रहना स्वीकार कर लिया। सन् १९४१ के अन्त में चीनी युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गया। इस तरह राष्ट्रसंध चीन को जापानी हमले में रक्षा करने में निहायन असफल सिद्ध हुआ।

१९३८ में जर्मनी ने आस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और चेकोस्लोवाकिया को अपनी नीमा में मिला लिया। उसने १९३९ में अल्बानिया पर भी कब्जा कर लिया। ३ सितम्बर १९३९ को जर्मनी ने डानजिग और पोलैंड के गलियारे पर हमला कर दिया और वही से द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हुआ। इन दिनों में राष्ट्रसंध ने कई बार विश्व शान्ति प्रस्ताव स्वीकार किये किन्तु युद्ध को रोकने के लिए उसने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। न तो उसमें नैतिक ताकत थी और न प्रभावशाली आवाज जिससे युद्ध को रोक जा सके। फल यह हुआ कि १९३९ के अन्त तक यह नम्या नडा के लिये समाप्त हो गई। एरियाना पार्क स्थित स्वैत-प्रानाद जिसमें राष्ट्रसंध का निवास था वही उसकी कब्र बनी।

अन्त्येष्टि-क्रिया

३ दिसम्बर १९३८ को रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण किया। फिनलैंड ने राष्ट्रसंध में अपील की कि साम्यवादी आक्रमण ने उनकी रक्षा की जाय और आक्रमणकारी के खिलाफ अविश्वस्य सन्त कार्यवाही की जाय। अजेंडासना ने प्रस्ताव रखा कि रूस को राष्ट्रसंध में निगलन दिया जाय किन्तु रूस ने उक्त प्रस्ताव सम्झौती बहन में भाग लेने में उत्सुक न कर दिया। इस पर राष्ट्रसंध ने

रूस के विरुद्ध अर्जेंटायना का प्रस्ताव निर्विरोध स्वीकार कर घोषणा की कि चूकि सोवियत सघ ने राष्ट्रमन्व-प्रतिश्रव का उल्लघन किया है इसलिए वह राष्ट्रसत्र का सदस्य नहीं है। किन्तु रूस के राष्ट्रसघ से हटाये जाने से फिनलैंड का उससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि इससे फिनलैंड पर रूस का आक्रमण बन्द नहीं हुआ। हा इतना जरूर हुआ कि राष्ट्रसघ के कुछ सदस्यो न फिनलैंड की दशा खराब देख उसे नैतिक तथा वस्तुओं से सहायता दी। किन्तु जो कुछ सहायता मिली वह अपर्याप्त थी और वह भी काफी देर में पहुँची। इसका परिणाम यह हुआ कि फिनलैंड बुरी तरह परास्त हुआ और १२ मार्च १९४० को उसने रूस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग ७ वर्ष तक (१९३९-४६) राष्ट्रसघ एक मृत प्राय सस्था के रूप में रहा।

द्वितीय विश्व-युद्ध विराम वार्ता के बाद ८ अप्रैल १९४६ को राष्ट्रसघ की महासभा की अन्तिम बैठक जनेवा में हुई। इसमें ३४ देशो के प्रतिनिधियो ने भाग लिया। महासभा के अध्यक्ष ने अपने अन्तिम भाषण में कहा "हम जानते हैं कि हम में नैतिक उत्साह का अभाव है और यह भी कि कई जगह जहाँ हमें सक्ती से काम लेना चाहिये था वहाँ हमने ढिलाई की तथा अपने निर्णय एव नियमो को लागू करवाने में निहायत असफल रहे।" अध्यक्ष के भाषण के बाद उपाध्यक्षो का चुनाव हुआ। उपाध्यक्ष के ८ स्थानो में से जब अर्जेंटायना को एक भी प्राप्त नहीं हुआ तो वह भवन त्याग कर बाहर चला गया। इस पर सर हार्टले शा क्रस ने कहा, "लेकिन यह तो राष्ट्रसघ की अन्त्येष्टि क्रिया का समय है। इस समय इस प्रकार का दगा करन से क्या लाभ है।" इस तरह राष्ट्रसघ को १९ अप्रैल १९४६ को एरियाना पार्क में दफना दिया गया। राष्ट्रसघ का दफन करते हुए कहा गया "आज से राष्ट्रसघ की कोई बैठक नहीं होगी और वह सदा के लिये समाप्त हो गया।"

राष्ट्रसघ के पतन का कारण

इसमें मदेह नहीं कि युद्ध को समाप्त कर शांति स्थापना के लिये राष्ट्रसघ का निर्माण मानवता के इतिहास में एक अपूर्व प्रयास था। यद्यपि अपने उद्देश्यो तक पहुँचने में यह पूर्ण रूप में विफल रहा। किन्तु सभ्रता के इतिहास में शांति स्थापना का यह प्रयोग काफी महत्वपूर्ण और अपूर्व था। अब हमें देखना है कि वे कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण यह प्रयोग अमफल रहा क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में काफी मुविधा हो जायेगी। हम पिछली कमजोरियो में पाठ लेकर आगे सावधानी से बढ़ सकेंगे। हमें मान्य हो जायेगा कि थोड़े से लोगो की आतकवादी, अत्याचार-पूर्ण तथा स्वाधंपूर्ण कार्यवाडयो में किम तरह से सारी मानवता को हानि पहुँच सकती है।

राष्ट्रसंघ की सीमायें

जिन समय राष्ट्रसंघ काफी प्रभावशाली रूप में था उस समय भी उसका प्रभाव तमाम विश्व पर नहीं था वल्कि कुछ राष्ट्रों तक ही सीमित था और यही कारण था कि उनका प्रभाव सीमित था। आरम्भ में ही अमरीका के राष्ट्रसंघ से अलग हो जाने से शांति की रक्षा की ओर राष्ट्रसंघ के प्रयास और प्रभाव को भारी धक्का लगा। इसके अतिरिक्त जापान, जर्मनी तथा इटली जैसे बड़े राष्ट्रों के त्यागपत्र दे देने ने राष्ट्रसंघ और भी अधिक कमजोर हो गया और उसकी सीमा और सकुचित हो गई। उनके साथ ही राष्ट्रसंघ ने जान बूझकर अपने कार्यों की सीमा कम कर ली। १९२६ में मेक्सिको जब गुप्त रूप में निकारगुआ सरकार के राजनैतिक दुश्मनों को सहायता दे रहा था, निकारगुआ सरकार ने मेक्सिको के खिलाफ राष्ट्रसंघ में अपील की। किन्तु वजाय इसके कि भगडा मंत्रीपूर्ण ढंग से जुलुभा लिया जाता अमरीकी सरकार ने अमरीकी तथा विदेशियों की जान व माल की रक्षा के लिये निकारगुआ को रक्षक जहाज भेज दिये। इस पर राष्ट्रसंघ में एक प्रस्ताव स्वीकार कर घोषणा की गई कि केन्द्रीय अमरीका में शांति की स्थापना करना उसके अधिकार में बाहर की बात है। इधर मिन, यद्यपि वह १९२२ में एक स्वतंत्र राज्य माना जा चुका था, राष्ट्रसंघ की सदस्यता से पृथक कर दिया गया और उस तरह आंग्ल-मिस्री भगडों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विवाद की तरह व्यवहार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त चीन और बड़े राष्ट्रों के बीच विवाद भी राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप में बर्चित रखा गया। इन सीमित अधिकारों तथा कार्यवाहियों के कारण राष्ट्रसंघ एक नपुंसक सस्था बन गई। एक दूसरी नवसे बड़ी कमजोरी राष्ट्रसंघ में यह भी थी कि वह भाषणों और बहस में अधिक व्यस्त रहता था और रचनात्मक कार्यों में कम। उसकी जो कुछ व्यावहारिक कार्यवाहियाँ हुईं भी वह उतनी मुन्म और कमजोर थी कि वह किसी राष्ट्र पर प्रभाव न जमा सकी।

प्रतिश्रव के प्रति अविश्वास

राष्ट्रसंघ के जीवन में कुछ ही उनके ऐसे सदस्य थे जो अपने वायदों और गण्य के पक्के थे। प्रतिश्रव का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आर्थिक दहिष्कार नीति नितात अप्रभावशाली सिद्ध हुई। उल्नी-उयोपियन विवाद में इटली के विरुद्ध आर्थिक दहिष्कार नीति का कोई भी परिणाम नहीं निकला। इटली ने ध्रुवेले होते हुए भी राष्ट्रसंघ के आदेश का उल्लंघन किया। जापान ने न केवल राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप का निरुकार किया वल्कि उनमें नूने ग्राम प्रतिश्रव का उल्लंघन किया। अगस्त १९३९ में ही जब रूस ने जर्मनी के साथ परस्पर आक्रमण न करने की संधि की उतनी समय प्रतिश्रव के प्रति उत्तमा अविश्वास प्रकट हो गया।

यही नहीं बल्कि फ़िनलैंड पर आक्रमण और पोलैंड को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से वंचित करने के लिये बाधित करने की उसकी कार्यवाहियों से यह और भी साफ़ प्रगट हो गया कि वह राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों पर चलने को तैयार नहीं। इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का गिर जाना ही राष्ट्रसंघ की अमफलता का कारण बना। होव्स ने ठीक ही कहा था कि बिना विश्वास के प्रतिश्रव बेकार है।

सार्वलौकिक हित की भावना का अभाव

एक सबसे बड़ी कमजोरी राष्ट्रसंघ के चालको में यह थी कि उनमें सार्वलौकिक हित का ख्याल नहीं था। इसके अतिरिक्त छोटे राज्यों की आक्रमण तथा अत्याचार से रक्षा करने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। राष्ट्रसंघ सत्ताधारी राष्ट्रों के बीच सहयोग स्थापित करने का एक यन्त्र बन गया। इसके अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रों में भी परस्पर सुसम्बन्ध नहीं था और उनकी जनता में सकुचित राष्ट्रीयता की भावना काफी तेज थी। इसी वजह से सार्वलौकिक हित की भावना जागृत नहीं हो सकी। शूमैन के अनुसार "राष्ट्रसंघ और उसकी एजेसिया मानव कल्याण तथा विश्व मैत्री की ओर कभी भी सफल सिद्ध नहीं हुई।"

एकमत का सिद्धान्त

राष्ट्रसंघ के सविधान में कई बड़ी बड़ी कमजोरियाँ तथा त्रुटियाँ थीं। प्रतिश्रव के अनुसार किसी भी बैठक का निर्णय राष्ट्रसंघ की बैठक में उपस्थित तमाम सदस्य राष्ट्रों की राय से होता था। इस निर्णय में केवल उन्हीं राज्यों की राय नहीं ली जाती थी जिनका विवाद से सम्बन्ध होता था। प्रतिश्रव के सशोधन पर परिषद् की स्वीकृति आवश्यक होती थी किन्तु उम पर सदस्य राष्ट्रों की पुष्टि भी लेनी जरूरी होती थी। जहाँ तक राष्ट्रसंघ की महासभा का सम्बन्ध था धारा १५ में सिफारिशों तथा निर्णयों में अन्तर स्पष्ट कर दिया गया है। सिफारिशों के मामले में साधारण बहुमत तथा निर्णयों के लिये निर्विरोध मत लेना पड़ता था। इस तरह राष्ट्रसंघ की तमाम कार्यवाहियाँ व्यावहारिक दृष्टि से सिफारिशों के रूप में होती थीं। फल यह होता था कि राष्ट्रसंघ किसी भी राज्य को वैधानिक तौर पर दवा नहीं सकता था। इस तरह एकमत शासन अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये बहुत बड़ा बाधक सिद्ध हुआ। राष्ट्रसंघ प्रतिश्रव में दूसरी खराबी यह थी कि वह शांतिपूर्ण तरीके से सदस्यों के सशोधन के लिये उचित कदम नहीं उठाती थी।

राष्ट्रीय अस्त्रीकरण को निरहत्साहित करने में असफलता

राष्ट्रसंघ को अस्त्रीकरण की मीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं था। यद्यपि लायड जार्ज ने मुझाव दिया था कि अस्त्रीकरण का मीमाकरण सम्बन्धी सम्भोता मदन्य राष्ट्रों में होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रसंघ तभी सफल हो

सकता है जब मेना के निर्माण तथा मगठन में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली के बीच प्रतियोगिता न हो कर एकत्वना कायम हो। प्रतिश्वर पर हस्ताक्षर होने से पूर्व जब तक उक्त समझौता नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रसंघ का कोई महत्व नहीं और वह केवल छत्रमात्र ही है। यद्यपि धारा २ के अनुसार राष्ट्रीय अस्वीकरण में इतनी कमी कर देनी चाहिये थी कि वह केवल आत्मसुरक्षा ही कर सके, किन्तु फिर भी राष्ट्रसंघ सामूहिक सुरक्षा सम्बन्धी विद्यमान सदस्य राष्ट्रों में पैदा नहीं कर सका। जहाँ एक राष्ट्रों में अस्वीकरण में वृद्धि हुई कि दूसरे राष्ट्रों में भय, असन्तोष तथा खलवारी मचने लगी और उनकी सुरक्षा कार्यवाही दूसरों के लिये आक्रमणकारी कार्यवाही मालूम हुई। इस तरह विश्व में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि राष्ट्रों में परस्पर तनाव और भगडा बढने लगा। आखिर अस्वीकरण में विघटन की धारा निहायत अमफल रही।

प्रतिरोधी सन्धा का अभाव

सर मेमुएल होर ने १९३५ में जनेवा में अपने वचनव्य में कहा था कि राष्ट्रसंघ कोई ऐसी सन्धा नहीं जिसका तमाम राज्यों के ऊपर प्रभाव हो अथवा यह कोई ऐसी स्वतन्त्र सन्धा नहीं जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि हो और जो स्वतन्त्र हो, जिसके निर्णय पर सभी अमल कर सकें। इसमें तो वही राष्ट्र है जो विवाद पैदा करते हैं और अपने वायदों और शपथ का उल्लंघन करते हैं। उनके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ के पास कोई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई, जल तथा धन सेना नहीं थी जिससे कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के भंग करने वालों के विनाश जोरदार कार्यवाही कर सके। वही कारण था कि राष्ट्रसंघ उन राजनैतिक विवादों को मुलभाने में असफल रहा जिसमें बड़े राष्ट्रों का हाथ था। राष्ट्रसंघ के पास जो कुछ सैनिक ताकत अथवा प्रतिरोधी सन्धा थी वह इतनी कमजोर तथा अप्रभावशाली थी कि शान्ति न्यायना का काम उसके बल का नहीं था। राष्ट्रसंघ में एक दूसरी बड़ी कमी यह थी कि जब तक कोई विवाद उत्पन्न न था तब तक गम्भीर स्थिति पर न पहुँच जाता वह उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी जिसका फल यह होता था कि उसे विवाद सम्भालने में कठिनाई हो जाती और अन्त में वह अमफल हो जाती थी।

तानाशाही राज्यों की आक्रमणकारी मनोवृत्ति

राष्ट्रसंघ तो गिराने और अगस्त्य बनाने में सबसे बड़ा हाथ तानाशाही राज्य जर्मनी, इटली और जापान का था जो विनाशन और आगमल ने विश्व पर अपना गालन हाथ मारना चाहते थे। उन्हें राज्यों में समानता लाने की नीति में विश्वास नहीं था और सामूहिक सुरक्षा के वे मूल सिद्धांतों थे। मुनीविनी ने एक बार कहा था—“वह अधिकार जो बिना शक्ति अथवा सत्ता के प्राप्त हुआ हो बेकार और

अस्थायी है।" इस तरह जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण, इथोपिया पर इटली के आक्रमण, चीन पर जापानी हमले तथा बर्लिन-रोम-टोकियो समझौता से राष्ट्रसंघ की शांति स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का आन्दोलन भग हो गया और वह सदा के लिए समाप्त हो गया।

आंग्ल-फ्रान्सीसी सन्तुष्टिकरण नीति

ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी परम्परागत राष्ट्रीय नीति को कायम रखने के लिए राष्ट्रसंघ को एक हथियार की तरह प्रयोग किया। फ्रांस के लिये राष्ट्रसंघ केवल मित्रराष्ट्रों की एक व्यवस्था थी जिससे जर्मनी के आतंक से उसकी रक्षा की जा सकती थी। इधर ब्रिटेन ने अपनी परम्परागत राष्ट्रीय नीति पर अमल करते हुए आक्रमणकारियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही में भाग लेने से अपने को अलग रखा। इस तरह आंग्ल-फ्रान्सीसी सन्तुष्टिकरण नीति से कमजोर राष्ट्रों पर शक्तिशाली राष्ट्रों के आक्रमण को रोका नहीं जा सका और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भंग करने वाले सजा पाने से वंचित रहे, यद्यपि राष्ट्रसंघ को आक्रमणकारियों के विरुद्ध सामूहिक सैनिक कार्यवाही करने का अधिकार था। किन्तु चूँकि उसमें आक्रमणकारियों को खुश करने वाले तत्वों का अधिक प्रभाव था इसलिए वह कमजोर राष्ट्रों के लिए बेकार सिद्ध हुई।

राष्ट्रसंघ की सफलताएँ

यद्यपि राष्ट्रसंघ युद्ध को रोकने और शांति स्थापना में निहायत असफल रहा किन्तु विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सम्बन्ध के प्रचार में उसे अपूर्व सफलता मिली। जनेवा के एरियाना पार्क में समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों द्वारा राष्ट्रसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा विवादों पर प्रकाश डाला और शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें निवटाने का प्रयत्न किया। उसने विश्व के राष्ट्रों में शान्तपूर्ण विचारधारा का प्रचार किया। उसने विघेपज्ञों की सलाह में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को हल किया। राष्ट्रसंघ की स्वास्थ्य समिति ने हैजा, मलेरिया, चेचक, तपेदिक, मोतिजरा आदि भयानक रोगों के कारणों की जाँच की और आरोग्य का साधन निकाला। यातायात सम्मेलन तथा बौद्धिक विकास के लिए समिति ने मूल्यवान् सिफारिशें की। राष्ट्रसंघ ने दास प्रथा तथा गाँजा, भाँग आदि के सेवन को रोकने के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रमुख राष्ट्रों में समझौता किया। हमारी सभ्यता को राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी देन अन्तर्राष्ट्रीय कानून को समुचित ढंग में नियमबद्ध करना था। राष्ट्रीयता, समुद्री अधिकार तथा राज्य का उत्तरदायित्व, इस सम्बन्ध में उसने बड़े अच्छे नियम बनाये। राष्ट्रसंघ की अन्तर्राष्ट्रीय न्याय की म्हाई अदालत ने कई अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी विवादों को बड़ी ही कुशलता से सुनझाया।

राष्ट्रसंघ के पतन के कई वर्ष पहले ही हेली मेलेसी ने कहा था कि राष्ट्रसंघ आगे चलकर भंग हो जायेगा । आपने यह भी कहा था कि पश्चिमी राष्ट्र नष्ट हो जायेंगे । इस कथन की सत्यता सन् १९३६ में राष्ट्रसंघ के दो सदस्य, आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के विनाश से स्पष्ट प्रतीत होता है । मध्य में पानविक शक्ति ने न्याय पर विजय प्राप्त की । अमेरिका के विदेश मन्त्री कार्डेल हल ने सत्य ही कहा था कि विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के पारस्परिक समझौता और सहयोग बिना कोई भी सगठन शांति स्थापित नहीं कर सकता । आपस की फूट और नष्ट ही शांति के परम् गुरु हैं ।

राष्ट्रसंघ के इतिहास पर प्रकाश डालने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वैज्ञानिक तथा यान्त्रिक उन्नति की तुलना में नैतिक उत्थान बहुत पीछे चला गया है ।

व्याख्यान ४

क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक संकट

विषय प्रवेश—शान्ति समझौते के बाद यूरोप के कूटनीतिज्ञों के सामने बसिय मधि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की व्यवस्था एक जटिल तथा विवादास्पद समस्या थी। क्षतिपूर्ति का विषय सारे राष्ट्रों का ध्यान आकृष्ट किये हुए था और सर्वत्र चर्चा रहती थी। वास्तव में क्षतिपूर्ति-समस्या इतनी अधिक जटिल तथा टैकिनकल थी कि इससे न केवल करोड़ों व्यक्तियों के जीवन पर असर पडा बल्कि युद्धोपरान्त विजयी राष्ट्रों में भी मतभेद पैदा हो गया। यद्यपि मित्रराष्ट्रों को जर्मनी से युद्ध का सारा खर्च वमूल करने का नैतिक दावा था किन्तु धारा २३२ में यह स्पष्ट था कि सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति देना जर्मनी की शक्ति से बाहर की बात है और किसी विशेष प्रकार की क्षति के सन्ध में जिसमें मित्रराष्ट्रीय सेनाओं को पेन्गने तथा भत्ते भी शामिल थे, जर्मनी नामजूर कर सकता था। सधि-पत्र में जर्मनी द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी। इससे मित्रराष्ट्रों ने हर एक विषय में क्षतिपूर्ति की मात्रा बढ़ा दी। जर्मन क्षतिपूर्ति को समझने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी चाहियें। पहली यह कि युद्ध के कारण जर्मनी के साधन शिथिल पड गये और उसके उपनिवेश तथा औद्योगिक केन्द्र भी उसके हाथ से छिन गये। दूसरी यह कि मित्र-राष्ट्रों में दो प्रमुख देश ब्रिटेन और फ्रांस में परस्पर तनाव पैदा हो गया। एक ओर फ्रांस जर्मनी का सम्पूर्ण ह्रास चाहता था तथा दूसरी ओर ब्रिटेन की नीति परास्त राष्ट्र जर्मनी के आर्थिक पुनरुत्थान की थी। इस प्रकार के मतभेद से जर्मन क्षतिपूर्ति की समस्या का सन्तोषजनक समाधान अनिश्चितकाल के लिए स्थगित पडा।

सम्पूर्ण राशि निर्धारित करने की समस्या

स्मरण रहे कि शान्ति-सम्मेलन का अन्तिम निर्णय यह था कि युद्ध के समय में जर्मनी को मित्र राष्ट्रों की नागरिक जनता तथा उनकी सम्पत्ति को हुई क्षति के बदले में मोना या अन्य सामान देना होगा। क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का काम एक क्षतिपूरक आयोग (कमीशन) को सौगा गया। इस आयोग में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और बेल्जियम के प्रतिनिधि थे। आयोग को अपनी रिपोर्ट मई १९२१ तक जर्मनी को सूचित कर देनी थी। डवर जर्मनी को अन्तरिम काल में विजयी मित्र राष्ट्रों को नकद या मान के रूप में एक अरब पाँड अदा करना था। इस राशि से जर्मनी में पडी मित्रराष्ट्रों की मनाओं का खर्च चलाना था और इसमें बाकी बची राशि को क्षति-

पूर्ति राशि के रूप में स्वीकार कर लेना था। १० जनवरी १९२० को वसायि मधि के लागू होने के बाद धतिपूर्ति समस्या किम तरह हल की जाय यह प्रश्न उठा। पहली समस्या यह थी जर्मनी धतिपूर्ति कितनी दे और किम तरीके से दे ? जर्मनी ने कहा गया कि वह धतिपूर्ति की अदायगी के निमित्त कुन कितनी रकम देगा इसकी सचना वह मित्रराष्ट्रो को दीज् दे। जुलाई १९२० में जर्मनी ने अपने प्रस्ताव 'इस्पा सम्मेलन' में रखे। यद्यपि ये प्रस्ताव बेहदे और बेकार कह कर अस्वीकार कर दिये गये किन्तु अगले ६ मास तक जर्मनी कितना कोयला देगा इस सम्बन्ध में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो गये। सम्मेलन का नयमे महत्वपूर्ण निर्णय मित्रराष्ट्रो को दी जाने वाली धतिपूर्ति का वितरण था। इसके अनुसार फ्रांस को ५२ प्रतिशत, ब्रिटेन को २२ प्रतिशत, इटली को १० प्रतिशत, बेल्जियम को ८ प्रतिशत तथा बाकी ८ प्रतिशत धतिपूर्ति की राशि छोटे राष्ट्रों में वितरण करना था।

जनवरी १९२१ में मित्रराष्ट्रीय तथा जर्मन विशेषज्ञ पेरिस में मिले। इस सम्मेलन में जर्मनी ने ११ अरब पाँच की माँग की गई जो कि ८२ वार्षिक किस्तों में अदा करनी थी। इसके अतिरिक्त जर्मनी ने माँग की गई कि वह अपने निर्यात व्यापार आय का १२ प्रतिशत भी दे। इस प्रस्ताव से जर्मनी में विरोध की भावना भडक उठी। जर्मन लोगों ने कहा कि यह योजना योग्य तथा विश्वमनीय विशेषज्ञों के सम्मेलन में नहीं बनाई गई, बल्कि इसे पागलपान में रहने वाले व्यक्तियों ने बनाया है। मित्र राष्ट्रों ने उस योजना स्वीकार विये जाने के लिये जर्मनी पर दबाव नहीं डाला। लेकिन उन्होंने मार्च १९२१ में लन्दन के सम्मेलन में अपना उत्तर देने के लिए जर्मनी को बुलावा भेजा। जर्मनी ने उस बुलावे के उत्तर में अपना जो प्रस्ताव रखा, उसमें उडे अरब पाँच धतिपूर्ति नकद देने तथा ऊपरी माइलेधिया पर अधिकार रखने और नारे व्यापारिक प्रतिबन्धों को उठा लेने का उल्लेख था। धतिपूर्ति की अदायगी के लिए जर्मनी ने यह रखा कि विजयी राष्ट्र अपनी तमाम सेनाएँ जर्मनी में हटा ले। मित्रराष्ट्रो ने जर्मनी को इस प्रस्ताव को बिन्तुन बेहदा बताया। इस प्रकार धतिपूर्ति वार्ता बिना किनी समझौते के समाप्त हो गई। मित्रराष्ट्रो ने जर्मनी द्वारा अन्तरिम धतिपूर्ति न देने पर राजन नदी के तट स्थित डुजेल डोर्फ, ज्यूरिख तथा स्ट्राटे के आँद्यांगिक केंद्रों पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने राष्ट्र-समूह में अपील की। उनमें कहा, उनमें आरम्भ की धतिपूर्ति अदा कर दी है। लेकिन जर्मनी की प्रपील बफार निरुद्ध हुई। इस विवाद को पुन धतिपूर्ति-कमीशन के नामने रखा गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जर्मनी के दावे को भूटा बताया। कमीशन ने कहा कि जर्मनी ने अपना उक्त दावा अब तक दिये गये माल की तीसम अत्यधिक निर्धारित करके लिया है। कमीशन ने बताया कि जर्मनी को अन्तरिम धतिपूर्ति का ६० प्रतिशत अभी छोड़ देना बाकी है।

जब प्रत्यक्ष वार्ता असफल हो गई तो क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का मामला क्षतिपूर्ति कमीशन ने अपने हाथ में लिया। उसने २८ अप्रैल १९२१ को जर्मनी द्वारा अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि ६,६००,०००,००० पौण्ड निर्धारित कर दी। अदायगी का व्यौरा अ, ब, स तीन प्रकार के बौन्डों में विभक्त किया गया। 'अ' और 'ब' बौन्ड में संपूर्ण क्षतिपूर्ति का एक तिहाई भाग अर्थात् २,६००,०००,००० पौण्ड था, जो कि जर्मनी को एक अरब पौण्ड वार्षिक के हिसाब से अदा करना था। इसके अतिरिक्त उसे प्रति निर्यात मूल्य का २५ प्रतिशत भी देना था। 'स' बौण्ड की अदायगी, जो कि कुल राशि का दो तिहाई अर्थात् ४ अरब पौण्ड थी, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। कमीशन ने आगे घोषणा की कि १ मई १९२१ तक जर्मनी ने जो राशि अदा की, वह जर्मनी में पडी विजयी राष्ट्रों की सेनाओं के व्यय के लिए अपर्याप्त थी।

इस प्रकार जर्मनी द्वारा अब तक अदा की गई राशि को बिल्कुल महत्व नहीं दिया और वह नहीं के बराबर मान ली गई। इस राशि को क्षतिपूर्ति में कोई स्थान नहीं दिया गया। ५ मई को जर्मनी को चुनौती दी गई कि यदि वह उक्त योजना स्वीकार न करेगा तो मित्रराष्ट्र रूढ़ पर कब्जा कर लेंगे। चुनौती की अवधि समाप्त होने के एक दिन पूर्व वर्ष के सरक्षण में नये जर्मन मन्त्रिमंडल ने इन शर्तों को मजूर कर लिया और इस प्रकार क्षतिपूर्ति समस्या का पहला चरण समाप्त हो गया।

जर्मन की शोचनीय स्थिति (१९१९-१९२३)

यद्यपि जर्मनी ने लन्दन सम्मेलन को स्वीकार कर लिया, किन्तु उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह क्षतिपूर्ति अदा कर सके। जर्मनी का अन्तर्राष्ट्रीय उधार न होने से वह विदेशी ऋण पाने में असमर्थ था। दूसरी ओर युद्ध में हुई क्षति के कारण उसके आयात बढ गये थे और निर्यात की मात्रा कम हो गई थी। इस तरह जर्मनी आर्थिक मतुलन बिल्कुल खो बैठा था। इसका नतीजा यह हुआ कि सोने का भण्डार निरंतर खाली होता गया, मुद्रास्फूर्ति बढ गई और जर्मन करेसी की कीमत गिर गई। इधर जर्मनी के बडे औद्योगिकों ने भी सरकार को सहयोग देने में इन्कार कर दिया। इन सब कारणों से जर्मनी अदायगी नकद अथवा माल किन्ही भी रूप में न कर सका। अगस्त १९२१ तक जर्मनी ने मभभौता के अनुमार ५ करोड पौण्ड की प्रथम किश्त अदा कर दी, किन्तु करेसी की कीमत में गिरावट आ जाने से उसे अदायगी अगले वर्ष तक के लिए स्थगित करने के लिए अपील करनी पडी। जर्मनी को इन प्रार्थना पर जनवरी १९२२ में कैनिन सम्मेलन में विचार किया गया। निर्णय हुआ कि जर्मनी अदायगी का थोडा-सा हिस्सा आगे के

लिए स्थगित कर सकता है। इधर जर्मनी की मुद्रा की कीमत निरन्तर गिरती गई। जर्मन सरकार ने आर्थिक मकड़ के आधार पर क्षतिपूर्ति नकद देने में अममर्यता प्रकट की और माग की कि नकद अदायगी १९२५ तक के लिए स्थगित कर दी जाय। इस माग में ब्रिटेन और फ्रांस के कूटनीतिक सम्बन्ध में तनाव पैदा हो गया। ब्रिटेन के लायर्ड जार्ज, वालफर तथा वोनरला का, जो जर्मनी के पुनर्निर्माण के पक्ष में थे, विचार था कि क्षतिपूर्ति की अदायगी ने पहले जर्मनी का आर्थिक दृष्टि से पुन-स्थान जरूरी है। किन्तु दूसरी ओर फ्रामीसी नेताओं की राय थी क्षतिपूर्ति की अदायगी शीघ्र होनी चाहिए। फ्रामीसी नेताओं की राय क्षतिपूर्ति की शीघ्र अदायगी के पक्ष में इसलिए थी कि उसे युद्ध में वर्धाद अपने लगभग १३ हजार वर्गमील क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ बनाना था। फ्रामीसी नेता प्यायकर का कहना था कि जर्मनी को क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए और मुहलत न दी जाय। इधर जर्मनी निर्धारित मात्रा में फ्रांस को लकड़ी मर्यादा न कर सका। इसका फल यह हुआ कि (जनवरी १९२३) पेरिस सम्मेलन में क्षतिपूर्ति आयोग ने बहुमत में जर्मनी को अपराधी ऐलान कर दिया। १० जनवरी १९२३ में जब क्षतिपूर्ति समस्या की दूसरी अवधि समाप्त हो गई फ्राम ने घोषणा की कि नियमों का एक शिफ्टमडन शीघ्र रूप में भेजा जायगा।

रूर पर अधिकार १९२३

क्षतिपूर्ति समस्या का तीव्र चरण उस समय प्रारम्भ हुआ जब फ्रामीसी व बेल्जियम सेनाओं ने रूर पर कब्जा कर लिया। प्यायकर ने घोषणा की कि रूर पर कब्जा करने का फ्राम का कोई उरादा नहीं किन्तु क्षतिपूर्ति न मिलने तक हम उस पर अधिकार रखना चाहते हैं। उन क्षेत्र की लम्बाई ६० मील और चौड़ाई २० मील थी और यह जर्मनी का एक विशाल औद्योगिक केन्द्र था। अनुमान लगा कर बताया गया था कि जर्मनी के कोयला, लोहा व इस्पात उत्पादन का २० प्रतिशत तथा ७० प्रतिशत माल व रेलों का र्वनिज यतायात रूर पर निर्भर करता है। उनके ६ नगर थे और जर्मन आवादी की १० प्रतिशत जनता वहाँ निवास करती थी।

जब फ्रामीसी व बेल्जियम सेनाओं ने रूर पर कब्जा कर लिया तो जर्मन सरकार ने त्रिरोधी नीति अपनाई और फ्रांस व बेल्जियम को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति बंद कर दी। उनके विरोध स्वस्थ फ्राम व बेल्जियम सरकारों ने रूर में तैयार मान वाहर भेजना बंद कर दिया। जर्मनी पर भारी जुमाने किए गये, नजायें दी गईं, समानार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, निजी सम्पत्ति जप्त कर ली गई और मकड़ों जर्मन अधिराज्यों व नागरिकों को रूर में निवास दिया गया। जर्मनी के विरुद्ध फ्राम व बेल्जियम की कार्यवाही में ७६ जर्मन मारे गये व २० घायल

हुए। इससे जर्मनी भुखमरी, गरीबी, और राष्ट्रीय ह्रास के गढे में जा गिरा। जर्मन मुद्रा 'मार्क' की कीमत दिन पर दिन गिरती गई। दिसम्बर १९२२ में ३५००० मार्क १ पाँड के बराबर था किंतु १९२३ के अन्त तक इसका मूल्य १ पाँड के मुकाबले में ५० हजार अरब तक बढ़ गया। वास्तव में जर्मनी बर्बाद हो गया। इसने फ्रांस में वार्ता शुरू की और रेलों को गिरवी रखकर अदायगी की गारंटी का वायदा किया। लेकिन प्यायकर ने घोषणा की कि जर्मनी को पहले अपना विरोधी आन्दोलन समाप्त कर देना होगा। फ्रांस ने कहा कि रूर को उसी समय छोड़ा जायगा जब जर्मनी अदायगी करने को तैयार हो जायगा। १२ अगस्त १९२३ को चासलर कुनो को त्याग पत्र देना पड़ा और स्ट्रैममैन के नेतृत्व में एक नया मन्त्रिमंडल बनाया गया। उसने २६ सितम्बर को विरोधी आन्दोलन समाप्त किये जाने की घोषणा की। प्यायकर की जीत हुई। अंत में क्षतिपूर्ति कमीशन ने जर्मन की अदायगी स्थिति का पता लगाने के लिए आर्थिक विशेषज्ञों की एक निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी नियुक्त की।

(डावस योजना १९२८)

३० नवम्बर १९२३ को क्षतिपूर्ति कमीशन द्वारा विशेषज्ञों की दो समितियाँ नियुक्त किये जाने पर क्षतिपूर्ति समस्या का चौथा चरण प्रारम्भ हुआ। पहली समिति के अध्यक्ष अमरीका के चार्ल्स जी डावस थे और इस कमेटी का नाम डावस कमेटी रखा गया। इस कमेटी में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली व बेल्जियम के दो प्रतिनिधि थे और इसका काम जर्मन बजट का सतुलन तथा जर्मन सिक्के का स्थिरकरण करना था। दूसरी समिति में उक्त प्रदेशों के एक एक प्रतिनिधि थे और इसके अध्यक्ष ब्रिटेन के रेजिनाल्ड मैक कन्ना थे। इसका काम जर्मनी द्वारा आयात किये गये सामान की कीमत आकना तथा उमको वापस मागने के साधनों पर विचार करना था। इन समितियों ने १४ जनवरी १९२४ को अपना काम शुरू किया और १ अप्रैल को १२४ पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट क्षतिपूर्ति कमीशन को पेश की।

डावस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जर्मनी को प्रोत्साहित किया जाय कि जहाँ तक हो सके वह करो को अदा करे। रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मनी के लोग बड़े उद्योगी और टैक्निकल दृष्टि में भारी कारीगर हैं। उसके पास औद्योगिक विकास के पर्याप्त माधन हैं। इसमें वह विश्व प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर नकेगा। जर्मनी को क्षतिपूर्ति अदा कर सकने योग्य बनाने के लिये डावस रिपोर्ट में निम्न निष्कारिणों की गई, (१) रूर में विजयी राष्ट्रों की सेनाएँ हटा ली जाय जिन्होंने कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति मुघर जाये (२) जर्मनी क्षतिपूर्ति की अदायगी की निश्चयिणी के रूप में चूगी, शराब, तम्बाकू तथा चीनी पर कर से प्रान्त होने

वाणी त्राय वार्षिक दिया करे (३) वार्षिक क्षतिपूर्ति की अदायगी ५ करोड़ पाउंड ने शुरू होनी चाहिए और धीरे धीरे ८ वर्ष की अवधि में बढ़ कर १ अरब पाउंड की सामान्य राशि तक पहुँच जानी चाहिये (४) भविष्य की अदायगी उन्नति के आकड़ों के साथ साथ घटती या बढ़ती रहे (५) जर्मनी को ८ करोड़ पाउंड का विदेशी ऋण दिया जाय जिसे कि वह कर्मेमी कोष कायम कर नके और क्षतिपूर्ति की प्रथम किस्त अदा कर नके (६) ५० वर्ष के लिये अधिकृत एक केन्द्रीय बैंक (कोप-बैंक) की स्थापना की जाय, जो कि करेमी जारी करे। इसका काम ७ जर्मनी और ७ विदेशियों के नियंत्रण में रहे (७) नये नोट जारी किये जाय।

डावम रिपोर्ट के अन्त में इस बात की ओर संकेत किया गया था कि योजना कार्यान्वित करने में कोई देरी न हो। यह अभी लागू हो सकती है जब कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति पहले जैसी हो जाय। इन योजना का लागू होना तब तक के लिये म्बगिन किया जा सकता है जब तक आर्थिक स्थिति न सुधर जाय। रिपोर्ट मिलने के दो दिन बाद क्षतिपूर्ति समीक्षण ने क्षतिपूर्ति समस्या के समाधान के लिये इन निष्कारिजों को व्यावहारिक आधार पर स्वीकार कर लिया। जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम व फ्रान्स ने अपनी स्वीकृति दे दी लेकिन फ्रान ने जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति न देने पर स्वतन्त्र स्वीकृतियों के लिये अपने अधिकारों को छोड़ना अस्वीकार कर दिया। अन्त में जुलाई-अगस्त में लन्दन सम्मेलन में डावम योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक समझौता का मसविदा तैयार किया गया। फ्रान ने यह स्वीकार किया कि जर्मनी ने क्षतिपूर्ति अदा करने में कोई आनाकानी अथवा विरोधी कार्यवाई अपनाई तो उसकी गलती क्षतिपूर्ति आयोग को सर्वसम्मति में ठहरानी होगी, जिसमें जर्मनीका भी शामिल रहे। मितम्बर १९२४ को योजना लागू की गई और ३१ जुलाई १९२५ को अन्तिम फ्रान्सीसी व बेल्जियम सैनिकदस्त्रों ने त्तर छोड़ दिया। राइन नदी के दोनों ओर अन्त में आर्थिक स्थिरता ने राजनैतिक अनिरोध पर विजय पाई।

डावम योजना को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। मितम्बर १९२४ ने मितम्बर १९२० के सर्वप्रथम वर्षों में क्षतिपूर्ति रीजेंट नेमूर जिनवट के प्रयास में जर्मनी ने अपने नाघन पर किसी प्रकार का दबाव न पड़ने देकर क्षतिपूर्ति की अदायगी पूरी की। उन्निवे यह बात माननी पड़ेगी कि उनकी सफलता केवल उनी पर सापत्ति थी कि यह क्षतिपूर्ति समीक्षण के क्षेत्र में तदात्मक आर्थिक विनियमों की एक समिति को नौप दी गई जिसने सत्ता तल केवल एक व्यावहारिक दृष्टिकोण में रिया। लेकिन डावम योजना में शुरू किया भी था। उसमें न तो वार्षिक अदायगी की अवधि ही निर्धारित थी और न क्षतिपूर्ति की कुल राशि का उल्लेख ही था। इस प्रकार जर्मनी

को अपने लोगो की उन्नति में कम दिलचस्पी रह गई क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने से मित्रराष्ट्रों की अदायगी और भी बढ़ जाती। इसके अतिरिक्त डावस योजना में जर्मनी को विदेशों से बहुत सा कर्जा लेने के लिये प्रोत्साहित किया जिसने उसकी आर्थिक दिवालियापन के बीज बो दिये।

यग योजना (१९२६)

सितम्बर १९२८ में जब कि राष्ट्रसंघ का नवी असेम्बली का अधिवेशन हो रहा था फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, जापान व जर्मनी के प्रतिनिधियों ने क्षतिपूर्ति समस्या के अन्तिम निरायं तथा राइन क्षेत्र के शीघ्र खाली किये जाने के लिये वार्ता की। तय किया गया कि ६ सरकारों द्वारा आर्थिक विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाय जिसमें अमरीका भी शामिल किया जाय जोकि इस समस्या को हल करे। इस निरायं के अनुसार नई समिति ने ११ फरवरी १९२८ को पेरिस में अपना काम शुरू किया। इसके अध्यक्ष एक अमरीकी प्रतिनिधि ओवन डी० यग थे जिन्होंने डावस योजना के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भाग लिया था। उनके ही नाम पर इस समिति का नाम 'यग समिति' पड़ा। लगभग ४ मास के कठिन परिश्रम के पश्चात् समिति ने अपनी ४० पृष्ठों की रिपोर्ट ७ जून १९२६ को क्षतिपूर्ति कमीशन के सामने रख दी। मक्षेप में 'यग समिति' ने निम्न सिफारिशों की—(१) जर्मनी को क्षतिपूर्ति ५८ वर्ष में अदा करनी चाहिये। प्रथम ३६ वर्षों में वार्षिक अदायगी औसतन १० करोड़ पौण्ड होनी चाहिये। डावस योजना में अधिकतम राशि १२॥ करोड़ पौण्ड थी। शेष २० वर्षों में हर वर्ष उक्त राशि का लगभग तीन चौथाई अदा किया जाय। (२) प्रत्येक वार्षिक अदायगी का एक तिहाई हिस्सा अर्थात् ३ करोड़ ३० लाख पौण्ड बिना किमी शर्त के चुका देना चाहिये। इसमें किसी प्रकार की टालमटोल नहीं होनी चाहिये। इस राशि में से २॥ करोड़ पौण्ड फ्रांस को दिया गया और शेष ३७ वर्ष के लिए कर्जा देने वाली १० सरकारों को बाटा गया। (३) रेलवे और औद्योगिक बाँडों को रद्द किया जाय और क्षतिपूर्ति कमीशन द्वारा विदेशी नियंत्रण समाप्त किया जाय। (४) प्रथम ३७ वर्षों में वार्षिक अदायगी दो सूत्रों से की जाय। प्रथम जर्मन रेलवे कम्पनी तथा दूसरे रिपब्लिक के बजट में। रेलवे का ३३००००००० पौण्ड हैकम जर्मन सरकार को देना चाहिये। ३७ वर्ष बाद पूरी अदायगी जर्मन बजट में होनी चाहिये। (५) १ सितम्बर १९२६ के बाद राइन नदी क्षेत्र के अधिकार के सव्वे में जर्मनी को छुटकारा दिया जाय। (६) क्षतिपूर्ति अदायगी की नैन-देन, बिना शर्त मानाना अदायगी पर प्राप्त किये अन्तर्राष्ट्रीय कर्जों को देने तथा नानाना अदायगी के कुछ भागों का व्यापारिक करार करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मन्धनों के एक वेक की स्थापना की जाय। (७) वैंक का नियंत्रण व प्रबन्ध यग

ममिनि के प्रतिनिधित्व करने वाले ३ राष्ट्रों के केन्द्रीय बैंकों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को गौण जाय । डावम योजना के मुकाबले मे यग योजना मे अन्तिम समझौते के निये वार्षिक अदायगियों की राशि व नरया अवश्य निश्चित की गई ।

उसके अतिरिक्त डावम योजना मे वाह्य-नियंत्रण की प्रणाली हट गई जर्मनी को सम्पूर्ण आर्थिक अधिकार प्राप्त हो गये और क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए उसकी कमर मजबूत हो गई । प्रन्त मे पूरी योजना एक आर्थिक नस्या को सौप दी गई जिसके प्रबन्ध कार्य मे जर्मनी का भी भाग तय किया गया ।

अगस्त १९२६ मे यग योजना पर हेग मे विचार किया गया, जबकि ब्रिटिश प्रतिनिधित्व रक्षा सम्मेलन द्वारा नियत किया गया सब का हिस्सा मागा । लगातार गतिरोध के पश्चान् ब्रिटेन को राजी करने के लिए यग योजना मे कुछ परिवर्तन करके उसको ३० जनवरी १९३० को स्वीकार कर लिया गया । सम्मेलन नियत समय मे ७ वर्ष पूर्व ३० जून १९३० तक राजन क्षेत्र को खाली करने पर भी राजी हो गया । १७ मई को यग योजना लागू की गई । यद्यपि इन समय के रीग बैंक के गवर्नर डा० हायर यस्त ने उन मन पर अपने पद मे त्यागपत्र दे दिया कि वार्षिक अदायगी जर्मनी की शक्ति मे बाहर है । उन प्रकार पाचवा परिच्छेद क्षतिपूर्ति समस्या के पूरे व अन्तिम निवटारे के बाद समाप्त हुआ ।

हृवर मुहलत

अभी यग योजना को लागू हयें थोडा ही समय हुआ होगा, जबकि सम्पूर्ण विश्व मे एक अनिश्चित आर्थिक नकट पंदा हो गया । यह आर्थिक नकट जो कि ४ वर्ष (१९२६-३३) रहा, १९२६ के नरद ऋतु मे अमरीका द्वारा यूरोप के सब नरों व नर कर देने पर शुरू हुआ । उनके बाद कीमतो मे भारी गिरावटे हुई । इन विपत्तियाँ नकट के कई कारण थे । अमरीका मे मोना रिजर्व हो जाने के कारण उनका अग्र-यत्न घनाव हो गया । सुरक्षा नरो व कोटी के ऊर्ने ही जाने के कारण मान का अवागमन नक गया, आवान पर प्रतिबन्ध होने के कारण अग्रिम अवादी वा निरुत्पन्न रक गया । विदेशी नरों मे नमी के कारण पूंजी के चन्दन मे बाधा पड गई । नरों पर प्रतिबन्ध के कारण व्यापारिक लेनदेन शक नगा, मोना स्टैंडर्ट के भग हो जाने मे आर्थिक विनियम की निररता रक गई क्षतिपूर्ति व अन्तिमराष्ट्रीय नरों व अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के साथ साथ आर्थिक विश्वास के नामान्य होने मे बाधा पडी । १९२६-३३ मे जर्मनी के अन्दर आर्थिक नकट उनका भीषण था कि अरि के नमान होने पर बजट मे उबट्टी हुई कमी विदेशी नरों के अतिरिक्त १० अरब गीन मार्क हा गई । विश्व मे गिरावट के कारण विदेशो मे उनके मान की रापन भी नरद हो गई । नमीका गहू हुआ कि १९३२ में उनके निर्यात ५६ प्रतिशत

गिर गये और बेकारों की संख्या ६० लाख तक पहुँच गई। मार्च १९३० में चांसलर ब्रूनिंग द्वारा वचत व छूटनी करके सकट को रोकने का प्रयास विफल रहा। मई १९३१ में आस्ट्रियन बैंक 'क्रेडिट-आस्टाल्ट' को बैंक आफ इंग्लैंड द्वारा ६० लाख पाँड्र अभिमंत्रण दिये जाने के कारण दिवालियापन से बचा लिया गया। लेकिन जर्मनी के लोगों में इतना डर समा गया कि तीन सप्ताह के अन्दर रीश बैंक से १ अरब रीश मार्क निकाले जाने के कारण उसने अपने सोने के रिजर्व का ४१ प्रतिशत भाग खो दिया। ऐसी मकटकालीन स्थिति को देखते हुए अमरीका के राष्ट्रपति हूवर ने विश्व की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के लिए १ वर्ष की मुहलत का प्रस्ताव रखा। इस मुहलत की मुख्य बातें थी—(१) १ जुलाई १९३१ से ३० जून १९३२ तक सब अन्तर्संस्कारी कर्जों, क्षतिपूर्तियों को स्थगित किया जाय। (२) जर्मनी द्वारा बिना शर्त की क्षतिपूर्ति की अदायगी जारी रखी जाय। (३) १ जुलाई १९३३ से १० बराबर किश्तों में बचे हुए षपयों की अदायगी। (४) ऐसे छोटे राज्यों को कर्जें दिये जाय जिनकी आर्थिक स्थिति पर क्षतिपूर्ति अदायगी के होने से प्रभाव पडा है। (५) इस बात का गारंटी दी जाय कि मुहलत के कारण जर्मनी द्वारा बचाया गया धन केवल आर्थिक मामलों में ही प्रयोग किया जाय। यह योजना १ जुलाई १९३१ को लागू की गइ जब कि रीश बैंक समाप्त होने ही वाला था। एक सप्ताह बाद प्रसिद्ध "डार्मस्टेड अण्ड "नैशनल बैंक" ने भुगतान बन्द कर दिया। अगले दिन सरकार ने स्थाई रूप से सब जर्मन बैंकों को बन्द कर दिया। लंदन सम्मेलन में जर्मनी में आर्थिक सकट समाप्त करने के सतत प्रयत्न के बाद अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से समिति की रिपोर्ट पर एक स्थायी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसने ६ मास के लिये सब लाभ प्रदान किये।

लौजान सम्मेलन

नवम्बर १९३१ में चांसलर ब्रूनिंग ने घोषणा की कि गम्भीर आर्थिक स्थिति के कारण जर्मनी क्षतिपूर्ति की अदायगी नहीं कर सकता। इसी बीच ब्रिटेन में आर्थिक सकटों से होकर गुजर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि लौजान में एक दूसरा क्षतिपूर्ति सम्मेलन करने का निश्चय किया गया। विश्व को आर्थिक सकटों से मुक्त करने के प्रयास में सम्मेलन १६ जून १९३२ को लौजान में आरम्भ हुआ। कार्य दिनों की बहम के बाद जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान जर्मन से कुल १५ करोड पाँड्र लेकर भारी क्षतिपूर्ति को छोड देने के लिये राजी हो गये। य राशि ५ प्रतिशत ब्रीड के रूप में अदा करने को कहा गया। शर्त के अनुसार तीन मास के बाद ब्रीडों को खुले बाजार में बेचा जा सकता था। ऐसा न होने पर १ वर्ष के बाद वे रद्द हो जायेंगे। दूसरे शर्तों में क्षतिपूर्ति को पूर्ण रूप से समाप्त करना था। लौजान सम्मेलन असफल हो गया, क्योंकि इसे कई बड़े राष्ट्रों का समर्थन

प्राप्त नहीं था। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी ने उसके वाद मित्रराष्ट्रों को क्षतिपूर्ति देना अस्वीकार कर दिया। जर्मनी की नाजी पार्टी के नेता हिटलर ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी कि जर्मनी ने नारी क्षतिपूर्ति अदा कर दी है और वह आगे किसी प्रकार की रकम अदा करने को तैयार नहीं है। इन तरह से क्षतिपूर्ति समस्या हल हुई।

मित्रराष्ट्रीय युद्ध-ऋण

प्रथम विश्व युद्ध में अमरीका ने मित्रराष्ट्र गुट के २० राष्ट्रों को दो प्रतिशत की दर पर १०३४ अरब डालर ऋण दिया था। १९२२ में अमरीका ने नूद के अदा करने वाले कर्जदारों में ऋण वसूल करने के लिए एक विश्व-युद्ध विदेशी कर्ज कमीशन की नियुक्ति की। कमीशन के हस्तक्षेप करने पर निर्णय हुआ कि कर्जदार ६२ किशतों में ऋण वापस कर देंगे। १९२३ से १९३० तक कर्जदार राष्ट्र नियमानुसार किशन में ऋण अदा करते रहे। यह राशि उन्होंने उसी रकम से दी जो उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी ने प्राप्त हुई थी। हूवर प्रस्ताव ने १९३१-३२ में मित्रराष्ट्रों को क्षतिपूर्ति मिलनी रुक गई। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के चुनाव के बाद १९३२ में फ्राम और ब्रिटेन ने उनमें अनुरोध किया कि वह मित्रराष्ट्रों को अमरीका ने युद्ध-काल में मिले ऋण के मामलों में हस्तक्षेप करे किन्तु रूजवेल्ट ने ऐसा करने में इन्कार कर दिया। इस तरह कर्ज का प्रश्न अनिर्णित ही रहा। १९३३ में ब्रिटेन ने अमरीका को एक करोड़ डालर चांदी में आर्केतिक अदायगी के रूप अदा किये किन्तु अन्य कर्जदारों ने अदायगी नहीं की। केवल फिनलैंड ही ऐसा था जिसने मात्र कर्ज अदा किया। १९३४ में अमरीका ने आर्केतिक अदायगी को रद्द कर दिया। उन पर कर्जदारों ने किशतों का अदा करना बन्द कर दिया।

विश्व आर्थिक सम्मेलन

बीजान सम्मेलन ने आगामी वर्ष एक विश्व आर्थिक सम्मेलन बुलान का निर्णय किया। अमरीका ने निमन्त्रण का जवाब दिया कि वह सम्मेलन में उसी शक्ति में शामिल हो सकता है यदि उनमें अन्तर्राष्ट्रीय कर्ज के मामले पर विचार न किया जाय। ६ जून १९३३ में भयंकर आर्थिक नाश की समस्या पर विचार करने के लिए लन्दन में ६७ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का बैठक हुई। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति अपनी भयंकर हो गई कि परस्पर मिल कर उसे सम्भालना जरूरी हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ६० प्रतिशत कम हो गया, वैदिकों की सन्धा तीन करोड़ तक घट गई और इसके साथ ही कई देशों में राष्ट्रीय श्राव ४० प्रतिशत घट गई। लन्दन के सम्मेलन में यूरोपियन देशों (फ्रान्स, उन्नी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड) ने मिल कर स्वयं गुट बनाया और इन बात पर जोर दिया कि मुद्रा की हानि मुद्रा बनाने

के लिए तटकर में कमी की जाय और व्यापारिक रुकावटें समाप्त की जाय। लेकिन अमरीका ने स्वर्ण की उपेक्षा करते हुए पुनर्निर्माण योजना नीति अपना ली। इस नीति से उसका उद्देश्य डालर के मूल्य को घटा कर वस्तुओं के दाम बढ़ा देने का था। मुद्रा प्रश्न पर कोई समझौता न हो सकने के कारण सम्मेलन आर्थिक खीचा तानी को समाप्त करने में असफल रहा। २७ जुलाई १९३३ को यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस तरह आर्थिक और राजनैतिक दोनों दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करने का प्रयास असफल रहा।

नवीन आर्थिक नीति

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, व्यापार तथा मालों के सरलता से आदान-प्रदान में बाधा के कई कारण थे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाले सबसे बड़े कारण तटकर रुकावटें थी जो नये गणतन्त्रों के बनने से धीरे भी मजबूत बन गईं। दूसरा—कोटा व्यवस्था का जारी होना था। इससे निर्यात पर नियंत्रण कायम हो गया। तीसरा—परस्पर लेन-देन की व्यवस्था। इससे जो देश जितना माल निर्यात करता था उतना ही माल उसे उस देश से आयात भी करना पड़ता था, जिससे आयात और निर्यात का संतुलन कायम रह सके। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वच्छन्द रूप में चलने में बाधा उपस्थित हो गई। चौथा—यह कि माल के बदले माल लेने से व्यापार विकसित नहीं हो पाया। पाचवा कारण जो व्यापार में बाधा बना यह था कि रकम के निर्यात पर कई राज्यों द्वारा लागू किये गये नियंत्रण थे। इसमें माल की मांग और सप्लाई व्यवस्था विलकुल बेकार हो गई और व्यापारिक स्वतन्त्रता समाप्त हो गई। छठा—मुद्रा के अदला-बदली मूल्य में गिरावट आ जाना। सातवाँ—अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता लेन-देन बन्द हो जाना। आठवाँ—राष्ट्रों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाना जिससे व्यापार की प्रगति में बाधा उपस्थित हो गयी।

इन सब कारणों का प्रभाव यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग कायम न हो सका और देशों को अपने-अपने माधनों पर निर्भर रहना पड़ा। १९३६ में जब ४ वर्षीय योजना लागू की गई तो तीसरी जमान सरकार की रीश ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई। इसका नाग 'मक बन वी जगह बढ़क' था। आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के उद्देश्य के पीछे मतलब था घरेलू प्रयोग के लिये कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ाना। बाहर से आयात होने वाली वस्तुओं की जगह बनावटी माल तैयार किये गये जिसमें कि विदेशी माल की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस सम्बन्ध में नये आविष्कार किये गये। विदेशों में आयात को रोकने के लिए नये विम्प के ऊन और खड तैयार किये गये। कोयले से तरल पदार्थ निकाला गया

जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता था। अन्न के आयात को बन्द करने के लिए बेकार जमीनों को खेती योग्य बनाया गया तथा आलू और चीनी का उत्पादन बढ़ा दिया गया। उसका फल यह हुआ कि बेकारी समाप्त हो गई। रैनिफिकरण का पुनरुत्थान होने लगा। जर्मनी को घमंड था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ने जर्मनी को केवल आर्थिक दृष्टि में मजबूत हो जायगा वल्कि युद्ध के समय कम से कम ३० वर्षों तक आर्थिक तालेबन्दी का मुकाबला कर सकेगा। उदारी में फामिसवाद के जागने से जर्मनी की तरह स्थिति पैदा हो गई। १९३६ में जब अविनीनिया का युद्ध चल रहा था मुसोलिनी ने घोषणा की कि "आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनैतिक आजादी नहीं मानी जा सकती।" उदारी के पास पेट्रोल, रबर तथा अच्छे किस्म के कोयले जैसे कच्चे माल का अभाव था। दूसरी तरफ उनके पास ऊन का उत्पादन इतना नहीं था कि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अपनी मांग को पूरा करने के लिये उगने बनावटी किस्म का माल बनाना आरम्भ किया। अन्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिये उसने गेहूँ उत्पादन मात्रा काफी बढ़ा दी। इसका नतीजा यह हुआ कि अन्न के अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन पर आधारित विश्व आर्थिक व्यवस्था के विपन्न प्रतिक्रियाएँ शुरू हो गईं। इसके अतिरिक्त कच्चे माल के समान वितरण तथा अतिरिक्त आवादी के लिए वस्तुतः तथा उपनिवेशों की व्यवस्था करने सम्बन्धी समस्याएँ उठ खड़ी हुईं जिससे यूरोपीय देशों के भावी सम्बन्ध और भी अधिक खराब हो गये।

सिंहावलोकन--वाम्बव में उस काल में राजनैतिक और आर्थिक तत्वों का परस्पर सम्बन्ध इतना उत्तम हुआ था कि कारण और प्रभाव का पता लगाना बड़ा कठिन था। यह कहना मुश्किल था कि राजनैतिक सुरक्षा ही जिसने राष्ट्रों में परस्पर सहयोग तथा निष्पक्षीकरण कायम होने में रुकावट पैदा हुई आर्थिक संकट का कारण था या अर्थिक अशुद्धता के कारण वे एक दूसरे के समीप न आ सके। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् आर्थिक राष्ट्रीयता ने यूरोप के प्रमुख राज्यों में राजनैतिक राष्ट्रीयता के साथ-साथ उग्र हार धारण किया और द्वितीय महायुद्ध (१९३९) में परिणत हुआ। प्रतिद्वन्द्व लेखक टायनरों के शब्दों में यह कहना यतिगोपित नहीं कि प्रत्येक राष्ट्र ने जितने प्रयोग ने आर्थिक और व्यापारिक रुकावटों को दूर करना सम्मानपूर्वक समझा। अन्त में विश्व के विभिन्न राष्ट्र आर्थिक जीवन को जटिल समस्याओं को हल करने के लिए प्राचीन अन्न तन्वार का प्रयोग करने के लिए बाध्य हुए।

व्याख्यान ५

सुरक्षा की खोज में

विषय प्रवेश—राष्ट्रसंघ के समक्ष शस्त्रीकरण का विघटन करना सबसे गम्भीर और उलझी हुई समस्या थी। राष्ट्रसंघ के सदस्यों का कहना था कि शांति स्थापना के लिए शस्त्रीकरण को कम करके इस स्तर पर ला दिया जाय कि उसमें केवल राज्य की रक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी तौर पर शस्त्रों का निर्माण बिल्कुल रोक दिया जाय। किन्तु शस्त्रीकरण समस्या ऐसी थी कि इसमें सारे राजनैतिक सम्बन्ध निहित थे। राष्ट्रों में शांति स्थापना के प्रति विश्वास का न केवल अभाव था बल्कि विश्व के राजनैतिक सम्बन्ध इतने विगड़ गये थे कि सारे राष्ट्र अपने को अमुरक्षित समझने लगे थे और इससे वे शस्त्रीकरण कम करने को तैयार नहीं थे। १९१९ से १९३९ के बीच सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रों में जो आधार-भूत मतभेद पैदा हुए, उससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था भग हुई, हालांकि वे दूसरा विश्व युद्ध बिल्कुल नहीं चाहते थे। किन्तु उनके सामने प्रश्न था कि युद्ध कैसे रोका जाय तथा अपने को किस तरह सुरक्षित बनाया जाय। इसका नतीजा यह हुआ कि जहाँ एक देश ने अपनी सुरक्षा का कदम उठाया तो वह दूसरे देश के लिए असुरक्षा का विषय बन गया। इस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का इतिहास एक ऐसा काल था जब परस्पर मैत्री और गारंटी का निरंतर प्रयास होता रहा।

सुरक्षा मैत्री व्यवस्था (१९२०-१९२७)

यूरोपीय मामलों में मचने महत्वपूर्ण और भिन्न दर्द का विषय फ्रांस की मांग बनी हुई थी जिनमें वह बार-बार सुरक्षा की मांग करता रहा। फ्रांस का अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लेने का केवल एक ही उद्देश्य था कि फ्रांस को जर्मनी के पुनः आक्रमण से बचाने की व्यवस्था की जाय। यहाँ तक कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी फ्रांसीसी राजनीतिज्ञों का कहना था कि जर्मनी अभी भी सैनिक दृष्टि से फ्रांस से अधिक शक्तिशाली है। उनका यह भी कहना था कि जर्मनी की आवादी अभी भी यूरोप के किमी भी राज्य में अधिक ही है। फ्रांस को भय था कि उसकी आवादी में यदि तनिक भी गिरावट हुई तो वह जर्मनी के मुँह का ग्राम बन जायगा।

जर्मनी की ताकत तोड़कर भावी आक्रमण में फ्रांस को मुक्त कराने के लिये पेरिन शान्ति कांग्रेस में फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने मांग की कि राइन नदी का पश्चिमी

फ्रान्स के अधिकार में दे दिया जाय। किन्तु अमरीकी प्रेसीडेंट विलसन और ब्रिटिश न मंत्री लायड जार्ज ने फ्रान्सीसी सीमा राजन नदी तक बढ़ाने देने में इन्कार कर ।। उनका कहना था कि जर्मने जर्मनी अपनी ५० लाख जनता में बचिन रह गा। काफी गरम बगह के बाद फ्रान्स अपनी सुरक्षा सम्बन्धी निम्न बातों पर राजी गया (१) भावी जर्मन आक्रमण में फ्रान्स की सुरक्षा तथा राजन नदी के पश्चिमी पर मित्रराष्ट्रीय सेना का १५ वर्ष तक अधिकार रहेगा। (२) राजन क्षेत्र में पूर्ण-से विनियमन और (३) तीन दलों की सधि की जाय कि फ्रान्स पर जर्मनी के आक्रमण होने की हानत में ब्रिटेन और अमरीका फ्रान्स की सहायता करेंगे। किन्तु रीका द्वारा पेरिस में हुई सधियों पर हस्ताक्षर करने में अस्वीकार कर देने में । तीन दलों की सधि अप्रभावशाली और बेकार सिद्ध हुई क्योंकि उसमें ब्रिटेन भाग लेना अमरीका के साने पर ही निर्भर था।

अन्त में फ्रान्स को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिये छोटे राष्ट्रों की शोर ना पडा। उस शोर पहला कदम जो फ्रान्स ने उठाया वह बेल्जियम के साथ सम्मना करना था। यह सम्मनना ७ नितम्बर १९२० में हुआ। यद्यपि यह सम्मनना टुमस में दर्ज करा दिया गया था किन्तु इसकी महत्वपूर्ण गतें गुप्त रखी गई। तु फिर भी यह साफ प्रकट किया कि फ्रान्स और बेल्जियम जर्मनी के आक्रमण से नी रक्षा के लिये नैतिक दृष्टि में एक हो गये हं। उसी बीच फ्रान्स ने पोलैंड में शेविकों ने रक्षा के लिये वहा एक नैतिक शिष्टमंडल भेजा। उसके बाद १६ वरी १९२६ को फ्रान्स और पोलैंड में सधि हुई। दोनों देशों में सम्मनना हुआ कि इसी आक्रमण में अपनी रक्षा में वे एक दूसरे का साथ देंगे। १९२२ में इस सधि की ट हुई और वह १९३२ में १० वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई। उक्त दो सधियों सान को यह लाभ हुआ कि यदि जर्मनी ने उस पर हमला किया तो पश्चिम में जयम और पूर्व में पोलैंड ने उसे सहायता मिलेगी।

किन्तु उनके पर भी फ्रान्सीसी नेताओं को सतोष नहीं हुआ और ब्रिटेन के सधि करने का उदादा किया। दिनम्बर १९२१ में फ्रान्स ने बेट ब्रिटेन के साथ निश्चित राजनैतिक सम्मनना करने का प्रस्ताव रखा। बातचीत में पहले तो उन ने अन्त में पडने में इन्कार कर दिया किन्तु बाद में फ्रान्सीसी प्रधानमन्त्री सॉ ने ब्रिटेन को एक सधि करने के लिये राजी कर ही किया जिसकी शर्तों में सधि १५ वर्ष रखी गई। उनके अनुसार निर्णय हुआ कि बिना किसी विवाद के जर्मनी ने स फ्रान्सीसी जर्मनी पर हमला किया तो ब्रिटेन फ्रान्स को नैतिक सहायता देगा। सम्मनना १२ जनवरी १९२३ को केनिंग में सम्मन हुआ। दूसरे दिन सधि की सन्मननी पर ने सजदूर होकर स्वागत देना पडा। उनके सान पर स्वागत

प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। यह ब्रिगों से अधिक गरम मिजाज के थे। इन्होंने माग की कि ब्रिटेन के साथ जो समझौता हुआ है वह पारस्परिक सुरक्षा के आधार पर होना चाहिये। समझौता में फ्रांस 'सीसी जमीन' हटाकर 'फ्रांस' रखा जाय और यह समझौता टोस बनाया जाय तथा इसकी मियाद १० वर्ष से बढ़ाकर ३० वर्ष कर दी जाय। इस पर ब्रिटेन ने यह कहकर कि शायद दूसरे राष्ट्रों में ब्रिटेन के प्रति विरोधी भावना पैदा हो जाय सैनिक समझौता करने से इन्कार कर दिया। आखिर जून १९२० में जब क्षतिपूर्ति मामलो पर दोनों देशों में मतभेद उठ खड़ा हुआ तो उक्त समझौता बिल्कुल भंग हो गया।

वास्तव में रूस पर अधिकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ध्वंसाकार योजना का फल था। योजना का उद्देश्य प्रथम जर्मनी को क्षतिपूर्ति की अदायगी करने के लिये मजबूर करना था। दूसरे जर्मनी के औद्योगिक विकास में ऐसी अड़चन और बाधा खड़ी करनी थी जिससे कि आर्थिक दृष्टि में वह बिल्कुल कमजोर हो जाय। तीसरे यह कि राइन क्षेत्र में पृथक्वादी आंदोलन को प्रोत्साहित कर फ्रांस और जर्मनी के बीच एक कड़ी-राज्य कायम कर दिया जाय।

१९२०-२१ में चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा रूमानिया के बीच एक समझौता हुआ (त्रिगुट) जिसके अनुसार बिना किसी विवाद के आक्रमण होने पर सब मिलकर आक्रमण से प्रभावित देश की सैनिक सहायता करेंगे और यथापूर्व स्थिति बनाये रखने में एक दूसरे की मदद करेंगे। १९२२ में उक्त समझौता में पोलैंड भी आ गया। १९२३ में फ्रांस ने पोलैंड, यूगोस्लाविया तथा रूमानिया को कर्ज दिया जिससे कि वे उससे सैनिक सामान खरीद सकें। २५ जनवरी १९२४ को फ्राम और चेकोस्लोवाकिया में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि की शर्तों के अनुसार विदेशी नीति में सम्बन्धित मामलो पर दोनों देश एक दूसरे में परामर्श लेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसी प्रकार की संधि १९२६ में फ्रांस और रूमानिया तथा १९२७ में फ्राम और यूगोस्लाविया के बीच हुई। इस तरह फ्राम ने सुरक्षा के नाम पर यूरोप में एक नया आधिपत्य कायम किया। फ्रांस ने जर्मनी के सम्भावित भय का मामला करने के लिए यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत करली। फ्राम ने त्रिगुटानिया के विरुद्ध पोलैंड का, हंगरी और यूगोस्लाविया के विरुद्ध रूमानिया का साथ देना आरम्भ किया। इसमें सदेह नहीं कि फ्राम ने अपनी सुरक्षा के लिये यूरोप के ६ देशों के साथ विभिन्न प्रकार के समझौते कर लिये किन्तु ये समझौते फ्राम को बड़े महंगे पड़े क्योंकि जिन देशों के साथ उसने समझौता किया उन्हें उसे सदैव ऋण देना पड़ गया। इनके अनिश्चित उनकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय और अनिश्चित थी क्योंकि एक तो वे काफी छोटे थे और दूसरे उनके पास सैनिक साधन पर्याप्त नहीं थे। इस उक्त सुरक्षा समझौता के कारण फ्रांस के प्रति पूर्वी और पश्चिमी

यूरोप में सन्देह पैदा हो गया। इटली और जर्मनी को तो फ्रान्स के प्रति काफी मदद पैदा हो गया।

वैनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में फासिज्मवाद के उत्थान के साथ ही पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में भी होने लगे। यह फ्रांसीसी सुरक्षा व्यवस्था के लिये बड़ा घातक मित्र हुआ। २७ जनवरी १९२४ को इटली ने पेरिस शान्ति संधियों को कायम रखने के लिये यूगोस्लाविया के साथ संधि व सहयोग का एक पंचवर्षीय समझौता किया। उनके बाद इटली ने पूर्वी देशों को अपने साथ मिलाने के लिए चेकोस्लोवाकिया, रमानिया, हंगरी, तुर्की और यूनान के साथ संधि समझौते किये। इटली और अल्बानिया के बीच २७ नवम्बर १९२६ को हुई टिराना संधि के अनुसार इटली ने अल्बानिया को आधिकारिक सुविधायें प्रदान करने के हेतु उसे यथापूर्व राजनैतिक, कानूनी तथा प्रादेशिक अधिकार देने के लिये गारंटी दी। १९२७ में इटली ने अल्बानिया के साथ एक २० वर्ष का सुरक्षा समझौता किया। १९२६ में इटली और स्पेन के बीच तटस्थता सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उस तरह इटली ने फ्रांसीसी सुरक्षा मोर्चे के विरुद्ध अपने को हर तरह में मजबूत बना लिया।

उपर यूरोप के राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिये गठबंधन करने और अपनी ताकत बढ़ाने में व्यस्त थे तो उधर बाल्टिक राज्य भी उस मर्ज में बचिन न रह सका। शक्तिशाली यूरोपियन गुटों के निर्माण को देखा कर सोवियत सघ अपने हितों की रक्षा के लिये अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। १९२५ में रूस और तुर्की के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने का एक समझौता हुआ। निर्णय हुआ कि यदि किसी देश ने उनमें से किसी पर आक्रमण किया तो दूसरा तटस्थ रहेगा। अर्थ यह कि वे एक दूसरे पर न तो आक्रमण करेंगे और न आक्रमण करने वाले को सहायता देंगे। १९२६ में उसी प्रकार का एक समझौता रूस का जर्मनी के साथ भी हुआ। उसके तत्काल बाद लिथुआनिया, अष्टरानिस्तान तथा फारस के साथ रूस ने तटस्थता और परस्पर आक्रमण न करने सम्बन्धी समझौते किये।

उन प्रकार यूरोप पुनः तीन शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया। विभाजित गुटों का नेतृत्व फ्रान्स, इरान और सोवियत सघ के हाथ पड़ा।

अस्थायी नयुवन कमीशन

राष्ट्रमण्डल के प्रतिश्रव में उन बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि पेरिस प्रत्येक राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा उसकी परिस्थितियों को मटे नजर रखते हुए ही सन्धीकरण में विघटन की योजना बनायेंगे। योजनाओं के विभिन्न नरणाओं द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के बाद सन्धीकरण की निर्माण नीति बिना परिषद् की सम्मति के बटारि नहीं जा सकती। प्रतिश्रव के अनुसार निम्नो-

करण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के हेतु परिपद को आवश्यक सलाह देने के लिये एक स्थाई कमीशन की स्थापना भी करना था।

अनिवार्य निशस्त्रीकरण का आरम्भ उस समय हुआ जब जर्मनी, आस्ट्रिया, बल्गेरिया तथा हंगरी के साथ शांति संधि करके उन्हें अपनी सेना कम कर देने के लिये मजबूर कर दिया गया। विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण की ओर यह पहला कदम था। मई १९२० में राष्ट्रमन्त्री असेम्बली बैठक में शस्त्रीकरण की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक स्थाई परामर्शदातृ आयोग की स्थापना की गई। २५ फरवरी १९२१ को परिपद ने एम विवाजी की अध्यक्षता में एक अस्थाई सयुक्त कमीशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य शस्त्रीकरण के विघटन के आधारभूत सिद्धान्त को स्पष्ट करना था। १९२२ में कमीशन में ब्रिटिश प्रतिनिधि लार्ड इशर ने सुझाव रखा कि विभिन्न देशों में अनुपात के अनुसार सेना होनी चाहिये। यह सुझाव कुछ टैक्निकल कारणवश वाद में रद्द कर दिया गया। इसी बीच अस्थायी सयुक्त कमीशन ने विभिन्न देशों के शस्त्रीकरण सम्बन्धी आकड़े प्राप्त किये तथा सैनिक वज्रट और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएँ इकट्ठी की। कमीशन की उक्त रिपोर्ट पर राष्ट्रमन्त्री महासभा ने शस्त्रीकरण सम्बन्धी व्यय पर नियंत्रण लगाने की सिफारिश की।

पारस्परिक सहायता संधि का मसविदा

१९२२ में कमीशन के एक सदस्य लार्ड रावर्ट सिंसिल ने शस्त्रीकरण में विघटन के लिये ४ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिन्हें कमीशन ने निम्न रूप से स्वीकार किया शस्त्रीकरण के विघटन की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसे आम रूप न दे दिया जाय। विश्व की वर्तमान स्थिति में अधिकांश सरकारें शस्त्रीकरण में कमी नहीं कर सकती जब तक कि उनके राज्यों की रक्षा के लिये मन्तोपजनक गारंटी न हो। इस प्रकार की जो गारंटी हो वह आम अथवा मजबूती और में हो। यह गारंटी तभी मत्त मानी जायेगी जब तमाम सदस्य राष्ट्र अपने यहाँ शस्त्रीकरण में कमी करने के लिये निश्चित वायदे करें। राष्ट्रमन्त्री की तीसरी महासभा ने कमीशन में अनुरोध किया कि पारस्परिक सुरक्षा सम्बन्धी एक संधि का मसविदा तैयार करें। नतीजा यह हुआ कि पारस्परिक सुरक्षा सहायता सम्बन्धी दो मसविदे प्रस्तुत किये गये जिनमें से एक लार्ड सिंसिल और दूसरा कर्नल रेडिवन का था। संधि के मसविदे में कहा गया था कि (१) संधि पर हस्ताक्षर करने वालों को आग्रामन देना पड़ेगा कि उनमें से किसी पर आक्रमण होने पर बाकी हस्ताक्षरकर्ता देय उनकी सहायता करेंगे। (२) हस्ताक्षरकर्ता देश अपनी सुरक्षा के लिये परस्पर समझौता कर सकते हैं लेकिन इसकी शर्तें राष्ट्रमन्त्री के सचिवालय में पहले दर्ज करवा देनी होंगी। (३) आक्रमण की हालत में,

आक्रमणकारी कौन है उसका निर्णय राष्ट्रमण्डल परिषद् ही कर सकेगी। निर्णय के ४ दिन के भीतर ही राष्ट्रमण्डल यह भी निश्चय करेगा कि नधि के अन्तर्गत आक्रमण में पीड़ित राष्ट्र को सहायता दी जानी चाहिये कि नहीं। (४) ऐसे राज्यों को जो परिषद् द्वारा निर्धारित शस्त्रीकरण के अनुसार दो वर्ष के भीतर अपना शस्त्रीकरण सीमित नहीं कर पाये वे पारस्परिक सहायता पाने के अधिकारी नहीं होंगे। (५) नधि के अनुसार आक्रमणकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों का सारा व्यय आक्रमणकारी राज्य को सहन करना होगा।

नितम्बर १९२३ में राष्ट्रमण्डल की चौथी असेम्बली में उक्त मनविदा नधि निर्धारण स्वीकार कर ली गई और उसकी प्रतिष्ठा समस्त राष्ट्रों को प्रेषित कर दी गई। नधि पर प्राप्त उत्तरों से पता चला कि १८ राष्ट्रों ने जिनमें फ्रान्स, इटली और जापान भी हैं, सैद्धांतिक तौर पर नधि को स्वीकार कर लिया है और १२ राज्यों ने जिनमें ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका तथा रूस हैं, नधि को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। नधि को अस्वीकार करने वाले राज्यों की शिकायत थी कि नधि के मनविदे में आक्रमण की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है तथा आक्रमणकारी राज्य के साथ कठोर व्यवहार करने के लिये राष्ट्रमण्डल परिषद् को पर्याप्त अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। विरायी राज्यों का यह भी कहना था कि नधि स्थिर तथा विश्वनवीय नहीं जो कि शस्त्रीकरण में विघटन का आवश्यक आधार है।

जनेवा प्रोटोकॉल (समझौता)

नितम्बर १९२४ में ब्रिटेन और फ्रान्स के दानो समाजवादी प्रधान मंत्री—रायम मेरुडोनाल्ड तथा हेरियो—ने निशस्त्रीकरण, सुरक्षा तथा न्याय पर आधारित शस्त्रीकरण में विघटन सम्बन्धी एक नवयुक्त प्रस्ताव राष्ट्रमण्डल की पाँचवीं महामंडलीय असेम्बली में प्रस्तुत किया। उन प्रस्ताव के फलस्वरूप पोलिटीम तथा वेन्स ने प्रधान धर्म में अन्तर्राष्ट्रीय भंगों के निवृत्ति के लिये एक नधि का मनविदा तैयार किया। यह मनविदा २ अक्टूबर १९२४ को राष्ट्रमण्डल की असेम्बली में निर्धारण स्वीकार कर लिया गया। तथाकथित जनेवा नधि की प्रमुख बातें निम्न प्रकार थीं (१) आक्रमण अथवा युद्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय अणुगत है और प्रतिश्रुत हो पालन करने वाले देशों पर आक्रमण करना भारी अपराध होगा। (२) वैधानिक विवादों को अन्तर्राष्ट्रीय न्याय की स्थायी अदालत सुनवाईगी और राजनैतिक भंगों को राष्ट्रमण्डल परिषद् निवृत्त करेगी। (३) भंगों पर जितन समय न्यायालय अथवा परिषद् में विचार हो रहा हो उस काल में मैजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किया जा सकता। (४) जो राष्ट्र विवादामुक्त मामलों को न्यायालय में ही रखेगा अथवा जो न्यायालय के निर्णय को स्वीकार

पर दृढ़ रहेंगे। तब हुआ कि इस समझौते से वसयि सधि के अन्तर्गत हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जर्मनी के राष्ट्रसंघ का सदस्य होते ही यह समझौता लागू होगा और यह उस समय तक लागू रहेगा जब तक परिपक्व दो-तिहाई बहुमत से यह निश्चय न करले कि राष्ट्रसंघ उच्च समझौता वाले राष्ट्रों को पर्याप्त रक्षा का आश्वासन देता है।

(२) ४ पक्ष सधियों द्वारा राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से सब प्रकार के विवादों पर विश्व अदालत या किसी अन्य अदालत का फैसला शांतिपूर्वक मानना स्वीकार किया जो कि कूटनीति के सामान्य साधनों से नहीं सुलभ सकते थे। यह धारा उन विवादों पर लागू नहीं होती थी जो इन सधियों पर हस्ताक्षर होने से पूर्व उठे थे जैसे कि पोलैंड सीमा विवाद। (३) गारटी की सधियों के द्वारा यह तय किया गया कि यदि हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र लोकानों में की गई प्रतिज्ञायों का पालन करने में असमर्थ हो तो उनको एक दूसरे की सहायता शीघ्र करनी चाहिए, यदि इस असमर्थता के बाद भी शस्त्रों का प्रयोग होता हो। इन सधियों पर १ दिसम्बर १९२५ को हस्ताक्षर हुए।

लोकानों सधि की फ्रांस व जर्मनी में बड़ी प्रशंसा की गई और इसको विश्व-शांति के लिये एक बड़ा कदम बताया गया। इस समझौते की मुख्य कुँजी जर्मनी को राष्ट्रीय परिपक्व में स्थायी सीट मिलना था। इसके अतिरिक्त इससे राइन सीमा पर किसी भी जर्मन हमले के लिये फ्रांस को खतरा नहीं रहा लेकिन जर्मनी की पूर्वी सीमा की समस्या का समाधान नहीं हुआ। यद्यपि जर्मनी ने अपनी पूर्वी सीमा के विषय में किसी प्रकार की आक्रामक कार्यवाही करना अस्वीकार किया परन्तु उममें साथ-साथ उसका शांतिपूर्ण ढंग में हल भी ढूँढना चाहा। कार ने कहा था कि अधिक काल के लिये लोकानों सधि वर्साय सधि व प्रतिश्रव दोनों के लिये घातक थी। उमसे इन दोनों विचारधाराओं को प्रोत्साहन मिला कि वर्साय सधि में दवाव की कमी है। जब तक कि उमकी पुष्टि अन्य बातों में न की जाय और मरकारों से आशा नहीं की जा सकती कि वे उन मीमात्रों की रक्षा करेंगी जिनमें वे स्वयं दिलचस्पी नहीं रखती। किन्तु फिर भी लोकानों सधि ने यूरोप में शांति स्थापना में महत्वपूर्ण योग दिया।

त्रिया-कैलोग समझौता (पेरिस की सन्धि)

६ अप्रैल १९२७ को फ्रांसीसी विदेश मंत्री त्रिया ने मुझव दिया कि फ्रांस और अमरीका के बीच युद्ध न होने देने के लिए वह अमरीका के साथ पारस्परिक समझौता कर सकता है। दो माम के बाद त्रिया के उक्त मुझव को समझिदा सधि का रूप दिया गया जो अमरीका को भेद किया गया। सधि के अनुसार दोनों राष्ट्रों

को वायदा करना होगा तथा गरकागी तौर पर ऐलान करना होगा कि वे परस्पर युद्ध के लिये कभी कदम नहीं उठावेंगे और जो भी भगडा होगा उसे शांति पूर्ण तरीके से नुलभा लेंगे । ६ माम वाद अमरीकी विदेशी मंत्री फ्रक वी कैनोग ने नुभाव रपा कि द्विराष्ट्रो की नधि के बदले एक ऐसी नधि होनी चाहिए जिममें विष्व के ममस्त राष्ट्र शामिल हो सकें । आपने कहा कि ममस्त राष्ट्रों को एक दूसरे के समीप आ जाने से युद्ध का भय भी नमाप्त हो जायगा । काफी बहस के बाद कैनोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । इसके अनुसार सभी राष्ट्रों ने युद्ध से पृथक् रहने का वायदा किया । वे शस्त्र केवल उभी हालत में उठा सकते थे (१) जब उनकी अपनी सुरक्षा का खवाल हो (२) वे मधि का उल्लंघन करने वाले राज्य के विरुद्ध घसा उठा सकते थे (३) नधि को लागू करने के राने में उत्पन्न कभावटो के विरुद्ध हथियार उठा सकते थे (४) ब्रिटिश साम्राज्य के विष्व में कौने विभिन्न क्षेत्रों की आक्रमण से रक्षा के लिए युद्ध किया जा सकता था क्योंकि उनकी रक्षा करना शांति के लिए काफी महत्त्व की बात थी । राष्ट्रमध की सदस्यता के अन्तर्गत बोपी गई जिम्मेवारी को तायम राने तक नुजाय डग में चलाने के लिए विरोधी अथवा अउ-चम चलने वालों के विरुद्ध घस्त्र उठाना ।

७ अगस्त १९२८ को कर्ट दे ओर्म में १५ राज्यों के प्रतिनिधि एकजुट हुए और निम्नलिखित नधि पर हस्ताक्षर किये । यही ममभौता पेरिस की नधि के नाम से भी मशहूर हुआ । नधि की धाराएँ निम्न प्रकार थी (१) हम अपने देश की जनता की भलाई के लिए शान्तिपूर्ण ढग से निवटारे तथा परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जपय लेते हैं कि हम युद्ध से पृथक् रहेंगे और अनावश्यक तथा नधि की शर्तों के विरुद्ध कदम नहीं उठावेंगे । (२) परस्पर भगटे के निवटारे के लिए हम शान्तिपूर्ण तरीके का मशारा लेंगे । (३) वे राष्ट्र जो अपने राष्ट्रीय हितों के लिये आक्रमण करेंगे, उन्हें नधि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सुविधाएँ प्राप्त नहीं होंगी ।

पेरिस के ममभौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ मप्ताहो के भीतर ही ३० राज्य भी इसे स्वीकार करने को तैयार हो गये जिनमें म्म भी एक था । २४ जुलाई १९२९ को प्रिन्सेटन शहर में उक्त ममभौते को लागू किया और दो वर्ष के भीतर ६० देशों की न्योकृति प्राप्त हो गई ।

पेरिस की नधि अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में एक महत्त्वपूर्ण घटना है । प्रो० कार के शब्दों में 'इतिहास में यह प्रथम राजनीतिक ममभौता है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय ममभौता जो तब तक म्मता : ।' प्रो० शर्ले का कहना था कि नैतिक दृष्टि से भी इस नधि में एक नया ढग की मृष्टि हो है । पेरिस नधि केवल युद्ध का अन्तिम

करने का सकल्प मात्र ही नहीं था, अपितु यह एक ऐसा निर्णय था, जिसके अनुसार राष्ट्रसंघ के बाहर के राज्य-संयुक्त राष्ट्र और रूस---प्रत्यक्ष रूप से शांति के सामूहिक संगठन में भाग ले सकते थे।" परन्तु विचारशील व्यक्ति त्रिया-कैलोग संधि की दो महान कमी को अधिक प्रधानता देते हैं। प्रथम---केवल आक्रमणात्मक युद्ध का बहिष्कार किया गया था परन्तु कोई भी राज्य आत्म-रक्षा के नाम से युद्ध कर सकता था। इसलिए जिन राष्ट्रों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये थे, वे भी बिना युद्ध घोषणा किये लड़ने लगे---जैसा १९३१ में जापान ने चीन में किया। दूसरा---इस संधि को प्रयोग करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। चिरशान्ति का युग केवल एक महान सकल्प मात्र था। शूमैन के शब्दों में "यदि कोई हस्ताक्षरकारी राज्य ने इस संधि को भंग किया तो दूसरे सब उसमें मुक्त हो जाते थे।" आश्चर्य का विषय तो यह था कि यद्यपि संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने इस समझौते का अनुमोदन किया था फिर भी उसने एक विशेष विल पास करके अमरीकी नौ शक्ति को दुगुना कर दिया।

निशस्त्रीकरण की समस्या

कैलोग समझौता बिल्कुल भूटा और घोखा सिद्ध हुआ और सुरक्षा समस्या को हल करने का दूसरा उपाय केवल राष्ट्रीय शस्त्रीकरण का मतुलन था। हम यह देख चुके हैं कि---प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी निशस्त्रीकरण का प्रभाव विद्वव्यापी नहीं था। फ्रान ने निशस्त्रीकरण आंदोलन के अन्तर्गत अपनी सेना ५० प्रतिशत कम कर दी यही नहीं बल्कि उसने मैनिको की सर्विस अवधि तीन वर्ष से घटा कर डेढ़ वर्ष कर दी। उस के साथ ही इटली ने भी अपनी सेना में कटौती कर दी और जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी तथा बल्गेरिया की पैनिक ताकत तो प्रायः बिल्कुल ही खत्म कर दी गई। निशस्त्रीकरण के बाद रूस, अमरीका, ब्रिटेन और जापान ने धीरे धीरे अपनी मैनिक शक्ति बढ़ाना आरम्भ कर दी। इसमें उनमें परस्पर शत्रुता और भय पैदा होने लगा। शस्त्रीकरण की इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को रोकने के लिए १९१९-२० की शांति-संधियों का आश्रय लिया गया जिससे विजयी राष्ट्रों ने शस्त्रीकरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया। किन्तु निशस्त्रीकरण को मानने में सभी राष्ट्र अपने लिए भय समझते थे। उनकी वहम थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शस्त्रीकरण बहुत जरूरी है। इस हालत में यही तय हुआ कि जिस राष्ट्र के पास जितनी सेना है उसमें अत्र वृद्धि न की जाय।

वाशिंगटन नौ-सम्मेलन

नौ शस्त्रीकरण की नीमा निर्धारित करने के लिए १९२१-२२ की शरद ऋतु में वाशिंगटन में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। फरवरी १९२२ में

अमरीका, ब्रिटेन, जापान, फ्रान्स तथा इटली में एक पाँच राष्ट्रों की सधि पर हस्ता-
 धर हुए। सन्धि के अनुसार (१) अमरीका को १८ लडाकू जहाज, ब्रिटेन को २०,
 फ्रांस, जापान और इटली प्रत्येक को १० जहाज रखने का अधिकार मिला। (२)
 विमान के होने वाले जहाजों पर नियन्त्रण लगा दिया गया। (३) १० वर्षों तक
 लडाकू जहाजों का निर्माण बन्द कर दिया गया तथा पुराने जहाजों की जगह नये
 जहाज तभी तैयार किए जा सकेंगे ये जब पुराने जहाजों की उम्र ७० वर्ष पूरी हो
 चुकी हो। (४) युद्ध पोतों का अनुपात निम्न प्रकार से निर्धारित कर दिया गया
 ब्रिटेन ५, अमरीका ५, जापान ३, फ्रान्स १ ६७ टन का युद्धपोत रख सकते हैं।
 यद्यपि फ्रान्स ने ब्रिटेन के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने में इन्कार कर दिया जिसमें
 कहा गया था कि युद्ध काल में पनडुब्बियों के प्रयोग पर नियन्त्रण लगा दिया जाय।
 एकर ब्रिटेन ने शिकायत की कि फ्रान्स मँगिया जहाज तैयार करने की ओर कदम
 उठा रहा है।

जनेवा सम्मेलन

पाँच मान के बाद अमरीकी प्रेसीडेंट काल्विन कूलिज ने लडाकू विध्वंसक
 जहाज तथा पनडुब्बियों का निर्माण सीमित करने के लिये उक्त पाँचों राष्ट्रों का
 एक सम्मेलन बुलाया। ब्रिटेन और जापान ने अमरीकी प्रस्ताव को स्वीकार किया
 किन्तु फ्रान्स और इटली ने अस्वीकार कर दिया। २० जून १९२७ को जनेवा में तीन
 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। अमरीका ने मुनाब दिया कि ब्रिटेन और अमरीका ४-४
 लाख टन के युद्धपोत रख सकते हैं जिसमें से २५ बड़े जहाज और २० छोटे जहाज
 होंगे। ब्रिटेन ने कहा कि ७० युद्धपोत से कम से कम का काम नहीं चल सकता
 क्योंकि उसे समस्त सिद्ध से रक्षर मगानी पडती है। किन्तु अमरीका और ब्रिटेन में
 परस्पर इतना मतभेद पैदा हुआ कि सम्मेलन अतिशय भंग हो गया। १९२९ में
 अमरीकी कांग्रेस ने नये विमान उड़ाने वाले जहाजों के निर्माण सम्बन्धी एक बिल
 को पास कर दिया।

नवम नीतिगत सधि

जनवरी १९३० में पाँच बड़ी नीतिगत शक्तियों, ब्रिटेन, फ्रान्स, अमरीका,
 इटली और जापान का नवम में एक सम्मेलन हुआ। तीन मान तथा लगभग बहम
 के बाद एक सधि ही नहीं जिस पर २२ संधि के उक्त पाँचों राष्ट्रों के हस्ताक्षर
 हुए। संधि के दो भाग थे। प्रथम भाग में उक्त पाँचों राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया
 जा चुका था उसमें ब्रिटेन जहाजों पर नियन्त्रण था। १९२२ की वार्सो-गवटन सधि
 द्वारा निर्धारित विमान शक्ति का अनुपात ५ बिलियन सम्मेलनों का
 उल्लेख था। दूसरे भाग जिस पर केवल ब्रिटेन अमरीका और जापान ने हस्ताक्षर

लिये थे उसमें उक्त देशों के युद्धपोतों की संख्या में क्रमशः ५, ३ और २ जहाज कम कर देने का उल्लेख था। संधि के अनुसार युद्धपोतों की संख्या में उक्त कमी १९३६ की जगह १९३३ से पहले कर देनी थी। स्मरण रहे कि १९२२ के वाशिंगटन सम्मेलन में तय हुआ था कि उक्त कमी १९३६ तक कर देनी चाहिये। दस हजार टन के युद्धपोतों के बारे में निर्णय हुआ कि हस्ताक्षरकर्त्ता तीन देश अमरीका, ब्रिटेन और जापान क्रमशः १८, १५ और १२ युद्धपोत अपने पास रख सकते हैं। संधि की एक सुरक्षा धारा में कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में पड़ने की स्थिति में उक्त राष्ट्र आवश्यक सूचना देकर अपने युद्धपोतों की संख्या में वृद्धि कर सकेंगे। संधि १ जनवरी १९३१ को लागू कर दी गई। १९३४ में जापान ने अमरीका को नोटिस दिया, कि उसे अमरीका और ब्रिटेन की तुलना में समान नौसैनिक सुविधा दी जाय अन्यथा वह उक्त संधियों को आगे स्वीकार नहीं करेगा। १८ जून १९३५ को ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एक नौसैनिक संधि पर हस्ताक्षर किये। इस संधि के अनुसार जर्मनी को ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति के ३५ प्रतिशत के बराबर नौसैनिक रखने का अधिकार दिया गया। इस तरह वर्साय संधि द्वारा जर्मनी पर जारी किया गया नौसैनिक शक्ति सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा दिया गया। २५ मार्च १९३६ को फ्रांस, अमरीका और ब्रिटेन के बीच एक नई नौसैनिक संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि के अनुसार उक्त तीनों राष्ट्रों के पास केपिटल जहाज ३५ हजार टन, विमान वाहक जहाज २३ हजार टन, हल्के युद्धपोत ८ हजार टन और पनडुब्बी जहाज २ हजार टन तक सीमित कर दिये गये।

१९३७ के प्रारम्भ में जापान नौसैनिक शक्ति संग्रह करने के सम्बन्ध में विलकुल स्वतंत्र हो गया। उसने अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ानी प्रारम्भ कर दी। यह देख कर ब्रिटेन और अमरीका ने भी अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भयकर दौर प्रारम्भ हो गया।

सेनाओं के लिए राष्ट्रसंघ का कमीशन

१९२५ में राष्ट्रसंघ की परिषद् ने निराश्रीकरण समस्या का अध्ययन करने तथा इसके लिए एक सम्मेलन बुलाने पर विचार करने के लिये एक प्रारम्भिक आयोग की स्थापना की। कमीशन ने आद्वयिक अध्ययन के बाद बताया कि उक्त समस्या राजनैतिक और टैक्निकल दोनों दृष्टि से जटिल है। पांच वर्षों तक कठिन परिश्रम के बाद कमीशन ने संधि का एक मसविदा तैयार किया। संधि के अनुसार घन, जन और नभ सेनाओं में सैनिकों की संख्या, सैनिक सेवा की अवधि, सेना पर व्यय में कमी करना तथा जहरीले गैसों के प्रयोग पर पाबन्दी का उल्लेख था। इसके

अतिरिक्त नियन्त्रीकरण सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए एक स्थायी कमीशन की नियुक्ति करना भी था।

शाम नियन्त्रीकरण सम्मेलन

फरवरी १९३२ में नियन्त्रीकरण सम्मेलन आर्यर हेन्डरसन की अध्यक्षता में जनेवा में हुआ। इसमें ५७ राज्यों के २३२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल महाविदा संधि पर विचार करना था बल्कि प्रत्येक राष्ट्र की सेना की शक्ति और उसके खर्च को निःशस्त्रीकरण के अन्तर्गत सीमित करना था। उसमें सदेह नहीं कि यह काम बड़ा जटिल था क्योंकि फ्रांस और जर्मनी में उस विषय पर काफी मतभेद था। फ्रांसीसी प्रतिनिधि अड्रे टाडियू ने सुझाव दिया कि एक अन्तर्राष्ट्रीय पुनित सेना कायम की जाय जो नियन्त्रीकरण कानून को तोड़ने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करे और आवश्यक दण्ड दे। सदस्य राष्ट्रों के वे हथियार अथवा साधन जिनमें आक्रमण का खतरा हो जैसे युद्धपोत, पनडुब्बी तथा बम-बर्षक विमान राष्ट्रमध्य के नियन्त्रण में कर दिए जाय। जर्मन, अमरीकी तथा ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने उन फ्रांसीसी प्रस्ताव का विरोध किया। इसमें गतिरोध पैदा हो गया। अक्टूबर १९३३ में जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में सम्मेलन से अलग हो गया और उसी के साथ ही उसने राष्ट्रमध्य ने अपना नग्न विच्छेद करने सम्बन्धी नोटिस भी राष्ट्रमध्य को भेज दिया। जर्मनी ने कारण में लिया चू कि राष्ट्रमध्य के सदस्य जर्मनी का समानता का अधिकार भीपने के पक्ष में नहीं इसलिए ऐसी नस्था में रहना व्यर्थ है। अन्त में मई १९३४ में सम्मेलन बिना किसी सफलता के भंग हो गया। उसके भंग होते ही फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने अपनी सुरक्षा सेना पर व्यय के लिए बजट में सुरक्षा कोष बचा दिया।

निष्कर्ष

नियन्त्रीकरण की धौंड को रोकने के लिये जनेवा में किए गए प्रयास के विफल होने के साथ ही वार्सा-गठन और तदन के नौ-समझौते भी भंग हो गए। नियन्त्रीकरण के शाम सीमांतरण का जहाँ सामंता था वहाँ जर्मनी तमाम नैतिक नियतों ने मुक्त होकर नैतिक नगठन करने लगा। उसने ऐसा ही तदम अन्य राष्ट्रों से भी उठाने को कहा। जर्मनी की उन प्रचार की हरकत को देखकर अन्य राष्ट्रों में भारी आशंका का भय पैदा हो गया और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने को शक्तिशाली बनाने तथा पड़ोसी राज्यों से समझौता और सन्धि करना मुक्त कर दिया। उन हालात में नियन्त्रीकरण की प्रामा शोभन हो गई और आशंका का भय बड़ पगुने लगा जिसका सतीका हमरा दिव्य युद्ध हुआ।

व्याख्यान ६

द्वितीय विश्व युद्ध

विषय प्रवेश—अरिसटोटल का कहना है कि राजनैतिक आन्दोलन छोटी घटनाओं से ही पनपते हैं किन्तु उनके पीछे बड़े गहरे कारण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से यद्यपि डानजिग पर जर्मनी का आक्रमण मावारण घटना थी और यूरोप के राष्ट्र उसे विना युद्ध किये शांत कर सकते थे किंतु वे शान्तिपूर्ण समझौता कराने में असफल रहे। इसमें प्रतीत होता है कि इस घटना के पीछे कुछ ऐसे शक्तिशाली कारण थे जिन्हें यूरोपीय राष्ट्र सुलभाने में असमर्थ रहे।

वास्तव में १९३९ की लड़ाई का उत्तरदायित्व जर्मनी पर ही है। कुछ जर्मन लेखकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। सच बात तो यह है कि जर्मन फ्यूरेर काफ़ी दिनों से यूरोप में जर्मन आधिपत्य कायम करने की योजना बनाता चला आ रहा था। १९३९ में उसे अपनी योजना को क्रियान्वित करने का अच्छा मौका मिला और उसने आक्रमण आरम्भ कर दिया।

जर्मनी का उत्थान

१९३३ के बाद एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मन शक्ति के पुनरुत्थान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी खलबली मची हुई थी। शूमैन का कहना था कि 'जर्मनी का इतिहास एक अक्षर 'ह' (एच) हिटलर से आरम्भ हुआ और चार 'ह' (एच) हर्मन, होहेनस्टोफेन, हैप्पेवर्ज, होहेनजालन और हिटलर ने जर्मन शासन को बलाया और माद में एक 'ह' हिटलर में ही वह समाप्त हो गया।'

जर्मन पुनरुत्थान के अंतिम नेता का वर्णन गयोर्न हार्डी ने इस प्रकार किया है: "वह अत्यन्त आभारण अथवा हास्यास्पद शक्ति का था। अपनी प्रारम्भिक अवस्था में वह लगातार अमफल रहा। वह अत्यन्त भावुक तथा अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति था। उमंगी शिक्षा बहुत कम थी तथा उसके विचार मौलिक अथवा नये नहीं थे किन्तु उसकी सफलता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उसमें राजनीतिज्ञ अथवा नेता के गुण अनाभारण मात्रा में थे। यदि हम उसकी इमानदारी व मानवता आदि गुणों के अभाव की ओर ध्यान न दें तथा उसकी भयकर शूलों की अवहेलना करे क्योंकि बुद्धिमान ने बुद्धिमान मनुष्य भी भूतों ने वञ्चित नहीं तो हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि उसमें वास्तविक प्रज्ञता के गुण थे चाहे उसकी प्रज्ञा

आनुगी ही क्यों न हो। बिना वास्तविक महात्मता के यह नभव नहीं था कि वह राजनीतिज्ञों तथा मंत्रियों की आज्ञाकारीना एव स्वामीभक्तित्व प्राप्त कर लेता। जर्मन जनता पर उमका प्रभाव तो और भी अधिक था।"

एडोल्फ हिटलर व्यवसाय न राजगीर था। सन् १९१६ के युद्ध के पश्चात् उसने राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के प्रचारक के रूप में अपना राजनीतिक जीवन आरम्भ किया। सन् १९२३ में स्तुट्टी की शरण की भट्टी में आन्दोलन करने के फलस्वरूप उसे बवेरिया जेल में भेजा गया। जेल में हिटलर ने 'मीनकम्फ' अथवा 'मेरा सपना' नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने बहुमत पर आधारित पालियामेंट पद्धति का विरोध किया। उसने कहा जर्मनी वास्तव में ऐसा प्रजातन्त्र होगा जो स्वतन्त्र रूप में अपना नेता चुनेगा। उसके अनुसार प्रत्येक प्रश्न पर बहुमत की स्वीकृति न लेकर केवल एक व्यक्ति (नेता) की स्वीकृति में कार्य होगा। हिटलर ने अपनी पुस्तक में कई जगह जर्मनी की प्रादेशिक आकाशाओं की ओर भी संकेत किया था और शास्त्रनिभरता के सिद्धांत का महारा केन्द्र उसने लिखा था "जर्मन राज श्रवण जर्मन राज्य में नहीं जर्मन निवासी सम्मिलित है। जर्मनी की राजनीति सोमाएँ (लेडेन मुम) जर्मन जनसंख्या के सिद्धांत पर निर्धारित की जायेंगी जिसमें जर्मन जनता के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त हो। उसे जर्मन जनता के रहने के लिए अधिक भूमि प्राप्त करनी है तथा जनसंख्या व भू-मात्रा के बीच समतुल्यता को दूर करना है तथा अपनी भूमि को जीविका के आधार के साथ ही अपनी शक्ति को बढ़ाने का साधन भी बनाना है। राष्ट्रों की सोमाएँ मनुष्य द्वारा रची गई हैं और मनुष्य उन्हें बदल भी सकते हैं। जिन राष्ट्रों का विस्तार जरूरी है उन्हें बढ़ाना नैतिक कर्तव्य है। यदि एक बड़ा राष्ट्र भूमि के अभाव के कारण बर्बाद हो रहा है तो उन राज्यों में साधकता उनके उपाय करने लिए भूमि प्राप्त करना उत्तम हो जाता है।"

हिटलर ने लिखा कि 'जर्मनी के सीमा विस्तार का एक पूर्व में दखने में ही हो सकता है। यदि उसे यूरोप में नई भूमि की जरूरत है तो उसे हम तथा सोमाएँ राष्ट्रों की ओर ही देखना होगा।' हिटलर ने यह स्पष्ट कहा था कि जर्मन जर्मनी का सपना ही राष्ट्र का है।

हिटलर की राष्ट्रीय समाजवादी योजना में यह बात थी। पक्षी मात्र धार्मिकता के सिद्धांत पर समाज जर्मन जनता का एक जर्मन राज्य के अस्तित्व एव रूप में दीपता। दूसरी बात जर्मनी के लिए ही भव करना यह था-सभी को सम्योचन करना राजनीति में एकदम परिपूर्ण करना। जर्मनी मात्र ही जर्मनी की परिचित आवादी के लिये नये उपनिवेश योजना। उसके परिचित

अन्य मार्गों निम्न प्रकार थी पेशेवर सेना के स्थान पर राष्ट्रीय सेना कायम करना, राज्य में शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना, बिना मेहनत से होने वाली आयों को समाप्त करना, यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित करना, जर्मन जनता के लिए जीवन-यापन का जरिया निकालना, बेकारी दूर करना तथा अन्य बड़े राष्ट्रीय के समान शस्त्रीकरण करना ।

नाजी क्रान्ति

जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवादी दल का विकास १९३० से ही आरम्भ हो गया । १९३० के आम चुनाव में उक्त दल को ५७६ में से १०७ सीटें प्राप्त हुई । पहले इस दल को केवल ११ सीटें प्राप्त थी । इसके बाद १९३२ में दो बार आम चुनाव हुआ । दोनों बार राष्ट्रीय समाजवादी दल को ५८४ सीटों में से १९६ सीटें प्राप्त हुई जिसकी संख्या कुल सीटों की एक तिहाई से थोड़ी ही कम थी । इस तरह विधान सभा में राष्ट्रीय समाजवादी दल का बहुमत रहा और वह अन्य सभी दलों से शक्तिशाली सिद्ध हुआ । हिटलर सयुक्त मन्त्रिमण्डल का चांसलर नियुक्त किया गया । सयुक्त मन्त्रिमण्डल में तीन नाजी और २ राष्ट्रवादी थे । ३० जनवरी १९३३ को हिटलर ने विधान सभा (रीशस्टाग) को भग करके ५ मार्च १९३३ को नया चुनाव करने का आदेश दिया । आम चुनाव के केवल ६ दिन पूर्व विधान सभा (रीशस्टाग) का भवन रहस्यजनक स्थिति में जलता पाया गया । यह नाजियों के लिये अच्युत अवसर था । हिटलर ने राष्ट्रपति हिन्डेनबर्ग से कहा कि जर्मनी की स्वतन्त्रता तथा सुविधाओं सम्बन्धी वैधानिक गारन्टियों पर नियन्त्रण लगा दिया जाय । इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्तिगत सम्पत्ति पर कब्जा करने, किसी की सम्पत्ति को जेब्त करने, समाचार पत्रों, सभा और पार्टियों को भग और विनाश करने का अधिकार सरकार को मिल गया । हिटलर ने स्थिति का फायदा उठाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी करार देकर उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया और सोशल डेमोक्रेट दल को आदेश दिया कि वह अपने समाचार पत्रों का प्रकाशन और चुनाव प्रचार शीघ्र बन्द कर दे । इसके बाद जो आम चुनाव हुआ उसके कुल मतों का ४४ प्रतिशत मत नाजी पार्टी के पक्ष में पड़ा । १ अप्रैल को हिटलर और नाजी दल को ४ वर्ष तक शासन सम्भालने का अवसर दिया गया । इसके बाद तीन मास के भीतर ही समस्त नाजी विरोधी दल सदा के लिए भग कर दिए गए और जर्मनी की राजनीति पर एक ही दल नाजी पार्टी की तानाशाही कायम हो गई । काला, लाल और मुनहले रंग का गणतन्त्र भेड़ा हटा कर उसके स्थान पर दो प्रकार के भयानक शासन

का जो जाला, श्वेत शीशू लाल या शीशू दूधरा नये राष्ट्रीयवाद का निम पर न्यायिक चिन्ह था, फहराये गये । २ अगस्त १९३४ को जब राष्ट्रपति हिटलर ने देशान्त हो गया तब राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री (प्रेसीडेंट और चान्सेलर) के पद मिलाने एक कर दिए गये । हिटलर जर्मनी का नेता और चान्सेलर दोनों निदान हुआ । इन तरह प्रजातांत्रिक जर्मन-गणतन्त्र की समाप्ति के साथ हिटलर के नेतृत्व में नाजी तानाशाही की स्थापना होकर नाजी क्रांति सफलता के साथ समाप्त हो गई ।

नाजीवाद के उत्थान के कारण

जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान के कई कारण थे और वे इनके गहरे थे कि उनके गिननाफ जर्मनी को एक दिन जगम उठना पड़ता । प्रायः कारण चर्चाय नहीं की गते थी जो इनकी गहन और शरणी कि उनमें जर्मन राष्ट्र के विस्तृत नष्ट हो जाने का खतरा था । विजयी राष्ट्रों का उनके साथ व्यवहार बड़ा अत्याचारपूर्ण था । उनमें जनता में क्रांति पैदा हुई और वे बदला लेने को तैयार हो गये । (२) जर्मनी में साम्यवाद के विकास होने पर धनी श्रौंणिकों को खतरा पैदा होने लगा । इन श्रवणर का लाभ उठा कर नाजी पार्टी ने प्रचार करना आरम्भ किया कि यदि नाजी पार्टी का पतन हो गया तो जर्मनी में कम्युनिस्टों की सत्ता पर कनेट कर हो जायेगी । इसका अन्तर्पक्षीयता और श्रौंणिकों पर भी और उन्होंने नाजी पार्टी को हर तरह से सहयोग देना आरम्भ किया । इन तरह साम्यवाद के साथ नाजीवाद बहुत बड़ी चट्टान बन गया । (३) नाजी पार्टी ने धैर्य और आर्थिक दृष्टि में पीछे जनता को महायत्ना पहुँचाना शर किया जिन्होंने वे नाजी पार्टी के साथ हो गये । (४) नाजिया ने जर्मन व्यक्तों को नैतिक शिक्षा देने के लिये सत्तारी प्रयोग में सतत अपनी नेता तैयार करनी आरम्भ कर ली । (५) नाजी पार्टी द्वारा सृष्टियों के शिरः नीति प्रस्तावने में वे लोग, जो सृष्टियों का जर्मन जनता को उद्धार करने का उत्तरदायी समझते थे नाजी पार्टी के साथ हो गये । (६) साम्यवाद (विधान सभा) में पार्टी को भी भरमाना तो जाने में पार्लियमेंटी सभाओं में सत्तारूप उत्थान होने लगा इनमें जनतांत्रिक व्यवस्था था होने लगी और तानाशाही के लिये सत्ता सफल हो गया । (७) जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिये नाजी पार्टी ने सतत धीरे जनता को प्रभावित करने वाले प्रचारों का साधन किया । (८) जर्मनी की सभ्यतात्मिकता की नीति का उद्धार करने लगे हुए जनता में समर्थन की प्रतीति हो गई । सत्ता सत्ता कि जैसे जर्मनों में साम्यवाद की विजय हुई है जैसे ही जर्मनी में नाजीवाद की विजय होगी और वही जनता को सत्तारी के साथ कर दे जायेगी ।

(६) नाजीवाद के विरोधियों में मतभेद होने से नाजीवाद को आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं हुई। कम्युनिस्ट इस भ्रम में थे कि नाजीवाद का पतन जरूर होगा और साम्यवाद शासन में जरूर आयेगा। (१०) नाजी नेता हिटलर में तीक्ष्ण बुद्धि का होना और खतरा होने पर भी बिना घबड़ाये उसका सामना करना।

हिटलर की विदेश नीति

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हिटलर का उद्देश्य (१) वर्साय संधि को भंग कर देना (२) एक राष्ट्र के अन्तर्गत आत्मनिर्णय के अधिकार द्वारा सारी जर्मन जनता का संगठन करना तथा (३) बढ़ती अर्थात् अतिरिक्त जन संख्या को बसाने के लिये अपने छिने हुए प्रदेशों को पुन प्राप्त करना और उपनिवेश कायम करना था। हिटलर ने अपनी विदेश नीति को संक्षेप रूप में निम्न प्रकार से प्रकट किया “राजनैतिक स्वतंत्रता तथा मानृभूमि को शक्तिशाली बनाने के लिये अपने खोये हुए प्रदेशों को पुन अपने अधिकार में करना बहुत जरूरी है। इसकी प्राप्ति के लिये समझौता और यदि यह सम्भव न हो तो युद्ध का आश्रय लेना विदेश नीति की ओर हमारा पहला कदम है। हमारी नीति जर्मनी की रक्षा और उसे शक्ति शाली बनाने के लिये जर्मन सीमा को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाना है। हमारी मान्यता है कि अगर किसी राज्य को दुनिया में कायम रहना है तो वह सैनिक दृष्टि से अपने को शक्तिशाली बनाये जिससे दुश्मन को आक्रमण करने की जल्दी हिम्मत न हो।”

दूसरे शब्दों में हिटलर का कहना था कि शांति, बल के आधार पर ही टिकाऊ हो सकती है, समझौता पर नहीं। हिटलर की यह नीति राष्ट्रसंघ की जड़ के लिये घातक सिद्ध हुई और इसने शांति स्थापना को असम्भव नहीं तो मुश्किल अवश्य ही बना दिया। हिटलर ने कहा कि पराधीन वस्तियों में विरोध करवा कर उन्हें अपने साथ नहीं मिलाया जा सकता बल्कि इसके लिये तलवार उठानी पड़ेगी। इस तलवार को रगड़ कर तेज बनाना हमारी जनतन्त्री सरकार की आंतरिक नीति है और इसकी रक्षा और इसमें सहयोग देने वालों को अपने में मिलाना विदेश नीति का काम है।

वर्साय संधि का भंग होना

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिटलर का सबसे महत्वपूर्ण कदम निगस्त्रीकरण सम्मेलन और राष्ट्रमंत्र का बहिष्कार करना था। उसका कहना था कि उक्त शक्तियों ने

जर्मनी को उन अधिकारों से वंचित कर दिया है जिन पर उसकी उन्नति निर्भर है और उन्में अन्य राष्ट्रों की तरह अधिकार प्राप्त नहीं। हिटलर ने कहा यदि विदेशी राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ ऐसा ही व्यवहार करने का निश्चय किया तो वह अपना समस्त स्वयं चुनेगा। हिटलर ने अपना यह तार्थ जनमत संग्रह द्वारा कर दिया। हिटलर का दूसरा बंदम पोलैन्ड के साथ परस्पर आक्रमण न करने का समझौता था जिनने यूरोप और फ्रान्स में त्वलवली मचा दी। यह समझौता १० वर्ष के लिये हुआ। तीसरा बंदम आस्ट्रिया को मिलाने का असफल प्रयत्न था। ना जर्मनी की संधि में जैसा कि पहले कहा जा चुका है आस्ट्रिया और जर्मनी के संगठन को तो भंग कर ही दिया था। उन तार्थ को छिपाने के लिये हिटलर ने गुप्त रूप से आस्ट्रिया के नाजी विरोधियों को प्रोत्साहन दिया तथा १९३४ में लिये गये हमले की ओर ने आगे मूढों जिनमें आस्ट्रियन नासनर की हत्या की कोशिश की गई थी, यद्यपि वह पटवत्र असफल रहा। उन्का एक कारण तो यह था कि उन्में आस्ट्रिया में जनता का पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं था। दूसरे मुसोलिनी ने जर्मनी को धमकी दी कि यदि उन्में आस्ट्रिया पर हाथ फेंकाने का प्रयत्न किया तो आक्रमण किया जायगा। उधर इटली का साथ चेंकोस्लोवाकिया और फ्रान्स दोनों दे रहे थे। इस हालत में हिटलर ने आस्ट्रिया पर अधिकार जमाने का रजाल त्याग दिया। बर्नार्ड मन्थि के अनुसार नार के भविष्य का निर्णय करने के लिए वहाँ जनवरी १९३५ में जनमत संग्रह हुआ। उन्में ९० प्रतिशत मतदाताओं ने जर्मनी के साथ मिलने के पक्ष में मत दिया। उन तरह एक मार्च १९३५ को नार के जर्मनी में आ जाने से हिटलर की विदेशनीति का चौथा बंदम भी सफल रहा। एक पक्षबाटे के बाद हिटलर ने बर्नार्ड मन्थि की सैनिक शक्तों के भंग होने की घोषणा की। यह उन्का पांचवां बंदम था। उन्की के साथ उन्में यह भी घोषणा की कि जर्मनी की सैनिक ताकत फ्रान्स और ब्रिटेन के मुकाबले में तैयार करने के लिये भर्ती आरम्भ की जायेंगी। अभी तक जर्मनी ने यही प्रगट किया कि वह अपनी नैस्य शक्ति केवल अपनी रक्षा एवं सान्ति स्थापना के लिये बना रहा है।

मन्थि सन्तुलन का पुनरुत्थान

यद्यपि स्ट्रेसा सम्मेलन का प्रस्ताव सिद्ध हो गया था किन्तु बर्नार्ड मन्थि को जर्मनी द्वारा भंग किये जाने से सन्तुलन ही गया। उन्का परिणाम सन्थि सन्तुलन का पक्ष होता था। १९३६ में वांगन नजरी युद्ध के लिये, सन्थि सन्तुलन और मुसोलिनी ने बर्नार्ड मन्थि पर हमला कर दिया जिससे सन्तुलन—1 बर्नार्ड मन्थि न प्रादेशिक सन्तुलन की गारंटी 2 बर्नार्ड मन्थि की सुरक्षा 3 नार-नैस्य सन्तुलन के पूर्ण पारस्परिक विचार-विमर्श करने का निर्णय हुआ। बर्नार्ड मन्थि

की ताकत नहीं थी और गायद इसीलिये उन्होंने शांति आंदोलन का आश्रय लिया। सब ओर से निराश चेम्बरलेन ने अपने को उठाने का एक ही मार्ग देखा और वह था शांति स्थापना। उनका विचार था कि किसी भी मूल्य पर यदि आक्रमणकारी को खुश कर के भी शांति की स्थापना की जा सके तो की जाय। वह इटली की मित्रता खरीदने पर तुले हुए थे और इसीलिये विदेश मंत्री ईडन ने जब सतुष्टीकरण नीति त्याग कर सुदृढ़ नीति अपनाने पर जोर दिया तो चेम्बरलेन ने उन्हें इस्तीफा देने के लिये मजबूर किया। नतीजा हुआ कि यह २० फरवरी १९३८ को ईडन को विदेशमन्त्री पद से मजबूर होकर हटना पड़ा। अप्रैल १९३९ में नये विदेशमन्त्री लार्ड हेलिफेक्स ने रोम में मुसोलिनी के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार ब्रिटेन ने अविसीनिया पर इटली का शासन स्वीकार कर लिया। स्वेज नहर क्षेत्र के नियंत्रण में इटली को भी भाग देने, भूमध्य तथा लाल सागर में फौजों के आवागमन सवन्धी सूचनाओं का आदान प्रदान, बिना बताये उक्त क्षेत्र में नये नौ तथा हवाई अड्डे स्थापित न करने तथा हानिकारक प्रचार रोकने का निश्चय हुआ। चर्चिल का कहना था कि ब्रिटेन स्पेन और अविसीनिया की जनता के मूल्य पर सुरक्षा सगठन की उपेक्षा करके कुछ वर्षों तक शांति कायम रख सका।

आस्ट्रिया का अपहरण

राइन भूमि के पुनर्मोर्चावन्दी के वाद हिटलर ने आस्ट्रिया को जर्मनी में विलीन (एसलस) तथा पूर्वी सीमान्त का विस्तार (डॉरग नाच आस्ट्रिन) नीति अपनाई। २४ अगस्त १९३६ को जर्मनी में सैनिक सेवा की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर गई। जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक नई पंचवर्षीय योजना लागू की गई। जर्मन सेनापति को आदेश दिया गया कि वह आस्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए सैनिक योजनाएं तैयार करे। जून १९३७ में हिटलर ने अपने मलाह्कारों तथा उच्चाधिकारियों के समक्ष अपनी योजनाएं प्रकट की। हिटलर ने कहा कि हमें अपने दो बड़े शत्रुओं फ्रांस और ब्रिटेन के साथ टक्कर लेनी है क्योंकि वे मध्य यूरोप में अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं।

मयुक्त आंग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण के विरुद्ध पश्चिमी मोर्चा के लिये फ्रांसीसी "मैगनट लाइन" के ठीक सामने मिगफ्रिड लाइन का निर्माण आरम्भ कर दिया गया। जर्मनी ने प्रतिवर्ष अस्त्रोकरण पर १०० करोड़ पाँड खर्च करना शुरू कर दिया। ४ फरवरी १९३८ को हिटलर ने प्रधान सेनापति फ्रिच को पद त्यागने के लिए बाध्य किया और जर्मन सेना का सर्वोच्च सेनापति स्वयं बन गया। न्यूरथ के स्थान पर रिबनट्रोप विदेश मन्त्री बना दिये गये। रिबनट्रोप ब्रिटेन में जर्मनी के राजदूत रह

चुके थे। सर्वोच्च सेनापति बनने के ८ दिन बाद ही हिटलर ने आस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री शुगनिग को बरबेगगाडन बुलाया और नैतिक धमकियों द्वारा उस पर ज़ोर लगा कि वह आस्ट्रियाई मन्त्रिमण्डल में आस्ट्रियाई नाज़ी नेमरन्ड्वार्ट को मुद्रा मन्त्री नियुक्त करने तथा आस्ट्रियाई नाज़ी दल को सरकारी मान्यता देने के लिये तैयार हो जाय। ६ मार्च को शुगनिग ने घोषणा की कि आस्ट्रिया के भविष्य का प्रश्न निश्चित करने के लिये आज में चार दिन बाद आस्ट्रिया में जनमत संग्रह किया जायगा। उधर ११ मार्च को जर्मनी ने आस्ट्रिया को चेतावनी (अन्टिमेटम) भेजी कि जनमत संग्रह स्थगित कर दिया जाय और प्रधानमन्त्री शुगनिग त्याग-पत्र दे दे अन्यथा जर्मनी आस्ट्रिया पर हमला कर देगा। उस पर शुगनिग ने स्वीकृति दे दिया। उनके तीन दिन बाद हिटलर विजयी मुद्रा में वियाना में प्रविष्ट हुआ और आस्ट्रियाई नाज़ी नेमरन्ड्वार्ट को आस्ट्रिया का प्रधान मन्त्री नियुक्त कर दिया। उसने आस्ट्रियाई नेशनल बैंक पर कब्जा कर लिया और जर्मनी में आस्ट्रिया को विलीन करने के लिए जनमत संग्रह किया। उनमें लगभग ६६.७३ प्रतिशत मतदाताओं ने जर्मनी में मिलने के पक्ष में मत दिया।

आस्ट्रिया के जर्मनी में मिला दिये जाने ने जर्मनी को न केवल जनसंख्या ६० लाख बढ़ गई बल्कि दक्षिण-पूर्वी यूरोप में नैतिक और राजनैतिक दृष्टि से उगाती धाक जम गई। उसने स्लोनी, यूगोस्लाविया और हंगरी ने गिफ्ट सम्पत्कें प्राप्त करने का जर्मनी को अच्छा अवसर मिल गया। जर्मनी को आस्ट्रिया ने गारी मात्रा में मग्नेसाइट (विमानों के निर्माण में प्रयोग होता है) प्राप्त लगा। उसके घनिष्ठित आस्ट्रियाई बैंक में दो करोड़ पाँच नकद प्राप्त हुआ। उसका तीसरा यह हुआ कि जर्मनी आत्मनिर्भर बन गया। बर्लिन ने स्ट्रेन की लोतनभा में शेरु ही कहा था—“वियाना के जर्मनी के अधिकांश में लाने में नाज़ी जर्मनी का दक्षिण-पूर्वी यूरोप के तमाम राजायात पर कब्जा हो गया।” अब बेरोजगारियों को मनवा पैदा हो गया। उस तरह बर्लिन मन्त्रि की वह गंगा, जिम्मे द्वारा जर्मनी और आस्ट्रिया को पृथक किया गया था, नदी के लिये नाष्ट हो गई।

चेकोस्लोवाकिया में नरक

आस्ट्रिया के बाद जर्मनी के आक्रमण का निम्न चेकोस्लोवाकिया को होता था। चेकोस्लोवाकिया के नामने नदने एडी बरेट् नामक ही, नरेडान जर्मन अन्तन्तरों के लिये नगरनमानन की व्यवस्था करण। चेकोस्लोवाकिया की दृष्टि से नरोड जर्मन्ता में उम्न अन्तन्तरों की घासरी सननन २५ लाख थी। उन अन्तन्तरों के लिये अन्तन्तरों की घासरी सननन की शीट नरें नरनन नरनन में प्रवि-
निरिता प्राप्त था। जर्मनी ने नाज़ीवाद के सिद्धान्त में नाज़ीय भाषण को प्रथम

मिला और सुडेटान जर्मन पार्टी ने हेनेलीन के नेतृत्व में पृथकवादी आन्दोलन आ कर दिया। हिटलर ने अपने भाषणों में हेनेलीन का समर्थन किया और सुडेटान की स्थापना पर जोर दिया। १९३७ में चेक सरकार ने जर्मन अल्पसंख्यकों को सरकारी पदों, सहायता कोषों, और सांस्कृतिक मस्याओं को सरकारी सहायता विशेष सुविधायें प्रदान कीं। इसके अतिरिक्त सरकारी तौर पर जर्मन भाषा स्वीकार कर लिया। किन्तु इतने पर भी जर्मन अल्पसंख्यकों को सन्तुष्टि हुई। अप्रैल १९३८ में हेनेलीन ने कार्ल्सवैड में अपने एक वक्तव्य में सप्रस्तुत की जिनमें जर्मन क्षेत्रों के लिये स्वायत्तशासन और वहाँ की जनता राजनैतिक तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्रदान करने की माँग थी। इधर हिटलर ने घोषणा की कि जर्मन जनता का कर्तव्य है कि वह चेकोस्लोवाकिया की परतन्त्रता पड़े अपने भाई जर्मनों की स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक कदम उठाये। जर्मनी समाचार-पत्रों ने भी जर्मन अल्पसंख्यकों की स्वतन्त्रता के लिये खूब आन्दे किया। किन्तु चूँकि चेकोस्लोवाकिया को फ्रांस, रूस, रूमानिया और यूगोस्लाविया का सहयोग प्राप्त था इसलिये उसने आत्मसमर्पण न कर मोर्चा लेना उचित समझा अगस्त १९३८ में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन ने लार्ड रूसीमान को ज अल्पसंख्यकों के विवाद को सुलझाने के लिए चेकोस्लोवाकिया भेजा। लार्ड रूसी की रिपोर्ट चेकोस्लोवाकियाई सरकार के लिये निहायत विरोधी थी। उन्होंने अ रिपोर्ट में कहा था “सुडेटान क्षेत्र में गत २० वर्षों में चला आ रहा चेकोस्लोवाकिया का शासन यद्यपि अत्याचारी और आतंकवादी नहीं है किन्तु जिस शासन चल रहा है, वह अत्यन्त अयोग्य और भेदभाव की भावना से पूर्ण है।” य रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि आर्थिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सुडे लैंड चेकोस्लोवाकिया में पृथक होने योग्य नहीं किन्तु अन्त में उन्होंने सिफारिश थी कि जर्मन जिलों को अविलम्ब जर्मनी को लौटा देना चाहिये। १२ सित्त को हिटलर ने नूरेम्बर्ग में अपने एक वक्तव्य में कहा कि अब मेरा सन्तोष समाप्त हो चुका है। हमारे ही दिन नाजी नेता ने चेक मन्त्रिमण्डल से वार्ता भग कर सशक्ति में चेक सरकार को पलटने का असफल प्रयत्न किया। वह भाग कर ज चला गया और हिटलर ने अपनी सेनाएँ चेक सीमा की ओर बढ़ानी शुरू कर डम तरह युद्ध सन्निकट आ गया। १५ मितम्बर को चेम्बरलेन हिटलर से, प्रार्थना करने के लिये कि वह अपनी सेनाएँ आगे न बढ़ाये, वरचेसगाडन को रट्टुए। वार्ता में फ्यूरेर हिटलर ने सुडेटान जनता को अविलम्ब आजाद करने की की और कहा कि ऐसा न किया गया तो जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पर शीघ्र आक्रमण कर देगा। चेम्बरलेन तत्काल लन्दन के लिये रवाना हो गये और हि

की मांग पर विचार करने के लिये फ्रांसीसी प्रधान मंत्री लीओन ब्लाँजो की एक अतिमहत्वपूर्ण बैठक बुलाई। काफी समय तक ब्रह्म के बाद एक आत्म-फ्रांसीसी चुनौती १६ मिनटपर का नेपोलोनवाहिया को भेजी गयी जिसने मांग की गई कि मुंडाननैट को प्रीमर चीन (जर्मन सरकार) से चीन दिया जाय। उन सम्मेलन में तीन दिन के भीतर उत्तर मूचित करने को कहा गया। उनके मान ही एक मामली भी दी गई कि यदि उक्त शर्त का मजबूर कर दी गई तो चेक सरकार को सैनिक सहायता की सधि भंग करके नेपोलोनवाहिया के सिद्ध जर्मनी का सहायता दी जायगी। उन घमरी पर चेक सरकार को आत्म-फ्रांसीसी चुनौती के प्राप्ति भूतना पडा। चुनौती की शर्तें मजबूर करने के बाद चीन प्रधान मंत्री होजा ने व्याग-पत्र दे दिया और उनके स्वान पर जनरल मिरोसी प्रधान मंत्री बने।

२२ मिनटपर तो नेपोलोन आत्म-फ्रांसीसी कोरता तो विचारविन करने सम्भव ही विचार विषय के विचार विद्वान न मितने वादग्रहण को रखाता हो गये। उन नेट म विद्वान ने नेपोलोनवाहिया के पोलिस तथा ह्येरिसन आत्मग्रहणों के धेन, १ मन्तरन तक सैनिक विचार में बने की मान की थी।

नेपोलोन २४ मिनटपर को निराश होकर बदन लौट आये। उन पर रिटेल मी नएन ने वाटेमरा शर्तों को पस्वीकार कर दिया। रिटेल और फ्राम ने निश्चय किया कि यदि जर्मनी ने हमला किया तो वे नेपोलोनवाहिया कि सहायता करेंगे। और इसके बाद रिटेल और फ्राम में सैनिक गठन सम्भन हो गया। रिटेल में समझौते ने पहले के लिये शर्तों का भी जान मारी और तोषा हो हुआ। आत्मग्रहण ने वगत के लिये आत्मग्रहण मिला और सामान रिटे जाने दगे। रिटेल न अपने जहाजी नेट का शर्तियाती बयाना पुर कर दिया। २६ मिनटपर ही नेपोलोन ने रिटेलों पर हमला पांड रो। सम्भौते लेन ही समझौता हो ता में हीपरी और भी जर्मनी जाने का फैसला ता। परी लगी रिटेल नेपोलोन ने रिटेलन का एक पत्र लिख मिलने पुन। सम्भौता शर्तों के लिये लुत्तरीर लिखा गया। रिटेलन न उनके मारी विषय सम्भौती और नेपोलोन को स्थिति जाने के लिये निमंत्रित किया।

सैनिक सम्भौता

२६ मिनटपर ही सैनिक सम्भौता का एक सम्भौता हुआ जिसमें स्थिति सम्भौता किया गया। शर्तों का के साथ ही शर्तों का शर्तों के रिटेल (नेपोलोन) का शर्तों का सम्भौता (नेपोलोन) के शर्तों (नेपोलोन)। सम्भौता म नए शर्तों के (१) चीन चीन म सम्भौता ही शर्तों के भीतर सम्भौता ही शर्तों का शर्तों कर दे (२) एक सम्भौता ही शर्तों का शर्तों के शर्तों के शर्तों सम्भौता ही शर्तों

क्षेत्रों का निरीक्षण करे। (३) ब्रिटेन और फ्रांस चेकोस्लोवाकिया की नई सीमाओं की बाहरी आक्रमण से रक्षा करने में साथ देंगे (४) पोलिश और हंगेरियन अल्प-संख्यकों का प्रश्न हल हो जाने के बाद जर्मनी और इटली भी चेकोस्लोवाकिया की सीमाओं की रक्षा में सहयोग की गारन्टी देंगे। (५) आबादी की अदलावदली। चेक राष्ट्रपति बेंनेश को मजबूर होकर फासी का फदा अपने हाथों अपने गले में लगाना पडा। उन्होंने उक्त शर्तनामा पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर इमिल हवा राष्ट्रपति नियुक्त हुए। ३० सितम्बर को चेम्बरलेन और हिटलर ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसमें कहा गया था कि जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ कभी युद्ध नहीं करेंगे। चेम्बरलेन ने उक्त घोषणा पत्र अपनी एक विजय समझी और खुशी से उसे फहराते हुए लन्दन को रवाना हो गये। म्युनिक समझौता अविलम्ब ही लागू कर दिया गया। सुडेटानलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन ने चेकोस्लोवाकिया की नई सीमा निर्धारित की। पोलैंड ने चेकोस्लोवाकिया को आक्रमण की धमकी देकर टेस्चेन पर अधिकार कर लिया। इधर हंगरी ने भी स्लोवाकिया से लगभग ५ हजार वर्ग मील भूमि छीनकर अपने कब्जे में कर ली। स्मरण रहे की ६ दिसम्बर को हिटलर ने परस्पर आक्रमण न करने के एक फ्रैंको-जर्मन समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

म्युनिक समझौता सतुष्टीकरण नीति का ही रूप था। चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा 'यह समझौता ब्रिटेन और उससे भी अधिक फ्रांस के लिए बहुत बड़ी हार है। इंग्लैंड और फ्रांस के दबाव से चेकोस्लोवाकिया का विभाजन नाजी धमकी के आगे पश्चिमी जनतन्त्र के झुकने के बराबर है।' एमरी के शब्दों में "म्युनिक समझौता दबाव से हुई जीत का प्रतीक है जो इतिहास में सबसे सस्ती समझी जा सकती है।" शूमैन ने म्युनिक समझौता पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि यह हिटलर के लिए भारी विजयी थी। म्युनिक समझौता हिटलर द्वारा रूसी साम्यवाद के विरुद्ध किए गए प्रचार का फल था। हिटलर का कहना था कि रूसी साम्यवाद पश्चिमी पूंजीवाद के लिए भारी खतरा है और इसकी रक्षा नाजी जर्मनी ही कर सकता है। इस प्रचार का असर यह हुआ कि पूंजीवादी देशों ने जर्मनी का हाथ मजबूत करना तथा उसे सतुष्ट करना शुरु किया। इसी चक्कर में आकर ब्रिटेन और फ्रांस ने म्युनिक समझौता में हिटलर की शर्तों को मजूर कर लिया और उसके संकेतों पर चलने को तैयार हो गए। यद्यपि रूस पारस्परिक सुरक्षा संधियों के अनुसार चेकोस्लोवाकिया की सुरक्षा में मदद कर सकता था और इसीलिए जब हिटलर के

नाम केक सरकार का तनाव बड़ा तो रूस ने कहा था कि यदि पारम्परिक सुरक्षा समितियों के अनुसार फ्रान्स केकी सहायता करने में तैयार हो तो रूस भी उसका नाम देगा। किन्तु साम्यवाद के भय ने ब्रिटेन और फ्रान्स को रूस से दूर रहने का मजदूर किया जिसका परिणाम यह हुआ कि म्यूनिख समझौता में रूस को नहीं बलाया गया। उस प्रकार म्यूनिख बैठक ने फ्रांसीसी-सोवियत समझौता १९३५ को भंग कर दिया। उसने रूस को अपना नया साथी दूर बना दिया। उस पर पोलैंड की सुरक्षा भी विचलित समाप्त हो गई। मार्शल ब्रिटेन ने नूरेस्वर्ग मजदमों में डीक ही कहा था "म्यूनिख समझौता हिटलर की एक चाल थी जिसके द्वारा वह रूस को यरोप में निकाल बाहर करना और जर्मन नेता का मजदूर बनाना चाहता था।" म्यूनिख समझौता हा जाने पर हिटलर को डेन्यूव और दखान क्षेत्रों पर आर्थिक और नैतिक अधिकार जमाने का मौका मिल गया।

चेकोस्लोवाकिया का विनाश

म्यूनिख समझौता के बाद हिटलर ने कई बार उन बात को दोहराया कि "जर्मनी का यूरोप में आसिनी प्रादेशिक दावा सुटेडानलैंड है। सुटेडानलैंड को जर्मनी में मिला दिया जाने के बाद चेक सरकार के खिलाफ हमारी म्यूनि प्रसार की शिकायत नहीं रहेगी, उसकी हम गारंटी देगे।" १९ नवम्बर १९३८ को चेकोस्लोवाकिया पर नवीय गणतन्त्र (फेडरल रिपब्लिक) में परिवर्तित कर दिया गया। चेकोस्लोवाकिया और ग्दोवाहिया में गणतन्त्र के राष्ट्रपति द्वारा नामजद दो प्रधान मंत्रियों के नेतृत्व में दो स्वायत्त लोक सभाओं की स्थापना कर दी गई किन्तु दिवसी नीति और प्रतिरक्षा विभाग केन्द्रीय पार्लियामेंट के हाथ में रहने दिय गये। ९ मार्च १९३९ को राष्ट्रपति हत्सा ने चेकोवाक के प्रशासनिक पाद- दिनों को पदच्युत कर दिया। दिनों पर आरोप लगाया गया कि वह पृथ्वीगद्दी आन्दोलन की प्रोत्साहित कर रहा है जिसने राज्य की एकता को खतरा पैदा होने का भय है। दिनों भाग कर जर्मनी का गए और हिटलर ने योग्य की। १५ मार्च को राष्ट्रपति हत्सा को अस्थित बन्तारा गया और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण का भय दिखता पर उन्हें एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। घोषणा-पत्र में राष्ट्रपति हत्सा ने स्वीकार किया "मैं अपने विज्ञान के साथ चेकोस्लोवाकिया और मेरा अधिकार जर्मन नीति के परस्पर के द्वारा न मान्य है।" उसके बाद जर्मन नेता ने बोहेमिया और मोरविया पर अपना अधिकार जमा लिया।

ब्रिटेन और फ्रान्स ने उन मामलों में विचलित व्यवस्था नहीं किया। फ्रान्स म्यूनिख समझौता में सह कर को चला था कि सरकार के मामलों में चेकोस्लोवाकिया को ब्रिटेन और फ्रान्स दोनों सहायता करेगा, किन्तु वेस्टलैंड में सह कर कर हत्सा

करने से इन्कार कर दिया कि स्लोवाक डायट (संसद) ने स्लोवाकिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है इसलिए वहाँ की स्थिति वित्कुल बदल गई है और यह हस्तक्षेप करने का मौका नहीं। बोहेमिया और मोरेविया पर अधिकार हो जाने से जर्मनी के हाथ में १८ हजार वर्गमील जमीन, लगभग ७० लाख की आबादी, स्कोडा का प्रसिद्ध शस्त्र कारखाना और नेशनल बैंक का सोना आ गया। इसके अतिरिक्त स्लोवाकिया के मिलने से जर्मनी को २० लाख आबादी की लगभग १५ हजार वर्ग मील भूमि हाथ लगी। उस तरह म्युनिक समझौता के ६ मास के भीतर एव आस्ट्रिया पर कब्जा होने के एक वर्ष के भीतर जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को पूरी तरह से वर्धा कर दिया।

ब्रिटिश नीति में परिवर्तन

इसी बीच हिटलर ने २१ मार्च को लियुआनिया से मेमेल छीन लिया तथा रूमानिया के तेलमगर पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने पोलैंड से माग की कि यदि वह जर्मनी के साथ २५ वर्ष तक परस्पर आक्रमण न करने का समझौता चाहता है तो डानजिग और पूर्वी रूस से जर्मनी को जोड़ने वाले समुद्र तटीय गलियारे को जर्मनी को लीटा दे। किंतु पोलैंड ने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया। इन घटनाओं से चेम्बरलेन को विश्वास हो गया कि हिटलर के आश्वासनों पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने निम्न ऐतिहासिक भाषण के साथ ब्रिटिश विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की घोषणा की। आपने कहा "हम हर एक देश का सहयोग चाहे उनका आन्तरिक शासन जैसा भी हो, स्वागत करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं बल्कि आक्रमण को रोकने के लिए।" ३१ मार्च १९३६ को चेम्बरलेन ने घोषणा की कि पोलिश स्वतंत्रता पर हमला होने पर ब्रिटेन पोलैंड को हर तरह से अविलम्ब सहायता देना आरम्भ कर देगा। यही घोषणा फ्रांस ने भी की।

७ अप्रैल को इटालियन फौजों ने अल्बानिया पर अकस्मात् हमला कर दिया और राजा जोग को गद्दी में उतार कर १९२७ के आंग्ल-इटालियन समझौता का उल्लंघन करते हुए अल्बानिया को अपने अधिकार में ले लिया। ब्रिटेन ने तत्काल ही यूनान और रूमानिया को सुरक्षा सहायता की गारन्टी दी और पारस्परिक सहायता व सहयोग सम्बन्धी एक आंग्ल-तुर्की समझौता किया। २६ अप्रैल को चेम्बरलेन ने अनिवार्य सैनिक शिक्का का एक विल प्रस्तुत किया। दो दिन के बाद हिटलर ने १९३३ के आंग्ल-जर्मन समझौता और १९३८ की जर्मन-पोलिश संधि को मानने से इन्कार कर दिया। उनमें ब्रिटेन पर आरोप लगाया कि वह घेरेबन्दी की नीति अपना

रवैया समझा जायगा। हिटलर ने इसके उत्तर में पोलिश सीमा पर जर्मन सेना तैनात कर दी। २२ अगस्त को चेम्बरलेन ने हिटलर को एक व्यक्तिगत पत्र भेजा जिसमें सीधी पोलिश-जर्मन समझौता वार्ता करने का प्रस्ताव था, जिसमें कोई भी निर्णय होने पर उसे अन्तर्राष्ट्रीय गारन्टी दी जायेगी। हिटलर ने ब्रिटिश राजदूत हेडरसन को उत्तर दिया कि ब्रिटेन द्वारा पोलैंड की सहायता का निर्णय जर्मनी की नीति में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता और इसी लिए वह जर्मनी के राष्ट्रीय सम्मान का बलिदान करने के वजाय लम्बी लड़ाई के लिए तैयार है। २५ अगस्त को पारस्परिक सहयोग से आंग्ल-पोलिश समझौते पर हस्ताक्षर हुए। २८ अगस्त को ब्रिटेन ने फिर जर्मन-पोलिश भगड़े के निबटारे का प्रस्ताव रखा। २९ अगस्त को जर्मनी के समाचार पत्रों ने पोलैंड में जर्मनों की कथित हत्या की खबर प्रकाशित की। इस पर हिटलर ने वर्साय संधि में सशोधन की माग की और कहा कि पोलैंड के १५ लाख जर्मनों की तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। उसी दिन हेडरसन को बताया गया कि जर्मनी पोलैंड के साथ वार्ता के लिए उसी हालत में तैयार है जब पोलैंड अपना प्रतिनिधिमण्डल जो प्रस्तावों को तत्काल स्वीकार कर सके, ३० अगस्त को बर्लिन भेजे। हेडरसन ने इसका विरोध किया और कहा कि यह चुनौती है क्योंकि एक पोलिश प्रतिनिधि को बिना उसे यह सूचित किये कि वार्ता के प्रस्तावों का आधार क्या है, वार्ता के लिए बुलाना नितात अनुचित है। पोलैंड के प्रति जर्मनी का आक्रमणकारी रवैया पश्चिमी राष्ट्रों के लिए चेतावनी सिद्ध हुई। ३० अगस्त को रिचनट्रोप ने १६ सूत्री प्रस्ताव को असामयिक बताया और कहा कि इसकी अब जरूरत नहीं। उसी दिन पोलैंड ने अपनी सेनाएँ संगठित कर ली। १ सितम्बर १९३९ को जर्मनी ने लड़ाई की सूचना दिये बिना पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तीसरे दिन ही ३ सितम्बर को प्रातः ११ बजे ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसी दिन ६ बजे मध्याह्न को फ्रांस ने भी ब्रिटेन की नीति का अनुसरण किया और इस तरह एक ऐसे युद्ध का श्रीगणेश हुआ जैसा मानव सभार ने कभी देखा भी नहीं था।


युद्ध काल की घटनायें

जर्मनी की सफलता—जर्मनी के भयकर आक्रमण के सामने पोलैंड को २६ दिन के भीतर ही आत्ममर्षण कर देना पड़ा। इसका विभाजन हुआ, जिसका कुछ हिस्सा रूस को मिला। डचर सोवियत संध ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया और उसके प्रमुख प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। १९४० की वसन्त ऋतु में जर्मन सेनाओं ने डेनमार्क, नावें, लक्सेमबर्ग, बेल्जियम और हालैंड पर अधिकार जमा लिया। मई में चेम्बरलेन को मजदूर हो कर त्यागपत्र देना पड़ा और ब्रिटेन के नये

प्रधान मन्त्री श्री चर्चिल बने। उन्हीं दिनों टुककं मे जर्मनी के घेरे मे पड़े ३३७००० ब्रिटिश सैनिकों को निकाला गया। १६ जून को फ्रान्स ने जर्मनी के सामने आत्म समर्पण कर दिया। उत्तरी और पश्चिमी फ्रान्स जर्मनी के अधिकार में आ गए और विन्नी नगर पर फ्रान्स का केवल नाम मात्र अधिकार रह गया। उन्हीं बीच उटनी ने फ्रान्स का कुछ हिस्सा अपने अधिकार में लेने के लोभ में दक्षिणी फ्रान्स के कुछ पश्चिमी जिलों पर अधिकार कर लिया। जर्मनी ने रूमानिया पर अधिकार किया और रूस ने बेमारिविया पर। उव्स्वा, बल्गेरिया को दे दिया गया और ट्रान्सिलवानिया का आधा भाग हंगरी को। उटनी ने पूर्वी फ्रान्स स्थित ब्रिटिश सोमालीलैंड को पराजित कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। उसके अनिश्चित उमने मिस्र पर भी हमला कर दिया। जर्मनी ने बल्गेरिया, यूगोस्लाविया, ग्रीस और फीट पर एक साथ ही धावा बोल दिया और तुर्की के साथ परस्पर आक्रमण न करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार घुरी राष्ट्रों की लगानार सफाजता का अन्त हो गया।

स्थिति का पलटना

बल्कान के विभाजन में रूस और जर्मनी के बीच फूट पैदा हो गई। २२ जून १९४१ को हिटलर ने अचानक रूस पर आक्रमण कर दिया। उन्हीं बीच अमरीकी नाथेन ने उपार और पट्टा बिल पार किया और ब्रिटेन तथा रूस को हर तरह से सहायता देने का निश्चय किया। रूसी सेना ने असह्य सामग्री, तेलिनघ्राट तथा मेधा-स्टपोद को लूटा ली। ७ दिनपर ही जापान ने पाकिस्तान में अमरीकी जहाजी बेटे पर बमबारी की। उसके दिन अमरीका ने जापान के विनाश कर के एतान पर दिया और उसके तीन दिन बाद उटनी और जर्मनी के विनाश की। जापान ने फिलिपिन, एवं पूर्वी चीन समेत फ्रांसीसी हिन्दोच, फोर्मेन्स, मिनापुर और बर्मा पर धारा बोल दिया। चर्चिल स्टालिन और रूजवेल्ट ने मिले मिले फ्रान्स ब्रिटिश साम्राज्य का घुरी राष्ट्रों के विनाश तथा कर दिया। नवम्बर १९४२ में अमरीकी सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश सेना को सहायता दी और घुरी राष्ट्रों का उत्तरी इटली को घेर लेने दिया। अमरीक-अमरीकी सेनाओं ने पुन माउंट पीन सिन्धु पर



अधिकार कर लिया और इटली को मजबूर किया कि वह मुसोलिनी को हटाकर सितम्बर १९४३ में एक युद्ध विराम संधि करे। नवम्बर में चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट की एक बैठक तेहरान में हुई जिसमें पश्चिमी यूरोप में जनरल आइजनहावर को सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया। १९४४ में रूसी फौजों ने स्टालिनग्राड की लड़ाई में जर्मनों को परास्त कर दिया। जून में अमरीकी और ब्रिटिश सेनाएं फ्रांस के नार्मंडी में त्रिविष्ट हुईं। पेरिस को आजाद किया और बर्लिन की ओर बढ़ी। फरवरी १९४५ में याल्टा में चर्चिल, स्टालिन, और रूजवेल्ट पुनः मिले और जर्मनी को परास्त करने की अन्तिम योजना तैयार की। रूसी फौजों ने हर मोर्चे से आक्रमण आरम्भ कर दिया और मई के आरम्भ में पश्चिम में आंग्ल-अमरीकी फौजों तथा पूर्व में रूसी सेनाओं ने बर्लिन पर हमला कर दिया। बर्लिन का पतन हो गया और हिटलर ने आत्महत्या कर ली। मुसोलिनी स्वित्जरलैंड की ओर भागता हुआ रास्ते में मार डाला गया। ६ और ९ अगस्त को अमरीकी फौजों ने जापान के प्रमुख नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए। इधर रूस ने जापान के खिलाफ युद्ध का एलान कर दिया। २ सितम्बर को जापान ने बिना शर्त आत्म-समर्पण कर दिया। १२ अप्रैल १९४५ को प्रेसीडेंट रूजवेल्ट का देहान्त हो गया और उपराष्ट्रपति ट्रूमैन राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। जुलाई में चर्चिल के स्थान पर एटली ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बने। दूसरे विश्व युद्ध का यह मक्षिप्त इतिहास है। वैसे विस्तृत वर्णन के लिए तो काफी पृष्ठों की जरूरत है।

शान्ति संधिया

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्रों के सामने कई गम्भीर समस्याएँ आ खड़ी हुईं। सब में उलझी समस्या थी कि विजित धुरी राष्ट्रों पर किस तरह से शासन किया जाय जिससे कि भविष्य में वे पुनः युद्ध के लिए खड़े न हो सकें। दूसरी समस्या थी युद्ध से क्षतिग्रस्त देशों का पुनः निर्माण और पुनः संस्थापन। तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी युद्ध से पीड़ित विश्व में स्थाई शांति की स्थापना करना। विदेश मन्त्रियों की कई बैठकों के बाद २९ जुलाई १९४६ को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जिसमें २१ देशों ने भाग लिया। ७८ दिनों तक विचार करने के बाद १० फरवरी १९४८ को निम्नलिखित नवियों पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षरकर्त्ताओं में पाँच शत्रु देश और मित्रराष्ट्र थे, जिनमें युद्ध चला था।

१ इटली

प्रदेश—इटली ने फ्रान्स को मेटवर्नार्ड, माटथावर, वावर्टन, मोटसेनिस, ट डा तथा त्रिगाजिला, यूगोस्लाविया को जारा, पेलामोमा, लगोस्टा तथा डालमाशियन समुद्र तट के कई द्वीपों को सौंपा, ट्रिस्ट को स्वतंत्र प्रदेश बना दिया गया जिसका

शासन नयुक्त राष्ट्रमण्डल की सुरक्षा परिषद् को नीचा गया। यूनान को रोटेस तथा डोडेकैनिज के अन्य द्वीपों को नीचा गया। अल्बानिया और ज्योपिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी गयी।

निशस्त्रीकरण—फ्रान और यूगोस्लाविया ने मिली हुई उटली की नीमाओं का विमर्शनीकरण, परमाणु शस्त्रों, पनडुब्बियों, नावपीडों, विमान वाहक जहाजों के निर्माण पर प्रतिबन्ध तथा टैंकों की संख्या घटा कर २०० कर दी गयी। नौ बंदों ने युद्ध पोतों की संख्या घटा कर दो और शफरों और नावियों की संख्या कुल २५०० कर दी गयी। घन सेना में सैनिकों की संख्या २५०००० और हवाई बंदों में लड़ाकू विमानों की संख्या घटाकर २०० और यानायात विमानों की संख्या १५० कर दी गयी।

क्षतिपूर्ति—नया हुआ कि उटली क्षतिपूर्ति के रूप में रूस को १० करोड़ टालर, यूगोस्लाविया को १२ करोड़ ५० लाख टालर, यूनान को १० करोड़ ५० लाख टालर, ज्योपिया को २॥ करोड़ और अल्बानिया को ५० लाख टालर देगा।

२. रूमानिया

प्रवेश—रूमानिया की नीमाओं का पुनर्स्थापन।

निशस्त्रीकरण—घन सेना में विमानमानक पोतों की संख्या १००००० में घटाकर ५ हजार कर दी गई। नौ सेना में १५ हजार टन के जहाज और ५ हजार पनबारी, हवाई बंदों के विमानों की संख्या १५० और सैनिकों की संख्या ८०००० कर दी गई। शस्त्रों पर प्रतिबन्ध बना ही बनाया गया जैसा कि उटली में।

क्षतिपूर्ति—१० अक्टूबर १९४४ में रूस को ८ वर्षों में ३० करोड़ टालर देगा।

३. इजरी

प्रवेश—१ जनवरी १९३८ को आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के साथ निशस्त्रीकृत नीमाओं का पुनर्स्थापन, तीन भागों को चेकोस्लोवाकिया, ट्रान्सिलानिया और रूमानिया में बांट दिया गया।

निशस्त्रीकरण—घन सेना में सैनिकों की संख्या ९५ हजार, हवाई बंदों में ५ हजार सैनिक और २० विमान। उटली की तरह जर्मनी पर प्रतिबन्ध।

क्षतिपूर्ति—८ वर्षों की अवधि में रूस को २० करोड़, यूगोस्लाविया को १ करोड़ और चेकोस्लोवाकिया को ५ करोड़ टालर।

४. बल्गेरिया

प्रवेश—जनवरी १९४१ की नीमाओं का पुनर्स्थापन।

निशस्त्रीकरण—थल सेना में सैनिक ५५ हजार, नौ बड़े में ३५०० सैनिक और २५० टन के जहाज, हवाई वेडे में ५२०० सैनिक और ६० विमान, शस्त्रों पर प्रतिबन्ध डटली की तरह ।

क्षतिपूर्ति—४। करोड डालर यूनान को, २। करोड यूगोस्लोवाकिया को ८ वर्षों की अवधि में ।

५ फिनलैंड

प्रदेश—जनवरी १९४१ की सीमाओं का पुनर्संस्थापन केवल पेट्सामो को छोड़कर जो रूस को सौंपा जा चुका है । १२ मार्च १९४० का सोवियत-फिनिश संधि का पुनर्संस्थापन ।

निशस्त्रीकरण—थल सेना में सैनिकों की संख्या ३४४००, नौ वेडे में कर्मचारियों की संख्या ४५०० और ७० हजार टन के जहाज, हवाई वेडे में ३००० आदमी और ६० विमान ।

क्षतिपूर्ति—१९ सितम्बर १९४४ से ८ वर्षों में सोवियत संधि को ३० करोड डालर ।

जर्मनी (१९४५-५३)

जर्मनी के आत्मसमर्पण करने के बाद जर्मनी पर अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का अधिकार माना गया । इससे जर्मनी को ४ टुकड़ों में विभाजित करना पड़ा । विभाजन के अनुसार अमरीका को १ करोड ५ लाख की आबादी का ५२५०० वर्ग मील क्षेत्र, ब्रिटेन को २ करोड ३० लाख की आबादी का ३६ हजार वर्गमील क्षेत्र, फ्रांस को ६० लाख की आबादी का १६५००० वर्ग मील का क्षेत्र और रूस को १ करोड ८० लाख की जनसंख्या की ४५ हजार वर्ग मील भूमि प्राप्त हुई । राजधानी बर्लिन को चार राष्ट्रों के नेतृत्व में चार भागों में विभाजित कर दिया गया । निश्चय हुआ कि जर्मनी पर शासन सम्बन्धित देशों की सरकारों के आदेश पर ही होगा । चारों क्षेत्रों के मनापतियों को मिलाकर एक नियंत्रण परिषद् (कंट्रोल काउंसिल) बनेगा जिसका निर्णय चारों क्षेत्रों को मानना होगा । २ अगस्त १९४५ को पोर्ट्समडम में अमरीका, ब्रिटेन और रूस के तीन प्रमुख अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें निम्नलिखित निर्णय किये गये (१) शांति संधियों के लिये तीनों देशों के विदेश मन्त्री आवश्यक कार्यक्रम तैयार करें । (२) जर्मनी का पूर्ण रूप से असैनिकरण और निशस्त्रीकरण (३) नाजी कानून का उन्मूलन और नाजी दल को भंग किया जाय । (४) युद्ध अपराधियों पर मुकदमा । (५) प्रशासन का केन्द्रीयकरण तथा गणतन्त्री उन्मूलन पर स्थानीय उत्तरदायित्व का विकास ।

(६) अरबों और वास्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबन्ध । (७) जर्मनी की विदेशों में पत्ती सम्पत्ति और औद्योगिक उत्पादनों में प्राप्त राकम धनिपूर्ति अर्थात् करने में व्यय की जाय ।

१९४६ में जर्मनी में सम्बन्धित प्रत्येक मामलों पर रूस और अमरीका में सेनाबाना होने लगी । धनिपूर्ति, सीमा निर्धारण तथा जर्मन सरकार के भविष्य को लेकर भारी बनाव फौज गया । रूस की मांग थी कि जर्मनी को प्रतिशान्ति मधीय राज्य बनाया जाय और वह १८ वर्षों के भीतर १० अरब डॉलर धनिपूर्ति अर्थात् करे । इसके अतिरिक्त रूस का अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया जाय और पूर्वी सीमायें नये रूप में निर्धारित की जाय । आग्ल-अमरीकी गुट बाहता था कि जर्मनी में डेमोक्रेटिक फेडरल सरकार की स्थापना की जाय, सेनाओं का पुनर्निर्धारण किया जाय और जर्मनी की शासन आधिक दृष्टि में स्वयं बना दी जाय जिनमें वह धनिपूर्ति आगानी में अर्थात् कर लगे । उन सम्बन्ध में १९४७ में लन्दन और मास्को में चार विदेश मन्त्रियों का दो बार सम्मेलन हुआ लेकिन अन्तर्फल नही । ६ फरवरी १९४९ को आग्ल-अमरीकी क्षेत्रों के अधिकारियों ने मिलकर रूसी विरोध के बावजूद मगशिन और अर्थात्नी शासन बनाने का निश्चय किया । नोबियल सभ ने उनके विरोध में विदेश मंत्री परिषद् और नियतन परिषद् में सम्बन्ध विच्छेद कर दिया । १९४८ में नोबियल सभ में बर्लिन जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया और उन तरह चीन पर आक्रमण हो गया । पश्चिमी राष्ट्रों ने ९ महीनों तक बर्लिन की जर्मनों को विमान द्वारा भेज कर पूरा किया । १३ अप्रैल १९४९ को वाणिज्यिक में तीन विदेश मन्त्रियों (बेसिन, मन्ना तथा ग्लेन) का एक सम्मेलन हुआ जिनके अन्तर्गत चीनी देशों के जर्मन-देशों को अन्तर्कर एक पश्चिमी जर्मन सरकार की स्थापना कर दी गई और उसकी राजधानी बोनन की गई । उनके अतिरिक्त मैनिग शासन के स्थान पर नागरिक शासन हाकम कर दिया गया । १२ मई १९४९ को रूस ने बर्लिन पर तो रक्षा किया । अमरीका ने जर्मनी की शासन आधिक दृष्टि में शासन बनाने के लिये सहाय स्थापना योजना के अन्तर्गत उसे ४० करोड़ ६० लाख डॉलर की सहायता देनी स्वीकार की । २६ मई १९४९ को पश्चिमी राष्ट्रों ने विदेशों में पत्ती की धनिपूर्ति की मांग कम कर दी थी पश्चिमी जर्मनी में जलज निर्माण, कुटनीयों की विप्लवित तथा मधीय शासकी अधिकार बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और अरब में अरब में विदेशी अर्थात् अर्थात् किया । उन तरह नोबियल सभ के सम्बन्ध विच्छेद के जर्मनी और अर्थात् के नाम आदि अर्थात् अर्थात् कर लगे की जा लगे है ।

१९४९ के दूर में पूर्वी जर्मनी में अर्थात् अर्थात् के सम्बन्ध में विदेशों में पत्ती अर्थात् के अर्थात् कर लगे की जा लगे है ।

दल मुर्दाबाद' के नारे लगाये । पश्चिमी राष्ट्रों का कहना है कि यह उपद्रव साम्यवादी निरकुशता के विरुद्ध जनता के रोप के स्वाभाविक परिणाम थे । किन्तु रूसी अधिकारियों ने फौजी कानून घोषित कर दिया और सैकड़ों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये । उन्होंने अमरीकियों पर इन उपद्रवों को भड़काने का आरोप लगाया है ।

जापानी शांति संधि

२ सितम्बर १९४५ को जापान द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देने पर अमरीकी सेनाओं ने टोकियो पर अधिकार जमा लिया और वहाँ अस्थायी सैनिक शासन की स्थापना कर दी । जनरल डगलस मैकार्थर वहाँ मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति नियुक्त हुए । रूस ने दक्षिणी सखालिन और कुरिल द्वीपों पर अपना अधिकार जमाया । फारमोसा और मंचूरिया चीन को वापस कर दिये । कोरिया में रूस ने ३८ वीं समानान्तर रेखा के उत्तर और अमरीकी फौजों ने इस रेखा के दक्षिणी भाग पर कब्जा जमाया । दिसम्बर में सर्वोच्च सेनापति के अधीन जापान में मित्रराष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटेन, अमरीका, चीन और रूस के प्रतिनिधि रखे गये । मित्र-राष्ट्रीय परिषद् की नीति और सलाह को कार्यान्वित करने के लिये फरवरी १९४६ में वार्शिंगटन में ११ राज्यों के एक सुदूर पूर्वी कमीशन की स्थापना की गई । मित्रराष्ट्रीय परिषद् ने जापान को निरास्त्र कर दिया और युद्ध अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की व्यवस्था की । जापान में सबसे बड़ी व्यापारी संस्था जेवांसू को भंग कर दिया और जापान के लिये एक नया संविधान तैयार किया । नये संविधान में युद्ध की निन्दा की गई और एक उत्तरदायी संसदीय सरकार की स्थापना की गई । जापान संसद अर्थात् डायट में दो सभायें हैं एक कामलरो की सभा और दूसरी प्रतिनिधि सभा अर्थात् लोक सभा । वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका निर्वाचन क्रमशः ६ और ४ वर्षों के लिये होता है । संविधान में भाषण, प्रकाशन, निष्पक्ष अदालती जाच, अनिवार्य शिक्षा, तथा जाति व धार्मिक स्वतन्त्रता की व्यवस्था है । प्रथम चुनाव १० अप्रैल १९४६ में हुए और प्रधान मंत्री शिगेरु योगीदा ने चुनाव के एक मास बाद संयुक्त मन्त्रिमंडल की स्थापना की । किन्तु क्षतिपूर्ति और पुनर्शांतीकरण के प्रश्न ने शांति संधि में देर कर दी । १२ मई १९४६ को क्षतिपूर्ति की मात्रा २५ प्रतिशत घटा दी गई । १३ अप्रैल १९५१ को जनरल मैकार्थर (कोरियाई युद्ध को रोकने के लिये कम्युनिस्ट चीन के विरुद्ध आक्रमणकारी कार्रवाई के लिये जिद्द करने के कारण) वापस बुला लिये गये और उनके स्थान पर ले० जनरल मैथ्यू रिजवे सर्वोच्च सेनापति नियुक्त हुए । ११ महीने तक वार्ता के बाद जापानी संधि पर विचार करने के लिये ५२

व्याख्यान ६

संयुक्त राष्ट्रसंघ

विषय प्रवेश—द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव, विश्व के आर्थिक मामलो को अनिवार्य रूप से एक प्रणाली में एकरूपता, श्रम अवस्थाओं के समीकरण की बलवती आवश्यकता, जीवन के न्यूनतम स्तर और मानव अस्तित्व के भय ने एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय विभाग को जन्म दिया तथा विश्व सगठन की नींव डाली। विज्ञान की नई शक्तियों उदाहरणतः मशीनगन तथा अणुबमों से लड़े गये युद्धों से हुए विनाश तथा महानाशों ने मानव जीवन की अनित्यता को बदल दिया और शान्ति स्थापना के लिये विश्व मैत्रित्व की भावना को जन्म दिया। अतः उस प्रलय को, जिसका अनुभव मनुष्यों ने अब किया है, रोकने के लिये विश्व के राष्ट्र विशेषकर अमरीका, ब्रिटेन तथा रूस ने विश्व न्याय तथा मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिये एक स्थायी विश्व सगठन की स्थापना के निमित्त सजग तथा सामूहिक प्रयास आरम्भ किये। ६ जनवरी १९४१ को जब कि सम्पूर्ण यूरोप घुरी पर गिर चुका था राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चार आवश्यक स्वाधीनताओं की घोषणा की—

(१) भाषण व अपने अन्य विचारों को प्रगट करने की स्वतन्त्रता।
(२) ईश्वर की पूजा व उपासना करने की स्वतन्त्रता। (३) आर्थिक अभाव व कमी से स्वतन्त्रता तथा (४) भय से स्वतन्त्रता जिसका विश्व की भाषा में अनुदित अर्थ होता है कि विश्व भर में इस स्तर तक तथा इस ढग से निशस्त्रीकरण किया जाय कि मसार में कहीं भी कोई राष्ट्र इस अवस्था में न रह जाय कि दूसरे पड़ोसी राष्ट्र पर शारीरिक अत्याचार कर सके। १२ जून १९४१ को १४ देशों के प्रतिनिधि जिसमें यूरोप के ६ निर्वासित देश भी सम्मिलित थे, लन्दन में मिले और बलपूर्वक घोषणा की कि शान्ति स्थापना का एक मात्र सत्य आधार विश्व के स्वतन्त्र व्यक्तियों का इच्छा प्रेरित सहयोग है जिससे अत्याचार के भय से मुक्त होकर सभी आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा का आनन्द उठा सकेंगे।

जन्म तथा विकास

“संयुक्त राष्ट्रसंघ” नाम फ्रैंकलिन डिलेन रूजवेल्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका पहला प्रयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई घोषणा में हुआ था और बाद में अमरीका के स्व० राष्ट्रपति को अर्द्धाजनिस्वरूप नये अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की सजा के रूप में दिया गया था।

सदस्यता बड़े छोटे सभी राष्ट्रों के लिए खुली हो। चार राष्ट्रों की उक्त घोषणा के दो महिने के बाद चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन प्रथम बार ईरान की राजधानी तेहरान में मिले। इन तीनों नेताओं ने घोषणा की कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह प्रयास स्थायी शान्ति की स्थापना में सफल सिद्ध होगा। उन्होंने कहा—हम स्वीकार करते हैं कि शान्ति स्थापना का उत्तरदायित्व तमाम सयुक्त राष्ट्रों और हम पर निर्भर करता है जिसका उद्देश्य विश्व में सद्भावना कायम करना और ससार से युद्ध के भय और भावना को सदा के लिए अन्त कर देना है।

आर्थिक और सामाजिक समस्याओं सम्बन्धी सम्मेलन

ग्राम अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की स्थापना के पूर्व सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर विचार करने के लिए सयुक्त राष्ट्रसंघ के कई सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन मई-जून १९४३ में वर्जिनिया (हाट्सिंग्स) में हुआ जिसमें खाद्य और कृषि सम्बन्धी एक अन्तरिम धायोग की स्थापना की गई जो एफ ए ओ के नाम से पुकारा गया। अक्टूबर १९४२ में लन्दन में हुए मित्रराष्ट्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में एक सयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सस्था (युनेस्को) की स्थापना के लिये योजनाएँ बनाई गईं। इसी बीच ६ नवम्बर १९४३ को वाशिंगटन में ४४ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने एक समझौते द्वारा सयुक्त राष्ट्रसंघ सहायता तथा पुनर्वास प्रशासन सस्था की स्थापना की। दूसरे ही दिन उक्त सस्था की बैठक न्यूजर्सी में हुई। जुलाई १९४४ में न्यूहेम्पशायर में सयुक्त राष्ट्रसंघ मुद्रा तथा आर्थिक सम्मेलन हुआ जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक समझौता के लिए धारणें तैयार की गईं। निश्चय हुआ कि बैंक में जमा ६ अरब १० करोड़ डालर के कोष से लम्बी अवधि के लिए ऋण उचित सूद पर दिया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सिविल अमरीकी सम्मेलन नवम्बर-दिसम्बर १९४४ में शिकागो में हुआ।

डम्बार्टन ओक और याल्टा

७ अक्टूबर १९४४ को चीन, ब्रिटेन, रूस तथा अमरीका के प्रतिनिधियों की एक बैठक डम्बार्टन ओक में हुई जिसमें विश्व सस्था के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया। इस योजना के अनुसार चार मस्याओं—सभी सदस्यों की महासमिति (जनरल असेम्बली), ११ सदस्यों की सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और एक अन्तर्राष्ट्रीय अदालत को मिला कर सयुक्त राष्ट्रसंघ मस्या की स्थापना की जाय। सदस्य राष्ट्र युद्ध को रोकने तथा आक्रमणकारी कार्यवाहियों को दवाने के लिए सुरक्षा परिषद को मैनिक महायता देगे। कहा गया कि राष्ट्रसंघ के पान मैनिक ताकत न रहने के कारण ही वह असफल रहा। इसलिए सयुक्त

राष्ट्रमण्डल की संरचना के लिए सुरक्षा परिषद जैसी नया जगती समझी गई। यह योजना प्राथमिक अध्ययन और विचार के लिए सभी सदस्य मित्रदेशों को भेज दी गई।

उम्पाटन शीत के प्रस्तावों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नून ने उठ गई और वह थी सुरक्षा परिषद् मनदान की प्रणाली। ११ फरवरी १९४५ को विनिता (वाल्डा) में नचिन, रजवेल्ड और स्टार्लिन मनदान प्रणाली पर विचार करने के लिए मिले। बैठक में उक्त प्रस्ताव हल कर लिया गया और २५ अप्रैल १९४५ को नान प्रासिन्को में नयुन राष्ट्रमण्डल का एक सम्मेलन बुलाया गया। उसका उद्देश्य उम्पाटन शीत योजना के आधार पर प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रीय नन्दा का चार्टर तैयार करना था। अप्रैल में प्रेसिडेंट रजवेल्ड का अकस्मात् देहांत हो गया और उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति ट्रूमैन प्रेसिडेंट नियुक्त हुए।

नान प्रासिन्को सम्मेलन

२५ अप्रैल १९४५ को ५० राष्ट्रों के २५० प्रतिनिधि गोल्डन गेट नगर में एकत्रित हुए। ये प्रतिनिधि विश्व की आवादी का २० प्रतिशत में भी अधिक जनता का प्रतिनिधि त बन रहे थे। प्रतिनिधियों ने ननिवाचक के ३५०० योग्य परिचारियों के सहयोग में चार्टर तैयार करने का कार्य आरम्भ किया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधिमंडल सर रामानुजामी महाशयार सर फिरोज शा नून तथा सर बी. टी. कृष्णामायाजी ने लिया। इस सम्मेलन में विभिन्न भाषाओं और नमितिओं की ४०० भाषाई हुई थीं और १८८ भाषा प्रस्ताव पेश किये गये कि जेना तथा वि सम्मेलन भंग हो जायेगा। किन्तु आखिर चार्टर स्वीकार कर लिया गया और २६ जून का दिवस घोषणादिपण हल में ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने उन पर हस्ताक्षर कर दिये। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने सम्मेलन के अन्तिम अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा 'सत्यवत राष्ट्रमण्डल का वास्तविक रूप आदने सभी उम्पाटन विचारों पर एक नयी मण्डल ननिवाह है जिस पर हम एक नन्दर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। एक ही दिग्दर्शन आरम्भ सम्मान लियेगा।' भारत का चार्टर भी मण्डल विश्व की वास्तविक दिग्दर्शक है। यदि हमने इस चार्टर का आरम्भ न किया तो हम विश्व की उस दिग्दर्शक शक्त के सदृश समझे जायेंगे जिन्होंने धार्मिक सत्यमण्डल के लिए हमें मार्ग प्रदीप्त है। इसके बाद ही चर्चा आरम्भ चार्टर का प्रथम मसौदा आरम्भ की प्रतीक के तर्जुन किया जा रहा है कि मण्डल शीत आरम्भ के सम्मेलन का प्रथम चरण सम्मेलन सम्मेलन में गया। इसके अन्तर्गत में हम विचार सम्मेलन की २० भाषा उक्त भाषा का उद्देश्य बना। चर्चा चर्चा है कि ऐसी सम्मेलन शीत सम्मेलन चर्चा की सभी की सभी हुई थी।

२४ अक्टूबर १९४५ को हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा चार्टर की सम्पुष्टि किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कार्य आरम्भ कर दिया। चार वर्ष तक अथक परिश्रम के बाद युद्ध को रोकने, शांति और न्याय की स्थापना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का प्रयास सफल रहा। १० जनवरी १९४६ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल असेम्बली की प्रथम बैठक राष्ट्रसंघ की २६ वीं वर्षगांठ पर लन्दन के वेस्ट मिनिस्टर हाल में हुई।

संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर

उद्देश्य—चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के निम्न चार उद्देश्य थे

(१) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना, शांति का उल्लंघन कर आक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, किसी भी ऐसी कार्यवाई को रोकना जो शांति के लिये खतरनाक हो, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को न्याय के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना (२) समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना तथा विश्व शांति को मजबूत बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाई करना, (३) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य मानवीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और मानवीय अधिकारों तथा आधारभूत स्वतन्त्रता का सम्मान करना।

सिद्धान्त—चार्टर की धारा २ में उन मौलिक सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है जिन पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई है। वे हैं (१) संयुक्त राष्ट्रसंघ—इसके सारे सदस्यों के सार्वभौमिक समानता पर आधारित है। (२) प्रत्येक सदस्य चार्टर के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभायेगा। (३) सभी राष्ट्रों को अपने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना होगा जिससे शांति और सुरक्षा को खतरा न पहुंचे। (४) कोई भी राष्ट्र किसी भी देश की स्वतन्त्रता पर आक्रमण नहीं कर सकता। (५) कोई भी देश किसी देश को, जो चार्टर के विरुद्ध काम करेगा, महायत्ना नहीं देगा। (६) संयुक्त राष्ट्रसंघ को इस बात को देखना होगा कि वे देश जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं वे विश्व में शांति और सुरक्षा के सहयोग में बाधा तो नहीं डालते, (७) संयुक्त राष्ट्रसंघ किसी भी देश के धरेलू अर्थात् आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सदस्यता—सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले तमाम देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य माने गए। संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषणा पत्र का हस्ताक्षरकर्ता पोलैंड उक्त सम्मेलन में मम्मिनित नहीं हो सका था क्योंकि उस समय उसकी सरकार को संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी थी। इसीलिए चार्टर में उसके लिए एक स्थान सुरक्षित कर दिया गया था जो १५ अक्टूबर १९४५ को हस्ताक्षर कर

उभने प्राप्त कर लिया। उन तरह नवयुक्त राष्ट्रसंघ के प्राथमिक सदस्यों की संख्या ५१ थी। चार्टर की भाग ८ के अनुसार कोई भी शान्तिप्रिय राज्य जो चार्टर के निहान्तों पर चर्च को संसार ही नवयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन सकता था। नये सदस्य मुद्रा परिषद की निर्धारण पर ही बनाए जा सकते थे। उनके लिए जनरल असेम्बली (सहामिति) के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना जरूरी होता था। १९४६-४९ में आंग्ल-प्रमरी की मुद्रा ने अन्तर्निष्ठा क्यूबिया, इगरी, मनीनिया और रमानिया को नवयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने का विशेष किया और नोबिलत मधुन आम्बिया, आयरलैंड, फिलीपिंस, उरुगी, पुतगाल तथा ट्रांसजोर्न के सदस्यता के आवेदन पत्र को स्वीकार करने में त्वरार कर दिया। २३ीं चीन १९४६ में पाकिस्तान, आइसलैंड, स्वीडन तथा थाइलैंड, १९४८ में पाकिस्तान और यमन, १९४८ में बर्मा, १९४९ में उजरादन, १९५० में हिन्दोमिया और १९५५-५६ में अन्त १७ राष्ट्र नवयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य स्वीकार कर लिए गए। उन तरह कुल सदस्य राज्यों की संख्या ७९ हो गई।

नवयुक्त राष्ट्रसंघ के वर्तमान सदस्य राज्यों की संख्या निम्न ८९ है — अ-क-

पहले लेक सक्सेस तथा पलशिग मेडो में थे। बाद में १४ अक्टूबर १९५२ को न्यूयार्क की ४२ वी गली में १। करोड़ डालर की लागत से तैयार विशाल भवन में सघ का स्थायी कार्यालय लाया गया तभी से वह वही है। सयुक्त राष्ट्रसघ की सरकारी भाषाये चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनिश है। इसका काम अधिकतर अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में होता है।

महासभा (जनरल असेम्बली)

महासभा में जो सयुक्त राष्ट्रसघ की घुरी है तमाम सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एक सदस्य को एक मत का अधिकार होता है। महासभा की बैठक प्रतिवर्ष २ सितम्बर के बाद होती है जिसका एक ही अधिवेशन होता है। सयुक्त राष्ट्रसघ की बहुमत की माग पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। महामंत्री को १५ दिन के नोटिस पर अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य को महासभा की विषय सूची पर कोई भी विषय विचारार्थ रखने का अधिकार है किन्तु वह विषय घरेलू अर्थात् देश के आंतरिक मामलों से सम्बन्धित नहीं होना चाहिये। विषय चार्टर के अनुसार होना चाहिए।

✓ महासभा के कार्य निम्न प्रकार हैं (१) शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धान्तों पर विचार करना और उस पर अपनी सिफारिशें देना। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण तथा शस्त्रीकरण के सिद्धान्तों पर शांति व सुरक्षा का ध्यान रखते हुए विचार करना तथा अपनी सिफारिशें देना (२) किसी भी समस्या पर जो शांति और सुरक्षा के लिये घातक है, विचार करना और सिफारिशें देना। (४) अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक सहयोग को प्रोत्साहित करने, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास, मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सुसम्बन्ध कायम करने पर विचार और उन पर आवश्यक सिफारिशें देना। (५) सुरक्षा परिषद तथा सयुक्त राष्ट्रसघ के अन्य विभागों से रिपोर्टें प्राप्त करना और उन पर विचार करना। (६) राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्धों पर प्रभाव डालने वाली किसी भी स्थिति को शांतिपूर्वक ढंग में सुलझाने के लिए सिफारिशें देना। संरक्षक समझौतों को संरक्षक परिषद द्वारा निरीक्षण और क्रियान्वित कराना (८) सुरक्षा परिषद के लिए ६ अस्थायी सदस्य, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के लिए १८ सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के लिये १५ जजों को चुनना और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महामंत्री नियुक्त करना। (९) सयुक्त राष्ट्रसघ के बजट पर विचार करना तथा उस पर अपना निर्णय देना।


महामभा में मतदान की प्रणाली इस सिद्धान्त पर आधारित है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई के मत से किये जा सकते हैं।

धारा १८ के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न निम्न प्रकार के माने गए हैं (१) अन्तर्राष्ट्रीय नाविकी की सुरक्षा सम्बन्धी गिकान्तियों (२) सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का चुनाव (३) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव (४) सुरक्षा परिषद के सदस्यों का चुनाव (५) संयुक्त राष्ट्रसंघ के नये सदस्य बनाना (६) सदस्यों के अधिकारों और सुविधाओं का स्थान (७) सुरक्षा व्यवस्था की सामान्य करने सम्बन्धी प्रश्न (८) वजेट सम्बन्धी प्रश्न। अन्य प्रश्नों का निर्णय उपर्युक्त साधारण बहुमत द्वारा ही दिया जाता है। उन सदस्य राष्ट्रों को जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रथम पूर्ण सभा नहीं दिया है, मत देने का अधिकार नहीं होता। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिये अध्यक्ष चुनती है। उन्हे अल्पमत पडने पर और सम्बन्ध स्थापित करने का भी अधिकार है।

महासभा का कार्य ६ प्रमुख समितियों द्वारा होता है। जिन्हे सभी सदस्यों को भंग देने का अधिकार है। ये ६ समितियाँ निम्न प्रकार हैं राजनैतिक तथा सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक, सुरक्षा, प्रशासनिक और वजेट सम्बन्धी, तथा कानूनी। प्रत्येक समिति प्रथम सत्र-सत्रक सम्बन्ध, उपासक और निरासक चुनती है। सदस्यों का चुनाव योग्यता और अनुभव के परिधि का समान भीगोवित विचारण के आधार पर होता है। महासभा समय समय पर सर्वा (एकदम) समितियों और आयोगों की स्थापना करती है जैसे कि १९ सत्रसत्र १९६४ में चुनाव, सांस्कृतिक, वित्तीय तथा सामाजिकता के विचारों का विचारण करने के लिये उनमें सदभावना समिति की स्थापना की। उनके योग्यता में संयुक्त राष्ट्र आयोग (समीक्षण) की भी स्थापना की है। महासभा के द्वारा, बीसरे तथा तीसरे अधिवेशनों में सभी सदस्यों को मित्रांतर समिष्टित राष्ट्र के लिये आर्थिक समिति की स्थापना की गई जिसका काम उन प्रश्नों पर विचार करना का निम्न नाविकी और सुरक्षा पर प्रभाव पडने का स्थान हो। उन सभी का काम छोटी सभा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का १९५६ के वजेट का अनुमान ६५,२००,००० डॉलर* है जो १९५५ में २२,३०० डॉलर कम है। वजेट उन चार-भूषण द्वारा उत्पन्न का सदस्य राष्ट्रों के लिये प्रस्तुत होगा। कुल सर्व-भूषण व्यय ३६२ प्रतिशत, प्रिन्सिपल १६५ प्रतिशत, सहायक १०५ प्रतिशत, फंड और कीर फंड ५-५ प्रतिशत और भारत ३ प्रतिशत अनुमानित होगा।

महासभा का प्रथम अधिवेशन १० जनवरी १९४९ का उद्देश्य में साधारण हुआ। यह सत्रसत्र १९५४ का महासभा का २ वा अधिवेशन सुरक्षा में लिये सत्र में साधारण होगा। उस समय बीसरे सत्र के Dr. B. N. van Kleeff-महासभा के अध्यक्ष चुन गए हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के प्रतिनिधि, सत्रसत्र के १६ सत्र ३, २० में बनाकर रहा है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का संगठन



सेना श्री ची के राष्ट्रमन्त्र है । श्री गणराज्य नवयुक्त राष्ट्रमण्डल में भारत के नवावी प्रतिनिधि है ।

सुरक्षा परिषद

सुरक्षा परिषद में ११ सदस्य हैं । उनमें में पांच स्थायी तीन ६ अस्थायी सदस्य हैं । चीन, फ्रान्स, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका स्थायी सदस्य हैं । परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, वेल्जियम ईरान, पोल (यह तीन १९५७ पर्यन्त), श्रीर अस्ट्रेलिया, स्पेन, यूगोस्लाविया (१९५८ पर्यन्त) । नाति स्थापना सम्बन्धी गोन्यता और अनभय तथा समान भौचोचित प्रितरण के आधार पर नवयुक्त राष्ट्रीय महानभा दो वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यो को चुना करती है । कोई सदस्य अविम्व्य पुन निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होते । परिषद की सदस्य मन्त्रा निदिष्ट होने में छोटे छोटे सदस्य राज्य उनकी मन्त्रा ही वक्ति के लिए सदस्यो नहीं कर सकते जैसे कि पुरातन राष्ट्रमण्डल की परिषद में हुआ करता था । परन्तु भविष्य में यदि कोई महान शक्ति का उदयान हो तो चार्टर के मन्त्रा इन क बिना उनको भी परिषद में स्थायी स्थान मिलना अनम्भय है । प्रत्येक सदस्य राज्य का केवल एक ही प्रतिनिधि परिषद में उपस्थित हो सकता है ।

कार्यक्रम—सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है । राष्ट्रमण्डल के उद्देश्य के अनुसार शान्ति स्थापना के लिए अतिम्व्य समन्वय करती है । एकिक्ये द्वारा २१ के अनुसार सुरक्षा परिषद की बैठक महीने में दो बार होती है । सप्तमी बुधवार के अनुसार परिषद की बैठक महीने की दो बार होती है । आज्ञात परिषद की बैठक अनुसार में होती है । परिषद का प्रत्येक सदस्य एक मत देने का अधिकारी होता है । केवल कार्यक्रम सम्बन्धी मामलो पर किसी मात्र सदस्यो की प्रयोग्य सूत्रर वोट के निर्णय किया जाता है । एक सभी मामला (गुप्त-वृत्त) में (संरक्षण का पृथक मतदान) मात्र सदस्यो की प्रयोग्य सूत्रर वोट जिसमें पांच स्थायी समान सदस्यो की सहमति हो किसी भी निर्णय के लिए पर्याप्त है । एक स्थायी सदस्यो में से यदि एक भी प्रस्तावना का और अपने दोष के अधिकार का उपयोग कर कर विचार । एक स्थायी सदस्यो के लिए वोट (विटो) करने है । साथ ही से एक स्थायी सदस्यो का मतदान किसी निर्णय में सम्मत् होना पर्याप्त है । एक सम्मत् स्थायी शान्ति निर्णय भी प्रत्येक स्थायी सदस्य की परमपरिणत अस्था वोट महीने के दो निर्णयपरिणत वोट महीने का मतदान है । यदि परिषद का कोई भी सदस्य स्थायी सदस्य सम्बन्धी किसी अर्थो में विचार हो तो एक सम्मत् ही विचार होता है (धारा २५) ।

सुरक्षा परिषद में केवल उन्ने सदस्य ही वोट के मन्त्रो है । परन्तु एक स्थायी सदस्य परिषद का सदस्य नहीं है और एक सदस्य भी को अनुसार सम्मत्त एक सदस्य

नहीं है, परिपद के विशेष आमन्त्रण से कार्यक्रम में भाग ले सकता है किन्तु उमका मताधिकार नहीं होता। विशेष आमन्त्रण दो आधार पर हो सकता है। प्रथम यदि परिपद की दृष्टि में कोई विचाराधीन समस्या के निर्णय में किसी सदस्य राज्य के स्वार्थ की हानि हो तो वह उस राज्य को उसमें भाग लेने के लिए अनुरोध कर सकता है (धारा ३८)। द्वितीय, यदि कोई सयुक्त राष्ट्रीय सदस्य या गैर सदस्य सुरक्षा परिपद के विचाराधीन प्रश्न में एक दल है तो उसे वहस में बिना मताधिकार के भाग लेने के लिए प्रवश्य बुलाना चाहिये। सुरक्षा परिपद अपने अध्यक्ष की निर्वाचन प्रणाली तथा कार्यवाही के नियम आदि अपने आप ही प्रस्तुत करती है (धारा ३०)। परिपद के सदस्य, अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के क्रमानुसार एक महीने के लिए अध्यक्ष बनते रहते हैं। यदि परिपद के विचाराधीन प्रश्न में अध्यक्ष का राज्य, प्रत्यक्ष रूप में सयुक्त हो, तो उम समय के लिए वह चाहे तो अनुपस्थित रह सकता है।

सयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर (आदेश पत्र) में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये परिपद के हस्तक्षेप की चार विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है।

प्रथम अवस्था—शान्तिपूर्ण समझौता (धारा ३३)। किसी भगड़े के दलों को अपने भगड़े, वार्ता, जांच, सोच-विचार, विचार-विमर्श, मध्यस्थ-निर्णय, न्यायिक समझौता, प्रादेशिक नस्थाओं का प्रस्थापना, प्रबन्धों या अपने इच्छानुसार अन्य शान्तिपूर्ण ढंग में तय कर लेने चाहिए। कोई भी राज्य, जो सयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं है सुरक्षा परिपद या महासभा के सामने वह भगड़ा ला सकता है जिसमें वह भी सम्मिलित है। परन्तु शर्त यह है कि वह चार्टर के शान्ति समझौता की वाध्यतामूलक शर्तों को मान ले।

द्वितीय अवस्था—यदि शान्ति भंग हो जाय अथवा एक राज्य दूसरे पर आक्रमण करे तो परिपद भगड़ने वाले राज्यों को अपनी स्थायी शर्तों के स्वीकार करने के लिए आह्वान कर सकता है किन्तु उस अवस्था में उन राज्यों के अधिकार तथा दावे अधुण रहेंगे। उदाहरण के तौर पर वह मांग कर सकती है कि सम्बन्धित देश अपनी सेनाएँ कथित स्थिति पर बुला ले या युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करे। यदि एक अथवा दोनों दल इन मांग को अस्वीकार कर दे तो यह भविष्य की कार्यवाही के लिए नोट किया जायगा (धारा ३६-४०)।

तृतीय अवस्था—परिपद सदस्य राज्य से आर्थिक नाकेबन्दी करने—जिसमें रेल, डाक, मसुद्र, वायु, तार, रेडियो, तथा यातायात के अन्य साधनों की पूरी या आधी रूकावट या कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद सम्मिलित हो—को कह सकती है (धारा ४१)।

चतुर्थ अवस्था—अन्त में यदि परिपद के विचार में यह सब ढंग अपर्याप्त हो तो वह सभी नैतिक कार्यवाही, मैन्य प्रदर्शन, अवरोध तथा वायु, जल या स्थल सेना का

प्रयोग सिद्धि के अन्तर्गत कर सकती है। नवयुक्त राष्ट्रीय मन्त्र्य (भाग ४३) प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके आह्वान पर नवयुक्त संघ महासभा तथा नवयुक्त राष्ट्रसंघ जिनमें नवयुक्त राष्ट्रसंघ भी शामिल है प्रवेश करेंगे। नवयुक्त राष्ट्रसंघ की संघ महासभा की पूर्ति के लिए नवयुक्त अन्तरराष्ट्रीय मन्त्र्यो का उद्देश्य है कि वे नवयुक्त राष्ट्रीय राष्ट्रसंघ प्रवेश करें, जिनमें कि नवयुक्त राष्ट्रीय कार्यवाही अस्तित्व में आ सके (भाग ४५)।

नवयुक्त राष्ट्रसंघ का उद्देश्य भी अस्तित्व में है कि वह महासभा को किसी सदस्य जिनके विरुद्ध सुरक्षात्मक वास्तुकारण पत्र उठाया जा सके है की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अस्तित्व की निष्पत्ति कर सके। यह परिषद महासभा के विरुद्ध अतिव्ययन भी कर सकती है। परिषद संघित दृष्टि में महासभा के लिए प्रस्ताव नमस्कोते या नमस्कोत करती है और सुरक्षा परिषद के सदस्यो पर महासभा की प्राणायामित परिषद् (अन्तरराष्ट्रीय राष्ट्रसंघ) के सदस्य हो जाते हैं। इनके अस्तित्व महासभा की वह उन नवयुक्तो को निष्पत्ति करती है जिनके आचार पर महासभा राष्ट्रसंघ का भी सदस्य, अन्तरराष्ट्रीय स्वायत्तत्व विधान के आधीन हो जाता है तथा महासभा के निर्णय के अन्तर्गत होने में नवयुक्तो को निष्पत्ति करती है। सुरक्षा परिषद् तथा महासभा का साथ ही महासभा के सदस्यो पर महासभा की सुरक्षा के लिए निष्पत्ति करती है।

वार्षिक रिपोर्ट पेश करना परिषद् के प्रधान कार्य है। परिषद् के सहायक अग तीन प्रकार के हैं—स्थायी, अस्थायी और विशेष। स्थाई अगो में प्रथम—सैन्य कर्मचारी वृन्द समिति—इसमें परिषद् के पाच स्थाई राज्यों के सेनापति होते हैं और वे अपने आधीन सशस्त्र सेनाओं का संचालन, शस्त्रीकरण तथा सम्भावित नि शस्त्रीकरण के लिये उत्तरदायी होते हैं। द्वितीय—विशेषज्ञों की समिति—जो कि परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यवाही नियमों का सशोधन, व्याख्यान और पुनर्विचार करती है। इसमें परिषद् के प्रत्येक सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तृतीय—नये सदस्यों के प्रवेश की समिति—जिसमें परिषद् के प्रत्येक सदस्य के एक एक प्रतिनिधि होते हैं। यह समिति चार्टर की चतुर्थ धारा के अनुसार गैर सदस्य राज्यों के ५० रा० स० में प्रवेश करने के आवेदन-पत्रों की छानबीन करती है। अस्थायी सहायक अगो में—अणुशक्ति आयोग (एटोमिक एनर्जी कमीशन) जिसमें सुरक्षा परिषद् के सभी सदस्य और कनाडा सम्मिलित हैं, उल्लेखनीय है। इसके कार्य—शान्ति के लिये सभी राष्ट्रों के मध्य आधारभूत वैज्ञानिक सूचनाओं का विनिमय तथा शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के निमित्त प्रयोग के लिये, अणुशक्ति नियन्त्रण के सुभाव देना है। नि शस्त्रीकरण का क्रियमन, अस्त्र-शस्त्र तथा मैन पर नियन्त्रण के लिये प्रथिय शस्त्रीकरण आयोग (कन्वेनशनल आर्माइन्टस् कमीशन) जिसमें सुरक्षा परिषद् के सदस्य होते हैं, परिषद् के एक अन्य अस्थायी सहायक अग के रूप में कार्य कर रहा है। विशेष सहायक अगो में ५० रा० ने भारत व पाकिस्तान, कोरिया, दल्बान तथा फिलस्तीन आदि प्रत्येक समस्या के लिए पृथक आयोग को नियुक्त किया है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद् सयुक्त राष्ट्रसंघ का सबसे महत्वपूर्ण अग है क्योंकि इसकी सफलता या असफलता से शांति या युद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक अथवा निक्षेपित-राज्य का निर्णय होता है।

एक आधुनिक लेखक के मत में सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों को निपेधाधिकार (वीटो) देने से इसकी अन्तर्राष्ट्रीय भंगडो को निबटाने की शक्ति बहुत ही सीमित हो गयी है। गत दस वर्ष की अवधि में सयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश प्रार्थी राज्यों जिनमें मंगोलिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया, जापान और साम्यवादी चीन हैं, का आवेदन पत्र कभी रूस और कभी आंग्ल-अमरीकी गुट के निपेधाधिकार प्रयोग से रद्द हो गया। चार वर्ष से कोरिया में साम्यवादियों ने राष्ट्रसंघ की लडाईं जारी है। काश्मीर में भारत-पाकिस्तान विरोध, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति, यूरोप में शीत-युद्ध नीति और अणुशक्ति नियन्त्रण प्रश्न का हल सुरक्षा परिषद् अभी तक नहीं कर पाई। परन्तु परिषद् की सहायता में हिन्देशिया तथा इजराइल का निर्माण सम्भव हुआ। परिषद् ने

वार्षिक रिपोर्ट पेश करना परिषद् के प्रधान कार्य है। परिषद् के सहायक अग तीन प्रकार के हैं—स्थायी, अस्थायी और विशेष। स्थाई अगों में प्रथम—सैन्य कर्मचारी वृन्द समिति—इसमें परिषद् के पाच स्थाई राज्यों के सेनापति होते हैं और वे अपने आधीन सशस्त्र सेनाओं का संचालन, शस्त्रीकरण तथा सम्भावित निःशस्त्रीकरण के लिये उत्तरदायी होते हैं। द्वितीय—विशेषज्ञों की समिति—जो कि परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यवाही नियमों का सशोधन, व्याख्यान और पुनर्विचार करती है। इसमें परिषद् के प्रत्येक सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तृतीय—नये सदस्यों के प्रवेश की समिति—जिसमें परिषद् के प्रत्येक सदस्य के एक एक प्रतिनिधि होते हैं। यह समिति चार्टर की चतुर्थ धारा के अनुसार गैर सदस्य राज्यों के २० २० ० में प्रवेश करने के आवेदन-पत्रों की छानबीन करती है। अस्थायी सहायक अगों में—अणुशक्ति आयोग (एटोमिक एनर्जी कमीशन) जिसमें सुरक्षा परिषद् के सभी सदस्य और कनाडा सम्मिलित हैं, उल्लेखनीय है। इसके कार्य—शान्ति के लिये सभी राष्ट्रों के मध्य आधारभूत वैज्ञानिक सूचनाओं का विनिमय तथा शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के निमित्त प्रयोग के लिये, अणुशक्ति नियन्त्रण के सुभाव देना है। निःशस्त्रीकरण का क्रियमन, अस्त्र-शस्त्र तथा सेना पर नियन्त्रण के लिये प्रथीय शस्त्रीकरण आयोग (कन्वेंशनल आर्म्समेन्टस् कमीशन) जिसमें सुरक्षा परिषद् के सदस्य होते हैं, परिषद् के एक अन्य अस्थायी सहायक अग के रूप में कार्य कर रहा है। विशेष सहायक अगों में २० २० ० ने भारत व पाकिस्तान, कोरिया, बल्बान तथा फिलिस्तीन आदि प्रत्येक समस्या के लिए पृथक आयोग को नियुक्त किया है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ का सबसे महत्वपूर्ण अग है क्योंकि इसकी सफलता या असफलता से शांति या युद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक अथवा निक्षेपित-राज्य का निर्णय होता है।

एक आधुनिक लेखक के मत में सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार (वीटो) देने से इसकी अन्तर्राष्ट्रीय भंगडों को निवटाने की शक्ति बहुत ही सीमित हो गयी है। गत दस वर्षों की अवधि में संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश प्रार्थी राज्यों जिनमें मंगोलिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया, जापान और साम्यवादी चीन हैं, का आवेदन पत्र कभी रूस और कभी आंग्ल-अमरीकी गुट के निषेधाधिकार प्रयोग से रद्द हो गया। चार वर्षों में कोरिया में साम्यवादियों से राष्ट्रसंघ की लड़ाई जारी है। काश्मीर में भारत-पाकिस्तान विरोध, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति, यूरोप में शीत-युद्ध नीति और अणुशक्ति नियन्त्रण प्रश्न का हल सुरक्षा परिषद् अभी तक नहीं कर पाई। परन्तु परिषद् की मह्यता में हिन्देशिया तथा इजराइल का निर्माण सम्भव हुआ। परिषद् ने

रोमियाई युद्ध का गतिरोध करने युद्ध विराम का प्रयास किया था। उन घटनाओं ने यह प्रमाणित होता है कि परिषद अपने कार्यकलाप में मई २१ ही अग्रगण्य नहीं रही वरिष्ठ उसने कई स्थानों में नए तो रोक कर आति या चीज बाल कर दिया है। परन्तु यह स्वीकार करना ही पटना कि प्रमुख पात्र बड़े राष्ट्रों के पारम्परिक संधि में और निरपेक्षाधिकार के प्रयोग ने सुरक्षा परिषद् एक प्रकार में पगु हो गयी है। जून १९५३ तक अनेकानेक ५५ बार निरपेक्षाधिकार को प्रयोग में लाकर महासभा तथा परिषद के निर्णयों या खंडन कर चुका है। उनके विरोध में आग्र-अग्रमरीकी गुट ने नवम्बर १९५३ में जाति और सुरक्षा के लिए महासभा की प्रस्तावी समिति जिसमें महासभा के माने सदस्य में की स्थापना की। उस समिति का छोटी महासभा कहा जाता है। उनके उद्देश्य है कि यदि सुरक्षा परिषद जाति रखने में असमर्थ रहे तो यह महासभा के नामसे समन्वित तथा सहयोग के लिए अपनी विचारविमोचन करे अर्थात् निरपेक्षाधिकार प्रयोग करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध जोरमत्त षण मगठन करे किन्तु यह ध्यान में रखना कि न ० रा ० न ० की स्थापना के पूर्व प्रमुख पात्र राष्ट्रों में निरपेक्षाधिकार सम्बन्ध में समन्वित हुआ था और उनीलिये उच्च योगदान किया था। उक्त बात कि सत्र के चार्टर में कोई संशोधन नहीं होगा तब तक उन परिस्थिति में निर्मा भी परिवर्तन की आशा रखना व्यर्थ है। सुरक्षा परिषद के कार्यकलाप में उन्नति होना तब तक अग्रगण्य है जब तक आग्र-अग्रमरीकी पूर्वावादी गुट तथा स्व-धीन द्वारा परिष्कारित साम्राज्यवादी गुट या प्राचीन समन्वित न हो।

राजनैतिक तथा सुरक्षा प्रश्न

इरान — ईरान की आन्तरिक सुरक्षा तथा आन्तरिक सम्बन्धी प्रथम प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख १९४९ में आया। ईरान सरकार ने १९ जनवरी को आरंभ किया कि मोघियत संधि में ईरान के विभिन्न भागों पर अधिकार कर रही है तथा २९ जनवरी १९५० को प्रिडेल, एक और ईरान के सचिव हर्ट प्रिडेलीय सचिव अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन पर आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। मोघियत प्रतिनिधि ने उन आरोपों में उल्लेख किया और कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में होना वाली घटनाएँ ईरान राज्य की सीमाओं में प्रजासत्तय राज्य की लोक-विधि का उल्लंघन के कारण हो रही है और कहा कि उसकी सरकार ईरान सरकार में प्रथम कार्य प्रारम्भ करने वाली है। इसके अनुसार एक ईरानी प्रतिनिधि सचिव आन्तरिक मामलों में मोघियत सचिव के आरोपों को कि उक्त आन्तरिक सम्बन्ध न कर और आन्तरिक मामलों में ईरान को हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी इन प्रावनों के सम्बन्ध में ही एक ही दिशा में कार्य करेगा (१) मोघियत सचिवों की अन्तिम सचिव

के लिए ईरान में स्थिति (२) अजरबैजान की आन्तरिक जनतन्त्रता की स्वीकृति तथा (३) सोवियत ईरानी मयुक्त पूँजी कम्पनी की स्थापना। ईरान ने इन मागों को अस्वीकार कर दिया और सुरक्षा परिषद को समस्या के हल करने को कहा। ४ अप्रैल १९४६ को जब परिषद ने, मामले पर विचार करने का निर्णय किया तो सोवियत प्रतिनिधि ने जिसने स्थगन की माग की थी, भाग लेने से इन्कार कर दिया और सुरक्षा परिषद् से वाक-आउट कर दिया। परिषद् ने विरोध के बाद भी सोवियत सभ से प्रार्थना की कि ६ मई १९४६ तक अपनी सेनाएँ वापस बुला ले। दस दिन बाद सोवियत सभ ने ईरान के साथ ६ सप्ताह के अन्दर बिना शर्त लाल सेनाओं को वापिस बुलाने का वायदा करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किये। मई के अन्त तक सभी सोवियत सेनाएँ वापिस बुला ली गईं और सम्पूर्ण ईरान, ईरान सरकार की सर्व सम्पन्नता को सौंप दिया गया।

सीरिया तथा लेबनान — फरवरी १९४६ में सीरिया तथा लेबनान के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा परिषद् का ध्यान उसके प्रदेश में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी दस्तों की उपस्थिति, जो कि मयुक्त राष्ट्रीय आदेश-पत्र की भावना के लिए असंगत है, की ओर दिलाया। परिषद् ने, यह विचार करने हुए कि सीरिया तथा लेबनान के प्रदेशों में विदेशी सेनाओं की उपस्थिति आदेशपत्र में निहित सभी सदस्यों की सार्व-भौमता के सिद्धांत के अयोग्य है, एक प्रस्ताव रखा जिसमें परिषद् का विश्वास प्रकट किया गया था कि जितनी शीघ्र हो मके विदेशी सेनाएँ वापिस हटाई जाय तथा दोनों दलों में उसे समाप्त करने के लिए वाता प्रारम्भ हो। सोवियत सभ ने स्पष्ट तौर पर इस आधार पर वीटो ले लिया कि इस प्रस्ताव की शब्दावली पर्याप्त रूप से शक्तिपूर्ण नहीं है। यद्यपि प्रस्ताव पारित होने में अशफल हो गया, फ्रांस तथा ब्रिटेन ने परिषद् के बहुमत का पालन करते हुए ३० अप्रैल १९४६ को अपनी सेनाएँ सीरिया तथा लेबनान से हटा ली। यह मामला यह बताने में महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद् का कार्य, वीटो के प्रयोग में बाधित होने पर भी उन मामलों में जहाँ सम्बन्धित शक्तियाँ सुरक्षा परिषद् के बहुमत के विचार का आदर करती हैं, का रचनात्मक फल मिलता है।

स्पेन — ८ अप्रैल १९४६ को पोलिश (Polish) प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् का ध्यान स्पेन की विपन्न स्थिति की ओर, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा शान्ति के लिए उत्तरा थी, आकर्षित किया। बताया गया कि—१ फासिस्ट इटली तथा नाजी जर्मनी की सहायता में फ्रांको राज्य शक्तिशाली हो गया है। २ फ्रांको मयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध हुए युद्ध का महत्वपूर्ण बुरा था। ३ फ्रांको ने स्पेन को उन जर्मन वैज्ञानिकों, जो मानव मात्र की शान्ति के लिए भयदायक कार्यों में सलग्न हैं, के लिए धरणदाता होने की अनुमति दे दी है। ४ फ्रांको ने स्पेन का माल वन्द करने के लिए

राष्ट्रपति बने। हमारे प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ८ जून १९५० को हिन्देशिया गए और एक घोषणा की कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के एक भाग का स्वतन्त्र तथा एक का परतत्र रहना अब अधिक सम्भव नहीं है। २८ सितम्बर १९५० को वह सयुक्त राष्ट्र का ६० वाँ सदस्य बना। अब डच न्यूगिनी के भावी पद की समस्या और शेष रहती है। हिन्देशिया ने इस भाग की माग की किन्तु आस्ट्रेलिया ने घोषित किया कि भूगोल के अनुसार न्यूगिनी उस का भाग है। ४ दिसम्बर को हेग में डच-हिन्देशियाई सम्मेलन हुआ। हिन्देशिया ने माग की—(१) नीदरलैंड्स को, पश्चिमी न्यूगिनी को हिन्देशिया का भाग घोषित कर देना चाहिए जिसको पाँच माह के वाद कार्य रूप दे दिया जाय। (२) दोनो देश आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासो के लिए सहयोग से काम करें। डच ने इन मागो को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया कि जब तक न्यूगिनी के निवासी अपने भाग्य का निर्णय स्वयं नहीं करते उस पर उसका अधिकार रहेगा। इस प्रकार वहाँ भविष्य में सयुक्त राष्ट्रीय हस्तक्षेप की सम्भावना है।

✓ दक्षिण अफ्रीका—जून १९४६ में भारत ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयो के प्रश्न को उठाया। भारत ने कहा कि भारतीय नैटाल के ब्रिटिश उपनिवेश में यूरोप-वासियो की अपील तथा एक समझौते के आधार पर जिसमें कहा गया था कि दक्षिण अफ्रीका में जाने वाले भारतीयो को उससे पृथक विधि (कानून) से जो यूरोपियनो पर लागू है शासित नहीं किया जायगा। सर्वप्रथम भारतीय १८६० में प्रतिज्ञाबद्ध भारतीय स्वतंत्र श्रमिको के रूप में आए थे। किन्तु १८५५ के बाद से निवासियो के विरुद्ध आदोलन से भेदभाव होने लगा। १९०७ में महात्मा गांधी ने धैर्ययुक्त विरोध प्रारम्भ किया तथा पुन १९१३ में अनेको विभिन्न प्रतिबन्धो का विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप गांधी-स्मट्स समझौता तथा भारतीय सहायता विधेयक का निर्माण हुआ जिससे भारतीयो की कठिनाइयो का उपचार हो गया और उनका देशान्तर को जाना रुक गया। १९२७ में केपटाउन-समझौते के विभिन्न नाम से इसका नवीनकरण हो गया। १९४३ में जब भारतीय विरोधी आन्दोलन जोरो पर पहुँच गया तो नेटाल प्रांत ने 'नियमन विधेयक' (Pegging Act) पारित किया जिससे एशियाइयो के भूमि प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकार पर वैधानिक प्रतिबन्ध लग गये। १९४६ में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एशियाई भूमि अधिकार तथा भारतीय प्रतिनिधित्व विधेयक पारित किये जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार तथा निवास के बारे में भारतीयो का पूर्ण अलगाव हो गया। भारत के कथनानुसार इस नियमन से केपटाउन समझौते और मानव अधिकार तथा स्वतंत्रता सम्बन्धी सयुक्त राष्ट्रीय आदेश पत्र (चाटर्) का पूर्ण उल्लंघन होता है। भारत ने ६० अफ्रीकी सरकार ने अपने व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ लिये और अपने उच्चायुक्त को वापिस

दुना लिया। दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि ने कहा कि समन्वया पूरकतया राज्य के घरेलू प्राधिकार की है, तथा पश्चिमी जीवन स्तर के स्थापित्व के लिये श्रेष्ठ और अद्वैत का भेदभाव अनिवार्य है। १६ नवम्बर १९५६ को प्रथम महानभा ने दक्षिण अफ्रीका को 'वागिक जालीय अत्याचार तथा भेदभाव की तुरन्त समाप्ति' के लिये कहा। १९५६ म मेक्सिको तथा फ्रान्स ने एक मोलमेज सम्मेलन का मुभाव दिया जो कि दक्षिणी अफ्रीका के नवत विरोध ने अभी न हो पाया। दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मंत्री टा० मन्वान ने जून १९५० में प्रसिद्ध 'दलीय क्षेत्र विधेयक पारित कर दिया। अन्तगाव की उन नई नीति ने जो 'पृथ्वरीकरण' कहलाई, जून १९५२ में भारतीयों को प्रथमयुक्त विरोध के लिये कहावा दिया। ११ नवम्बर १९५१ को नागरी नवयुक्त राष्ट्रीय महानभा के सदस्यों के सम्मुख श्रीमती पट्टिन ने कहा— "दक्षिण अफ्रीका की नीति उन नवके लिये गभीर 'गमकी' जिन्हे लिये नवयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है। एत जाति का दुन्दरे पर प्रभुत्व स्थिर रखने के लिये निमित्त जाति भेद-भाव को नीति के अनुसरण ने दक्षिण अफ्रीका में स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ रही है।" अपने मन्वभन अधिकारों तथा स्वतन्त्रता स्थापित करने का साहस करने पर भारतीयों को कागसमान, गार्बिकदड, तथा तब कि लोटे (इत्यादि की मात्र भी) नहीं पड रही है। नीके पर जातर स्थिति की जान के लिये ३ सदस्यों का एक नवयुक्त राष्ट्रीय न्दानालय आयोग स्थापित किया गया है। नवयुक्त राष्ट्र नभा के कार्यक्रम में पुरातनीकरण यकी तब सम्मिलित है। नागरीय प्रतिनिधि ने कहा कि जातीय नवयुक्त भवसामय विन्धोटा स्थिति निर्मात कर रहा है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय शांति को नष्ट तथा नवत राष्ट्रीय आन्दोलन (चार्टर) में निहित आचार भव मात्र अधिकारों का उन्नासन हो रहा है। 'दलीय क्षेत्र विधेयक की स्वयन समभोजन वर्ता जो कि मात्र 'वर्गों में विचारचर्चा' के लिए 'आम्बगत शर्त' है। एत दक्षिण अफ्रीकी सरकार के अपने हित में है कि एत स्थिति को बद में बदल होने में रोम्ने के लिये अन्तरराष्ट्रीय आचार का स्थापना करें।

राष्ट्रमण्डल की महानभा के अध्यक्ष ने दक्षिण अफ्रीका के जालीय भेद-भाव के बन्ध की जान करने के लिये एक आयोग के तीन सदस्यों की घोषणा की थी। डा० राजेंद्र कुल, डा० गेम्स टार्लेस बोर्गेट तथा श्री हरजाम मालाण्ड को इनके लिए निर्दिष्ट किया गया किन्तु श्री बोर्गेट ने अपनी समसमंसा प्रकट कर दी थी। भारत, पाकिस्तान तथा दक्षिण अफ्रीका के साथ समभोजन-वर्ता का प्रथम वर्तन के लिये तबसा, भारत तथा समभोजन-वर्ता के प्रतिनिधियों के एक आयोग की पूर्ण विधेयक की गई थी। दक्षिण अफ्रीका ने रोम्ने को काफी उत भेद-वर्तीय विचार न कराने म छठ चौदे की आरंभियों के साथ ही रहे है।

अतः यूरोपीय निवासी भी पृथक्करण कानून की अवैधता को अनुभव करने लगे हैं और मलान सरकार के विरुद्ध उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया था। किन्तु साम्यवाद-निरोधक कानून तथा जन-सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मलान-सरकार को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त थे कि वह सत्याग्रहियों पर मनमाना अत्याचार कर रहे थे। फरवरी १९५३ में श्री मणिलाल गांधी को ५० पौड का जुर्माना या ५० दिनों का सश्रम कारावास का दण्ड मिला। १९५४ में डा० स्ट्रीडम (Strigdom) दक्षिण अफ्रीकी सघ के चुनावों में बहुमत के साथ विजयी हो गए और पृथक्करण व वर्गाभेद की नीति अभी भी जारी है।

सन् १९५३ में संयुक्त राष्ट्रमण की महासभा ने दक्षिण अफ्रीका सघ की जातीय-पृथक्करण नीति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इसके सदस्य हैं—चाइल के हरमैन सान्ताक्रुज (अध्यक्ष), हैटी के डेन्टिड वेनग्रेड और फ्रांस के लेगिर। जुलाई १९५४ को दक्षिण अफ्रीका सघ की सरकार की प्रार्थना पर सघ में स्थित भारतीय दूतावास को बन्द कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से राजनैतिक सवध विच्छेद करने का प्रस्ताव, निरन्तर भारत द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत किया। अक्टूबर १२, १९५५ को राष्ट्र मधेय आयोग ने जो इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया गया था, अपना तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) दसवीं महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन के अनुसार पिछले वर्ष में दक्षिण अफ्रीका की नीति के आम तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आयोग का कहना है कि साथ-ही साथ ऐसे मविधानिक उपायों को कानूनी रूप दिया गया, जो कि न तो तर्कसंगत के अनुरूप हैं जिन्हें चार्टर (आदेश-पत्र) के अन्तर्गत दक्षिण अफ्रीका ने किया है, और न ही 'मानवीय अधिकारों की सार्वभौम' है। प्रतिवेदन में कहा गया है "दक्षिण अफ्रीका विश्वास है कि वह पृथक्करण के अन्तर्गत स्थिति में रह सकती है।" प्रतिवेदन को समाप्त करने से कोई व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका की स्थिति से मर्वथा भिन्न है।" दृढतापूर्वक वह यह धारण बना ले- स्थिति बेजोड है। साराण रूप में अपना कोई मान-देश नहीं है। अतः स्थिति से मर्वथा भिन्न है।"

भारत का दावा है "अफ्रीका मध अफ्रीका के डमरे भागों में भी हो रहा

रहा है। उनका कथन है कि स्वभेद नीति तो दक्षिण प्रकीर्ण में ही नहीं, उनही नीमायो के बाहर भी जीवता ने विस्तार प्रदान करने की आवश्यकता होगी।" नव नववार ही केवल एक सरकार है जिनमें एशियाई-प्रकीर्ण-सम्मेलन में, भाग लेना प्रसवीकार कर दिया। वह सम्मेलन वाष्ण में अर्धव १९५५ में हुआ था। अन्ती हाव ही की विज्ञप्ति में भारत-सरकार ने स्वाह वष ने उदही हुई उन सम्मन्धा पर छपनी नीति को उन प्रकार स्पष्ट किया है अर्कीका महाद्वीप की उन्नति के लिए जातिगत म्भावना और धानि अल्पन्त आस्वगत है। यह सम्मन्ध में आने वाली बात नहीं है कि दक्षिणी अर्कीका की काली तथा मूल निवासिया की जनसंख्या को हमेंधा के लिए जातिगत किया और दवाया-मताया जा सकता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण भूव होगी यदि सम्मन्ध विषय अमहाय हाकर ताकता रह उवति दक्षिण प्रकीर्ण में स्वभेद, जतीय पमट और मोने की प्रभुता की ताल-प्रवाह के विपरीत भारणा के मदान्ध सम्मन्धो द्वारा मानवीय म्न्धो पर आपात किया जा रहा हो।" उनमें एक माय भी नदेह नहीं कि यदि नवान् राष्ट्रमध्य स्व-भेद की नीति नया जानीयाद को समाप्त नहीं करना तो विषय तो भवत्तर परस्पर जानीय सवण की उवाता में जनना परेगा।

काश्मीर—६ जनवरी १९६८ को भारत ने सुरक्षा परिषद के अधिकात्र की घोर घान आह्वट करने हुये यह घागेप लगाया कि पाकिस्तान तत्रासनियो ता एव मेमे राज्य पर जो द्विदिश जानन के समाप्त ही जान के बाद ये शानित रूप से भारत में सम्मिलित हो गया है, आश्रमण करने (१५ फरवरी १९६८) में नतावा दे रहा है। भारत ने माग की कि वह आश्रमण बध कर देना चाहिए, तवायवी मापन घुना लिए जाने चाहिए तथा पाकिस्तान को राज्य प्रदेश की नीमा का उन्तान नरने में सना दिया जाना चाहिए। जब सुरक्षा परिषद ने उन मामले को उठाया तो पाकिस्तान ने उन मागपो में उन्तान कर दिया तथा काश्मीर के भारत में प्रदेश की 'अर्धव' वताया और दोनो देना के बीच अन्धो के मन्ध सम्मो प्रवण मने वर दिए। वान माह के एक दिने के पदनात् २६ अर्धव १९६८ का परिषद ने राज्य के लिए भूमे उवायवी की तथा पाकिस्तानियो का सान्धो न शानित तथा तत्रा स म्मन्ध-वताया उवाय मोचन में। उ भवत्तर तथा पाकिस्तान के लिए एक सम्मन्ध राष्ट्रीय सम्मोन्धन नियुक्त कर दिया। कायोग दुवार्ध में भारत घुनेवा और काश्मीर पर हुए आश्रमण में पाकिस्तान का हाव बताया। उमन्धके म्ध कायोग २६६६ के मध पर दिवस पर सान्धो देना को सुद विमान की घागेप के लिए माग्ध करने में मन्धर हो गया। ७ जनवरी १९६८ न दोनो देनो न म्धोन्धन किया कि --(१) उम्ध काश्मीर सान्धो की म्मन्धोन्धन पर म्मन्ध की उवाय वताया। (२) कायोग काश्मीर मन्धर को मन्धरान की की जानी। (३) राज्य प्रदेश न पाकिस्तानो सना घुने अन्ध शानित हाव की जानी।

(४) पाकिस्तान द्वारा निर्मित या नियन्त्रित सभी सैनिक सगठन नि शस्त्र तथा समाप्त घोषित कर दिए जायेंगे । (५) विसैनीकरण के पश्चात् सघ के सयुक्त राष्ट्रीय तत्वावधान में निष्पक्ष तथा स्वतंत्र मतदान से काश्मीर की जनता अपने भविष्य का स्वयं निर्णय करेगी । (६) सयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में युद्ध विराम रेखा खींची जायगी । २६ दिसम्बर को सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जर्नल मेकनौटन (कनाडा) ने स्वतंत्र जनमत संग्रह के लिए स्थिति उत्पन्न करने के हेतु युद्ध विराम रेखा के दोनों ओर न्यूनतम तथा उचित सेना के अतिरिक्त विसैनीकरण के लिए एक प्रगतिशील सुझाव रखा । एडमिरल चेस्टर एन० नमिन्ज सयुक्त राष्ट्रसघ के चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए । भारत ने इस योजना को केवल इस लिए अस्वीकार कर दिया कि इसमें इस तथ्य की उपेक्षा की गई थी कि पाकिस्तान आक्रमणकारी है । १४ मार्च १९५० को सुरक्षा परिषद ने पांच महीनों के अन्दर राज्य के विसैनीकरण के लिए आदेश दिया तथा आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ श्री ओवन डिव्सन को सयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि तथा मध्यस्थ नियुक्त किया । १५ सितम्बर को डिव्सन के काश्मीर विभाजन तथा काश्मीर घाटी में जनमत संग्रह के सुझाव को काश्मीर तथा भारत दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया । सुरक्षा परिषद ने १९५१ में भारत तथा पाकिस्तान के लिए डा० फ्रैंक पी ग्राहम को सयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया । नवम्बर १९५२ को डा० ग्राहम ने सुरक्षा परिषद को अपनी चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की ओर कवायली तथा पाकिस्तानी सेना वापिस बुला ली जाय जिससे उसकी सैन्य शक्ति वहाँ ३ हजार से ६ हजार तक रह जाय, और भारत अपनी भारी सेनाओं को हटाकर अपने क्षेत्र में सैनिकों की सख्या १२ हजार से १८ हजार तक कर दे जिससे काश्मीर राज्य की सशस्त्र सेना भी सम्मिलित है । भारत ने इस सुझाव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसमें इस बात की उपेक्षा की गई थी कि पाकिस्तान आक्रमक है और भारत काश्मीर में आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है । पाकिस्तान अपनी ओर १५ हजार सैनिक रखने की माग करता है जबकि भारत की ओर से कम से कम २१ हजार की माग है जिनमें काश्मीर की सेना सम्मिलित नहीं होगी । इन सारे चक्करो से किस प्रकार निकला जाय यह समझने में सभी असफल है ।

सुरक्षा परिषद, ऐसा लगता है मानो काश्मीर समस्या के हल के स्थान पर सुरक्षा पर ध्यान दे रही है । डा० ग्राहम ने अपनी असफलता स्वीकार करली । डघर काश्मीर राष्ट्रीय विधान सभा ने न केवल एक जनतन्त्र विधान बना लिया अपितु युवराज कर्णामिह को १५ नवम्बर १९५२ को राजप्रमुख 'सदर-ए-रियासत भी नियुक्त कर लिया । प्रमन्नता की बात है कि जबकि सयुक्त राष्ट्र काश्मीर समस्या

“भारत और पाकिस्तान दोनों से मित्रता के सम्बन्ध रखते हुए, पर उन से अपने को अलग रखकर, हमे अपने आपको ‘पूर्वी स्विट्जरलैंड’ बनाने के विकल्प पर विचार करना है। यह विचार आकर्षक प्रतीत होता होगा। पर्यटन प्रधान देश होने के नाते हमारे लिए इससे प्रत्यक्ष विशेष लाभ हो सकेंगे। २१ अगस्त १९५३ को ईद की प्रार्थना के अवसर पर मैं अपनी योजना खोलकर बताऊंगा।”

२५ फरवरी १९५४ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को फौजी सहायता मजूर की। इसने परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन ला दिया और जनमत-संग्रह-निरीक्षक की नियुक्ति का वचन एक रद्दी कागज का टुकड़ा मात्र रह गया। अगस्त ५, १९५५ को प्रधानमंत्री नेहरू ने घोषणा की कि गत सात वर्षों में काश्मीर में बहुत सी घटनाएँ घटी हैं, जो विचारणीय हैं, यद्यपि वह अभी अपने वचन पर दृढ़ है। २९ जुलाई, १९५६ को कांग्रेस-संसदीय पार्टी में बरूशी गुलाम मोहम्मद ने कहा “काश्मीर का भारत में विलय वैधानिक था और इसलिए तब से वह भारत का अभिभाज्य अंग हो गया है। दुनिया की कोई शक्ति संविधान-सभा द्वारा किए इस निर्णय को नहीं बदल सकती। जनमत संग्रह को कोई स्थान नहीं, बल्कि इस सम्बन्ध में चर्चा करना तक राज्य की जनता के सम्मान पर आघात होगा, जिसकी सर्व-प्रभुत्व-सपन्न संविधान सभा ने यह घोषणा कर दी थी कि काश्मीर भारत का भाग है और यह इसकी एक इकाई होना चाहिए।” पाकिस्तान इस प्रश्न को सुरक्षा-परिपद में लाने की सोच रहा है जिसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है।

कोरफू चैनल प्रश्न — १० जनवरी १९४७ को ब्रिटिश प्रतिनिधि न सुरक्षा परिपद के सम्मुख अल्बेनिया तथा अपनी सरकार के बीच के झगड़े को उपस्थित किया। यह मामला २२ अक्टूबर १९४६ को अल्बेनिया के निकट कोरफू चैनल में ब्रिटिश विध्वंसक ‘वोलेज’ तथा ‘सोमरेज’ की सुरंगों से हुई हानि में सम्बन्धित है। विस्फोट के परिणामस्वरूप ४४ नाविक मारे गये तथा ४२ घायल हो गये और दोनों विध्वंसकों को भी क्षति पहुँची जिसमें एक तो पूर्णतया नष्ट हो गया। अल्बेनिया के प्रतिनिधि ने कहा कि उसकी सरकार ने सुरंगें नहीं विध्वंस कीं तथा वह अपने प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र में नौपरिवाहन की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं। ‘विना सूचना के शीतकाल में सुरंग विध्वंसक अनुचित तथा मानवता के विरुद्ध अपराध है’ इस ब्रिटिश प्रस्ताव को सोवियत संघ ने वीटो (अस्वीकार) कर दिया। अतः ९ अप्रैल १९४७ को परिपद ने इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। अल्बेनिया ने सदस्य न होते हुए भी सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

मिस्र — जुलाई १९४८ को मिस्रों प्रतिनिधित्व न सुरक्षा परिषद में आया
 की कि कहीं आंग्ल-मिस्रों विवाद अंतर्राष्ट्रीय मानि तब सुरक्षा के विषय सतत
 न बन जाय। यह समझा दुहरी जी मिस्र में ब्रिटिश सैन्यो की उपस्थिति तथा
 आंग्ल-मिस्रों मूदान के प्रति ब्रिटेन की नीति। कहा गया था कि ब्रिटिश सैन्य
 १९३६ की आंग्ल-मिस्रों संधि की शर्तों के अनुसार रयी गई थी। उन प्रश्न पर
 सुरक्षा परिषद द्वारा दो माह में अग्रिम विचार किया गया किन्तु ब्रिटेन को, भगते
 सम्य दलों में से एक होने के कारण, मत देने का अधिकार न था। यद्यपि परिषद
 मूदान और मिस्र को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कर देने के लिये पग उठाना चाहती
 थी किन्तु फिर भी वह कोई निश्चित प्रस्ताव स्वीकार न कर सकी।

फरवरी (१९४३) में ब्रिटेन और मिस्र न एक समझौते पर हस्ताक्षर कर
 मूदान को स्वयंशासन देना स्वीकार कर लिया। उस प्रकार मूदान पर दोना देनी का
 मत ५३ वर्षों में सत्यत शासन का अयमान हो गया है।

हैदराबाद — १५ अगस्त १९४८ को जब भारत ने अंग्रेजी राज्य समाप्त
 हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता के मद्देन दुही स्वतंत्र हैदराबाद न भी आरिम्ता में
 सम्मिलित हुई और न भारत में। निजाम हैदराबाद न स्वतंत्र रूप से के लिए
 सदापूर्व अंग्रेजी समझौता किया। २५ अगस्त १९४८ का हैदराबाद ने सुरक्षा
 परिषद से मुक्ति लिया कि हैदराबाद तथा भारत में सम्भार विवाद उत्पन्न हो
 गया है। कहा गया कि उस जाही स्वतंत्र पर आक्रमण करने की प्रसन्नता, सीमा-
 लक्ष्य तथा आर्थिक नासिद्धि की गई है जिसने कि यह अती सततता के प्रति
 रक्ष जाय। १३ अक्टूबर को भारतीय सैन्य ने राज्य की ओर कूच किया और
 घोषणा की है कि ही हमारा कार्य समाप्त हो जायगा हैदराबाद की सततता को अपने
 अधिकार तथा भारत के समझौते के बारे में निर्णय करने का पूरा अधिकार दिया
 जायगा। भारत ने कहा कि हैदराबाद सुरक्षा परिषद से सतत उठाने योग्य नहीं
 क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में उस अभी भी स्वतंत्रता का दावा सतत
 नहीं तथा और न ही अगस्त १९४३ से पूर्व, न ब्रिटेन द्वारा जारी की गई किसी
 धारणा से और न ही ब्रिटेन स्वयं द्वारा स्वीकार किया विवेक से उसे स्वतंत्र
 तथा प्रजापति है। अपने कि वह स्वतंत्र परिषद से सतत समझौता सम्मिलित करने
 का अधिकार सतत। और सतत पर माह लिए जा गया कि हैदराबाद सतत द्वारा
 आत्मनिर्णय निर्णय सेवा कि है स्वतंत्रता का दावा है द्वारा सतत, सतत सतत, मुझे
 कम दवा काय की सम्मती समझौते के। (करी मुक्ति प्राप्त के ही गई है) हैदराबाद
 में सतत का राज्य स्थापित की गया था। समझे तथा मुक्ति प्राप्त के सतत सतत
 गई। सतत परिषद न स्वतंत्रता द्वारा अग्रिम पर करने पर भी गई किसी उसे
 का प्रस्ताव नहीं किया।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

मैनी — २६ सितम्बर १९४८ को महामन्त्री श्री ली को अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा भेजी गई परिचयात्मक टिप्पणिया प्राप्त हुई जिसमें उनका ध्यान बर्लिन तथा जर्मनी के पश्चिमी अधिकृत क्षेत्रों के बीच सोवियत सघ द्वारा यातायात तथा संचार पर लगाए गए प्रतिबन्ध से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर आकृष्ट किया गया था। टिप्पणी में कहा गया था कि यह आदेशपत्र (चार्टर) के अनुच्छेद का उल्लंघन है। सोवियत प्रतिनिधि ने कहा कि यह प्रश्न परिषद के अधिकार के बाहर का है क्योंकि आदेशपत्र (चार्टर) के अनुच्छेद १०७ के द्वारा 'इस प्रश्न का हल सीधा सम्बन्धित देशों द्वारा होता है' और विदेश मन्त्रियों की परिषद बुलाने का सुझाव दिया। ३ अक्टूबर १९४८ को सुरक्षा परिषद द्वारा बर्लिन करेंसी तथा व्यापार पर तटस्थ देशों द्वारा मनोनीत वित्तीय विशेषज्ञों को एक टैक्निकल समिति नियुक्त कर दी गई। १५ मार्च १९४९ को टैक्निकल समिति सोवियत सघ के साथ किसी समझौते पर पहुँचने में असफल हो गई। इसी बीच सुरक्षा परिषद तथा महासभा का मध्यस्थता प्रयास १२ मार्च १९४९ को रूसी प्रतिबन्ध उठवाने में सफल हो गया। २० दिसम्बर १९५१ को महासभा ने सम्पूर्ण जर्मनी में उचित ढंग से स्वतंत्र तथा गुप्त चुनाव कराने की सम्भावना की जाच के लिए आयोग नियुक्त किया। इस प्रस्ताव द्वारा पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी के अधिकारियों को कहा गया कि इस आयोग को सम्पूर्ण क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक यात्रा करने की अनुमति देकर ऐसे व्यक्तियों, स्थानों तथा उपयोगी दस्तावेजों तक पहुँचने दिया जाय जो इसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हैं। १ सितम्बर १९५२ को सोवियत सघ के असहयोग के कारण आयोग ने अपनी असफलता की सूचना दी।

✓ **फिलिस्तीन** — महायुद्ध के बाद फिलिस्तीन समस्या बड़ी गम्भीर समस्या थी। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का भयकर प्रश्न उठ खड़ा हुआ। इसमें न केवल विश्व के तीन एकेश्वरवादी धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम मत ही फसे हुए थे वरन् इसमें 'बड़े पाँच' में से तीन मध्य, अमेरिका ब्रिटेन और रूस तथा अरब लीग के समस्त सदस्यों का लाभ भी निहित था। सन् १९४७ से यह समस्या सयुक्त राष्ट्र के सारे कार्यक्रम की धुरी बनी हुई है। महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रत्यासिक परिषद और समाज तथा आर्थिक परिषद अपने अनेकों अधिवेशनों में इस विषय पर विचार कर चुकी है। शताब्दियों तक फिलिस्तीन तुर्की साम्राज्य का एक भाग रहा। यहूदी इसे अपना ऐतिहासिक गृह मानते हैं, ईसाई इसे ईसामसीह की जन्मभूमि जान कर पूजते हैं और मुसलमानों के लिए यह तीर्थ-यात्रा का केन्द्र है। प्रथम महायुद्ध में ब्रिटेन ने इस पर विजय प्राप्त की और यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय गृह का वायदा किया। १९१९ के पेरिस शांति सम्मेलन ने फिलिस्तीन का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

पश्चिमी गलिली, बीरशिव, गाजा, जाफा, तथा समुद्र तट के किनारे की पट्टी और यहूदी राज्य में पूर्वी गलिली, हैफा तेल एबीव, एसडलन तथा नेजीब सम्मिलित होंगे। जेरूसलम नगर बैयलम सहित सयुक्तराष्ट्र द्वारा नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्यासिक के आधीन 'पृथक् इकाई' रहेगा। दोनों राज्य १ अक्टूबर १९४८ से पूर्व स्वतंत्र नहीं होंगे तथा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् द्वारा निर्वाचित तीन विदेशी राज्यों के तीन प्रतिनिधियों को मिलाकर सम्पूर्ण फिलस्तीन की रेलवे, बन्दरगाह, करेसी तथा चु गी आदि का प्रबन्ध, आर्थिक सगठन के हेतु, एक सयुक्त आर्थिक मंडल द्वारा किया जायगा। अरबों ने इस योजना का विरोध करने का निर्णय किया तथा उपद्रव प्रारम्भ हो गए। एक फिलस्तीन आयोग ने, जिसकी नियुक्ति १ अगस्त १९४८ तक विभाजन कर देने के लिये हुई थी, २ अप्रैल को सूचित किया कि यहूदियों तथा अरबों के सशस्त्र उपद्रवों, ब्रिटेन से सहयोग का अभाव तथा आवश्यक सशस्त्र सहायता के अभाव से महासभा के प्रस्ताव को कार्यान्वित करना असम्भव रहा है। १४ मई को महासभा ने मामला सुरक्षा परिषद के सुपुर्द कर दिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस के उपाध्यक्ष काउन्ट फौक बर्नाडौट (स्वीडन) को फिलस्तीन में युद्ध विराम के प्रबन्ध के लिए सयुक्त राष्ट्रीय मध्यस्थ नियुक्त किया। उसी दिन ब्रिटेन ने अपने आदेश ७८ दिन पूर्व ही हटा लिए तथा यहूदियों ने इजरायल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, किंतु ईराक, लेबनान, सीरिया तथा ट्रांसजोर्डन ने अरबों की रक्षा के लिए फिलस्तीन पर आक्रमण कर दिया और इजरायल को सोवियत सघ की मान्यता प्राप्त हो गई। ११ जून को मध्यस्थ बर्नाडौट अरब तथा यहूदियों में चार सप्ताह के लिए युद्ध विराम समझौता कराने में सफल हो गए। इस समय के बाद पुन लड़ाई प्रारम्भ हो गई। १८ जुलाई को सुरक्षा परिषद ने एकदम युद्ध विराम का आदेश दिया जिसे अरब और यहूदियों दोनों ने मान लिया। सितम्बर में यहूदियों द्वारा नेजीब पर, जोकि अरबों द्वारा मारिा गया था, अधिकार कर लेने के कारण पुन गडबडी शुरू हो गई। १७ सितम्बर को काउन्ट बर्नाडौट जबकि यहूदी सैन्य सुरक्षा में जेरूसलम में से होते हुए जा रहे थे इजरायली वेपभूसा धारण किए व्यक्तियों द्वारा गोली से मार दिए गए। सुरक्षा परिषद ने डा० राल्फ ज वु च को कार्यवाहक मध्यस्थ नियुक्त किया। २६ दिसम्बर को तीसरी बार युद्ध विराम स्थापित हुआ और २४ फरवरी १९४९ को दोनों राज्यों ने महासभा द्वारा नियुक्त समझौता आयोग के माध्यम से एक सधि पर हस्ताक्षर किए। मई में इजरायल को सयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त हो गई। अरब क्षेत्र ट्रांसजोर्डन के अधिकार में आ गया और दक्षिण-पश्चिम किनारे की पट्टी मिस्र के आधीन आ गई। जेरूसलम, इजरायल तथा जोर्डन सेनाओं के आधीन रहा। १० दिसम्बर को महासभा

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

कोरियाई समस्या—१७ सितम्बर १९४७ को अमरीका ने महासभाके दूसरे अधिवेशन में कोरिया की स्वतन्त्रता का प्रश्न प्रस्तुत किया। विषय के तथ्य निम्न हैं—द्वितीय महायुद्ध में मित्र-राष्ट्रो ने अपनी काहिरा (दिसम्बर १९४३) तथा पोर्ट्सडम (जुलाई १९४५) की घोषणाओं में स्वतंत्र कोरिया की घोषणा की थी। २ सितम्बर १९४५ को जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो सोवियत यूनियन ने कोरिया की ३८ वी समानान्तर रेखा के उत्तर में अधिकार कर लिया तथा अमरीका ने इस रेखा से दक्षिण के भाग पर अधिकार किया। मास्को समझौता के अनुसार अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन में, कोरिया को सयुक्त और जनतंत्र राज्य प्राप्त कराने तथा अस्थाई कोरियाई सरकार निर्माण करने के लिये एक रूसी-अमरीकी सयुक्त आयोग की स्थापना का समझौता हुआ। आयोग ने दो वर्ष (१९४६-४७) में २४ बैठकें की किंतु किसी भी समझौते पर पहुँचने में असफल रहा। सोवियत सघ की यह माग, कि आयोग को साम्यवादी दल के अतिरिक्त किसी कोरियाई जनतन्त्र दल से वार्ता नहीं करनी चाहिए तथा स्थायी सभा के लिये उत्तर तथा दक्षिण से समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए (यद्यपि ३ करोड़ की सारी जन सख्या में से २ करोड़ दक्षिण कोरिया में रहते हैं) अमरीका द्वारा एकदम अस्वीकार कर दी गई। १४ नवम्बर १९४७ को सभा ने निश्चय किया कि एक राष्ट्रीय सभा तथा राष्ट्रीय सरकार स्थापना के लिये कोरिया में चुनाव कराया जाय जो कि अधिकार रखने वाली सेनाओं की वापसी का प्रवच करे। कोरिया के लिए चुनाव शीघ्र कराने के लिये ६ देशों का एक अस्थायी आयोग बनाया गया (जिसमें भारत सम्मिलित है लेकिन अमरीका और सोवियत सघ सम्मिलित नहीं)। आयोग उत्तरी कोरिया में प्रवेश पाने में असमर्थ रहा तथा महासभा द्वारा नियुक्त आन्तरिक समिति से विचार विमर्श करने के बाद उसने दक्षिण कोरिया में १० मई १९४८ को चुनाव करा दिए जिसके फलस्वरूप २५ अगस्त १९४८ को कोरिया गणतंत्र सरकार की स्थापना हो गई। १७ दिन पश्चात् अमरीका ने गणतंत्र का अधिकार दक्षिण कोरिया सरकार को जिसका नेतृत्व सिगमंडरी कर रहे थे सौंप दिया। इसी बीच (२५ अगस्त १९४८) में जनरल किम-इल सग की अध्यक्षता में उत्तर कोरिया में आम चुनावों के बाद कोरिया गणतंत्र कायम हो गया। महासभा के तीसरे अधिवेशन में (दिसम्बर १९४८) दक्षिण कोरिया सरकार को वैध मान लिया गया और अमेरिका से सिफारिश की गई कि वह अपनी सेनाएं हटा ले। इमने एक सयुक्त राष्ट्रीय कोरियाई आयोग की नियुक्ति की। सोवियत सघ ने कहा कि महानभा कोरिया के सम्बन्ध में कोई पग नहीं उठा सकती क्योंकि यह प्रश्न मास्को समझौते के आधीन है और उस पर विचार सम्बन्धित मित्र-राष्ट्रो द्वारा किया जाना चाहिए। २५ दिसम्बर १९४८ को रूस ने उत्तरी कोरिया में अपनी सेनाओं की वापसी की घोषणा की। दक्षिण में अमरीका मैन्किंग को २६ जून

१९४९ का मासिक बुना किया गया था जिसकी पुष्टि नवम्बर राष्ट्रीय कोरियाई आयोग द्वारा की गई थी। १९४९ में (२१ अक्टूबर) महासभा ने अपने पाठ्य परिषदों में कोरियाई एकीकरण के लिए तैयारी (आयोग) जारी करने का निर्णय किया और उनमें कोरिया में सैन्य संधि में उल्लंघन की सूचना देने को कहा।

२५ जून १९५० को उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरियाई गणतन्त्र पर आक्रमण कर दिया। सात दिनों के नवम्बर राष्ट्रीय कोरिया आयोग (जिसकी अध्यक्षता भारत के श्री बी० एन० राव कर रहे थे, और जिसमें अमरीका तथा अन्य सम्मिलित नहीं थे) रिपोर्ट दी कि आक्रमण बिना सूचना दिए पूर्व आयोजित तथा पूरी तैयारी के साथ किया गया था। सुरक्षा परिषद को सुरक्षा बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि 'शांति भंग' हुई है। उपद्रवों को योजित समाप्ति तथा ३८ वीं समानान्तर रेखा में उत्तरी कोरियाईयों की वापसी का आदेश दिया। इनमें नवम्बर राष्ट्रीय सदस्यों में प्रस्ताव के कार्यान्वित होने में महासभा तथा उत्तरी कोरियाई अभिजातियों को महासभा देने में बचने को भी कहा। संयुक्त सच, जिसमें साम्यवादी चीन को नवम्बर राष्ट्र का सदस्य बनाने के प्रश्न के बारे में हमला बरिहस्त कर रहा था, एक बैठक में अनुपस्थित था। दो दिन बाद जून परिषद की बैठक द्वारा हुई तो अमरीका के प्रतिनिधि ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रुमैन ने फारमाना पर आक्रमण होने में बचाने के लिए दक्षिण कोरियाई दलों की महासभा के रूप में अमरीका की सेवा तथा नौ सेनाएं भेजने का आदेश दे दिया है। सुरक्षा परिषद ने फिर सिफारिश की कि नवम्बर राष्ट्रीय सदस्यों को कोरिया राजतन्त्र की महासभा तथा महासभा आक्रमण का उत्तर देने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति की महासभा के लिए महासभा देनी चाहिए। ६९ सदस्यों ने सेनाएं, ५ में तैयार कर देने तथा ४० ने आधिकारिक महासभा प्रदान की। श्री राव ने कहा—भारत किसी अन्तर्राष्ट्रीय विचार को आक्रमण में सुव्यवस्था के विरुद्ध है इसलिए हमने हम प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया है और कोरिया में क्षेत्रीय सुरक्षा भी है। ७ जुलाई को परिषद ने नवम्बर महासभा स्थापित की तथा इनमें सेनाओं को कोरिया में नवम्बर राष्ट्रीय सेनाओं का सेवादत्त बना दिया। संयुक्त सच ने इस प्रस्ताव को 'सबसे' राज और अमरीकी सैन्य तन्त्रों को बिना सर्वोच्च तैयारी में माना।

७ अक्टूबर को नवम्बर राष्ट्र ने कोरियाई एकीकरण तथा सुशासन के लिए महासभा नियुक्त किया। एक सात फरमाव से रिपोर्ट दी कि उत्तरी कोरिया को साम्यवादी सेना को चीनी साम्यवादी सेनाएं महासभा करनी हैं। सुरक्षा परिषद ने चीनी साम्यवाद के प्रतिनिधि को रिपोर्ट में भाग लेने के लिए कार्यान्वित किया। सच महासभा का सर्वोच्च सचिव प्रदान सभी जून रिपोर्टें जारी कीं। सच महासभा ने कोरिया में नवम्बर राष्ट्रीय सेनाओं को तैयार करने का प्रस्ताव

छोड़ने तथा सयुक्त राष्ट्र में स्थान की माग की। १४ दिसम्बर को महासभा ने युद्ध विराम के लिए एल० बी० पियरसन (कनाडा), श्री बी० एन० राव (भारत) तथा श्री यू० एंतेजम (ईरान) का एक युप कोरिया में एक सतोपप्रद सधि की स्थापना के लिए नियुक्त किया किन्तु शांतिपूर्ण समझौते के सभी प्रयास असफल रहे। राजनीतिक मामलो पर बोलते हुए आज्ञा का उल्लंघन करने पर मेकार्थर को १३ अप्रैल को वापिस बुला लिया गया और उनके स्थान पर जेनरल रिजवे की नियुक्ति हुई। दो माह बाद (जून १९५१) उत्तरी कोरियाई युद्ध विराम के लिए विचार विमर्श करने को तैयार हो गए और १८ माह तक वार्ता चलती रही। यद्यपि विराम रेखा के बारे में समझौता हो गया परन्तु केवल एक बड़ी समस्या युद्ध बन्दियों की वापसी हल नहीं की जा सकी। १५ नवम्बर १९५२ को रूस ने युद्ध बन्दियों के सम्बन्ध में भारतीय प्रस्ताव को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया और अब सयुक्त राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ कोरिया के प्रश्न पर एक शांतिपूर्ण समझौते में भारी निराशावादी बने हुए हैं। १९५२ के प्रथम भाग में सयुक्त राष्ट्रसभ में कोरिया के प्रश्न पर खीच-तान जारी रही। समस्या को सुलझाने के लिए भारत अपने प्रस्ताव में दो बार सशोषण कर चुका है, किन्तु इस पर भी साम्यवादी देशो ने इसको ठुकरा दिया। वडे दिन पर मार्शल स्टालिन ने कहा कि रूस कोरिया में युद्ध की समाप्ति चाहता है और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राजनीतिक कार्रवाई में सहयोग देने को तैयार है। उन्होंने पुन यह आश्वासन दिया कि अमरीका तथा रूस में युद्ध अवश्यम्भावी नहीं। परन्तु कोरियाई शान्ति वार्तालाप में कोई प्रगति नहीं हुई। गत ५ मार्च (१९५३) में मार्शल स्टालिन की मृत्यु के बाद प्रधान मन्त्री श्री मालेनकोव ने फिर से कोरिया-युद्ध समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। चीनी जन सरकार के प्रधान मन्त्री श्री चाउ-एन-लाई ने प्रस्ताव रखा कि पहले कोरिया में अविश्व युद्ध बन्द हो और फिर ११ राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाय जो कि युद्धबन्दियों के वापिस अपने घर जाने के प्रश्न का निर्णय दे। किन्तु उनकी इस घोषणा का पश्चिमी देशो ने कोई स्वागत नहीं किया और उसे यह कह कर टाल दिया कि यह तो रूसी प्रस्ताव की नकल है। अप्रैल में कोरिया में घायल और रोगी युद्धबन्दियों की अदला-बदली का कार्य शुरू हो गया। पानमुनजोन में पुन युद्ध-विराम वार्ताएँ शुरू हो गईं। ८ जून को युद्ध-विराम रेखा के निर्धारण के बारे में साम्यवादियों और सयुक्त राष्ट्र में एक समझौता हो गया। परन्तु यह निश्चय हुआ कि स्वदेश वापिस लौटने को अनुत्सुक बन्दियों के लिये पाच तटस्थ राष्ट्रों के एक आयोग की, जिसमें स्विटजरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया तथा भारत थे, स्थापना की जाय। आयोग के किसी राष्ट्र को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं होगा और सभी निर्णय बहुमत से किए जाएंगे। इस समझौता पर हस्ताक्षर होने के पहिले

खडा हुआ। अमरीका की माग थी कि सम्मेलन में वे ही राष्ट्र सम्मिलित हो, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। इसके विपरीत चीन का मत था कि सम्मेलन में रूस, भारत, इन्डोनेशिया, पाकिस्तान और वर्मा को भी शामिल किया जाय। सयुक्त राष्ट्र सघ की महासभा ने इस सम्मेलन को २८ अक्टूबर, १९५३ से पूर्व ही करने का निर्णय किया तथा रूस और उन १६ राष्ट्रों को, जिन्होंने कोरिया में अपने अपने सैनिक दस्ते भेजे थे, तत्सबधी निमन्त्रण भेज दिया। तटस्थ राष्ट्र-युद्ध बन्दी स्वदेश प्रत्यागमन आयोग के भारतीय अध्यक्ष ने स्वदेश न लौटने के इच्छुक उन युद्ध बन्दी को मुक्त कर दिया जिन्हे नागरिक दर्जा प्राप्त हो गया था। क्योंकि अमरीका और उसके साथी राष्ट्र तथा साम्यवादी कोई भी २३ जनवरी के बाद युद्ध-बन्दियों को रोके रखने के पक्ष में न था। मुक्त हुए इन सैनिकों की बहु-संख्या, जो लगभग १३ हजार थी, को फारमोसा में बसने की आज्ञा मिल गई।

पानमुनजोन में की गई युद्ध-विराम संधि की शर्तों में दो बातें सम्मिलित थी। पहली, दोनों पक्षों द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों की नियुक्ति जो तमाम विदेशी शक्तियों को कोरिया से हटाने की व्यवस्था करें। दूसरी, वे कोरिया के शांतिपूर्ण एकीकरण पर बातचीत करें। चेकोस्लोवाकिया, स्वीडन, पोलैंड तथा स्विट्जरलैंड तटस्थ पर्यवेक्षक देने को सहमत हो गए, जिनकी निगरानी में युद्धविराम संधि की शर्तों को पूरा किया जा सके, लेकिन स्विट्जरलैंड तथा स्वीडन के सदस्यों को उत्तरी कोरिया में नहीं घुसने दिया। जून, १९५४ में कोरिया युद्ध में सम्मिलित १६ राष्ट्रों के प्रतिनिधि समुक्त तथा स्वतंत्र कोरिया के निर्माण के हेतु विचार विमर्श करने को जिनवा में इकट्ठे हुए। लेकिन उन्होंने अपने आपको विन्कुल नाकारा पाया। १९५४ के सयुक्त राष्ट्र सघ के नवें सत्र में एक बार पुनः कोरिया के प्रश्न को उठाया गया। लेकिन साम्यवादियों ने निम्नलिखित उन दोनों मूलभूत सिद्धांतों को ठुकरा दिया, जिन पर गैर-साम्यवादी प्रतिनिधि जोर दे रहे थे।

१ सयुक्त राष्ट्र सघ के हाथ में यह शक्ति देना ठीक ही है, जिससे वह आक्रमण को रोकने तथा शांति और सुरक्षा की पुनः स्थापना करने में सामूहिक कार्यवाही कर सके, और अपनी सम्मानीय स्थिति का उपयोग कोरिया में शांतिपूर्ण हल को ढूँढने में कर सके।

२ कोरिया की राष्ट्र-सभा के प्रतिनिधियों को स्वतंत्र चुनावों द्वारा चुना जावे। ये चुनाव सयुक्त राष्ट्रसघ की देख रेख में हों। राष्ट्र-सभा द्वारा प्रतिनिधित्व कोरिया के समस्त भागों में बसने वाली स्वदेशीय (केवल कोरियाई) जनसंख्या के सीधे अनुपात में हो।

से कम्युनिस्ट विरोधी मुक्ति सेना ने अपनी हवाई तथा कल सैनिक टुकड़ियों के साथ ग्वाटेमाला पर हमला कर दिया था। केंद्रीय अमरीका स्थित यह छोटासा राज्य ग्वाटेमाला वर्षों से कई तानाशाहों के अधीन रहा। इसके अंतिम तानाशाह का स्पेन की फ्रैंको सरकार के साथ मंत्री सम्बन्ध था। इस अंतिम तानाशाह ने ग्वाटेमाला में एक अमरीकी युनाइटेड फ्रूट कम्पनी को काफी सुविधायें दे रखी थी। इस कम्पनी ने फलों की बागवानी के लिये काफी जमीन हथिया ली थी। १९५१ में ग्वाटेमाला के एक नये प्रसिडेन्ट कर्नल जेकब अर्वेज ने एक बड़ा सख्त भूमि सुधार कानून जारी किया जिसके द्वारा युनाइटेड फ्रूट कम्पनी की सारी जमीन सरकार के हाथ आ गई। इस पर अमरीका को पूरा विश्वास हो गया कि ग्वाटेमाला काफी तेजी से साम्यवादी रूप धारण करता जा रहा है। मार्च १९५३ में काराकस में हुए दसवें अन्तर्अमरीकी सम्मेलन में ग्वाटेमाला के विरुद्ध सयुक्त कानूनी कार्यवाई करने लिये एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अमरीका ने ग्वाटेमाला के विरोधी राज्यों निकारागुआ और होण्डुराज को सशस्त्र सप्लाई करना शुरु किया। इस पर ग्वाटेमाला ने सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की अपील की।

जब मामला विचारार्थ सुरक्षा परिषद में पेश हुआ तो अमरीकी प्रतिनिधि श्री केवोट लाज ने उक्त घटना को एक अत्याचारी शासन के विरुद्ध जनविद्रोह बताया और जोर दिया कि परिषद यह मामला निबटाने के लिये सयुक्त राष्ट्र सभ के घोषणापत्र के अंतर्गत निर्मित अमरीकी राज्यों की एक क्षेत्रीय सस्था को सुपुर्द करे। सोवियत प्रतिनिधि श्री मारकिन ने अमरीका पर आरोप लगाया कि ग्वाटेमाला पर सशस्त्र आक्रमण का बल सगठन कर रहा है। आपने कहा कि इस समय हमारे सामने समस्या आक्रमण को रोकने की है। आक्रमण चाहे जहा भी हो आक्रमण ही कहा जायगा। सयुक्त राष्ट्र सभ को चाहिये कि वह इस प्रकार के आक्रमण को रोकने के लिये शक्तिशाली कदम उठाये। काफी गरमा गरम वहुस के पश्चात् सुरक्षा परिषद ने फ्रांस का वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें ग्वाटेमाला में शत्रुता रोकने की माग की गई थी और राष्ट्र सभ के तमाम सदस्य राष्ट्रों से कहा गया था कि वे वहा मघर्ष में भाग लेने वाले किसी भी दल को सहायता न दे। ६ दिन के बाद ग्वाटेमाला के प्रतिनिधि ने घोषणा की कि आक्रमणकारी ग्वाटेमाला की राजधानी पर बमबारी कर रहे हैं लेकिन परिषद ने (पक्ष में ५ और विपक्ष में ४ मतों द्वारा) आक्रमण के विरुद्ध कार्यवाई करने से इन्कार कर दिया। एक पक्षवाडे के बाद ग्वाटेमाला के प्रेसिडेन्ट अर्वेज को भाग कर मेक्सिकन दूतावास में शरण लेनी पड़ी और विद्रोही मेनाओ ने कर्नल केस्टिलो आराम के नेतृत्व में एक नयी सरकार की स्थापना करनी और तमाम कम्युनिस्ट तत्वों को कुचल दिया।

पेरिंग सरकार ने उक्त निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और कहा कि जब तक उसे सुरक्षा परिपद में उचित स्थान नहीं दिया जायगा और च्यांग के प्रतिनिधि को हटाया नहीं जायेगा जनवादी सरकार निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगी। फरवरी के प्रारम्भ में अमरीकी सातवे बंडे ने ताइचेन द्वीपों से १४ हजार राष्ट्रवादी सैनिकों को हटाया। १४ फरवरी को सुरक्षा परिपद ब्रिटेन के सुभाव पर फारमोसा पर कोई निर्णय दिये बिना स्थगित हो गई लेकिन परिपद ने सुदूरपूर्व की घटनाओं पर निगरानी कायम रखी। अप्रैल १९५५ में अफ्रीकी एशियाई देशों के बाडुग सम्मेलन के बाद जनवादी चीन ने समझौतापूर्ण रुख अपनाया और पूंजीवाद तथा साम्यवाद के सहअस्तित्व में विश्वास प्रकट किया। इसलिये फारमोसा का प्रश्न अभी भी उन अत्यंत खतरनाक बिन्दुओं में से एक है जो विश्व में अशांति के कारण बने हुए हैं।

चीन के प्रतिनिधित्व का प्रश्न—स्मरण रखने योग्य है कि चीन सयुक्तराष्ट्र सभ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसे सुरक्षा परिपद तथा अन्य सभी कमेटियों में एक स्थायी सीट और 'वीटो' का अधिकार प्राप्त है। कम्युनिस्ट सेनाओं ने राष्ट्रवादियों को मार भगाने और चीन की मुख्य भूमि पर कब्जा जमाने के बाद १ अक्टूबर १९४९ को गणतंत्र चीन की स्थापना की। अब प्रश्न यह है कि राष्ट्रवादी चीन के प्रतिनिधि को मुख्य चीन का प्रतिनिधि मानना कहा तक उचित है। गणतंत्र चीन जिसकी आवादी ६७ करोड़ है न केवल सर्व प्रभुत्व सम्पन्न सत्ता है बल्कि इसे चीनी जनता की वास्तविक सरकार के रूप में भारत, सोवियत सभ और यहाँ तक कि ब्रिटेन की मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। इसके बावजूद अमरीकी सरकार अभी तक जनवादी चीन को चीनी जनता की वास्तविक सरकार मानने में इन्कार कर रही है और राष्ट्रवादी च्यांगकाई सरकार का समर्थन करती आ रही है। जनवादी चीन को सयुक्तराष्ट्र सभ में प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर १९४९ के अन्त में ही विचार हो रहा है। सोवियत सभ ने बराबर जनवादी चीन के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है लेकिन अमरीका ने मदैव उसका विरोध किया। सयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा जनवादी चीन को प्रतिनिधित्व न दिये जाने के विरोध में सभ १३ जनवरी ने १ अगस्त १९५० तक सुरक्षा परिपद में अनुपस्थित रहा। लेकिन अमरीका ने १९५६ तक जनवादी चीन को राष्ट्रसभ में प्रवेश होने में वचन रखा। जनवादी चीन का प्रतिनिधित्व न देकर आज सयुक्त राष्ट्र सभ ने तमाम विश्व की एक चौथाई आवादी को विश्व मस्था में वचन कर रखा है जबकि सयुक्त राष्ट्र सभ के घोषणापत्र के अनुच्छेद २ में यह स्पष्ट है कि सभी जनता को चाहे उसका राजनैतिक दृष्टिकोण कुछ भी हो बराबर

इन्कार कर दिया जिन पर ६ सम्मेलनों में परिपद ने विचार किया था। जाच के लिए उप-समिति के लिए चिली के प्रस्ताव को सोवियत सघ ने वीटो कर लिया और कोई पग नहीं उठाया गया। प्रश्न का महत्व केवल प्रचारात्मक रहा।

यूगोस्लावी शिकायत—दिसम्बर १९५१ में यूगोस्लाविया ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की कि सोवियत सघ की बल्गेरिया, हंगरी, रूमानिया, अल्बेनिया आदि राज्यों में गडबडी की हलचलो से उसकी सुरक्षा तथा शांति गम्भीर सकट में पड गई है। गम्भीरता से विचार करते हुए महासभा ने १४ दिसम्बर को सम्बन्धित सरकारों के लिए निम्न सिफारिशों की (अ) सयुक्त राष्ट्रीय आदेश पत्र की भावना के अनुसार अपने विवाद शांत करे तथा अपने सम्बन्ध अच्छे बनाये, (ब) मिली-जुली सीमा आयोग द्वारा सीमा सम्बन्धी विवाद हल करे तथा कूटनीतिक विनिमय द्वारा अपने विवाद हल करें। ५ सदस्यों के सोवियत गुट न प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। यूगोस्लाविया ने इन सिफारिशों पर अमल करने का वायदा किया।

आंग्ल-ईरानी तेल विवाद—२६ सितम्बर १९५१ को ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में आंग्ल-ईरानी तेल विवाद को प्रस्तुत किया। ब्रिटिश प्रतिनिधि ने शिकायत की कि ईरानी मजलिस द्वारा १ मई को पारित राष्ट्रीयकरण विधेयक जिससे आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी के अधिकार समाप्त होते हैं, १९३३ के तेल सुविधा समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है। समस्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुपुं के गई जिसने ५ जुलाई को एक अन्तरिम निषेधादेश जारी करके आंग्ल ईरानी तेल कम्पनी को न्यायालय के निर्णय तक अपना कार्य करते रहने का आदेश दिया। २५ सितम्बर को इस आदेश के विरोध में अवादान शोधशाला बन्द कर दी गई तथा ३५० ब्रिटिश प्रतिनिधियों को तेल क्षेत्रों से निष्कासित कर दिया गया। परिपद ने ईरानी प्रधान मन्त्री डा० मुसद्दीक को आमन्त्रित किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निन्दा की तथा आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी के आरोपों को अस्वीकार कर दिया। परिपद ने किसी मुद्दा के लिए बहुमत एकत्रित करने में असफल होने पर मामला बन्द करने का निर्णय किया। इसी बीच ब्रिटिश प्रतिनिधि ईरान में निष्कासित कर दिए गए तथा २२ जुलाई १९५२ को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि तेल राष्ट्रीयकरण पर आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी का विवाद उसके अधिकार क्षेत्र में बाहर है। १८ अक्टूबर को ब्रिटेन ने तेल विवाद के आशिक हल के लिए ईरान की ४६० लाख पाउंड की माग को पूर्ण अस्वीकृत कर दिया तथा अन्तिम समझौते के लिए तेहरान में अपना मिशन भेजने से इन्कार कर दिया। ब्रिटेन ने माग की कि ५० करोड़ के तेल उद्योग की ईरानी राष्ट्रीयकरण से हुई क्षतिकी पूर्ति ६० वर्ष के लाभ में की जाय। दो दिन बाद ईरान ने ब्रिटेन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया।

को ईरान सरकार से २ करोड़ ५० लाख पाँड प्राप्त होंगे। यह रकम व्याज रहित होगी और इसकी अदायगी दस वार्षिक किस्तों में होगी जिसका आरम्भ १ जनवरी १९५७ से हो जायगा। जो तेल ईरान में उपभोग किया जायगा और जितने तेल का निर्यात होगा उसके उत्पादन मूल्य का भुगतान राष्ट्रीय ईरान तेल कम्पनी को किया जायगा। इस समझौते का परिणाम यह है कि भविष्य में ईरान को तेल-उद्योग के ५० प्रतिशत लाभ के हिस्से की प्राप्ति हो जायगी। इस प्रकार बिना मयुक्त राष्ट्रों के हस्तक्षेप में आंग्ल-ईरान-तेल विवाद स्वतन्त्रतापूर्वक उन्हीं पक्षों द्वारा हल कर लिया गया, जो प्रत्यक्ष रूप में इससे सम्बन्धित थे।

ट्यूनीसिया — १९५२ में ट्यूनीसिया के प्रश्न को औपचारिक रूप से सयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्य-सूची में रखा गया। फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि उसके विचार से यह किसी देश के घरेलू अधिकार में हस्तक्षेप करना था। उसने घोषणा की कि महासभा को इस एक सम्बन्ध पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है जो सम्बन्ध १८८१ की कास-सैद (Caser Said) और १८८३ की ला मार्सा संधियों (Convention of La Marsa) द्वारा स्थापित किया गया है। इसलिए उसने तत्सम्बन्धी बहस में भाग लेने से इन्कार कर दिया। तेरह एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों ने जो इस समस्या को महासभा के सामने लाये थे, यह आरोप लगाया कि फ्रांस-सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन कर रही है और ट्यूनीसियावासियों को प्रारम्भिक स्वतन्त्रता तथा आत्म-निर्णय का अधिकार देने से इन्कार कर रही है। सातवें सत्र में ग्रहण किए गए प्रस्ताव में यह आशा प्रकट की गई कि फ्रांस और ट्यूनीसिया “ट्यूनीसिया को स्वशासन प्राप्त कराने की दृष्टि से एक आवश्यक आधार पर बातचीत जारी रखेंगे।” (१९५२)। १९५३ में आठवें-सत्र में पुनः ट्यूनीसिया के प्रश्न को महासभा की कार्य-सूची में स्थान दिया गया और फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने पुनः विवाद में भाग लेने से इन्कार कर दिया। एक प्रस्ताव, जिसमें ट्यूनीसिया की जनता के लिए ‘सर्व-प्रभुत्व सम्पन्नता तथा स्वतन्त्रता’ की सिफारिश की गई थी, आवश्यक मतसंख्या पक्ष में न होने के कारण गिर गया।

१९५४ में यह प्रश्न फिर कार्य-सूची पर आया लेकिन तब वातावरण में विशेष रूप से परिवर्तन आ गया था। महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ होने में थोड़े ही समय पूर्व उत्साही फ्रांस सरकार ने, जिसकी वागडोर पियरे मेंडेम फ्रांस के हाथों में थी फ्रान्सीसी इतिहास में सर्व प्रथम मोरक्को और ट्यूनीसिया के मामलों के लिए एक पृथक मन्त्रालय की स्थापना की। यही नहीं ट्यूनीसिया को तत्काल प्राथमिक स्वयंशासन का प्रस्ताव लेकर स्वयं प्रधान मन्त्री वायुयान द्वारा नाटकीय ढंग

में वहाँ जा पहुँच। परिणामस्वरूप १९५८ में उन महानभा के प्रस्ताव में सीधे नीचे पर यही विन्यास धारण किया गया कि उन समय चल रही बातचीत में एक मन्तोपजनक हल' मिल जायगा और 'विन्यास' प्रायः विचार करना स्वयं कर दिया।

उन समय फ्रेंच आजादाद का अन्तर तब और दिग्दर्श दिया जब मॉरिया के प्रतिनिधि जो फ्रांसीसी नीति के एक आलोचकों में से एक है न यह घोषणा की कि द्यूनीनिया को दिया गया यह आन्तरिक स्वयंशासन फ्रांसीसी नीति के प्रति अस्वभाविकों के व्यवहार में एक नवीन युग का श्रीगणेश कर सकेगा।

यह कहने बाद में उन फ्रांस की सरकार परेशान कर दी गई। लेकिन पश्चात्-मन्वी एग्जर फॉरे की नयी सरकार ने भी बातचीत का विचारित किया गया और ३ जून १९५७ को द्यूनीनिया और फ्रांस की सरकारों ने सरकार सरकार को प्राथमिक स्वयंशासन देने हुए निरामक शर्तों की एक लम्बी सूची पर हस्ताक्षर कर दिए। उस निरामक शर्तों की सूची का फ्रांसीसी मन्त्र के दोषों, नदनों, नेशनल मनेम्बरी और काउन्सिल ऑफ रिपब्लिक द्वारा प्रथम २ जलाई और ४ अगस्त को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

उन शर्तों के अनुसार द्यूनीनिया नियमितियों को स्वयंशासन का अधिकार होगा। परन्तु अन्तरराष्ट्रीय मामलों और सुरक्षा का अधिकार फ्रांस सरकार के हाथ में ही रहेगा। समयत राष्ट्रमण्डल के मानवीय अधिकारों के घोषणा-पत्र के अनुसार मन्त्रत व्यक्तित्व अधिकारों की गारंटी दी गई है। दोनों सरकारों के मन्त्रों का विचार एक प्रदानत करेगा, जिसमें तीन द्यूनीन तीन फ्रांसीसी नाक सवयन सम्मेलन दोनों में से किसी भी देश का होगा जिसका कारण दोनों सरकारों के मानवीय मामलों में होगा।

उन शर्तों द्वारा एक नया द्यूनीन और एक नया एक नया द्यूनीनियम में समझे दाने फ्रांसीसी को एक द्यूनीनियम की समस्त सहायता समिति की म प्रतिनिधित्व दिग्दर्शों के कारण पर फ्रांसीसी सरकार का समझे एक सहायता एक ही विचार प्राप्त है। एक ही एक सहायता समिति को द्यूनीनियम में उपाय शर्तों को फ्रांसीसी को प्रतिनिधि की नीति पर दिया है, का कारण है एक नया एक नया द्यूनीनियम पर एक द्यूनीनियम की शर्तों का फ्रांस की राष्ट्रीय सहायता में प्रतिनिधित्व की शर्तों के एक अधिकार प्राप्त होगा। द्यूनीनियम का एक ही शर्तों द्वारा द्यूनीनियम की शर्तों में एक ही शर्तों पर द्यूनीनियम के द्यूनीनियम का फ्रांसीसी द्यूनीनियम विन्यास का एक ही शर्तों पर दिया गया है। द्यूनीनियम शर्तों में अधिकार शर्तों

वाले सुधारों की सभावना के लिए भी गु जाइश छोड़ दी गई है। इनमें एक राष्ट्र के नागरिक को दूसरे राष्ट्र में नागरिक अधिकारों का प्रयोग करना भी सम्मिलित है।

१९५६ में ट्यूनीसिया को विश्व-संस्था सयुक्त-राष्ट्र सघ का ७९ वा सदस्य बना लिया गया है।

मोरक्को — ट्यूनीसिया को आन्तरिक स्वशासन की स्वीकृति मिलने का उत्तरी अफ्रीका में गम्भीर विपरीत प्रभाव पड़ा। मोरक्को तथा ट्यूनीसिया सम्बन्धी मामलों के फ्रांसीसी मंत्री पीयरे जुली स्वयं गत अप्रैल को मोरक्को में बसने वालों के एक समूह के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, “तुममें से कुछ ने व्याकुलता के साथ ट्यूनीसिया का उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन ट्यूनीसिया तथा मोरक्को की समस्या एक जैसी नहीं है।”

मोरक्को में बसने वाले फ्रांसीसियों की संख्या ट्यूनीसिया में बसने वाले फ्रांसीसियों की संख्या से लगभग दो गुनी है और उनकी बहुत बड़ी पूजा और श्रम यहाँ की खेती और उद्योग में लगे हैं। महत्व की दृष्टि से कासाबाल्का की बन्दरगाह केवल फ्रांस की ही दो बन्दरगाहों— ले लेवे और मार्सीली के बाद है। फ्रांस और सयुक्त राज्य अमरीका दोनों का संरक्षक-सरकार में जबर्दस्त सामरिक योजना-संबन्धी हित है। हवाई सामरिक अड्डों के निर्माण में अमरीका ने स्वयं ३७२० लाख पाण्ड व्यय किये हैं। अभी हाल ही में फ्रांस की राष्ट्र-सभा (नेशनल असेम्बली) की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने घोषणा की कि अगर आवश्यकता हो तो यूरोप में स्थित फ्रांस की सभी सैन्य शक्ति को जिसमें उत्तरी अटलांटिक-संधि में लगी सैन्य भी सम्मिलित है, उत्तरी अफ्रीका भेज देना चाहिए। उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि यूरोप तथा स्वतन्त्र विश्व (गैर-मार्क्सवादी राष्ट्र जो पश्चिमी शक्तियों की ओर हैं और जिन्हें जनतन्त्रवादी राष्ट्र कहा जाता है) की सुरक्षा के लिए उत्तरी अफ्रीका की सुरक्षा परमावश्यक है।

१९५२ से १९५८ तक मोरक्को की समस्या भी ट्यूनीसिया की समस्या की तरह बार-बार राष्ट्रसंघ के समक्ष लायी गई और दोनों ही एक जैसी क्रिया-विधि में से गुजरी। ट्यूनीसिया को आंतरिक स्वशासन दे दिए जाने पर और मोरक्को में इस प्रकार की किन्हीं भी प्रगति के अभाव में राष्ट्रसंघ की महासभा ने अपना तमाम ध्यान मोरक्को की समस्या पर ही केन्द्रित कर दिया।

१९५४ में एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों ने मोरक्को में हुई प्रगति की सम्पूर्ण कार्य विधि का पर्यालोचन किया और विशेष जोर उम अमृतोप की स्थिति पर दिया, जो अगस्त १९५३ में सुलतान मुहम्मद-बेन युसुफ के देश निष्कासन तथा उनके स्थान

राष्ट्रपति आइजनहावर को बताया कि उन्हें जल्दी ही ग्यारह अमेरिकी हवाबाजो की मुक्ति की अपेक्षा है। तमाम लटके चले आ रहे प्रश्नों के समाधान के लिए चीन सरकार तथा अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य होने वाली बैठक के पूर्व ही चीनी प्रतिनिधि ने घोषित कर दिया कि मेरी सरकार ग्यारह बंदी हवाबाजो को मुक्त कर देगी। उसने कहा, “मुझे आशा है कि चीन-सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम का वर्तमान बातचीत पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।” परिणामस्वरूप ग्यारह अमेरिकी हवाबाजो को ४ अगस्त, १९५५ को मुक्त कर दिया गया।

चाहे किन्हीं दूसरे तत्वों ने समस्या के अन्तिम हल तक पहुँचने में कोई सहयोग दिया हो, लेकिन महामंत्री ने बातचीत में जो हिस्सा लिया, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुले रूप से सबके सामने स्वीकार किया। उन्होंने विशेष रूप से घन्यवाद “राष्ट्रसंध और उसके महामंत्री को दिया जिन्होंने प्रयत्नपूर्वक यह परिणाम प्राप्त किया।”

अल्जीरिया की समस्या — अल्जीरिया का प्रश्न महासभा के समक्ष उसके १९५५ के दसवें सत्र में पहली बार उपस्थित किया गया। गत जुलाई में एक व्याख्यात्मक परिचय-पत्र में १३ एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों ने कहा कि अल्जीरिया की वर्तमान स्थिति शांति को ठोस खतरा है और अन्तर्राष्ट्रीय विभेद का कारण है। यह परिचय-पत्र इस प्रकार था

“अल्जीरिया में विगड़ती हुई स्थिति उपनिवेशीय विजय का प्रत्यक्ष परिणाम है और यह नहीं कहा जा सकता कि अल्जीरिया निवासियों ने राष्ट्र संध के चाटेर में दिए गए आत्म-निर्णय के अधिकार को प्रयोग किया है। बड़े पैमाने पर पकड़-धकड़ जो कि अल्जीरिया में ही रही है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को गैर-कानूनी घोषित करना, मिसरशिप लगाना, और सशस्त्र फ्रांसीसी सैनिक दस्तों द्वारा मकानों पर दखल जमा लेना ये सब अल्जीरिया के लोगों को उनके यथोचित अधिकारों को स्वीकार करने की असफलता के अजीब परिणाम हैं। ये मामले इस हद तक पहुँच गए हैं कि स्वयं फ्रांस के प्रधान मन्त्री के अनुसार अल्जीरिया में पैर जमाए रखने के लिए फ्रांस के पास केवल एक ही मार्ग रह गया है कि वह शक्ति का सहारा ले। इस क्षेत्र में लग्गी १५०,००० की विशाल मशम्र सेना और उत्तरी अतलातक सवि-सगठन (नाटो) के फ्रांसीसी दम्ते, वहाँ की गम्भीर स्थिति को स्पष्टता से प्रमाणित करते हैं। ऐसी स्थिति का बना रहना भूमध्य सागर के क्षेत्र में शांति को गम्भीर खतरा उत्पन्न कर रहा है।”

अल्जीरिया को १९६० में विजित किया गया और उसे फ्रांस के सविधान (१९४८) द्वारा फ्रांस का प्रदेश घोषित कर दिया गया। १९७० में उत्तरी भाग तीन

- १ विद्रोहियों की पूर्ण स्वतंत्रता की माग को छोड़ते हुए सुलह की शर्तों के लिए अन्तिम प्रयास ।
- २ व्यवस्था की पुनर्स्थापना तथा फ्रांस-निवासियों की जान-माल की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर शक्ति का प्रयोग ।
- ३ आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक सुधार लागू करना ।
- ४ मुस्लिम जनसंख्या के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव ।
- ५ अल्जीरिया के राजनीतिक स्तर को सुधारने के लिए इन नेताओं से बातचीत, यद्यपि यह स्तर फ्रांस के साथ ही सम्बन्धित रहेगा ।

राष्ट्रवादियों ने इस योजना को बेकार कहकर ठुकरा दिया जबकि यूरोप-वासियों ने उसकी भर्त्सना की । अतएव सशस्त्र संघर्ष जारी रहा ।

२२ मई, १९५६ को पंडित नेहरू ने अल्जीरिया के संघर्ष के हल के लिए अपनी पांच-सूत्री योजना प्रस्तुत की जो इस प्रकार है

- १ दोनों ओर से हिंसा की समाप्ति के पक्ष में औपचारिक घोषणा द्वारा शांतिपूर्ण हल के लिए वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए ।
- २ स्वतंत्रता के आधार पर अल्जीरिया की राष्ट्रीय सत्ता तथा स्वायत्तता को फ्रांस सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए ।
- ३ तमाम संघटित पक्षों द्वारा, बिना जातीय भेदभाव के, अल्जीरिया के लोगों की समानता को स्वीकार किया जाना चाहिए ।
- ४ अल्जीरिया की राष्ट्रीय सत्ता तथा स्वतंत्रता की स्वीकृति से उत्पन्न तमाम भारों तथा लाभों में अल्जीरिया के सभी निवासियों को समान रूप में भाग लेना चाहिए ।
- ५ संघटित पक्षों की सीधी बातचीत सयुक्त राष्ट्रसंघ-घोषणापत्र (चार्टर) के अनुसार उपर्युक्त मूलभूत विचारों पर आधारित होनी चाहिए ।

नेहरू जी की इस योजना को फ्रांस ने ठुकरा दिया और १८ जून को यह प्रश्न सयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में ले जाया गया ।

निश्चास्त्रीकरण — जून, १९५७ में हुए सयुक्त राष्ट्र-संघ के घोषणापत्र (चार्टर) की १०वीं जयंती के मानफ्रांसिस्को अधिवेशन में कनाडा के प्रतिनिधि ने घोषणा की

“श्रेय शक्ति मतुलन का स्थान भय-मतुलन ने ले लिया है और यह सुरक्षा का कोई मुद्दा और म्यात्री आधार नहीं है । एक उदजन वम में शक्ति भग होने का भय है और दो उदजन वमों में तो शक्ति भग होने का भय और भी बढ़ जाता है ।”

राष्ट्र के हाथ में नहीं है। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस और अमेरिका दोनों आणविक युद्ध की विभीषिकाओं का भली प्रकार अनुभव करते जा रहे हैं, जो यदि हुआ तो विजित और विजेता दोनों का सर्वनाश कर देगा। १९५३ में राष्ट्रपति आइजन हावर ने स्पष्ट घोषणा की "यदि आणविक युद्ध हुआ तो सभ्यता के नष्ट हो जाने, मानवजाति की अद्वितीय विरासत के लोप हो जाने तथा मानव जाति के इस हद तक पतन की सम्भावना है कि उसे पुनः असभ्यता से सभ्यता की ओर अपना पुरातन सघर्ष करना पड़ेगा।"

रूसी प्रधान मंत्री बुल्गानिन ने अभी हाल ही में घोषणा की कि बड़े पैमाने पर विनाश के और ज्यादा खतरनाक और शक्ति शाली आयुधों की खोज नये युद्ध की अशका को बढ़ाती है जिमसे परिणाम स्वरूप अनगिनत आपत्तियों और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा।

निश्शस्त्रीकरण आयोग की उप-समिति की २५ जनवरी से १८ मई, १९५५ तक लन्दन में होने वाली बैठक में सर्वमान्य हल के लिए योजना स्वीकार की गयी। आम सिद्धान्तों पर समझौता हो गया जिनके अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था होगी

- १ आणविक तथा बड़े पैमाने पर विनाशकारी आयुधों के बनाने तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध और वर्तमान आणविक आयुधों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित करना।
- २ तमाम सशस्त्र सेनाओं तथा अभिसामयिक आयुधों (Conventional Armaments) की बड़े पैमाने पर कमी।
- ३ एक नियंत्रणकारी मस्था की स्थापना, जिसके पास इतने पर्याप्त अधिकार, शक्तियाँ और कार्य हो कि वह इस बात की गारन्टी कर सके कि सर्व-स्वीकृत प्रतिबन्धों और आयुधों की कमी की योजना का प्रभाव-पूर्ण ढंग में पालन हो रहा है।
- ४ मगस्र मेना, अभिसामयिक आयुधों (कन्वेंशनल) में या ३१ सितम्बर, १९५८ के स्तर से अधिक स्तर पर सैनिक-खर्च में किसी प्रकार की बढा-त्तरी न हो।
- ५ चीन, रूस, अमेरिका की मगस्र मेनाओं में १० लाख से १५ लाख तक की, और फ्रान्स तथा ब्रिटेन की मेनाओं में ६॥ लाख तक की कमी। ३१ दिसम्बर १९५८ में जिननी मेनाएँ थी तथा मेनाओं में जितनी कमी

है, क्योंकि निश्शस्त्रीकरण सर्वदा सैनिक हितों का विषय ही नहीं है।” उन्होंने निश्शस्त्रीकरण के परम्परागत तथा नकारात्मक पहलू को ठुकरा दिया, क्योंकि, किसी बाह्य शक्ति के नाम पर, प्रत्येक देश में छिपे हुए या गुप्त रीति से रक्खे हुए सैनिक-साधन सामग्री को, किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है ? उस अपराध की सजा कैसे दी जाय, जिसको प्रकट करने का कार्य ऐसी नियंत्रण-संस्था का हो ?”

सबसे नाटकीय प्रस्ताव राष्ट्रपति ब्राइजन हावर की ओर से आया, जिन्होंने हवाई निरीक्षण की योजना प्रस्तुत की जिसके अन्तर्गत रूस तथा अमेरिका दोनों देशों के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने-अपने सैनिक प्रस्थापनाओं का आदि स अत तक पूरा-पूरा व्योरा-फोटो एक दूसरे को दें। उन्होंने यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया, “हम आपको हवाई पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएँ देंगे। जहाँ आप (रूस) जो फोटो-नक्शे लेना चाहें ले सकेंगे और उनका भली प्रकार से अध्ययन करने के लिए उन्हें अपने देश ले जा सकेंगे और हम भी आशा रखते हैं कि आप (रूस) ठीक उसी प्रकार की सुविधाएँ हमें (अमेरिका को) प्रदान करेंगे।”

शिखर) सम्मेलन की अन्तिम विज्ञप्ति में चारों शक्तियाँ, सयुक्त राष्ट्र-संघ निश्शस्त्रीकरण आयोग की उप-समिति द्वारा निश्शस्त्रीकरण के लिए सर्व स्वीकृत प्रणाली के विकासार्थ आपस में कार्य करने को सहमत हो गई। इस उप-समिति की अगस्त, १९५५ और फरवरी, १९५६ में बैठके हुई, जिसके फौरन वाद फ्रांस, कनाडा ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों की आपसी चर्चाओं के कई दौर हुए। जुलाई, १९५६ में इन चर्चाओं की रिपोर्ट निश्शस्त्रीकरण आयोग को दे दी गई जिसके १२ सदस्य हैं—ग्यारह सुरक्षा परिषद के सदस्य और एक कनाडा।

इस सम्मेलन में जो भी समझौता हुआ था तो उसमें निरीक्षण और नियंत्रण के प्रश्न पर रूस तथा पश्चिमी शक्तियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया।

फ्रांस, कनाडा अमेरिका और ब्रिटेन ने निश्शस्त्रीकरण समझौते के आधार-रूप निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रस्तुत किया

निश्शस्त्रीकरण की क्रिया शून्य शून्य हो, जिसका प्रारम्भ अभिसामयिक (कन्वेगनल) मगसत्र शक्ति में कमी से हो और उचित स्थिति पर आणविक शस्त्रों के उत्पादन को रोकने तक यह क्रिया चलती रहे। एक प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण होगा, जिसमें प्रारम्भ से हवाई पर्यवेक्षण भी सम्मिलित रहेगा। यह कार्य क्रम एक के बाद एक धीरे-धीरे प्रगति करेगा। एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुँचने में कितना समय लगे यह उस बात पर निर्भर होगा कि पिछली हरेक स्थिति

प्रारंभ से ही आयोग ने यह स्वीकार किया

“अतिम अणु-ई धन को शांतिकारी प्रयोगों में लाया जाय या विनाशकारी प्रयोगों में—उत्पादक रीतिया अणु-आयुध बनाने की अग्रिम अवस्था तक एक जैसी और अभिन्न है। इस प्रकार, शांतिकारी उद्देश्यों के प्रयोग को अणु-शक्ति द्वारा सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय युद्धास्त्रों में से अणु-अस्त्रों को समाप्त करने तथा जिन राष्ट्रों ने इस सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान कर दी है, उनकी पड़्यन्त्रों और सधि-उल्लघनों के सकटों से रक्षा करने के लिए अणु-शक्ति पर नियंत्रण अवश्य ही केवल एक ही नियंत्रण और निरीक्षणकारी संगठित अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा होना चाहिए, जिसका उद्देश्य इन संबंधित उद्देश्यों को भली प्रकार कार्यान्वित करना हो।”

इस तथ्य ने आयोग को ‘नियंत्रणों’ के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में पहुँचाया। १४ जून, १९४६ को, न्यूयार्क में अणु-शक्ति-आयोग की पहली बैठक, अमेरिका के श्री वर्नाड वाहच की अध्यक्षता में हुई। अणु आयुधों पर प्रतिबंध तथा नियंत्रण के लिए एक राष्ट्र सश्री अणु विकास अधिकार-संस्था स्थापित करने के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव रखा, जबकि रूस ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वप्रथम अणु-सामग्री के भंडार को नष्ट करने पर समझौता हो जाय, इसके बाद नियंत्रण हो। सम्मितियों में इस मतभेद के कारण जटिल गत्यवरोध उत्पन्न हो गया। मई, १९४८ में आयोग ने कहा कि वह ऐसी विपमस्थिति में पहुँच गया है कि उसे भंग नहीं किया जा सकता, माय ही उसने अपनी असफलता भी स्वीकार की। अगले चार सालों में नियंत्रणकारी संस्था के संबंध में सर्व-सम्मत हल तक पहुँचने की रचमात्र भी आशा दिखाई नहीं दी। अतएव, शांतिकारी उद्देश्यों के लिए अणु-शक्ति के प्रयोग पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया।

८ दिसम्बर, १९५३ को राष्ट्रपति आइजन हावर ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की छत्रछाया में अणु-शक्ति-संस्था की स्थापना का प्रस्ताव महासभा-के-सामने रखा, जो ऐसे उपाय निकाले जिससे अणु-सामग्री को मानव-जाति के कल्याणकारी उद्देश्यों में प्रयोग किया जा सके। इस संस्था को एक सच्यकारी संस्था (बैंक) का रूप दिया गया, जिसका काम उम समस्त अणु-सामग्री को एकत्रित करना तथा उसकी रक्षा करना था, जो उसे विभिन्न राष्ट्रों से उस सीमा तक प्राप्त हो जिस सीमा तक उन राष्ट्रों की मायारण समझ अनुमति दे। साथ ही उस संस्था का यह भी दायित्व होगा कि यह कृषि, औषध तथा विद्युत-शक्ति के क्षेत्रों में अणु-शक्ति के प्रयोगों का प्रव्ययन करे और उनकी मिफारिश करे। महासभा के नवें सत्र (१९५४) में आस्ट्रे-निया, वेनिजियम, कनाडा, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रीका गण, इंग्लैंड तथा अमेरिका ने अन्तर्राष्ट्रीय अणु-संस्था तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय शिल्पिक सम्मेलन बुलाने के

संसार में एक समुदाय प्रस्ताव उपस्थित किया। संसार की स्थापना के लिए वास्तविक प्रारम्भ हुई। परन्तु उनको पालन करने में उन्हीं मान राष्ट्रों के द्वारा ही जिन्होंने प्रस्ताव प्रेषित किया था। लेकिन अमेरिकी देशों तथा एशिया के छोटे प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापक एजेन्सी के तारों का विवरण एक रूप में उल्लिखित होगा। वे तब मात्र राज्यों जो आरम्भ में सम्मिलित पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं एजेन्सी के सदस्य होंगे और उनके परिशिष्ट और सदस्यों को भी शामिल करने की व्यवस्था होगी। सदस्यों को एजेन्सी का महत्त्व के रूप में आवश्यकता सामर्थ्य तथा युक्तता मिलाई करने, वित्तीय महत्त्व देने, स्वातंत्र्य रूप से वस्तु के लिये सुविधाओं का तथा शामिलपूर्ण अनुसंधानात्मक कार्यों में समस्त वैज्ञानिकों में समस्त आवश्यकताओं का भार पड़ाना करना होगा।

पण्डित समुदाय राष्ट्रसंघ और एजेन्सी के सम्बन्धों के विषय में काफी लम्बी काल तक विचार-विमर्श करने ने एक प्रस्ताव द्वारा वेदत का निर्माण किया कि एजेन्सी की स्थापना जिन सम्बन्धों के विषय में समुदाय राष्ट्रसंघ में कोई समुचित रूप में सम्मिलित करके हट भी जायगी। समर्थता ने उन प्रकार की एजेन्सी के लिये एक परिशिष्ट प्रारम्भ तैयार किया और अक्टूबर १९४४ में यह पार्लियामेंट में विचारण, कनाडा, फ्रान्स, पुनर्जात, दक्षिण अफ्रीकी संघ और थियेन के पास देखा गया। वेदत को प्रश्न किन पर कोई निर्णय नहीं किया जा सके। ये थे - (१) क्या एजेन्सी का प्रयोग सदस्य एक एक मत का हस्तगत होना चाहिये अथवा समस्त विभागों के परिमाण के अनुसार मतों के विचारण आ निर्णय होना चाहिये और (२) क्या नि समुदाय राष्ट्रसंघ और एजेन्सी का परस्पर वैसा सम्बन्ध होना चाहिये।

से पहले ही से हमारी अणु शक्ति कार्यक्रम में सहयोग के विकास के लिये विभिन्न कई देशों में वार्ता हो चुकी थी ।

१९५४ में बेल्जियम, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन, स्विटजरलैंड और ब्रिटेन ने आणविक शक्ति के अनुसंधान में सहयोग के विकास तथा उसे उद्योगों में प्रयोग करने के लिये यूरोपीय अणु शक्ति सोसायटी की स्थापना की । एक वर्ष पूर्व इन राज्यों ने डेनमार्क, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम और यूगोस्लाविया के साथ अणु शक्ति के अनुसंधान के लिये उक्त यूरोपीय सस्था की स्थापना के निमित्त एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये । इसके तत्काल बाद ही अणु शक्ति के अनुसंधान के लिये इस सस्था ने जनेवा में अपनी प्रयोगशाला की स्थापना की । उन्ही दिनों १९५५ में अमरीका का २७ देशों के साथ एक समझौता हुआ जिसके अनुसार इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक देश को अनुसंधानिक भट्टी के प्रयोग के लिये अमरीका से पट्टे पर १३ २ पाँड सामग्री लेने का हक दिया गया । जुलाई १९५६ में भारत की प्रेरुचि पर अणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग और प्रशिक्षण में सहयोग के तरीकों पर विचार करने के लिये भारत, वर्मा, लका, इण्डोनेशिया और मिस्र के प्रतिनिधियों का बम्बई में एक सम्मेलन हुआ । ४ अगस्त १९५६ को भारत में ३० लाख रुपये की लागत से पहली देशी भट्टी चालू हुई । भारत की यह भट्टी भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में पहली भट्टी है ।

जनेवा अन्तर्राष्ट्रीय अणु सम्मेलन — जिस प्रस्ताव में उक्त अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी का उल्लेख था उसी में मधुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय टेक्निकल सम्मेलन करने का भी उल्लेख था । प्रस्ताव के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा अणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों के विकास के लिये साधनों की खोज करना और खास तरह से अणु शक्ति के विकास का अध्ययन तथा जीव-विज्ञान दवाइयों, आधाराभूत विज्ञान जैसे टेक्निकल क्षेत्रों में जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से कायम किया जा सकता है, अध्ययन करना है । सम्मेलन का आयोजन करने का उत्तरदायित्व मेक्रेटरी जनरल और एक मलाहकार समिति पर होगा, जिसमें ब्रेजिल, कनाडा, फ्रांस, भारत, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के प्रतिनिधि शामिल होंगे । अगस्त १९५७ में जनेवा में भारत के डा० होमी जे भाभा की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन को उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव अथवा कोई औपचारिक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं मिला था । इसका खास काम नये शक्ति साधनों की आवश्यकता तथा शक्ति उत्पादन में अणु शक्ति के महत्व पर विचार करना, एक अणुशक्ति कारखाने का निर्माण तथा वर्तमान अणु शक्ति कारखानों में अनुभव प्राप्त करना अणु शक्ति के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं पर विचार तथा

शक्ति से काफी लाभ होगा। आज जहाँ ५ करोड़ टन कोयला इस्तेमाल किया जाता है वहाँ अणु शक्ति से केवल ६० हजार टन कच्ची धातु से जरूरत पूरी हो सकेगी। उन देशों को जहाँ शक्ति के अन्य साधनों का अभाव है वहाँ अणु शक्ति आसानी से ले जायी जा सकती है और वितरित की जा सकती है। प्रमुख वैज्ञानिक आइस्टाइन के अनुसार एक ग्राम तत्व का समूल विनाश २ करोड़ टन कोयले के बराबर ताकत पैदा कर सकेगा। इस का अर्थ यह हुआ कि प्रतिवर्ष १३० किलोग्राम या २८७ पाँड तत्व नष्ट करने से विश्व की वर्तमान आवश्यकताये पूरी हो सकेंगी। फिर भी तत्व का सम्पूर्ण विनाश अभी सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त शक्ति के उत्पादन के लिये अणु शक्ति के विशाल कारखानों के निर्माण की बड़ी भारी समस्या है, जिसमें अणु भट्टी, रेडियेशन शिल्ड, अनकन्वेंशनल पम्प, बेंकार रेडियो सक्रिय तत्वों को नष्ट करना, विकीर्ण मापक यंत्र तथा इस्तेमाल हुए ईंधन को पुनः प्रयोग लायक बनाना आदि शामिल हैं।

सम्मेलन की एक विशेष रिपोर्ट भावी कार्यवाई सम्बन्धी प्रस्तावों के साथ मयुक्त राष्ट्रसंघ के तमाम सदस्यों के पास भेज दी गई है।

मयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए अणुविकीर्ण की समस्या निरन्तर बड़े महत्व का विषय बनती जा रही है। औपचारिक रूप से ८ अप्रैल १९५४ को प्रथम बार यह समस्या निशस्त्रीकरण आयोग के समक्ष पेश की गई। भारत ने इस सिलसिले में एक चार सूत्री कार्यक्रम रखा जिसमें एक भावी विस्फोटो सम्बन्धी यथा-पूर्व ममभौता तथा दूसरी बात इन शस्त्रों के प्रभाव के विषय में प्राप्त तथा गुप्त जानकारी का प्रचार था। यह प्रश्न सरक्षण परिपद में उठाया गया। अमेरिकी प्रशासन के अन्तर्गत प्रशान्त द्वीपों के महत्वपूर्ण मरक्षित क्षेत्र में मार्शलजीज कांग्रेस स्थगन-मिति (Holdover Committee) ने सरक्षण परिपद में उक्त क्षेत्र में अमेरिका द्वारा अणु शस्त्रों के परीक्षण के सिलसिले में एक विरोध-पत्र पेश किया। परिपद में मार्शलजीज कांग्रेस के विरोध-पत्र पर विचार करते हुए परीक्षण से वहाँ के निवासियों की जान और माल की क्षति पर दुःख प्रकट किया और आशा प्रकट की कि भविष्य में समुचित मावधानी बरती जायेगी। अणुविकीर्ण के प्रश्न पर अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोगों के सम्बन्ध में १९५५ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ विस्तार से विचार किया गया। समस्या के नवने महत्वपूर्ण पहलुओं में से इस पहलू पर कि अणु-विकीर्ण का प्रभाव मानव के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कौसा पड़ेगा जनरल असेम्बली के आगामी अधिवेशन में विचार किया जायेगा। अमेरिका ने आगामी अधिवेशन की कार्य-क्रम सूची में शामिल करने के लिए एक कार्य-क्रम प्रस्तुत किया है जिसमें इस विषय के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को सम्बद्ध करने का उल्लेख है। कार्य-क्रम

से और यदि सामरिक महत्व का क्षेत्र है तो सुरक्षा परिपद से उसका सम्बन्ध होगा। मरक्षित क्षेत्र तीन श्रेणियों में विभाजित किये गये हैं

- १ पुराने अधिदिष्ट क्षेत्र जैसे कि वह १९४५ में राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव के निर्माण के समय थे।
- २ द्वितीय विश्व युद्ध में शत्रु देशों जापान और इटली से जीते गये क्षेत्र।
- ३ वे क्षेत्र जो सम्बन्धित राज्यों द्वारा स्वेच्छा से सुरक्षण व्यवस्था के मातहत कर दिये गये हैं।

१९५६ तक किसी भी राज्य ने अपना उपनिवेश सुरक्षण परिपद में निरीक्षण के मातहत नहीं किया। साम्राज्यवादी राष्ट्र अतलातक घोषणा पत्र और युद्ध काल के अन्य वायदों को आसानी में भूला बैठे। इसलिये मरक्षित क्षेत्र या तो जर्मनी के वे क्षेत्र हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद प्राप्त हुए अथवा इटली और जापान के हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध में उनके पतन के बाद साम्राज्यवादियों के हाथ में आये।

सरक्षित क्षेत्रों का वितरण

प्रशासक देश	क्षेत्र	जनसंख्या	सरक्षित क्षेत्र का रूप
ब्रिटेन	टगानियाका	८० लाख	साधारण क्षेत्र
	केमरून	१४ लाख	साधारण क्षेत्र
	तोगोलैंड	४ लाख	"
फ्रांस	केमरून	३१ लाख	"
	तागोलैंड	१० लाख	"
बेल्जियम	रुआंडा-उरुंडी	४१ लाख	"
न्यूजीलैंड	पश्चिमी समोआ	६२ लाख	"
आस्ट्रेलिया	न्यूगिनाना	१२ लाख	"
	नोर्न	३ हजार	"
इटली	सोमालीलैंड	१३ लाख	"
अमरीका	प्रशान्तद्वीप	५८ हजार	सामरिक महत्व का क्षेत्र

इस प्रकार अफ्रीकी मरक्षित क्षेत्र जो २१ लाख १६ हजार ७२ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है उसकी आवादी १ करोड़ ६४ लाख है जबकि प्रशान्त क्षेत्र जो २ लाख ८५ हजार ७०६ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उसकी आवादी १३ लाख है। मरक्षित क्षेत्रों के अफ्रीकियों की आवादी और क्षेत्र क्रमशः ६३ प्रतिशत और ८६ प्रतिशत है।

सुनवाई करने का अधिकार है। सरक्षण परिषद ने सबसे पहले यह सुविधा फ्रांसीसी तोगोलैण्ड के सिलवानस इ० ओलम्पिओ को (८ दिसम्बर १९४७ में) स्वीकार की। यह सुविधा सिलवानस इ० ओलम्पिओ को अधिकार के रूप में नहीं बल्कि सुविधा के तौर पर दी गई, जिसमें सिलवानस इ० ओलम्पिओ को यू. जनता के एकीकरण के लिये लिखित प्रार्थना-पत्र के समर्थन में यू. निवासियों के मामले को पेश करने की सुविधा दी गई। १९५५ तक ८ मौखिक सुनवाई जिनका लिखित प्रार्थना-पत्र से सम्बन्ध नहीं था और ४ अन्य मौखिक सुनवाई उनके पिछले प्रार्थना-पत्रों के विस्तृत व्याख्या के लिये स्वीकार की गई।

सरक्षण प्रणाली के क्रियान्वय में एक सबसे उल्लेखनीय बात जिस पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र के निर्माताओं का भी ध्यान नहीं गया होगा, वह है जनरल असेम्बली की सरक्षण सम्बन्धी चौथी समिति द्वारा सरक्षित प्रदेशों की राजनैतिक सस्थाओं के पीड़ित प्रार्थियों को मौखिक सुनवाई की अधिक से अधिक सुविधा देना।

दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के पहले के अधिदिष्ट क्षेत्र के संघ में चतुर्थ महामभा (१९४९) की चतुर्थ समिति ने माइकेल स्काट को प्रथम मौखिक सुनवाई की स्वीकृति प्रदान की तो भी सरक्षित प्रदेश के प्रथम निवासी जो निर्धारित परंपरा का अनुकरण करते हुये चतुर्थ समिति के समक्ष उपस्थित हुए, सिलवानस ओलम्पिओ थे जो अखिल-यू. सम्मेलन के प्रतिनिधि थे। उन्होंने यू.कवीलो के एकीकरण-संघी अपने पक्ष को छठी महामभा (१९५१) के समक्ष प्रस्तुत किया। तब से इन मौखिक सुनवाईयों की संख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई कि इनकी जो संख्या ७वीं महामभा (१९५२) में ११ थी वही ९वीं महामभा (१९५४) में बढ़कर १५ तक जा पहुँची। इन सुनवाईयों में से तेरह की स्वीकृति तो फ्रांस तथा ब्रिटेन के प्रशासनाधीन तोगोलैण्ड के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को देदी गयी।

चतुर्थ समिति ने हर प्रार्थना पर उसके गुणों के आधार पर विचार किया है और इन प्रार्थनाओं में से अधिकांश को स्वीकृति देदी है, जिनमें महामभा से सीधी अपील के मामले भी सम्मिलित हैं। प्रशासकीय अधिकारियों ने महामभा से की जाने वाली मौखिक सुनवाईयों के लिए समस्त प्रार्थनाओं की कथित अविश्वेकपूर्ण स्वीकृति की एक मत से भर्त्सना की है। तो भी यह प्रतीत होता है कि मौखिक सुनवाईयों की स्वीकृति की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति, सरक्षण परिषद में प्रशासकीय तथा गैर प्रशासकीय शक्तियों के मध्य समानता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मौखिक सुनवाईयों का महत्व इन तथ्यों में प्रकट होना कि मध्यम स्वनव्रतापूर्वक प्रतिनिधियों से प्रश्न करते हैं, जिसमें

सुनवाई करने का अधिकार है। सरक्षण परिपद ने सबसे पहले यह सुविधा फ्रांसीसी तोगोलैंड के सिलवानस इ० ओलम्पिओ को (८ दिसम्बर १९४७ में) स्वीकार की। यह सुविधा मिलवानस इ० ओलम्पिओ को अधिकार के रूप में नहीं बल्कि सुविधा के तौर पर दी गई, जिममें सिलवानस इ० ओलम्पिओ को यू जनता के एकीकरण के लिये लिखित प्रार्थना-पत्र के मर्मर्थन में यू निवासियों के मामले को पेश करने की सुविधा दी गई। १९५५ तक ८ मौखिक सुनवाई जिनका लिखित प्रार्थना-पत्र से सम्बन्ध नहीं था और ४ अन्य मौखिक सुनवाई उनके पिछले प्रार्थना-पत्रों के विस्तृत व्याख्या के लिये स्वीकार की गई।

सरक्षण प्रणाली के क्रियान्वय में एक सबसे उल्लेखनीय बात जिस पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र के निर्माताओं का भी ध्यान नहीं गया होगा, वह है जनरल असेम्बली की सरक्षण सम्बन्धी चौथी समिति द्वारा सरक्षित प्रदेशों की राजनैतिक सस्थाओं के पीडित प्रार्थियों को मौखिक सुनवाई की अधिक से अधिक सुविधा देना।

दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के पहले के अधिदृष्ट क्षेत्र के सबध में चतुर्थ महासभा (१९४९) की चतुर्थ समिति ने माइकेल स्काट को प्रथम मौखिक सुनवाई की स्वीकृति प्रदान की तो भी सरक्षित प्रदेश के प्रथम निवासी जो निर्धारित परंपरा का अनुकरण करते हुये चतुर्थ समिति के समक्ष उपस्थित हुए, सिलवानस ओलम्पिओ थे जो अखिल-यू सम्मेलन के प्रतिनिधि थे। उन्होंने यू-कवीलो के एकीकरण-सबधी अपने पक्ष को छठी महासभा (१९५१) के समक्ष प्रस्तुत किया। तब से इन मौखिक सुनवाईयों की संख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई कि इनकी जो संख्या ७वीं महासभा (१९५२) में ११ थी वही ९वीं महासभा (१९५४) में बढ़कर १५ तक जा पहुँची। इन सुनवाईयों में से तरह की स्वीकृति तो फ्रांस तथा ब्रिटेन के प्रशासनाधीन तोगोलैंड के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को देदी गयी।

चतुर्थ समिति ने हर प्रार्थना पर उसके गुणों के आधार पर विचार किया है और इन प्रार्थनाओं में से अधिकांश को स्वीकृति देदी है, जिनमें महासभा से सीधी अपील के मामले भी सम्मिलित हैं। प्रशासकीय अधिकारियों ने महासभा से की जाने वाली मौखिक सुनवाईयों के लिए समस्त प्रार्थनाओं की कथित अविवेकपूर्ण स्वीकृति की एक मत से भर्त्सना की है। तो भी यह प्रतीत होता है कि मौखिक सुनवाईयों की स्वीकृति की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति, सरक्षण परिपद में प्रशासकीय तथा गैर प्रशासकीय गतिनियों के मध्य समानता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मौखिक सुनवाईयों का महत्व इन तथ्यों में प्रकट होता कि मदम्य स्वतंत्रतापूर्वक प्रतिनिधियों से प्रश्न करते हैं, जिससे

तागानीका (ब्रिटेन) की जनता के लिए २० या २५ वर्षों में स्वायत्त-सरकारों की स्थापना हो जाने की मभावना है। इसने पहली बार ही सरक्षित क्षेत्रों के लिए स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय-सीमा, अर्थात् निर्दिष्ट तारीखों की सिफारिश की। इस प्रकार शिष्ट-मंडल के सदस्यों ने राष्ट्र-सघीय ध्वजा फहराते हुए आदि-निवासियों के प्रवक्ताओं तथा स्थानीय अधिकारियों से खुलकर भेंट की। इस प्रकार लोगों के हृदयों में शिष्ट-मंडल ने यह तथ्य भली प्रकार जमा दिया कि संपुक्त राष्ट्रमध्य उनके कल्याण के लिए चिंतित है और उनकी अन्तिम स्वतंत्रता के लिए कार्य-रत है। इस शिष्ट-मंडल द्वारा यह सुश्रवसर प्राप्त हुआ है कि इन क्षेत्रों की सीधी और सच्ची खोज की जा सके। परन्तु इसकी सदस्यता में उदारता से काम लेना चाहिए, जिससे गैर-प्रगासकीय शक्तियों की मख्या इसमें अधिक हो सके।

दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका का स्तर—महायुद्ध से पूर्व दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका का जर्मन उपनिवेश ही एकमात्र पहले का शासनादिष्ट क्षेत्र है, जो सरक्षित क्षेत्र के रूप में 'अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्यास प्रणाली' के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। समस्त प्रदेश में दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्रफल लगभग ३१७,७२५ वर्ग मील है, जिसमें बसने वाली ४१४,६०० की जनसंख्या में से ४८,५८८ यूरोपीय हैं (१९५३)। भविष्य में दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका का स्तर क्या होगा, इस सम्बन्ध में विवाद का मूल १९१९ में दस राष्ट्रों की परिषद् की गुप्त कार्यवाहियों में खोजा जा सकता है। २४ जनवरी को दक्षिण अफ्रीका सघ के जनरल स्मट्स ने जर्मनी के दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के अधिकारकरण का दावा विजित प्रदेश के वतौर किया। राष्ट्रपति विल्सन ने उनकी माग के उत्तर में निश्चयपूर्वक कहा, "मूलभूत विचार यह होगा कि ममस्त विश्व प्रन्यासी के रूप में शासनादेश द्वारा उस दिन तक कार्य करता रहेगा, जब तक आदि-निवासियों की सच्ची आकांक्षाओं का निश्चय न हो सके।" इस प्रकार जनता की सच्ची आकांक्षा ही क्षेत्र को सघ में मम्मिलित करने का एकमात्र आधार है। अतः समझौता 'सी' श्रेणी के शासनादेशों द्वारा उत्पन्न किया गया है जो 'लीग' के नियम के अनुबन्ध २२ में जैसा दिया गया है उनके अनुसार "शासनादिष्ट राज्य के अविभाज्य अंग के रूप में" प्रशामित होता है।

महामभा (१९८५-४६) के मान-फ्रांसिस्को तथा लन्दन में होने वाले प्रथम अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका सघ की सरकार ने दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका को सघ-क्षेत्र में शामिल करने का अपना दावा पुनः सामने रखा। एक वर्ष पूर्व जब प्रन्यास प्रणाली अस्तित्व में आयी, मन् १९४६ में 'लीग ऑव नेशन्स' के भंग हो जाने से मन्-सरकार को दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका पर अधिकार करने का आसानी से बहाना

की, कि क्या दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका सबधी मामलो में महासभा द्वारा कार्य-प्रणाली के जो विशेष नियम अपनाए गए हैं वे अदालत की १९५० की राय की सही व्याख्या हैं। क्षेत्र-सम्बन्धी सिफारिशो को स्वीकार करने के लिए लीग परिपद के एकमत के नियम के स्थान पर दो-तिहाई बहुमत का विशेष नियम था। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने माना कि विना वैधानिक परिवर्तन के दो-तिहाई बहुमत का नियम एकमत के नियम का स्थान नहीं ले सकता। १९५६ में सर्व प्रथम १० वीं महासभा ने दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र से प्राप्त याचिकाओं सम्बन्धी कानून तथा प्रतिवेदनो को स्वीकार करने का निर्णय किया है। यद्यपि सघ सरकार ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए इन्कार कर दिया है, तथापि सयुक्त राष्ट्रसघ द्वारा स्वयं प्रतिवेदन लिखे जा रहे हैं और याचिकाएँ भी स्वीकार की जा रही हैं।

सोमाली लैंड— इटली के प्रशासनाधीन सोमाली लैंड का सरक्षित क्षेत्र ही एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जो १९६० में स्वतन्त्र होना है। पिछड़े हुए सोमालियो को स्वायत्त सरकार के स्तर तक ले जाने की समस्या एक दुष्कर समस्या है। १९५५ में नगरपालिका के चुनाव हुए और १९५६ में सम्पूर्ण देश में ग्राम चुनाव करने के लिए प्रशासनिक सुधार किये गए थे। १९५४ में दौरे करने वाले शिष्ट-मंडलो ने सरकार परिपद को सूचित किया कि “साधनिक (एकजीव्यूटिव) उत्तरदायित्व सोमालियो को हस्तांतरित करने के लिए अभी तक कोई योजना नहीं है।” एकमात्र यही ऐसा क्षेत्र है, जिसकी राजधानी योगाडिस्को में, इटली जा कि प्रशासनिक अधिकारी है, को सहायता तथा सलाह देने के लिए तीन सदस्यो का राष्ट्र-सघीय सलाहकार परिपद हमेशा उपस्थित रहता है। अभी हाल ही में इसने बताया है कि “क्षेत्र के राजनीतिक जीवन में मूल-निवासियो के भाग न लेने के कारण इस क्षेत्र के राजनीतिक भविष्य के सम्बन्ध में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।” इस क्षेत्र के आर्थिक साधन बहुत ही अपर्याप्त तथा क्षीण हैं। निर्यात तो मुख्य रूप से केलो, गानो, घी, रूई तथा घूस तक ही सीमित है। क्योंकि यहाँ की जमीन बजर है और निवामी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहने इमलिये यहाँ खेती का व्यवसाय भी लाभकारी नहीं है। १,२७०,००० की जनसंख्या में दो-तिहाई में भी अधिक निवामी घूमने-फिरने वाले हैं और नितान्त अपढ़ हैं। १९५४ में दौरे करने वाले शिष्ट-मंडल ने अपने प्रतिवेदन में कहा “१९६० तक यदि कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई तो स्वतन्त्र राज्य को वार्षिक ५ में १० लाख डालर तक की कमी का नामना करना पड़ सकता है। अदायगियो की शेष रकम की कमी जो १० लाख डालर तक पहुँच सकती है, यहाँ के केलो के लिए बाजार का अभाव, अविकसित व अप्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था और पानी की पूर्ति तथा जो सामाजिक व शैक्षणिक सेवाएँ

प्रत्याभित्त प्रदान करने में प्रत्याभित्त की गई थी। जो न्यायी अन्तर्गत करने के लिए अन्तर्गत
 माधन—उनके साथ समन्वयों का भी नये स्वरूप राज्य का सामना करना पड़ा
 सकता है।” अन्तर्गत नोमानी नेट का प्रथम-वर्ष-समय राज्य अन्तर्गत है। एक ही
 ही वर्तमान सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में अन्तर्गत परिचयन करने
 रोने। यहाँ का भी क्या देना चाहिए कि वेब ४ प्रतिगत नोमानी अन्तर्गत है।
 और अन्तर्गत की अन्तर्गत में अन्तर्गत १० प्रतिगत ही अन्तर्गत के लिए अन्तर्गत
 है। अन्तर्गत नया नोमानी नेट के अन्तर्गत नोमानी अन्तर्गत ही एक अन्तर्गत-
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गत अन्तर्गत का अन्तर्गत कि
 वह अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत में नोमानीयों को अन्तर्गत अन्तर्गत के लिए अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत।

तोमोलेड एकीकरण की समस्या - अन्तर्गत नया अन्तर्गत अन्तर्गतों के अन्तर्गत
 अन्तर्गत के दोनो अन्तर्गतों के एकीकरण का अन्तर्गत एक अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गत अन्तर्गत में
 अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत है। अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत में अन्तर्गत की दो अन्तर्गत अन्तर्गत है, अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गत अन्तर्गत १०,००१ अन्तर्गत है और अन्तर्गत,
 अन्तर्गत अन्तर्गत २१,००० अन्तर्गत है अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है। १२५३
 म अन्तर्गत अन्तर्गत के अन्तर्गत नया अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 १८८,८३० और २२७,८६० अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत १ ०३१ ३७३ अन्तर्गत है।

प्रन्यास परिपद को विषय का सावधानतापूर्वक ध्यान से अध्ययन करना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र की स्वाधीनता के लिए एक निश्चित तिथि सुनिश्चित करनी चाहिए, जो प्रत्येक क्षेत्र की परिस्थितियों तथा वह विकास के किस स्तर पर पहुँचा है इस पर निर्भर हो।

१९५३ में महासभा ने प्रन्यास-परिपद से कहा कि वह अपने आगामी वार्षिक प्रतिवेदनो में एक परिच्छेद “प्रन्यासित क्षेत्रों द्वारा स्वायत्त-शासन अथवा स्वाधीनता प्राप्ति के उद्देश्यों” का और सम्मिलित कर लें। इस परिच्छेद में केवल हरेक क्षेत्र में अधिपत्र के उद्देश्यों की दिशा में हुई प्रगति का ही निरूपण न हो अपितु प्रगति किस ढंग की हुई इस सम्बन्ध में परिषद का निष्कर्ष भी उसमें दिया जाय। लेकिन १९५६ तक प्रशासनिक शक्तियों के विरोध के कारण किसी भी निष्कर्ष को ग्रहण नहीं किया गया। महासभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अपने वार्षिक प्रतिवेदनो में उपर्युक्त परिच्छेद को सम्मिलित करने के पक्ष में मत देने से प्रशासनिक शक्तियों ने इन्कार कर दिया है। आगामी वर्षों में यह प्रश्न उपनिवेशवादी तथा गैर उप-निवेशवादी शक्तियों के मध्य अवश्य ही एक विवाद खड़ा कर देगा।

जून १९५६ में फ्रांस की ससद के एक निर्णय के अनुसार फ्रांस के अन्तर्गत तोगोलैंड प्रन्यास पूर्ण आन्तरिक स्वशासन सम्पन्न एक वैधानिक गणराज्य बन गया है। प्रतिरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय-संबंधों पर फ्रांस ने अपना ही अधिकार रखा है। सितंबर में निकोलस ग्रन्जिकी तोगोलैंड के नवीन गणराज्य के प्रथम प्रधान मंत्री बने तथा उन्होंने फ्रांसीसीयों को तोगोलैंड में बने रहने तथा एक कुशल नागरिक सेवा के निर्माण में योग देने का आह्वान किया। राष्ट्रमभा (असंबली) के विरोधी दलों ने संयुक्त राष्ट्रमंडल को तार भेजकर फ्रांस प्रशासन द्वारा राष्ट्र सघीय प्रन्यास सम-भीते के विपरीत विधान को थोपने के लिए अवाञ्छित साधनों को अपनाने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित किया है।

गैर-स्वशासित-क्षेत्र—प्रन्यास की धारणा अधिपत्र के ११ वे परिच्छेद में सिद्धांत समाहित है। अधिपत्र में ११वे परिच्छेद को विधि रूप देने के लिये बने आयोग के अध्यक्ष के नाते अफ्रीका सघ के फील्ड मार्शल श्री स्मट्स ने सान-फ्रांसिस्को में १९४५ में कहा—

“यह योजना विषय क्षेत्र में पुरानी प्रतिश्रव वाली योजना से अत्यधिक विशाल है। प्रन्यास का सिद्धांत श्रव आमतौर पर लागू किया जाता है। यह तमाम परावलम्बी क्षेत्रों की समस्त परावलम्बी जनता पर लागू होता है। इसके अन्तर्गत वे नये आ जाते हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण तथा अत्यन्त दूरगामी प्रभाव वाले सिद्धांत को विस्तार दिया गया है।

शकता तथापि इसमें तथा प्रन्यास-प्रणाली में यह अन्तर है कि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय सगठन के प्रति औपनिवेशिक शक्तियों की सीमित जवाबदेही है और किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण तत्र के लिए किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं है। औपनिवेशिक शक्तियों ने आग्रहपूर्वक अनुच्छेद २ (७), जो कि आन्तरिक अधिकार क्षेत्र-सम्बन्धी धारा है, के अन्तर्गत अपने उपनिवेशों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध किया है। अविपत्र के अनुच्छेद ७३ (ई) के अन्तर्गत गैर-स्वशासन-प्राप्त क्षेत्रों से सूचनाओं की प्राप्ति के लिए १९४७ में संयुक्त राष्ट्र सघीय महासभा ने एक विशिष्ट समिति की स्थापना की। १९५२ में 'विशिष्ट' शब्द, जिसके अर्थ के साथ परिवर्तनशीलता की भावना जुड़ी थी, को हटा दिया तथा अनुच्छेद ७३ (ई) का सदर्थ भी जान-बूझ कर विलुप्त कर दिया गया, क्योंकि औपनिवेशिक शक्तियाँ किसी भी प्रकार की राजनीतिक जानकारी प्रस्तुत करना नहीं चाहती थीं। १९४६ में आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेन्मार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, इन आठ देशों ने चौहत्तर गैर स्वशासन प्राप्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की थी। इन क्षेत्रों की क्या परिभाषा की जाय, इस प्रश्न को प्रथम महासभा में उठाया गया परन्तु किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँचा गया। जिन क्षेत्रों की जानकारी दी गयी, उनकी संख्या १९५५ में घट कर ५५ रह गयी। इस तथ्य के कारण कि बहुत से क्षेत्र पूर्ण स्वशासन-प्राप्त हो गये थे अथवा उन्हें राजधानी सम्बन्धी सविधानिक ढाँचे में समानता का दर्जा दे दिया गया था, अविकाश हालतों में जानकारी रोक दी गयी।

१९५३ में आठवीं महासभा में सदस्य-राष्ट्रों का बहुमत नीदरलैंड की इस बात में सहमत न हो सका कि सुरिनाम (Surinam) और अटिल्लास (Antillas) में स्वायत्त-शासन हो गया है तथा महासभा ने प्रार्थना की कि जानकारी भेजना जारी रहना चाहिए। नीदरलैंड ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। क्योंकि स्वायत्त-शासन प्राप्त हो गया है अथवा नहीं इसका निश्चय करना केवल मात्र उसका ही अधिकार है। महासभा ने अपने नवें अधिवेशन में निर्णय किया कि अनुच्छेद ७३ (ई) के अन्तर्गत की जाने वाली जानकारी को रोकने के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति का अनुशीलन किया जाना चाहिए, जिसमें विशेष जोर उस ढंग पर हो, जिसके द्वारा आत्म-निर्णय का अधिकार प्राप्त किया गया है और स्वतन्त्रता से उसका उपयोग किया गया है "जो स्तर वहाँ की जनता को प्राप्त है या स्तर में जिस परिवर्तन की वह इच्छुक है, तत्सम्बन्धी उसकी राय, जहाँ तक सम्भव हो, पूरी तरह से आकने के लिए, अगर महासभा उपयुक्त समझे तो प्रशासनिक-मदम्य से सम्भोजता करके एक

प्रभुसत्ता-हस्तातरण अधिपत्र के २ अनुच्छेद के अन्तर्गत 'प्रतिनिधि शासित क्षेत्र का वर्तमान स्तर' पूर्ववत् रखा जाना था कि जिससे हस्तातरण की तिथि के दो वर्ष पश्चात् दोनों सरकारों की बातचीत द्वारा न्यूगिनी के भविष्य के राजनीतिक स्तर के प्रश्न का निर्णय किया जाता ।

विवाद का मूल अनुच्छेद-२ की विवादस्पद व्याख्या में प्राप्त किया जाना है । उच्च सरकार का कथन है कि समझौते के संपूर्ण प्रकरण में वर्तमान स्तर का अर्थ है पश्चिमी न्यूगिनी पर पूर्ण प्रभुसत्ता जिसका प्रयोग वे प्रभुसत्ता हस्तातरण के पूर्व करते थे । इसके विपरीत हिन्देशिया की मान्यता यह है कि इसका अर्थ पश्चिमी न्यूगिनी पर केवल अस्थायी प्रशासनिक अधिपत्य है, जो समझौते की शर्तों के अनुसार है । हिन्देशिया सरकार ने बताया कि क्योंकि प्रभुसत्ता-हस्तातरण अधिपत्र ने पहले अनुच्छेद में "विनाशर्त" हिन्देशिया के नवीन गणराज्य का "हिन्देशिया पर प्रभुसत्ता" स्वीकार कर ली थी, अतएव पश्चिमी ईरियन को जो कि हिन्देशिया का ही एक भाग है, गैर-स्वशासन प्राप्त क्षेत्र नहीं माना जाना चाहिए ।

१९५४ में जब यह स्पष्ट हो गया कि विवाद का कोई भी समझौता सम्भव नहीं, तो हिन्देशिया सरकार ने महासभा में औपचारिक प्रार्थना की कि वह इस प्रश्न पर विचार करे, जिसका समाधान न निकाला गया तो वह उस क्षेत्र में निरन्तर शांति और सुरक्षा को खतरा बना रहेगा ।

प्रथम समिति में विवाद के मध्य हिन्देशिया के प्रतिनिधि ने कहा कि "नीदरलैंड के विधान में 'नीदरलैंड ईस्ट इंडीज' शब्द का स्थान 'हिन्देशिया' में ले लिया है । क्योंकि पश्चिमी ईरियन नीदरलैंड ईस्ट इंडीज का अधिभाज्य अंग रहा है, इसलिये अब यह हिन्देशिया का ही एक भाग होना चाहिये । जहां तक इस तर्क का सम्बन्ध है कि ईरियन-निवासी हिन्देशियाई नहीं, यह एक अविवेकपूर्ण तर्क है क्योंकि 'हिन्देशिया' जाति-द्योतक नहीं, अपितु राष्ट्र-द्योतक तथा राजनीतिक शब्द है ।" उसने नीदरलैंड पर आरोप लगाया कि इतना ही नहीं, नीदरलैंड अधिकारियों ने ईरियन जनता के कल्याण की सदा अवहेलना की तथा उस क्षेत्र में तब तक शांति नहीं हो सकती, जब तक यह औपनिवेशिक श्रृंखला में जकड़ा हुआ रहेगा । हिन्देशिया सरकार अभी तक इस सम्बन्ध में नीदरलैंड से बातचीत करने को आतुर है तथा महासभा में केवल यही प्रार्थना कर रही है कि वह एक शांतिपूर्ण हल ढूँढ निकालने में हिन्देशिया को सहयोग दे ।

इस समस्या के इतिहास का निरूपण करते हुए नीदरलैंड के प्रतिनिधि ने कहा कि हस्तातरण-अधिपत्र ने स्पष्टतया घोषणा की है कि "यह अभी तक सम्भव नहीं हुआ है कि न्यूगिनी पर विरोधी पक्षों ने विचार किया हो, अतएव यह प्रश्न

विवादन्वय ही बना हुआ है।" यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि विद्यमान परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि ऐसे परिवर्तन पर दोनों पक्ष स्पष्टरूप में एकमत नहीं हो जायें। हिन्देशिया सरकार ने नीदरलैंड के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हस्तांतरण-अवि-पत्र मन्दन्धी उसकी व्याख्या के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाय। साथ-ही-साथ नीदरलैंड सरकार उपयुक्त समय हूर ईरियन की जनता को अपने भविष्य का निश्चय करने देने के लिए तत्पर थी, परन्तु हिन्देशिया ने अपनी स्वयं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा प्रेरणा ने प्रति होकर, जनता ने उमरा आत्म-निर्गम्य का अधिकार छीनते हुए, पश्चिम ईरियन पर अधिकारकरण के लिए प्रयत्न किया। इसलिए नीदरलैंड के प्रतिनिधि ने घोषणा की कि "यह अब किनी भी निष्पक्ष प्रेक्षक को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नीदरलैंड सरकार बातचीत को प्रारम्भ करने के निलसिले में भविष्य ने आने वाले किनी भी प्रस्ताव पर क्यों विचार नहीं कर सकती।"

श्रीपनिवेशिक शक्तियों ने नीदरलैंड का समर्थन किया। उनका कथन था कि विवाद क्षेत्रीय था, जिनमें शांति को कोई खतरा नहीं था, अतएव महासभा को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। वे अनुभव करते थे कि जनता के शैक्षणिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास को बढ़ाया देने के लिए हिन्देशिया की अपेक्षा नीदरलैंड अच्छी स्थिति में है। हिन्देशिया का समर्थन करने वाले प्रतिनिधियों की यह मान्यता थी कि पश्चिमी ईरियन आवश्यक रूप से श्रीपनिवेशिक समस्या है, क्योंकि ईस्ट इंडीज में उच्च-शक्ति का आधार उपनिवेश विजय है। उनके विचार में उच्चों के इस तर्क ने कि पश्चिमी ईरियन गैर-स्वशासन-प्राप्त क्षेत्र है, नीदरलैंड के मामले को पक्षपातपूर्ण कर दिया क्योंकि अनुच्छेद ७३ (ई) के अन्तर्गत अधिपत की मग्य उपनिवेशवाद को स्थिर करने की नहीं, अपितु स्वाधीनता एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य को बढ़ावा देने की थी। उच्च-सरकार के कानूनी तर्कों के बावजूद उन्होंने यह अनुभव किया कि केवल राजनीतिक स्थिति के सम्बन्ध में न्याय ही पश्चिमी ईरियन-वासियों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पूर्णता की ओर अग्रसर कर सकेगा। उन्होंने दृढ़तापूर्वक स्वीकार किया कि पश्चिमी ईरियन, हिन्देशिया समझे जाने वाली राष्ट्रीय तथा राजनीतिक सत्ता का एक भाग था और है तथा समस्या को दो प्रभु-मन्ता-सम्बन्ध शक्तियों के कानूनी विवाद के रूप में लिया जाना चाहिए।

विवाद की समाप्ति पर प्रश्न समिति ने अज्ञेयता, कोन्टारिया, वरूदा, एक्वेर, एन नन्वार, नीरिया, भारत तथा यूगोस्लाविया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ग्रहण कर लिया, जिनके पक्ष में ६८ तथा विपक्ष में १४ मत आए और १० प्रतिनिधि

अनुपस्थित थे या उन्होंने मत नहीं दिया। प्रस्ताव में यह आशा प्रकट की गयी कि हिन्देशिया तथा नीदरलैंड दोनों विवाद को सयुक्त राष्ट्र-संघ-अधिपत्र के सिद्धांतों के अनुरूप हल करेंगे। तथापि सम्पूर्ण अधिवेशन में प्रस्ताव आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त न कर सका, इसलिए महासभा ने इस मामले में कोई भी फैसला नहीं किया। महासभा के ११ वे अधिवेशन, नवम्बर १९५६ में हिन्देशिया द्वारा पुनः इस प्रश्न को उठाया जायगा।

साइप्रस—साइप्रस समस्या, जो सयुक्त राष्ट्र-संघ के समक्ष पहली बार महासभा के नवें अधिवेशन में आई, सर्वाधिक ध्यानाकर्षक समस्या है, क्योंकि यह प्रथम और एकमात्र प्रसंग है, जब सयुक्त राष्ट्र-संघ के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते हुए अधिपत्र के अनुच्छेद १ (२) की आत्म-निर्णय की धारा की विशेष मांग की गयी। साथ-ही-साथ साइप्रस का प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से त्रिपक्षीय तर्क तथा विरोधाभासों को प्रकट करता है, जो आत्म-निर्णय के सिद्धांत को लागू करने के प्रयत्नों के समय उठ खड़े होते हैं।

सक्षिप्त में साइप्रस की समस्या इस प्रकार है साइप्रस को, जिसकी ८० प्रतिशत जनसंख्या मूल तथा भाषा की दृष्टि से यूनानी है, तुर्की ने १८७८ में इंग्लैंड को सौंप दिया था। १९१४ में यह उपनिवेश सीधा ब्रिटिश-ताज के अन्तर्गत आ गया, तथा १९२३ की लीजान-संधि के अनुच्छेद २० के अन्तर्गत साइप्रस पर ब्रिटिश सरकार की प्रभु-सत्ता को मान्यता दे दी गयी। इस संधि का एक हस्ताक्षर-कर्ता यूनान भी था। ब्रिटेन के लिए साइप्रस का महत्व द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् युद्ध-योजना की दृष्टि से अत्यधिक बढ़ गया है, विशेषतः जब कि ट्रैफा और स्वेज का अड्डा ब्रिटेन के हाथ में निकल गया है। साइप्रस के ५०००,००० निवासियों में से ८० प्रतिशत यूनानी हैं, जबकि लगभग १८ प्रतिशत तुर्की हैं। ग्रीक-आर्थोडोक्स-चर्च के स्थानीय पादरी मकारिअस के नेतृत्व में यूनान में विलीनीकरण के लिए एक प्रचंड आन्दोलन जो 'इनोमिस' कहलाता है, साइप्रस में बढ़ा। १९४८ में इस द्वीप के लिए ब्रिटेन ने एक विधान दिया तथा घोषणा की कि साइप्रस में उसका अन्तिम लक्ष्य द्वीप निवासियों को स्वायत्त-शासन की स्वीकृति देना है। साइप्रस-वामी-यूनानियों ने विधान को ठुकरा दिया तथा पहले की भाँति ही यूनान में मिलने की चिल्ल-पुकार जारी रखी।

१९५४ में यूनान सरकार ने इन प्रश्नों को सयुक्त राष्ट्र-संघ में उठाया। उसने कहा, "पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर, मङ्गलता तथा प्रभावपूर्ण समान नागर्य में भाग लेते हुए, तथा न्याय और स्वतंत्रता के उन सिद्धांतों में विश्वास

करते हुए, जिनकी उद्घोषणा अतलानक-अधिपत्र में की गयी थी, तत्पश्चात् जिने मयुक्त राष्ट्र-संघ-अधिपत्र में मान्यता दे दी, साइप्रस की जनता ने यूनान में मिलने की अपनी आकांक्षा को पुनः स्थिर किया। १९५० में ग्रीक-आर्थोडोक्स-चर्च ने एक जनमत-संग्रह आयोजित किया। २५ ७ प्रतिशत मतदाताओं ने यूनान में मिलने के पक्ष में मत दिया। जनमत-संग्रह के परिणाम तदनुसार लंदन भेज दिये गए। साइप्रस यूनान की हरेक प्रार्थना की त्रिष्टय सरकार ने उपेक्षा की है।

त्रिष्टय-प्रतिनिधि ने उत्तर देते हुए कहा कि ईसा से पूर्व चौथी सदी के अल्पकाल को छोड़कर, द्वीप कभी भी यूनान का भाग नहीं रहा। साइप्रस पर ब्रिटेन की प्रभुता को १९२३ में यूनान सहित अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गयी। आगे उमने कहा कि द्वीप में दो विभिन्न प्रजातीय समूह हैं—एक तुर्की बोलने वालों का, दूसरा यूनानी भाषियों का—एक ईसाइयों का दूसरा मुसलमानों का। क्या कोई भी विश्वास करता है कि तुर्की प्रजातीय समूह को अपने भविष्य निर्णय का अधिकार दिया जायगा? और उस तर्क के उत्तर में कि साइप्रस की जनता को आत्म निर्णय का अधिकार मिलना चाहिये, उमने घोषणा की, “अधिपत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं है, जो किसी भी सदस्य राष्ट्र को, किसी भी परिस्थिति में अपने क्षेत्र को दूसरे को सौंपने को बाध्य करती हो। इनमें किसी विशेष स्थिति में या किसी विशेष प्रजातीय समूह के लिए आत्म-निर्णय की स्वीकृति देने के लिए, कोई भी स्पष्ट बन्धन नहीं है।”

यूनानी प्रतिनिधि ने प्रत्युत्तर में कहा कि ईसा से १५०० वर्ष पूर्व में साइप्रस यूनान का अंग रहा है। उसके निवासी यूनान वश परम्परा के हैं और अपनी मान-भूमि में मिलना चाहते हैं। तुर्की में हुई १९२३ की संधि का जहाँ तक संबंध है, उमने तो केवल तुर्की के समस्त अधिकारों का परित्याग विहित था, अर्थात् “उन क्षेत्रों तथा द्वीपों का भविष्य सद्वित पक्षों द्वारा निर्णयित हो अथवा किया जाय।” यूनानी प्रतिनिधि ने महानभा को विश्वास दिलाया कि १८ प्रतिशत तुर्की अल्प-संख्यकों को यूनान में भयभीत होने का कोई भी कारण नहीं मिलेगा। स्वयं यूनान में तुर्की अल्प-संख्यक हैं जो समानता और स्नेह-भाव के आधार पर अपने सह-देशवानों यूनानियों के साथ रहते हैं। यूनान संयुक्त राष्ट्रसंघ में औपनिवेशिक सत्ता के उत्सादन के लिए आवेदन कर रहा है।

संक्षिप्त विवाद के पश्चात् महानभा की प्रथम समिति ने यूनान के उन प्रस्ताव को अंगीकार करने का निर्णय लिया, जिसमें महानभा ने यह इच्छा प्रकट की थी कि द्वीप की जनसंख्या के मामले में आत्म-निर्णय का सिद्धांत लागू किया जाय।

इसके बदले में समिति ने इस विषय पर आगे विचार न करने का निश्चय किया “क्योंकि हाल-फिलहाल साइप्रस के प्रश्न पर कोई भी प्रस्ताव ग्रहण करना उपयुक्त नहीं समझा गया।”

फरवरी, १९५६ में ब्रिटेन ने ‘स्वशासन का विस्तृत साधन’ प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत इंग्लैंड की सरकार द्वीप की विदेश-नीति, प्रतिरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा पर नियंत्रण रखेगी। लेकिन साइप्रस-वासी राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख, पादरी मकारिअस ने इसे ठुकरा दिया। मकारिअस ने माग की कि समस्त राजनीतिक अपराधियों की मुक्ति, आन्तरिक सुरक्षा पर ब्रिटेन के नियन्त्रण की समय-सीमा तथा इस बात की प्रतिश्रुति (गारन्टी) कि निर्वाचित विधान मंडल में साइप्रस-वासी यूनानियों का बहुमत रहेगा। साइप्रस युवकों की गुप्त सस्था ‘इओका’ (Eoka) के द्वारा जो हिंसक आन्दोलन किया जा रहा है उसको भी समाप्त करने से उन्होंने इकार कर दिया। आतंककारी हलचलें चालू रही। मार्च ६ को पादरी मकारिअस को साइप्रस के गवर्नर जनरल हार्डिंग ने बन्दी बना लिया तथा उन्हें निर्वासित करके हिन्द महासागर के द्वीप सेकेलेस में भेज दिया क्योंकि साइप्रस में “पुनः शान्ति-पूर्ण स्थिति उत्पन्न करने के रास्ते में वह स्वयं एक बहुत बड़ी रुकावट थे।” परिणाम-स्वरूप अग्रेजों के विरुद्ध हिंसा ने और जोर पकड़ा तथा विरोध प्रकट करने के लिए यूनान सरकार ने ब्रिटेन से राजनैतिक सबंध विच्छेद कर लिये।

ब्रिटेन की साइप्रस छोड़ने की हिचक का प्रमुख कारण साइप्रस की युद्ध-योजना के अनुकूल स्थिति तथा द्वीप स्थित ब्रिटेन के सैन्य सस्थानों का महत्व है—विशेषतया उस स्थिति में जब ब्रिटिश सेनाएँ स्वेज नहर क्षेत्र से अभिनिष्क्रमण कर गई हैं। २६ जुलाई, १९५६ को स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् आंग्ल-फ्रान्सीसी फौजें साइप्रस में उतारी गयी। इस बीच यूनान ने सयुक्त राष्ट्रसंघ के महामन्त्री से साइप्रस के प्रश्न को महासभा के ११वें अधिवेशन की सयुक्त राष्ट्र मधीय कार्य-सूची (अजेंडा) में स्थान देने की प्रार्थना की है। १५ सितम्बर को ब्रिटिश उपनिवेश सचिव अलान लेन्नोक्स वायड ने हाउस ऑफ कामन्स में कहा कि विश्व इतिहास की वर्तमान स्थिति में साइप्रस पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता, अगर हमें अपने वर्तमान दायित्वों का निर्वाह करना है, तो नितान्त अनिवार्य है।” “मध्य पूर्व में अभी हाल में हुई घटनाओं ने इस हमारे विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया है जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि स्वतन्त्र राष्ट्रों के सामरिक सम्बन्धी हमारे हितों की रक्षा के लिए साइप्रस का बड़ा महत्व है।” उन्होंने घोषणा की कि फिर भी ब्रिटेन के प्रसिद्ध कानून-शास्त्री लार्ड रेडक्लिफ साइप्रस के लिए विधान बनाने में रत हैं। हाउस ऑफ कामन्स ने इस नीति पर ६५ के बहुमत से

स्वीकृति की मुहर लगा दी। इसके पक्ष में ३६८ तथा विपक्ष में २४३ मत थे।
 माइप्रस-वासियों के आत्म-निर्णय के अधिकार के सिद्धान्त के पक्ष विपक्ष में दिए गए
 तर्कों पर टिप्पणी करते हुए लन्दन के 'टाइम्स' पत्र ने अभी हाल में कहा है
 "विलय के विरुद्ध तर्कों में कोई भी वास्तविक आश्चित्य नहीं है। वे तर्क अस्पष्टनीय हो
 सकते हैं . . . इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है यदि त्रिटेन वीन
 वर्षों तक के लिए द्वीप में वर्तमान नैतिक अड़ों को पट्टे पर लेने के बदले साइप्रस
 का यूनान में विलय करे। . . भारत, हिन्देशिया, बर्मा, फारस और अन्य देशों
 में सन् १९४५ से अवतक जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनमें यह स्पष्ट है कि रक्त-
 पात तथा आर्थिक हानि की सम्भावनाएँ जाग्रत राष्ट्रीय भावनाओं के मार्ग में कोई
 भी रुकावट नहीं हैं तथा भावनात्मक तर्क ही केवल मात्र ऐसा तर्क है कि जिसकी
 उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार, साइप्रस विश्व के सघर्ष पूर्ण विषयों में
 से एक विषय बना रहेगा।"

आर्थिक समस्याएँ

नयुक्त राष्ट्रसंघ अधिपत्र में वर्णित है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ रहन-सहन के
 उच्चतर स्तर तथा सामाजिक प्रगति और विकास में वृद्धि करेगा। हम संयुक्त राष्ट्र-
 संघ के आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में उसके महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों में से
 कुछ का निरूपण करेंगे।

आर्थिक अध्ययन -- विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति के मन्त्र
 में विद्यमान आकड़ों तथा महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव बुद्धिमत्तापूर्ण आयोजन
 के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। नयुक्त राष्ट्रसंघ अत्यधिक आवश्यक जानकारी
 की पूर्ति में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रसंघ ने अपने नूतन जीवनकाल में
 जितना प्रकाशन नहीं निकाला उतने अधिक नयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपने ग्यारह
 वर्षों में निकाला है। विशेष रूप से उल्लेखनीय वे माध्याम आर्थिक सर्वेक्षण हैं,
 जिनको नयुक्त राष्ट्रसंघ ने प्रकाशित किया है। १९४८ में उनमें 'विश्व आर्थिक
 स्थिति के प्रमुख लक्षण १९४५-४७' (Salient Features of the World
 Economic Situation 1945-47) नीचे के एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जो
 युद्धोत्तर काल में प्रकाशित विश्व का आर्थिक स्थिति मन्त्रों प्रथम विस्तृत प्रतिवेदन
 है। १९४६ में संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व की आर्थिक स्थितियों के मन्त्र में वार्षिक
 प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है तथा इनके साथ ही यूरोप, एशिया, नूतनपूर्व तथा
 लेटिन अमरीका के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणों के विवरण भी।

प्रार्थना नै नहायता तथा आर्थिक विकास.—१९४८ में महानभा ने आर्थिक
 तथा सामाजिक परिपक्व तथा विशेषता प्राप्त सम्ग्रहों में प्राप्ति की कि वे अर्द्ध-

विकसित देशों में प्राविधिक सहायता तथा आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान दें तथा साथ ही आशा व्यक्त की कि पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए बना अन्तर्राष्ट्रीय बैंक इस प्रकार के उद्देश्यों के लिए कर्ज देगा। महासभा ने इस कार्यक्रम के निमित्त १९४६ के लिए २८८,००० डालर की स्वीकृति दी।

१ ताब (TAB), ताक (TAC), ता (TAA) — १९४६ में नियामक सस्था के रूप में राष्ट्रसंघ ने एक मडल स्थापित किया, जिसे प्राविधिक सहायता मडल ('ताब') कहते थे तथा इसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ विशेषता प्राप्त सस्थाओं के कार्यकारी प्रमुख सम्मिलित थे। दूसरी समिति प्राविधिक सहायता समिति ('ताक') के नाम से पुकारी गयी, जिसमें आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्व के सदस्यता प्राप्त राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। महासभा ने सचिवालय की पृथक शाखा के रूप में एक प्राविधिक सहायता प्रशासन ('ता') की भी स्थापना कर दी। सैद्धांतिक दृष्टि से 'ताक' 'ताब' को निर्देश नहीं दे सकती तथा न ही 'ताब' विशेषता प्राप्त सस्थाओं को क्योंकि ये सस्थाएँ अपने कार्य करने में स्वतन्त्र हैं और अपनी पृथक पृथक नीति-निर्मात्री सस्थाओं के नियन्त्रण में हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघ के नियमित वजट के अतिरिक्त कोष में अधिक अनुदान देने के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ प्राविधिक सहायता कार्य पर विशेष प्रभाव रखता है।

२ कार्यक्रमों को वित्तपोषण — वर्तमान स्थिति में प्राविधिक सहायता कोष के दो साधन हैं। एक इसके नियमित कोष से सम्बन्धित छोटा भाग तथा दूसरा विशेष अनुदान के रूप में इससे अधिक बड़ा हिस्सा। इस प्रकार का सर्वप्रथम अनुदान २०,०००,००० डालर का था, जिसमें अमेरिका का भाग १२,०००,००० डालर था। तो भी अब तक बुद्धिमत्तापूर्ण विस्तृत आर्थिक आयोजन में वित्तीय अनिश्चितताएँ एक बड़ी रुकावट हैं। कार्यक्रम के लिए कुल आवश्यक व्यय में लगभग १७ प्रतिशत प्रशासनिक व्यय तथा ऐसा व्यय है, जो कार्यक्रम को चलाने में परोक्ष रूप से व्यय होता है। १९५४ में २५३ मिलियन डालर विशेष कोष में वास्तव में दिए गये। १९५५ में अनुदान के लिए जो प्रार्थनाएँ की गयी थी, उनका अनुमान ३२३ मिलियन डालर तक का था। अनेक परिवर्तनों के पश्चात्, प्राविधिक सहायता मडल (ता) ने १७ मिलियन डालर का मूल भूत कार्यक्रम व्यय जिसमें प्रशासनिक व्यय तथा संचित कोष नहीं है तथा जब अतिरिक्त अनुदान प्राप्त हो जाए तब ६ मिलियन डालर का अनुपूरक व्यय स्वीकृत किया। इन वित्तीय अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तीन पग उठाये गए हैं। सर्वप्रथम, सहायता योग्य मामलों में कठोर प्रतिश्रुतियों (गारंटीज) के साथ, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को ध्यान देने की प्रार्थना की गयी। कुछ उदाहरण ये हैं—मेक्सिको को ३४ मिलियन डॉलर का ध्यान शक्ति-योजनाओं के वित्तीय पोषण के निमित्त, ५ मिलियन डालर में से एक मिलियन

डालर का कोलम्बिया को कृषि-यंत्रों के लिए तथा ३८ मिलियन डालर भागत को रेल सड़क विकास के निमित्त । हमारा, सदस्य राष्ट्रों पर दबाव डाला गया है कि वे एक घण्टे में अधिक लम्बे समय के लिए योगदान देने का वचन दें तथा कुछ नए उद्योग भी किया है । १९५५ में अमेरिका ने १८ मास के लिए उपादानों की स्वीकृति दी । २४ मिलियन डालर के उच्च कार्यक्रम में १५५ मिलियन डालर १९५६ के लिए है । तीसरा, १९५४ में महागणना ने ३ मिलियन डालर के विशेष संचित कोष का चार्ल्स पूजी तथा संचित कोष के रूप में फिर से निर्माण किया । उनमें १९५४-५५ के योगदान के ३ मिलियन डालर उसके अतिरिक्त है । १९५६ तक १२ मिलियन डालर के उच्छिन्न स्तर तक पहुँच जायगा । अल्प-विकसित देशों में अब तक प्राप्त परिणाम प्रेरणाप्रद है । १९५४ में १६५ मिलियन डालर कार्यक्रम पर व्यय किये गए, जब कि महायत्ना प्राप्त करने वाले देशों ने ६० मिलियन डालर योजनाओं के निर्माण तथा साधनों के लिए व्यय किये । उससे आर्थिक विकास में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का मूल्य प्रमाणित होता है ।

३ योजनाएँ तथा समझौते — सर्व श्री पीटर तथा डोरियया फ्रैंक के उद्घोषों में प्राविधिक महायत्ना के उपाय मन्त्र तथा अल्प-विस्तृत से लेकर अमीम जटिल तक भिन्न-भिन्न हैं, जैसा उस कार्यक्रम प्रतिनिधि मंडल को सहयोग प्रदान करना जिसे प्राथी सरकार की नागरिक सेवा प्रणाली का पुनर्संरक्षण करने का अधिकार दिया जाता है । कभी-कभी केवल मात्र एक विशेषज्ञ को विशेष देशों में अध्ययन-कार्य के लिए भेज देते हैं । लेकिन दो या तीन के दलों को ही बहुधा भेजा जाता है । यह विशेषज्ञ-मंडल तीन प्रकार के होते हैं (अ) सर्वेक्षण मंडल (Survey Mission), (ब) सलाहकार मंडल (Advisory Mission), (ग) कार्य करने वाले मंडल (Operating Mission) । सर्वेक्षण मंडल किसी भी वास्तविक कार्यक्रम के हेतु प्राथमिक अनुसंधान है लेकिन क्योंकि यह अधिक व्यय माध्य होता है, अतएव उसके भेजने की तभी सम्भावना होती है जब प्राथी देश इस पर होने वाले व्यय में हिस्सा दद्याएँ । सलाहकार मंडल प्राथी सरकार को सहायता देने मान्य होते हैं क्योंकि उसका कार्य केवल 'सलाह' देने का है । कार्य करने वाला मंडल सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि इस पर किसी योजना के पूर्ण करने तथा उस देश के निवासियों को प्राविधिक 'ज्ञानकारी' देने का उत्तरदायित्व होता है । तभी-तभी तो उसे दीर्घकाल तक रचना पड़ता है तथा इसे आचार भूत आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों को अपने हाथ में लेना पड़ सकता है ।

द्वितीय सयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रथम सदस्य था, जिसने प्राविधिक सहायता देने के लिए प्राथी को तथा उसका स्वागत किया । १९५५ में अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के मंडल

ने दो महीने तक अध्ययन कार्य किया। इन विशेषज्ञों में उष्ण कटिबन्ध में कृषि, मछली-उद्योग, भौद्योगिक विकास, वित्तीय मामलो, शिक्षा तथा जन-स्वास्थ्य के विशेषज्ञ थे, जो विशेषता प्राप्त सस्थाओं तथा सयुक्त राष्ट्रसंघ के सचिवालय में भे लिये गये थे। मडल का प्रतिवेदन १९४९ में प्रकाशित हुआ। इसमें बहुमूल्य सम्मितिया थीं, जिनमें दो विशेष रूप से निम्न थी, मारबियल मूलभूत शिक्षा-प्रयोग तथा चर्म रोग अथवा आश रोग के विरुद्ध अभियान—ये राष्ट्रसंघ के महत्वपूर्ण कार्य हैं।

१९५० से सयुक्त राष्ट्रसंघ ने इन देशों को प्राविधिक सहायता दी अफगा-निस्तान—कृषि, उद्योग, भूगर्भशास्त्र तथा जन-प्रशासन का सवक्षण, बिलोचिस्तान—आर्थिक उत्पादन की पुनर्स्थापना के लिए सहायता, बोलीविया—लोक वित्तीय व्यवस्था, खदान, यातायात, विद्युत शक्ति, श्रम कानून, समाज-कल्याण, शिक्षा, कृषि तथा जगलात पर सलाह, ब्राजील—राष्ट्रीय आय के आकड़ों तथा वित्तीय विकास में सलाह, बर्मा—केन्द्रीय परिगणन सेवा की सगठना पर सलाह, चाइल—वित्त व्यवस्था में लोक-नीति, मूल्य तथा मजदूरी के स्थरीकरण तथा आर्थिक विकास का अध्ययन, डोमिनिकन गणराज्य—प्रभावशाली अतरिक्ष विद्या-सेवा, इक्वेडर—कर, लोक वित्त व्यवस्था, सीमा-शुल्क, लोक प्रशासन तथा जनमत गणन पद्धति पर विधि-निर्माण के लिए सलाह, भारत—सामुदायिक आयोजन तथा आवास और दल-दल सुधार तथा विकास पर सम्मति, ईराक—यान-चालन सेवा की प्रति-स्थापना, लीबिया—लोक लेखाध्यक्षों का प्रशिक्षण, लेवनान—३८५ ग्रामों में बड़े पैमाने पर मलेरिया विरोधी अभियान, मेक्सिको—लोहा तथा इस्पात उद्योग में सगठनात्मक तथा शिल्प कला-सम्बन्धी समस्याओं पर सलाह, पाकिस्तान के तार-संचार के सम्पूर्ण कार्य में विस्तार तथा आधुनिकीकरण, पनामा की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, थाइलंड—परिगणन सेवा के सगठन पर सलाह।

सयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक 'साहचर्य कार्यक्रम' (फैलोशिप प्रोग्राम) को भी चालू किया है जिसके अन्तर्गत अल्प विकसित देशों के योग्यता-प्राप्त व्यक्ति दूसरे देशों की योजनाओं का अध्ययन कर सकें। १९५४ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १५८४ शिल्प कला-दक्षों को ७१ देशों तथा क्षेत्रों में लगाया गया तथा ८६ देशों, क्षेत्रों तथा उप-निवेशों के निवासियों को १५८४ 'फैलोशिप' दी गयी। वृद्धि प्राप्त कोषों में से ३० ८ प्रतिशत एशिया तथा सुदूर पूर्व को, २६ प्रतिशत लेटिन अमेरिका को, २१ ५ प्रतिशत मध्यपूर्व को, १० प्रतिशत यूरोप को, ८ १५ प्रतिशत अफ्रीका को तथा ३ ४ प्रतिशत मिले-जुले क्षेत्रों की योजनाओं को प्राप्त हुआ। १९५५ के आवारभूत आयोजन में ८२ देशों में ८८० योजनाएँ सम्मिलित हैं, जिनमें १७०० से अधिक विशेषज्ञ तथा १८०० में भी अधिक फैलोशिप प्राप्त व्यक्ति लगे हुए हैं।

प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के कई दूसरे प्रकार भी हैं, जिनमें दक्षिण पूर्व एशिया, लेटिन अमेरिका, मध्यपूर्व तथा अफ्रीकी क्षेत्रों में प्रादेशिक योजनाएँ, लोक प्रशासन के प्रशिक्षण के निमित्त एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र तथा १९५० में न्यूयार्क में 'लोक कार्यकर्ता व्यवस्था' पर हुई गोष्ठी सम्मिलित हैं। भीषण काँटनाइयाँ तथा समस्याएँ ये हैं (१) विभिन्न संस्कृतियों में तदनुकूल व्यवहार कर सकने वाले विशेषज्ञों का चयन, (२) एक योजना के पूर्व मूल्यांकन के लिए कमीटी (३) पर्याप्त साधनों की प्राप्ति तथा यथा-स्थान प्रस्थापन, (४) नभा सदस्यता (फैलोशिप्स) परिपक्वता तथा आयु-दल (age-group) की उपाधि (डिग्री)। विशेषज्ञों के उस दल का १९५१ में दिया गया प्रतिवेदन विशेष आकर्षक है, जिसे महामन्त्री ने अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए साधनों के निमित्त नियुक्त किया था।

विश्व की खाद्य समस्याएँ — विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या को पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं होता है। अनुमान लगाया जाता है अगर वटे पैमाने पर होने वाली भुखमरी से बचना है तो आगामी पच्चीस वर्षों में अन्न-उत्पादन में ११० प्रतिशत की वृद्धि अवश्य ही करनी होगी। इस प्रकार के ये सब तथ्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि में आधारभूत हैं तथा सयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए विशेष चिन्ता के विषय हैं, और वह भी विशेष रूप से खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) के लिए, जो विशेषज्ञता प्राप्त मन्त्रालयों में से एक सर्वाधिक लाभदायक मन्त्रालय है। इसने आवश्यक आकड़े तथा प्राविधिक जानकारी दी है तथा विभिन्न देशों को विशेषज्ञों के प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं और सम्मेलनों की एक शृंखला चलाई है। इसने १९५० की विश्व-कृषि गणना के दायित्व को सम्हाला तथा अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ समझौते का प्रारोक्षण तैयार किया, जिससे गेहूँ का उत्पादन करने वाले बड़े देशों में से अधिकांश देशों ने स्वीकार किया। खाद्य-कृषि-संगठन (FAO) बहुत-सी दूसरी सयुक्त राष्ट्रीय मन्त्रालयों के साथ सहकर कार्य करता है तथा सयुक्त राष्ट्र मधीय प्राविधिक सहायता कार्यक्रम में प्रमुख भाग लेता है। यह अब तक विभिन्न समस्याओं की पूर्ति के लिए प्राविधिक सहायता दे चुका है, जैसे कि पशु तथा पौधों की बीमारी पर नियन्त्रण, खाद्यान्नों का भण्डार रचना, भूमि-क्षरण को रोकना तथा सुन्धा, मछली-उत्पादन आदि। यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व तथा लेटिन अमेरिका में क्षेत्रीय आयोगों ने, खाद्य-कृषि-संगठन के सहयोग से अध्ययन करने के लिए तथा तदनुसार खाद्यान्न के उत्पादन तथा वितरण, खाद्य और कृषि पत्रों में वृद्धि के लिए सयुक्त कार्यकारी दल स्थापित किये हैं। खाद्य-कृषि-संगठन ने अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य आयोग, बीजाणु में हिन्द प्रणालीय मछली-उद्योग परिषद् तथा यूरोप और लेटिन अमेरिका के लिए दल आयोग जैसी मन्त्रालयों को बड़ावा दिया है। विश्व-पापण कार्यक्रम के प्राविधिक रूपों के लिए निम्न अन्तर्राष्ट्रीय विश्व आपातकालीन कोष में भी कार्य करता है। 'खाद्य तथा जनता की' समस्याओं

पर विश्व-व्यापी शिक्षा को बढ़ाने के लिए इसके पास यूनेस्को के साथ एक संयुक्त योजना है। इसका मुख्य कार्यालय रोम में है तथा इसके निदेशक श्री बी० आर० सेन हैं, जो भारतीय नागरिक हैं तथा १९५६ में चुने गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन (ILO) -- १९२० से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सगठन सप्ताह-भर में श्रम स्तरो तथा हालतों में सुधार के लिए कार्य कर रहा है (इस पुस्तक के पृष्ठ ३४-३५ देखो)। संयुक्त राष्ट्रमध्य प्रणाली के अन्तर्गत इस सगठन के कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से श्रम-समस्याएँ आती हैं। लेकिन कई दूसरी समस्याएँ भी, श्रम समस्याओं में दिलचस्पी रखती हैं। जिनमें आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्व, आर्थिक तथा अधियोजन (एम्प्लायमेंट) आयोग, तथा परिपक्व का जनसंख्या आयोग और सचिवालय का आर्थिक विभाग उल्लेखनीय हैं यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय विस्थापित सगठन भी उन श्रम समस्याओं के लिए कार्य करता है, जिनका सम्बन्ध विस्थापितों में किये जाने वाले उसके कार्य से है। इस कार्य के सीमा क्षेत्र में देश स्थानान्तरण में सहायता तथा पुनर्वास के कार्य आते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के कार्य कलापो का अनुमान उन विषयों से किया जा सकता है, जिन पर युद्ध-काल के पश्चात् की कालावधि में इसकी सिफारिशें अथवा सम्मतियाँ ग्रहण की गयी थीं। ये विषय हैं आवश्यकता से अधिक श्रम-शक्ति का उस क्षेत्र में स्थानान्तरण करना जहाँ इसकी अधिक मांग है, श्रम-सघो के अधिकारों की रक्षा तथा विस्तार, मस्था बनाने की स्वतन्त्रता (१९४८-४९ की सम्मतियाँ), वलात् श्रम का मूलोच्छेदन, नाविकों को सर्वतनिक श्रवकाज, यान-चालक दल को जहाज पर रहने को स्थान, जहाज पर कार्य करने के घटे तथा मजदूरी, गैर सरकारी ठेको में श्रम सम्बन्धी धाराएँ, मजदूरी की रक्षा, व्यावसायिक मार्ग दर्शन, प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा काम दिलाऊ दफ्तर का सगठन, सामूहिक रूप से सगठित होने तथा सौदा-वाजी करने के अधिकार के सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देना।

यातायात तथा संचार — संयुक्त राष्ट्रसंघ का यातायात तथा संचार आयोग इस प्रकार की समस्याओं पर विशेष ध्यान देता है जैसे कि हवाई तथा समुद्री सुरक्षा कार्यों में नियामकता, एशिया तथा लेटिन अमेरिका में आन्तरिक यातायात, बीसा प्रणाली तथा सीमा पर होने वाली औपचारिकताओं का सरलीकरण तथा मोटर यातायात और मडक के अधिनियमों में सुधार।

अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के नामों तथा बस या ट्रक के सीबे यातायात पर से प्रति-बन्ध हटाने जैसे विषयों में हमने पूर्व ही कुछ उन्नति हो चुकी है। १९४९ में एक सम्मेलन में एक मडक मोटर यातायात अधिनियम के लिए प्रस्तावों को तैयार किया गया। मार्च १९४८ में एक अन्तर्राष्ट्रीय नामावली मलाहकार सगठन के लिए एक

अधिनियम नयुक्त राष्ट्रसंघ की विशेषता प्राप्त एक समस्या के रूप में, स्वीकार किया गया। इसका प्रमुख कार्य है नामद्वीय तथा उन वस्तुओं की सुरक्षा, जो कि समुद्री जीवन तथा अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी पर प्रभाव डालती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय लोक हवाई यातायात नगठन (ICAO) ने सुरक्षा प्रबन्धकारी अधिनियमों की एक श्रृंखला अंगीकार की है। इनमें नीतरंग स्टेशनों को उतरी अतलानक में जहाजों को बचाने के लिए मौसम की जानकारी रखने के कार्य को विस्तृत महायत्ना दी है। यह नगठन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई याता में सुरक्षा वृद्धि के लिए भी महान सेवा कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय टेली संचरण संघ (ITU) विश्व के राष्ट्रों द्वारा प्रसारण की आवश्यकताओं के लिये रेडियो आवृत्ति (Radio Frequency) को निर्दिष्ट करने की प्राविधिक समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहा है। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय तार तथा टेलीफोन संचार के प्रेषण के सञ्चालित नियमों पर सम्मति प्राप्त करने का प्रयास किया है। विश्व डाक संघ (UPU) इसके लिए हर उपाय कर रहा है कि डाक-संचार बे-रोक-टोक होता रहे, जिसके अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध किमी भी अर्थकारी दृष्टि में असम्भव है।

यूरोप के लिये आर्थिक आयोग (ECE) — २८ मार्च १९६७ को आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ने यूरोप के लिए आर्थिक आयोग को जन्म दिया, जो नयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रथम प्रादेशिक संस्था है। तब से दो अन्य प्रादेशिक संस्थाएँ— एक, एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए तथा दूसरी, लैटिन अमेरिका के लिए—स्थापित की गई हैं, और कम-से-कम दो अन्य—मध्य पूर्व के लिए तथा अफ्रीका के लिए—विचाराधीन हैं। यूरोप के लिए आर्थिक आयोग (ECE) वास्तविक महत्त्व की कार्यकारी संस्था है तथा जितना अब तक उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है उसमें अधिक की आवश्यकता है। इसके कार्य हैं—यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए प्रम-वद्ध कार्य सफल करना, यूरोपीय आर्थिक क्रिया-कलाप के स्तर को ऊंचा उठाना तथा यूरोपीय राष्ट्रों में पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध व नसार के दूसरे राष्ट्रों ने ऐसे ही सम्बन्धों को पुष्ट करने के उपायों में प्रथम पक्ष उठाना तथा उनमें भाग लेना। लगभग उसके प्रादुर्भाव से ही यह सम्मन् यूरोपीय आर्थिक सहयोग के लिए केन्द्रीय संस्था बन गया है।

द्वितीय यूरोपीय देशों, आयरलैंड तथा अमेरिका ने यूरोप के लिए बने इस आर्थिक आयोग में भाग लिया है, यद्यपि नयुक्त राष्ट्रीय संघ के सदस्य-राष्ट्रों की ही मत-दान का अधिकार है। इसका मुख्य कार्यालय जनेवा में उनी स्थान पर है, जहाँ पहले राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन्स) का मुख्यालय था। इसके सचिवालय में लगभग दो सौ सदस्य हैं जिनके प्रमुख कार्यकारी सचिव प्रो० गुन्तर मिडल हैं, जो स्वीडन

के एक प्रमुख समाज शास्त्री तथा भूतपूर्व व्यापार-मन्त्री हैं। इस आयोग (ECE) ने तीन अन्तर-सरकार-सगठनों के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया, जिनकी युद्धोत्तर काल में ध्वस्त यूरोप के पुनर्निर्माण के हेतु स्थापना की गई थी। ये सगठन थे— यूरोपीय केन्द्रीय आन्तरिक यातायात सगठन, यूरोपीय कोयला सगठन तथा यूरोप के लिए बनी आपात-कालीन आर्थिक समिति। कृषि-समस्याओं, उद्योग विकास तथा व्यापार, उद्योग तथा उत्पादन-सामग्री, कोयला, विद्युत शक्ति, इस्पात, लकड़ी, आन्तरिक यातायात तथा जन-शक्ति आदि विषयों के लिए निर्मित समितियाँ हैं। इनके द्वारा ही यूरोप के लिए बना यह आर्थिक आयोग आधारभूत खाद्यान्तों, खादों, औषधियों, इस्पात, कोयला, कोक, खदानों, धातु गलाने के साधन, हाई टेन्शन इन्सुलेटर्स और विशेष प्रकार का इस्पात जो विजली का सामान बनाने के काम आता है, गृह-निर्माण-सामग्री, बाल-बियरिंग्स, कृषि-यन्त्र, ट्रैक्टर तथा मोटर-परिवहन, वाक्साइट, रेलवे के लिए निर्मित रेल-गाड़ी के डिब्बे, लकड़ी तथा दूसरे कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने तथा इनके वितरण में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील है। यह आयोग (ECE) इस प्रकार अखिल यूरोपीय आत्म-सहायता के लिए एक साधन है। इसके अनेक प्राविधिक अध्ययन तथा सर्वेक्षण, सरकारी तथा व्यक्तिगत सगठनों के लिए विशेष महत्व के सिद्ध हुए हैं।

एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग (ECAFE)—सुदूर-पूर्व तथा एशिया के लिए बने 'इकोसाक' (ECOSOC) के कार्यकारी दल ने लेक-सक्सेस में फरवरी, १९४७ में हुई बैठक में सिफारिश की कि 'इकोसाक' को एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए एक आर्थिक आयोग को जन्म देना चाहिए। इसके मुख्य कार्य हैं— (अ) सुदूर-पूर्व तथा एशिया के आर्थिक पुनर्निर्माण के हेतु क्रम-बद्ध कार्य को मरल बनाने के लिए उपायों में प्रारम्भिक पग उठाना तथा भाग लेना, (ब) एशिया-तथा सुदूर-पूर्व के क्षेत्रों के अन्दर-अन्दर आर्थिक तथा प्राविधिक समस्याओं के ऐसे अध्ययन तथा खोजें करना, जिनको आयोग हाथ में लेना ठीक समझे, (स) ऐसे आर्थिक, प्राविधिक तथा आकटे-सम्बन्धी जानकारी के संग्रह, पुनर्मूल्यान तथा विस्तार के कार्य को सम्भालना, जैसे आयोग उपयुक्त समझे।

उपर्युक्त मस्या (ECAFE) का प्रथम अन्वेषण शघाई में जून, १९४७ में हुआ था। इसके प्रथम निदेशक डा० पी० एस० लोकनाथन् थे। १९५६ में इनका स्थान भारत के नरसिंहम् ने ले लिया। इसका मुख्य कार्यालय बैंकाक में है। इसकी कुछ मफनताएँ ये हैं— (१) आन्तरिक यातायात समिति की स्थापना, (२) सहायता योग्य प्रादेशिक बैठकों की व्यवस्था करना, (३) उद्योग, व्यापार, वित्त, आन्तरिक यातायात, बाढ-नियन्त्रण तथा गवेषणा और आकड़ों के क्षेत्रों में मलाह देना। ३१ मार्च, १९५९ तक एशिया की आर्थिक स्थिति के अन्तिम

निरूपण के अनुसार इस आयोग के सदस्य-राष्ट्रों के व्यापार में १५.६ प्रतिशत से निर्यात में ८३.२६ मिलियन डालर तक तथा ५ प्रतिशत से आयात में ८६.२२ मिलियन डालर तक की वृद्धि १९५५ में दिखाई देती है— निर्यात-अर्जन की वृद्धि में जापान का भाग दो तिहाई है (लोहा तथा इस्पात उत्पादन, मशीनें तथा रसायनिक पदार्थ) तथा मलाया (खर) ।

लेटिन अमेरिका के लिए आर्थिक आयोग (ECLA) — २५ फरवरी, १९४८ को 'इकोसाक' ने लेटिन अमेरिका के लिए एक आर्थिक आयोग की स्थापना की । इस आयोग के सामने मुख्य समस्या है औद्योगीकरण तथा कृषि-भावनों के आधुनिकीकरण द्वारा सीमित साधनों का उपयोग करके रहन-सहन के स्तर को उन्नत करना । इसे यह शक्ति दे दी गयी कि यह लेटिन अमेरिका के देशों के आर्थिक स्तर को उन्नत करने के लिए क्रम-वद्ध कार्य करे तथा इन राष्ट्रों के आर्थिक सम्बन्ध विश्व के दूसरे राष्ट्रों से सुदृढ़ करे । उसे यह अधिकार भी दिया गया कि वह आर्थिक, प्राविधिक, तथा आकड़ो-सम्बन्धी व्यवहारों के अध्ययनो तथा गवेषणाओं के लिए पग उठाए तथा अपने कार्यों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की दूसरी समस्याओं जिनमें विशेषता-प्राप्त सम्स्याएँ भी सम्मिलित हैं, के कार्यों में नियामकता लाए । १९४८ में लेटिन अमेरिका का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया । यह इस आयोग का वार्षिक प्रकाशन है जो कि इसका अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है । १९५२ में लेटिन अमेरिका के लिए निमित्त इस आयोग ने हाल ही की आर्थिक प्रवृत्तियों तथा आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के साधनों का अध्ययन करने का निर्णय किया । यह आवा-गमन की सुविधाओं तथा औद्योगिक शक्ति के विकास का अध्ययन करने को भी महत्त्व हो गया, तथा प्राविधिक गवेषणा की अवस्था, विदेशी विनिमय सन्तुलनो तथा पनामा में मुक्त-क्षेत्र के कार्य को भी इनने स्वीकार कर लिया ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार — विश्व आर्थिक प्रतिवेदन, १९५३-५४ के अनुसार "विश्व व्यापार का कुल विस्तार १९५४ में तनिक सा बड़ा; व्यापार-वचरणों (मूवमेंट्स) में समस्यावस्था (डिफ्लिक्लिअम) ज्यादा बड़ी हुई थी तथा मुद्रा प्रारक्षित स्थिति में विशेषतया डालर के अर्भिदेश (रेफरेंस) के साथ, मुधार होता रहा ।" इन सब अनुकूल प्रवृत्तियों के होने पर भी विश्व व्यापार के विस्तार में बड़ी तरदा में रकावटें हैं । इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रकावटें इन कारणों से हैं कि द्वितीय महा-युद्ध के बाद में विश्व आर्थिक व्यवस्था का सन्तुलन बिगड़ गया है । प्रतिबन्धो, विनिमय नियन्त्रणो तथा उच्चतर तदकरों की सहायता के बिना अधिकांश देशों की पर्याप्त चालू मुद्रा निधियों को बनाये रख सकने की अनसमर्थता ही अन्तीतर विश्व व्यापार के विस्तार को नीमित्त करने में बड़ी भारी रकावट है ।

१९४८ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तदकरों की नौशा करने तथा सीमा शुल्को

व्यवस्था, नगर तथा ग्राम-योजना तथा (४) समाज-नीति तथा विकास। सयुक्त-राष्ट्र-संघ का बजट सलाहकार समाज-कल्याण सेवाओं के लिए धन देता है, जिन सेवाओं में जन-कल्याण प्रशासन, समाज-बीमा, शिशु-कल्याण तथा व्यावसायिक पुनर्वास जैसे क्षेत्रों में प्राविधिक सहायता भी सम्मिलित है। विभिन्न देशों में अपंग व्यक्तियों को सहायता इसके कार्य का विशेषतया लोकप्रिय पहलू रहा है। समाज-सुरक्षा के क्षेत्र में अपराध की रोक, अपराधियों के साथ व्यवहार, वेश्यावृत्ति को दवाना, नैतिक परीक्षा, बाल-अपराध में कमी तथा दूसरी सम्बन्धित समस्याएँ आती हैं। सचिवालय का समाज कल्याण-विभाग आवास-व्यवस्था तथा नगर-गाव-योजना पर नियमित बुलेटिन प्रकाशित करता है तथा यह इस क्षेत्र में अत्यधिक कार्य कर रहा है। महासभा ने १९५० में ऊष्ण-कटिबन्ध में आवास-व्यवस्था के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, जिसने दक्षिण-पूर्वी-एशिया का दौरा “नम-ऊष्ण कटिबन्ध में नीची आय वालों के लिए आवास-व्यवस्था से सम्बन्धित प्राविधिक प्रश्नों” का पता लगाने के लिए किया। राष्ट्र-संघ ने महिलाओं तथा बालकों के अनैतिक व्यापार को समाप्त करने का जो महान् कार्य अपने हाथ में लिया था, उसे सयुक्त-राष्ट्र संघ ने जारी रखा है, और उसे बढ़ा रहा है। १९४९ में महासभा ने इस विषय से सम्बन्धित एक नया कानून स्वीकार कर लिया, परन्तु अमेरिका जैसे कुछ देश अभिपुष्ट करने में असमर्थ रहे।

सांस्कृतिक क्रिया-कलाप—सयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) उन रुचियों पर ध्यान देता है, जो इसके शीर्षक से ज्ञात होती हैं। यह दुनियादी शैक्षणिक स्तरों को उन्नत करने, ज्ञान के सर्वतोमुखी विकास करने, सांस्कृतिक क्रिया-कलापों को बढ़ावा देने, तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझ में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता है। इमने अपना विशेष ध्यान मूलभूत शिक्षा की ओर लगाया है। इस क्षेत्र में मार्ग-निर्देशक योजनाएँ यह हेटी तथा बगलोर में चला रहा है। युद्ध में व्वस्त देशों में शैक्षणिक सुविधाओं के पुनर्निर्माण तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों में स्तरों के सुधार में इसकी अत्यधिक अभिरुचि है। इसने पाठ्य-पुस्तकों तथा दूसरी शिक्षा सम्बन्धी सामग्री के परीक्षण तथा तदनुसार सुधार के लिए एक कार्यक्रम अभिप्रेरित किया जिसने दो तथ्यों का उद्घाटन किया। एक तो वे पुस्तकें गुण की दृष्टि में इतने निम्न स्तर की हैं कि यह चिन्ता का विषय है, दूसरे, बच्चों की पाठ्य-पुस्तकों में सकीर्ण देगभवित या उग्र राष्ट्रवाद उद्देगकारी भावना तक है। यूनेस्को ने जनतन्त्र तथा उन मनोवैज्ञानिक तनावों के अध्ययन का प्रबन्ध किया है, जो विभिन्न राष्ट्रों की पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रभावित करते हैं। इमने मस्कृति, जातीय धारणा तथा ‘स्वतन्त्रता’ (Liberty) शब्द की विभिन्न व्याख्याओं के तुलनात्मक अध्ययनों की श्रृंखला प्रारम्भ की है।

प्राकृतिक विज्ञान में भी यूनेस्को समान रूप से सक्रिय है। इसके विज्ञान-अफसर चीन, मिस्र, भारत तथा यूएस्वे में हैं। इसने वैज्ञानिक सघों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् के लिए पर्याप्त महायत्ना की मजूरी दी है। इसने 'हाईलीन अमेजन' (Hylean Amazon) की स्थापना में सहायता दी तथा मरुभूमि की वृद्धि को रोकने में विशेष रुचि ली है। रियो-डी-जनीरो, काहिरा तथा नई दिल्ली में यह क्षेत्रीय विज्ञान-कार्यकारी अफसरों का प्रवचन करता है, जो प्राविधिक ज्ञान तत्परता से मुलभ करते हैं। इस प्रकार यह युद्ध-विज्ञान को मिटाने का प्रयत्न कर रहा है। यूनेस्को के सविधान की भूमिका में लिखा है : "युद्ध का प्रादुर्भाव मानव-मस्तिष्क में होता है तथा मानव-मस्तिष्क में ही शान्ति की सुरक्षाओं का निर्माण करना चाहिए।" यूनेस्को ने उन विस्तृत क्षेत्रों में, जिनमें उसकी अभिरुचि है, विभिन्न देशों के कुछ विशेषज्ञों की सेवाओं की सूची बनाई है। इसके प्रथम दो महा-निदेशकों—जुलियन हकमले, विश्व-विख्यात ब्रिटिश वैज्ञानिक तथा जेमे टोरेम बोडेट, मेक्सिको के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री और शैक्षणिक नेता—ने इस सस्था को प्रभावपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। इसका मुख्य कार्यालय पेरिस में है तथा १९५३ में इसके प्रथम अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् थे।

विश्व-स्वास्थ्य-सघ (WHO)

विश्व-भर की जनसंख्या के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए १९४८ में विश्व स्वास्थ्य सघ की स्थापना की गई। जब मिस्र में हैजा तथा अफगानिस्तान में १९४६ में लाल ज्वर फैला तो इसने शीघ्रता से उनका सामना किया। विश्व-स्वास्थ्य सघ ने व्यापक रोग सूचना सेवा को बढ़ाया तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्तर पर लाने की कोशिश कर रहा है। आमतीर से, विश्व-स्वास्थ्य सघ राष्ट्र-स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से कार्य करता है। इसने छ. क्षेत्रों में कार्यक्रमों को सर्वोपरि प्राथमिकता दी है—मलेरिया, गुप्त रोग, तपेदिक, वातावरण-सम्बन्धी स्वास्थ्य-शास्त्र, मातृ तथा शिशु-स्वास्थ्य तथा पोषक खुराक। कृमिनाशक दवा (DDT) के मलेरिया के विरुद्ध, पेन्सीलीन के गुप्त रोगों के, बी.सी.जी. टीके के तपेदिक के विरुद्ध प्रभावपूर्ण प्रयोगों ने स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए अनवरत मानवीय सघर्ष में नाटकीय सफलता प्रदान की है। अल्प-विकसित देशों में यह वातावरण-सम्बन्धी स्वास्थ्य-शास्त्र के सुधार के लिए प्रयत्नशील है। स्वास्थ्य-विशेषज्ञों की राय में विश्व की ७५% से भी अधिक जनसंख्या गंदगी से उत्पन्न रोगों में पीड़ित है, जो मल-त्याग, अशुद्ध-जल-पूर्ति, कीड़ों तथा गन्दे दूध और दूमरे इमी प्रकार के लार्चों से उत्पन्न होते हैं। मियादी बुखार, पेचिन, हैजा, हुकवार्म, प्लेग तथा ऐसी ही दूसरी बीमारियों में जो मृत्यु होती हैं, उनका कारण लचर स्वास्थ्य-शास्त्र है, जो अभी तक उन लोगों में उन्नी ऊँचे स्तर पर भी

व्यवस्था, नगर तथा ग्राम-योजना तथा (४) समाज-नीति तथा विकास। सयुक्त-राष्ट्र-संघ का बजट सलाहकार समाज-कल्याण सेवाओं के लिए धन देता है, जिन सेवाओं में जन-कल्याण प्रशासन, समाज-ब्रीमा, शिशु-कल्याण तथा व्यावसायिक पुनर्वास जैसे क्षेत्रों में प्राविधिक सहायता भी सम्मिलित हैं। विभिन्न देशों में अप्रग व्यक्तियों को सहायता इसके कार्य का विशेषतया लोकप्रिय पहलू रहा है। समाज-सुरक्षा के क्षेत्र में अपराध की रोक, अपराधियों के साथ व्यवहार, वेश्यावृत्ति को दबाना, नैतिक परीक्षा, बाल-अपराध में कमी तथा दूसरी सम्बन्धित समस्याएँ आती हैं। सचिवालय का समाज कल्याण-विभाग आवास-व्यवस्था तथा नगर-गाव-योजना पर नियमित बुलेटिन प्रकाशित करता है तथा यह इस क्षेत्र में अत्यधिक कार्य कर रहा है। महासभा ने १९५० में ऊष्ण-कटिबन्ध में आवास-व्यवस्था के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, जिसने दक्षिण-पूर्वी-एशिया का दौरा “नम-ऊष्ण कटिबन्ध में नीची आय वालों के लिए आवास-व्यवस्था से सम्बन्धित प्राविधिक प्रश्नों” का पता लगाने के लिए किया। राष्ट्र-संघ ने महिलाओं तथा बालकों के अनैतिक व्यापार को समाप्त करने का जो महान् कार्य अपने हाथ में लिया था, उसे सयुक्त-राष्ट्र संघ ने जारी रखा है, और उसे बढ़ा रहा है। १९४९ में महासभा ने इस विषय से सम्बन्धित एक नया कानून स्वीकार कर लिया, परन्तु अमेरिका जैसे कुछ देश अभिपुष्ट करने में असमर्थ रहे।

सांस्कृतिक क्रिया-कलाप — सयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सगठन (यूनेस्को) उन रुचियों पर ध्यान देता है, जो इसके शीर्षक से ज्ञात होती हैं। यह बुनियादी शैक्षणिक स्तरों को उन्नत करने, ज्ञान के सर्वतोमुखी विकास करने, सांस्कृतिक क्रिया-कलापों को बढ़ावा देने, तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझ में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता है। इसने अपना विशेष ध्यान मूलभूत शिक्षा की ओर लगाया है। इस क्षेत्र में मार्ग-निर्देशक योजनाएँ यह हेटी तथा बगलोर में चला रहा है। युद्ध में ध्वस्त देशों में शैक्षणिक सुविधाओं के पुनर्निर्माण तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों में स्तरों के सुधार में इसकी अत्यधिक अभिरुचि है। इसने पाठ्य-पुस्तकों तथा दूसरी शिक्षा-सम्बन्धी सामग्रियों के परीक्षण तथा तदनुसार सुधार के लिए एक कार्यक्रम अभिप्रेरित किया जिसने दो तथ्यों का उद्घाटन किया, एक तो वे पुस्तकें गुण की दृष्टि में इतने निम्न स्तर की हैं कि यह चिन्ता का विषय है, दूसरे, बच्चों की पाठ्य-पुस्तकों में सकीर्ण देशभक्ति या उग्र राष्ट्रवाद उद्देगकारी सीमा तक है। यूनेस्को ने जनतन्त्र तथा उन मनोवैज्ञानिक तनावों के अध्ययन का प्रबन्ध किया है, जो विभिन्न राष्ट्रों की पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रभावित करते हैं। इसने सस्कृति, जातीय वारणा तथा ‘स्वतन्त्रता’ (Liberty) शब्द की विभिन्न व्याख्याओं के तुलनात्मक अध्ययनों की श्रृंखला प्रारम्भ की है।

प्राकृतिक विज्ञान में भी यूनेस्को समान रूप से सक्रिय है। इनके विज्ञान-अफसर चीन, मिस्र, भारत तथा यूट्रवे में हैं। इसने वैज्ञानिक सघों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् के लिए पर्याप्त महायत्ना की मजबूरी दी है। इसने 'हाईलीन अमेजन' (Hylean Amazon) की स्थापना में महायत्ना दी तथा मरुभूमि की वृद्धि को रोकने में विशेष रुचि ली है। रियो-डी-जनीरो, कांहिरा तथा नई दिल्ली में यह क्षेत्रीय विज्ञान-कार्यकारी अफसरों का प्रवध करता है, जो प्राविधिक ज्ञान तत्परता से गुलम करते हैं। इस प्रकार यह युद्ध-विज्ञान को मिटाने का प्रयत्न कर रहा है। यूनेस्को के मविद्यान की भूमिका में लिखा है - "युद्ध का प्रादुर्भाव मानव-मस्तिष्क में होता है तथा मानव-मस्तिष्क में ही शान्ति की सुरक्षाओं का निर्माण करना चाहिए।" यूनेस्को ने उन विस्तृत क्षेत्रों में, जिनमें उसकी अभिरुचि है, विभिन्न देशों के कुछ विशेषज्ञों की सेवाओं की सूची बनाई है। इसके प्रथम दो महा-निदेशों— जुलियन ह्वमले, विश्व-विख्यात ब्रिटिश वैज्ञानिक तथा जैमेटोरेस बोडेड, मेक्सिको के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री और शैक्षणिक नेता—ने इस सस्या को प्रभावपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। इसका मुख्य कार्यालय पेरिस में है तथा १९५३ में इसके प्रथम अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् थे।

विश्व-स्वास्थ्य-सघ (WHO)

विश्व-भर की जनसत्या के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए १९४८ में विश्व-स्वास्थ्य सघ की स्थापना की गई। जब मिस्र में हैजा तथा अफगानिस्तान में १९४९ में लाल ज्वर फैला तो इसने शीघ्रता से उनका सामना किया। विश्व-स्वास्थ्य सघ ने व्यापक रोग सूचना सेवा को बढ़ाया तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्तर पर लाने की कोशिश कर रहा है। ग्रामांतोर में, विश्व-स्वास्थ्य सघ राष्ट्र-स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से कार्य करता है। इसने छ. क्षेत्रों में कार्यक्रमों को सर्वोपरि प्राथमिकता दी है—मलेरिया, गुप्त रोग, तपेदिक, वातावरण-सम्बन्धी स्वास्थ्य-शास्त्र, मातृ तथा शिशु-स्वास्थ्य तथा पोषक सुराक। कृमिनाशक दवा (DDT) के मलेरिया के विरुद्ध, पेन्सिलीन के गुप्त रोगों के, बी सी जी. टीके के तपेदिक के विरुद्ध प्रभावपूर्ण प्रयोगों ने स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए अनवरत मानवीय सघर्ष में नाटकीय सफलता प्रदान की है। अल्प-विकसित देशों में यह वातावरण-सम्बन्धी स्वस्थ-शास्त्र के सुधार के लिए प्रयत्नशील है। स्वास्थ्य-विशेषज्ञों की राय में विश्व की ७५% से भी अधिक जनसस्या गन्दगी से उत्पन्न रोगों से पीडित है, जो मल-त्याग अशुद्ध-जल-पूति, कीड़ों तथा गन्दे दूध और दूसरे इसी प्रकार के स्रावों से उत्पन्न होते हैं। मियादी बुखार, पेचिस, हैजा, हुकवार्म, प्लेग तथा ऐसी ही दूसरी बीमारियों से जो मृत्युएं होती हैं, उसका कारण लचर स्वास्थ्य-शास्त्र है, जो अभी तक उन लोगों में उन्नी ऊँचे स्तर पर भी

उसी अवस्था में है जिस पर पिछली सदियों में था। जब तक जन-साधारण को पर्याप्त खाने को तथा बीमारी से मुक्ति नहीं मिलती तब तक उनसे यह अपेक्षा करना व्यर्थ है कि वे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में स्वतन्त्र मानवों के नाते क्रियात्मक भाग ले सकेंगे। दरिद्रता, बीमारी तथा दैन्यता के अर्द्ध-ढाँचे पर कोई भी आशाप्रद अथवा स्थायी राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक ढाँचे का निर्माण नहीं किया जा सकता। तमाम विश्व में स्वास्थ्य की हालतों को सुधारने के प्रयत्न में, विशेषतया अल्प विकसित देशों में जहाँ बीमारी, अपीष्टिक खुराक तथा मृत्यु-संख्या का विस्तार भयावह रूप में अधिक है, विश्व-स्वास्थ्य सघ तथा सयुक्त राष्ट्रसघ की अन्य सस्थाएँ महान् मानवीय सेवाएँ कर रही हैं तथा उन समस्याओं से निवृत्त रही हैं जो वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आधारभूत हैं। सितम्बर, १९५६ में विश्व-स्वास्थ्य-सघ की प्रादेशिक समिति ने १९५८ में सदस्य-सरकारों के सहयोग से दो सौ स्वास्थ्य योजनाएँ चालू करने का निर्णय किया, जिन पर ७ मिलियन डालर का कुल व्यय आया। इसे आशा है कि यह दक्षिण-पूर्वी एशिया से १९६१ तक मलेरिया का सफाया कर देगा।

नशीली दवाइयों पर नियंत्रण

१९४६ में सयुक्त राष्ट्रसघ ने नशीली दवाइयों के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण से सम्बन्धित राष्ट्रसघ (लीग ऑफ नेशन्स) की शक्तियों तथा कार्यों को सम्हाला तथा मामला आर्थिक तथा सामाजिक परिपद को सौंप दिया। जितनी अफीम दुनिया भर में उत्पन्न होती है, उसका केवल दसवाँ हिस्सा दवाइयों तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए काम में आता था। लीग ने नशीली दवाइयों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की शर्तों के अन्तर्गत एक स्थायी केन्द्रीय अफीम मण्डल तथा एक निरीक्षक मंडल की स्थापना की। इन दो सस्थाओं में एक नयी सस्था—नशीली दवाई-आयोग—श्रीर शामिल कर दिया तथा इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर अब केवल एक नियंत्रण सस्था बन गयी है। स्थायी केन्द्रीय मंडल में आठ सदस्य हैं, जो सामाजिक तथा आर्थिक परिपद द्वारा नियुक्त किये गये हैं। इन्हें सदस्य राष्ट्रों से प्रतिवेदन प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें नशीली दवाइयों के कच्चे माल के आयात तथा निर्यात, उत्पादन और उपभोग के आंकड़े दिए होते हैं। अभी हाल ही में इस क्षेत्र में जो नवीन प्रगति हुई है, वह है एक नया 'मसविदा' को अङ्गीकार करना, क्योंकि १९४८ में ऐसी मिलावटी दवाओं के अभिनव विकास के कारण नयी स्थिति पैदा हो गई थी, जिनका समावेश पुराने कानून में नहीं होता था। ४७ राष्ट्रों ने इस मसविदे पर हस्ताक्षर किए हैं। १९४९ में तुर्की की राजधानी अकारा में अफीम का उत्पादन करने वाले मुख्य देशों की तदर्थ कमेटी की बैठक हुई तथा उसमें अन्तर्राष्ट्रीय अफीम एकाधिकार का प्रस्ताव ग्रहण

किया गया। लेकिन प्रभुसत्ता की भीषण हकावट के कारण आयोग पर्याप्त प्रगति करने में अममर्थ रहा। १९४९ में महासभा ने एक जाँच-पड़ताल का आयोग दक्षिण अमेरिका इसलिए भेजा कि वह डम वात का अध्ययन करे कि कोको के पत्ते चवाने का वहा के लोगो पर क्या प्रभाव है। आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कोका की पत्तिया चवाने से अवश्य हानिप्रद प्रभाव पडता है। पेरू तथा बोलिविया ने इस प्रतिवेदन को ठुकरा दिया क्योंकि इससे सवधित डाक्टरी तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओ की वैज्ञानिक गवेपणा पर्याप्त नहीं हुई थी। मई, १९५२ में आयोग ने इस समस्या पर अपना अध्ययन जारी रखने का निर्णय किया तथा बोलिविया और पेरू पर कोका की पत्तियो के उत्पादन को सीमित करने का दवाव डाला गया, जिससे कोकीन और कोको का अवैध व्यापार रुक सके। आयोग दूसरी नशीली दवाओ पर भी नियंत्रण लागू करने का प्रयत्न कर रहा है। सर्वाधिक प्रभावशाली कार्यक्रम जो भी सामाजिक तथा आर्थिक परिपद् के अन्तर्गत हाथ में लिया गया है, इस आयोग के क्रिया-कलाप उसी प्रभावशाली कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सहायता तथा पुनर्वास

प्रथम महासभा के सामने सबसे बडी समस्या थी युद्ध-ध्वस्त यूरोप महाद्वीप के पुनर्वास की तथा लाखो विस्थापितो के स्वदेश-गमन या पुनर्वास की। कोरिया, फिलस्तीन, तथा हिंदचीन में हुए सघर्षों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उनके परिणामो से मुक्त करने के नवीन उत्तरदायित्व उपस्थित कर दिए। विश्व के अधिकाग भाग में जो विस्थापित आज हैं, वे द्वितीय महायुद्ध के शिकार नहीं हैं, अपितु पुराने राज्यों में नवीन ढग की सरकारो की स्थापना के परिणाम स्वरूप जो नये नये राज्य उत्पन्न हो गए हैं, उनके कारण हुए राजनीतिक परिवर्तनों के शिकार हैं। निम्न वातो के लिए १९४७ में एक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की स्थापना हुई : (अ) स्वदेश-गमन-इच्छुक विस्थापितो को उनके अपने देशो में भेजने, (ब) नये देशो में विस्थापितो के पुनर्वास तथा (स) जो विस्थापित पुनर्वास की प्रतीक्षा करते हुए शिबिरो में पडे हैं, उनकी देख-भाल। यह विस्थापित सगठन (IRO) १० लाख विस्थापितो को बसा चुका है। अमेरिका ने १३ लाख, इजराइल ने १३ लाख तथा आस्ट्रेलिया ने १ लाख, दूसरो के साथ-साथ, विस्थापितो को बसाना स्वीकार किया। फिलस्तीन पर अरब-यहूदी सघर्ष ने एक उलभन भरी समस्या उत्पन्न कर दी। १९४८ में फिलस्तीन के विस्थापितो के लिए एक संयुक्त राष्ट्र मधीय सहायता-योजना की स्थापना महासभा ने की तथा यह अभी तक फिलस्तीन के आठ लाख विस्थापितो की देख-भाल कर रही है। १९५१ में अन्तर्राष्ट्रीय विस्थापित सगठन को तोड दिया गया तथा इसका न्यान विस्थापितो के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र मधीय उच्च-आयुक्त ने ले लिया। उच्चायुक्त

का कार्यालय जनेवा में है। साथ-साथ ही सयुक्त राष्ट्रीय कोरिया पुनर्निर्माण सस्था का एक महाभिकर्ता है। विस्थापितों को खपाने के कार्यक्रम में विस्थापितों को कृषि, व्यापारों, छोटे व्यवसायों या घन्वों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मकान बनाने आदि कार्यों में लगाना सम्मिलित है। अनुमान लगाया जाता है कि कार्यक्रम को पूर्ण होने में आगामी चार वर्ष लग जायेंगे तथा लगभग १६ मिलियन डालर का व्यय होगा। फिलस्तीन के विस्थापितों के लिए सयुक्त राष्ट्र सच के १९५५-५६ के बजट में १२० मिलियन डालर की व्यवस्था की गयी थी। राजहीन व्यक्तियों अर्थात् विस्थापितों के स्तर का समस्त प्रश्न किसी नये समाधान का आह्वान करता है। इनकी दयनीय स्थिति पर सहानुभूतिपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है, कम-से-कम उन्हें यात्रा-अधिकार-पत्र, न्यायालयों में प्रवेश, सामाजिक बीमा लाभ, कार्य करने का अधिकार, शिक्षा की सुविधाये, तथा शरण-स्थान में बने रहने का अधिकार प्रदान कराने पर तो ध्यान देना ही चाहिए। इस समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग तथा दूसरी सयुक्त राष्ट्र सघीय सस्थाओं ने वाद-विवाद किया लेकिन आधारभूत समस्या अब तक वनी हुई है।

सयुक्त राष्ट्र सघीय अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपात्-कालीन कोष (UNICEF)

बहुमूल्य कार्य करने वाली इस सस्था की ४५ देशों तथा ३० से भी ज्यादा क्षेत्रों की जनता तथा सरकारों से स्वेच्छया धन, वस्तुओं तथा सेवाओं की सहायता मिलती है। अमेरिकी सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता दी है। इसने शिशु तथा स्कूली-बच्चों को खुराक देने, दूध सुरक्षित रखने, डाक्टरों, नर्सों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, मलेरिया तथा तपेदिक के नियंत्रण तथा शिशु-कल्याण-सस्थाओं के उपकरण के लिए विश्व-व्यापी कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इसने ७० लाख बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों को यूरोप में तथा ५ लाख अरब-विस्थापितों को फिलस्तीन में पूरक खुराक प्रदान की है। बीमार बालकों तथा पक्षाघात में पीडित शिशुओं के उपचार के लिए इसने अल्प-विकसित देशों को भी बहुत-से उपकरण प्रदान किये हैं।

दासता का उत्सादन

दासता-उत्सादन राष्ट्रसघ (लीग आफ नेशन्स) के समक्ष प्रमुख चिन्ता के विषयों में से एक था। १९२६ में दासता-विरोधी कानून तैयार किया गया, लेकिन अभी तक दामना का अपने विभिन्न रूपों में मूलोच्छेदन नहीं हो सका। १९२६ के इस कन्वेंशन को अनुत्तरित करने के लिये मितम्बर १९५६ में, आर्थिक-सामाजिक-परिषद् ने, समस्या के गहन अध्ययन के पश्चात्, एक सम्मेलन बुलाया। दासता-विरोधी नस्था ने यह अनुमान लगाया कि दुनिया भर में दामों की सस्था ११ मिलि-

यन से अधिक है, जिनमें = मिलियन लेटिन अमेरिका में बसने हैं तथा लगभग ५ लाख मऊरी श्रमिकों में, जो वहाँ की अनुमानित १० मिलियन की जन-संख्या के ५ प्रतिशत हैं। सम्मेलन ने कन्वेंशन के इस प्राकृतिक रूप को ४० के विरुद्ध शून्य मतों से प्रहण कर लिया। अमेरिका, अर्जेंटीना तथा चाइल मतदान में अनुपस्थित रहे। इसमें यह उल्लिखित है कि दास-प्रथा वाले देशों को दासता तथा इसी प्रकार के ऐसे ही दूसरे व्यवहारों को उत्सर्गित करने के अपने-अपने प्रयत्नों को, विभिन्न देशों में दासों के आवागमन को रोकने के लिये देशों के पारस्परिक सूचना-विनिमय द्वारा, तीव्र करना चाहिए। अगर कोई भी दास हस्ताक्षर-कर्त्ता-राष्ट्र के जहाज पर शरण लेता है, तो वह स्वतः मुक्त हो जायगा। कन्वेंशन में घोषित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को दासत्व-पाश में बाँधना अपराध होगा। उसने हस्ताक्षरकर्त्ता-राष्ट्रों पर यह बंधन लागू किया कि वे शोषातिशीघ्र ऋण-बन्धन, दास-वृत्ति, शिशु-श्रम का शोषण तथा निम्नलिखित उन सस्यामों अथवा व्यवहारों का मूलोच्छेदन करें, जिनके द्वारा—(१) किसी असहाय श्रमिक को उसके माँ-बाप, सरक्षक, कुटुम्ब या किसी दूसरे व्यक्ति या समूह पर मेहर-वानी करके, रुपया-पैसा लेकर विवाह करवा के किसी भी व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाता है, (२) कोई भी पति मूल्य लेकर अपनी पत्नी को किसी भी व्यक्ति को दे देता है, (३) किसी भी श्रमिक पर उसके पति की मृत्यु के पश्चात् किसी दूसरे का अधिकार हो जाता है। हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्र विवाह-योग्य कम-से-कम आयु का निर्धारण करता है तथा दोनों पक्षों की रजामन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देता है। यह कन्वेंशन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिये बने नमस्त स्वशासित न्यास, औपनिवेशिक तथा अन्य गैर-देशीय क्षेत्रों, जिनके लिये किसी भी हस्ताक्षरकर्त्ता देश का दायित्व है, पर लागू होगा।

मानवीय अधिकार तथा मूलभूत स्वतंत्रताएँ

इस विश्वास के साथ कि शांति तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों अनिवार्य हैं, सयुक्त राष्ट्रमंडल के प्रवर्तकों ने मानवीय अधिकारों की प्रगति के हेतु पिछली नव्या राष्ट्रमंडल (लीग ऑफ नेशन्स) के लिये जो कार्य आवश्यक समझा था, उसमें अधिक बड़ा कार्य इस नवीन विश्व-संगठन को सौंपा है। इसके अधिपत्र में मानवीय अधिकारों के पृथक्-पृथक् भात अभिदेशों (रेफरेंसेज) हैं तथा मानवीय अधिकारों को बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट आयोग की स्थापना की व्यवस्था है। महासभा के प्रथम अधिवेशन की विषय-सूची में तत्संबंधी रचि परिलक्षित हुई तथा सयुक्त राष्ट्रमंडल की पहली दस वर्षों में जिन विषयों में अभिरूचि है, वे हैं—मूलभूत मानवीय अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं पर घोषणा, उत्पीडन तथा भेद-भाव, नारियों के स्तर अथवा

अधिकार, सूचना-प्राप्ति की स्वतन्त्रता, जाति-वध तथा दक्षिण-अफ्रीकी-सघ में भारतीयों के साथ व्यवहार ।

मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

श्रीमती फ्रेंकलिन रूजवेल्ट की योग्य अध्यक्षता के अन्तर्गत ढाई वर्ष के घोर परिश्रम के पश्चात् “तमाम देशों तथा उनकी जनता के लिए समान स्तरों की प्राप्ति” के रूप में मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा तैयार की गई । इतिहास में अपने प्रकार की इस अद्वितीय घोषणा को १० दिसम्बर १९४८ में ४८ के विरुद्ध शून्य मतों से ग्रहण किया गया । ८ राष्ट्रों ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिनमें छ तो रूसी गुट के थे तथा अन्य दो थे—साउदी अरब तथा दक्षिण-अफ्रीका-सघ ।

इस घोषणा में प्रस्तावना के साथ तीस धाराएँ हैं । घोषणा-पत्र में मनुष्य के सम्मान और मूल्य को महत्व दिया गया । इसमें कहा गया कि सभी व्यक्तियों को स्वतन्त्र रहने का अधिकार है और सम्मान और अधिकारों की दृष्टि से सभी समान हैं (धारा १) । घोषणा-पत्र में उल्लिखित अधिकारों और स्वतन्त्रता के लिए सभी व्यक्ति हकदार हैं (धारा २) । सभी व्यक्तियों को जीवन, स्वतन्त्रता और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है (धारा ३) । कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं रखा जा सकता । गुलामी और गुलामों का व्यापार हर तरह से प्रतिबन्धित होगा (धारा ४) । किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार अथवा अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता (धारा ५) । कानून के सामने सभी को सभी जगह मनुष्य के रूप में स्वीकृति का अधिकार प्राप्त है (धारा ६) । कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं और सभी को कानून का बराबर संरक्षण प्राप्त होने का अधिकार है (धारा ७) । कानून द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अथवा नाजायज लाभ उठाने वालों के खिलाफ अदालती कार्यवाई करने का सबको अधिकार प्राप्त है (धारा ८) । कोई भी व्यक्ति बिना उचित कारण के गिरफ्तार अथवा नजरबन्द नहीं किया जा सकता । सभी व्यक्तियों को अपने प्रति लगाये गए आरोपों और अपराधों की सुनवाई निष्पक्ष अदालत द्वारा करवाने का हक होगा (धारा १०) जब तक अदालत से कोई व्यक्ति अपराधी न मान लिया जाय तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता (धारा ११) किसी भी व्यक्ति के घरेलू तथा निजी काम में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर किसी तरह की चोट नहीं की जा सकती (धारा १२) । सभी व्यक्तियों को आवागमन और निवास का समान अधिकार प्राप्त है (धारा १३) । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए दूसरे देश का आश्रय लेने का अधिकार है (धारा १४) । सभी को राष्ट्रीयता का अधिकार है (धारा १५) । प्रत्येक व्यक्ति को शांति करने और परिवार बसाने का अधिकार है

(धारा १६)। सभी को सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार है (धारा १७)। सभी को मनन करने, अपने विचार दूसरो को प्रकट करने, शांतिपूर्ण तरीके से सभाएँ तथा सघ कायम करने का अधिकार है (धारा १८-२०)। सभी को अपने देश की सरकार में भाग लेने और नीकरियों में आने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को अपना मत गुप्त रूप से प्रकट करने का अधिकार होगा। सभी को काम करने, वेतन के माय आवश्यक छुट्टियाँ पाने, वैकारी के विरुद्ध सरक्षण, काम के अनुसार वेतन व ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार तथा नौकरी ढूँढने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। सक्षिप्त में घोषणा-पत्र में किसी भी मानवीय अधिकार को छोड़ा नहीं गया है।

मानवीय अधिकारो पर व्यवस्थान

तत्र आयोग ने और भी अधिक दुष्कर कार्य की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया और वह कार्य था मानवीय अधिकारो पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थान का प्रालेखन। पाँच वर्षों के घोर परिश्रम के उपरांत आयोग ने दो प्रालेख (ड्राफ्ट्स) तैयार किये— एक था राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारो पर और दूसरा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारो पर। ये दोनो प्रालेख विचारणीय विवाद के विषय हो गये। प्रालिखित व्यवस्थान के अनुसार एक राष्ट्र की दूसरे के विरुद्ध ऐसी शिकायतें, जैसे कि उम राष्ट्र ने व्यवस्थान के अन्तर्गत अपने दायित्वो का पूर्ण निर्वाह नहीं किया है, एक समिति के समक्ष उपस्थित की जा सकती हैं। इस समिति का कार्य है तथ्यो को उप-लब्ध करना तथा सन्धि कराना। यदि किसी समाधान तक न पहुँचा जा सके तो अन्तत इन तथ्यो को निर्णय प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही, हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्र व्यवस्थान के अन्तर्गत अपने दायित्वो को पूर्ण करने के लिये जिन उपायो को व्यवहार में लाये हैं, उन पर वापिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आम प्रणाली की व्यवस्था भी इसने की है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने घोषणा की कि वह इन व्यवस्थानों पर हस्ताक्षर नहीं करेगी क्योंकि वह यह अनुभव नहीं करती कि वर्तमान स्थिति में मानवीय अधिकारो की प्रगति के लिये सन्धि का उपाय ही नवीतम उपाय है। विभिन्न प्रकार की आलोचनाएँ की गईं। एक और यह तर्क उपस्थित किया गया कि मानव-अधिकार आयोग सदस्य राष्ट्रों के आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप करेगा, जो कि संयुक्त राष्ट्रसंघ-अधिपत्र का उल्लंघन है। दूसरी ओर यह तर्क था कि इन व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिये जिस तत्र का निर्माण किया है वह पर्याप्त कार्य नहीं करता है क्योंकि इसने याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार गैर-सरकारी संगठनो तथा ज्यक्तियों को नहीं दिया है।

भारतीय प्रतिनिधि के शब्दों में, “व्यक्ति ही इन अधिकारों में आधार रहा है तथा वही इनके उल्लंघन के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करे।” उपनिवेशवादी शक्तियों ने विभिन्न देशों की जनता के आत्म निर्णय के अधिकार की धारा को दोनों व्यवस्थानों में सम्मिलित करने का तीव्र विरोध किया। ब्रिटिश-प्रतिनिधि ने चेतावनी दी कि इस धारा को बनाये रखने से अभिशासक राष्ट्रों की स्वीकृति पर्याप्त समय के लिये विलम्बित हो जायगी और शायद अनिश्चित समय तक के लिये हो जाय। इन मुद्दों पर भावना की गहराई ऐसी है कि किसी समझौते के लिये किंचित गुञ्जाइश नहीं है। अतएव मुट्टी-भर देशों से ही इन व्यवस्थानों की स्वीकृति की सभावना है। इसलिए अगर इन व्यवस्थानों को अंगीकार भी कर लिया जाय तो भी यह सन्देहास्पद ही है कि ये व्यवस्थान कभी भी स्वीकृत हो जायेंगे और इन्हे वास्तविक रूप में लागू किया जायगा। जेकब ने ठीक ही कहा है कि, “इस क्षेत्र में आदर्शों को स्वीकार करने की अपेक्षा सरकारें कार्य करने के प्रण के लिए कम इच्छुक हैं।”

जाति-नाश पर कानून (कन्वेंशन)

१९४८ में महासभा ने सर्वसम्मति से जाति-नाश के विरोध तथा सजा के लिए एक कानून स्वीकृत किया। इसने अन्तर्राष्ट्रीय विधि-आयोग को भी निमंत्रण दिया, जो एमेलों के मुकदमों के लिए, जिन पर जाति-नाश का आरोप है, एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक मस्था की स्थापना की सम्भावना का अध्ययन करे। १९५० में विधि आयोग ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि इस उद्देश्य के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय उपयुक्त भी है तथा सम्भव भी। जाति-नाश का अर्थ है एक राष्ट्रीय, जातीय तथा धार्मिक समुदाय का सम्पूर्ण अथवा आंशिक विनाश। उदाहरण के तौर पर जैसे नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों को अपराधी घोषित करके मत्त किया था। कानून (कन्वेंशन), जिन पर २३ से भी अधिक राष्ट्रों ने स्वीकृति की मुहर लगा दी, जनवरी १९५१ में प्रभाव में आया। दस वर्ष तक इसकी शक्ति रहेगी तथा इसके बाद पाँच वर्ष तक इसका प्रभाव उन राष्ट्रों पर रहेगा जो उस समय तक इससे लगाव रखेंगे, सिवाय इसके कि जब इससे लगाव रखने वालों की संख्या १६ से नीचे चली जायगी, यह निष्क्रिय हो जायगा। इसने इन अपराधों के लिए सजा की व्यवस्था की है (१) किसी समुदाय के सदस्यों की इसलिए हत्या करना कि वे उससे लगाव रखते हैं, (२) किसी समुदाय के सदस्यों को शारीरिक या मानसिक कष्ट देना, (३) जान-बूझ कर किसी समुदाय पर ऐसी गर्त थोपना, जिनमें उसका अस्तित्व मिट जाय, (४) ऐसे नाशों का थोपना, जिनमें किसी समुदाय की वृद्धि रुक जाय, (५) बालकों को एक समुदाय में दूसरे समुदाय में जबर्दन्ती भेजना। इनके अन्तर्गत जाति-नाश करने की प्रेरणा या पड़यंत्र के साथ ही अपराध में सहयोग भी आते हैं। अमेरिका ने

जाति-नाश के इस कानून (कन्वेंशन) पर स्वीकृति की मुहर नहीं लगाई। १९५० में महासभा ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस प्रश्न पर सलाह देने को कहा कि क्या जाति-नाश कानून के व्याघेस (reservation) के लिए दूसरे पक्षों की सर्व-सम्मत राय लेना उसमें पहले ही आवश्यक है जब व्याघेसों वाले साधन को स्वीकार किया जाय ? ७ से ५ के उपात (मारजिन) से न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जवतक व्याघेसों का कानून (कन्वेंशन) की भावना से सामंजस्य न हो तवतक इस प्रकार की सर्व-सम्मत राय अनिवार्य नहीं है।

सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता (Freedom of Information)

सूचना तथा प्रेस की स्वतन्त्रता की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिश्रुतियों (गारंटी) का प्रश्न सयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष दूसरा जटिल प्रश्न रहा है। १९४८ में सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता पर सयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन की बैठक जनेवा में हुई तथा इमने अनेक प्रालिखित सिफारिशों को सूत्रित किया। १९६६, १९४९ को महासभा ने समाचार प्रेषण तथा सशोधन के अधिकार पर प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अंगीकार किया। यह कन्वेंशन रूस के विरोध तथा १३ राष्ट्रों के मतदान में लाभ न लेने पर भी अंगीकार कर लिया गया। १९५१ में सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता पर प्रस्तावित कन्वेंशन इकोसॉक (ECOSOC) के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन बड़ी शक्तियों में से अधिकांश ने अभी तक बहुत सारे प्रतिबन्धक सरकारी नियन्त्रणों से चिपके रहने की इच्छा प्रदर्शित की। यहाँ तक कि सयुक्त राज्य अमेरिका भी इसको अंगीकृत करने का विरोधी था।

स्त्रियों की सामाजिक स्थिति

लिंग-भेद के आधार पर भेद-भाव को रोकने की समस्या सयुक्त राष्ट्र की विशेष पूर्व-धारणा बन चुकी है। सयुक्त राष्ट्र संघ अधि-पत्र नर-नारियों के समान अधिकारों में जनता की आस्था की पुन विशेष रूप में पुष्टि करता है। १९४६ में मानव अधिकार-आयोग के अन्तर्गत एक उप-समिति स्त्रियों की सामाजिक स्थिति निर्धारित करने के हेतु स्थापित की गई। उसे यह अधिकार दिया गया कि वह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक तथा शिक्षा क्षेत्रों में नारी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करे। गत दश वर्षों के अपने कार्य-काल में आयोग अत्यधिक सक्रिय रहा है। राजनीतिक अधिकारों के क्षेत्र में आयोग ने एक कन्वेंशन का प्रानेखन किया तथा महासभा ने १९५२ के अपने नातवें अधिवेशन में इसे अंगीकार कर लिया। इसमें बिना किसी भेद-भाव के नारियों को पुरुषों के समान ही निम्नांकित अधिकार देने की व्यवस्था की गयी। ये हैं—(अ) समस्त निर्वाचनों में मतदान का अधिकार; (ब) समस्त लोक निर्वाचित नस्थाओं में पद-ग्रहण करने की योग्यता; (ग)

लोक-पद प्राप्त करने का अधिकार तथा समस्त लोक कार्य करने का अधिकार । यह कन्वेंशन ७ जुलाई, १९५४ को कार्यान्वित किया गया तथा २२ राष्ट्रों ने इस पर स्वीकृति की मोहर लगाई । लेकिन इसके पास नारियों के इन राजनीतिक अधिकारों को उन देशों पर लागू करने का कोई भी साधन नहीं, जो नारी को समान अधिकार देने के अनिच्छुक हैं । आयोग के दूसरे उद्देश्य हैं—अधिकारों के राष्ट्रीय कानूनों तथा विवाहित नारियों की राष्ट्रीयता के अन्तर्गत और अधिक पर्याप्त सुरक्षा, नारियों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार, समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रतिश्रुति (गारंटी) लोक-सेवाओं में नारियों के नौकरी करने के विरुद्ध भेदभाव को हटाना, तथा सयुक्त राष्ट्र सभ के कार्य में स्त्रियों के भाग लेने में वृद्धि । १९५६ में विवाहित नारियों की राष्ट्रीयता पर प्रालिखित कन्वेंशन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन (ILO) में भी समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक पर प्रालिखित कन्वेंशन की सिफारिश की गई है । आयोग का अन्य महत्वपूर्ण कार्य पृथक पृथक देशों में नारियों का क्या स्तर है, तत्सम्बन्धी सूचनाओं के व्यवस्थित सकलन तथा प्रकाशन का है ।

अल्प-संख्यकों की सुरक्षा

अल्प-संख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न सर्वप्रथम तब उठा जब मानव-अधिकारों की सार्वभौम घोषणा तैयार की जा रही थी । सयुक्त राष्ट्र सभ अल्प-संख्यकों की दशा के सम्बन्ध में तटस्थ न रह सका तथा १९४७ में अल्प-संख्यकों की सुरक्षा तथा उनके प्रति भेद-भाव को रोकने के लिये एक उप-आयोग की स्थापना इसलिए की कि राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक तथा भाषायी अल्प-संख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जा सकें । १९५१ में इस आयोग को भंग कर दिया गया, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि जाति-नाश को रोकने के लिए बना कन्वेंशन तथा मानव अधिकार-व्यवस्थान (Covenant) इस समस्या के लिए पर्याप्त तथा सतोपजनक रीति से पूर्ण हैं । वर्षों के गम्भीर अध्ययन के बाद यह इस निर्णय पर पहुँचा कि मूलोत्पत्ति, स्वभाव तथा रचना की दृष्टि से विभिन्न देशों में वैसे अल्प-संख्यकों में बहुत अधिक अन्तर है । अतएव यह सर्वथा असम्भव है कि कोई ऐसी एक ही आम परिभाषा अल्प-संख्यकों के लिए बनाई जा सके, जो सब स्थानों पर लागू हो सके ।

१९५४ में उप-आयोग की पुनर्स्थापना इसलिए हुई कि वह विश्व भर में फैले अल्प-संख्यकों की वर्तमान स्थिति के अध्ययन का कार्य प्रारम्भ करे । १९५५ में हमने अल्प-संख्यकों की विशेष सुरक्षा की इस समस्या के और अध्ययन करने के कार्य को तब तक टालने का निर्णय किया, जब तक कि मानव अधिकार आयोग (Commission on Human Rights) इस विषय पर कोई निश्चित निर्देश न दे दे ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय सयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य न्यायिक अंग है। यह अंग नवीन नहीं है। यह वही पुरानी अन्तर्राष्ट्रीय अदालत है जिसे राष्ट्रसंघ ने १९२१ में हेग में स्थापित किया था। चार्टर (धारा ९२-९६) ने उक्त पुराने न्यायालय में केवल जान डाली है। सयुक्त राष्ट्रसंघ के तमाम सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के आधीन हैं। न्यायिक प्रश्नों पर आधारित सदस्य राज्यों के सभी झगड़ों का निर्णय इस न्यायालय में अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार होता है (धारा ९२-९६)। वह देश भी जो सयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिषद् की सिफारिशों के आधार पर महासभा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान की पार्टी बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत तौर पर अपने मामले न्यायालय के सामने नहीं रखे जा सकते हैं। केवल राज्य न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं।

इस न्यायालय में १५ न्यायाधीश होते और सविधि के अनुसार ये व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र तथा अपने राज्य के कानून के विशेषज्ञ अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय में पारदर्शी होने चाहियें (See Appendix Membership of the Court)। कोई दो न्यायाधीश एक ही राज्य के नहीं होने चाहियें। न्यायाधीशों का साधारण कार्य काल ९ वर्ष है और वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। प्रथम चुनाव में ५ तीन वर्ष के लिये, ५ छ वर्ष के लिये तथा शेष ५ नौ वर्ष के लिये चुने गये थे। न्यायाधीशों की निर्वाचन प्रणाली पैचीदी है। राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ द्वारा चार प्रसिद्ध नियमज्ञों को नामजद किया जाता है परन्तु उसमें दो से अधिक अपने राष्ट्र में सम्बन्धित नहीं होने चाहिये। इस प्रकार नामजद सूची में से न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद् एक-दूसरे से स्वतन्त्र रहकर करती हैं। विधि में कहा गया है कि विश्व की सभी प्रमुख विधियों को न्यायालय में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। जो कानून विशेषज्ञ सुरक्षा परिषद् और महासभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं वे स्वभावतः ही चुन लिये जाते हैं। साधारणतया किसी मामले की सुनवाई १५ न्यायाधीश एकत्रित मिलकर करते हैं किन्तु कम से कम ९ न्यायाधीश उपस्थित रहने से राय दे सकते हैं। न्यायालय के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तीन वर्ष के लिए न्यायालय द्वारा चुने जाते हैं और वे पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। न्यायाधीशों का वार्षिक वेतन २१,००० डालर (लगभग ५२५० पाउंड) होता है किन्तु इसके अतिरिक्त अध्यक्ष को विशेष भत्ता मिलता है। स्मरण रहे कि कोई भी न्यायाधीश कोई राजनैतिक अथवा धासन सम्बन्धी अथवा किसी दूसरे पेशे में योगदान नहीं कर सकता। केवल न्यायालय को ही न्यायाधीशों के वर्खास्त करने का अधिकार है परन्तु इन विषय में अन्य न्यायाधीशों का एकमत होना आवश्यक है। सब न्यायाधीश अपने

अपने कार्यकाल में कूटनीतिज्ञ सुविधाओं के अधिकारी होते हैं। झगडा करने वाले राज्यों के न्यायाधीशों को भी न्यायालय में भाग लेने के लिये आमंत्रित कर सकते हैं, यदि उम राज्य के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश न हों। गैर सदस्य राज्य अपने राज्य के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे सदस्य राज्य के न्यायाधीश को मनोनीत कर सकते हैं यदि उस राज्य के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश न हो।

सदस्य राज्य द्वारा रखे गये प्रत्येक न्यायिक प्रश्न तथा संयुक्त राष्ट्र आदेश पत्र में अनुबधित मामले तथा सभी लागू सधियाँ और रीतियाँ इसके अधिकार क्षेत्र में हैं। न्यायालय के सामने निम्नलिखित मामले पेश किये जाते हैं : (१) एक सदस्य राज्य का अधिकार है कि वह दूसरे किसी राज्य के साथ अपने झगडे को इसके सामने उपस्थित कर सके। (२) अन्तर्राष्ट्रीय सधियों, समझौतों तथा परम्पराओं के सम्बन्ध में यदि कोई वाद विवाद हो तो वह इसके सामने पेश किया जा सकता है। (३) कोई राज्य यदि अल्पकाल अथवा सदा के लिए अपने मामलों का निर्णय इस न्यायालय से कराने का निश्चय करे तो ऐसे राज्यों के मामले स्वभावतः ही इस न्यायालय के विचाराधीन हो जाते हैं। इस प्रकार पुराने न्यायालय की भाँति नये न्यायालय के भी "अनिवार्य" तथा "एच्छक" अधिकार हैं। (४) इसके अतिरिक्त महासभा तथा सुरक्षा परिषद् किसी वैधानिक प्रश्न का न्यायालय से मन्त्रणा पाकर विचार कर सकती है। सुरक्षा परिषद् अथवा राष्ट्रसंघ की विशिष्ट सस्थाओं के कोई भी अंग, जैसे आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, सरक्षक परिषद् आदि, महासभा द्वारा विशेष अधिकार पाकर परामर्श सम्बन्धी विचार विनिमय कर सकते हैं। यह न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा, पुरातन रीति, स्वीकृत विधि, विशिष्ट मामलों के निर्णय आदि सिद्धान्त के आचार पर राय देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य को न्यायालय के निर्णय को, जिस किसी भी मामले से वह सम्बन्धित हो अस्वीकार करना पडता है। यदि कोई पार्टी न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार करती है तो अन्य पार्टी सुरक्षा परिषद् को इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये उपयुक्त निर्देश दे सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की सभी कार्यवाहियाँ जनता के सम्मुख होती हैं और सभी निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमतों से होते हैं। न्यायिक अवकाशों के अतिरिक्त न्यायालय का कार्यक्रम स्थायी रूप से चलता रहता है। वर्तमान में नॉट-लेड (हालेड) के हेग शहर के शान्तिप्रामाद (पीम पैलेम) में स्थित है, किन्तु उमकी बैठक कहीं भी हो सकती है। न्यायालय का उद्घाटन अधिवेशन ३ अप्रैल १९४६ में हुआ। इस समय श्री G H Hackworth (U.S.A.), इसके अध्यक्ष हैं। हमारे विधान निर्माताओं में कानून विशेषज्ञ श्री वी० एन० राव नवम्बर

१९५२ में नौ वर्ष के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गये थे। संक्षेप में न्यायालय की निष्पक्षता सर्वमान्य है।

(क) साधारण-विवाद का निर्णय—न्यायालय के कार्यकलाप की आलोचना करते समय हमें दो प्रकार के मामलों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विभिन्न राज्यों का साधारण न्यायिक झगडा। दूसरा, संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रमुख श्रेणियों में उत्थापित विवाद। न्यायालय पहले में निर्णय देता है और दूसरे में परामर्श देता है।

(१) २१ अक्टूबर १९४६ में ब्रिटेन के चार जहाज अल्बेनिया के तट के किनारे कोफ़् चैनल में सामुद्रिक बम्ब (माइन) के विस्फोट के कारण क्षतिग्रस्त हुए। उसमें २४ ब्रिटिश नाविक मृत्युग्रस्त हुए और अनेक घायल हुए। अल्बेनिया संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। ब्रिटेन ने इस घटना के लिए अल्बेनिया को उत्तरदायी समझा और क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया। सुरक्षा परिषद ने इस जटिल प्रश्न पर अल्पकाल विचार करने के बाद इसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया। अल्बेनिया ने चेको-स्लोवाकिया के न्यायाधीश ईकर को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजा। बहुमत से न्यायालय ने दिसम्बर १९४९ में अल्बेनिया से एक करोड़ बीस लाख रुपया क्षतिपूर्ति लेने का निर्णय दिया। अल्बेनिया ने इस क्षतिपूर्ति को देना स्वीकार किया और समस्या का हल हुआ।

(२) ३ जनवरी १९४९ को एक पिरुवियन राजनैतिक नेता श्री डीला टोरे ने कोलम्बिया के दूतावास में शरण ली और कोलम्बिया के राजदूत ने पिरुवियन सरकार को उक्त शरणार्थी को विदेश जाने की आज्ञा देने के लिए अनुरोध किया। इस पर पिरुवियन सरकार ने टोरे को राजनैतिक शरणार्थी स्वीकार नहीं किया बल्कि उम्र पर फौजदारी का दोषारोपण किया। इस झगडे को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किया गया। इसमें दो जटिल प्रश्न थे—पहला क्या कोलम्बिया की सरकार को अधिकार है कि वह टोरे के राजनीतिक अपराधी होने के विषय में अपना निर्णय दे सके? दूसरा क्या पिरुवियन सरकार अपराधी को विदेश जाने की आज्ञा देने के लिए बाध्य है? अन्तर्राष्ट्रीय न्याय में ऐसा कोई विधान नहीं है जिसके अनुसार इस समस्या का समाधान हो सकता। गम्भीर आलोचना के बाद न्यायालय ने २०, नवम्बर १९५० को निर्णय दिया कि कोलम्बिया को पिरुवियन नेता को अभयदान देने का कोई अधिकार नहीं है।

(३) १९५२ के नवम्बर में तीन वर्ष पुरातन आरल-नार्वेजियन मछली विवाद का निर्णय दिया। नव १९३५ में नार्वे की सरकार ने अपने तट के कुछ भागों में एक विशेष घोषणा द्वारा मछली पकडना निषिद्ध कर दिया था। ब्रिटेन का कहना है कि

इस मामले में विगत महायुद्ध के अन्त तक नावों से कोई समझौता नहीं हुआ था। इसलिए ब्रिटेन के मल्लुप्रो की क्षति हुई। उसकी पूर्ति के लिए नावों पर दावा किया। न्यायालय ने नावों के पक्ष में अपना निर्णय दिया।

(४) मई १९५१ में ब्रिटेन ने आगल ईरानियन तेल विवाद को न्यायालय के मामले उपस्थित किया। ईरान के प्रधान मन्त्री मुसद्दिक ने स्वयं न्यायालय में अपने मामले की वकालत की। उन्होंने आगल-ईरानियन तेल सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया। न्यायालय के ब्रिटिश अध्यक्ष मेकनैयर को इस मामले में अध्यक्षता से वंचित होना पड़ा क्योंकि ब्रिटेन इस मामले में संयुक्त था। इसलिए एल० साल्वाडर के डा० गुरार्स जो कि उप-अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बने। रूसी न्यायाधीश गोर्बुस्की बीमारी के कारण अनुपस्थित थे। डा० मुसद्दिक ने स्पष्ट कहा कि, “आप घमकी से एक छोटे राज्य के अधिकार को (ब्रिटेन जैसे कुटिल राज्य के आर्थिक शोषण नीति से) वंचित नहीं कर सकते।” २२ जुलाई सन् १९५२ को न्यायालय ने इस समस्या को हल करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की क्षतिपूर्ति का दावा अपूर्ण रह गया। न्यायालय ने हाल ही में दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका में दक्षिण-अफ्रीका के अधिकार के मामले में राय दी।

(ख) परामर्श सूचक विचार—नवम्बर १९४७ में महासभा ने न्यायालय से निम्नलिखित दो प्रश्नों पर मशरूआ माँगी —

(१) क्या कोई सदस्य अपने अगीकार मत (वोट) को किसी शर्त पर दे सकता है ?

(२) क्या कोई सदस्य अपने अगीकार मत को प्रवेश प्रार्थियों के विषय में ऐसी शर्त के आधीन कर सकता है जिसका कि चार्टर की धारा ४ में कोई उल्लेख नहीं है ? २८ मई १९४८ में न्यायालय ने दोनों प्रश्नों का उत्तर “ना” दिया। पुन मार्च १९५० में दो और सलाह सुरक्षा परिषद ने न्यायालय से माँगी।

(१) यदि किसी राज्य का प्रतिनिधि, सदस्य अथवा गैर सदस्य, रा० स० के विशेष आयोग के कर्तव्य पालन करते समय क्षतिग्रस्त हो, तो राष्ट्र सघ अपराधी राज्य से पूर्ति का दावा कर सकता है या नहीं ?

(२) इसी प्रकार यदि राष्ट्रमघ की जान या माल की क्षति हो तो रा०स० उन राज्य पर दावा कर सकता है या नहीं ? न्यायालय ने दोनों प्रश्नों का उत्तर रा० स० के पक्ष में दिया।

वर्तमान समय में न्यायालय २५ विभिन्न जटिल विषयों का अध्ययन कर उन पर अन्तर्राष्ट्रीय विधान प्रस्तुत कर रहा है। इनमें मध्यस्थ प्रणाली, राज्य के उत्तर-

दायित्व, शरण देने का अधिकार, सधि का नियम, समुद्र की सीमा आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय न्याय आयोग (१५ सदस्य) अन्तर्राष्ट्रीय-अपराध कानून, जिसमें शान्ति के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध है—तथा राज्य के अधिकार और कर्तव्य सम्बन्धी घोषणा-पत्र तैयार कर रहा है।

१९५६ के अपने प्रथम अधिवेशन में अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने मुख्य सागरो की प्रचलित व्यवस्था पद्धति का चुनाव किया तथा जनेवा में २ मई से ८ जुलाई, १९५५ तक अपने सातवें अधिवेशन में सामयिक आलेखन पूर्ण किया। अब इसे सदस्य-सरकारों को अपनी-अपनी पृथक-पृथक टिप्पणी देने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। क्षेत्रीय-सागर की प्रचलित व्यवस्था-पद्धति का प्रारूप (ड्राफ्ट) भी सरकारों को उनके पर्यवेक्षणों (ऑब्जर्वेशन्स) को जानने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ-ही-साथ, अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (ILC) अपने स्थान का न्यूयार्क से जनेवा के लिए स्थानान्तरण कराने को कह रहा है। इसकी माँग यह भी है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों के स्थान पर पाँच वर्षों रहे तथा विधिज्ञा की अन्त-अमेरिकी परिपद की तृतीय बैठक, जो कि १९५६ में मेक्सिको में होनी है, में एक प्रतिनिधि भेजने का इसे अधिकार दिया जाय। यह महासभा से यह भी माँग कर रहा है कि वह इसके कागजातों की प्रकाशन-सह्या में वृद्धि की सभावना पर विचार करे, जिसे वे शिक्षा सस्थाओं तथा आम जनता को शीघ्र मुलभ हो सके। चार वर्षों से मध्यस्थता की प्रक्रिया के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (ILC) विवाद करता रहा है। १९५२ में ३२ अनुच्छेदों के एक प्रालिखित कन्वेंशन को ग्रहण किया गया जो सदस्य देशों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया। केवल ११ सरकारों ने प्रत्युत्तर दिया तथा इनमें से कुछ ने प्रालेख पर गम्भीर अपवाद (रिजर्वेशन्स) व्यक्त किए। महासभा की छठी समिति ने प्रालेख पर दो वर्षों तक विवाद किया। १९५६ में महासभा को अन्तिम निर्णय पर पहुँचना ही होगा। प्रालेखन का जो रूप अब है, उसमें यह उल्लिखित है कि एक बार जब विरोधी पक्ष पक्ष निर्णय के लिए तैयार हो गए हों, तो उसके बाद उनके बीच कोई मतभेद उठ खड़ा हो, ऐसी स्थिति में उन पक्षों में से कोई एक पक्ष विवाद को एक-पक्षीय रूप में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को भेज सकता है। तब जो राष्ट्र जिद्द पर अड़ा है, उस पर न्यायालय के निर्णय का बन्धन लागू हो जाता है। कई सरकारों ने इसका विरोध इसलिए किया कि प्रालेख में पञ्च न्यायाधिकरण ने 'राष्ट्रोपरि' (Supra-National) सस्था का रूप धारण कर लिया है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय के कानूनी विभाग, महासभा की छठी समिति, अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (ILC) ने इस दिशा में गत दस वर्षों में उत्साहपूर्ण प्रयत्न किए। इन प्रयत्नों में अन्य तदर्थ समितियाँ भी सम्मिलित थीं, जिनकी स्थापना इसलिए हुई थी कि वह शांति तथा सुरक्षा के

प्रश्नों के समाधान के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रचलित पद्धति को स्थापित करने के लिए विशिष्ट कानूनी समस्याओं का अध्ययन करें। महामन्त्री ने अपने हाल ही के प्रतिवेदन में घोषणा की है कि राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में 'विधि-नियम' (Rule of Law) के स्थापना के कार्य की गति निराशाजनक रूप से मध्यम है। पर साथ ही उन्होंने कहा, "लेकिन मुझे आशा है कि अब हम समय के ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विधि के प्रभाव को सतुष्ट करने के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण होगा।" महामन्त्री ने विश्वास प्रकट किया कि न्याय व्यवस्था के अपने विरोधी तर्कों को प्रस्तुत करने में जो सरकारें हिचकती हैं तथा राजनीति व्यवस्था को अधिमान (प्रिफेस) देती हैं, इसका कारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अनिश्चित तथा बिखरा हुआ होना है, जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। तो भी यदि दूरदृष्टि से स्थिति का अवलोकन किया जाय तो समस्त सदस्य राष्ट्रों के यह हित में ही होगा कि जहाँ तक सम्भव हो ऐसे क्षेत्र के विस्तार को रोका जाय जहाँ शक्ति ही तर्क है तथा ऐसे क्षेत्र को जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक विस्तृत किया जाय, जहाँ विधि तथा न्याय के विचार प्रभावशाली हों। अधि-पत्र पर आधारित आम-विधि का प्रारम्भ तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी मन्त्रणा के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति को संयुक्त राष्ट्र सभ ने जो बढ़ावा दिया, ये दोनों परिवर्तन प्रगतिशील ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय विधि को प्रणाली में जो अपूर्णताएँ हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। पंच-प्रक्रियाएँ जब उचित विवादों में प्रयुक्त की जाती हैं, तब कानून की शक्ति को सम्पुष्ट करने को भी बढ़ावा मिलता है। महामन्त्री ने यह भी इंगित किया कि राष्ट्रों में प्रचलित परम्पराओं के समझौते और विरोध की सीमाओं को प्रकाश में लाने के लिए जिन व्यवस्थित जाँच के साधनों की आवश्यकता है, उनसे कहीं अधिक साधन संयुक्त राष्ट्र सभ के पास हैं। उन्होंने मन्त्रणा दी है कि राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट समूहों का निर्माण किया जाय, जिसमें उच्च योग्यता प्राप्त विधिज्ञ हों, जिनका कार्य उत्तरदायी सरकार के अधिकारियों द्वारा सुविचारित तथा सुविज्ञ निर्णयों को सरल बना देगा।

सचिवालय

इसमें सुरक्षा परिपद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त महामन्त्री तथा वे कर्मचारी वृन्द, जिनकी आवश्यकता होती है, होते हैं। महामन्त्री के कार्य निम्न होते हैं (धारा ६८, ६९) — (१) संयुक्तराष्ट्र का मुख्य प्रशासक होना, (२) आंतरिक शान्ति तथा सुरक्षा के लिए खतरनाक मामलों को सुरक्षा परिपद को सौंपना; (३) संयुक्तराष्ट्र के कार्य की वार्षिक तथा आवश्यक पूरक रिपोर्टें बना कर महासभा को देना, (४) संयुक्त राष्ट्र के किमी सदस्य की किसी भी शक्ति को रजिस्टर करना तथा प्रकाशित करना। सचिवालय के सदस्यों के चुनाव तथा सेवा की शर्तें नियुक्त

करते समय कार्यक्षमता, योग्यता तथा सत्यता का ध्यान रखना किन्तु आदेशपत्र (Charter) में यह नियम है कि स्टाफ (कर्मचारी वृन्द) का चुनाव जहाँ तक हो सके विस्तृत भौगोलिक आधार पर होना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया है कि महामन्त्री तथा उसके कर्मचारी वृन्द को 'किसी सरकार तथा संस्था से बाहर की किसी शक्ति से कोई आदेश या परामर्श नहीं लेना चाहिये' और उन्हें किसी भी ऐसे कार्य से बचना चाहिए जो उनके संस्था के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को प्रभावित करे। प्रत्येक सदस्य राज्य, महामन्त्री तथा उसके कर्मचारीवृन्द का आदर अन्तर्राष्ट्रीय अन्वय पर करता है और उनको प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिये। सचिवालय में ८ विभाग होते हैं—(१) सुरक्षा परिषद के मामलों का, (२) आर्थिक मामलों का, (३) सामाजिक मामलों का, (४) ट्रस्टीशिप का, (५) जन सूचना का, (६) सम्मेलन तथा साधारण सेवाओं का, (७) प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवाओं का, तथा (८) वैधानिक विभाग। इस समय ४१०० कर्मचारी स्टाफ में हैं जिनमें से ३२२५ सयुक्त राष्ट्र के नये प्रमुख शिबिर न्यूयार्क में हैं तथा अन्य ८७५ अन्य कार्यालयों में। हाल ही में सयुक्त राष्ट्रीय महासभा का स्थायी सभा भवन न्यूयार्क के ईस्ट रिवर नदी के किनारे पर, १८ एकड़ भूमि में १,२२,५०,००० डालर की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस ३६ मजिल वाले सभा भवन में ८०० दर्शक और ७२ प्रतिनिधि-मंडल अच्छी तरह बैठ सकते हैं।

महामन्त्री की नियुक्ति ५ वर्षों के लिये होती है और उसे २०,००० डालर (लगभग ५ हजार पाँड) जिस पर कर नहीं होता, वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधित्व वेतन २०,००० डालर मिलता है। सयुक्त राष्ट्र उसके सरकारी निवास-स्थान का भी व्यय उठाता है। पाँच वर्षों की कालावधि के पश्चात् उसकी नियुक्ति पुनः की जा सकती है। १ फरवरी १९४६ को नार्वे के विदेश मन्त्री श्री त्रिग्वेली सयुक्त राष्ट्र के प्रथम महामन्त्री नियुक्त हुए थे। नवम्बर १९५० में उनकी कार्यवधि ३ वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी। १० नवम्बर १९५२ को उन्होंने साम्यवादी गुट द्वारा घाति निर्माता अस्वीकार किये जाने, सयुक्त राष्ट्रीय वजट में सलग्न कठिनाइयों तथा सयुक्त राष्ट्र सीनेट द्वारा नियुक्त मेकरेन अतिरिक्त सुरक्षा समिति द्वारा सयुक्त राष्ट्र में नौकर २० अमरीकी साम्यवादियों की जाँच के कारण अपना त्यागपत्र दे दिया। १० अप्रैल १९५३ में स्वीडन के प्रजाजन्त श्री डाग हैमर सोल्ड को महामन्त्री नियुक्त किया गया।

१९५३ में सयुक्त राष्ट्रसंघ प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सचिवालय में कार्य करने वाले ११ अमेरिकी नागरिकों को १७९,४२० डालर की रकम की क्षति-पूर्ति देने का निर्णय किया। इनको महासचिव ने नौकरी से इसलिये अलग कर दिया था

कि इन पर सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति निष्ठा-भंग का आरोप था। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस पर विरोध प्रकट किया तथा माँग की कि महासभा अदायगी से इन्कार कर दे। परन्तु यह विरोध असफल रहा। लेकिन एक समझौता-प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह देने की माँग की गयी। १३ जुलाई, १९५४ को न्यायालय ने यह निर्णय किया कि महासभा के पास किसी प्रकार का कोई भी आधार नहीं है, जिस पर वह क्षति-पूर्ति (मुआवजा) देने के कार्य को कार्यान्वित करने से इन्कार कर दे। १९५५ में एक १८ सदस्यों वाली विशिष्ट समिति प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों का निरूपण करने के लिए स्थापित की गयी। इसने न्यायाधिकरण के निर्णयों के निरूपण के लिए क्रिया-विधि की सिफारिश की (अ) अपने अधिकार-क्षेत्र तथा सामर्थ्य का अतिक्रमण किया है, (ब) इसने क्रिया-विधि में मूलभूत भूल की है, (स) अथवा इसने अधिपत्र से सम्बन्धित विधि के प्रश्न पर कोई भूल की हो, तथा यदि निरूपण के लिए ३० दिन के अन्दर-अन्दर लिखित प्रार्थना स्कीनिंग-समिति (त्रांता-समिति) को भेज दी गयी हो। यदि समिति इस निर्णय पर पहुँचती है कि निरूपण के लिए कोई भी आधार नहीं है, तो न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम हो जायगा। यदि कमेटी इस निर्णय पर पहुँचती है कि निरूपण के लिए आधार है, तो वह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह-सम्मति देने की प्रार्थना करेगी। इस प्रकार सयुक्त राष्ट्रसंघ प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकारों तथा इसका महासभा से क्या सम्बन्ध हो इस पर अभी तक विवाद चल रहा है।

अपने न्यूयार्क के मुख्यालय तथा जनेवा कार्यालय के साथ-ही-साथ सचिवालय ने प्रादेशिक आयोगों तथा सूचना केन्द्रों के लिए अल्प क्षेत्रीय सेवाओं के लिए कर्म-चारी मडलों की व्यवस्था की है। ये प्रादेशिक आयोग तथा सूचना केन्द्र वकाक, वेलग्रेड, व्यूनस एअरिस, काहिरा, कापनहेगन, जकार्ता, जनेवा, कराची, लदन, मेक्सिको नगर, मान्रोविया, मास्को, नयी दिल्ली, पेरिस, प्रेग, रिओ-डी-जैनीरो, शघाई, सिडनी, तेहरान, वासा तथा वाशिंगटन में हैं। सचिवालय अनेक अप्रत्यक्ष, परन्तु आवश्यक तथा योग्य कार्य करता है। यह सयुक्त राष्ट्रसंघ की विभिन्न मस्याओं तथा उमके लिए बनी विशिष्ट एजेंसियों (अभिकरणों) की बैठकों की व्यवस्था करता है, जो अपने आप में ही वृहद् कार्य है। इन बैठकों के लिए आवश्यक मामलों तथा अध्ययनों को तैयार करता है। यह कार्यकारी अभिकर्ता के नाते कार्य करता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायानय के अतिरिक्त और सब प्रमुख मस्याओं के लिए सचिवालय-मन्वन्धी सेवाएँ मुलभ करता है। यह समस्त प्राप्त साधनों द्वारा तथा

जितने देशों में सम्भव हो उनमें, सयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य तथा क्रिया-कलापों की सूचना पहुँचाने की व्यवस्था करता है।

अधिपत्र में सशोधन —अधिपत्र के पुनरावलोकन तथा सशोधन के लिए आवश्यक निर्देशों का समावेश इसकी धारा १०८-१०९ में है। ये निर्देश वस्तुतः अपरिवर्तनशील हैं, यद्यपि सीमित विश्व-सरकार की दिशा में मूलभूत वास्तविक परिवर्तनों के अभिभाषक (पक्ष-पाती, हामी) बार-बार उनमें परिवर्तन करने की मांग करते हैं। महासभा के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से ही अधिपत्र में सशोधन हो सकता है, जिस पर सयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की स्वीकृति की मोहर लगनी चाहिए। सयुक्त राष्ट्रसंघ के इन सदस्यों में सुरक्षा परिषद के सदस्य भी शामिल हैं। अधिपत्र के पुनर्निरीक्षण के लिए जनरल कान्फ्रेंस किसी समय भी महासभा के सदस्यों के दो-तिहाई मतों तथा सुरक्षा परिषद् के किन्हीं सात सदस्यों के एकमत द्वारा आयोजित की जा सकती है। अगर ऐसा निश्चित हो जाय तो उसी क्रिया-विधि के अनुसार दस वर्षों के अन्त में ऐसा सम्मेलन अवश्य बुलाया जाना चाहिए। इसके लिए एक अपवाद है और वह यह कि महासभा में साधारण बहुमत ही पर्याप्त होगा।

सयुक्त राष्ट्रसंघ तथा राष्ट्रसंघ की तुलना

अगर हमें सयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्य का विधिवत ज्ञान प्राप्त करना है, तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम यह जानें कि यह क्या है और क्या नहीं? सर्व प्रथम तो यह समझ लेना चाहिए कि यह न तो 'राष्ट्रोंपरि राज्य है' और न ही वास्तविक अर्थ में विश्व-सरकार का एक रूप है। वस्तुतः यह प्रभु-सत्ता-सम्पन्न राष्ट्रों का एक संघ है, और इस प्रकार यह 'राष्ट्र-राज' ('एक राष्ट्र एक राज' के सिद्धान्त पर आधारित राज—Nation State System) के रूढ़ ढाँचे से अलग हटकर किसी भी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यद्यपि यह विश्व इतिहास में सर्वाधिक विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, तथापि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के साधारण साधनों का स्थान लेने को प्रयत्नशील नहीं है अथवा स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रकार की बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं करता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि सयुक्त राष्ट्रसंघ का सकल्प शांति स्थापित करने की अपेक्षा शांति को स्थिर रखना है, इसलिए शक्ति प्रयोग के स्थान पर इसका जोर समझौते तथा सुलह पर रहता है। और भी, यह राष्ट्रोंपरि विधायिका सभा नहीं है। प्रो० क्लाइड ईगल्टन के कथनानुसार, "संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी भी अंग के पास कानून-निर्माण का अधिकार नहीं है तथा कोई भी ऐसा विधि नियम नहीं निकाला जा सकता, जो सदस्य

✓ राष्ट्र पर बिना उसकी सहमति के बधन-रूप हो।" परन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि महासभा के प्रस्तावों का गंभीर नैतिक प्रभाव तथा दबाव पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति प्रयोग के अधिकार पर कुछ परि-सीमाओं को छोड़ कर सब राष्ट्र अपनी इच्छानुसार कुछ भी कार्य करने को कानूनी दृष्टि से स्वतन्त्र हैं। उस प्रकार, जहाँ तक आधारभूत विशेषता का सम्बन्ध है सयुक्त राष्ट्रसंघ तथा राष्ट्रमंघ (लीग ऑफ नेशन्स) में अत्यधिक साम्यता है। इन दोनों ही की स्थापना प्रभु-मत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के केवल सीमित अधिकार सम्पन्न सगठनों के रूप में हुई थी। इन दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय मस्याओं के प्रणेता अमेरिकी राष्ट्रपति ही थे। प्रेसिडेंट विल्सन ने १९१९ में लीग ऑफ नेशन्स की तथा १९४५ में प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने सयुक्त राष्ट्रमंघ की स्थापना की प्रेरणा दी। दोनों का ही जन्म अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अघड तथा दबाव के मध्य हुआ तथा दोनों को उत्तराधिकार में युद्ध-व्वस्त विश्व की जटिल राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएँ प्राप्त हुईं। दोनों ही स्थितियों में विश्व की बड़ी शक्तियों ने अपने आपको युद्ध रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के कार्य में तब मलग्न कर दिया, जब उन्होंने यह प्रतीत कर लिया कि युद्ध का मूल्य उसमें प्राप्त परिणामों की अपेक्षा अधिक चुकाना पड़ता है। मूलरूप में दोनों ही मस्याओं की स्थापना के समय विजेता राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों को छोड़ दिया तथा जब राष्ट्रमंघ (लीग ऑफ नेशन्स) की स्थापना हुई तो इसकी सदस्य मस्या इन राष्ट्रों तक ही सीमित रही तथा सयुक्त राष्ट्रमंघ की स्थापना के समय ५० राष्ट्रों तक। जहाँ तक दोनों सगठनों के ढाँचों का संबंध है दोनों के परिपत्रों तथा अधिपत्रों में आदरचर्यजनक साम्यता है। दोनों में ही एक महासभा की व्यवस्था की गयी, जिसके सभी राष्ट्र सदस्य हों, एक परिषद् की व्यवस्था की गयी, जिसके ११ सदस्य हों। इन ग्यारह सदस्यों में से ५ स्थायी सदस्य हों। इसके अलावा दोनों ही सगठनों में एक सचिवालय तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय और छ स्यायी समितियों की व्यवस्था की गई। दोनों ही सगठनों में परिषद् के अध्यक्ष-पद को क्रमानुसार रखने की व्यवस्था की गयी। दोनों में ही व्यवहार तथा तत्व, निर्णयों तथा सिफारिशों में अंतर रखा गया।

✓ प्रो० ईंगलटन का कथन है, "यद्यपि दोनों सगठनों के ढाँचों तथा बाह्य रूपों में साम्यता है, तथापि मूलभूत भेद यह प्रदर्शित करते हैं कि सयुक्त राष्ट्रमंघ धारणा तथा गुण-विशेषता की दृष्टि में राष्ट्रमंघ से मबथा भिन्न है।" राष्ट्रमंघ की तुलना में सयुक्त राष्ट्रमंघ के बड़ी मन्वा में आम लाभ हैं। यह अधिक लचीला सगठन है तथा विन्मार्ग की दृष्टि में अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है। (१) सयुक्त राष्ट्रमंघ का अधिपत्र एक पृथक पुरजा है, जबकि राष्ट्रमंघ के अधिपत्र का समावेश १९१९ की

वसिय की सधि मे ही सम्मिलित था। (२) संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्य-संख्या राष्ट्र-संघ की सदस्य-संख्या से अधिक है क्योंकि ७६ सदस्य-राष्ट्र इस संगठन के भागीदार हैं। राष्ट्रसंघ में तत्कालीन ५ बड़ी शक्तियों में से दो ही स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित रहती थी, जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ में द्वितीय महायुद्धोत्तर तीनों बड़ी शक्तियाँ शामिल हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका कभी भी राष्ट्रसंघ में सम्मिलित नहीं हुआ तथा रूस के इसमें प्रवेश करते ही जापान तथा जर्मनी इसमें से निकल गए। अतः विश्व के महान शक्तिशाली राष्ट्रों का जैसा जमाव संयुक्तराष्ट्र संघ में है वह राष्ट्रसंघ में कभी भी नहीं रहा। (३) दोनों में भिन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु है बड़ी शक्तियों की स्थिति की भिन्नता। राष्ट्रसंघ द्वारा अनुज्ञप्तियों (Sanctions) के प्रयोगार्थ विवाद से सम्बन्धित पक्ष या पक्षों को छोड़ कर परिषद के सदस्यों की सर्व-सम्मत सहमति की आवश्यकता होती थी। इस व्यवस्था में छोटी शक्तियों के भी मत शामिल हो जाते थे, जिन्हें इसमें अस्थायी स्थान प्राप्त हुए थे। इस प्रकार छोटे तथा बड़े सभी राष्ट्रों को जो परिषद के सदस्य थे और विवाद से सम्बन्धित नहीं थे, निषेधाधिकार प्राप्त था। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रसंघ की महा-सभा अनुज्ञप्तियाँ लगा सकती थी। ऐसा पग उठाने के लिए परिषद में सदस्यता-प्राप्त समस्त राष्ट्रों की स्वीकृति तथा अन्य दूसरे राष्ट्रों के बहुमत की स्वीकृति अनिवार्य थी। इसमें भी विवाद से सम्बन्धित पक्ष शामिल नहीं थे। हमारी ओर सैद्धान्तिक मामलों में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद का वही निर्णय होगा, जिसके पक्ष में सात सदस्यों ने वोट दिया हो और सभी स्थायी सदस्यों का एकमत हो [अनुच्छेद २७ (३)] क्योंकि सुरक्षा परिषद में पाँच स्थायी सदस्य हैं—अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, राष्ट्रवादी चीन तथा रूस तथा छ अस्थायी सदस्य हैं, अतएव परिषद में कोई भी छोटा राष्ट्र अथवा ऐसे ही चार राष्ट्र मिलकर भी संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा लगाई गई अभि-ज्ञप्तियों के विनियोग को निषेधाधिकार द्वारा ठुकरा नहीं सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि 'पाँच बड़ों' में से कोई भी सुरक्षा परिषद में अपने प्रभाव का उपयोग कर इतनी बाधा उत्पन्न कर सकता है जितनी कि चार छोटे राष्ट्र मिलकर भी नहीं कर सकते। निषेधाधिकार के इस फार्मूले के पीछे यह मान्यता थी कि कुछ बड़ी शक्तियों को ऐसी स्थिति में रख देना एक भूल होगी, जिस स्थिति में वे एक बड़ी शक्ति तथा छः छोटी शक्तियों के निर्देश पर किसी दूसरी बड़ी शक्ति को दण्ड दे सके, जबकि वे शक्तियाँ दण्ड देने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसके पर्याप्त भार को वहन करने में समर्थ न हो सकें। इस व्यवस्था की खुलकर आलोचना हुई है, परन्तु फिर भी यह व्यवस्था इसके परिणामों को भली प्रकार समझकर ही की गयी थी। संयुक्त राष्ट्रसंघ अधिपत्र इस दृष्टि से पर्याप्त वास्तविक संगठन था कि वह किसी बड़ी शक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध में प्रवृत्त करने की अपनी इच्छा का दृढतापूर्वक

प्रकटीकरण कर सके। अतः सयुक्त राष्ट्रसंघ को 'बड़ी शक्ति के सर्व-सम्मत के सिद्धान्त' पर आधारित कहा जा सकता है। (४) वास्तविक आक्रमण को रोकने के लिए सयुक्त राष्ट्रसंघ अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली तथा निर्णयात्मक पग उठाने में समर्थ है। उदाहरणार्थ, इटली ने जब इथियोपिया पर आक्रमण किया उस समय के राष्ट्रसंघ द्वारा इटली के विरुद्ध उठाये गये पग की हम उस पग से तुलना करें जो सयुक्त राष्ट्रसंघ ने १९५०-५१ में उत्तर कोरिया के विरुद्ध उठाया था, जब इसने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया था। (५) राष्ट्रसंघ की अपेक्षा सयुक्त राष्ट्रसंघ की आर्थिक, सामाजिक, तथा मानवीय समोन्नति के लिए निर्मित सस्थाएँ अधिक विस्तृत तथा निश्चित हैं। मानव-अधिकारों की सार्वभौम घोषणा मानव के आधारभूत अधिकारों की प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति है, जो समस्त विधि का स्रोत है। (६) प्रादेशिक सगठनों तथा अन्य मस्थाओं और समझौतों के कार्य को जो विस्तार सयुक्त राष्ट्रसंघ देता है, वह भी अपेक्षाकृत बड़ा है। (७) सयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद और महासभा के कार्यों का विभाजन राष्ट्रसंघ की महासभा तथा परिषद के कार्यों के विभाजन के मुकाबले अधिक निश्चित है। अविषय के अन्तर्गत सयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा, प्रतिश्रव (Covenant) के अन्तर्गत राष्ट्रसंघ की महासभा की अपेक्षा अधिक आम निर्देशनकारी सस्था है। सयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद पर राष्ट्रसंघ की परिषद की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को स्थायी रखने का अधिक उत्तरदायित्व है। (८) राष्ट्रसंघ प्रतिश्रव (Covenant) के विपरीत सयुक्त राष्ट्रसंघ-अविषय स्थानीय समस्याओं के हल के लिए प्रादेशिक सुरक्षा प्रवन्ध पर अधिक जोर देता है। अनुच्छेद ५२ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा-सम्बन्धी मामलों को तय करने वाली प्रादेशिक कार्यवाही के लिए जितने भी उपयुक्त प्रवन्ध और नाघन इस समय हैं, उनके बने रहने में वर्तमान अविषय के अनुसार कोई बाधा नहीं पड़ेगी, शर्त यह है कि वे प्रवन्ध या सथाएँ और उनके काम सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयोजनों और सिद्धान्तों में मेल खाते हों। अगर सयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य ऐसी सथाओं के सदस्य हों या उन्होंने ऐसे प्रवन्ध किये हों तो वे स्थानीय झगड़ों को सुरक्षा परिषद के मामले आने से पहले इन्हीं प्रादेशिक सथाओं या प्रवन्धों के द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग में सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर राष्ट्र अपनी इच्छा प्रकट करे या सुरक्षा परिषद की ओर से कोई संकेत मिले तो स्थानीय झगड़े इन्हीं प्रादेशिक सथाओं या प्रवन्धों के द्वारा सुलझाए जायेंगे। सुरक्षा परिषद इस प्रकार के सम्मान को बढ़ाना देगी। (९) अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यान-प्रणाली, जिसमें मौखी याचना करने की प्रणाली, नमय नमय पर दौरा करने वाले शिष्ट-मंडल, तथा मौखिक मुनवाई आदि की व्यवस्था है, प्रत्यान-क्षेत्रों की जनता की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तथा सांस्कृतिक प्राप्ति को राष्ट्रसंघ की शान्तिविरुद्ध प्रणाली की अपेक्षा अधिक मुनि-

शिवत करती है। राष्ट्रसंघ की इस शासनादिष्ट प्रणाली का तीन श्रेणियों 'अ', 'ब', 'स',—में वर्गीकरण किया गया था जो कि शासनादिष्ट क्षेत्रों के राजनीतिक विकास के माप दण्ड के अनुसार था। प्रन्यास तथा गैर स्वशासन-प्राप्त क्षेत्रों को स्वतन्त्रता प्रदान करने की निर्दिष्ट तिथियाँ रख दी गयीं—उदाहरण स्वरूप लिविया के मामले में १९५२ तथा इटली-सोमालीलैंड के मामले में १९६०। राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत ऐसा करना अकल्पनीय था। (१०) संयुक्त राष्ट्रसंघ ने प्राविधिक सहायता द्वारा विश्व के अल्प-विकसित प्रदेशों तथा देशों के आर्थिक विकास पर जोर दिया है, जिसकी राष्ट्रसंघ ने उपेक्षा कर दी थी। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ पारस्परिक समझ तथा प्रभावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा मानव-सम्बन्धों को सुदृढ करने की दिशा में प्रयत्नशील है, जिसके विषय में राष्ट्रसंघ में केवल चर्चा होकर ही रह जाती थी। इस प्रकार, संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विचारों का आदान-प्रदान जिस हद तक उपलब्ध कर लिया है वह राष्ट्रसंघ के मुकाबले कहीं अधिक है।

इन सब भिन्नताओं के होने पर भी मूलरूप से दोनों सगठनों को एक-सा समझना शायद उचित ही है। तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि नवीन नाम से इस नवीन सगठन को स्थापित करना क्यों अनिवार्य हुआ? क्या पुराने सगठन में ही नव-जागरण तथा नव-जीवन का संचार नहीं किया जा सकता था? अगर यह संभव हो सकता, तो निःसंदेह एक बड़े श्रम की वचत हो जाती तथा उत्तराधिकार से सम्बन्धित अनेक कानूनी प्रश्नों से आसानी से बचा जा सकता था। इस प्रश्न का एक उत्तर है कि राष्ट्रसंघ पर असफलता का कलक लग गया था, इसके साथ रूस के लिये इसकी कटु स्मृतियाँ थी क्योंकि इसे इसमें से निकाल फेंका गया था। इसके अतिरिक्त यह अमेरिका की आशिक समस्या में शामिल हो गया, जिसने इसे इसकी अस्वीकृति अथवा समाप्ति की स्थिति में पहुँचा दिया। यह आशा की गयी कि संयुक्त राष्ट्रसंघ, जिसका नाम सर्वप्रथम प्रेसिडेन्ट फ्रेकलिन रूजवेल्ट को सूझा था, स्वच्छ वातावरण में नवीन योजनानुसार प्रारम्भ हो सकेगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, सहयोग तथा समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे कि बड़े-छोटे सभी राष्ट्रों को मिलाकर मानवता की उन्नति सुनिश्चित हो सके

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अपूर्णताएँ

संयुक्त राष्ट्रसंघ एक पूर्ण सगठन नहीं है। इसमें अनेक अपूर्णताएँ हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है : (१) इसकी सदस्यता में सार्वदेशिकता का अभाव है : अभी तक विश्व के समस्त राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं। इसके जन्म के ग्यारह वर्ष के पश्चात् भी ६० करोड़ की जनसंख्या वाले जनवादी चीन को, जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है और जिसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या

की एक-चीयाई है, इस सगठन में अभी तक स्थान नहीं दिया गया। इसके साथ-साथ ही गत महायुद्ध में पराजित राष्ट्र जैसे जर्मनी (पश्चिमी जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी) तथा जापान भी इसके सदस्य नहीं हैं। मंगोलिया, वीतनाम, वीतमिन्ह, उत्तर तथा दक्षिण कोरिया जैसे छोटे-छोटे राष्ट्र भी संयुक्त राष्ट्रसंघ से बाहर हैं। इस प्रकार इसकी अधिकार-सीमा सीमित है तथा यह समस्त विश्व की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। (२) राष्ट्रसंघ की श्रुतियों में से एक श्रुति की इस सगठन में भी पुनरावृत्ति की गई है। यह सगठन इस सिद्धान्त पर आधारित है कि क्षेत्रफल अथवा सीमा तथा जनसंख्या की भिन्नता होते हुए भी सब सदस्य राष्ट्र समान हैं। वैधानिक समानता की इस मान्यता के कारण मताधिकार की दृष्टि से बड़े राष्ट्र भी छोटे राष्ट्रों के सम-कक्ष आ गये हैं। इस प्रकार ३६ करोड़ की विशाल जन-संख्या वाले देश भारत को भी वही अधिकार प्राप्त है, जो १६ लाख की जनसंख्या वाले एल-साल्वाडोर तथा ११ लाख की जनसंख्या वाले लेबनान को है। (३) संयुक्त राष्ट्रसंघ का हर सदस्य-राष्ट्र पूर्ण प्रभु-सत्ता-सम्पन्न है। इस प्रकार यह अन्तर्राष्ट्रीय सगठन राष्ट्रोंपरि सगठन नहीं है और न ही यह एक विश्व-मण्ड है। यह तो केवल अर्चा, वाद-विवाद तथा विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थल मात्र है। इसके पास अपनी स्वयं की शक्ति नहीं, सिवाय उन अधिकारों के जो सदस्य-राष्ट्र उसे स्वेच्छया प्रदान करते हैं। विभिन्न देशों के 'घरेलू मामलों' में इसका कोई अधिकार नहीं है, जिसकी विस्तृत परिभाषा घोषणापत्र में नहीं दी गयी है। इसका परिणाम यहाँ तक हुआ है कि औपनिवेशिक प्रश्न अथवा गैर-स्वशासन प्राप्त क्षेत्रों को आत्म-निर्णय का अधिकार देने के प्रश्न पर भी औपनिवेशिक शक्तियों ने इनको अपने घरेलू अधिकार-सीमा के अन्तर्गत मानकर विचार किया है। (४) निषेधाधिकार का दुरुपयोग—सुरक्षा-परिषद् में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रान्स, रूस तथा राष्ट्रवादी चीन को निषेधाधिकार प्राप्त है, जो विश्व में शांति तथा सुरक्षा को स्थिर करने की दिशा में प्रभावकारी पगों में अवरोध उत्पन्न कर देता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रथम महामंत्री (Secretary General) त्रिवेली ने स्वीकार किया है, "निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ अशक्त है, बड़े राष्ट्रों के मघर्ष ने इसे पगु बना दिया है तथा 'शीत-युद्ध' ने इसकी गतिशीलता को और भी ठंडा कर दिया है।" हैराल्ड लस्की ने लिखा है, "अन्त-युद्धीय वर्षों में हमें वस्तुतः ऐसा पाठ मिला है, जिसकी वास्तविकता ने मुँह नहीं मोटा जा सकता और वह पाठ यह है कि एक बार किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्यों ने उन सिद्धान्तों को, जिनके लिए वे प्रतिज्ञा बद्ध हैं, अपने पक्ष के बचाव के लिए तोड़ना मगोड़ना प्रारम्भ कर दिया, तो फिर अन्ततः समस्त संस्था विघटित होनी प्रारम्भ हो जाती है। विघटनना जब होती है तो इकट्ठी हो जाती है।" १९५२

तक रूस ने ५५ वार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में जनता की आस्था को जितना सुरक्षा-परिपद् में निषेधाधिकार के वे-रोक-टोक उपयोग अथवा दुरुपयोग ने कम किया है, उतना और किसी ने नहीं। आलोचकों का यह कथन है कि निषेधाधिकार का अनुभव प्रदर्शित करता है कि आधाररूप से संयुक्तराष्ट्र संघ अपर्याप्त है तथा युद्ध और शांति की समस्याओं को प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं मुलभा सकता। (५) संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णयों का महत्व सिफारिशों में अधिक कुछ नहीं है तथा एक सदस्य-राष्ट्र को यह झूट है कि वह उन्हें स्वीकार करे अथवा ठुकरा दे। इसके पाम कोई भी विवशकारी शक्तियाँ (Coercive Powers) नहीं हैं तथा आक्रांत शक्ति के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा साधनों को काम में लाने के लिए कितनी सैनिक सहायता दी जाय इसकी व्याख्या कही भी नहीं की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा-पत्र में आत्म-सुरक्षा तथा आक्रमण के मध्य भेद का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है। उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण करने के मामले में भी केवल १६ राष्ट्रों ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ को सैनिक सहायता दी। (६) संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख दोष यह है कि विश्व के राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बँट गए हैं तथा अधिकांश समस्याएँ शक्ति राजनीति द्वारा तय होती हैं। रूसी गुट हमेशा आंग्ल-अमेरिकी गुट का तथा आंग्ल-अमेरिकी गुट रूसी गुटका विरोध करते रहते हैं तथा समस्त प्रश्नों का निर्णय इन दोनों गुटों के लाभों अथवा हितों की दृष्टि में रखकर होता है। अतः ऐसे मामलों के जिनमें उनके हित प्रत्यक्षतः सम्मिलित हैं, मुश्किल से ही उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण या निष्पक्ष निर्णय होते हैं। (७) विश्व के परस्पर दो विरोधी गुटों में बँट जाने में छोटी शक्तियों के निर्णय तथा इच्छा का कोई महत्व नहीं रह गया। वे किसी भी शक्ति-गुट के पक्ष में उसके अनुयायी की तरह जाने को विवश हो जाते हैं। इस तरह विवेकपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण वाद-विवाद के स्थान पर तमाम विवादों के निर्णय आमतौर पर छोटे राष्ट्रों के मत प्राप्त कर लेने से होते हैं। अभी हाल ही में एक नवीन गुट एशियायी अफ्रीकी गुट के नाम से अस्तित्व में आया है। यह गुट औपनिवेशिक शासन के अधीन विश्व की परतव जनता की स्वाधीनता का पक्षपाती है। यह जातीय भेदभाव को मिटाने तथा समस्त विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान का समर्थक है। (८) संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमी यह है कि रूस तथा पश्चिमी शक्तियों में ऐसे सैद्धांतिक मतभेद हैं, जिनपर समझौता नहीं हो सकता है। इन मतभेदों को प्रायः 'तानाशाही' तथा 'जनतन्त्र', 'साम्यवाद' तथा 'पूजीवाद', 'समाजवाद' तथा 'स्वतन्त्र व्यवसाय-व्यवस्था' आदि नामों से प्रकट किया जाता है। एक विचारधारा द्वारा दूसरी पर शासन करने और यहाँ तक कि उसे समाप्त करने के प्रयत्नों ने 'शीत-युद्ध' को जन्म दिया, जिससे एक स्थायी शान्ति असम्भव है जो

वस्तुतः अत्यधिक अनिश्चित एव सशययुक्त है। (६) इसका दूसरा दोष यह है कि अस्त्रों के एकत्रीकरण तथा निर्माण को कम करने के मामलों में बड़ी शक्तियों में ईमानदारी का अभाव है। अणुबम तथा उद्‌जन बम सरीखे विध्वंसकारी अस्त्रों के निरंतर परीक्षण ने स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय तनाव तथा सवर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जो छोटी-बड़ी सभी शक्तियों को युद्ध की ज्वाला में भोक सकती है। विवादास्पद मामलों के समाधान में कुछ बड़ी शक्तियों ने तो सयुक्त राष्ट्र सभ का भी अतिक्रमण कर दिया, जैसा कि फ्रांस ने जुलाई १९५४ में हिन्द-चीन युद्ध-विराम-समझौते में किया। (१०) क्रिया-विधि में विलम्ब, निष्फल वाद-विवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेना अथवा शक्ति का अभाव शीघ्र तथा निर्विलंब कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ भी हो, परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि सयुक्त राष्ट्र सभ आज दिन तक विश्व युद्ध रोकने तथा शांति को बनाए रखने में सफल हुआ है।

सयुक्त राष्ट्र सभ को सुदृढ बनाने के प्रस्ताव

सयुक्त राष्ट्र सभ का अब तक का लेखा-जोखा निर्विवाद रूप से निराशा-जनक ही रहा है। एक मुविख्यात आलोचक श्री क्युन्सी राइट का कथन है, “बड़ी शक्तियों के पारस्परिक वैमनस्य, परस्पर शत्रु राष्ट्रों के बीच शांति-स्थापना की असफलता तथा अणुशक्ति-नियन्त्रण पर सुलह समझौता न हो सकने के क्षीणकारी प्रभाव के मुकाबले इसकी सफलता कम ही रही है।” तथापि इस अणु युग में जब महायुद्ध की स्थिति में मानवता की जीवन-रक्षा ही नितात सन्देहास्पद है, सयुक्त राष्ट्र सभ ही मानव-जाति का एकमात्र आशा-दीप है। भूतपूर्व महामन्त्री श्री त्रिग्वेली ने एक बार कहा था, “सयुक्त राष्ट्र सभ एक ऐसी प्रमुख शक्ति बन गया है जिसने उन विवादोत्पादक तनावों तथा प्रयत्नों के विरुद्ध जो विश्व के राष्ट्रों को एक-दूसरे से अलग कर रहे हैं, विश्व को एक मूढ में बाँधा हुआ है।” सयुक्त राष्ट्र सभ को सुदृढ करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव सामने आते हैं, जिनमें ढाँचे में परिवर्तनों से लेकर सुरक्षा परिषद् में मतदान की प्रक्रिया के मुद्दा तक सम्मिलित हैं।

घोषणापत्र पुनरीक्षण — सयुक्त राष्ट्र सभ को सुदृढ बनाने के उपायों में से एक उपाय है कि घोषणापत्र में परिवर्तन व मसौदा किया जाय, जिससे यह और अधिक प्रभावशाली बन सके। १९५५ में ६० प्रतिनिधियों में से ५२ ने घोषणापत्र-पुनरीक्षण में सम्मन्वित चर्चा में भाग लिया। इनमें से २० राष्ट्र घोषणापत्र की एक या दो धाराओं में मसौदा के पक्षधारी थे। घोषणापत्र के मसौदा के लिए निम्नांकित सुझाव थे

१ अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के समस्त प्रश्नों तथा नए नदम्यों के त्याग देने में 'निषेधाधिकार' को हटा दिया जाय।

२. अनुच्छेद २(७) के अन्तर्गत धरेलू अधिकार क्षेत्र के विस्तार की पुनर्व्याख्या की जाय।

३. महासभा के कार्य-क्षेत्र को विस्तृत करके घोषणापत्र को और अधिक परिवर्तनशील तथा जनतात्रिक बनाया जाय।

४. राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य तथा आत्म-निर्णय की समस्याओं पर अधिक जोर दिया जाय, जिससे पराधीन क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्रों के समुदाय में शीघ्र मान लिया जाय। अर्थात् अनुच्छेद १० का स्पष्टीकरण किया जाय।

५. घोषणापत्र का सुस्पष्ट एवं स्पष्टार्थी शब्दों में पुनर्लेखन किया जाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ पर जो दायित्व है उसके मुकाबले उसके अधिकार में जो साधन हैं, इन दोनों में जो विगडा अनुपात है उसे ठीक किया जाय। इसका प्रयोजन यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिशों को सब राष्ट्र स्वीकृत करके तदनुसार आचरण करने लगे।

६. अनुच्छेद ६७ में सुधार किया जाय, जिससे सुरक्षा परिषद् की सिफारिश के बिना महासभा महामन्त्री की नियुक्ति कर सके।

७. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अभिशासन का विस्तार किया जाय।

८. एक ही प्रादेशिक सगठन में आने वाले राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों की स्थिति में क्या क्रिया-विधि अपनाई जाय, इस सम्बन्ध में वने परिच्छेद VIII का स्पष्टीकरण किया जाय। १९५४ से महामन्त्री आठवीं महासभा (१९५३) के प्रस्ताव की पूर्ति हेतु कुछ चीजों को तैयार कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है तथा प्रेषित कर रहा है : ये हैं—(१) सान फ्रांसिस्को सम्मेलन के कागज-पत्रों का एक व्यवस्थित सकलन, (२) सम्मेलन के कागज-पत्रों की पूर्ण विषय-सूचि; (३) संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न अग्रे के कार्यों का कोष उसकी अनुक्रमणिका सहित। दसवीं महासभा (१९५५) के चाइली अध्यक्ष श्री जोसे भाजा के अनुसार प्रस्तावित घोषणापत्र-पुनरीक्षण सम्मेलन १९५७ में होगा, जिसमें घोषणा-पत्र के निर्देशों पर चर्चा होगी। परन्तु कुछ आलोचकों का कथन है कि वास्तव में आवश्यकता घोषणा-पत्र पुनरीक्षण की नहीं, बल्कि लोगों के मस्तिष्कों के पुनरीक्षण की है; कुछ भी हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के तन्त्र तथा प्रक्रिया में पर्याप्त सुधार की गुञ्जाइश है, जिससे इसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

महामन्त्री त्रिग्वेली के सुभाव

१९४८ की महासभा को अपने तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन में संयुक्त राष्ट्र संघ को सुदृढ करने के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सुभाव दिए। सर्वप्रथम "जर्मनी के भविष्य की समस्या के समाधान की अपेक्षा और कुछ भी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव

को बढ़ाने में सहायक नहीं हो सकता।” दूसरे, उन्होंने, “शांति के स्थायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए महासभा तथा सुरक्षा-परिषद् के समस्त अधिकारों के पूरे-पूरे उपयोग” की आवश्यकता पर बल दिया। तीसरे सुरक्षा-परिषद् के उपयोग के लिए सशस्त्र सेना प्रदान करके और इस प्रकार घोषणापत्र के अनुच्छेद ४३ को क्रियान्वित करने के लाभ की ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। चौथे, उन्होंने सुझाव दिया कि सयुक्त राष्ट्रसंघ को कृत्रिम आयुधों तथा प्राणघातक रासायनिक आयुधों के नियन्त्रण से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए। पाँचवें, उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य सयुक्त राष्ट्र संघ के सार्व-देशिक सदस्यता की ओर शीघ्रगामी कदमों को निषेधाधिकार के निरन्तर प्रयोग से नहीं रोकेंगे। अन्त में उन्होंने सयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों पर इस बात के लिए जोर डाला कि महासभा तथा सुरक्षा-परिषद् के निर्णयों को “वे समस्त सम्भव समर्थन तथा बल दे, चाहे वे निर्णय सदस्य राष्ट्रों को सिफारिशों के रूप में ही दिए जाय।”

१९५० में श्री ली ने सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शान्ति-प्राप्ति के लिए ‘बीस वर्षीय कार्यक्रम’ का प्रस्ताव पेश किया, जो निम्नांकित दस-सूत्री-कार्यक्रम को लागू करने पर पूरा हो सकता है —

(१) सुरक्षा-परिषद् की समय-समय पर बैठकों ‘परामर्श’ के लिए हो, जिनमें विश्व की सरकारों के विदेशमन्त्री, प्रधान अथवा दूसरे सदस्य उपस्थित हो। इतमें से अधिकांश कार्यक्रम निजि रूप से होगा। जो समस्या सामने हो, उसके प्रश्नों पर सम-भौते की दिशा में प्रयत्न किए जायें, पारस्परिक मिथ्या धारणाओं को मिटाया जाय, जिनमें कि नये पग उठाने के लिए तैयारी हो सके। इस प्रकार भविष्य में होने वाली बैठकों में निश्चित समझौते पर पहुँचने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्माण की जा सकें। (२) अगु-शक्ति के अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण पर समझौते को प्राप्त करने के नवीन प्रयत्न किए जायें। (३) सब प्रकार के शस्त्रों के नियन्त्रण की दिशा में नया पग उठाया जाय। (४) सुरक्षा-परिषद् के लिए सशस्त्र सेनाओं को मुलभ किया जाय। (५) सयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वदेशिक महायत्ता की ओर शीघ्र उन्नति की जाय। (६) ठोम तथा विस्तृत प्राविधिक सहायता-कार्यक्रम। (७) विशिष्ट संस्थाओं का और अधिक तीव्र प्रयोग। (८) मानव अधिकारों का और अधिक आदर। (९) परतन्त्र राष्ट्रों के लिए ममानता की स्थिति को बढ़ावा। (१०) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उत्तरोत्तर विकास। श्री ली के २५ कार्यक्रम में केवलमात्र नवीन प्रस्ताव प्रथम प्रस्ताव ही है। दूसरे मुद्दे ऐसे हैं, जो वस्तुतः कार्य करने के लिए विद्येय आयोजनों के रूप में नहीं हैं। वे तो ऐसी भावनाओं के स्मरण मात्र हैं, जिनको प्रायः प्रदर्शित किया जाता रहा है।

शांति प्रस्ताव (१९५०) के लिए एकता

जून १९५० में कोरिया-समस्या के परिणामों में से एक परिणाम यह हुआ कि महासभा ने ३ नवम्बर, १९५० को कतिपय 'शांति के लिए एकता' प्रस्ताव को अंगीकार किया। इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य व्यवस्थाएँ ये हैं।

- (क) ऐसी आपात कालीन स्थिति में, जब सुरक्षा परिषद् के लिए कार्य करने की रोक हो, महासभा को यह अधिकार दिया गया कि वह अल्प-कालीन सूचना पर बैठक बुला सके तथा उपयुक्त सामूहिक उपायों की सिफारिश कर सके, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग भी सम्मिलित है।
- (ख) इसने चौदह राष्ट्रों के शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना की, जो विश्व के किसी भी भाग में खतरनाक स्थितियों पर निगाह रखे तथा उसकी रिपोर्ट दे।
- (ग) इसने समस्त सदस्य राष्ट्रों से अपनी सशस्त्र सेना में एक ऐसे तत्व को शामिल करने को कहा, जो सुरक्षा-परिषद् या महासभा के आह्वान पर सयुक्त राष्ट्रसंघ की सेवाओं के लिए सुलभ हो सके।
- (घ) इसने १४ राष्ट्रों की सामूहिक उपाय समिति की स्थापना की, जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को सुदृढ़ एवं स्थायी रखने के इन तथा दूसरे उपायों का अध्ययन करे तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन उपस्थित करे।
- (ङ) इसने समस्त सदस्य राष्ट्रों पर इस बात का जोर दिया कि वे सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति अपनी निष्ठा को नये सिरे से सुधारें, इसके निर्णयों को मान्यता दें तथा मानवीय अधिकारों के तथा आर्थिक स्थायित्व एवं सामाजिक उन्नति की उपलब्धियों के प्रति आदर को आगे बढ़ायें।

लीलेड एम गुडरिच तथा हान्स केल्मेन जैसे कानून विशेषज्ञ तथा आलोचकों ने महासभा की निर्णय-बुद्धि तथा वैधानिकता दोनों के प्रति संदेह प्रकट किया, जो महासभा अपने दो-तिहाई बहुमत से सुरक्षा परिषद् का उल्लंघन करके शक्ति प्रयोग के उपायों की सिफारिश कर देती है, जबकि वह समस्या सुरक्षा परिषद् की विचाराधीन कार्य-सूची में है। रूसी गुट का यह कहना है कि प्रस्ताव का उद्देश्य सुरक्षा-परिषद् को उसके शांति तथा सुरक्षा को स्थिर रखने के मुख्य दायित्व से वंचित करना है, और इस प्रकार इसका प्रभाव घोषणा-पत्र के अनुच्छेद १२, पैरा

परन्तु उनके कार्यान्वित करने के कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं हैं। दूसरे, यह खतरा है कि कही सयुक्त राष्ट्रसंघ के सीमित साधनों के कारण उसकी दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रमों, जैसे अमेरिका चतुर्थ सूत्री तथा सुरक्षा-सहायता-कार्यक्रम, से अमित्रतापूर्ण प्रतिद्वन्द्विता न उत्पन्न हो जाय। तीसरे, ऐसी सम्भावना कठिन ही मालूम पड़ती है कि बड़ी जन-मरुया वाले अल्प-विकसित देशों के मानवीय तथा सामग्री-सम्बन्धी साधनों में कोई ठोस सुधार हो सकेगा, जिसका अवश्यभावी परिणाम यह होगा कि अनेक नयी राजनीतिक समस्याएँ उत्पन्न हो जायेंगी। तो भी, चाहे अत्यन्त धीमी ही क्यों न हो, सराहनीय प्रगति की अवश्य जा रही है तथा निकट भविष्य में हम आशा करते हैं कि सयुक्त राष्ट्रसंघ के तन्त्रावधान में सदस्य-राष्ट्रों के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग से शांति को स्थायी रखा जा सकेगा। सयुक्त राष्ट्रसंघ विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों के प्रवक्ताओं की वक्तृत्वकला एवं विवादों का स्थल बना रहेगा। एक आधुनिक लेखक के कथनानुसार, “मानव जाति का इतिहास परीक्षण तथा भूलों की कहानी है तथा अच्छे उद्देश्यों के लिये अच्छे व्यक्तियों का निरन्तर प्रयास ही इस कहानी का सर्वाधिक उत्साहवर्धक भाग है। यह दृष्टिकोण विपादपूर्ण हो सकता है, पर किसी भी प्रकार नैराश्यपूर्ण नहीं है।”

व्याख्यान ७

क्षेत्रवाद

भूमिका—तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जिन सर्वाधिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनमें से एक प्रवृत्ति है क्षेत्रवाद की ओर निरन्तर बढ़ता हुआ झुकाव । समुक्त राष्ट्रसंघ के अनुच्छेद ५२ के अन्तर्गत इसे विशेष रूप से मान्यता दी गई । क्षेत्रीय सगठन विकास की पूर्ण अवस्था तक पहुँच गया है, जिसने व्यावहारिक दृष्टि से विश्व के सभी भागों को समेट लिया है । यही नयी प्रवृत्ति किसी सीमा तक इस विभाजित विश्व में सुरक्षा के राष्ट्रीय साधनों को परिपूर्ण करने की आवश्यकता का परिणाम है । इस प्रवृत्ति की वृद्धि का कारण अनेक दूसरे दवाव भी हैं, जो वर्तमान युग में विभिन्न राष्ट्रों को एक दूसरे के समीप ले जा रहे हैं । सुविज्ञ अधिकारी व्यक्तियों के अनुसार 'एक राष्ट्र, एक राज्य,' की प्रणाली, जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का प्रभावशाली ढाँचा पिछले ५०० सालों से रही है, एक ऐसी प्रणाली का रूप लेने की दिशा में उत्तरोत्तर विकास कर रही है, जिसमें राष्ट्रों के क्षेत्रीय समूहों का महत्व स्वाधीन प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्र की अपेक्षा अधिक होगा । जैसा कि वाल्टर लिप्पमान का विश्वास है, "यह सम्भव है कि भविष्य में किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सदस्य स्वाधीन राष्ट्र न होकर राष्ट्र के समुदाय होंगे ।" यदि इस व्याख्या को स्वीकार किया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के एक अन्य ही प्रकार के ढाँचे के विकास में वर्तमान प्रवृत्तियाँ तो केवल मात्र एक परिवर्तनशील अवस्था हैं ।

इस अध्याय में हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रवाद के अर्थ, प्रवृत्ति तथा उसका क्या परिणाम होगा इसकी व्याख्या करेंगे । साथ ही, अब जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ कार्य कर रही हैं तथा जिनके बनाने के लिए गम्भीर विचार किये जा रहे हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे । इनमें जो क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ सम्मिलित हैं वे हैं—अमेरिकी राज्यों का सगठन, पश्चिमी संघ के विभिन्न क्षेत्रीय सगठन, उत्तर अटलांटिक संधि सगठन (NATO), अरब संघ, ANZUS, सीडो (दक्षिण पूर्वी एशिया सुरक्षा सगठन) तथा वगदाद-संधि । क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की परिस्तिमाओं तथा सम्भावनाओं का कुछ गुणगुणज्ञान प्राप्त करना ही तो हमें समुक्त राष्ट्रसंघ से तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के दूसरे सदस्यों से इनके सम्बन्ध का, इनके हानि-लाभ के साथ, अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए ।

क्षेत्रवाद की धारणा

‘क्षेत्र’ अथवा ‘क्षेत्रवाद’ शब्दों का प्रयोग—क्षेत्र अथवा क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय सगठन आदि शब्दों के आधुनिक प्रयोग के विभिन्न अर्थ होते हैं। ‘प्रदेश’ शब्द का साधारण प्रयोग राज्य के किसी छोटे भाग के लिये किया जाता है। इसीलिये यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रदेश उस क्षेत्र को कहते हैं जिसने तीन या अधिक राज्यों को अपने अन्दर समेटा हुआ है। ये राज्य अपने समान हितों तथा भौगोलिक स्थिति के बन्धनों के कारण एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह एक दूसरे के समीप हो या एक ही उप-द्वीप में हो। उदाहरण स्वरूप वे राष्ट्र जिनकी सीमाओं से एक ही सागर टकराता है, अपने समान हितों का बढ़ावा देने के लिये सघ बनाकर एक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं, चाहे वे एक-दूसरे से सैकड़ों या हजारों मील दूर ही क्यों न हो। उदाहरण के लिये उत्तर अतलांतिक सघ सगठन (नाटो) को लें। यह सगठन यद्यपि अतलांतिक ही नहीं भूमध्य सागर के भी दोनों ओर भौगोलिक दृष्टि से बिखरा है, तथापि यह समझा जा सकता है कि यह राज्यों का एक वास्तविक समुदाय अथवा एक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र है।

परिभाषा—१९४५ में सान-फ्रांसिस्को सम्मेलन में मिस्त्री प्रतिनिधि ने सयुक्त राष्ट्रसंघ घोषणा-पत्र के मूल मसविदे में एक सशोधन प्रस्तुत किया। इस सशोधन के अनुसार ‘क्षेत्रीय व्यवस्थाओं’ के अर्थ को निम्न व्याख्या द्वारा सीमित करना था। “ऐसे सगठन जो स्थायी हो तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के ऐसे कई देशों का सघ बनाएँ जो पारस्परिक सन्निध्य के कारण, समान हितों के मेल के कारण अथवा सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक या आत्मिक सम्बन्धों के कारण, आपसी विवादों के धान्तिपूर्ण समाधान के लिए तथा अपने हितों को बनाये रखने के लिये और अपने आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के विकास के लिये सयुक्त रूप से उत्तरदायी हो।”

वी० बुत्तोस वाली, जो एक प्रसिद्ध मिस्त्री विद्वान् हैं तथा जिन्होंने क्षेत्रीय व्यवस्था के सर्वोत्तम अध्ययनों में से एक अध्ययन लिखा है, उन्होंने उपर्युक्त परिभाषा का निम्न प्रकार पुनरावलोकन किया है, “उन स्थायी सगठनों को ही क्षेत्रीय व्यवस्था माना जायेगा, जो दो में अधिक ऐसे देशों को मगठित करें, जिन देशों ने पारस्परिक सन्निध्य के कारण, समान हितों के मेल या माहृद्यताओं के कारण अपने ऊपर स्वयं सयुक्त उन रदायित्व ठान लिया हो, जिनमें वे अपने क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा को स्थायी रखें और साथ ही अपने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महयोग में वृद्धि करें। इस सबके साथ उनका अन्तिम लक्ष्य यह भी हो कि वे मिनकर एक अन्तर्राष्ट्रीय इकाई बनें।”

टाक्टर इ० एन० वान० बनेफेल्स ने, जो पुतंगाल में उच्च-दूत हैं तथा महामन्त्र के नवें अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इस प्रकार इसकी परिभाषा दी है, “क्षेत्रीय व्यवस्था या

समझौता एक विशेष क्षेत्र में अवस्थित प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्रों का स्वेच्छया बनाया हुआ संघ है, जिनके सयुक्त उद्देश्य के लिए उस क्षेत्र में समान हित हैं, लेकिन वह उद्देश्य आक्रमणात्मक नहीं होना चाहिये।” क्लेफेन्स ने अपनी परिभाषा में दो शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। वे शब्द हैं—‘व्यवस्था’ तथा ‘समझौता’। ये प्रयोग भ्रम में डालने वाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि ‘समझौता’ में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता नहीं जबकि क्षेत्रीय संस्थाओं में इसकी अनिवार्यता निर्विवाद है।

अतएव यह तो स्पष्ट ही है कि क्षेत्रवाद की परिभाषा में विद्वानों का एकमत नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अभी तक पारिभाषिक शब्द नहीं बना है, जिसे सार्वदेशिक मान्यता प्राप्त हो गई हो। लेकिन तो भी, हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय संगठन में निम्नलिखित विशेषताएँ अवश्य ही होनी चाहिए, (१) इसमें दो से अधिक प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्र अवश्य ही होने चाहिए, (२) यह ठोस समान प्रयास में सलग्न होना चाहिए, (३) यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए, ताकि यह सयुक्त राष्ट्रसंघ घोषणा-पत्र के अंतर्गत आ जाय, (४) इसके सदस्य राष्ट्रों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आत्मिक समानताएँ हो, (५) इसमें क्षेत्रीय सम्बद्धता का तत्त्व होना चाहिए अर्थात् उसके सदस्य राष्ट्रों का सम्बन्ध एक ही क्षेत्र से होना चाहिए, (६) इसमें (अ) क्षेत्र के अन्दर ही अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा (ब) सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सहकार्यता के हेतु एक तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी एक विशेष बड़े क्षेत्र में कई क्षेत्रीय संगठन हो सकते हैं और यह आवश्यक नहीं कि उस क्षेत्र के सभी देश उस क्षेत्रीय संगठन में शामिल हो। एक देश राजनैतिक अथवा सैद्धान्तिक कारणों से इस संगठन से पृथक रखा जा सकता है, उदाहरण के तौर पर फ्राँको का स्पेन। दूसरे, कोई भी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय जाल में फँसने के भय से तथा अधिकांश स्थितियों में अपनी तटस्थता भंग की सम्भावना से इस संगठन से बाहर रह सकता है जैसे आस्ट्रिया और स्विटजरलैंड।

क्षेत्रीय संगठन तथा क्षेत्रीय गठबन्धन

‘क्षेत्रीय समझौता’ समान नीतियों को लागू करने के लिए नितांत ही किसी तंत्र के बिना ही सम्भव हो सकता है, जबकि ‘क्षेत्रीय व्यवस्था’ में यह आवश्यक है। इस प्रकार, समझौते में किसी पूर्ण एवं निश्चित कार्य की अपेक्षा आम दृष्टि-कोण को अधिक अपनाया जाता है। ‘क्षेत्रीय व्यवस्था’ तथा ‘गठ-बन्धन’ के बीच भी भेद करना आवश्यक है। डा. वान क्लेफेन्स ने उल्लेख किया है : “ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय व्यवस्था तथा गठबन्धन में त्रिपक्षीय भेद है, जो अस्पष्ट पारिभाषिक

क्षेत्रवाद की धारणा

‘क्षेत्र’ अथवा ‘क्षेत्रवाद’ शब्दों का प्रयोग—क्षेत्र अथवा क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय सगठन आदि शब्दों के आधुनिक प्रयोग के विभिन्न अर्थ होते हैं। ‘प्रदेश’ शब्द का साधारण प्रयोग राज्य के किसी छोटे भाग के लिये किया जाता है। इसीलिये यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रदेश उस क्षेत्र को कहते हैं जिसने तीन या अधिक राज्यों को अपने अन्दर समेटा हुआ है। ये राज्य अपने समान हितों तथा भौगोलिक स्थिति के बन्धनों के कारण एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह एक दूसरे के समीप हो या एक ही उप-द्वीप में हो। उदाहरण स्वरूप वे राष्ट्र जिनकी सीमाओं से एक ही सागर टकराता है, अपने समान हितों का बढ़ावा देने के लिये मधु बनाकर एक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं, चाहे वे एक-दूसरे से सैकड़ों या हजारों मील दूर ही क्यों न हो। उदाहरण के लिये उत्तर अतलांतिक संधि सगठन (नाटो) को लें। यह सगठन यद्यपि अतलांतिक ही नहीं भूमध्य सागर के भी दोनों ओर भौगोलिक दृष्टि से बिखरा है, तथापि यह समझा जा सकता है कि यह राज्यों का एक वास्तविक समुदाय अथवा एक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र है।

परिभाषा—१९४५ में सान-फ्रांसिस्को सम्मेलन में मिस्त्री प्रतिनिधि ने सयुक्त राष्ट्रसंघ घोषणा-पत्र के मूल मसविदे में एक सशोधन प्रस्तुत किया। इस सशोधन के अनुसार ‘क्षेत्रीय व्यवस्थाओं’ के अर्थ को निम्न व्याख्या द्वारा सीमित करना था। “ऐसे सगठन जो स्थायी हो तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के ऐसे कई देशों का मधु बनाएँ जो पारस्परिक सन्निध्य के कारण, समान हितों के मेल के कारण अथवा सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक या आत्मिक सम्बन्धों के कारण, आपसी विवादों के धान्तिपूर्ण समाधान के लिए तथा अपने हितों को बनाये रखने के लिये और अपने आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के विकास के लिये सयुक्त रूप से उत्तरदायी हों।”

वी० युत्तोस वाली, जो एक प्रसिद्ध मिस्त्री विद्वान् हैं तथा जिन्होंने क्षेत्रीय व्यवस्था के नवोत्तम अध्ययनों में से एक अध्ययन लिखा है, उन्होंने उपर्युक्त परिभाषा का निम्न प्रकार पुनरावलोकन किया है, “उन स्थायी सगठनों को ही क्षेत्रीय व्यवस्था माना जायेगा, जो दो से अधिक ऐसे देशों को सगठित करें, जिन देशों ने पारस्परिक सन्निध्य के कारण, समान हितों के मेल या सादृश्यताओं के कारण अपने ऊपर स्वयं सयुक्त उत्तरदायित्व ढाल लिया हो, जिनमें वे अपने क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा को स्थायी रखें और साथही अपने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महयोग में वृद्धि करें। इस सबके नाथ उनका अन्तिम लक्ष्य यह भी हो कि वे मिलकर एक अन्तर्राष्ट्रीय इकाई बनें।”

टान्टर इ० एन० वान० फ्रेन्स ने, जो पुनर्गाल में उच्च-दूत हैं तथा महासभा के नवें अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इस प्रकार उनकी परिभाषा दी है, “क्षेत्रीय व्यवस्था या

समझौता एक विशेष क्षेत्र में अवस्थित प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्रों का स्वेच्छया बनाया हुआ संधि है, जिनके सयुक्त उद्देश्य के लिए उस क्षेत्र में समान हित हैं, लेकिन वह उद्देश्य आक्रमणात्मक नहीं होना चाहिये।" क्लेफेन्स ने अपनी परिभाषा में दो शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। वे शब्द हैं—'व्यवस्था' तथा 'समझौता'। ये प्रयोग भ्रम में डालने वाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि 'समझौता' में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता नहीं जबकि क्षेत्रीय सस्थाओं में इसकी अनिवार्यता निर्विवाद है।

अतएव यह तो स्पष्ट ही है कि क्षेत्रवाद की परिभाषा में विद्वानों का एकमत नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अभी तक पारिभाषिक शब्द नहीं बना है, जिसे सावैदेशिक मान्यता प्राप्त हो गई हो। लेकिन तो भी, हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय संगठन में निम्नलिखित विशेषताएँ अवश्य ही होनी चाहिएँ, (१) इसमें दो से अधिक प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्र अवश्य ही होने चाहिएँ, (२) यह ठोस समान प्रयास में सलग्न होना चाहिए, (३) यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए, ताकि यह सयुक्त राष्ट्रसंधि घोषणा-पत्र के अंतर्गत आ जाय, (४) इसके सदस्य राष्ट्रों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आत्मिक समानताएँ हो, (५) इसमें क्षेत्रीय सम्बद्धता का तत्व होना चाहिए अर्थात् उसके सदस्य राष्ट्रों का सम्बन्ध एक ही क्षेत्र से होना चाहिए, (६) इसमें (अ) क्षेत्र के अन्दर ही अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा (ब) सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सहकार्यता के हेतु एक तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी एक विशेष बड़े क्षेत्र में कई क्षेत्रीय संगठन हो सकते हैं और यह आवश्यक नहीं कि उस क्षेत्र के सभी देश उस क्षेत्रीय संगठन में शामिल हो। एक देश राजनैतिक अथवा सैद्धान्तिक कारणों से इस संगठन से पृथक रखा जा सकता है, उदाहरण के तौर पर फ्राँको का स्पेन। दूसरे, कोई भी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय जाल में फँसने के भय से तथा अधिकांश स्थितियों में अपनी तटस्थता भंग की सम्भावना से इस संगठन से बाहर रह सकता है जैसे आस्ट्रिया और स्विटजरलैंड।

क्षेत्रीय संगठन तथा क्षेत्रीय गठबन्धन

'क्षेत्रीय समझौता' समान नीतियों को लागू करने के लिए नितांत ही किसी तंत्र के बिना ही सम्भव हो सकता है, जबकि 'क्षेत्रीय व्यवस्था' में यह आवश्यक है। इस प्रकार, समझौते में किसी पूर्ण एवं निश्चित कार्य की अपेक्षा आम दृष्टि-कोण को अधिक अपनाया जाता है। 'क्षेत्रीय व्यवस्था' तथा 'गठ-बन्धन' के बीच भी भेद करना आवश्यक है। डा. वान क्लेफेन्स ने उल्लेख किया है : "ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय व्यवस्था तथा गठबन्धन में त्रिपक्षीय भेद है, जो अस्पष्ट पारिभाषिक

शब्दावली से दुर्बोध हा गया है। सर्वप्रथम गठवन्धन में संकीर्ण भौगोलिक उद्देश्य की अपेक्षा (क्षेत्रीय व्यवस्था के विपरीत) जोर हर समय निश्चित कार्य तथा नीति पर रहता है। दूसरे, गठवन्धन आक्रामणात्मक भी हो सकता है, जबकि क्षेत्रीय व्यवस्था का लक्ष्य, यदि वास्तव में वह अपने नाम को सार्थक करती है, आवश्यक तौर पर शांतिपूर्ण अथवा सुरक्षात्मक होता है। यदि ऐसा न होता तो घोषणा-पत्र उसे घोषित न करता। तीसरे, एक गठवन्धन में दो सहयोगियों से ही काम चल सकता है, जबकि क्षेत्रीय व्यवस्था के लिये इससे अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, गठवन्धन से तुलना करने में क्षेत्रीय व्यवस्था में सामूहिक भावना का तत्त्व अधिक प्रभावशाली होता है।”

एक क्षेत्रीय सगठन या तो सैन्य गठवन्धन हो सकता है या गैर-सैन्य व्यवस्था। एक क्षेत्रीय सगठन का अर्थ एक गुट या क्षेत्र-विशेष जैसे शब्दों को नहीं समझ लेना चाहिए, जो अस्पष्ट एवं लचीले हैं। इन शब्दों का तो सीधा सादा अर्थ ही प्रभुत्व जमाना है। उदाहरण स्वरूप रूसी प्रभाव के अन्तर्गत क्षेत्र में बने कामिनफार्म तथा पूर्वी यूरोपीय गुट वास्तव में क्षेत्रीय सगठन नहीं कहे जा सकते।

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व क्षेत्रवाद का इतिहास—डा० वान क्लेफेंस के अनुसार आधुनिक क्षेत्रीय सगठनों का मूल प्राचीन यूनान के सघों तथा सह सघों में खोजा जा सकता है। ये हैं—स्टेटिन की सघि जो १५७० में हुई थी और जिस पर उन समस्त यूरोपीय देशों ने हस्ताक्षर किये थे जिनके हित बाल्टिक सागर में थे। इसमें केवल रूस ही शामिल नहीं हुआ था। १८५६ की सघि जिसमें आर्लैंड द्वीप कहे जाने वाले द्वीप को तटस्थता का स्तर दिया गया था, १८६३ की सघि जिसका सम्वन्ध इंग्लैण्ड द्वीपों से है तथा १८८५ का कोगो अधिनियम। लेकिन यह नितान्त मन्देहास्पद है कि इनमें से कोई भी उदाहरण स्वयं डा० वान क्लेफेंस द्वारा की गयी क्षेत्रीय व्यवस्था की परिभाषा के आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता हो।

१९१४ से पूर्व—१९१५ की वियना-कांग्रेस के पश्चात् जर्मनी सघ, अन्तर अमेरिकी नीमिन क्षेत्र, बाल्कन तथा बाल्टिक क्षेत्र ऐसे सगठन थे, जिन्हें क्षेत्रीय सगठनों की श्रेणी में रखा जा सकता था। आर्थिक क्षेत्रवाद के भी बहुत-से उदाहरण थे। जर्मन-बोल्लरगैरिन (१९१६) ने जर्मनी का राजनैतिक एकीकरण, स्विटजरलैंड, स्टनी आस्ट्रिया, हंगरी, स्कॉटलैण्ड तथा क्षेत्र (नार्वे तथा स्वीडन) तथा स्पेन और पुर्तगाल में आर्थिक व्यवस्थाओं के लिये मार्ग प्रशस्त किया। ये सब आगामी राजनैतिक एकाता के पूर्व नकेत थे। बाल्कन-राज्यों में भी आटोमन साम्राज्य के विभाजन के पश्चात् वहाँ भी आर्थिक भेद-जोन पुनर्जीवित हुआ। एक आलोचक ने ठीक ही कहा है कि १९१५ ने पूरे विश्व-एकीकरण क्षेत्रीय नीतियों द्वारा स्थिरता-

पूर्वक अग्रसर हो रहा था। ये नीतियाँ जिन माध्यमों से प्रकट की गयीं वे हैं—कर-व्यवस्था संघ, अधिक आदरपूर्ण सम्बन्ध, 'बन्धन-हीन उदार' (Open Door) व्यवस्थाएँ तथा दीर्घकालीन व्यापार संधियाँ। ये संधियाँ सर्वाधिक मान्य-राष्ट्र धारा (Clause), मुद्रा संघ तथा स्वर्ण-प्रतिमान (Gold Standard) की विश्व-व्यापी स्वीकृति द्वारा परस्पर सम्बन्धित थी। इसके साथ ही बड़ी सख्या में १९१४ में पूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों ने कल्पित क्षेत्रों को जन्म दिया। उदाहरण स्वरूप ये क्षेत्र आवागमन, संचार, गैर-भौतिक सम्पत्ति अधिकारों तथा व्यापार-विधि एवं अधिकार-क्षेत्र में विकसित हुए। कुछ मामलों में आर्थिक क्षेत्रवाद की ओर बढ़ती प्रवृत्तियों का परिणाम वास्तविक क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के निर्माण के रूप में हुआ, जिनमें से अधिकांश, निरसन्देह, महत्वहीन तथा अस्पष्ट थी और इनका परिणाम नगण्य ही रहा।

१९१४ से १९३६ तक—युद्ध काल के मध्य के समय में कई क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ, यद्यपि उनमें से कुछ अपरिपक्व रूप में रही तथा वे कभी भी पुनर्संगठित नहीं हो सकी। इनमें से एक, उदाहरण के तौर पर, छोटा मित्र देशीय मण्डल था जिसे लिटिल एन्टीटी (Little Entete) कहते थे जिसमें चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा रूमानिया सम्मिलित थे और प्रथम महायुद्ध के श्रवसान-काल के एकदम पश्चात् इन तीन देशों के मध्य द्विपक्षीय पारस्परिक सहायता संधियों की शृंखला ने इसे जन्म दिया था। शनैः शनैः यह बृहद् राजनीतिक संगठन के रूप में विकसित हो गया तथा १९३३ के पश्चात् निश्चित संगठनात्मक ढाँचे से सम्पन्न राजनैतिक संध के समीप आ गया। समझौते द्वारा पूर्वी यूरोप तथा बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्र-समूह निर्माण करने के कई प्रयत्न किये गए। लेकिन १९३४ के सम्भावित बाल्कन मित्र देशीय मंडल के सिवाय और सब प्रयत्न असफल रहे। १९२५ के लोकानों संधियों द्वारा पश्चिमी यूरोप के कई राष्ट्रों ने एक संधि का रूप ले लिया। इस संधि का उद्देश्य था जर्मनी की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी करना तथा संधि में सम्मिलित राष्ट्र उन सीमाओं पर शक्ति प्रयोग का खतरा हो जाने पर, सामूहिक कार्यवाही के लिये बचनबद्ध थे। जर्मनी की पश्चिमी सीमाओं के सम्बन्ध में पाँच राष्ट्रों की जिस संधि पर वेल्जियम, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी तथा इटली ने हस्ताक्षर किये, वह लोकानों संधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संधि ने विशिष्ट उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय सहकार्यता की आधार-शिला रखी। लेकिन इसे उस सीमा तक लागू नहीं किया गया जिस सीमा तक क्षेत्रीय व्यवस्था को प्रभाव-पूर्ण ढंग से कार्य करने की स्थिति में लाने की आवश्यकता थी।

अन्तर अमेरिकी प्रणाली—१८८९ में अपने औपचारिक प्रारम्भ काल से

कतिपय अन्तर-अमेरिकी प्रणाली ने अपने उद्देश्य तथा तत्र दोनो दृष्टियों से द्वितीय महायुद्ध तक विस्तार पकड़ा। लेकिन इसने प्रकट रूप में समान सुरक्षा अथवा आर्थिक सहकारिता के सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया। इसमें हमेशा ही लेटिन अमेरिकी गणराज्य तथा सयुक्त-राज्य अमेरिका सम्मिलित रहे। कनाडा तथा अमेरिका के अन्तर्गत कई यूरोपीय राज्य इससे बाहर रहे। १९३९ से पूर्व यह अन्तर अमेरिकी महकार्यता सघ हित-लाभ के अनेक क्षेत्र में उपस्थित रहा था। ये हित-लाभ हैं—अन्तर्राष्ट्रीय विधि, वाणिज्य, सफाई व्यवस्था, लोक-स्वास्थ्य, सार्वजनिक मार्ग, कृषि, शिक्षा, भूमि-सुरक्षा-कार्य, रेडियो तथा शिशु-कल्याण। क्योंकि इन समान हितों की वृद्धि के लिए एक तत्र विद्यमान था, इसलिये कोई भी व्यक्ति अन्तर-अमेरिकी प्रणाली को यह समझ सकता है कि द्वितीय महायुद्ध से पूर्व ही वह क्षेत्रीय व्यवस्था थी। तो भी, पर्लहार्वर के पश्चात् इस सगठन को अधिक सुव्यवस्थित रूप देने, इसके हित लाभों को विस्तृत करने के लिये कई परिवर्तन किये गये हैं। अब अन्तर-अमेरिकी प्रणाली अपने सर्वाधिक प्रगतिशील रूप में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रवाद है। इसी हेतु से हम क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के वर्तमान उदाहरणों में से सर्वप्रथम इसी पर विचार करेंगे।

अमेरिकी राज्यों का सगठन

सर्व-अमेरिकी उपक्रम—वाशिंगटन में हुए १८८९-९० के प्रथम अन्तर-अमेरिकी सम्मेलन में जिस आधुनिक सर्व-अमेरिकी आन्दोलन का जन्म हुआ, उसके मूल में आर्थिक कारणों की प्रेरणा थी, जबकि उसका रूप राजनीतिक था। लेटिन अमेरिका को सयुक्त राज्य अमेरिका से पूजा-विनियोग तथा औद्योगिक पदार्थों की आवश्यकता थी। दोनो अमेरिकी देशों का दो खतरों का सामना करने के लिए समान हित था। एक तो उनके स्वयं के आपसी झगड़ों का खतरा और दूसरा ठोस खतरा था ज्वार-भाटे के समान उठने हुए यूरोप के नये साम्राज्यवाद का। अतः प्रारम्भ में तो शांति तथा व्यापार को बढ़ावा देना, कुछ नास्तिक विचार-विनिमय तथा अन्तर-अमेरिकी मचार-माघनों को सुधारना और लेटिन अमेरिका के निवासियों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना—ये इस आन्दोलन के प्रधान मुद्दे थे। सर्व-अमेरिकी सघ की स्थापना १८९० में हुई तथा प्रथम महायुद्ध तक पूरी मजबूत के साथ चार सर्व-अमेरिकी सम्मेलन हुए। उस समय सर्व-अमेरिकी कार्य दो विषयों तक ही सीमित था, और किसी सीमित हद तक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांति-पूर्ण समाधान तक भी। अन्तर अमेरिकी राज्यों की वास्तविक सुरक्षा-प्रणाली का श्रीगणेश तो १९३६ में व्यूतन गयेन में हुए सम्मेलन ने दो समझौतों के रूप में हुआ, जिनके अनुसार एक राज्य की सुरक्षा को दूसरे राज्यों की सुरक्षा को तब तक समझा गया तथा

आपसी परामर्श द्वारा यह सामूहिक निर्णय हो कि खतरे का मुकाबला किस प्रकार किया जाय। व्यूनस एयरेस में किसी परामर्श दात्री सस्था की स्थापना नहीं हुई। लेकिन १९३८ में लिमा में हुए आठवें नियमित सम्मेलन द्वारा इस दोष को सुधार लिया गया, जिसके द्वारा अमेरिकी देशों के विदेश-मंत्रियों की बैठकों की व्यवस्था की गयी। शीघ्र ही इस नई सस्था का उपयोग द्वितीय महायुद्ध के सफटों का सामना करने के हेतु किया गया। विदेश-मंत्रियों की तीन बैठकें हुई, पहली १९३९ में पनामा में, दूसरी १९४० में हवाना में तथा तीसरी रियो-डि जैनीरियो में १९४२ में हुई। इन बैठकों ने पारस्परिक सुरक्षा-प्रणाली को मजबूत बना दिया तथा वित्तीय और आर्थिक सहयोग के लिए नयी अन्तर-अमेरिकी सस्थाओं को जन्म दिया। इनमें ही वित्तीय तथा आर्थिक सलाहाकार समिति भी सम्मिलित है, जिसका निर्माण १९३९ में हुआ और जिसने कई नवीन सस्थाओं को जन्म दिया, जैसे, अन्तर-अमेरिकी कॉफी-मंडल, अन्तर-अमेरिकी विकास आयोग तथा एक तटस्थता-आयोग (१९३९), जो कालान्तर में वैचारिक समिति में परिवर्तित हो गया। इनके अतिरिक्त एक प्रति रक्षा-मंडल एवं एक राजनीतिक सुरक्षा समिति (१९४२) भी अस्तित्व में आई। अमेरिकी देशों (१९४०) में यूरोपीय उपनिवेशों एवं वस्तियों के प्रशासन पर भी एक समिति थी, यद्यपि इसको कार्य करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। तथापि इसका प्रादुर्भाव इस ओर संकेत करता है कि किस प्रकार यह मंडल अभिनव क्षेत्रीय प्रणाली की पूर्व-भूमिका थी।

चापुल्टेपेक का अधिनियम—१९४५ के प्रारम्भ में चापुल्टेपेक (मेक्सिको नगर) में युद्ध एवं शांति की समस्याओं पर विचारार्थ एक अन्तर-अमेरिकी सम्मेलन हुआ। इसने जो उपाय अंगीकार किये, वे हैं—(१) युद्ध के समय के लिए एक सुरक्षात्मक संधि (चापुल्टेपेक का अधिनियम), जिसका प्रयोग केवल गोलाद्ध के बाहर के आक्रमणों के विरुद्ध ही नहीं अपितु आन्तरिक आक्रमणों के लिये भी किया जाता था। इसके साथ इस बात की व्यवस्था की भी योजना थी कि युद्धावसान के पश्चात् इसी प्रकार की एक स्थायी-संधि करने के हेतु विचार विमर्श किया जाय। यह सब रियो-डी जैनीरियो में १९४७ में हुआ। (२) युद्ध की समाप्ति पर एक अधि-पत्र अथवा स्थायी सविधान के अन्तर्गत अन्तर-अमेरिकी प्रणाली को मान्यता दी जाय, उसका एकीकरण किया जाय तथा उसे संपुष्ट किया जाय। यह व्यवस्था १९४८ में बोगोटा में की गयी। (३) एक ऐसा समझौता जो वर्तमान अन्तर-अमेरिकी शांति-साधनों के लिये इसी प्रकार की व्यवस्था करे। (४) अर्जेन्टाइना सरकार को अन्तर-अमेरिकी सदस्यता पुनः ग्रहण करने का आमंत्रण, क्योंकि उस पर नाजी-फासिस्ट सहयोग का आरोप लगाकर उसे इस सम्मेलन से पृथक् कर दिया गया

था। सान फ्रांसिस्को (२६ जून १९४७) में क्षेत्र-वादियों जिनमें लेटिन अमेरिकी देश सम्मिलित थे, की विजय हुई तथा सयुक्त राष्ट्रसंघ अधिपत्र के अनुच्छेद ५१-५३ के अन्तर्गत क्षेत्रीय योजना की व्यवस्था कर दी गयी।

रियो-सधि (१९४७) — १९४७ के अगस्त सितम्बर के महीने में २१ मे से १९ अमेरिकी गण-राज्यों (इक्वेडोर तथा निकारगुआ को छोड़कर) की एक बैठक रियो-डी जैनीरियो में हुई। उन्होंने पारस्परिक सहायता की अन्तर-अमेरिकी सधि को जन्म दिया, जिसे साधारणतया रियो-सधि के नाम से संबोधित किया जाता है। इस सधि पर हस्ताक्षर २ सितम्बर, १९४७ को हुए। सीनेट में इसको लाने वाले मीनेटर वाडेन्वर्ग ने 'इस सधि को सामूहिक सधि के कार्य में अब तक की सर्वाधिक महान प्रगति' बताते हुये कहा, कि "रियो सधि ने एक स्थायी प्रतिरक्षा-सधि को जन्म दिया है।" अनुच्छेद ३ इस सधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विन्दु है। ब्रुसेल्स सधि के अनुच्छेद ४ तथा उत्तर अतलातक सधि के अनुच्छेद ५ से इसका निकट का साम्य है। "सधि में सम्मिलित उच्च पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि किसी देश द्वारा एक अमेरिकी राज्य पर सशस्त्र आक्रमण समस्त अमेरिकी राज्यों पर आक्रमण समझा जायगा तथा परिणाम स्वरूप सधि में सभी पक्षों में से हरेक आक्रमण का प्रतिरोध करने में सहायता करेगा। ऐसा करते समय वह सयुक्त राष्ट्रसंघ अधिपत्र के अनुच्छेद ५१ द्वारा मान्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक आत्म-प्रतिरक्षा के प्रदत्त अधिकार का उपयोग करेगा। अनुच्छेद ८ में राजदूतों को वापस बुलाने से लेकर मशस्त्र सैन्य प्रयोग तक वे सभी साधन दिये गए, जो ऐसे समय में काम में लाये जा सकते हैं। अनुच्छेद २० में यह दिया गया कि इन साधनों को कार्यान्वित करने के निर्णय सभी हस्ताक्षर-कर्त्ता राज्यों पर लागू होंगे। इसका एकमात्र अपवाद यह रखा गया कि बिना किसी देश की राय लिए उसे सशस्त्र सैन्य प्रयोग के हेतु नहीं चाहा जायगा। सधि में जो क्षेत्र सन्निहित थे, उसमें ग्रीनलैंड, अल्फटियन्स, अन्तार्किक एवं आर्कटिक क्षेत्रों का पर्याप्त भाग तथा कनाडा को छोड़कर विस्तृत महासागरीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। रियो सधि को सयुक्त राष्ट्रसंघ अधिपत्र के अनुच्छेद ५१ के अन्तर्गत एक सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था समझा जाता है। इसने एक क्षेत्रीय प्रतिरक्षा व्यवस्था को भी जन्म दिया।

बोगोटा सधि (अमेरिकी राज्यों का संगठन)

रियो सधि पर हस्ताक्षर करने के छ महीने पश्चात् अमेरिकी राज्यों का नवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोलम्बिया की राजधानी बोगोटा में मार्च-अप्रैल १९४८ में हुआ। इस सम्मेलन को साधारणतया बोगोटा सम्मेलन के नाम से पुकारा जाता है। सम्मेलन २१ नवम्बर १९४८ को समाप्त हुआ। इसमें प्रतिनिधित्व था। इसने दो मूलभूत महत्व के

समझौते को प्रस्तुत किया। एक था अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) का अधिपत्र, जो अन्तर-अमेरिकी-प्रणाली का नया नाम तथा इसका सर्वप्रथम सविधान था। दूसरी प्रशात सागरीय व्यवस्था की अमेरिकी सधि थी। साधारणतया इसे ओगोटा-सधि के नाम से पुकारा जाता है, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के लिए विद्यमान अमेरिकी समझौते को सदस्य राष्ट्रों तक फैला दिया। कुछ महत्व के दूसरे समझौते में एक आर्थिक समझौता, समाजिक प्रतिश्रुतियों (गारण्टी) का एक अधिपत्र तथा मानव-अधिकारों एवं कर्तव्यों की अभिघोषणा सम्मिलित हैं। इन समझौतों में कई अभिनव मुद्दे सम्मिलित हैं, जैसे कि सयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकारत्व की मान्यता, साम्यवाद तथा दूसरी जनतन्त्र-विरोधी विचार-धाराओं से खतरा, अमेरिका के हस्तगत प्रदेश तथा उपनिवेश तथा रियो-सधि को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए एक पूरक तंत्र। साथ-ही-साथ 'अमेरिकी गणराज्यों' के स्थान पर 'अमेरिकी राज्यों' शब्द के प्रयोग द्वारा कनाडा के लिए इसमें सम्मिलित होने को द्वार खोल दिए गए। ऐसा ही उन नए राज्यों के लिए भी किया गया, जो पश्चिमी गोलार्द्ध में वाद में प्रस्थापित हो सकें।

अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) का अधिपत्र—अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) का अधिपत्र एक विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें १८ परिच्छेद तथा ६१२ अनुच्छेद हैं। प्रथम अनुच्छेद में उल्लिखित है, "अमेरिकी राज्यों का सङ्गठन सयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्दर एक क्षेत्रीय संस्था है," तथा इसके अधिपत्र की कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसने सदस्य राष्ट्रों के वे कर्तव्य और अधिकार कम होते हो जो उन्हें सयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिपत्र के अन्तर्गत प्राप्त हैं। प्रमुख आलोचक श्री जार्जिन आँडन के अनुसार, "यह उस व्यवस्था को, जो ढीली, नियम-विरुद्ध तथा असंगठित है, किसी निश्चित प्रणाली में आबद्ध करता है एवं सम्पूर्णता प्रदान करता है। यह पिछली अर्द्ध-सदी से ऊपर समय में अमेरिकी राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा अंगीकृत बहुत से प्रस्तावों, अधिनियमों, परम्पराओं तथा आम घोषणाओं को गोलार्द्ध सम्मान के एकीकृत ढाँचे में ठोस रूप प्रदान करता है।" ३२ से १०१ तक के अनुच्छेदों में इसकी (अमेरिकी राज्यों के संगठन की) छह बड़ी संस्थाओं के कार्यों का विशेष वर्णन है। ये छह संस्थाएँ हैं : (१) अन्तर-अमेरिकी सम्मेलन, (२) विदेश मन्त्रियों की सलाह के लिये बैठक, (३) परिषद्, (४) सर्व-अमेरिकी सधि, (५) विशिष्ट सम्मेलन (Specialised Conferences); (६) विशिष्ट संगठन (Specialised Organisations)।

अमेरिकी राज्यों के संगठन का ढाँचा—अन्तर-अमेरिकी सम्मेलन, जिसकी बैठक प्रायः हर पाँच वर्षों बाद होती है, अधिपत्र के अनुसार संगठन की सर्वोच्च

मस्या है। यह इससे स्पष्ट होता है कि, “यह सगठन के आम कार्य एव नीति का निर्धारण करता है और इसकी सस्थाओं के कार्यों एव ढाँचे को निश्चित करता है तथा इसे यह भी अधिकार है कि यह किसी भी उस मामले पर विचार करे, जिसका सम्बन्ध अमेरिकी राज्यों के आपसी सम्बन्धों से हो।” इसमें यह व्यवस्था भी की गई थी कि सशोधनों को केवल इसी उद्देश्य से बुलाए गए अन्तर अमेरिकी सम्मेलन में ही अग्रणीकरण किया जा सकेगा तथा सदस्य-राष्ट्रों के दो-तिहाई बहुमत से इसकी अभिपुष्टि की जानी चाहिए। जब अधिपत्र या सविधान नहीं था तब पिछले सम्मेलनों में इस प्रकार की कोई वाधा नहीं होती थी। पश्चिमी गोलाद्ध पर सशस्त्र आक्रमण की स्थिति में विदेश मन्त्रियों की बैठक अनिवार्य है। विदेश-मन्त्रियों की ऐसी बैठक अन्य समय भी बुलाई जा सकेगी अगर कोई सदस्य-राष्ट्र ऐसी प्रार्थना करे, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि सगठन की परिपद् का स्पष्ट बहुमत इसे स्वीकार करे। सैनिक कार्यवाहियों पर विचार करने के लिए समय-समय पर होने वाली विदेश-मन्त्रियों की बैठकों में सलाह देने के लिए एक सलाहकार-प्रतिरक्षा-समिति की स्थापना की गई जिसमें “अमेरिकी राज्यों के उच्च सैनिक अधिकारी सम्मिलित थे।” इस सलाहकार प्रतिरक्षा-समिति की बैठकें भी विदेश-मन्त्रियों की बैठकों के साथ-ही-साथ होनी चाहिए, यदि उनकी बैठकें किसी आक्रमण से रक्षा के प्रश्न पर विचार कर रही हो। विदेश मन्त्रियों की बैठको एव सम्मेलनों की सहायक, लेकिन अमेरिकी राज्यों के सगठन (OAS) के नित्य-प्रति के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण मस्या है सगठन की परिपद्। जहाँ तक इसके गठन एव अधिकारों का सम्बन्ध है यह मस्या सर्व अमेरिकी मध्य के पुगने प्रशासनिक मण्डल के सनतक्रम में ही है। लेकिन इसके राजनीतिक कार्य अधिक विस्तृत हैं। अमेरिकी राज्यों के सगठन में सम्मिलित प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि इसका सदस्य है तथा इस प्रकार इसकी सदस्य-संख्या २१ है। सगठन के लिए यह एक केन्द्रीय प्रशासनिक तथा नियामक मस्या है। यह सर्व-अमेरिकी मध्य के कार्य की देख-रेख करती है तथा इसके प्रत्यक्ष नियन्त्रण में महत्वपूर्ण मस्याएँ ये हैं — (१) अन्तर-अमेरिकी आर्थिक तथा सामाजिक परिपद्, (२) विधियों की अन्तर-अमेरिकी परिपद्, (३) अन्तर-अमेरिकी सांस्कृतिक परिपद्। जैसा कि रियो-नन्धि में मानने आया, यह परिपद् सलाहकार-संस्था के रूप में कार्य करती है। पुनर्भंगित अन्तर-अमेरिकी प्रणाली में सर्व-अमेरिकी मध्य को नया महत्व प्रदान किया गया है। अधिपत्र के शब्दों में, यह “अमेरिकी राज्यों के सगठन तथा सगठन के महा-मन्त्रिवाचय की केन्द्रीय तथा स्थायी मस्या” है। सर्व-अमेरिकी मध्य का निर्देशन ही इसका महा-मन्त्रि है। इसका चुनाव अन्तर-अमेरिकी सम्मेलन द्वारा दस वर्षों के लिए होता है तथा पुनर्चुनाव की अर्हता (eligibility)


इसे प्राप्त नहीं है अर्थात् एक बार महासचिव चुने जाने पर दुबारा वही व्यक्ति उस पद पर नहीं चुना जा सकता। सम्मेलन एक उप-महासचिव का भी चुनाव दस वर्ष की अवधि के लिए करता है, लेकिन यह एक बार चुने जाने पर दुबारा भी चुना जा सकता है। यह परिपद के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। अन्तर-अमेरिकी आर्थिक एवं सामाजिक परिपद में वे ही सदस्य सम्मिलित हैं जिन्हें प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र विशेषज्ञ प्रतिनिधि के नाते नियुक्त करता है। विधियों की अन्तर-अमेरिकी परिपद में नौ सदस्य हैं। इस परिपद की बैठक सगठन की परिपद द्वारा बुलाए जाने पर ही होती है। पृथक अन्तर-अमेरिकी सांस्कृतिक परिपद अमेरिकी राज्यों की जनता के पारस्परिक सद्भाव तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक क्रिया-कलापों के महत्व को परिलक्षित करती है। सांस्कृतिक कार्य के लिए निर्मित समिति जिसमें अन्तर-अमेरिकी सम्मेलन द्वारा चुने हुये पाँच राज्य सम्मिलित हैं, सांस्कृतिक परिपद की स्थायी समिति है। इसके साथ-ही-साथ अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) से सम्बन्धित अनेक विशिष्ट संगठन हैं। ये संगठन हैं—सर्व-अमेरिकी-सफाई व्यवस्था-विभाग, कृषि विज्ञानों की अन्तर-अमेरिकी सस्था, भूगोल तथा इतिहास की सर्व-अमेरिकी सस्था तथा अन्तर-अमेरिकी टेली कम्युनिकेशन कार्यालय। इन सस्थाओं की बैठकें विशेष प्राविधिक मामलों को हल करने के लिये अथवा अन्तर-अमेरिकी सहयोग के विशिष्ट पहलुओं को विकसित करने के लिये बुलाई जाती हैं।

अमेरिकी राज्यों के सगठन की प्रस्थापना के साथ ही वोगोटा-सम्मेलन का एक और परिणाम निकला कि विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए सर्व-सम्मत सधि—वोगोटा-सधि—अस्तित्व में आई तथा इसी सम्मेलन ने वोगोटा के आर्थिक समझौते को जन्म दिया। रियो-सधि तथा अमेरिकी राज्यों के सगठन (OAS) के अधिपत्र के परिणाम-स्वरूप क्षेत्रीय सस्थाओं एवं व्यवस्थाओं का विशद् तथा निवामक ढाँचा अस्तित्व में आया और यही ढाँचा पश्चिमी गोलार्द्ध में तत्परता में कार्यरत है। रियो-सधि की अभिवृष्टि के पश्चात् दिसम्बर १९४८ में प्रथम बार ऐसा मामला परिपद के सामने आया, जिसके द्वारा वह कसौटी पर कसा जा सके। कोस्टारिका ने परिपद से प्रार्थना की कि वह अनुच्छेद छः का प्रयोग निकारागुआ के विरुद्ध करे। उसकी प्रार्थना का आधार यह था कि एक सशस्त्र सेना निकारागुआ के इशारे पर कोस्टारिका पर आक्रमण कर रही थी। परिपद ने एक आयोग छान-बीन के लिए भेजा, जो दोनों देशों में जाकर आवश्यक तथ्य इकट्ठे करे। दस दिन के अन्दर-अन्दर आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। इसके आधार पर परिपद ने दोनों देशों के मध्य एक समझौते की व्यवस्था की, जो २१ फरवरी १९४८ को पूर्ण हुआ। १९५० में परिपद ने, हैटी के विरुद्ध डॉमिनिकन के आरोपों की घटना-स्थल पर

जांच करके हैटी तथा डॉमिनिकन के मध्य विवाद को सुलभाने के लिए तुरन्त कार्य-वाही की। इस विवाद में क्यूबा तथा ग्वेटामाला तक सम्मिलित हो गए थे। अमेरिका राज्यों के सगठन (OAS) की शांति परिपद् डॉमिनिकन गणराज्य तथा क्यूबा के मध्य एक ऐसा समझौता कराने में सफल रही, जैसा अच्छे पड़ोसी राज्यों के मध्य अपेक्षित है।

इस प्रकार अमेरिकी राज्यों का यह सगठन अमेरिकी गण-राज्यों के मध्य राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक मामलों में सहयोग बनाए रखने के लिए एक बड़ी शक्ति सिद्ध हुआ है। यह सगठन सयुक्त राष्ट्र-संघ के ढांचे के अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग की सम्भावनाओं को प्रदर्शित करता है। सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी राज्यों का सगठन (OAS) सयुक्त राष्ट्रसंघ के मुकाबले छोटे राष्ट्रों को अधिक समानता का स्तर प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ किसी भी बड़े राष्ट्र को निपेधाधिकार प्राप्त नहीं है। हरेक अमेरिकी राज्य हर समय इस सगठन (OAS) की प्रत्येक सस्था का सदस्य होता है। हरेक राज्य का एक मत होता है। तमाम निर्णय बहुमत द्वारा किए जाते हैं (कुछ मामलों में दो-तिहाई बहुमत से तथा शेष में पूर्ण बहुमत से)। इसके अलावा गैर-हस्तक्षेप-नियम, जो निर्वल राज्यों के लिये बहुमूल्य है, अमेरिकी राज्यों के सगठन (OAS) में सयुक्त राष्ट्रसंघ के मुकाबले अधिक सवल है, क्योंकि यह सगठन सब रूपों में हस्तक्षेप को रोकता है, चाहे वह आन्तरिक हो अथवा बाह्य। आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा से सम्बन्धित रियो-संधि के अन्तर्गत कार्याकारी उपाय इसके अपवाद हैं।

अमेरिकी राज्यों का संगठन (२१ सदस्य राष्ट्र)*



*सदस्य राष्ट्र : अर्जन्टाइना, बोलिविया, ब्राजील, चाइल, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डॉमिनिकन गणराज्य, इक्वेडोर, खेटमाला, हैटी, हॉन्डुरास, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पैरागुए, पेरू, एल सल्वडोर, संयुक्तराज्य, उरुगुए, वेनेजुएला ।

यूरोपीय एकीकरण

सदियों से लोगो ने सयुक्त यूरोप के स्वप्न लिये हैं। चार्ल्स से लेकर हिटलर तक कुछेक ऐसे लोगो की शृंखला है, जिन्होंने विजय की भावना से प्रेरित होकर शक्ति द्वारा यूरोप के एकीकरण का प्रयास किया है लेकिन उनके साम्राज्य अस्थायी थे। दूसरे कुछेक लोगो ने शांतिपूर्ण उपायो द्वारा सयुक्त यूरोप को प्राप्त करने की आशा की। १३०५ जितने पहले पीर्रे डुवोइस ने एक पुस्तिका ("De Recuperatione Tarrae Sanctae) प्रकाशित की, जिसमें उसने तुर्कों के बढ़ते हुए खतरे से ईसाइयत के रक्षार्थ यूरोपीय राजाओं को एकत्रित होने का आह्वान किया था। एक सदी पश्चात् वोहेमिया के राजा के एक फ्रांसीसी सलाहकार एन्डोआइन मरिनि ने एक 'साधिक समझौता' का मसौदा तैयार किया, जिसके अनुसार राज्यों को अपनी प्रभुसत्ताओं के कुछ भाग का त्याग कर एक भण्डार बना लेने का परामर्श दिया था।

एक यूरोपीय सघ के पहले का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रस्तावकर्ता ड्यूक-डी-मुल्ली था, जो फ्रांस के हेनरी चतुर्थ का मंत्री और 'हेनरी चतुर्थ की भव्य मनो-योजना' (le grand dessein d' Henri IV) का लेखक था। शांति-प्रचारक-मंडल के सदस्य विलियम पेन्ने ने १६६३ में 'राज्यों की एक यूरोपीय ससद की प्रस्थापना द्वारा यूरोप की वर्तमान तथा भविष्य की शांति की ओर प्रयास' लेख लिखा, जिसमें उसने सामूहिक सुरक्षा की वास्तविक प्रणाली का खाका खींचा था। १७१२ में ला-एवे-डी सेंट पीर्रे ने (l' Abbe' de Saint Pierre) यूरोप में स्थायी शांति के लिए एक योजना प्रकाशित की ("Project de Traite' pour rendre la paix perpetuelle en Europe") जिसमें स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय पंच निर्णय की व्यवस्था थी। ये तथा बहुत-सी दूसरी इसी प्रकार की योजनाएँ विचारमात्र बन कर ही रह गईं। इन्हें केवल मात्र कल्पना की उड़ानें समझा गया तथा तत्कालीन राजनीतिक नेताओं ने कभी भी इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्, व्यक्तिगत आन्दोलनों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार के एक आन्दोलन का श्री गणेश काउन्ट कोडेन्होव वानेर्गी द्वारा हुआ था तथा इसके सर्व-यूरोपीय आन्दोलन द्वारा सगठित सम्मेलनों में यूरोप के प्रमुख राजनीतिज्ञों ने भाग लिया। एडुअर्ड हेरियट प्रथम विदेश मंत्री था जिसने यूरोप के मयुक्त राज्यों को जन्म देने की सिफारिश २५ जनवरी, १९२५ को प्रिनिथियों के मदन में मापण करते हुए की। चार वर्ष बाद अरिस्टाइड ब्रायन्ट ने अपने पूर्व-वर्ती की मम्मनि को अपने हाथ में लिया तथा राष्ट्रमघ (लीग ऑफ नेशन्स) की उद्घोषणा में उसे उठाया, जहाँ उसे महोत्सव नमर्थन प्राप्त नहीं हुआ। मन्ने ने सदस्य राष्ट्रों के प्रापन्ट के स्मृति पत्र के नकारात्मक उत्तरों तथा महा सचिव

सर एरिक ड्रमंड की अध्यक्षता में कमीशन की निष्फल चर्चाओं के पश्चात् तमाम विचार को ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन द्वितीय महायुद्ध में जब हिटलर ने पश्चिमी यूरोप पर अधिकार जमा लिया उसके पश्चात् इस विचार को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। युद्धोत्तर काल में यूरोपीय सघ को बढावा देने के लिए कई क्षेत्रीय संस्थाएँ स्थापित की गईं। इस विभाग में हम उन सघों की विवेचना करेंगे जिन्होंने आर्थिक पहलू से अधिक राजनीतिक पहलू पर जोर दिया। दो आर्थिक संस्थाएँ — वेनेलवस तथा यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय — इसका अपवाद हैं। मार्शल योजना, आर्थिक सहकारिता-प्रशासन (ECA), यूरोपीय आर्थिक सहयोग-सगठन (OEEC), यूरोपीय अदायगी सघ (EPU) तथा पारस्परिक सुरक्षा संस्था (MSA) पर यहाँ चर्चा नहीं की जायगी, क्योंकि इनका जन्म यूरोप की इस दिशा में पहल करने से नहीं हुआ था। अतएव हम केवल (१) वेनेलवम, (२) ब्रुसेल्स-संधि-सगठन (३) उत्तर अतलातक संधि सगठन, (४) यूरोप की परिपद (५) यूरोपीय कोयला एव इस्पात समुदाय तथा (६) पूर्वी यूरोप के रूसी क्षेत्र में क्षेत्रीय सगठन का विश्लेषण करेंगे।

हमें यह भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए कि आज यूरोप दो क्षेत्रों में विभाजित है — एक है पश्चिमी क्षेत्र तथा दूसरा रूसी क्षेत्र। पश्चिमी यूरोप में वीस देश^१ हैं जबकि रूसी क्षेत्र में आठ देश^२ हैं। इनमें से प्रत्येक के प्रादुर्भाव का बीज इसके भूत में अन्तर्निहित है, जिसके साथ इसका अपना राष्ट्रीय गौरव है, अपनी संस्थाएँ हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत है और कई स्थितियों में अपनी भाषाएँ हैं। इन राष्ट्रों में गणनातीत युद्ध हुए हैं। इस प्रकार अभी तक यूरोपीय सघ के लिए आन्दोलन के मार्ग में कई विरोधी प्रवृत्तियाँ हैं। ये हैं ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, फ्रांस सघ, स्केन्डिनेविया की अविभाज्यता, ब्रिटिश सरकार की महाद्वीप सवन्धी किसी भी उलझन में पड़ने की नीति के प्रति हिचक, फ्रांस के समुद्र पार के वायदे, पश्चिमी जर्मनी की पुनः शस्त्रीकरण की समस्या। पश्चिमी यूरोप में यूगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रिया तथा स्वीडन की प्रथकतावाद की नीति तथा पूर्वी यूरोप में फिनलैंड में इसी प्रकार की प्रवृत्ति। कम्युनिस्ट आक्रमण का भय, आर्थिक आवश्यकता, अमरीकी सहायता तथा

१. आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, नारवे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, ब्रिटिश-साम्राज्य तथा यूगोस्लाविया।

२. अल्बेनिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, हंगरी, पोलैंड, रूमानिया, रूस।

उसका दवाव तथा पश्चिमी सभ्यता के विभिन्न बुनियादी मान्यताओं के प्रति झुकाव (जैसे सोचने व भाषण की स्वतन्त्रता तथा व्यक्ति का सम्मान) ये हैं चार कारण जो पश्चिमी यूरोपीय एकीकरण के लिये उत्तरदायी हैं ।

१ वेनेलक्स सघ

वेनेलक्स (Benelux) शब्द तीन देशों—बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग—के नामों को मिलाकर बनाया गया है । वेनेलक्स सघ तीनों देशों की एकता का सूचक है । विभिन्न यूरोपीय समस्याओं पर यह सघ तीनों देशों का प्रतिनिधित्व करता है । २१ अक्टूबर १९४३ को जब उक्त सघ के क्षेत्र जर्मनों के अधीन थे बेल्जियम, हालैंड और लक्समबर्ग की बड़ी सरकारों में एक मुद्रा समझौता हुआ जिसके द्वारा 'बेल्जियम फ्रैंक' और 'डच फ्लोरिन' की मूल्यानुपात कीमतें निर्धारित की गईं । ५ सितम्बर १९४४ को लंदन में हुए कर सम्मेलन की दिशा में यह पहला कदम था । उक्त समझौते की शर्तों का प्रलेख १४ मार्च १९४७ के हेग सम्मेलन में पूरा किया गया । समझौते के अन्य देशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर एकसम तटकर की व्यवस्था की गई तथा हालैंड से बेल्जियम-लक्समबर्ग आर्थिक सघ के देशों में से होकर गुजरने वाले मालों पर वर्तमान करों को रद्द कर दिया गया ।

वेनेलक्स सघ सम्मेलन के द्वारा स्थापित स्थायी सगठन में निम्नलिखित व्यवस्था की गई

- (१) योजना तथा कार्यवाहियों सम्बन्धी बड़ी समस्याओं पर विचार करने के लिये माल में लगभग दो बार सरकारों के मंत्रियों का सम्मेलन ,
 - (२) तीनों देशों में पूर्ण आर्थिक एकता के लिये योजनायें तैयार करने के लिये आर्थिक सघ की परिपद् ,
 - (३) प्रवेशकर सम्बन्धी एक आयोग की सहयोग प्राप्त प्रवेशकर सम्बन्धी प्रशासक परिपद् ,
 - (४) तीनों देशों में स्थापित सम्बन्धों को कायम रखने के लिये परस्पर कार्यवाहियों में नमन्वय के लिये व्यापारिक समझौता परिपद् , और
 - (५) ग्राम मन्त्रिवालय जिम्हा प्रधान कार्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में होगा ।
- मार्च १९४६ में मंत्रियों के सम्मेलन में निम्नलिखित मामलों सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये ६ समितियाँ स्थापित की गईं निःशुल्क गन्त तथा आर्थिक महायता में कटौती, विनियोग योजनाओं का समन्वय, राजदोषीय नीति, सामाजिक नीति, मुद्रा तथा व्यापारिक नीति और कृषि नीति ।
- निम्न अक्टूबर १९५० का सम्मेलन आंतरिक नीतियों में एकरूपता कायम करने

में असफल रहा। इसका मुख्य कारण नीदरलैंड और बेल्जियम तथा लक्समबर्ग में वेतन स्तर में ३० प्रतिशत का अंतर था। डच सरकार ने अपने यहां के वेतन स्तर में वृद्धि करने से इसलिये इन्कार कर दिया कि इससे उनके निर्यात कम हो जायेंगे और बेल्जियम वेतन स्तर इसलिये घटाने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि उससे बेल्जियम का जीवन स्तर गिर जायेगा।

जान गुरमाघटिंग के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता, “वेनेलक्स सफल रहा” लेकिन यह भी कहना उचित नहीं होगा कि उक्त प्रयास नितात असफल रहा। यह तो मानना ही पड़ेगा कि वेनेलक्स से कुछ तरक्की हुई और विदेश नीति की दिशा में कुछ सीमा तक सुदृढता कायम हुई और इससे जो रास्ता कायम हुआ वह अच्छा रहा। वास्तव में इसकी सफलता के रास्ते में बुनियादी बाधाएँ निम्नलिखित थीं: वेनेलक्स के सदस्य देशों में आर्थिक कार्यवाही के क्षेत्रों में होड, एटवर्प और राटर्डम बन्दरगाहों में प्रतिद्वन्दिता का प्रश्न, दोनों पड़ोसियों में उत्साह का न होना। इसके सीमित क्षेत्र तथा कई प्रकार की कमियों के बावजूद प्रादेशिक व्यवस्था के रूप में वेनेलक्स सघ का निर्माण बड़े महत्व का है।

ब्रुसेल्स संधि सगठन

४ मार्च १९४७ को फ्रान्स और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने डकर्क संधि पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार यह तय हुआ कि दोनों में किसी देश पर बाहरी आक्रमण हुआ तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इस संधि की श्रवधि १५ वर्ष रखी गई। २२ जनवरी १९४८ को ब्रिटिश विदेश मंत्री अर्नेस्ट बेविन ने ब्रिटिश लोक सभा में अपने एक सामयिक भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि सोवियत द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार करने में भारी खतरा पैदा हो गया है और हमें उमका मुकाबला करने के लिये शीघ्र ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। आपने कहा, “आज प्रत्येक देश में कम्युनिस्ट वे रोक टोक प्रवेश करते जा रहे हैं। पूर्वी यूरोप में सोवियत रूस की सीमाएँ बढ़कर स्टेटिन, ट्रिस्ट और आल्प्स तक पहुँच गई हैं। आश्चर्य की बात है कि इतना विस्तार होने पर भी अभी रूस को संतोष नहीं हुआ।” आपने आगे कहा कि कम्युनिस्ट प्रसार को रोकने के लिये आज यह जरूरी है कि हम फ्रान्सीसी मित्रों के साथ मिलकर वेनेलक्स देशों से सम्पर्क बढ़ायें। हम पश्चिमी यूरोप की एक पृथक इकाई बनाने पर विचार कर रहे हैं। यदि हम शक्ति और अपनी प्रभुवत्ता कायम रखना चाहते हैं तो हमें ऐनी नैतिक और भौतिक ताकतों का सगठन करना होगा जिसके प्रति पश्चिमी देशों में विश्वास तथा बाहर के लोगों में सम्मान पैदा हो। इसका मतलब यह होगा कि ब्रिटेन यूरोप में अलग लड़ा

नही होगा और अपने पड़ोसी यूरोपीय देशों की समस्याएँ अपनी समस्याएँ समझेगा।

वेनेलक्स देशों ने वेविन योजना का हृदय से समर्थन किया। ब्रिटेन, फ्रांस और वेनेलक्स देशों के प्रतिनिधि मण्डलों में एक संधि हुई जिस पर १७ मार्च १९४८ को ब्रुसेल्स में सम्मिलित देशों के विदेश मंत्रियों के हस्ताक्षर हुए। सामूहिक सुरक्षा के लिए उक्त समझौता आवश्यक बताया गया। अनुच्छेद ४ के अनुसार किसी भी सम्बन्धित देश पर बाहरी हमला होने पर उसे अविलम्ब सैनिक सहायता दी जायेगी। संधि के अनुसार सदस्य राज्यों में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहयोग कायम किया जायेगा तथा परामर्शदातृ परिषद् नामक एक राजनैतिक-संस्था द्वारा सभी कार्यवाहियों का समन्वय किया जायेगा जिसमें सयुक्त सुरक्षा योजना तथा कार्यवाहियाँ शामिल होंगी।

परामर्शदातृ परिषद्—ब्रुसेल्स संधि सगठन की यह सबसे प्रभावशाली तथा शक्तिशाली संस्था है। इसमें संधि में सम्मिलित पाँच राज्यों के विदेश मंत्री शामिल हैं। इसकी बैठक प्रत्येक देश की राजधानियों में बारी-बारी से तीन महीने में कम से कम एक बार होती है। प्रारम्भिक बैठकों में परिषद् ने ब्रुसेल्स संधि के एक सम्पर्क स्थापित करने तथा परामर्श देने के लिये स्थायी आयोग की स्थापना की। परामर्शदातृ परिषद् तथा स्थायी आयोग को सहयोग देने के लिये एक छोटा किन्तु योग्य सचिवालय भी है।

सुरक्षा सगठन—चूँकि ब्रुसेल्स संधि एक प्रारम्भिक सुरक्षा व्यवस्था है इसके केवल दो प्रमुख भाग हैं—उच्च निर्देशन विभाग तथा कमान सगठन। इसकी पाँच प्रमुख समितियाँ हैं (१) सुरक्षा समिति (२) सेनाध्यक्ष समिति (३) सैनिक समिति (४) सैनिक रसद वोट (५) रसद कार्य कारिणी समिति। अमरीका और कनाडा के प्रतिनिधियों ने भी पिछली चार समितियों की बैठकों में विशेष निमंत्रण पर गौर सदस्य के रूप में भाग लिया।

आर्थिक तथा सामाजिक सगठन—जुलाई १९४८ को परामर्शदातृ समिति ने निश्चय किया कि निकट आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग कायम करने के लिये पाँच देशों के वित्त प्रतिनिधियों की बैठक हुआ करेगी। समिति ने निम्नलिखित समितियाँ स्थापित की, (१) पाँच देशों में निकट सांस्कृतिक सम्बन्धों की स्थापना के लिये सांस्कृतिक विशेषज्ञों की एक समिति, (२) सामाजिक नियमों विशेषकर सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का अध्ययन तथा उनमें सुधार के लिए सामाजिक विशेषज्ञों की समिति (३) नावजनित स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञों की एक समिति, (४) नाट्रेंगन (एक देश में दूसरे देश में जात्रर बनने) उपसमिति। पाँच देशों में एक दूसरे देश में प्रवेश के लिये पहने जाने परियत्र व्यवस्था को बहू समाप्त कर दी

गई। यात्रा सुविधा के लिये एक सांस्कृतिक प्रमाण पत्र चालू किया गया— उक्त देशों में परस्पर विद्यार्थियों, युवक कार्य-कर्ताओं तथा विश्व-विद्यालय के शिक्षकों का आदान प्रदान चालू किया गया।

यूरोपीय एकता की दिशा में जिसके सम्बन्ध में वर्षों से बातचीत की जा रही थी यह बड़ा महत्वपूर्ण तथा प्रथम कानूनी कदम बताया गया है। पश्चिमी यूरोप के देशों में निकट आर्थिक, राजनैतिक, सैनिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण की दिशा में पश्चिमी संघ के रूप में यह प्रथम जोरदार कदम बताया गया है।

यूरोपीय परिषद्

१० मई १९४८ को हेग यूरोपीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर एक यूरोपीय असेम्बली की स्थापना का समर्थन किया। दो मास बाद ब्रुसेल्स सन्धि की परामर्शदातृ परिषद् की बैठक में जार्ज विदो ने सुझाव रखा कि एक ऐसी असेम्बली की अखिलम्व स्थापना पर विचार करना चाहिये जिसमें न केवल ब्रुसेल्स समझौता के सदस्य पाँच राष्ट्रों के सदस्य प्रतिनिधि शामिल हों बल्कि उन तमाम यूरोपीय देशों के जो उसमें भाग लेना चाहते हों। यूरोपीय आन्दोलन ने उक्त निमन्त्रण को स्वीकार किया और १८ अगस्त को पाल रामादियर के नेतृत्व में थोड़े से देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सयुक्त रूप से तैयार किया गया एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। इस छोटे-से ९ सूत्री स्मरण पत्र को फ्रांसीसी सरकार का समर्थन प्राप्त हुआ। ब्रुसेल्स संधि सगठन की परामर्शदातृ परिषद् ने उक्त सिलसिले में ठोस प्रस्ताव पर तैयार करने के लिये एडवर्ड हेरियट की अध्यक्षता में १८ सदस्यों की एक विशेष अध्ययन समिति की स्थापना की। इस समिति की बैठक नवम्बर-दिसम्बर १९४८ में हुई। जनवरी १९४९ में अध्ययन समिति के ब्रिटिश तथा अन्य सदस्यों में मतभेद पैदा हो गया। ब्रिटिश सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का सुझाव मन्त्रियों की एक असेम्बली की स्थापना का था जबकि ब्रिटिश सदस्यों का सुझाव मन्त्रियों की एक समिति बनाने का था। अन्त में मन्त्रिमण्डलीय स्तर पर यह तय हुआ कि उक्त दोनों सस्थायें स्थापित की जायं।

७ मार्च १९४९ को स्थायी समिति में लन्दन स्थित डेन्मार्क, इटली, नार्वे, स्वीडन के राजदूत तथा आयरलैंड के हाई कमिश्नर शामिल हो गये। इस तरह यूरोपीय परिषद् के निर्माण के लिये प्रारम्भिक सम्मेलन का अस्तित्व पड़ा। सर ग्लाडविन जेब की अध्यक्षता में उक्त सम्मेलन में एक समझौता हुआ जिसे ३ मई को १० मन्त्रियों के समक्ष पेश किया गया जिस पर ५ मई १९४९ को उन्होंने हस्ताक्षर किये। यूरोपीय परिषद् की विधान संहिता हस्ताक्षरकर्ता ७ देशों द्वारा सम्पुष्टि के बाद ३ अगस्त १९४९ को लागू हो गयी।

नियम संहिता के अनुच्छेद १ के अनुसार यूरोपीय परिपद का उद्देश्य इन सदस्य राष्ट्रों के आदर्शों और सिद्धान्तों की रक्षा तथा पूर्ति के लिये उनमें अधिक से अधिक एकता पैदा करना तथा उनकी आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना होगा। उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये परिपद की विभिन्न सस्थाओं के जरिये प्रयत्न किया जायेगा। यह प्रयास पारस्परिक हित के प्रश्नों पर वहस तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कानूनी तथा प्रशासनिक मामलों पर समझौता तथा संयुक्त कार्यवाही द्वारा होगा। जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नों का सम्बन्ध है उक्त अनुच्छेद में उसका उल्लेख नहीं है।

उक्त उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिये नियम संहिता में निम्नलिखित दो समितियों की व्यवस्था की गई (१) मन्त्रियों की समिति और (२) परामर्श-दातृ सभा।

१ मन्त्रियों की समिति—इस समिति में परिपद से सम्बन्धित देशों के विदेश मन्त्री शामिल होंगे। इसका काम यूरोपीय परिपद के उद्देश्य को सफल बनाने सम्बन्धी कार्यवाहियों पर विचार करना होगा जिसमें सम्बन्धित सम्मेलनों तथा समझौतों के निर्णयों तथा विशेष मामलों पर सरकारों द्वारा एक आम नीति अपनाने पर विचार होगा। इस समिति की बैठक परामर्शदातृ सभा के प्रत्येक अधिवेशन के पहले और शुरू में अथवा जब निश्चित किया जाय गुप्त रूप से होगी। सदस्य राज्यों सम्बन्धी इसकी सिफारिशें सर्व सम्मति से होगी (अनुच्छेद २०); कोई भी सिफारिश जब तक सम्बन्धित सरकारों द्वारा स्वीकृत नहीं हो जाती लायू नहीं होगी। मन्त्रियों की समिति आन्तरिक मगठन तथा यूरोपीय परिपद की व्यवस्था सम्बन्धी मामलों पर उक्त सिफारिशों को ध्यान में रख कर निर्णय करेगी।

२ परामर्शदातृ सभा—यह सभा यूरोपीय परिपद की मन्त्रणात्मक समिति है जिनकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। इसमें सम्बन्धित प्रत्येक सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अपने प्रतिनिधियों की मध्या सम्बन्धित सरकारें स्वयं निर्णय करती हैं (अनुच्छेद २५)। दिसम्बर १९५१ में किये गये मसौदन के अनुसार इस सभा में सदस्यों की कुल नग्या १३२ निर्धारित की गई, जिसमें ३ (आइसलैंड, लक्जम्बर्ग और नार) ने १८ (फ्रान्स, ५० जर्मनी, इटली और ब्रिटेन) तक प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था है। सभा में किसी भी मामले पर मन्त्रणा खुले तौर पर होती है और अत्यधिक महत्वपूर्ण मामलों पर प्रस्ताव दो-तिहाई मतों से स्वीकार किये जाते हैं (अनुच्छेद २६)। सभा की एक मध्यायै नमिति है जिसमें २८ सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आम मामलों, आर्थिक प्रश्नों, कानूनी तथा प्रशासनिक मामलों पर विचार के लिए अलग-अलग नमितियाँ हैं। मन्त्रियों की नमिति तथा परामर्शदातृ सभा को सहाय्य देने के लिये

एक सेक्रेटरी जनरल और एक उप-सेक्रेटरी जनरल के अधीन एक सचिवालय है जिसका प्रधान कार्यालय स्ट्रासबर्ग में है (परिच्छेद ६)। इस समय यूरोपीय परिषद में १४ नियमित सदस्य हैं जिनमें ब्रुमेलस सधि से सम्बन्धित देश, डेनमार्क, यूनान, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, नार्वे, स्वीडन, तुर्की, ५० जर्मनी और सार सम्मिलित हैं।

यूरोपीय परिषद अपने प्रारम्भिक ७ वर्षों की उम्र में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहीं तक सफल हुयी है इसका अनुमान लगाना वास्तव में अत्यन्त कठिन है। परिषद को वास्तविक सफलता वास्तव में बहुत कम मिली। परामर्शदातृ सभा की बैठकें यूरोपीय जनता के विचारों का निर्देशन करने तथा उनमें विवेक पैदा करने में कहीं तक सफल हुई तथा परिषद के प्रस्तावों से सम्बन्धित सरकारें कहीं तक प्रभावित हुई इस सम्बन्ध में अपनी-अपनी अलग-अलग राय हो सकती है। यह तो कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि यह प्रयास निकट यूरोपीय एकीकरण की दिशा में काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। १९५० में परिषद में मानव अधिकारों सम्बन्धी एक यूरोपीय समझौता पर हस्ताक्षर हुए।

यह कहना गलत न होगा कि परिषद की अधिकांश निष्फल तथा निरर्थक बहन के कारण परिषद के कई उत्साही समर्थकों को निराश होना पड़ा। यहाँ तक कि पाल हेनरी स्पाक ने १९५१ में अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक दे दिया। इस परिषद की असफलताओं के लिये कुछ हद तक जिम्मेदार विधान संहिता की वास्तविक धाराएँ भी हैं जैसे परामर्शदातृ सभा के पास अधिकार का अभाव, मंत्रियों की समिति को निषेधाधिकार तथा परिषद के प्रतिनिधियों पर अन्य देशों के प्रति जिम्मेवारी न होना जैसा कि मैक्स सारेनसन ने 'Year Book of World Affairs 1952' नामक पुस्तक में प्रकाशित अपने 'यूरोपीय परिषद' लेख में लिखा है। लेकिन वास्तव में असफलताओं का दुनियादी कारण सदस्य सरकारों द्वारा अनिवार्य उत्तरदायित्वों को पूरी तरह पालन न करना था।

उत्तरी अतलातिक सन्धि सङ्गठन (नाटो)

पश्चिमी यूरोप में ब्रेनेलक्स से लेकर यूरोपीय परिषद तक की गई विभिन्न प्रकार की, प्रादेशिक व्यवस्था के अनुभव ने यहाँ तक कि निकट एकीकरण के सच्चे समर्थकों तक में विश्वास पैदा कर दिया कि वर्तमान व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के वट्टे हुए खतरे का सामना करने के लिये पर्याप्त नहीं। अनुभव किया गया कि सुरक्षा और प्रगति को अलग-अलग नहीं रखा जा सकता। यदि सुरक्षा नहीं तो तरक्की असम्भव है।

वाल्टर लिप्मान के अनुसार वास्तव के अतलातिक समुदाय कायम करने की बात ३० वर्ष से भी अधिक काल से सोची जा रही थी। इस आन्दोलन

सुरक्षा और उत्थान के लिये दो महायुद्ध लड़ने पड़े। विश्व इतिहास में वास्तव में ४ अप्रैल १९४६ एक महत्वपूर्ण तिथि है न केवल इसलिये कि इस दिन विश्व के राष्ट्रों ने नयी जिम्मेदारियाँ ग्रहण की बल्कि इसलिए भी कि उस दिन एक ऐसे नये राजनैतिक तथ्य को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई जिसका विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। वह तथ्य है पारस्परिक हित की भावना जो पहले केवल एक यथार्थ थी लेकिन अब कानूनी तौर पर स्वीकार कर ली गई है।

४ अप्रैल १९४९ को वाशिंगटन में १२ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने उत्तरी अतलांतिक संधि पर हस्ताक्षर किये। हस्ताक्षर करने वाले देश थे अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली पुर्तगाल, नार्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, बेनेलक्स देश (नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्सम्बर्ग)। इस संधि की अवधि २० वर्ष रखी गई (अनुच्छेद १३)। कोई भी सदस्य राष्ट्र जो संधि से अलग होना चाहे अमरीका को एक वर्ष का नोटिस देकर अलग हो सकता है। संधि की प्रस्तावना में कहा गया है कि संधि से सम्बन्धित तमाम देश अपनी स्वतन्त्रता, सामान्य परम्परा, तथा अपने यहाँ की जनता की सम्यता की जो जनतन्त्री सिद्धान्तों, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा नियम विधान पर आधारित है, रक्षा करेंगे। वे उत्तर अतलांतिक क्षेत्र में सुदृढता कायम करने में योग देंगे। संधि में निर्णय किया गया है कि तमाम सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा तथा शांति व सुरक्षा कायम करने के लिये परस्पर मिलकर काम करेंगे। फरवरी १९५२ में लिस्वन में हुए सम्मेलन के अवसर पर यूनान और टर्की भी संधि सगठन से शामिल कर लिये गये (अनुच्छेद १०)। ५ मई १९५५ को पश्चिमी जर्मनी को संधि सगठन का सदस्य बना लिया गया। इस तरह सगठन में कुल १५ सदस्य हो गये।

संधि के अनुच्छेद ४ के अनुसार किमी भी सदस्य राष्ट्र की प्रादेशिक एकता, राजनैतिक स्वतन्त्रता अथवा सुरक्षा को खतरा पैदा होने की हालत में संधि सगठन के सभी सदस्य राष्ट्र उसका मामना करने के लिये मिलकर परामर्श करेंगे। लेकिन अनुच्छेद ५ और अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार यूरोप अथवा उत्तरी अमरीका में कहीं भी एक अथवा अधिक सदस्य राष्ट्रों पर सशस्त्र आक्रमण सभी सदस्य राष्ट्रों पर आक्रमण ममभा जायेगा। इस तरह सदस्य राष्ट्र मयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र के अनुच्छेद ५१ के अंतर्गत व्यक्तिगत अथवा सामूहिक सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करेंगे और उत्तर अतलांतिक क्षेत्र में सुरक्षा कायम करने में एक दूसरे को सहयोग देंगे। न्याय हमने तथा उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों की सूचना तत्काल सुरक्षा परिषद के पास पहुँचा देनी होगी। अनुच्छेद ३ में सशस्त्र हमले का मामला होने के लिये व्यक्तिगत तथा सामूहिक शक्ति के विकास के लिये सक्रिय व्यक्तिगत सहायता तथा पारस्परिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद १०

के अनुसार सधि सगठन के राष्ट्र सर्व सम्मति से निर्णय करके किसी भी अन्य यूरोपीय देश को सधि में शामिल होने के लिये आमन्त्रित कर सकते हैं। सधि के १० वर्ष पूरे हो जाने के बाद सदस्य राष्ट्र मिलकर सधि पर पुनर्विचार करेंगे। (अनुच्छेद १२)।

दूसरे पृष्ठ पर दिये गए मानचित्र में नाटो के वर्तमान ढाँचे में नई अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के अनुसार निम्नलिखित आवश्यक परिवर्तन किये गए हैं :—

उत्तर अतलातिक परिपद् तथा स्थायी परिपद्—उत्तरी अतलातिक सधि को समुचित ढंग से लागू करने सम्बन्धी मामलो पर विचार के लिए एक परिपद् होगी जिसका सगठन इम प्रकार से किया जायगा कि वह किसी भी समय तत्काल सुदृढ कार्यवाही कर सके (अनु० ६)। आरम्भ में इम परिपद् में सदस्य राष्ट्रों के विदेश मन्त्री शामिल किये गये लेकिन १९५१ में नोटों की गति-विधियों के क्षेत्र में विस्तार किये जाने पर परिपद् के अन्तर्गत सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए परिपद् के अन्तर्गत सुरक्षा, अर्थ तथा वित्त मन्त्रियों की सहायक सस्याएँ भी स्थापित करने की व्यवस्था की गई। यह भी निर्णय हुआ कि परिपद् की बैठकों के बीच अंतरकाल में विभिन्न कार्यों को सम्भालने के लिए प्रतिनिधियों की एक स्थायी समिति होगी जिसका कार्यालय लंदन में होगा। स्थायी समिति निम्नलिखित कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगी (१) उत्तरी अतलातिक सन्धि की सुरक्षा एजेन्सियों के कार्यों में समन्वय पैदा करना (२) समन्वयात्मक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वय के लिये आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश करना (३) सामान्य हित सम्बन्धी राजनैतिक मामलो पर विचार (४) सन्धि के उद्देश्यों की प्रगति के लिए सार्वजनिक सूचनाएँ प्राप्त करना (५) सन्धि के अनुच्छेद २ के अन्तर्गत राजनैतिक तथा आर्थिक सहयोग के लिए कार्यवाहियों पर विचार करना। उत्तरी अतलातिक परिपद् की फरवरी १९५२ में लिस्बन में हुई बैठक में प्रतिनिधियों की परिपद् के स्थान पर एक स्थायी परिपद् की स्थापना की गई जिसका प्रधान कार्यालय पेरिस में रखा गया। इस परिपद् में सभी सदस्य देशों के मन्त्रिमण्डलीय स्तर पर प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। यह परिपद् उत्तरी अतलातिक सन्धि सगठन की केन्द्रीय नस्था है। अन्य सस्याएँ इससे सम्बन्धित हैं।

मैनिंक समिति—स्थायी परिपद् के अंतर्गत एक सैनिक समिति है जिसमें केवल आइसलैण्ड को छोड़ कर जिनके पाम सशस्त्र सेनाएँ नहीं हैं सभी सदस्य राष्ट्रों के सेनाध्यक्ष शामिल हैं। समिति की बैठक वार्षिक होती है। इस समिति को सहयोग देने के लिए नैतिक प्रतिनिधियों का एक स्थायी दल (Standing Group) है जिसमें ब्रिटेन, फ्रान और अमरीका के सेनाध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि शामिल हैं। यह दल ममस्त उत्तरी अतलातिक-ढाँचे की प्रधान सैनिक इकाई है। इस दल का प्रधान कार्यालय

राष्ट्र खर्चों का निम्न लिखित भाग बर्दाश्त करेंगे — बेल्जियम ५०६, कनाडा ७१३, डेन्मार्क ३०५, फ्रांस १३७५, यूनान १०१, इटली ६५०, लक्समबर्ग, ०२०, नीदरलैंड ४०७, नार्वे २५४, पुर्तगाल ०३२, तुर्की २०३, ब्रिटेन ११४५, अमरीका ४२८६ प्रतिशत। नाटो के मस्यको का दावा है कि केवल वे ही सैनिक शक्ति पर सतुलन कायम किये हुए हैं। इस सतुलन के मुख्य कारण ये हैं — (१) यूरोप में शक्तिशाली सैनिक ताकत की ढाल जिसके पास बी-४७ बममारक विमान हैं, (२) नाटो राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जिसका मतलब यह है कि बिना सोवियत सघ की सहायता लिये कोई राष्ट्र अकेला यूरोप में किसी भी राष्ट्र पर हमला नहीं कर सकता। और (३) अमरीकी आर्थिक सहयोग जो नाटो को पर्याप्त माल सप्लाई कर सकता है।

नाटो की प्रथम महत्वपूर्ण सफलता इसका उत्तर अतलातिक क्षेत्र के पूर्वी भूमध्य क्षेत्र तक विस्तार होना है जिसमें यूनान और तुर्की भी शामिल हो गये हैं। दूसरे पश्चिमी जर्मनी जिसके पास ५ लाख सैनिकों की सेनायें हैं उसके पुनः शस्त्रीकरण और उसके नाटो का सदस्य बन जाने से नाटो की सैनिक ताकत और सुदृढ बन गई है। तीसरे इसके पास आधुनिक युद्ध कौशल में प्रवीण दल तथा नौ सेनायें भी हैं। इसके अतिरिक्त नाटो के पास हवाई सेना है और उसके पास ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा मध्यरुस में अणुबम पहुँचाया जा सकता है। नाटो की सेनाओं के पास आधुनिक ढंग के अणुबम, तीव्रगामी लडाकू बम मारक विमान, विना चालक के मॉटेडर रेडियो नियंत्रित बम वर्षक विमान, २८०-एम० एम० अणुबम तोप (जिसकी तीन टुकड़ियाँ जर्मनी में हैं), Guided Missiles, नाटो के सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय केन्द्रीय मोर्चों में ५ लाख सैनिक (१९५३) हैं जबकि पूर्वी जर्मनी में लाल सेना के सैनिकों की संख्या लगभग ४ लाख है। इसके अतिरिक्त नाटो के पास ४८ सक्रिय सैनिक डिबिजन हैं जिनमें लगभग ३८०० जेट विमान और ३५० जेट विमान अड्डे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नाटो ने सम्बन्धित १५ सदस्य राष्ट्र यूरोप के महत्वपूर्ण गैर सदस्य राष्ट्रों में भी सम्बन्धित हैं जैसे यूगोस्लाविया जो स्वतन्त्र बालकान मंत्री नमभौते में सम्बन्धित है और स्पेन जो स्वतन्त्र मघि द्वारा अमरीका से सम्बन्धित है। इस तरह नाटो की उन गुथी हुई व्यवस्था के मातहत व्यावहारिक तौर पर पश्चिमी यूरोप के सम्पूर्ण क्षेत्र और उत्तरी अमरीका शामिल हो गये हैं। नाटो का अपना एक अलग प्रतिरक्षा कार्यालय है जिसकी स्थापना १९५२ में की गई। उसमें १५ सदस्य राष्ट्रों के अफसरों तथा अन्य कर्मचारियों को एक दूसरे के निकट लाने के लिये पेरिस में एक प्रतिरक्षा फॉरिज खोला गया है जिसमें उनके लिये खान नमन्याओं के अनुबन रूप में अग्रयन की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में नमन्या पंदा रचना और नाटो की विभिन्न नमन्याओं जैसे स्थायी

सचिवालय तथा विभिन्न सैनिक प्रशिक्षण कार्यालयों में नियुक्ति के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। यूरोप में सर्वोच्च मित्र राष्ट्र सेनापति जनरल ग्रथर के शब्दों में हम अभी भी इतने शक्तिशाली नहीं बन पाये हैं कि सोवियत आक्रमण का खुलकर मुकाबला कर सकें लेकिन इतना अवश्य है कि हमने एक ऐसी ढाल तैयार कर ली है जो तथा कथित आकस्मिक युद्ध तथा सैनिक आक्रमण को रोक सकेगी। तो भी नाटो इतना मजबूत हो गया है कि आक्रमणकारी को दोबारा हमला करने का जल्दी साहस नहीं होगा। अमरीका के भूतपूर्व विदेश मंत्री डीन एचेसन का कहना है कि इस संधि का वास्तविक उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के विशाल परिवार में विश्वास तथा एकता की भावना स्थापित करना है जो वास्तव में शताब्दियों के अथक प्रयास का परिणाम है। ब्रिटेन के भूतपूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय अर्नेस्ट बेविन के शब्दों में पृथक इकाइयों की कड़ी ही जनतन्त्र नहीं वरन् इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है।

आलोचना—उत्तरी अतलातिक संधि के आलोचकों ने प्रादेशिक व्यवस्था की व्याख्या पर आपत्ति उठाते हुए उसे सयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र के विरुद्ध बताया है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से यूनान और तुर्की को उत्तरी अतलातिक घेरे में शामिल नहीं किया जा सकता जिससे विशेष तथा उलझनपूर्ण समस्याएँ पैदा हो गई हैं। गोआ सम्बन्धी भारत-पुर्तगाली विवाद के ऊपर, पुर्तगाल ने उत्तरी अतलातिक संधि के अनुच्छेद ४ की ओर संकेत किया है। इसके अतिरिक्त नाटो के सदस्य यह जानने के लिये प्रयत्नशील हैं कि परस्पर विरोधी हितों सम्बन्धी उठने वाले विवादों का कैसे निवटारा किया जाये और समान नीतियाँ कैसे कायम की जायें। निम्नलिखित तीन विवादास्पद मामले उक्त विषय को पूरी तरह स्पष्ट कर देंगे। ये हैं (१) सार के प्रश्न पर फ्रेंको-जर्मन मतभेद (२) साइप्रस समस्या पर यूनान ब्रिटिश मतभेद (३) स्वेज नहर विवाद पर आंग्ल-अमेरिकी मतभेद जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर १९५६ में मित्र पर आंग्ल फ्रांसीसी आक्रमण हुआ। लेकिन नाटो की सबसे तीखी आलोचना सोवियत संधि की ओर से की गई जिसने नाटो को विश्व पर शक्ति द्वारा आंग्ल अमरीकी शासन कायम करने का एक आक्रमणकारी समझौता बताया है। उसने कहा है कि उम प्रकार का समझौता सयुक्त राष्ट्रसंघ की बुनियाद का क्षति पहुँचा रहा है। सोवियत संघ का कहना है कि उत्तरी अतलातिक संधि को आमतौर पर एक प्रादेशिक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें विश्व के दोनों गोलार्द्ध के देशों को शामिल किया गया है जिनका उद्देश्य विभिन्न प्रादेशिक समस्याओं का निवटारा न करके अमरीका तथा ब्रिटेन जैसे देशों की विदेश नीतियों की पुष्टि करना है जो विश्व के प्रत्येक राज्यों के आंतरिक मामलों में

हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। यह दावा करना केवल विडम्बना मात्र है कि उत्तरी अतलातिक संधि एक प्रादेशिक व्यवस्था है। वे लोग जो सयुक्त राष्ट्रसंधि के घोषणापत्र के अनुच्छेद ५२ का सम्मान करते हैं वे कभी भी उक्त दावा स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि उत्तरी अतलातिक संधि अनुच्छेद ५२ के आधार पर स्थापित न होकर सयुक्त राष्ट्रसंधि के घोषणापत्र तथा बुनियादी सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। लेकिन नाटो के सदस्यों ने सोवियत संधि के उक्त आरोपों का जोरदार शब्दों में विरोध किया है। नाटो के समस्त सदस्य राष्ट्र इस बात के लिये दृढ़ संकल्प हैं कि अतलातिक सेना को आधुनिक शस्त्रों से सशस्त्र करके उसे काफी मजबूत बनाया जाय जिससे नाटो की स्थिति इतनी मजबूत हो जाय कि उसका कोई भी सदस्य राष्ट्र, कम्युनिस्ट ग़ुट जैसे निरकुश व तानाशाह दलों का शिकार न हो सके।

यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय

विदेशी मामलों के क्षेत्र में कुछ योजनायें शूमा योजना की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुईं। इसका अन्दाज इन बातों से लगता है जैसे राजनैतिक दृष्टि से फ्रेंको-जर्मन सम्बन्धों के निवटारे के लिये उपयोग किये गये साधनों की प्रशंसा, यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था में एक सर्वोच्च राष्ट्रीय अधिकार की व्यवस्था तथा सम्बन्धित देशों में कोयला तथा इस्पात उत्पादन का महत्व।

६ मई १९५० को फ्रांसीसी विदेश मंत्री रावर्ट शूमा (Robert Schuman) ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें उन्होंने यूरोपीय कोयला तथा इस्पात उद्योगों में समन्वय की माँग की। उन्होंने सुझाव दिया कि तमाम फ्रेंको जर्मन कोयला तथा इस्पात उत्पादन को एक सयुक्त उच्चाधिकार प्राप्त सन्स्था के मातहत किया जाय जिसका द्वार अन्य देशों के लिये खुला हो। शूमा के अनुसार इस सन्स्था में स्वतन्त्र विचार के लोगों को सम्मिलित किया जाय जिनका चुनाव सम्बन्धित सरकारों द्वारा समानता के आधार पर किया जाय और इसमें सयुक्त राष्ट्रसंधि का भी एक और प्रतिनिधि हो जो नयी सन्स्था के कार्यों तथा विशेषकर इसके शान्तिपूर्ण उद्देश्यों की रक्षा सम्बन्धी कार्यों की रिपोर्टें वर्ष में दो बार प्रस्तुत करे। उच्चाधिकार प्राप्त सन्स्था ने तिर्गों को सभी सदस्य देशों की मानना होगा। शूमा के अनुसार जर्मनी और फ्रांस में युद्ध न केवल अविचारगर्तीय है बल्कि असम्भव भी है। उनका कहना है कि उन समय हमारे मानने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य सदस्य राष्ट्रों के सहयोग से एक ऐसा मण्डल बाजार कायम करना है जिसमें सम्बन्धित देशों के मालों का व्यापार तटस्थ अथवा अन्य नियंत्रणों से सुरक्षित रहकर स्वतन्त्र रूप से चलता रहे।

बेन्जामिन, जर्मनी, इटली, लक्षमन्वर्ग और नीदरलैंड ने बिना किसी हिच-

किचाहट के शूर्मा की अपील का समर्थन किया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित देशों के मालिक, श्रमिक तथा सरकारी प्रतिनिधियों से वार्ता २० जून १९५० को आरम्भ हुई और १९ मार्च १९५१ को समाप्त हो गई। इस वार्ता में एक सधि मसविदे पर सम्बन्धित देशों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय के सधि मसविदे पर १८ अप्रैल १९५१ को हस्ताक्षर हुये जिसमें एक सवीय ढग की सस्था की स्थापना की व्यवस्था की गई। सधि के प्रलेखों में १०० अनुच्छेद हैं जिनमें कोयला तथा इस्पात यूरोपीय समुदाय के अधिकारों तथा सुविधाओं सम्बन्धी मसविदा, न्यायिक अदालत का कानून संहिता सम्बन्धी मसविदा, यूरोपीय परिषद् के साथ सम्बन्धों का एक मसविदा, जर्मन और फ्रांस सरकारों में सार क्षेत्र सम्बन्धी पत्रों का आदान प्रदान तथा समय-समय पर की जाने वाली कार्यवाहियों पर विस्तृत सम्मेलन से ऐसी पेचीदी स्थिति पैदा हो गई कि वह राजनैतिक आर्थिक, तथा न्यायिक दृष्टियों से भारी आलोचना का विषय बन गया।

अनुच्छेद २ के अनुसार यूरोपीय समुदाय का काम सम्मिलित देशों में एक बाजार कायम करने, आर्थिक विस्तार तथा बेकारी दूर करने की पर्याप्त व्यवस्था तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

कोयला और इस्पात के व्यापार के लिये एक बाजार कायम करने के लिये (क) कोयला तथा इस्पात की आयात और निर्यात चुगी तथा यात्रा सम्बन्धी नियन्त्रणों को समाप्त करना होगा, (ख) उत्पादकों, खरीदारों और उपभोक्ताओं के बीच भेद-भाव को रोकना होगा, (ग) सरकारी सहायता तथा (घ) ऐसे नियन्त्रणों को समाप्त करना जिनसे बाजारों में भेद रहे अथवा उपभोक्ताओं का शोषण होता हो (अनु० ४)।

सधियों में निम्नलिखित ५ समितियों की व्यवस्था की गई है— उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High Authority) जो एक परामशदातृ समिति की सलाह से कार्य करे, साधारण सभा (Common Assembly), मंत्रियों की विशेष परिषद् (Special Council of Ministers) तथा एक न्यायिक अदालत (Court of Justice) (अनु० ७)।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति—उक्त समितियों में उच्चाधिकार प्राप्त समिति सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्ति सम्पन्न है जो कि सन्धि के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उत्तरदायी है। इसके ९ सदस्य हैं जो साधारण योग्यता पर चुने जाते हैं। इसमें से ८ की नियुक्ति सरकारों की सर्वसम्मति से होती है और नवां सदस्य इन आठों निर्वाचित सदस्यों द्वारा शामिल किया जाता है। इन सदस्यों में किसी भी एक देश के दो से अधिक नागरिक नहीं होने चाहिए। इनका कार्यकाल ६ वर्ष का

होता है और वे अपने प्रशासन कार्यों के लिए समुदाय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय सर्वसम्मति से होने आवश्यक नहीं (अनु० १३)। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना ६ सदस्य राज्यों, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, लक्सम्बर्ग, बेल्जियम तथा नीदरलैंड द्वारा सन्धि की सम्पुष्टि कर देने के बाद अगस्त १९५२ में हुई। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य समुदाय के हित के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करते हैं। उन्हें न तो किसी सरकार अथवा सस्था से निर्देश लेने की आवश्यकता होती है और न उन्हें रिपोर्ट देने की। ६ सदस्य राज्यों ने सधि स्वीकार करते समय अपने-अपने प्रभु-सत्ता अधिकार (Sovereign Powers) में से कुछ ऐसे अधिकारों को जो पूँजी लगाने, भाव निर्धारित करने, उत्पादन, वेतन तथा श्रमिकों के पुनर्वास से सम्बन्धित हैं उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सौंप दिये हैं। अत उच्चाधिकार प्राप्त समिति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं—(क) निर्णय देना जो पूर्ण विवरण सहित हो, (ख) सिफारिशें, जो केवल उद्देश्यों के सम्बन्ध में हो, (ग) सलाह देना जिनका सब पर लागू होना आवश्यक न हो (अनु० १८)। उच्चाधिकार प्राप्त समिति को प्राप्त विभिन्न अधिकारों में निजी कोयला तथा इस्पात उत्पादकों पर कर लगाने, सम्बन्धित आज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना करने और धन उधार लेने तथा देने के अधिकार शामिल हैं। सदस्य राज्य, उच्चाधिकार प्राप्त समिति के आदेशों को लागू करने के लिये, यदि आवश्यकता पड़े तो अपनी पुलिस सेना का उपयोग कर सकते हैं।

परामर्शदातृ समिति—इस समिति में सदस्यों की संख्या ३० से ५१ तक है। इन सदस्यों की नियुक्ति परिपद के द्वारा की जाती है। इस समिति में उत्पादकों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं का बराबर प्रतिनिधित्व होता है। इसकी अवधि दो वर्षों की होती है और इसका कार्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सलाह देना है। कई मामलों में मन्त्रि इस बात की भी आज्ञा देती है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति परामर्शदातृ समिति से सलाह मागे। शेष अन्य मामलों में यह समिति आवश्यकतानुसार ऐसा कर सकती है (अनु० १८, १९)।

साधारण सभा—साधारण सभा में ७८ प्रतिनिधि शामिल हैं जो राष्ट्रीय नमदों द्वारा अथवा नीचे चुनावों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। इन प्रतिनिधियों का अनुपात निम्नलिखित होता है—फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली प्रत्येक के १८ प्रतिनिधि, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के १०-१० प्रतिनिधि और लक्सम्बर्ग के ८। अपने मातृराज्य अधिवेशन में सभा उच्चाधिकार प्राप्त समिति की वापिस रिपोर्टें तथा नमदों के प्रश्नों पर विचार करती है। सभा के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा प्रयोजन का विरोध किये जाने पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति को त्याग-पत्र

देने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। ऐसी हालत में जब तक कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों के स्थान पर नये सदस्य नियुक्त नहीं कर दिये जाते हैं तबतक जो मामले इस समिति के सामने होते हैं उन्हें वे निवटायेंगे। इसकी प्रथम बैठक सितम्बर १९५२ में हुई।

मन्त्रियों की परिपद्—एक सस्था जिसका शूमा योजना में उल्लेख नहीं है वह मन्त्रियों की परिपद् है जिसमें कि सदस्य राष्ट्रों के एक-एक मन्त्री शामिल हैं। यह सस्था सदस्य सरकारों और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करती है। मन्त्रियों की परिपद् का मुख्य काम उच्चाधिकार प्राप्त समिति के तथा सम्बन्धित सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। सधि के अनुसार कई मामलों में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के महत्वपूर्ण निर्णयों पर मन्त्रियों की परिपद् की स्वीकृति लेनी होती है जो या तो साधारण बहुमत से हो अथवा निर्धारित बहुमत से हो। बहुमत में उन देशों के प्रतिनिधियों में से एक का मत आवश्यक है जो समुदाय के कुल उत्पादन के २० प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हो अर्थात् फ्रांस और जर्मनी (अनु० २८)। ऐसी सभी स्थितियों में जिनका उल्लेख सधियों में नहीं है उन पर वे निर्णय अथवा सिफारिशें जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दी गई हो तभी लागू होगी जब कि परिपद् उन्हें सर्व सम्मति से स्वीकार कर ले।

न्यायिक अदालत—न्यायिक अदालत को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। इसमें सात न्यायाधीश हैं जो सदस्य सरकारों की सम्मति से ६ वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। उसके अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों अथवा सिफारिशों के विरुद्ध मन्त्री-परिपद्, सदस्य राज्य अथवा निजी कोयला तथा इस्पात एनोशियेशनों की अपीलें न्यायिक अदालत में सुनी जावेंगी। ये अपीलें नियमों तथा सन्धि की धाराओं के उल्लंघन आदि के सम्बन्ध में होगी। न्यायिक अदालत को साधारण सभा अथवा मन्त्री परिपद् की कार्यवाहियों को रद्द कर देने का अधिकार है। असाधारण स्थितियों में अदालत उच्चाधिकार प्राप्त समिति के नियमों पर पुनर्विचार करती है। ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात, जो पुन इस सस्था के सर्वोच्च राष्ट्रीय गुण को प्रमाणित करती है, वह यह है कि अदालत के निर्णय बिना किसी अन्य विधि के “सभी सदस्य राष्ट्रों के क्षेत्र में लागू होते हैं।” (अनुच्छेद ४४)। इसका प्रधान कार्यालय लक्सम्बर्ग में है।

मूल्यांकन—आलोचकों ने यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय के ढाँचे और संगठन में कई प्रकार की त्रुटियों की ओर सज्जत किया है। कहा गया है कि—परामर्शदातृ समिति, साधारण सभा (असेम्बली), मन्त्री परिपद् तथा न्यायिक अदालत

द्वारा उच्च अधिकार प्राप्त ममिति पर प्रयोग किये जाने वाले नियन्त्रणों के कारण इस सर्वोच्च राष्ट्रीय सस्था का महत्व कुछ कम हो गया है क्योंकि उक्त नियन्त्रणों को कुछ सदस्य राज्यों की सरकारें प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करती हैं।

राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार प्रभुसत्ता (Sovereignty) अविभाज्य तथा असीमित है इसलिए सदस्य-राज्यों के लिए यह सम्भव नहीं कि वे अपनी प्रभुसत्ता को मूल तथा इस्पात के मामले पर समर्पण कर दें और शेष प्रभुसत्ता के अधिकारों को अपने पास कायम रखें। तो भी यह कहा जा सकता है कि यह प्रथम प्रादेशिक व्यवस्था है जो सर्वोच्च राष्ट्रीय गुणों से सम्पन्न है। इसकी सफलता से इसी प्रकार की अन्य एकीकरण सम्बन्धी योजनाओं को प्रोत्साहन मिला जैसे यूरोपीय प्रतिरक्षा समुदाय जो कि एक सैनिक संगठन है। यह उल्लेखनीय होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कोयला तथा कच्चा लोहा पर सीमा-कर में १ मई १९५६ में एक तिहाई कटौती कर दी गई है। इस्पात पर भी सीमा-कर १ मई १९५७ को समाप्त कर दिया जायगा। इसके साथ ही यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय ने १९५४ में इससे पहले की अपेक्षा अधिक इस्पात का उत्पादन किया है।

१९५३ में उत्पादन में १० प्रतिशत वृद्धि का परिणाम और १९५२ में ४ प्रतिशत वृद्धि का परिणाम था कि १९५४ में ४ करोड़ ३७ लाख टन का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार कोयले का उत्पादन १९५३ के उत्पादन में २ प्रतिशत वृद्धि से २४ करोड़ १६ लाख टन तक पहुँचा जो १९३९ के बाद से सर्वाधिक है।

दूसरी महत्वपूर्ण प्रगति थी २१ दिसम्बर १९५५ को लंदन में ब्रिटेन और यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर। इसके अनुसार एमोक्षियेशन की एक स्थायी परिपद् की स्थापना की गई जिसमें उच्चाधिकार प्राप्त ममिति के ४ प्रतिनिधि और ब्रिटेन के ४ प्रतिनिधि शामिल किए गए जिनमें से एक सदस्य राष्ट्रीय कोयला बोर्ड और एक लोहा तथा इस्पात बोर्ड के थे। परिपद् का कार्य यह है कि वह ऐसे माधनों की व्यवस्था करे जिससे कि कोयला तथा इस्पात में सम्बन्धित सर्वसाधारण के लाभ के लिए निरन्तर सलाह की जा सके। इसका काम दोनों क्षेत्रों में पारस्परिक व्यापार सम्बन्धी नियन्त्रणों और प्रस्तावों पर विचार करना है।

वालकान समझौता

दूसरी प्रादेशिक मन्था जो हाल में पश्चिमी यूरोप में स्थापित हुई वह वालकान समझौता है। १९५३ में यूनान और टर्की के साथ वालकान मंत्री मन्धि पर मन्था पर हुए। ६ अगस्त १९५४ को यूगोस्लाविया एक समझौते के अनुसार जिसे मन्थानों तोर पर राजनैतिक और सैनिक सहयोग के रूप में समझा जाता है,

टर्की और यूनान के समझौते में शामिल हो गया। यह समझौता २० वर्ष के लिए हुआ। समझौते की शर्तों के अनुसार समझौते के किसी भी हस्ताक्षर कर्ता देश पर अथवा उसके किसी भाग पर आक्रमण को तीनों देशों पर आक्रमण समझा जायगा। जिस देश पर हमला हुआ हो उसकी सहायता वाकी सम्बन्धित देश अलग अलग अथवा सामूहिक रूप से करेंगे। उक्त सिलसिले में कार्यवाहियों के सम्बन्ध में वे पारस्परिक मिलकर विचार करेंगे। इन कार्यवाहियों पर विचार करते समय यह ध्यान रखना होगा कि ये कार्यवाहियाँ नाटो के प्रति यूनान और टर्की के उत्तरदायित्व पर आघात न करें।

इसके तीन अंग हैं . (१) स्थायी परिषद् (२) एक ससदीय परिषद् (३) एक स्थायी सचिवालय।

स्थायी परिषद् में सम्बन्धित देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे और आवश्यकता पड़ने पर विषय-विवाद से सम्बन्धित सरकार का अन्य सदस्य भी शामिल हो सकेगा। स्थायी परिषद् की बैठक न होने पर इसका कार्य स्थायी सचिवालय के द्वारा होगा। परिषद् के समस्त निर्णय सर्वसम्मति से होने आवश्यक हैं।

चीफ ऑफ स्टाफ (सेना के प्रमुख अधिकारी) सचि के अनु० २ और ३ को क्रियान्वित करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। सैनिक विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि पूर्ण सैनिक संगठन के लिये यूगोस्लाविया और टर्की ३५-३५ डिवीजन और यूनान २५ सैनिक डिवीजन देगा।

३ मार्च १९५५ के एक उप समझौते के अनुसार टर्की, यूनान और यूगोस्लाविया के विदेश मन्त्रियों ने तीनों देशों के २०-२० प्रतिनिधियों की एक स्थायी ससदीय परिषद् की स्थापना की। इस परिषद् की बैठक वर्ष में एक बार होती है जिसमें निर्णय परिषद् के बहुमत से नहीं होते वरन् प्रतिनिधियों के बहुमत से होते हैं।

यद्यपि अभी इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं तथापि यह कहना ही होगा कि साइप्रस के प्रश्न को लेकर यूनान और टर्की के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया है। हाल ही में ऐथेन्स में रहने वाले तुर्कियों पर यूनानी राष्ट्रवादी आक्रमण हुए और फलस्वरूप तुर्की और यूनानियों में जो साम्प्रदायिक-दंगे कुस्तुनतुनिया में हुए उनके कारण दोनों देशों के मंत्री सवन्धों को आघात पहुँचा है। अभी यह कहना कठिन है कि बिना साइप्रस-प्रश्न का स्थायी हल हुए यह स्थिति किस प्रकार सुधरेगी।

यूरोपीय सुरक्षा समुदाय

(European Defence Community)

जब सितम्बर १९५० में न्यूयार्क में नाटो परिषद् की बैठक हुई तो अमरीकन

राज्य सचिव डीन ऐचेसन ने सुझाव दिया कि जर्मन द्विवीजनो को पश्चिमी सुरक्षा में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह विचार उस समय के फ्रेंच प्रधान मंत्री रेनेप्लेवन ने उठाया और अक्टूबर में राष्ट्रीय सभा में घोषणा की कि एक सुरक्षा परिपद की सहायता से एक अकेले मन्त्रालय के अन्तर्गत एक ऐसी यूरोपीय सेना का निर्माण होना चाहिए जिसमें छोटे जर्मन-यूनिटों को शामिल किया जाए। प्लेवन-योजना फ्रेंच-असेम्बली द्वारा स्वीकार करली गई, यद्यपि उसमें इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया कि एक जर्मन सेना और सामान्य सेना के पुनर्निर्माण के उद्देश्य पर विरोध रहा।

फरवरी १९५१ में फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लक्सम्बर्ग देशों की एक यूरोपीय परिपद में एक यूरोपीय सेना बनाने की समस्या पर विचार विमर्श हुए। फिर पर्याप्त महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार और हिचकिचाहट के बाद इन छह देशों ने ९ मई १९५२ को यूरोपीय सुरक्षा समुदाय के निर्माण के लिए एक सन्धि के मसविदे पर हस्ताक्षर किए। लेकिन फ्रेंच संसद ने इस सन्धि को मान्यता नहीं दी। जर्मनी सेना के पुनर्जन्म से फ्रांस को नए आक्रमण की सम्भावना का भय हो गया। जर्मन द्वारा अपनी प्रभुमत्ता पुनर्प्राप्त करने के दावे और सैन्य-विशेषज्ञों की उस रिपोर्ट ने इसे बल मिला, जिसमें उनका कहना है कि ब्रिटेन द्वारा असहयोग होने के कारण छोटी जर्मन यूनिटों को यूरोपीय सेना में मिला लेने का विचार क्रियान्वित करने योग्य नहीं है।

जुलाई १९५४ में फ्रेंच असेम्बली ने यूरोपीय सुरक्षा समुदाय के विचार को अस्वीकार कर दिया, जो मान्यता प्राप्त न होने के कारण समाप्त हो गया।

पश्चिमी यूरोपीय सघ (Western European Union)

महत्वपूर्ण दृष्टान्तिक वार्ताओं के बाद ब्रिटिश प्रधान मंत्री सर ऐन्थोनी ईडन के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों में जर्मनी के पुनर्शस्त्रीकरण पर एक नया समझौता हुआ। अक्टूबर १९५४ को ९ पश्चिमी शक्तियों ने—ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्सम्बर्ग—एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें पश्चिमी जर्मनी को एक नयी सुरक्षा-योजना में शामिल कर लिया। उस सन्धि के अनुसार पश्चिमी जर्मनी को पुनर्शस्त्रीकरण करने के अधिकार प्राप्त हो गए, जो १२ विभाजित, कुल मिलाकर ५००,००० ट्रुम्प (१९००० नव १९५६ के अन्त तक, २००००० नव १९५७ के अन्त तक और ५ लाख १९५८ में) तक सीमित ह। लेकिन पश्चिमी जर्मनी को अणुशस्त्रों के निर्माण करने के


अधिकारो से वंचित कर दिया गया है। ब्रिटेन, जब तक कठिनतम समुद्री आवश्यकताओं से सुरक्षा प्राप्त न करले तब तक यूरोपीय महाद्वीप पर अपने चार डिवीजन जिनमें १,२०००० सैनिक होंगे और हथियार तथा हवाई बेड़ा भी होगा, रख सकेगा। इसा नये समझौते को "पश्चिमी यूरोपीय संध" का नाम दिया गया था। इसके अन्दर ६ कमिश्नरो का एक बोर्ड, एक मन्त्रियों की परिषद्, एक ९० सदस्यों की सभा, और एक यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय की न्यायिक अदालत शामिल हैं। पश्चिमी यूरोपीय संध की सेना को नाटो में मिला देने के सम्बन्ध में २४ अक्टूबर १९५५ को पश्चिमी यूरोपीय संध की उस असेम्बली में निर्णय किया गया था जो स्ट्रेसवर्ग में हुई थी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और पूर्वी जर्मनी के अठारह-अठारह प्रतिनिधि और बेल्जियम और नीदरलैंड्स के सात-सात प्रतिनिधि और लक्सम्बर्ग के तीन प्रतिनिधि अर्थात् कुल मिलाकर ८९ प्रतिनिधि शामिल थे, केवल सार के तीन प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। १९५६ के अन्त तक जर्मनी (पश्चिमी जर्मनी का संघीय गणतन्त्र—Federal Republic of Western Germany) निश्चय और असंगठित ही रहा, क्योंकि अभी तक ६०,००० की ही नई भर्ती हो सकी है। इस कारण पश्चिमी यूरोपीय संध सतोपजनक प्रगति नहीं कर पाया है।

पूर्वी यूरोप में क्षेत्रीय व्यवस्था

(Regional Arrangements in Eastern Europe)

पूर्वी यूरोप में क्षेत्रवाद की उत्पत्ति १९२० और १९३० की है (पृष्ठ ७३—७५ देखें)। यद्यपि प्रारम्भ में क्षेत्रीय व्यवस्था का विचार केवल प्रतिरक्षा समझौते के रूप में था लेकिन बाद में वह अन्य क्षेत्रों में संगठित सहयोग के रूप में फैल गया। यद्यपि अमरीकी-यूगोस्लाव दृष्टिकोण अस्पष्ट था लेकिन निकट क्षेत्रीय सम्बन्ध कायम करने में यह बड़ा शक्तिशाली सिद्ध हुआ। बल्गेरिया में दिमित्तोव और यूगोस्लाविया में मार्गल टोटो ने बालकान संध का प्रकट रूप से समर्थन किया। यद्यपि उक्त प्रस्ताव को स्टालिन का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ लेकिन युद्धोत्तर काल में रुस ने पूर्वी यूरोप में क्षेत्रीय व्यवस्था को प्रोत्साहन देने में सहयोग दिया। १९४४ में सोवियत सैन्य की लाल सेना की सफलतापूर्ण प्रगति और १९४५ में जर्मनी की राजनैतिक तथा नैतिक शक्ति के विनाश के साथ ही पूर्वी यूरोप के राज्य जो रुस के अनुयायी कहे जाने लगे थे सोवियत क्षेत्र में शामिल हो गये। उनको आर्थिक तथा कमजोरियों के कारण उनके लिये रुस का सक्रिय विरोध करना व्यावहारिक तौर पर असम्भव हो गया। १९४६ तक पश्चिमी यूरोपीय गुट में जिसमें रुस, पोलैंड, रूमानिया, बल्गेरिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया और कुछ हद तक फिनलैंड शामिल थे, परस्पर सहयोग

सम्बन्धी २० उभयपक्षी सधियों का जाल विच्छ गया ।



कॉमिन फॉर्म (Cominform)—१९४७ के सितम्बर मास के अन्त में बल्गेरिया, यूगोस्लाविया, रूमानिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, सोवियत सघ, फ्रांस, और इटली की कम्युनिस्ट पार्टियों का एक सम्मेलन वारसा मे हुआ । इस सम्मेलन से सम्बन्धित देशों की कार्यवाहियों में समन्वय पैदा करने तथा एक दूसरे के अनुभवों के आपस में आदान-प्रदान सम्बन्धी एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया । प्रस्ताव के अनुसार यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में एक सूचना कार्यालय अथवा कॉमिनफॉर्म स्थापित करने का निश्चय किया गया । इसका उद्देश्य टूमैन के सिद्धान्त और मार्शल योजना का जो पूँजीवाद के विस्तार तथा आक्रमण के लिये औजार के रूप में प्रयोग किये जा रहे थे, विरोध करना था । कॉमिनफॉर्म का मुख्य काम पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट नीतियों में समन्वय पैदा करना तथा उनको क्रियान्वित करना था । वैसे इसकी कार्यवाहियों का क्षेत्र काफी विस्तृत था जो लगभग तमाम विश्व में फैला हुआ था । चूँकि इन नम्या में सोवियत सघ के बाहर के देशों के प्रतिनिधि शामिल थे और इसका निर्माण दबाव द्वारा किया गया था, यह मन्त्रे ढग की क्षेत्रीय मस्या नहीं कही जा सकती थी । १८ अप्रैल १९५६ को यह घोषणा करके कि कामिनफॉर्म का उद्देश्य पूरा हो गया, उसे नरकानी तौर पर ग कर दिया गया । पूर्वी यूरोप में मार्शल योजना के विरुद्ध मोनोतोनोव योजना, जिने पारम्परिक आर्थिक महायत्ना परिपद का सहयोग प्राप्त था, पूर्वी यूरोप के देशों को आर्थिक दृष्टि में मास्को के निकट लाने का सोवियत सघ का एक दृढ प्रयत्न था । यह अतिन्दापूर्ण मगठन का एक दूसरा उदाहरण था ।

वारसा मन्त्रि अथवा पूर्वी यूरोपीय सधि स गठन

दिनम्यन् १९५४ में ८ पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों का एक सम्मेलन मास्को में हुआ । इसमें चीन ता एक प्रेक्षक भी शामिल हुआ । इस सम्मेलन का उद्देश्य पश्चिमी

जर्मनी और पश्चिमी यूरोपीय सभ के शस्त्रीकरण के विषय में उक्त देशों की राय जानना था। मास्को सम्मेलन ने १९५४ को पेरिस संधियों की सम्पुष्टि का विरोध किया और घोषणा की कि यदि उक्त संधियों की सम्पुष्टि की गई तो सम्मेलन में भाग लेने वाले देश उक्त संधियों के विरुद्ध सयुक्त प्रतिरक्षा कार्यवाही करेंगे। तदनुसार पेरिस शान्ति संधियों की संपुष्टि हो जाने पर ८ देशों—अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रूमानिया, हंगरी, और सोवियत सभ का एक सम्मेलन ११ मई १९५५ को पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ। यह सम्मेलन लगातार ४ दिन तक होता रहा। सोवियत सभ की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में उक्त देशों के प्रधानमंत्रियों और प्रतिरक्षा मंत्रियों ने भाग लिया।

सोवियत प्रधान मंत्री मार्शल बुलगानिन ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि सोवियत सभ की विदेश नीति विष्व की विभिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के सहअस्तित्व के सिद्धान्त पर आधारित है। आपने पश्चिमी देशों की नीति की कटु आलोचना करते हुए उन पर विभिन्न आरोप लगाये। आपने कहा कि पश्चिमी राष्ट्र आक्रमण के लिए पश्चिमी जर्मनी को सैनिक अड्डा बना रहे हैं, निकट तथा मध्य पूर्व के राज्यों को जिसमें सीरिया, मित्र, अफगानिस्तान तथा फारस शामिल हैं, आक्रमणकारी गुटों में शामिल होने के लिए उनपर दबाव डाला जा रहा है; अमरीका अपने सैनिक अड्डों का विशेष रूप से सोवियत सभ तथा गणतंत्र देशों की सीमाओं के पास तक विस्तार कर रहा है। आपने कहा कि पश्चिमी जर्मनी के पुन सैनिकीकरण और उसके नाटो में शामिल हो जाने से शान्तिपूर्ण गणतंत्री बुनियाद पर जर्मनी एकीकरण के रास्ते में भारी बाधा खड़ी हो गई है। मार्शल बुलगानिन ने यूरोपीय सुरक्षा के प्रश्न पर बोलते हुए इस बात को पुन दोहराया कि सोवियत सरकार एक ऐसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की समर्थक है जिसमें सभी यूरोपीय राज्य शामिल हो सकें। लेकिन आपने कहा कि पेरिस समझौते की संपुष्टि के कारण उक्त समस्या का हल अधिक कठिन हो गया है। आपने कहा कि नयी परिस्थिति में उभयपक्षी संधिया पर्याप्त नहीं होंगी। पश्चिमी राष्ट्रों की आक्रमणकारी कार्रवाहियों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सयुक्त प्रधान द्वारा नयी सुरक्षात्मक कार्यवाहियाँ की जाएँ। मार्शल बुलगानिन ने उपस्थित प्रतिनिधियों से कहा कि उक्त बातों को ध्यान में रखकर मैत्री, सहयोग तथा पारस्परिक सहायता की एक संधि करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। उत्तर अतन्नातिक संधि की तरह यह संधि केवल कुछ ही राज्यों तक सीमित नहीं होगी बल्कि इनका द्वार अन्य राज्यों के लिए भी खुला होगा चाहे उनके शासन अथवा सरकार का ढाँचा कैसा भी हो वे इस संधि में शामिल हो सकेंगे और इन तरह यह संधि पूर्णरूप से सयुक्तराष्ट्र सभ के घोषणा पत्र के अनुसार होगी।

१४ मई १९५५ को ८ देशों के प्रतिनिधियों ने मंत्री तथा सहयोग की एक २० वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किये। संधि के अनुसार (१) किसी प्रकार की धमकी अथवा हिंसा का प्रयोग नहीं किया जायगा और सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण तरीके से हल किया जायगा, (२) शान्ति तथा सुरक्षा के लिए की गईं तमाम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाहियों में सहयोग देने के लिए तैयार रहना होगा। उक्त दिशा में सहयोग देने के इच्छुक राज्यों से निकट सम्पर्क कायम किया जायेगा और शस्त्रीकरण कम करने तथा अणु व उद्‌जन बमों जैसे विनाशकारी शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कार्यवाही की जायेगी, (३) सभी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर पारस्परिक परामर्श से विचार किया जायेगा और हस्ताक्षरकर्त्ता एक राज्य अथवा इससे अधिक राज्यों पर सशस्त्र आक्रमण के खतरे की दशा में अविलम्ब परामर्श किया जायेगा, (४) यूरोप में एक अथवा अधिक हस्ताक्षर कर्त्ता देशों पर सशस्त्र आक्रमण की हालत में उनकी सहायता के लिए अविलम्ब व्यवस्था की जायेगी जिसमें सशस्त्र सैनिक सहायता भी शामिल होगी और प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता देश को ठममें हाथ बटाना होगा। (५) सशस्त्र सेनाओं की एक सयुक्त कमान की स्थापना तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्यवाहियाँ करना, (६) एक राजनैतिक परामर्शदातृ समिति की स्थापना, (७) संधि की शर्तों के विरुद्ध किसी प्रकार का समझौता अथवा संधि न करने का वायदा करना, (८) मंत्री तथा सहयोग की भावना से काम करना तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वायदा करना, (९) सामाजिक अथवा सरकारी प्रशासन के भेद के बावजूद अन्य राज्यों से निकट संपर्क कायम करना, (१०) यूरोप के लिए सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था कायम हो जाने और इस सम्बन्ध में आवश्यक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने पर सामूहिक सुरक्षा संधि भंग हो जायेगी।

नयुक्त कमान की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि सोवियत संध के मार्शल कोनिव नयुक्त सेनाओं के प्रधान सेनापति नियुक्त किये गये हैं और कमान का प्रधान कार्यालय मॉस्को में होगा। पूर्वी जर्मन गणराज्य को शामिल करने के प्रश्न पर वाद में विचार होगा। संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद मार्शल बुलगानिन ने ऐलान किया कि उक्त संधि विशुद्ध सुरक्षात्मक तथा शान्तिपूर्ण महत्त्व के सिद्धान्त पर आधारित है।

८ जून १९५५ को उक्त संधि की सम्पुष्टि हुई। संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद ही यूरोप दो सम्बन्ध विधियों में विभाजित हो गया। वे दो विधियाँ हैं—नाटो गुट और वारसा गुट। हान में २३ अक्टूबर १९५६ को हंगरी की सरकार ने वारसा सम्बन्ध की शर्तों के अन्तर्गत हंगरी में प्रतिनिध्यावाही तन्त्रों के नेतृत्व में शुरू हुई विद्रोह को दबाने के लिए सोवियत सैनिक सहायता मागी। अभी उतनी

जल्दी यह अनुमान लगाना कठिन है कि वारसा समझौता कहाँ तक सफल रहा लेकिन यह स्वीकार करना पडेगा कि पश्चिमी जर्मनी के पुन. शस्त्रीकरण तथा उक्त समझौते के कारण सोवियत गुट और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय तनाव काफी बढ गया है। जबतक उक्त क्षेत्रीय गुट एक दूसरे की निन्दा और परस्पर आरोप लगाते रहेगे और सयस्त्र आक्रमण के भय से अपनी सैनिक ताकत बढाते रहेगे निकट भविष्य मे महत्वपूर्ण यूरोपीय समस्याओं का सन्तोपजनक हल निकलना असम्भव दिखाई दे रहा है। अमरीकी आलोचकों की दलील है कि सोवियत सघ द्वारा संचालित क्षेत्रीय सस्थाएँ वास्तव मे क्षेत्रीय सस्थाएँ नहीं है क्योंकि वे सस्थाएँ अनिच्छा पूर्ण तरीके अथवा बाहरी दबाव से बनी हैं।

एशिया मे क्षेत्रवाद

युद्धोत्तर काल से ही एशिया मे समान समस्याओं के हल के लिए भौगोलिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों मे निकट सहयोग द्वारा एगियाई एकता का प्रयास किया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी साम्राज्यवादियों ने बृहत्तर पूर्वी एशिया सह-समृद्धि क्षेत्र की स्थापना का स्वाग रचकर पूर्वी एशिया पर अधिकार जमाने की कोशिश की। सोवियत सघ और चीन भी पूर्वी एशिया की विशाल भूमि के आधिक साधनों के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशान्त क्षेत्र मे अरब लीग, ब्रगदाद समझौता, दक्षिण पूर्वी एशिया सघ सगठन (सीटो) तथा आजस अथवा प्रस्तावित प्रशान्त संध की स्थापना करके काफी सफल प्रयास किया गया है।

एगियाई क्षेत्रवाद के रास्ते में कई बाधाएँ हैं जिसमे दृष्टिकोण से मतभेद, निरक्षरता, कई भाषाये अथवा एक आम भाषा का अभाव, गरीबी अथवा गिरा हुआ जीवन स्तर, मकीरुण देशभक्ति, प्राकृतिक बाधाये आदि शामिल हैं। लेकिन एशिया के देगों मे भी निम्न कारणों से सहयोग कायम होने में काफी मदद मिली है। जैसे राष्ट्रियता का विकास, उपनिवेशवाद तथा पश्चिमी यानन तथा शोषण के प्रति घृणा, आधिक विकास तथा टेक्निकल सहायता की माग, सामान्य इतिहास, संस्कृति तथा परम्परा और परस्पर मिली हुई सीमायें और एक सतिशाली यानक का अभाव विशेष त्प मे पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया मे।

अरब लीग— मध्य पूर्व के देगों में एकता का प्रयास कई हजार वर्ष पहले से चालू है। बी०बी०० दुबोन-शाली के अनुसार मिल् के टुयमोसिन (1450 B.C) प्रथम फरो (प्रथम राजा) थे जिन्होंने मध्यपूर्व मे विभिन्न एगियाई सरगारों में नैतिक समझौते के लिए एक श्रीयचारिक तथा मुहड नीति अपनाई। प्रथम एगियाई-मिल्नी 'लीग एक सौ वर्ष से भी अधिक समय तक कायम रही। उत्तर से हिटिजो और पूर्वी रेगिस्तानी

इलाको से कबुई लोगो द्वारा सीरिया पर हमला करने पर यह लीग भग हो गई। वाद में १२८० वी०सी० में रामसेज द्वितीय के प्रयास से यह पुनर्जीवित हुई। लिवियनो तथा अन्य भूमध्य क्षेत्र के लोगो के आक्रमणो तथा फैरो राजाओ की बढ़ती कमजोरी तथा उनके पतन के कारण मिस्री-एशियाई समझौता क्षीण होता चला गया। सातवीं शताब्दी तक यही हालत रही। उसके बाद इस्लाम का उदय हुआ और वह तमाम मध्य पूर्व को अरब साम्राज्य के मातहत सगठित करने में सफल हुआ। अरब साम्राज्य १६ वीं शताब्दी तक, जब तक ओटमन साम्राज्य का उदय नहीं हुआ, कायम रहा।

अरबों में वास्तविक जागरण १९ वीं शताब्दी के अन्त में पैदा हुआ जब लेबनान में सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ। ५० वर्ष बाद आन्दोलन तमाम क्षेत्र में फैल गया। अरब-एशियाई प्रान्तों के लिए राजनैतिक स्वतन्त्रता की आवश्यकता के आधार पर ड्रजेज, क्रिश्चियन और मुस्लिम जनता एक हो गई। प्रथम विश्वयुद्ध के शुरु होने के बाद अरब विश्व के प्रति ब्रिटेन की नीति में अचानक भारी परिवर्तन हुआ। ब्रिटेन ने तुर्की साम्राज्य की एकता कायम करने की अपनी नीति को त्याग कर अरब साम्राज्य बनाने की एक योजना तैयार की। नये साम्राज्य की एकता तथा विकास के लिये अरबों में राष्ट्रीयता का संचार किया गया। लेकिन यह योजना भी अरबों में प्रादेशिक, खानदानी तथा व्यक्तिगत शत्रुता के कारण तथा फ्रांसीसी और जियोनिस्टों के हस्तक्षेपों के कारण अमफल रही। परिणामस्वरूप अरबों की एकता और स्वतन्त्रता की जगह अरब विश्व टुकड़े-टुकड़े में विभाजित हो गया और उन सबकी आजादी सीमित हो गई।

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ब्रिटेन ने पुनः हाशमी राज खानदान के नेतृत्व में अरबों की एकता को मुद्दत बनाने का प्रयास किया। अरबों की ओर से एकता का प्रथम कदम ईराक के प्रधान मंत्री नूरुल मर्द ने उठाया। उन्होंने अरब प्राय द्वीप और मिन को छोड़कर अरब-एशियाई देशों का मंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा। मिस्र द्वारा विरोध किये जाने पर योजना अमफल हो गई। दो अन्य कारण जो उक्त प्रस्ताव को अमफल बनाने में महायुक्त हुए उनमें उच्च माजिद द्वारा विरोधी हाशमी सरकार के नेतृत्व में अरबों की एकता के प्रति उदासीनता प्रकट करना और दूसरे नौरिया तथा नेशनल वा यह भय कि उक्त प्रस्ताव में उनकी नव प्राप्त स्वतन्त्रता जिनाल मध्य में मिन पर विनीत हो जायगी। उसके बाद मिस्र ने अरब विश्व की एकता के लिए कदम उठाया।

लगभग दो वर्ष तक विचार विमर्श के पश्चात् २५ मितम्बर १९४८ को एक अरब सम्मेलन मिस्त्रन्दरिया में हुआ। उसी अध्यक्षता मिस्र के प्रधान मंत्री नहम पाशा ने की। सम्मेलन में ईराक, जार्डन (जो पहले ट्रान्सजोर्डन बोला जाता था)

लेवनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यद्यपि अरब एकता की आवश्यकता भी काफी प्रबल अनुभव की जा रही थी लेकिन इसके साथ ही अरब शासकों को यह भय था कि यहाँ एकता का ढाँचा उनके हितों के विरुद्ध न सिद्ध हो। अन्त में ब्रिटेन के प्रयास पर अरब देश एक ऐसी सस्या बनाने के सिद्धान्त पर राजी हो गये जिसकी सदस्यता से कोई भी अरब शासक कभी भी अलग हो सकता है। सिकन्दरिया में हुए सम्मेलन में एक अरब लीग के प्रस्तावित सचिवालय तथा उद्देश्यों का एक मसविदा तैयार किया गया। छ मास बाद २२ मार्च १९४५ को सिकन्दरिया मसविदे पर आधारित, अरब लीग के समझौते पर काहिरा में हस्ताक्षर हो गये।

अरब लीग का ढाँचा—अनुच्छेद २ के अनुसार अरब लीग का उद्देश्य सदस्य राज्यों में (उन्हें मुहृद बनाने के लिये) निकट सम्बन्ध कायम करना, उनकी राजनैतिक कार्यवाहियों में समन्वय पैदा करना, उनकी आजादी और प्रभुसत्ता की रक्षा करना और अरब देशों के हितों तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करना है। लीग ने यह भी वायदा किया है कि वह उन अरबों को जो अभी तक गुनाम हैं, आजाद होने के लिए हर तरह से सहयोग देगी। अरब लीग फिलिस्तीन पर अरबों के दावे को स्वीकार करती है और उसे सहृदियों से मुक्त कराने के लिये दृढ़ है। समझौते में अरब देशों के परस्पर विवादों तथा अरब देशों और अन्य देशों के बीच के विवादों की शांति-पूर्ण ढंग से निवटारे की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सामूहिक सुरक्षा की भी व्यवस्था है। आक्रमण अथवा आक्रमण के खतरे की दशा में सदस्य राज्य अरब लीग परिपद् की अखिलम्ब बैठक बुलाने की माँग कर सकते हैं। परिपद् को आदेश है कि यह आक्रमणकारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही सबसम्मति से निर्णय करे। इन कार्यवाहियों का रूप क्या होगा इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन समझौते में केवल यह कहा गया है कि आक्रमणकारी को लीग से निकाल दिया जावेगा।

अरब लीग का मुख्य अंग एक परिपद् है जिसे मजलिस कहा जाता है। इसमें सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिपद् की बैठक वर्ष में दो बार मार्च और अक्टूबर में होती है। आवश्यकता पटने पर दो सदस्य राज्यों के अनुरोध पर परिपद् का विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। परिपद् का काम लीग के उद्देश्यों को पूरा करना और सदस्य राज्यों में हुए समझौतों के क्रियान्वयन की देखभाल करना है। परिपद् शांति व सुरक्षा तथा आर्थिक व सामाजिक सम्बन्धों के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सस्थाओं से लीग का सम्पर्क कायम करने के साधनों की व्यवस्था करेगी। परिपद् दो सदस्य राज्यों अथवा सदस्य राज्य और किसी अन्य देश

वाहियों का प्रयोग करेंगे जिसमें आक्रमण का विरोध करने के लिये सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग भी शामिल होगा। सधि में एक सयुक्त सुरक्षा परिषद की स्थापना करने की भी व्यवस्था की गई जिसमें सदस्य राज्य के विदेश मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त एक स्थायी सैनिक आयोग होगा जो सदस्य राज्यों की सेनाओं के जनरल स्टाफो का प्रतिनिधित्व करेगा। लीग की एक आर्थिक परिषद है जिसमें सदस्य राज्यों के आर्थिक मामलों के मंत्री शामिल हैं। इसका काम अरब राज्यों की आर्थिक व्यवस्थाओं में समन्वय कायम करना है। सधि के अनुसार कोई भी सदस्य राज्य ऐसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता नहीं कर सकता जो सधि की धाराओं के प्रतिकूल हो। साथ ही वह ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जो सधि के उद्देश्यों के विरुद्ध हो। उक्त सधि २३ अगस्त १९५२ को लागू की गई। इसकी अवधि १० वर्ष निश्चित की गई।

सयुक्त सुरक्षा परिषद की बैठक उसकी स्थापना के बाद दो बार हो चुकी है—जिसमें पहली बैठक ४ सितम्बर १९५३ को और दूसरी ७ जनवरी १९५४ को हुई। इन बैठकों में कई गुप्त प्रस्ताव स्वीकार किये गये। आर्थिक परिषद की बैठक १९५३-५४ में तीन बार हुई जिसमें कई मिफारिशों स्वीकार की गईं किन्तु वे अब तक गुप्त हैं। इसके बावजूद सधि का सच्चे ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसका बहुत कुछ कारण स्थायी सैनिक आयोग की कमान के अधीन एक सेना कायम करने के मामलों में उत्पन्न कई कठिनाइयाँ थीं। एक तरफ जहाँ सयुक्त सुरक्षा परिषद उक्त समस्या को हल करने में व्यस्त थी, ईराक को पाक और टर्की में २ अप्रैल १९५८ को हुए मंत्री सहयोग सम्बन्धी समझौते में शामिल होने के लिये आमन्त्रित किया गया। अरब लीग की राजनैतिक समिति ने उक्त कदम का जोरो से विरोध किया। लीग की सभी सदस्य सरकारों ने एक म्वर में ऐलान किया कि उन्हें समझौते में शामिल होने के लिये आमन्त्रित नहीं किया गया और उन्होंने आमन्त्रित होने की इच्छा भी नहीं प्रकट की। उन राज्यों ने यह भी घोषणा की कि वे अरब लीग के समझौते के अन्तर्गत तथा सयुक्त सुरक्षा तथा आर्थिक सहयोग के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाने के लिये सदैव तैयार हैं। १९ अक्टूबर १९५४ को आग्नि-मित्र समझौते के बाद ईराक, मित्र और सऊदी अरब के भारी विरोध के बावजूद, २८ फरवरी १९५५ को टर्की के साथ एक सुरक्षा समझौता में शामिल हो गया। उन तर्ह बगदाद समझौते के पक्ष में ईराक के अलग हो जाने ने अरब लीग को काफी कमजोर बना दिया। यही कारण है कि अक्टूबर-नवम्बर १९५६ में जब मध्य पूर्व पर आग्नि-फ़ारसी-उज्जगइनी हमला हुआ तो अरब राज्य उक्त आक्रमण के विरुद्ध मजबूत नैतिक कार्यवाही करने में असमर्थ रहे।

अरब लीग की प्रगति

अरब लीग का शुरू से ही यह मुख्य उद्देश्य रहा है कि उन सदस्य राज्यों को जो अब तक पूरी तरह आजाद नहीं हुए उन्हें विदेशी शासन से मुक्त कराया जाय । इसलिए लीग ने सीरिया, लेबनान, यमन, लिविया, मिस्र, ट्यूनीसिया, मोरक्को और अल्जीरिया को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराने में महायत्न की ।

(1) सीरिया-लेबनान—४ जून १९४५ की हुई लीग परिपद की पहली बैठक में ही सीरिया, लेबनान और फ्रांस के बीच एक विवाद प्रस्तुत किया गया (पृष्ठ १२६ देखें) । परिपद ने उक्त विवाद से अपने को सम्बन्धित बताया । इसने अपनी एक घोषणा में कहा कि सीरिया, लेबनान और फ्रांस के बीच विवाद के निवटारे के लिये किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में अरब लीग को जरूर शामिल करना होगा । विवाद सम्बन्धी किसी भी प्रश्न पर विचार उक्त दोनों देशों की स्वतन्त्रता तथा प्रभुसत्ता की मान्यता के आधार पर ही करना होगा (प्रस्ताव १) । फ्रांस पर हत्या तथा अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया । इस प्रथम हस्तक्षेप का राजनैतिक तथा मनोवैज्ञानिक परिणाम यह हुआ कि अरब लीग के सदस्यों में एकता पैदा हो गई । इससे नये अतर्भव सगठन की वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट हो गई । ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त लीग को अपनी विजय से काफी प्रोत्साहन मिला ।

(11) यमन—लीग ने यमन के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया । १७ फरवरी १९४८ को यमन के राजा इमाम याहीया की हत्या के बाद कट्टरपथी इस्लामी तत्वों तथा उदारदली प्रगतिशील राष्ट्रवादियों में गृहयुद्ध शुरू हो गया जिससे तमाम देश को खतरा पैदा हो गया । अरब लीग ने युद्ध रोकने के प्रयास में एक सेक्रेट्री जनरल के नेतृत्व में एक कमीशन (आयोग) भेजा । कमीशन में प्रत्येक अरब राज्य का एक-एक प्रतिनिधि शामिल था । इस एतदर्थ (Adhoc) कमीशन ने सफारिश की कि इमाम का सबसे बड़ा लड़का यमन का वास्तविक शासक माना जाय । लीग के नैतिक समर्थन से गृहयुद्ध पर काफी असर पड़ा और १७ मार्च १९४८ को लीग की राजनैतिक समिति ने वेस्ट की एक बैठक में सदस्यों को मलाह दी कि वे नये इमाम को स्वीकार कर लें । बैठक में आशा प्रकट की गई कि यमन में सामाजिक सुधार किये जायेंगे । साथ ही सचिवालय तथा सदस्य राज्यों को नयी सरकार की सहायता करने के लिये आमन्त्रित किया गया ।

अदन रक्षित देश के सिलसिले में प्राग्ल यमन विवाद पर दूसरी बार अरब लीग का हस्तक्षेप हुआ । यमन का दावा है कि ब्रिटेन ने इस रक्षित देश पर अवैध अधिकार कर लिया था । जून १९४६ में यमन ने अरब लीग की परिपद के चतुर्थ

सम्मेलन से इस विवाद का निर्देश किया। परिपद ने यमन (सकल्प सख्या ६४) का समर्थन किया और सिफारिश की कि दोनों देश ११ फरवरी १९३४ में सम्पन्न अपनी मित्रता संधि और परस्पर सहयोग के अनुसरण में इस विवाद का हल ढूँढें। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने यमन की पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली थी और उसने यह वायदा कर लिया था कि संधि द्वारा निर्धारित सीमा का वह बलपूर्वक उल्लंघन नहीं करेगा। यह असफल रहा और अगस्त १९४९ में आगल-यमन सीमा पर एक नई भिडन्त हुई। लीग परिपद से इस घटना का निर्देश किया गया जिसने १ अप्रैल १९५० को सकल्प सख्या २८९ स्वीकार किया जिसके अनुसार दोनों दलों में प्रत्यक्ष वार्ता को प्रोत्साहन दिया जाकर यह इच्छा अभिव्यक्त की गई थी कि ऐसा कोई हल ढूँढा जाये जिससे यमन के वैध अधिकारों का संरक्षण किया जा सके।

लन्दन में वार्ता आरम्भ हुई थी और १२ अक्टूबर, १९५० को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये जिसके अनुसार १९५१ के पूर्व दोनों देशों में राजनीतिक सम्बन्धों की स्थापना और दोनों सरकारों के समान सख्या के प्रतिनिधियों से बना हुआ एक संयुक्त आयोग, सीमा निर्धारण और पिछले विवादों के हल के लिये, बनाने का आह्वान किया गया।

किन्तु यह समझौता क्रियान्वित नहीं हो सका और विवाद के नये स्रोत उत्पन्न हो गये। ब्रिटेन ने एक पुरानी परियोजना को व्यवहृत किया, जिसके अनुसार यमन को अमान्य राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए रक्षित देशों के विभिन्न शेख राज्यों का एक फेडरेशन स्थापित किया। यमन के इमाम ने यमन को समर्थन प्रदान करने का आमन्त्रण दिया। यह आमन्त्रण उक्त प्रदेश पर यमन के दावे को लेकर निर्देशित किया गया था और इसका आचार अरबों की परस्पर भ्रातृ-भावना पर आधारित था। अरब लीग के महासचिव को जनवरी, १९५४ में प्रेषित किये गये पत्र के अनुसार ब्रिटेन के आक्रमण और साम्राज्यवाद का अन्त करने के लिये यमन ने अन्य अरब सरकारों में नहायना की माँग की। अरब लीग की राजनीतिक समिति ने १८ जनवरी, १९५४ को अपनी विशेष बैठक में यमन के दावे की पुष्टि की और तीन अवस्थाओं में मामूहिक अरब हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा। तीन अवस्थाएँ इस प्रकार हैं—प्रथम, अरब लीग म्यानीय मानकों में इस बात का आग्रह करेगी कि वे ब्रिटेन द्वारा प्रस्तुत फेडरेशन की योजना का प्रतिरोध करें और मामूहिक रूप में लन्दन में विशेष बैठकी। यदि यह असफल रहा तो, अफ्रीकी और एशियाई देशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध मामूहिक विरोध प्रकट करेगी। इसमें आगल-यमन विवाद के पूरे रेकार्ड को प्रस्तुत करना भी सम्मिलित है और यदि यह भी असफल रहा तो तीसरी अवस्था यह होगी कि मामूहिक अरब मध्य-राष्ट्र नभ की महासभा में रखा जाये। लीग

परिषद् ने इन उपायों का अनुमोदन कर दिया और इमाम के पान एक मिशन भेजा गया जिसमें "अरब भ्रातृ-सघ की लीग के समझौते के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये दायित्वों के अनुसार उमके साम्राज्य का समर्थन करने के लिए लीग की तत्परता" अभिव्यक्त की गई (प्रस्ताव सख्या ५६६) ।

लीग के विशेष मिशन द्वारा स्थानीय शासकों से स्थापित व्यक्तिगत सम्पर्क और उनको दी गई आवश्यक सहायता के परिणामस्वरूप तथा "अरबों की आवाज़" (वायस आफ दी अरब्स) के मिस्री रेडियो द्वारा किये गये सक्रिय प्रोपैगण्डा के परिणामस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि यमन की नीति अपने सत्वर लक्ष्य में सफल हो गई है । फेडरेशन विपयक ब्रिटेन की योजना स्थगित कर दी गई और इस प्रकार यमन के पक्ष में एक नये समझौते के लिये मार्ग प्रशस्त हो गया ।

(111) लीबिया—लीबिया के सम्बन्ध में, लीग ने अपने आरम्भ से अत्यन्त प्रभावशाली कार्य किया । लदन में विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में २८ सितम्बर १९४५ को प्रेषित टिप्पण में, अरब लीग ने अपना लक्ष्य स्पष्ट कर दिया था : लीबिया की स्वतन्त्रता और एकता तथा अरब लीग में उसकी सदस्यता ।

तदनन्तर आठ वर्षों में इन लक्ष्यों का लीग के सम्पूर्ण राजनैतिक टिप्पण और सकल्पों में दृढ़ रूप से पालन किया गया । जब राज्य क्षेत्र के भविष्य के बारे में जनमत का निश्चय जानने के लिए चार बड़े विदेश मन्त्रियों ने लीबिया में एक जाच मिशन (१९४७-४८) भेजा तो सामान्य उद्देश्यों के आधार पर विविध राजनैतिक दलों में समझौता करने के प्रयत्न की दिशा में लीग ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की । यह बहुत अंशों में सयुक्तराष्ट्र सघ में रहते हुए लीग के प्रयत्न ही थे कि २१ नवम्बर, १९४९ (सकल्प २८९ (४)) को महासभा ने अपने चतुर्थ अधिवेशन में यह निर्णय किया कि लीबिया—जिनमें साइरेनका, ट्रिपोलिटैनिया और फेजान सम्मिलित हैं— १ जनवरी १९५२ में स्वतंत्र तथा सावंधीम राज्य में परिणत हो जायगा । लीग ने ही अमीर नईद मुहम्मद इद्रिन अ-ननुस्फी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का समर्थन किया था जिसने स्वतन्त्रता, एकता और लीग में लीबिया की सदस्यता की माग की थी । ८ मार्च, १९५३ को लीबिया अरब लीग का आठवा सदस्य बना लिया गया ।

फिलिस्तीन के मामले में अरब लीग के रिवाइटे ने उनकी जन्मजात कमजोरियाँ प्रकट कर दीं । १९४४ की अनेजेन्डियाँ मन्धि ने निश्चित रूप में यह अभिव्यक्त कर दिया था कि "फिलिस्तीन अरब राज्यों का महत्वपूर्ण अंग है तथा उम देग में अरब नम्बर्सवी अधिकारों को प्रभावित करने वाली कोई कार्यवाही अरब जगत की स्थिरता और शान्ति को प्रभावित करेगी ।" फिलिस्तीन ने अरब नून के परिचारा के लिए

एक अरब राष्ट्र निधि आरम्भ की गई। अरब समझौते के परिशिष्ट १ के उपसंहार में बताया गया है कि फिलिस्तीन स्वतन्त्र होना चाहिए। परिशिष्ट में घोषणा की गई है कि "यहूदों की शक्ति के द्वारा उसकी स्वतन्त्रता व्यवहृत नहीं हो सकी, यह उचित नहीं था कि लीग के कार्य में फिलिस्तीन द्वारा भाग लेने पर बाधा उत्पन्न की जाये।" तदनुसार फिलिस्तीन से एक अरब प्रतिनिधि के निर्धारण का प्रबन्ध किया गया।

इस समय अरब लीग के उद्देश्य ये थे—फिलिस्तीन में विशाल सख्या में यहूदियों के आप्रवास को रोकना, कृषि का विकास और फिलिस्तीन की भूमि का संरक्षण, जियोनिवादी उत्पाद का बहिष्कार, और अन्त में फिलिस्तीन को अरब लीग के पूर्ण अधिकार प्राप्त सदस्य के रूप में भरती तथा उसके राजनैतिक स्वातन्त्र्य की प्राप्ति। वलडान सम्मेलन, जून, १९४६ में इन उद्देश्यों की विशद व्याख्या कर दी गई। इस सम्मेलन में यह योजना थी—फिलिस्तीन समिति की रचना जिसमें उन सब अरब राज्यों के प्रतिनिधि थे जो फिलिस्तीन से सम्बन्धित कार्य का संचालन करने के लिए उत्तरदायी थे। सर्व फिलिस्तीन अरबों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक उच्चतम विकास की स्थापना, जियोनिवादी सेनाओं के विकेंद्रीकरण का आग्रह और फिलिस्तीन के आतंकवादियों का निःशस्त्रीकरण। अन्य देशों के समक्ष उस सुभाव को प्रस्तुत करना कि वह यहूदियों के अवैध आप्रवास में सहायता करने वाले मगठनों की भर्त्सना करें, फिलिस्तीन के लिए एक विशेष निधि की स्थापना करना जिसमें सब अरब अनुदान दें, अरब विवाद के पक्ष में प्रोपैगेंडा को सशक्त करना तथा उसका पुनर्गठन करना और ममस्त यहूदी उत्पाद के विरुद्ध बहिष्कार को व्यापक एवं बलशाली रूप देना।

इन लक्ष्यों की पूर्ति कठिन मिश्र हुई। लीग के पास जो भी साधन थे अथवा लीग ने जिन साधनों का उपयोग किया, वह अन्तर्राष्ट्रीय जियोनिवाद की तुलना में धीरे-धीरे। यहूदियों के आप्रवास का विरोध दूतालय के स्तर तक ही सीमित था, उनका प्रतीक उदाहरण वह है जो मार्च, १९४६ के इन्शास सम्मेलन के पश्चात् जारी किये गये प्रकट होता है "अरब राज्यों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह किसी भी रूप में नवीन आप्रवास में महमत हो जो कि स्पष्ट रूप में नरकारी घोषणा (व्हाइट बुक) के विरोध में है, जिसका सम्मान करना ब्रिटेन के लिए एक अनिवार्य कार्य है।" (विस्तृत जानकारी के लिए देखिये—दिनिम्नो प्रश्न)।

२८ मार्च, १९४६ में कृषि विकास और फिलिस्तीनीयन भूमि के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया। अरब लीग ने अग्र देने और नवीन विधियों पर निम्नानों को जमीन बेचने के लिये एक वित्तीय और विकास मगठन स्थापित किया। मगठन ने मगठित पूँजीवादी कम्पनी का रूप

धारण कर लिया जिसमें दम लाख मिली पीड की राशि थी। इसमें यह उपबन्ध भी था कि आवश्यकता होने पर इन राशि को बढ़ाया जा सकता है। किन्तु फिलस्तीन अरबों के भारी सत्या में प्रवास से इस नवीन कृपि सम्बन्धी योजना का, उस कम्पनी का कोई लाभदायक परिणाम निकलने से पूर्व ही, एक दम अन्त हो गया।

१९४६ के प्रारम्भ में, लीग ने जियोनवादी उत्पाद के विरुद्ध बहिष्कार आन्दोलन का सूत्रपात किया। परिपद के २ फरवरी के सकल्प के अन्तर्गत एक स्थायी बहिष्कार समिति स्थापित की गई और घोषणा की गई कि अरब देशों में फिलस्तीन के यहूदियों द्वारा उत्पादित सामग्री अवाञ्छनीय समझी जायेगी। जब तक फिलस्तीन में उत्पादित इन वस्तुओं का उद्देश्य जियोनवादी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है उस सीमा तक उन्हें प्रतिबन्धित कर इन्कार कर दिया जाना चाहिए (सकल्प सत्या १६)। लगभग चार महीने पश्चात् परिपद ने प्रत्येक देश में बहिष्कार कार्यालय खोले और निश्चय किया कि फिलस्तीन के अरबों के लिये आवश्यक कच्चे माल तथा वनी हुई वस्तुओं की सूची तैयार करना जो वहाँ अरब देशों से भेजी जा सकें, सीमा शुल्क जप्त किये गये सामान के मूल्य का पचास प्रतिशत चुँगी अधिकारियों को दे दिया जाय, फिलस्तीन में बहिष्कार के प्रयोजन से स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित निकाय द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों को मान्यता, विभिन्न अरब राज्यों के सीमा शुल्क विभागों द्वारा, आयात वस्तुओं का राष्ट्रीय उद्गम निर्धारण करने के लिये किये जाने वाले उपाय, बैंक, बीमा समन्वय, परिवहन आदि जियोनवादी नेवाओं का बहिष्कार। बहिष्कार सुप्त नहीं प्रत्युत प्रभाव पूर्ण था तथा अरब जियोनवादी उद्योगों की प्रति-स्थापना के लिये दृढ आर्थिक आधार पर उद्योगों की स्थापना करेंगे ताकि अरब जियोनवादी वस्तुओं के बहिष्कार के परिणामस्वरूप स्थितियों में किसी प्रकार की हानि उठाये बिना फिलस्तीन के अरब उनके उत्पादनों पर ही निर्भर रह सकें। जनता का प्रभाव पूर्ण समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रोवेंगेंडा किया गया (सकल्प सत्या ६८)।

लीग को पूर्ण अधिकार सम्पन्न सदस्य के रूप में फिलस्तीन में लाने के लिए और उसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अरब लीग ने फिलस्तीन के प्रतिनिधियों को चुनने का निर्णय किया (सकल्प २९)। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि ग्राड मुफती (फिलस्तीन में अरब मुसलमानों का अधिकृत सर्वोच्च धार्मिक पुरुष) के नेतृत्व में एक नगठित फ्रंट की सृष्टि की जाये। ग्राड मुफती फ्रास में नजर बंदी में बचकर भागने के पश्चात् १९४६ में मिस्र आये थे।

लीग द्वारा एक अरब उच्चतर कार्यपालिका (जून, १९४६ में) बनाई गई। अरब राज्यों ने आग्न अमेरीकी जाच समिति के प्रतिवेदन (८ जुलाई, १९४६) का

विरोध किया। यह समिति ब्रिटेन तथा अमेरिका द्वारा फिलस्तीन समस्या की जांच करने के लिये स्थापित की गई थी। अगस्त १९४६ में अरब लीग की राजनीतिक समिति की बैठक अलेक्जेंड्रिया में हुई। इसने फिलस्तीन की भावी सरकार के लिये एक प्रारूप तैयार किया। इस योजना में यह उपबन्ध थे—अस्थायी सरकार की रचना जिसमें सात अरब और तीन यहूदी मंत्री हों। साठ सदस्यों वाली सविधान सभा का निर्वाचन, और प्रारूप सविधान तैयार करना। सविधान निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित था—फिलस्तीन अखण्डित रहेगा कुछ वर्षों के निवास के पश्चात् फिलस्तीन की नागरिकता प्रदान की जायेगी, 'धार्मिक स्थानों' की सुरक्षा की गारन्टी दी जायेगी, यहूदियों का आप्रवास सर्वथा समाप्त हो जायेगा, और धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी रहेगी। ब्रिटेन द्वारा यह योजना अस्वीकृत कर दी गई जो लीग आफ नेशन्स से परमादेश प्राप्त द्वारा फिलस्तीन का शासक था। फरवरी, १९४७ में ब्रिटेन ने घोषणा की कि वह फिलस्तीन का मामला सयुक्त राष्ट्र सभ के सुपुर्द कर रहा है। जब अप्रैल, १९४७ में सभा का विशेष अधिवेशन हुआ तो अरब राज्यों ने अपना प्रथम युद्ध लड़ा और महासभा से आप्रह किया कि अरब उच्चतर कार्यवाही तथा यहूदी अभिकरण के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये। अन्त में, २९ नवम्बर, १९४७ को महासभा ने फिलस्तीन सम्बन्धी विशेष समिति के बहुमत सदस्यों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार फिलस्तीन के विभाजन के पक्ष में मत दिया। इस समिति ने फिलस्तीन के भविष्य के बारे में तत्स्थानी जांच की। इसी बीच ब्रिटेन ने घोषणा की कि इसका परमादेश १५ मई, १९४८ में समाप्त हो जायेगा। दिसम्बर १९४७ के प्रारम्भ में अरब और यहूदियों के बीच खुले रूप से लड़ाई प्रारम्भ हुई।

एक अरब मुक्ति सेना का निर्माण किया गया। १५ मई, १९४८ को अरब लीग के महामन्त्री ने सुरक्षा परिषद् को तार द्वारा सवाद भेजा जिसमें यह घोषणा की गई कि शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना और फिलस्तीन के अरबों को भू-प्रदेश वापस सौंपने की दृष्टि से लीग ने फिलस्तीन में हस्तक्षेप किया है।

क्षरणिक वाक् कौशल्य के बावजूद भी लीग कभी भी वचनवद्ध भूमि को मुक्त करने में सफल नहीं हुई और सुसंगठित यहूदियों ने इसके राजनीतिक और सैन्य सम्बन्धी प्रयत्नों को करारी शिकस्त दी। अरब लीग पांच अरब सेनाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करने में असफल रही। जब अरब सेनाओं के प्रधान सेनापति का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो प्रत्येक राज्य ने डम सम्मान को प्राप्त करने के लिये अपना दावा प्रस्तुत किया। लीग की अनेक बार बैठकें हुईं किन्तु वह कोई निर्णय नहीं कर सकी। ईराक ने मिस्री सेनापति को स्वीकार करने में मना कर दिया। मिस्र ने यह प्रस्ताव्य कर दिया कि ईरानी सेनापति हों। जोर्डन सेना का मुख्य सेनापति जन्म से

अग्नेज होने के नाते स्वीकार नहीं किया जा सका। परिणाम यह हुआ कि जो भी अरब सेना फिलस्तीन में घुमी वह अपने ही आधार पर लड़ी।

इसी बीच भावी फिलस्तीन राज्य की स्थिति के बारे में मत-विभिन्नता उत्पन्न हुई। ईराक द्वारा समर्थन प्राप्त जोर्डन ने फिलस्तीन पर अधिकार का पक्ष लिया ताकि 'बृहत्तर सीरिया' योजना मूर्तरूप धारण कर सके। इसके विपरीत, मिस्त्र और सऊदी अरब एक ऐसे स्वतन्त्र फिलस्तीन गणतंत्र की स्थापना चाहते थे जिसका अध्यक्ष यरूमलम का 'ग्राड मुफती' हो। ८ जुलाई, १९४८ को लीग ने फिलस्तीन को "अस्थायी अमैनिक प्रशासन" प्रदान करना स्वीकार किया और २३ सितम्बर को सर्व फिलस्तीन की एक "अरब सरकार" की गाजा में बैठक हुई। इसके विरोध में जोर्डन की सरकार ने २ अक्टूबर को मन्नाट अब्दुल्लाह के नेतृत्व में अम्मन में एक फिलस्तीन कांग्रेस आमंत्रित की। इस कांग्रेस ने गाजा सरकार में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जबकि जेरिचो में आयोजित १ दिसम्बर की अन्य कांग्रेस ने जोर्डन का प्रस्ताव स्वीकार किया। किन्तु २२ दिसम्बर, १९४८ को इजरायल की सेनाओं ने द्वितीय समझौते को भंग कर दिया और नजीब क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। अन्य अरब सेनाएँ सर्वथा निष्क्रिय रही। मिस्त्री सेना को वापस लौटना पड़ा क्योंकि यहूदियों की सेना उसके पीछे पड़ गई थी। ११ मई, १९४९ को इजरायल संयुक्त-राष्ट्र-सभ का मदस्य बन गया। अरब लीग को एक बार और मुँह की खानी पड़ी।

फिलस्तीन में हुई हार का एक परिणाम यह हुआ कि जोर्डन और मिस्त्र में समझौता हो गया। लीग परिषद की एक उत्तेजनापूर्ण मीटिंग में, जो २५ मार्च से १७ जुलाई, १९५० तक जारी रही, कुछ मुफती समर्थक उग्रवादियों ने जोर्डन को लीग से बहिष्कृत करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने यह दलील दी कि अरब फिलस्तीन का अधिकार १९४५ के समझौते के लक्ष्य तथा सिद्धान्तों के विपरीत है। गाजा की मनोकल्पित सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति ने इस समस्या को और भी जटिल बना दिया। जून में एक समझौता किया गया जिसके अनुसार पूर्वी फिलस्तीन जोर्डन के प्रशासन के सुपुर्द कर दिया गया जबकि गाजा में सर्व फिलस्तीन सरकार ने लीग परिषद में अपना स्थान कायम रखा।

१९४८ के पञ्चात् अरब लीग ने तीन बातों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया—अरब गणराज्यों की समस्या (दस लाख बेघर लोग), सामूहिक सुरक्षा और इजरायल के विरुद्ध तीव्र बहिष्कार आन्दोलन।

अरब विन्यापितों को सहायता देने के लिए, खान तीर पर विस्थापितों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अरब लीग ने संयुक्त राष्ट्र सभ के साथ कार्य किया। नंध ने बहिष्कार के अने कार्यों को तीव्र कर दिया। बहिष्कार के कार्यों को निर्देश देने के लिए दमिस्क में एक प्रधान कार्यालय की स्थापना हुई और अरब

सभी अरब राज्यों में ये राष्ट्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं। इथोपिया तुर्की, क्यूवेट (Kuwait) तथा क्वाटार (अरब प्रायद्वीप में स्थित ब्रिटिश रक्षित-राज्य) से सबंध स्थापित किए गए। इस सबंध स्थापना के पीछे इस बात का प्रयत्न था कि इन राष्ट्रों को इसके लिए राजी कर लिया जाय कि ये इजरायल से उन आर्थिक लाभों के हेतु विनिमय-व्यापार न करें, जो लाभ अरब-लीग के सदस्यों की ओर से उनके (उपयुक्त राष्ट्रों) लिए प्रस्तुत हैं। सब ने इजरायल के राजनीतिक पृथक्करण को मजबूत किया। ऐसा करने के लिए उसने सभी सदस्य राष्ट्रों को मना किया कि "कोई भी सदस्य राष्ट्र इजरायल के साथ एक पक्षीय शांति-संधि अथवा दूसरा कोई राजनीतिक, सैनिक या आर्थिक समझौता करने के लिए बातचीत न करे। कोई भी राज्य, जो इस प्रकार के समझौते के लिए बातचीत प्रारंभ करेगा, उसे लीग-संधि की धारा १८ के अनुसार, संधि की सदस्यता के लिए अयोग्य करार कर दिया जायगा।" (प्रस्ताव २५०, १ अप्रैल, १९५०)।

दो सप्ताह बाद संधि ने एक प्रस्ताव द्वारा इस दिशा में और भी दृढ़ कदम उठाए। इस प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया था कि यदि कोई राष्ट्र, संधि की घोषणा की अवहेलना करेगा तो, "उस देश से राजनीतिक एवं राजनयिक सबंध विच्छेद कर लिया जायगा। उस राष्ट्र तथा दूसरे अरब राष्ट्र के मध्य की सीमाओं को बदल दिया जायगा, तथा उनके बीच आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्तीय सबंधों को तोड़ दिया जायगा।" संधि के अनुसार इजरायल के इस प्रकार से बहिष्कार का यह परिणाम होगा कि इजरायल का आर्थिक पतन अन्ततः हो जायगा। बहिष्कार का तरीका ही सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका रहा है जिसे अरब राष्ट्रों ने इजरायल के विरुद्ध 'शीत युद्ध' के लिए अपनाया है।

जैसे कि पहले ही देखा चुके हैं कि अरब-संधि के सदस्य-राष्ट्रों ने सामूहिक प्रतिक्रिया तथा आर्थिक महकारिता के एक समझौते का मसविदा १९५० में तैयार किया। मिस्र, लेबनान, माऊडी अरब, सीरिया तथा यमन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, ईराक फरवरी १९५१ तक बाहर रहा तथा जोर्डन उसके और एक वर्ष बाद तक। २८ मार्च १९५२ तक सात में से चार राष्ट्रों द्वारा समझौते की अभिपुष्टि कर दी गई। ये चार राष्ट्र थे सीरिया, मिस्र, जोर्डन और ईराक, लेकिन इनके द्वारा उठाए गए अपवादों तथा मसौदों के कारण इनके नाश होने में विनम्र देखा।

उपनिवेशवाद-विरोधी

इन्वियाम सम्मेलन (११ जून, १९५६) में सब ने यह मिफारिश की कि मध्य अरब देशों की सरकारों को "उन अरब देशों के स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के हेतु सबंध स्थापना चाहिए, जो अभी तक सब में बाहर हैं, जिसमें कि वे म्यांमार हो सकें

अथवा उम अरब देश में विलीन हो जाए, जिसका वे एक भाग हैं।”
(प्रस्ताव न० ६३)

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सघ ने ट्यूनिशिया, अल्जीरिया तथा मोरक्को में अरब-राष्ट्रीय आन्दोलन को सक्रिय प्रोत्साहन दिया तथा सयुक्त राष्ट्र सघ की महासभा में फ्रांस के विरोध के वावजूद भी १९५२ में इन प्रश्नों को उठाने का अनवरत प्रयत्न किया। १९५६ तक ट्यूनिशिया तथा मोरक्को की समस्या हल हो गई। लेकिन अल्जीरिया का प्रश्न अभी तक उलझा हुआ ही है। अल्जीरिया का प्रशासन फ्रांसीसी उपनिवेश के रक्षित-राज्य की हैमियत से न होकर वस्तुतः फ्रांस के अविभाज्य अंग के नाते एक विभाग की हैसियत में होता है। अरब-मघ के हस्तक्षेप का भी अभी कुछ परिणाम नहीं निकला।

गैर-राजनीतिक प्रवृत्तियाँ

१. आर्थिक—अरब लीग का अधिकांशतः रचनात्मक कार्य आर्थिक, विधि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में सब ने अरब राज्यों में अनेक मिफारिशें आर्थिक सहयोग के सबंध में कीं। ये मिफारिशें इस प्रकार की थीं—प्रचलित मुद्रा का एकीकरण (प्रस्ताव न० २०५); सब अरब राष्ट्रों के बीच एक अधिमानित व्यापार प्रणाली (प्रस्ताव न० ३५६), सदस्य-राष्ट्रों के बीच थल, जल तथा हवाई यातायात तथा संचार साधनों को हट कराना तथा नियामकता प्रदान करना, लेकिन इसमें थोड़ी ही सफलता मिली है। कई योजनाओं का अध्ययन सावधानी से किया गया, लेकिन बहुत थोड़ी ही ऐसी स्थिति में पहुँच पाई है कि उन्हें व्यावहारिक स्तर से लागू किया जाय। उदाहरणार्थ, टेलीफोन-संचरण को सुनिश्चित करने, नागरिक उड़्डयन मधुर्था संधि मसविदे पर किसी समझौते पर पहुँचने, लेबनान द्वारा प्रस्तावित अरब-जहाजरानी-कंपनी की स्थापना करने, हैजाज रेलवे लाइन को चालू करने, तथा अन्तर-अरब-नदी-नीतरण को बढ़ावा देने के प्रयास हुए हैं। ६ अप्रैल, १९५३ को सब ने एक अरब-डाक-मघ, एक अरब तार-संचार-साधनों तथा रेडियो-संचार साधनों के मघ की भी स्थापना की। इनमें हर एक का स्थायी कार्यालय सचिवालय में है, जो मघों के विभिन्न सदस्यों को सूचना तथा मलाह-मशविरा देने के केन्द्र के रूप में कार्य करता है। ७ सितम्बर, १९५३ को दो समझौते हुए—एक नीमा-गुल्क तथा व्यापार-प्रतिबंधों को कम करने के सबंध में था तथा दूसरे का उद्देश्य था चालू मुद्रा के विनिमय तथा पूंजी के हस्तांतरण को सुलभ करना। ये प्रयास यद्यपि प्रशंसनीय हैं, तो भी अप्रयोज्य हैं तथा विभिन्न अरब-राष्ट्रों का आर्थिक एकीकरण मुश्किल में प्रारम्भ हुआ माना जाएगा।

२ विधि (न्यायिक प्रवृत्ति)—अरब राष्ट्रों में विधायक तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, विधि-विभाग ने अन्तर-अरब-पारस्परिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के

लिए विधान का मसविदा तैयार किया जो सघ की परिपद द्वारा स्वाकृत हो गया । और जो समझौते हुए वे हैं—अरब राज्यों के विदेशों में रहने वाले नागरिकों की राष्ट्रीयता के मसघ में समझौता (२७ अक्टूबर, १९४६), अपराधियों के समर्पण के लिए समझौता (१४ अक्टूबर, १९५२), एक सदस्य-राष्ट्र के राष्ट्रीय द्वारा दूसरे सदस्य राष्ट्र में राष्ट्रीयता-प्राप्ति का समझौता (५ मई, १९५४) । अन्तर-अरब-विधि पारित करने की सघ की गति धीमी थी ।

३ सामाजिक—अरब-सघ में सामाजिक सहयोग को चार विचार-गोष्ठियों में प्रकट किया गया । ये विचार गोष्ठियाँ सयुक्त राष्ट्र सघ ने अरब-सघ से मिलकर चार विभिन्न स्थानों पर आयोजित की थीं । बेरूत में १९४६ में, काहिरा में १९५० में, दमिश्क में १९५२ में, बगदाद में १९५४ में विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गई थीं । विचार-गोष्ठी में अरब राज्यों की आर्थिक प्रगति में समाज-कल्याणकारी-प्रश्नों का समाधान निकालने के तरीकों के विकास पर विचार हुआ ।

४ सांस्कृतिक—सघ ने अरब-राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया । २७ नवम्बर, १९४५ में एक सांस्कृतिक समझौता अंगीकार किया गया, जिसमें अन्तर-अरब सांस्कृतिक सहयोग के मिद्धान्तों तथा लक्ष्यों की परिभाषा की गई थी । इस क्षेत्र में सघ के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे—(१) विभिन्न शिक्षण-प्रणालियों का स्तर-निर्धारित करना, (२) अरब-सांस्कृतिक को समृद्ध करना । सघ की सांस्कृतिक समिति साल में एक बार विभिन्न अरब देशों में बैठती है, एक स्थायी विभाग, जिसकी मासिक बैठक होती है, सांस्कृतिक विभाग की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है । अरबी भाषा की पाण्डुलिपियों के पुनरुज्जीवन के लिए एक नस्य़ा का निर्माण किया गया तथा लगभग आठ हजार पाण्डुलिपियों के चित्र लिये गए । मध्यपूर्व के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए १९५३ में अरबी के उच्चतर अध्ययन की नस्य़ा स्थापित की गई । विद्यार्थियों तथा आध्यापकों के आदान-प्रदान, अरब-विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों की स्वीकृति, तथा अरब ज्ञान-कोष को तैयार करने की व्यवस्थाएँ की गईं ।

निष्कर्ष—अरब-सघ के कार्य का मूल्यांकन करते समय किसी को भी यह स्वीकार करना चाहिए कि इसका असफलताओं के समझ सफलताएँ गौण हो जाती हैं । मघ १९८८-४९ में फिनलैंड में तथा १९५६ में स्वेडन में असफल रहा तथा आर्थिक एवं सामाजिक एकीकरण की आशा गिला रखने में इसे सफलता नहीं मिली । नो भी, इसने विदेशी दामना से मुक्त रहने की अरब-राष्ट्रों की कृत-सकल्पता को प्रदर्शित किया है तथा अगाधिर में आज तक वे लोगों के लिए अरब-एकता के प्रतीक के रूप अपने आपनों प्रकट किया है । सगठन की दृष्टि ने अत्यन्त हीली,

राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रतिद्वन्दिता के कारण विभाजित, इजरायल के विरुद्ध अत्यधिक शत्रुतापूर्ण संगठन होने के कारण यह अरब-सघ मध्य पूर्व में स्थिरता तथा शांति-निर्माण के लिए प्रभावक सत्ता के रूप में असफल प्रमाणित हुआ है। तो भी इतना तो है ही कि यह अरब-विश्व के राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन का प्रतीक है तथा प्रथम गैर-पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है।

वगदाद-संधि

वगदाद-संधि का मूल अग्रर खोजना हो तो वह हमें प्रस्तावित मध्य-पूर्व-प्रतिरक्षा-संगठन में प्राप्त हो सकेगा, जिसकी मूल योजना १९५१ में प्रकाशित कर दी गई थी। यह आंग्ल-अमेरिकी गुट द्वारा ऐसी प्रतिरक्षा-संधि का रूप लेने को था, जिसे संधि में अरब तथा मध्यपूर्व के राष्ट्र सम्मिलित हो। इस संधि में एक सयुक्त प्रतिरक्षा एव सहायता की उस समय के लिए व्यवस्था की गई जब किसी भी सदस्य-राष्ट्र पर बाहरी आक्रमण हो। परन्तु इसका वास्तविक उद्देश्य तो साम्यवादी-देशों की घेरा बन्दी करने का था और विशेष रूप से रूस की।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंग्ल-अमेरिकी गुट तुर्की को इसके लिए राजी करने में सफल हो गया कि वह (तुर्की) मध्य-पूर्व-प्रतिरक्षा-संगठन के निर्माण में पहल करे। साथ ही हर प्रकार की सहायता—सैनिक सहायता तथा आर्थिक ऋण भी जिसमें शामिल हैं—देने का वचन दिया। ६ जनवरी, १९५५ को एक प्रतिनिधि-मंडल ने, जिसका नेतृत्व तुर्की के प्रधान मंत्री श्री मेंडरेस कर रहे थे, ईराक की आठ दिवसीय सद्भावना-यात्रा पर वगदाद गए। तुर्की प्रतिनिधि मंडल से हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप छ दिन बाद एक सयुक्त घोषणा प्रकाशित हुई, जिसमें मध्य-पूर्व की सुरक्षा एव स्थिरता के लिए तुर्की तथा ईराक के मध्य वर्तमान सहयोग को लागू करने तथा उसे विस्तृत करने के लिए, अतिशय जहाँ तक संभव हो एक तुर्की-ईराकी-संधि सम्पूर्ण हो जाने के निर्णय की घोषणा की गई। मित्र विदेश मंत्री श्री फौजी ने घोषणा की कि शुद्ध अर्थ में प्रस्तावित ईराकी-तुर्की-संधि अरब-सघ-साप्ताहिक सुरक्षा संधि की विरोधी है। ईराक को चाहिए था कि इतने महत्वपूर्ण मामले में वह दूसरे सदस्य-राष्ट्रों की भी सलाह लेता। उन्होंने फिर कहा कि मित्र इसके लिए कृत-संकल्प है कि वह किसी भी संधि में शामिल नहीं होगा और नाही दो पक्षों द्वारा किए गए किन्हीं समझौतों को स्वीकार करेगा। अरब-एकता को रखाई रूप बनाए रखने के लिए मित्र के प्रधान मंत्री कर्नल-नासिर, ने २२ जनवरी को बाहिरा में अरब-सघ की एक बैठक का प्रस्ताव रखा, जो प्रस्तावित तुर्की-ईराकी-समझौते में उत्पन्न स्थिति पर विचार करे।

१८ जनवरी १९५५ को ईराक ने अपनी विदेश-नीति पर एक वक्तव्य प्रकाशित

किया, जिसमें इस नीति के दो प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी। वे सिद्धांत थे—(१) अरबों के महत्वपूर्ण ध्येयों की पूर्ति करना, (२) ईराक की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अपनी विदेश-नीति के प्रथम सिद्धांत के अन्तर्गत ईराक के प्रयास ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष साक्षी हैं जोकि लेवेंट (भूमध्य सागरीय प्रदेश) राज्य, उत्तरी अफ्रीका, फिलिस्तीन तथा अरब-लीग की नींव रखना। दूसरे सिद्धांत के अन्तर्गत ईराक ने यह प्रयत्न किया था कि वह अपने पड़ोसी राष्ट्रों तथा उन बड़ी शक्तियों से अपने संबंधों को व्यवस्थित तथा दृढ़ करे, जिनके हित ईराक के हितों में मेल खाते हैं। तुर्की, फारस तथा अफगानिस्तान के साथ संधियां तथा इगलिस्तान के सवि-गठबंधन इसके उदाहरणरूप में उद्धृत किए गए थे। ईराक का विचार था कि इन दोनों सिद्धांतों को मयुक्त रूप में लागू करना ही केवल मात्र तर्क-मगत तरीका है, जिससे अरबों के आम हितों को प्राप्त किया जा सकता है।

ईराक ने १९ अक्टूबर, १९५८ के आंग्ल-मिस्री-समझौते का जोरदार स्वागत किया। ईराक ने इस समझौते को अरब-तुर्की-इगलिस्तानी संबंधों के लिए एक शुभ शकुन माना। उसके विचार से यह निर्णय मित्र का विशेष अधिकार था, उस समय तक जब तक यह मित्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करता, जो (मित्र की सुरक्षा) अरब-विश्व की सुरक्षा का अनिवार्यतः आवश्यक अंग है। मित्र की तुर्की-अरब संबंधों के प्रयास के पूरक के रूप में ईराक ने तुर्की से संधि के लिए आपसी विचार प्रारंभ किया, जो अरब-राष्ट्रों के साथ उन राष्ट्रों के लिए भी खुली होगी, जिनका संबंध मध्य-पूर्व की सुरक्षा में है। ईराक का तुर्की के साथ एक लंबा तथा आम सीमान्त था, और साथ ही आम प्राकृतिक साधन भी। साथ-ही साथ ईराक पिछली संधियों की शृंखला द्वारा तुर्की में बधा हुआ था, जैसे कि १९२६, १९३७ तथा १९४६ की संधियां। बवतव्य इस टिप्पणी के साथ समाप्त किया गया था कि प्रस्तावित संधि का टकराव नहीं राष्ट्र-संघ के अधि-पत्र से होता है और नहीं सामूहिक अरब सुरक्षा-समझौते में। ईराकी प्रधान मंत्री नूरी-अम-मैद ने अपने डाक्टरों की सलाह पर २२ जनवरी, १९५७ में काहिरा में होने वाले अरब संघ के प्रधान-मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लिया। काहिरा-सम्मेलन में मिस्री प्रतिनिधि-मंडल मीरियाट, लेवनानी तथा ईरानी प्रतिनिधि मंडलों (टा० फादिलजमाली) का यह अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहा कि वे ईराकी-तुर्की-संधि में अपने-आपको अलग रखेंगे। सम्मेलन को भंग करने का निश्चय कर लिया गया तथा यह निश्चय किया गया कि एक प्रतिनिधि-मंडल जिसमें मित्र के राष्ट्रीय-मार्ग-दर्शन मंत्री मेजर मलेम, लेवनान के प्रधानमंत्री तथा मीरिया और जोर्डन के विदेश-मंत्री शामिल हों, बगदाद ईराकी प्रधानमंत्री नूरी-अम-मैद ने बातचीत करने जाए। ईराकी प्रतिनिधियों तथा अरब संघ के प्रतिनिधि-

मडल के बीच हुई त्रिदिवसीय वार्ता के पश्चात् २ फरवरी, १९५५ को एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया था कि ईराक ने तुर्की के साथ अपनी सधि पर हस्ताक्षर विलम्बित करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया ।

२४ जनवरी, १९५५ को वगदाद में तुर्की-ईराकी-सधि पर हस्ताक्षर हो गए । पाँच वर्ष तक इसकी वैधता की अवधि रखी गई तथा इसके बाद आगामी पाँच पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण की व्यवस्था की गई । सधि से अलग होने के लिए इस प्रकार की किसी भी अवधि के समाप्त होने से छः माह पूर्व अग्रिम सूचना दी जा सकती थी । सधि में यह कहा गया कि यह नयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिपत्र के अनुच्छेद ५१ पर आधारित है तथा इसके द्वार ऐसे हरेक राष्ट्र के लिए खुले हैं, जो मध्यपूर्व की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से चिंतित है । इसमें आन्तरिक सुरक्षा-संधि सूचना के विनियम, और उसके साथ ही प्राविधिक सूचना साधनों के भी विनियम तथा ईराक के रास्ते बिना सीमा शुल्क के तुर्की को शस्त्रास्त्रों की निकासी और इसी प्रकार तुर्की से अन्य राष्ट्रों को शस्त्रास्त्रों की निकासी की व्यवस्था थी । सधि के अनुच्छेद छ में कहा गया था कि कम-से-कम छ राष्ट्रों के सधि में शामिल हो जाने पर एक स्थायी परिपद् की स्थापना की जाएगी, जिसमें सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि उन देशों के मध्यमडलों के सदस्य ही हो सकेंगे । इसमें कम स्तर के प्रतिनिधि किसी भी देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे । सधि में यह छूट भी दी गई कि सधि में सम्मिलित होने वाला कोई भी देश अन्य किसी एक देश से अथवा अधिक से विशेष पारस्परिक प्रतिरक्षा-समझौते कर सकता है ।

नूरी-अम सैद ने ईराकी प्रतिनिधि-सभा में घोषणा की कि सधि पर हस्ताक्षर करने वाले दूसरे सदस्य राष्ट्रों—पाकिस्तान, फारस, तथा इगलिस्तान से—ईराक के सहयोग का आधार ये तीन मिद्धात होंगे • (१) ईराक ऐने किमी भी उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करेगा, जो उसे अपनी सीमाओं के बाहर निवाहने हो अथवा अरब-राष्ट्रों की सीमाओं के बाहर जैसाकि अरब-नुरक्षा-सधि में उल्लिखित है, (२) ईराक-सरकार केवल मात्र ईराक की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है तथा कोई भी राष्ट्र ईराक से सहयोग के लिए किन्ही भी शर्तों की उसे आज्ञा नहीं दे सकता, (३) ईराक की विदेश-नीति मपूर्ण प्रभुमत्ता तथा सधि में शामिल राष्ट्रों के बीच समान अधिकारों पर आधारित होगी, जैसाकि सधि के अनुच्छेद ५ ने स्पष्ट है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कोई भी वह देश, जिसे सधि में शामिल कम-से-कम दो प्रमुख राष्ट्रों ने मान्य न ठहराया हो, सधि में शामिल नहीं किया जाएगा, ईराक ने अरब राष्ट्रों ने पूर्णरूपेण सहयोग की प्रतिज्ञा की । यह बात इजरायल पर लागू होती थी, जिसे ईराक से मान्यता प्राप्त नहीं थी । ईराक तथा तुर्की दोनों की नमदों ने स्पष्ट बहुमत ने इस सधि की अभिपुष्टि कर दी ।

४ अप्रैल, १९५५ को इगलिस्तान ने १९३२ की सधि के स्थान पर ईराक के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा वह (इगलिस्तान) २४ फरवरी के तुर्की-ईराकी सधि में शामिल हो गया। इस नए समझौते के अन्तर्गत इगलिस्तान सैनिक भंडारों तथा साधनों को ईराक में युद्ध के समय प्रयोग के लिए एकत्रित कर सकेगा। जिन हवाई-क्षत्रों पर इगलिस्तान का अधिकार था अब ईराक के नियन्त्रण में चले जाएंगे लेकिन इगलिस्तानी सेना के अधिकारी ईराक में ही रहेंगे जो ब्रिटिश हवाई-जहाजों का संचालन करेंगे, तथा तत्सम्बन्धी सुविधाओं को बनाए रखेंगे और साथ ही ईराकी सैनिकों के सैनिक प्रशिक्षण में सहायक होंगे। ईराक पर सशस्त्र आक्रमण होने की स्थिति में अथवा आक्रमण की धमकी पर—अगर दोनों सरकारें यह समझें कि यह ईराक की मुराबा को खतरे में डाल देगा—इगलिस्तानी सरकार प्राप्य सहायता का कार्य अपने हाथ में ले लेगी। ऐसा वह ईराक-सरकार की प्रार्थना पर ही करेगी तथा इस सहायता में अनिवार्य सशस्त्र सेनाएँ भी शामिल होंगी, जो ईराक की रक्षा करेंगी। ब्रिटेन तथा ईराक में हुए इस नए समझौते में ईराकी सशस्त्र सेनाओं को कार्य-कुशलता तथा तत्परता की स्थिति में बनाए रखने को इगलिस्तान तथा ईराक के बीच घनिष्ठ सैनिक सहयोग की व्यवस्था की गई।

२३ सितम्बर, १९५५ में पाकिस्तान बगदाद-सधि में शामिल हो गया, जो तुर्की तथा ईराक के बीच हुई थी तथा ब्रिटेन का भी जिससे लगाव हो गया था। ११ अक्टूबर, १९५५ में ईरान ने भी पाकिस्तान तथा इगलिस्तान का अनुकरण करने हुए, ईराक-तुर्की के बीच हुई सधि में शामिल होने की घोषणा कर दी।

दिसम्बर में इगलिस्तान ने जोर्डन पर भी बगदाद-सधि में शामिल होने को बोर डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि जोर्डन के दो प्रधान-मन्त्रियों—सैद मुफ्ती तथा हाजल मजली—ने क्रमशः इस्तीफा दे दिया तथा बड़े पैमाने पर दगे हुए जिन्होंने यह स्पष्ट मक़दद कर दिया कि जोर्डन की जनता बगदाद-सधि की शक्तियों के साथ किसी भी गठबन्धन के पक्ष में नहीं है। जोर्डन के शाह हुसैन को जनरल ग्लव पाशा को वर्ध्वास्त करने को विवश किया, जो अरब सैन्य-दल का प्रवर्तक माना जाता है। इस प्रकार अरब सैन्य-दल विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गया तथा जोर्डन को बगदाद सधि में ज्वरदम्नी पसीटने का इगलिस्तानी प्रयास असफल रहा।

बगदाद-सधि की प्रवृत्तियाँ

बगदाद-सधि के राष्ट्रों—ईरान, ईराक, पाकिस्तान, तुर्की तथा इगलिस्तान—की उद्घाटन बैठक (प्रारम्भिक बैठक) बगदाद में २१-२२ नवम्बर को ईराकी प्रधान मन्त्र अत मेसद नुरी-प्रम-मैद के नभापत्रित्व में हुई। अमेरिकी सरकार को प्रेषण के नाने बैठक की कार्यवाही में भाग लेने को बगदाद सधि के राष्ट्रों ने निमन्त्रित

किया, जिसे स्वीकार करके अमेरीकी सरकार की ओर से वगदाद-स्थिति अमेरीकी राजदूत ने परिपद में अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

प्रारंभिक भाषणों में तीन मुद्दों पर बार-बार जोर दिया गया - अमेरिका की इस संधि से पूर्ण लगाव की इच्छा, आर्थिक सहयोग का महत्व, तथा फिलस्तीन की समस्या के समाधान को प्राप्त करने की आवश्यकता। परिपद ने अमेरीकी सरकार के स्थायी राजनीतिक एवं सैनिक सम्बन्धों को प्रस्थापित करने तथा आर्थिक समिति में प्रेक्षक नियुक्त करने की इच्छा का स्वागत किया। परिपद ने यह माना कि वगदाद-संधि के अन्तर्गत जो उत्तरदायित्व ईराक के हैं, वे उन उत्तरदायित्वों से पूर्ण मेल खाते हैं, जो अरब-संधि, राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग तथा सयुक्त प्रतिरक्षा-संधि के अन्तर्गत उस पर हैं।

परिपद में पांच सरकारों ने मध्य-पूर्व में शांति एवं सुरक्षा के सयुक्त उद्देश्य, अपने-अपने क्षेत्रों की आक्रमण तथा विध्वंस से रक्षा करने तथा इस सम्पूर्ण क्षेत्र के लोगों की खुशहाली तथा कल्याण की वृद्धि के लिए पूर्ण सहयोग के साथ कार्य करने के अपने इरादों की पुनः पुष्टि की, जैसा कि संधि में उल्लिखित है तथा सयुक्त राष्ट्रसंधि अधिपत्र के अनुच्छेद ५१ के भी अनुसार है।

पाँचों सरकारों ने एक स्थायी परिपद की स्थापना की जिसका सत्र हमेशा ही रखने का निश्चय किया गया। मन्त्रिस्तरीय होने वाली बैठकें वर्ष में एक बार होगी। मेजवान देश के नाते ईराक सन् १९५६ तक अध्यक्ष-पद पर रहेगा, इसके बाद अध्यक्ष-पद पर एक-एक वर्ष के लिए संधि के शेष राष्ट्र अकारादि क्रम से कार्य करते रहेंगे। वगदाद संधि तथा इसकी आश्रित समस्याओं का स्थायी स्थान वगदाद में ही रहेगा। हर सदस्य को परिपद के लिए एक उप-प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए। वगदाद स्थिति अपने स्थायी प्रतिनिधियों द्वारा परिपद किसी भी समय पाँचों सरकारों के राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक हितों के किसी भी मामले पर चर्चा करने को बैठक बुला सकेगी। परिपद इस बात पर भी राजी हो गई कि वगदाद-संधि मगठन के लिए एक स्थायी सचिवालय वगदाद में स्थापित किया जाना चाहिए।

परिपद ने एक स्थायी सैनिक समिति की स्थापना की, जो परिपद के प्रति उत्तरदायी है तथा उन्नी के अधीन है, तथा जो भी निर्देश उन्ने दिये जायँ, उनको पूरा करने की उन्ने जिम्मेदारी भी दी गई। सैनिक समिति में पाँचों सरकारों के प्रतिनिधि उन सरकारों के प्रधान-सेनापति अथवा उनके सहायक होंगे। सैनिक समिति ने अपनी प्रारंभिक बैठकों में क्षेत्र की सुरक्षा को मुनिश्चित करने के लिए एक सैनिक मगठन की नींव डाली। परिपद ने अमेरिका द्वारा संधि में सम्मिलित प्रत्येक राष्ट्र को मूल्यवान् तथा खुलकर सहायता देने के लिए उसकी (अमेरिका की) मगठना की। यह सहायता अमेरिका ने सैन्य शक्ति के रूप में तथा सन्त्रास्त्रों तथा दूसरे सैनिक

साधनों के रूप में इसलिए दी कि वे राष्ट्र अपनी-अपनी प्रतिरक्षा-व्यवस्था को किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए सबल बना सकें।

क्षेत्र के आर्थिक एवं वित्तीय साधनों के विकास तथा उन्हें दृढ़ करने के लिए एक आर्थिक समिति की स्थापना हुई। आगामी दो वर्षों में पाँच लाख पाँड का रक्षित-कोष निर्माण करने के लिए सोना मुलभ करने तथा वित्तीय सहयोग के दूसरे प्रकारों द्वारा इ गलिस्तान ने ईराक को सहायता देने का निर्णय किया। यह आर्थिक समिति प्रमुख रूप से क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने के तौर-तरीकों पर विचार करेगी। इसमें क्षेत्रीय आधार पर विश्व-बैंक, विश्व-स्वास्थ्य-संगठन तथा विशेषता-प्राप्त सस्थाओं से चर्चा करना भी सम्मिलित है। इ गलिस्तान के प्रतिनिधि ने इस बात के लिए अपनी सरकार की तत्परता प्रकट की कि वह विज्ञान के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए अपनी स्वयं की अणु-शक्ति योजनाओं द्वारा सधि में सम्मिलित दूसरे देशों की मदद करने में अणु-शक्ति के क्षेत्र में अपने अनुभवों का उपयोग करेगी। विशेष रूप से इ गलिस्तान इस बात के लिए तैयार था कि वह स्थानीय एवं क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अणु-साधनों को लागू करने में बगदाद-सधि के देशों की सहायता करेगा। जनवरी, १९५६ में आर्थिक समिति ने एक प्रशिक्षण-केन्द्र इस उद्देश्य में स्थापित किया कि सदस्य-राष्ट्रों के वैज्ञानिक अणु-शक्ति के शांतिपूर्ण-प्रयोगों का अध्ययन करे। इस प्रकार व्यावहारिक आर्थिक सहयोग की आधार-शिला रख दी गई तथा सदस्य देशों के विकास-मन्त्रियों का आदान-प्रदान होने लगा जिसमें सभी सदस्य राष्ट्र एक दूसरे के अनुभवों में लाभ उठा सकें।

बगदाद सधि परिषद् ने अपनी दूसरी मंत्रियों की बैठक तेहरान में १६ से १९ अप्रैल तक रखी। इस बैठक के अध्यक्ष थे ईरान के प्रधान-मंत्री, हुसैन-अल। परिषद् ने यह आशा व्यक्त की कि बगदाद-सधि "क्षेत्र की जनता के बीच एकता स्थापित करने का माध्यम है ऐसी जनता के बीच जो स्वतंत्र तथा जनताधिक जीवन-प्रणाली में आस्था रखती है।" परिषद् ने तटस्थ राष्ट्रों द्वारा सधि के विरुद्ध किए जाने वाले 'आरोपों तथा आलोचनाओं' का 'तत्परता तथा दृढ़ता' से उत्तर देने का निर्णय किया।

परिषद् का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के मूल मन्त्रियों में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस क्षेत्र में 'विध्वंस' की शक्ति को रोकने के लिए परिषद् ने महामन्त्रियों के नियंत्रणाधीन एक म्याथी संगठन स्थापित करने का निर्णय किया। परिषद् ने यह भी माना कि 'विध्वंस के प्रतिवाद के लिए मूल आवश्यकता इस बात की है कि उन मन्त्रियों का ही मूत्रोच्छेदन कर दिया जाय जिनमें यह पनपता है—जिनके सि आर्थिक अन्व-विक्रम तथा दुर्बल प्रतिरक्षा-व्यवस्था।"

परिपद् के निमंत्रण पर अमेरिका भी आर्थिक समिति तथा विद्युत्-विरोधी समिति का सक्रिय सदस्य बन गया। अमेरिका ने आश्वासन दिया कि वह सदस्य-राष्ट्रो के राजनीतिक, प्रतिरक्षा-संबंधी तथा सामाजिक उद्देश्यों—जो सधि में उल्लिखित हैं—को प्राप्त करने के सामूहिक अथवा एकाकी प्रयत्नों में सहयोग देता रहेगा।

परिपद् ने आर्थिक समिति के प्रतिवेदन को अंगीकार किया, जिसमें कृषि-यंत्र के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, मलेरिया-निरोधक कार्यों के लिए सयुक्त प्रशिक्षण केन्द्रों तथा स्वास्थ्य-शिक्षा की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसमें टिड्डी तथा महामारी पीडित क्षेत्र में सयुक्त पर्यवेक्षण, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान तथा वैज्ञानिक विषयो पर सूचना के आदान-प्रदान की भी व्यवस्था की गई। जनवरी १९५७ में बगदाद में अणु-शक्ति केन्द्र खुल जाने की संभावना की गयी है। अकारा में होने वाली प्राविधिक समिति की बैठक टिगरिस तथा यूफ्रेट्स-तराई के जल साधनों, ईरान के खनिज-साधनों तथा कैस्पियन प्रदेशों की लकड़ी के भंडारों के सयुक्त विकास की संभावनाओं का अध्ययन करने की थी। बगदाद में एक सैनिक-संबंध-दल की स्थापना हुई। परिपद् की आगामी बैठक जनवरी, १९५७ में कराची में होगी। इस बीच प्रतिनिधि-परिपद् प्रतिनिधि-स्तर पर ही नियमित रूप में बैठके करती रही।

बगदाद-संधि का भविष्य—अभी में यह आकना समय से पूर्व होगा कि बगदाद-संधि का उद्देश्य सफल होगा या असफल। पर यह तो निश्चित ही है कि अरब-जगत की जिस एकता को अरब-संधि ने बढ़ाया था उसमें इमने विगृह्यता उत्पन्न कर दी है। मित्र ने यह सोचा कि यह (बगदाद-संधि) उसक (मित्र क) विरुद्ध कार्य करने को बना है तथा खुले रूप में संधि का विरोध किया। मित्र के राष्ट्र निदेशन-मत्री, मेजर सलेम ने २६ जनवरी, १९५५ में दमिश्क में घोषणा की कि, "तुर्की के साथ ईराक द्वारा संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अरब अरब-सुरक्षा-संधि का कोई अस्तित्व नहीं रहता।" मित्र की यही भावना सीरिया, लेबनान, साउदी अरब तथा जॉर्डन के संधि में शामिल न होने के निर्णय में प्रतिबिम्बित होती है।

मित्रो प्रतिरक्षा-संधिया

इसलिए मित्र ने एक नवीन अरब सैनिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संधि का आह्वान किया है, जिसमें वे राष्ट्र सम्मिलित हों जो बगदाद-संधि में शामिल नहीं हुए। २० अक्टूबर १९५५ को दमिश्क में मित्र तथा सीरिया ने एक नई अरब-प्रतिरक्षा-संधि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें अन्य अरब-राष्ट्रों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। उनको रूप-रेखा इन मुद्दों में प्रकट की गयी : (१) तुर्की

ईरानी तथा अन्य किसी सधि में शामिल न हुआ जाय, (२) सयुक्त सैनिक कमान के अन्तर्गत एक सगठन स्थापित किया जाय, (३) अरब-आर्थिक एकता के लिए एक सस्था स्थापित की जाय, (४) सदस्य-राष्ट्रो पर होने वाले किसी आक्रमण को रोकने में हाथ बटाने की प्रतिज्ञा, (५) सदस्यो द्वारा, बिना अन्य सदस्यों की सम्मति के, कोई अन्तर्राष्ट्रीय, सैनिक अथवा राजनीतिक समझौता न करने की प्रतिज्ञा, (६) यह पाँच वर्ष तक चालू रहेगा। मिस्त्र के प्रधान-सेनापति जनरल अब्दल हाकिम अमीर सीरिया-मिस्त्र के सर्वोच्च सेनापति नियुक्ति किये गये। ब्रिटेन द्वारा जोर्डन पर बगदाद सधि में शामिल होने के लिए जोर डालने के कारण वहाँ जो बड़े पैमाने पर भगडे हुए तथा जिसके परिणाम स्वरूप जनरल ग्लव पाशा को बर्खास्त कर दिया गया, जो ब्रिटिश राष्ट्रीय और जोर्डानी सेना का प्रधान सेनापति था—इन सब के पश्चात् २७ दिसबर, १९५५ को जोर्डन के विदेश-मन्त्री सामिरी रिफटी ने घोषणा की कि “जोर्डन का सधि में शामिल होना एक वर्ष के लिए नहीं, वर्षों के लिए स्थगित हो गया है।” २५ अप्रैल, १९५६ को दोनो देशो की सेनाओ को एक सूत्र में सगठित करने तथा उन्हें नियामकता प्रदान करने के लिए मिस्त्र तथा जोर्डन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। २१ अप्रैल, १९५६ में मिस्त्र, साऊदी अरब, तथा यमन ने एक अन्य प्रतिरक्षा-सधि पर हस्ताक्षर किये, जिसमें यह व्यवस्थाए रखी गई (१) किसी भी सदस्य-राष्ट्र पर किया गया सशस्त्र आक्रमण तीनों राष्ट्रों पर भी हुआ माना जायगा, (२) तीनों राष्ट्रों के विदेश तथा प्रतिरक्षा मन्त्रियों से बनी एक सर्वोच्च परिषद को यह अधिकार दिया गया कि वह सयुक्त कमान को निर्देश दे, (३) सयुक्त कमान में एक प्रधान-सेनापति होगा, जो प्रतिरक्षा-आयोजनों के प्रशिक्षण, सगठन तथा अपनी कमान के अन्तर्गत सेनाओ को सवारने आदि की व्यवस्थाओ को लागू करेगा, (४) तीनों सेनाओ के प्रधान सेनापतियों की सैन्य परिषद सर्वोच्च परिषद को सलाह देगी, (५) सदस्य-राष्ट्र सैन्य परिषद के अन्तर्गत अपनी सेनायें रखेंगे, तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे, (६) किसी आक्रमणकारी के साथ कोई भी सदस्य राष्ट्र अलग से शांति समझौता नहीं करेगा, (७) सधि का काल पाँच वर्ष तक रहेगा तथा कोई भी सदस्य सधि से पृथक हो सकता है, अगर वह एक वर्ष की अग्रिम सूचना दे देता है।

जब ३१ अक्टूबर, १९५६ को स्वेज पर आंग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण हुआ तो बगदाद-सधि में ईराक की मददगारता का वहाँ की जनता ने तीव्र विरोध किया। ७ नवम्बर, १९५६ को बगदाद-सधि के मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों (ईराक, ईराक, पाकिस्तान, तुर्की) की एक आपातकालीन बैठक तेहरान में हुई। यह बैठक इसलिए हुई थी कि ब्रिटेन पर मिस्त्र के विरुद्ध युद्ध बंद करने को जोर डाला जाय। मिस्त्र ने घोषणा की कि युद्ध-बंदी सधि के सदस्यों की इच्छाओं के कारण हुई है। जनवरी

१९५७ (१९ से २२ तक) इन मदस्यो की अकारा में फिर एक बैठक अमेरिका से यह प्रार्थना करने के लिए कि वह सधि का पूर्ण मदस्य हो जाय तथा प्रे०आइजनहावर की मध्य-पूर्व-योजना पर विचार करने के लिए हुई ।

रूस ने वगदाद-सधि की भर्त्सना केवल 'आक्रमक सैनिक तथा राजनीतिक गठबधन' के ही रूप में नहीं की अपितु 'गुलाम बनाने के साधनों में से एक साधन तथा उपनिवेशवाद जैसे ही एक नए प्रकार के शोषण-साधन' के रूप में की । १० नवम्बर, १९५६ को प्रधान-मंत्री श्री नेहरू ने कलकत्ता में कहा था, "वगदाद-सधि के एक महत्वपूर्ण सदस्य ब्रिटेन द्वारा मित्र पर आक्रमण से, वगदाद-सधि समाप्त हो जायगी, यह कल्पना सहज ही की जा सकती है ।"

दक्षिण तथा पूर्व एशिया प्रतिरक्षा-सुरक्षा-सधिया

प्रशांतसागरीय संधियाँ—प्रशांत महासागरीय सधियों की सम्मति सर्व प्रथम फिलीपीन के राष्ट्रपति एलपीडियो ववाइरिनो ने अगस्त, १९४९ में दी "आज फिलीपीन तथा अन्य एशियाई राष्ट्रों के समक्ष सर्वाधिक आवश्यक समस्या सुरक्षा की समस्या है... अब जब उत्तर अतलातक सधि पूरी शक्ति पर क्रियाशील है, तब कोई भी व्यक्ति जो इस बात को अनुभव करता है कि एशिया को किस हद तक खतरे का सामना करना है, चैन से बैठना ग़बारा नहीं कर सकता । अनगिनत साधन-सपन्न तथा अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए एशिया को गलती में साम्यवाद के चंगुल में नहीं फसने दिया जा सकता और नहीं फसने दिया जाना चाहिए ।" यह साम्यवाद के बढ़ते हुए खतरे का सामना करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करने तथा अमेरिका, इंग्लिस्तान तथा फ्रांस के सहयोग से एक संयुक्त प्रतिरक्षा संगठन स्थापित करने का प्रयास था । फारमूना (राष्ट्रवादी चीन) के मार्शल च्यांग-काई शेक तथा दक्षिण कोरिया के सिंगमनरी ने क्रमशः अपने-अपने स्वार्थ के कारण इस विचार को दोहराया तथा उत्साहपूर्वक समर्थन किया । जापान, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड ने भी किसी प्रकार के प्रशांत महासागरीय प्रतिरक्षा संगठन का समर्थन किया । जुलाई, १९५० में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिरक्षा-सभा (हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव) —अमेरिकी कांग्रेस के ग्राम सदन—की विदेश मामलों की समिति ने उत्तर अतलातक सधि की तरह प्रशांत महासागरीय प्रदेश के लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा सधि—जिसमें अमेरिका भी भाग लेगा—के प्रस्ताव पर सब-सम्मति से स्वीकृति की मुहर लगा दी ।

पूर्वी एशिया : आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड-अमेरिका (ANZUS)

१ सितम्बर, १९५१ को आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (ANZUS) ने अनिश्चितकाल के लिए प्रशांत महासागरीय सुरक्षा-सधि पर हस्ताक्षर किये । तीनों राष्ट्रों ने घोषणा की कि "किसी सदस्य-राष्ट्र पर प्रशांत महासागरीय

क्षेत्र में कोई सशस्त्र आक्रमण हुआ तो वह सभी सदस्यों पर आक्रमण हुआ समझा जायेगा । इस आक्रमण में उनके केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों (Metropolitan territories), प्रशात महासागरीय क्षेत्र में उनके अधिकार-क्षेत्र में आने वाले द्वीपों, अथवा उनकी सशस्त्र सेना, जल-पोतों तथा हवाई जहाजों पर हुए आक्रमण भी शामिल हैं।" ऐसी स्थिति में हरेक सदस्य-राष्ट्रों को 'समान खतरे का मुकाबला' अपने-अपने सविधानिक कार्यविधि के अनुसार करना होगा । इस संधि में एक परिषद् है, जिसके सदस्य संधि में सम्मिलित राष्ट्रों के विदेश-मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि हैं । इस परिषद् की वार्षिक बैठक प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति केंसी रही, इसका पर्यालोचन करने के लिए होती है । आपातकालीन स्थिति में सयुक्त कार्यवाही के लिए सैनिक योजनाओं को नियामक बनाने के लिए प्रधान-सेनापतियों की एक सयुक्त कमान स्थापित की गई है । इसी प्रकार, अमेरिका ने मित्रता, गठबंधन तथा पारस्परिक प्रतिरक्षा की संधियाँ फिलीपीन तथा जापान से १९५१ में तथा दक्षिण कोरिया और फारमूसा से १९५३ की ।

दक्षिण-पूर्व-एशिया

जनवरी १९४९ में हिन्देशिया में हुए एशियाई सम्मेलन में १९ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने "अपने-अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय व्यवस्थाओं" की सभावनाओं को ढूँढ निकालने के लिए एक प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अंगीकार किया तथा इस प्रकार की योजना को कार्यान्वित करने के लिए यथेष्ट ढाँचा स्थापित किया । लेकिन यह अत्यन्त अनिश्चित प्रकार का था तथा भारत ने एक बंधनहीन क्षेत्रीय सस्था का समर्थन किया, जो सयुक्तराष्ट्र अधिपत्र के अधिकार-क्षेत्र तथा भावना के अन्दर-अन्दर ही और जिसका उद्देश्य पारस्परिक सलाह-ममविरा एव सहयोग तक ही सीमित हो, वह कोई बन्धनीय समझौता न हो ।

मई १९५० को फिलीपीन के राष्ट्रपति क्वार्डरिनो ने वेग्यू में एशियाई राष्ट्रों को एक मंत्र बनाने के लिए आमन्त्रित किया । वेग्यू सम्मेलन के परिणाम निराशाजनक रहे । एकत्रित प्रतिनिधियों में से केवल सात देशों के प्रतिनिधि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्षेत्रीय सहयोग के लिए महमत हुए । ये देश थे—ग्रान्टेनिया, भारत, लका, पाकिस्तान, हिन्देशिया, फिलीपीन तथा थाइलैंड । नेक्रिन रन तथा हिन्देशिया के जोर देने में राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई । सम्मेलन ने फिलीपीन के एक न्याई क्षेत्रीय मगठन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया ।

दक्षिण-पूर्व-एशिया प्रतिरक्षा-मगठन (SEADO)

पृष्ठभूमि—द्वितीय महायुद्ध में जब जापान ने हिंदचीन, बर्मा, मलाया, हिन्दे-

शिया तथा फिलीपीन को विजित कर लिया तब इंगलिस्तान तथा अमेरिका के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों ने इस आशा में एक दक्षिण-पूर्व-एशिया कमान की स्थापना की कि वे उस समय तक भी उनके अधीनस्थ क्षेत्र के दूरस्थ भागों की रक्षा कर सकें। अपना मुख्य कार्यालय लका में बनाकर इस कमान ने वर्मा की स्वतन्त्रता का संचालन एवं निर्देशन किया तथा १९४५ में जापान के पराभव के पश्चात् उपयुक्त समस्त देशों पर पुन कब्जा कर लिया।

जैसा हम पहले ही देख चुके हैं कि इस क्षेत्र के लिए किमी भी प्रकार के सुरक्षा-संगठन के सुभाव फिलीपीन, दक्षिण कोरिया तथा फारमूसा जैसे देशों से आए। इन सम्मतिजों का कोई भी परिणाम नहीं हुआ कि इतने में फ्रान ने, हिंदचीन में निरंतर होने वाले युद्ध के कारण, १९५० में सिंगापुर में इंगलिस्तान, फ्रांस तथा अमेरिका की सुदूरपूर्व की सैनिक कमानों के सम्मेलन का मयोजन किया। अगले वर्ष एक दूसरा सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ, जिसमें सिंगापुर सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा कनाडा ने भी भाग लिया। इन राष्ट्रों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में साम्यवाद के विस्तार को रोकने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। इन वार्ताओं से कोई भी परिणाम नहीं निकला।

१९५३ में इंगलिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चर्चिल ने राष्ट्रपति ब्राइजनहावर के समक्ष एक सुझाव रखा कि नाटो (NATO) की ही तरह का एक क्षेत्रीय प्रतिरक्षा-संगठन दक्षिण पूर्व-एशिया में प्रस्थापित किया जाना चाहिये। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के खतरे में इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए प्रशांत-महासागरीय संधि जिसे एनजुस (ANZUS) कहते हैं, को विस्तार देना, जिस में इंगलिस्तान शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार के संगठन के लिए उपयुक्त समय नहीं था, क्योंकि कोलम्बो-राष्ट्र इसके निर्माण के विरोधी थे। उनकी दृष्टि से एशिया में आग्ल-फ्रांसीसी उपनिवेशवादी हितों की रक्षा करने तथा उनको बनाए रखने का यह एक साधन था।

१९५४ में म्विति तोभी कुछ बदली। पीकिंग-सरकार (साम्यवादी चीन) के प्रति अमेरिका की शत्रुता बढ़ने से तथा वियतनाम में फ्रान की म्विति के शीघ्र परिवर्तन के कारण अमेरिकी नीति में परिवर्तन आया। अप्रैल में अमेरिका के विदेश-मंत्री जॉन फास्टर डलेन दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक सामूहिक-प्रतिरक्षा-संधि की स्थापना की संभावना पर चर्चा करने लड़न गए। डलेन कोलम्बो शक्तियों की उपेक्षा करना चाहते थे, जबकि तत्कालीन इंगलिस्तानी विदेश मंत्री एन्थनी ईटन उन्हें (कोलम्बो शक्तियों को) संधि में शामिल करने पर दृढ़ थे, क्योंकि "बिना उनके (कोलम्बो-शक्तियों के) समझे-बूझे तथा समर्थन के दक्षिण-पूर्व-एशिया में कोई भी शत्रुता नगटन पूर्णरूपेण प्रभावशाली नहीं हो सकता।"

जिनेवा-समझौते के छ सप्ताह पश्चात् हिन्दचीन की समस्या (अलग अध्याय में देखें) पर विचार करने के लिए वेग्यू (फिलीपीन) में ६ सितम्बर १९५४ को एक सम्मेलन बुलाया गया। अमेरिकी विदेशमन्त्री डलेस एक ऐसी सीमा निर्धारित कर देना चाहते थे, जिसके आगे हिन्दचीन में युद्ध-विराम के पश्चात्, साम्यवादियों की प्रगति को प्रभावपूर्ण ढंग से रोका जा सके। सर एन्यनी ईडन ने एक क्षेत्रीय सुरक्षा-संगठन पर विचार करने के लिए तमाम कोलम्बो शक्तियों को निमन्त्रण दिया। जैसाकि पूर्वापेक्षित था, पाकिस्तान को छोड़कर तमाम कोलम्बो-शक्तियों ने इन्कार कर दिया। भारत का कहना था कि दक्षिण-पूर्व एशिया संगठन की स्थापना के पूर्व चीन (साम्यवादी) को, हिन्दचीन के समझौते में अपनी सद्-इच्छा प्रमाणित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वर्मा, लका तथा हिन्देशिया भी इसी दृष्टिकोण से सहमत थे। काश्मीर के प्रश्न पर भारत के विरुद्ध द्वेष के कारण तथा अपनी साधारण भ्रान्त भावना के कारण पाकिस्तान ने आमन्त्रण स्वीकार कर लिया। केवल साम्यवादी आक्रमण के ही नहीं, किसी भी शक्ति के आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी प्राप्त करने की पाकिस्तान की उत्कट चाह थी।

दक्षिण-पूर्व-एशिया-प्रतिरक्षा-सङ्गठन-सन्धि—सोडो-सन्धि

(SEADO Treaty)

(८ सितम्बर १९५४)

आठ राष्ट्रों अमेरिका, फ्रांस, इंग्लिस्तान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, श्याम तथा फिलीपीन के दक्षिण-पूर्व-एशिया प्रतिरक्षा-संगठन-सम्मेलन का परिणाम यह हुआ कि छोटे-मोटे परिवर्तनों के बाद अमेरिकी मसौदा स्वीकार कर लिया गया। फिलीपीन की राजधानी मनीला में ८ सितम्बर १९५४ को संधि पर हस्ताक्षर हो गये।

अपने अन्तिम स्वरूप में, दक्षिण-पूर्व-एशिया के अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों द्वारा उन्ने स्वीकार करने की व्यवस्था की गई (अनुच्छेद ७)। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने प्राक्कथन में जो शर्तें स्वीकार की वे इस प्रकार हैं—(क) तमाम सदस्य राष्ट्रों को समान प्रभु-मत्ता को मान्यता दी, (ख) सयुक्तराष्ट्र मध्य अधिपत्र के अनुसार आचरण करने की घोषणा की, (ग) जनता के आत्म-निर्णय के सिद्धांत को समर्थन देने की इच्छा प्रकट की, (घ) वे प्रत्येक शांतिपूर्ण साधन द्वारा, उन देशों को स्वायत्त शासन तथा स्वाधीनता प्राप्त कराने का 'प्रमाणिक प्रयास' करेंगे, जिन देशों के लोग उनके इन्तुंग हैं तथा इन्ने उत्तरदायित्वों को निवाहने योग्य हैं।

वे सब उम पर नष्टमत हो गये कि उन अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को, जिनमें वे 'सोडो' के मध्य-राष्ट्र शामिल हैं, 'शांतिपूर्ण ढंग' में हल किया जाय तथा 'शक्ति-प्रयोग या उसकी धमकी' ने काम न निभा जाय (अनुच्छेद १)। उन्होंने

सशुक्त रूप से और पृथक् रूप से यह भी तय किया कि अनवरत तथा प्रभावपूर्ण आत्म-सहायता तथा पारस्परिक सहयोग के द्वारा अपनी पृथक्-पृथक् तथा सामूहिक सुरक्षा को बनाए रखा जाय तथा उसका विकास किया जाय, सशस्त्र आक्रमण का प्रतिरोध किया जाय तथा उनकी क्षेत्रीय अखण्डता तथा राजनीतिक स्थायित्व के विरुद्ध बाहर से होने वाले विध्वंसक कार्यों को रोका जाय तथा उनका विरोध किया जाय (अनुच्छेद २)। यह उपलब्ध करने के लिए अपनी स्वतन्त्र समस्याओं को मुहठ करने की प्रतिज्ञा सभी सम्बन्धित देशों ने की। उन्होंने इस बात का भी वचन लिया कि वे आर्थिक माधनो के विकास में पारस्परिक सहयोग करेंगे। इसमें प्राविधिक सहायता भी शामिल है, जिसके दो लक्ष्य होंगे—आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक कल्याण-कार्य को आगे बढ़ाना तथा इन लक्ष्यों की और सदस्य-राष्ट्रों की सरकारों के सामूहिक तथा पृथक्-पृथक् प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना” (अनुच्छेद ३)।

संधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है चौथा अनुच्छेद, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आक्रमण की स्थिति में किस कार्य-विधि को अपनाया जायगा। अगर संधि में शामिल किसी भी सदस्य-राष्ट्र पर सशस्त्र आक्रमण होता है, तो ऐसी स्थिति में हरेक सदस्य ‘अपनी-अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार’ समान खतरे का मुकाबला करने के लिए कार्यवाही करेगा। यदि संधि-क्षेत्र के किसी सदस्य-राष्ट्र की प्रभु-सत्ता या राजनीतिक स्वतन्त्रता पर “सशस्त्र आक्रमण के अलावा अन्य किसी प्रकार में आंच आती है अथवा किसी ऐसे तथ्य या स्थिति में, जो इन क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बन सकता है किमी सदस्य राष्ट्र की प्रभु-सत्ता या राजनीतिक स्वतन्त्रता पर प्रभाव पड़ता हो या किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो सकता हो”, तो सभी सदस्य-राष्ट्र, समान प्रतिरक्षा के लिए कौन-से पग उठाए जाय, इस पर सहमत होने के लिए शीघ्र ही एक-दूसरे से सलाह-मशविरा करेंगे।” लेकिन किसी भी सदस्य राष्ट्र के नीमा-क्षेत्र में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती, “सिवाय उस स्थिति में जब सम्बन्धित सरकार की राय हो अथवा उमने इसके लिए आमन्त्रण दिया हो।” (अनुच्छेद ४)

इस संधि को लागू करने के लिए अनुच्छेद ५ के द्वारा एक परिपद की स्थापना की गई, जिसमें हरेक सदस्य-राष्ट्र का प्रतिनिधि होगा। इस परिपद का काम होगा कि वह किमी भी समय ‘नैतिक तथा किमी दूनरी योजना के लिए सलाह दे’। हरेक सदस्य ने यह घोषणा की कि वे ऐसी किमी संधि में शामिल नहीं होंगे, न ही किमी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय नमर्भाने को अपनायेंगे जो इस संधि से भेद न खाते हों; तथा किमी भी दूनरी संधि वा, जो सदस्य-राष्ट्रों में अथवा एक सदस्य-राष्ट्र और किमी तीसरे देश (जो संधि में शामिल नहीं है) में विद्यमान है, इस संधि (नीजो) से टकराव नहीं है। (अनुच्छेद ६)।

अनुच्छेद ८ में दक्षिण-पूर्व-एशिया का आ्रामक्षेत्र "सधि का क्षेत्र" माना गया है, जिसमें सधि के एशियाई देशों के सीमा-क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन जिसमें २१ डिग्री ३० मिनट उत्तरी अक्षाण का उत्तर-प्रशात महासागरीय-क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। नए क्षेत्र को सधि-क्षेत्र में शामिल करने के लिए सभी देशों के सर्व-सम्मत समझौते द्वारा इस अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। यह सधि अनिश्चितकाल तक कार्य करेगी, लेकिन फिलीपीन को एक वर्ष की प्रसूचना (नोटिस) देने के पश्चात्, कोई भी सदस्य सधि की सदस्यता से पृथक् हो सकता है (अनुच्छेद १०)।

अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि इसके कार्य केवल 'साम्यवादी आक्रमण' के विरुद्ध होंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अन्य किसी प्रकार के आक्रमण या सशस्त्र आक्रमण की स्थिति में यह (अमेरिका) दूसरे पक्षों से सलाह-मशविरा करेगा।

एक मसविदे द्वारा कम्बोडिया, लाओस तथा दक्षिणी वीतनाम को ऐसा क्षेत्र माना गया है जिनमें यह सधि बचाव के तौर पर भी लागू होगी तथा आर्थिक सह-योगों के लिए भी।

सीडो (दक्षिणी-पूर्व-एशिया-प्रतिरक्षा सगठन) की प्रवृत्तियाँ

दक्षिण-पूर्व एशिया-प्रतिरक्षा-सगठन में सम्मिलित आठ राष्ट्रों के परराष्ट्र-मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन बैंकाक में प्रारम्भ हुआ।^१ यह सम्मेलन २३ फरवरी से २५ फरवरी, १९५५ तक रहा।

यह सधि, डमकी अभिपुष्टि के पश्चात् १९ फरवरी, १९५५ से लागू हुई। परिपद के सदस्यों ने अपना यह मकल्प प्रकट किया कि, "हमारे संयुक्त प्रयास क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा में वस्तुतः सहायक हो रहे हैं, इनका ही नहीं, क्षेत्र के दूसरे 'स्वतंत्र राष्ट्रों' के लिए भी हमारे ऐसे ही प्रयास हैं।" परिपद ने पुनः दोहराया कि इसका उद्देश्य विशुद्ध 'प्रतिरक्षात्मक' है तथा 'इसका प्रयोग कभी भी आक्रमक उद्देश्यों के लिए नहीं होगा।' इमने प्रयात महासागरीय सधि-अधिपत्र के प्रति अपनी आस्था की पुनर्पुष्टि की। यही नहीं परिपद ने (अ) जनता के आत्म-निर्णय तथा समान अधिकारों तथा (ब) दूसरे राष्ट्रों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों के प्रति अपने विश्वास को भी दोहराया, तथा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्मित सरकारों के अधि-

^१ जिन परराष्ट्र-मंत्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया उनके नाम हैं सर गयनी टेंडन (इंग्लिन्ड), जान फान्टर टनेम (अमेरिका), थार० जी० केसी (ऑस्ट्रेलिया), मॅरदान्ड (न्यूजीलैंड), गैरिया (फिलीपीन्स), राजकुमार चान वैधमाकन (थाईलैंड), मुहम्मद अली (प्रधान मंत्री, पाकिस्तान), एम० बुनेट (वाशिंगटन में पूर्व पानीनी राजदूत)।

कार को दृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसीलिये इमने केवल "लडाकू कार्य-वाही की ही निन्दा नहीं की अपितु आक्रमण के उन विलक्षण ढंगों की भी की, जिनके द्वारा स्वायत्त शासन तथा स्वातंत्र्य के महत्त्व को कम कर दिया जाता है तथा लोगों के मस्तिष्कों को अवनत कर दिया जाता है।" "अन्तर्राष्ट्रीय साम्य-वाद की विध्वंसक प्रवृत्तियों से लोहा लेने के लिए," सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता देने को सहमत हो गए।

यह निर्णय हुआ कि सदस्य-सरकारों द्वारा पदासीन अर्थशास्त्रियों को निश्चित समय के उपरान्त विशेष आर्थिक प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होना चाहिए। व्यापार, विनियोजन, अन्तर्राष्ट्रीय अदायगियाँ तथा ठोस आर्थिक प्रगति, आदि, विशेष आर्थिक प्रश्नों के उदाहरण हैं तथा इसी में प्राविधिक सहायता भी सम्मिलित है। वे इस प्रकार के उपायों पर परिपद को सलाह देगे।

परिपद ने सदस्य-सरकारों के इस निश्चय को दोहराया कि वे कम्बोडिया, लाओस तथा दक्षिण वीतनाम की, अपनी-अपनी स्वतंत्रता एवं स्वावलम्बन को बनाये रखने के लिए मदद करेगे। परिपद ने यह निश्चय किया कि सदस्य-सरकारों का प्रतिनिधित्व या तो उन देशों के परराष्ट्र-मंत्रियों को करना चाहिए अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों को करना चाहिए, तथा परिपद की बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य ही होनी चाहिए। यह बैठक प्रायः सधि-क्षेत्र में ही होनी चाहिए तथा निर्णय सर्व-सम्मत होने चाहिए। जब अधिवेशन न हो रहा हो, उस समय भी घनिष्ठ तथा अनवरत सहयोग बना रहे। एतदर्थ परिपद प्रतिनिधियों को पदासीन करेगी, जिनका कार्यालय बैंकाक में रहेगा। वे ऐसा विशिष्ट कार्य करेगे, जिसका निदेशन समय-समय पर परिपद करे। ये प्रतिनिधि सम्मत सिफारिशों को परिपद या सदस्य-सरकारों के लिए उपस्थित कर सकेंगे। वे मूचना के विनियम तथा आयोजना की घनिष्ठ नियामकता को सुनिश्चित करेंगे तथा उनकी सहायता करने के लिए एक सचिवालय की व्यवस्था करेंगे। उनके प्राथमिक कार्यों में से एक कार्य होगा विध्वंस तथा उपद्रव का मुकाबिला करने के लिए महयोग को सुदृढ़ करने के माधनों पर विचार करना। विभिन्न सदस्य-राष्ट्रों के बीच मासिक तथा प्राविधिक महयोग में वृद्धि करने की नभावनाओं के बारे में भी वे पता लगाएंगे। सभी सदस्य इस बात पर भी सटमत हो गए कि परिपद में अपने-अपने प्रतिनिधि के साथ वे अपना-अपना नैमित्तिक मलाहकार भी रखेंगे, जिसमें समय-समय पर होने वाली बैठकों द्वारा नैत्य-सहयोग सुनिश्चित कर सकें। अप्रैल, १९५५ में सधि के नैत्य-सम्बन्धी-पहलुओं को लागू करने के लिए नैतिक मलाहकारों की बैठक हुई।

परिपद की द्वितीय बैठक मार्च ९ से मार्च २, १९५६ तक कराची में हुई, जिनका

अनुच्छेद ८ में दक्षिण-पूर्व-एशिया का आ्रामक्षेत्र "सघि का क्षेत्र" माना गया है, जिसमें सघि के एशियाई देशों के सीमा-क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन जिसमें २१ डिगरी ३० मिनट उत्तरी अक्षांश का उत्तर-प्रशांत महासागरीय-क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। नए क्षेत्र को सघि-क्षेत्र में शामिल करने के लिए सभी देशों के सर्व-सम्मत समझौते द्वारा इस अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। यह सघि अनिश्चितकाल तक कार्य करेगी, लेकिन फिलीपीन को एक वर्ष की प्रसूचना (नोटिस) देने के पश्चात्, कोई भी सदस्य सघि की सदस्यता से पृथक् हो सकता है (अनुच्छेद १०)।

अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि इसके कार्य केवल 'साम्यवादी आक्रमण' के विरुद्ध होंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अन्य किसी प्रकार के आक्रमण या सशस्त्र आक्रमण की स्थिति में यह (अमेरिका) दूसरे पक्षों से सलाह-मशविरा करेगा।

एक मसविदे द्वारा कम्बोडिया, लाओस तथा दक्षिणी वीतनाम को ऐसा क्षेत्र माना गया है जिनमें यह सघि बचाव के तौर पर भी लागू होगी तथा आर्थिक सह-योगों के लिए भी।

सीडो (दक्षिणी-पूर्व-एशिया-प्रतिरक्षा सगठन) की प्रवृत्तियाँ

दक्षिण-पूर्व एशिया-प्रतिरक्षा-सगठन में सम्मिलित आठ राष्ट्रों के परराष्ट्र-मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन बैंकाक में प्रारम्भ हुआ।^१ यह सम्मेलन २३ फरवरी से २५ फरवरी, १९५५ तक रहा।

यह सघि, डमकी अभिपुष्टि के पश्चात् १९ फरवरी, १९५५ से लागू हुई। परिपद के सदस्यों ने अपना यह मकल्प प्रकट किया कि, "हमारे सयुक्त प्रयास क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा में वस्तुतः सहायक हो रहे हैं, इतना ही नहीं, क्षेत्र के दूसरे 'स्वतंत्र राष्ट्रों' के लिए भी हमारे ऐसे ही प्रयास हैं।" परिपद ने पुनः दोहराया कि इसका उद्देश्य विद्युद्ध 'प्रतिरक्षात्मक' है तथा 'इसका प्रयोग कभी भी आक्रमक उद्देश्यों के लिए नहीं होगा।' इमने प्रयात महासागरीय सघि-अधिपत्र के प्रति अपनी आस्था की पुनर्पुष्टि की। यही नहीं परिपद ने (अ) जनता के आत्म-निर्णय तथा ममान अधिकारों तथा (ब) दूसरे राष्ट्रों के धरेंलू मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्तों के प्रति अपने विश्वास की भी दोहराया, तथा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्मित सरकारों के अधि-

^१ जिन परराष्ट्र-मंत्रियों ने डम सम्मेलन में भाग लिया उनके नाम हैं सर एथनी टैटन (डगलिस्मान), जान फास्टर टलेम (अमेरिका), आर० जी० केनी (आस्ट्रेलिया), मैकडानल्ट (न्यूजीलैंड), गेरिया (फिलीपीन्स), राजकुमार वान वैथमाकन (थाइलैंड), मुहम्मद अली (प्रधान मंत्री, पाकिस्तान), एम० बुनेट (वाशिगटन में पूर्व पानीची राजदूत)।

कार को दृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया । इसीलिये इसने केवल "लडाकू कार्य-वाही की ही निन्दा नहीं की अपितु आक्रमण के उन विलक्षण ढंगों की भी की, जिनके द्वारा स्वायत्त शासन तथा स्वातंत्र्य के महत्त्व को कम कर दिया जाता है तथा लोगों के मस्तिष्कों को अवनत कर दिया जाता है ।" "अन्तर्राष्ट्रीय साम्य-वाद की विध्वंसक प्रवृत्तियों से लोहा लेने के लिए," सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता देने को सहमत हो गए ।

यह निर्णय हुआ कि सदस्य-सरकारों द्वारा पदासीन अर्थशास्त्रियों को निश्चित समय के उपरान्त विशेष आर्थिक प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होना चाहिए । व्यापार, विनियोजन, अन्तर्राष्ट्रीय अदायगियाँ तथा ठोस आर्थिक प्रगति, आदि, विशेष आर्थिक प्रश्नों के उदाहरण हैं तथा इसी में प्राविधिक सहायता भी सम्मिलित है । वे इस प्रकार के उपायों पर परिपद को सलाह देंगे ।

परिपद ने सदस्य-सरकारों के इस निश्चय को दोहराया कि वे कम्बोडिया, लाओस तथा दक्षिण वीतनाम की, अपनी-अपनी स्वतंत्रता एवं स्वावलम्बन को बनाये रखने के लिए मदद करेंगे । परिपद ने यह निश्चय किया कि सदस्य-सरकारों का प्रतिनिधित्व या तो उन देशों के परराष्ट्र-मंत्रियों को करना चाहिए अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों को करना चाहिए, तथा परिपद की बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य ही होनी चाहिए । यह बैठक प्रायः सधि-क्षेत्र में ही होनी चाहिए तथा निर्णय सर्व-सम्मत होने चाहिए । जब अधिवेशन न हो रहा हो, उस समय भी घनिष्ठ तथा अनवरत सहयोग बना रहे । एतदर्थ परिपद प्रतिनिधियों को पदासीन करेगी, जिनका कार्यालय बैंकाक में रहेगा । वे ऐसा विशिष्ट कार्य करेंगे, जिसका निवेदन समय-समय पर परिपद करे । ये प्रतिनिधि सम्मत सिफारिशों को परिपद या सदस्य-सरकारों के लिए उपस्थित कर सकेंगे । वे सूचना के विनिमय तथा आयोजना की घनिष्ठ नियामकता को सुनिश्चित करेंगे तथा उनकी सहायता करने के लिए एक सचिवालय की व्यवस्था करेंगे । उनके प्राथमिक कार्यों में से एक कार्य होगा विध्वंस तथा उपद्रव का मुकाबिला करने के लिए सहयोग को सुदृढ़ करने के माधनों पर विचार करना । विभिन्न सदस्य-राष्ट्रों के बीच मास्कृतिक तथा प्राविधिक सहयोग में वृद्धि करने की मभावनाओं के बारे में भी वे पता लगाएँगे । सभी सदस्य इस बात पर भी सहमत हो गए कि परिपद में अपने-अपने प्रतिनिधि के साथ वे अपना-अपना नैतिक मलाहकार भी रखेंगे, जिसे समय-समय पर होने वाली बैठकों द्वारा नैत्य-सहयोग सुनिश्चित कर सकें । अप्रैल, १९५४ में नधि के नैत्य-सम्बन्धी-पहलुओं को लागू करने के लिए नैतिक मलाहकारों की बैठक हुई ।

परिपद की द्वितीय बैठक मार्च ६ ने मार्च २, १९५६ तक कराची में हुई, जिसका

अध्यक्षता पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्री हमीदुल हक चौधरी ने की। परिषद ने आक्रमण के विरुद्ध शक्तिशाली अवरोधको को उत्पन्न करने तथा उनको स्थायी बनाए रखने की आवश्यकता को माना। राष्ट्रमंडल के अन्दर मलाया की स्वाधीनता तथा उसके लिए पूर्ण स्वायत्त-शासन स्थापित करने की दिशा में जो पग उठाए गए, उनके प्रतिवेदनो का उन्होंने स्वागत किया। कम्बोडिया, लाओस तथा वीतनाम-गणराज्य मे 'स्वतन्त्र राजनीतिक सस्थाओ' के विकास में जो उन्नति हुई है, उस पर भी उन्होंने विचार किया।

परिषद ने रूस के कुछ पूर्व के वक्तव्यो की भर्त्सना की, जिनका उद्देश्य एशियाई देशो में विभाजन को बढ़ावा देना तथा तनाव उत्पन्न करना था। 'पख्तूनिस्तान' के विषय में दिए गए वक्तव्यो का जहाँ तक संबंध है, सदस्य-राष्ट्रो ने डूरेंड-रेखा तक पाकिस्तान की प्रभु-सत्ता को मान्यता दी जो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है तथा सघि-क्षेत्र में भी यह रेखा आ जाती है। परिषद के सदस्यो ने यह समझते हुए कि सयुक्त राष्ट्र सघीय प्रस्ताव अभी लागू है, काश्मीर-समस्या के, सयुक्त राष्ट्र सघ-द्वारा अथवा आपसी सीधी बातचीत के द्वारा हल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस क्षेत्र के राजनीतिक स्थायित्व एव क्षेत्रीय एकता के लिए विध्वंसक प्रवृत्तियो द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने में गत वर्ष जो उन्नति हुई, उस पर परिषद ने सतोष व्यक्त किया। जल, थल और हवाई सेनाओ की बकाक में सयुक्त केवायद (फरवरी १५-१८, १९५६), सदस्य-राष्ट्रो की प्रतिरक्षा-सेना में द्रुत गति मे होने वाली वृद्धि, ज्यादा अच्छे साधन तथा उनकी सेनाओ का सुधरा हुआ प्रशिक्षण—इन सबने सीडो-राष्ट्रो के सामूहिक आत्म-प्रतिरक्षा-सगठन को दृढ कर दिया। सुरक्षा-विशेषज्ञों की समिति ने इस प्रकार की विध्वंसक प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रतिरक्षा में महयोग के लिए अत्यधिक लाभदायक स्थल को प्रस्तुत किया।

अमेरिका द्वारा मीडो के एशियाई राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने के परिणाम-स्वरूप मघि क्षेत्र के समाज-कल्याण तथा स्थिर आर्थिक प्रगति पर भी परिषद ने विचार किया। यह महायता, जब से मघि पर हस्ताक्षर हुए, उसके बाद के दो वर्षों में, चौगुनी हो गयी है। आक्रमण का मुकाबला करने के लिए आवश्यक प्रतिरक्षा-सेना के सम्बन्ध में नैतिक मलाहकारों के निष्कर्षों पर परिषद ने विचार किया तथा इस बात पर महमत हुई कि सेना इतनी रफी जाय कि उसे आवश्यकतानुसार घटाया बटाया जा सके तथा आक्रमण का मुकाबला करने को पूरी तरह मर्म्य हो। विध्वंसक-प्रवृत्तियो का प्रतिरोध करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को उच्च प्राथमिकता दी गई।

परिपद् ने निम्नलिखित मगठनात्मक निर्णय किए :-

(क) हरेक परिपद के सदस्यों में से एक अफसर को लेकर बैंकाक में एक स्थायी कार्यकारिणी समिति की स्थापना;

(ख) अस्थायी सचिवालय के स्थान पर पूरे पैमाने पर कार्यकारी सचिवालय की स्थापना;

(ग) बैंकाक में गवेषणा-सेवा की स्थापना की जाय, जिसका काम यह होगा कि वह दिन-प्रतिदिन बढ़ने वाली चालू साम्यवादी प्रवृत्तियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करे,

(घ) सांस्कृतिक-सम्बन्ध-कार्यालय की स्थापना तथा एक आर्थिक पदाधिकारी की नियुक्ति,

(ङ) मगठन के खर्च की पूर्ति एक समान वजट द्वारा होगी ।

विकास

इस प्रकार दक्षिण-पूर्व-एशिया-प्रतिरक्षा-मगठन नाटो (उत्तर अतलांतक-संधि-मगठन) अथवा एन्जुस (आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड - अमेरिका - संधि) दोनों की अपेक्षा अधिक लचीला तथा परिवर्तनशील मगठन है । आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की विध्वंसक कार्यवाही के विरुद्ध संधि के जिस भाग में व्यवस्था है, वह भाग ही सर्वाधिक विवादास्पद है । सुविज्ञ क्षेयों का कहना है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत यह संधि-क्षेत्र में आने वाले किसी देश में किसी क्रांति तथा सरकार परिवर्तन को मान्यता देने से इन्कार कर देगा, चाहे जनता उस सरकार-परिवर्तन एव क्रांति को इच्छुक ही क्यों न हो और ऐसा केवल इसी कारण संभव होगा, क्योंकि वर्तमान सरकारें अनिश्चित काल तक अपने शासन को बनाये रखने के लिये सहायता ले सकती हैं । इस आम तर्क का कि 'दक्षिण' तथा साम्यवादी क्रांतियों में अन्तर है यह उत्तर दिया जा सकता है कि पूर्व-एशियाई देशों में साम्यवाद तथा राष्ट्रवाद इतनी प्रगाढता से एक-दूसरे में मिल गये हैं कि उनको पृथक् करना असंभव है । इस प्रकार पश्चिमी सैनिक सहायता होने पर संधि 'उपनिवेशवाद' को कायम रख सकती है, जिन्में बिना किसी अपवाद के, सभी एशिया-निवासी घृणा करते हैं ।

इस प्रकार, संधि में शामिल देशों ने साम्यवादी आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रीय जनतन्त्रों की रक्षा के लिये एक निष्पक्ष नीति उलाने का प्रयत्न किया है । लेकिन भारत, इण्डोनेशिया, बर्मा, मला जैसे जनताधिक देशों के इनमें न होने ने यह संधि कमजोर है । साथ ही यह मुश्किल ने ही किन्हीं देशों की गुप्त साम्यवादी प्रवृत्तियों ने रक्षा कर सकती है । यह संधि ऐसी सरकार, जो पश्चिमी राष्ट्रों के हाथ की कठपुतली

एशिया के बाहर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दिन-पर-दिन अधिक प्रभावशाली भाग ले रहे हैं। समय-समय पर होने वाली कोलम्बो राष्ट्रों की बैठकें भी क्षेत्रीय जागरूकता एवं पारस्परिक अवलम्बन में सहायक हैं; अप्रैल, १९५५ में वांटुंग में हुए एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन ने क्षेत्रीय भेद तथा समानताओं के सिंहावलोकन के लिए अवसर प्रदान किया। लेकिन, यदि वगदाद संधि परिपद, सीडो-परिपद तथा एन्जुम-परिपद को न गिना जाय, जिनका उल्लेख पहले ही हो चुका है, तो इस परिपद द्वारा किसी भी स्थायी क्षेत्रीय सस्था की स्थापना नहीं हुई है।

इस प्रकार एशियाई क्षेत्रवाद ने कोई भी प्रभावशाली सफलता प्राप्त नहीं की है; लेकिन यह प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में, कुछ तटस्थ राष्ट्रों में राष्ट्रवादी शक्तियाँ, सयुक्त तथा सहयोगात्मक कार्यवाही की दृष्टि से विवादास्पद क्षेत्रीय समस्याओं से सवधित विचारों के विनिमय के लिए एक स्याई अथवा अर्द्ध स्याई मलाह-मिति की स्थापना कर सकती हैं। स्वाधीन देशों में ज्यो-ज्यो जनमत अधिकाधिक शिक्षित होता जायगा, आर्थिक विकास होगा, तथा साम्राज्यवादी आधिपत्य से अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने की आवश्यकता अनुभव की जायगी, त्यो-त्यो ही इस प्रवृत्ति का बढ़ना भी निश्चित है। इस प्रकार, राष्ट्रवाद अभिनव क्षेत्रीय सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा एशिया की सुरक्षा के लिए एकात्मकता के अभीष्ट तक ले जा सकता है।

सयुक्तराष्ट्र संघ तथा क्षेत्रवाद

जैसाकि हम देख चुके हैं, सयुक्त राष्ट्रसंघ अधिपत्र में क्षेत्रीय समझौतों के लिए व्यवस्था है (परिच्छेद अठम अनुच्छेद ५२-५४)। इस प्रकार की किसी व्यवस्था का उल्लेख राष्ट्रसंघ के प्रविधान में नहीं था। राष्ट्रपति विल्सन का यह मत था कि क्षेत्रीय संगठन राष्ट्रसंघ के प्रभाव को कमजोर कर देंगे: "राष्ट्रसंघ के सयुक्त एवं समान कुटुंब के अन्दर कोई भी संघ अथवा गठ-बंधन अथवा विशिष्ट प्रविधान या समझौता नहीं रह सकता।"

सान-फ्रांसिस्को सम्मेलन में क्षेत्रीय संगठनों की समस्या तथा विश्व-संगठन से उनके संबंध के विषय में पूर्ण-रूपेण से चर्चा हुई। कुछ सदस्यों ने सयुक्त राष्ट्र-संघ के ढांचे के अन्दर क्षेत्रीय समझौतों के लिए अधिकार का समर्थन किया। जिन कारणों से उन दृष्टि को बल मिला वे ये हैं. अमेरिकी गणराज्यों की अन्तर-अमेरिकी प्रणाली को बचाने की अभिलाषा, अरब-संध के सदस्यों की भी वैसी ही भावना, अधिपत्र के अन्दर पारस्परिक द्वि-पक्षीय नहायता-संधियों की रूढ़ि की अपनी प्रणाली को अपवाद रूप में प्राप्त करने की इच्छा, फिर ने जर्मन आक्रमण का फॉर्म को भय तथा चाल्टा समझौते में सुरक्षा परिपद के स्थायी सदस्यों को जो निषेधाधिकार प्रदान किया गया था, उसके कारण छोटे राष्ट्रों में असुरक्षा की आम भावना।

इस चर्चा का परिणाम यह निकला कि क्षेत्रीय व्यवस्थाओं से सम्बन्धित परिच्छेद आठ, अनुच्छेद ५२ ५४ का निर्माण किया गया (परिशिष्ट के पृष्ठ १५-१६ को देखिए)। विवादों के शांतिपूर्ण हल के साधनों में से एक साधन यह है कि "क्षेत्रीय सस्थाओं अथवा व्यवस्थाओं को अपनाया जाय" जैसा कि अनुच्छेद ३३ में उल्लिखित है (परिशिष्ट—पृष्ठ ११)। अधिपत्र में "क्षेत्रीय व्यवस्थाओं" की परिभाषा नहीं की गई है तथा न ही उसमें यह बताया गया है कि उन व्यवस्थाओं का सयुक्त राष्ट्र सभ से क्या सम्बन्ध है। दूसरी ओर, अगर सयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण होता है, ऐसी स्थिति में आत्म-प्रतिरक्षण का पुस्तैनी अधिकार—चाहे व्यक्तिगत हो अथवा सामूहिक—को मान्यता दी गयी है "जब तक कि सुरक्षा परिषद शांति स्थापना के लिए आवश्यक पग न उठाए।" (अनुच्छेद ५१—परिशिष्ट पृष्ठ १५) इसका परिणाम यह हुआ है कि सयुक्त राष्ट्र सभ के प्रभावपूर्ण नियंत्रण क्षेत्र से बाहर अनेक क्षेत्रीय सस्थाएँ स्थापित हो गईं। साथ-ही-साथ, अधिपत्र में दक्षिण प्रशांत-सागरीय आयोग तथा केरीबियन आयोग जैसी आर्थिक अथवा सामाजिक प्रादेशिक संगठनों की व्यवस्था नहीं रखी गई। ये सस्थाएँ सयुक्त-राष्ट्र-सभ की सस्थाएँ नहीं हैं।

यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जिन क्षेत्रीय समझौतों का उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा है, वे नयुक्त राष्ट्र सभ-अधिपत्र की उच्च-स्थिति को अवश्य स्वीकार करेंगे। अधिपत्र के अनुच्छेद १०३ (परिशिष्ट पृष्ठ २६ देखिए) में यह उल्लिखित है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय कि सयुक्त-राष्ट्र-सभ के सदस्यों पर अधिपत्र के अन्तर्गत जो कर्तव्य हैं, उनका किसी दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत उन पर जो कर्तव्य हैं उनमें विरोध उत्पन्न हो जाय, तो ऐसी स्थिति में अधिपत्र के अन्तर्गत उन पर जो कर्तव्य हैं वे ही लागू होंगे। अतः क्षेत्रीय व्यवस्था सयुक्त राष्ट्र सभ का ही अंग होना चाहिए, न कि वह अलग सस्था हो। सयुक्त राष्ट्र सभ के तत्कालीन महासचिव श्री ट्रिग्वेनी ने कहा कि सुरक्षा के लिए 'क्षेत्रीय साधन' ज्यादा-से-ज्यादा अन्तरिम साधन हो नाने हैं तथा उनके द्वारा युद्ध में सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था मभव नहीं जिम पर भरोसा किया जा सके। इसलिए यह स्वीकार किया जाना चाहिए, जैसा कि प्रो० गुट्रिच ने कहा है कि "इन क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के गठन तथा सख्या-वृद्धि के द्वारा विश्व-संगठन मजबूत नहीं हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को स्थायी बनाने वाले संगठन के रूप में अगर सयुक्त राष्ट्र सभ प्रभावशाली बनता है तो इन प्रकार के क्षेत्रीय समझौतों का महत्व कम होना चाहिए तथा कार्य करने में उन्हें सयुक्त राष्ट्र सभ ही उच्च-प्राथमिकता के अधीनस्थ महायक होना चाहिए।"

क्षेत्रीय समझौतों के हानि-लाभ

अथवा अच्छाइयाँ-बुराइयाँ

युद्धोत्तर काल (१९४५-५७) में राजनीतिक, सैनिक अथवा आर्थिक सभी प्रकार की क्षेत्रीय संधियाँ तथा गठबंधन अन्तर्राष्ट्रीय दृश्य की आम विशेषता हो चुके हैं। इसके महत्त्व में अत्यधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि शक्ति-संतुलन के सिद्धांत के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करने में इसने महत्त्वपूर्ण योग दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में क्षेत्रवाद के विचार के महत्त्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण, हमें इसकी अच्छाइयों तथा बुराइयों की विवेचना करनी चाहिए। प्रो० क्लाइड इगल्टन ने इसके पक्ष तथा विपक्ष में निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किए हैं :

पक्ष में तर्क :

१. विश्व-सरकार के लिए एक ही पग भरने की अपेक्षा उस दिशा में उत्तरोत्तर विकास करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की विश्व-सरकार की स्थापना क्षेत्रीय प्रणालियों की ठोस नींव पर ज्यादा अच्छी तरह की जा सकती है।

२. पड़ोसी राष्ट्रों, क्षेत्र की जनता के बीच और उनके बीच जो ज्यादा प्रभावित हैं तथा परिणामस्वरूप उनके बीच, जो सुरक्षा साधनों को हाथ में लेने के ज्यादा इच्छुक हैं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की ज्यादा संभावना है। उन दूरस्थ भूगडों को निवटाने में, जिनमें बाहरी देशों का निजी हित न हो, क्षेत्र ने बाहर के राष्ट्र अपने सिपाहियों के प्रयोग के कम ही इच्छुक होंगे।

३. क्षेत्र के देशों द्वारा किसी आक्रमणकारी के विरुद्ध कार्यवाही न केवल ज्यादा इच्छापूर्वक की जायगी, वरन् समय पर तथा कुशलतापूर्वक की जायगी। यदि कार्यवाही के लिए ऐसे राष्ट्रों की प्रतीक्षा करनी हो, जो आवागमन की दृष्टि से दूरस्थ हों, तो उसमें (कार्यवाही में) विलम्ब होगा तथा अनिश्चितता रहेगी।

४. आक्रमण के अतिरिक्त और बहुत-सी स्थानीय समस्याएँ होती हैं, जिन्हें क्षेत्र की जनता ही प्रभावपूर्वक ढंग से तथा सफलतापूर्वक सन्हाल सकती है, क्योंकि बाहर वालों को न ही उनमें रुचि होती है और न ही उन समस्याओं के निराकरण के लिये उनके पास आवश्यक ज्ञान होता है।

५. हरेक क्षेत्र में एक प्रभावपूर्ण बड़ी शक्ति होगी, उन प्रकार बड़ी शक्तियों के नेतृत्व में शक्ति-संतुलन बना रहेगा।

६. भाषा, संस्कृति तथा आर्थिक हितों में समान अभिन्न क्षेत्रीय एकात्मरता की दिशा में स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न करती है।

विरोध में तर्क :

१. नैतिक विस्तार की दृष्टि ने समस्याएँ विस्तार-व्यापी होनी हैं तथा उनका

हल सार्वभौमिक प्रणाली द्वारा ही हो सकता है। यह प्राविधिक उन्नति तथा आर्थिक और दूसरी प्रकार की स्वाधीनता में वृद्धि का परिणाम है।

२ यदि विकेंद्रीकरण की चाह हो, तो इसकी योजना भौगोलिक आधार की अपेक्षा वास्तव में कृत्यवाही आधार पर ज्यादा अच्छी होगी।

३ चाहे विवाद पड़ोसी राष्ट्रों के बीच ही उठ खड़े हो, लेकिन वे विश्व-युद्ध का रूप ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होगा कि राष्ट्रों का सार्वभौमिक समुदाय हरेक विवाद में रुचि ले और यह निश्चित प्राय कर दे कि यह विवाद व्यापक युद्धाग्नि उत्पन्न नहीं करेगा।

४ क्षेत्रीय गठबंधन केवल सैनिक गुटों की अभिवृद्धि करते हैं, जिनका परिणाम अन्नतोषता ज्यादा बढ़े पुढो तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के रूप में होता है।

५ क्षेत्रीय प्रणालियों में छोटे राष्ट्र बड़ी शक्तियों अथवा क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति के प्रभाव में रहेंगे तथा अनेक छोटे राष्ट्र मिलकर भी बड़ी शक्ति पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहेंगे। यह केवल बाहरी बड़ी शक्तियों द्वारा ही किया जा सकेगा, न कि क्षेत्र में के देशों द्वारा। अगर क्षेत्र में एक से अधिक बड़ी शक्तियाँ हैं, तो फिर समस्या और अधिक जटिल ही हो जायगी।

६ यह आशा रखने का कोई भी कारण नहीं है कि किसी क्षेत्र-विशेष के राष्ट्र एक सार्वभौमिक प्रणाली में सम्मिलित राष्ट्रों की अपेक्षा ज्यादा सहयोग तथा कुशलता से साथ-साथ कार्य कर सकेंगे।

७ औद्योगिक तथा सैनिक शक्ति की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रीय सगठनों में इतना अन्तर है कि यह अपेक्षा ही नहीं की जा सकती कि उनमें शक्ति-संतुलन होगा तथा कृत्रिम ननुलन को स्थापित करना कठिनता से संभव है।

८ यदि सुरक्षा-सन्तुलन के लिए क्षेत्रीय प्रणालियों द्वारा प्रयास किया जाय तो अधिकार तथा शक्ति विभाजित हो जायेगी तथा जिम ठोस शक्ति को आक्रान्त के विरुद्ध एकत्र किया जा सके, वह थोड़ी होगी। क्षेत्र के अन्दर आर्थिक अनुज्ञप्तियों का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तभी कारगर हो सकती है, जब वे सार्वभौमिक हों।

इन प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रवाद ने, जो आज अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए एक मध्यपूर्ण तन्त्र बन गया, विश्व को दो शक्ति-गुटों, अथवा दो क्षेत्रों में बांट दिया है—एक का नेता है अमेरिका तथा दूसरे का रूस। शांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के स्थान पर वे अधिकाधिक 'शांति युद्ध' बढ़ाने में प्रवृत्त हो रहे हैं, और

इसलिए शांति के लिए म्यायो खतरे का कारण बने हुए हैं। एक क्षेत्रीय संगठन द्वारा उठाया गया कदम विरोधियों को इस बात के लिए उत्तेजित करता है कि वे विरोधी पग उठाएँ। इसमें नतीजा यह हो रहा है कि जिम बुराई को रोकने का उनका पूर्व-संकल्प था, वही बुराई बढ रही है। इस प्रकार, क्षेत्रीय सुरक्षा-समझौते वस्तुतः सतर्नाक हैं अगर इनका निष्पन्न प्रभावपूर्ण ढंग से मयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा नहीं होता तथा ये उसके अधीन नहीं रहते। क्षेत्रीय-समझौते में वृद्धि वास्तव में विश्व-शांति पर बढता हुआ खतरा है खास तौर पर नटस्य राष्ट्रों के लिए। पंडित नेहरू ने इन क्षेत्रीय गठबंधनों को परस्पर सम्बद्ध समझौते बताते हुए भर्त्सना की है, जो विभिन्न राष्ट्रों में दरार उत्पन्न कर रहे हैं तथा जनता में घृणा तथा नदेह। इनके द्वारा अस्थायी तथा अनिश्चित शक्ति-संतुलन उत्पन्न किया जा रहा है, जो एक दूसरे भयकर विश्व-युद्ध के लिए रग-मच तैयार कर सकता है। वास्तव में इगलिस्तान, फ्रांस, तथा अमेरिका आदि के सहयोग से निर्मित पश्चिम यूरोप के आवश्यकता से अधिक विस्तृत सुरक्षा प्रणाली के वचाव में, प्रसिद्ध फाँमीसी अधिकारी प्रो० जार्जमेल ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वह इस प्रकार है कि जितना अधिक एक राष्ट्र क्षेत्रीय समझौते में सम्मिलित होता है, उतना ही अधिक वह सुरक्षित होता है तथा शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सभानाएँ ज्यादा निश्चित स्थिति में आ जाती हैं। "इस पारस्परिक सवद्धता तथा .. गठगन्धन में शांति की गारटी होती है.....अगर एक देश बहुत से विभिन्न क्षेत्रीय प्रणालियों से सवद्ध हो, तो उसी तथ्य के कारण उसकी लडाकू प्रवृत्तियों पर उन गुटों में से हरेक गुट की ओर से अंकुश लगा दिया जायगा जिन गुटों में वह देश शामिल है। दूसरी ओर यह देश भी गठबंधनों के अपने साधियों की लडाकू प्रवृत्तियों को कम करने में सहायक होगा। ऐसा इसलिए सभव है कि वह अपने स्वयं के गठबंधनों को अधुणण रखने को सजग रहेगा।"

सरदार के. एम. पणिकर के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रवाद-मवधी विचार शायद ज्यादा ठीक है : "इन तमाम संगठनों की एक विमेषना है कि क्षेत्रीय गठबंधन का कार्य उम सदस्य के साथ-नाथ किया गया, जिमका पहने उम क्षेत्र पर आधिपत्य था। जिमी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक बडी शक्ति की उच्चता की यह स्थापना है। वास्तव में अब तक क्षेत्रीय संगठन का अर्थ रहने के स्थान की विनम्र दृष्टावनी ने अधिक कुछ नहीं रहा है।" (अर्थात् क्षेत्र विमेष में कौन-कौन से देश शामिल हैं, इसको प्रकट करने के लिए यव्दावली)। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक 'नए राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन' में बैजामिन एगिजन ने क्षेत्रवाद के कार्य का भागदा एम प्रकार दिशा है :

“वास्तव में क्षेत्रीय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का विधान उम ने भी आगे बढ गया है, जिनके के लिए मयुक्त राष्ट्रसघ अधिपत्र के निर्मात्रों ने

प्रत्यक्ष रूप से विचार किया था। यह विकास राजनीतिक क्षेत्र की अपेक्षा गैर-राजनीतिक क्षेत्र में अधिक निश्चित हुआ है। * * * इस पर से प्राप्त विचार यह सकेत कर सकते हैं कि यह विकास अपरिहार्य है। अगर विश्व के राष्ट्रों को यह विश्वास होता कि संयुक्तराष्ट्र सघ चांति एव सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने में समर्थ है तो उन्हीं उद्देश्यों के लिए अन्य राजनीतिक सगठनों को जन्म देने की प्रेरणा ही न होती। * * * अधिपत्र के अनुच्छेद ५३ में ऐसे क्षेत्रीय सगठनों का सदभ है, जो संयुक्तराष्ट्र सघ से अधिकृत सवघ रखकर विकसित हो * * * परन्तु तो भी, अभी तक कोई भी क्षेत्रीय सगठन इस भावना से विकसित नहीं हुआ है तथा प्रत्येक व्यक्ति सदेह कर सकता है कि क्या अनुच्छेद ५४ में उल्लिखित आवश्यकता को पूर्ण किया गया है ?”

व्याख्यान ८

विश्व की गति-विधियों में मध्य पूर्व की स्थिति

विषय-प्रवेश :

सयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक मामलों का विभाग इस निर्णय पर पहुँचा है : "मध्य पूर्व एक निश्चित भौगोलिक इकाई नहीं है, जो स्पष्ट रूप से पड़ोसी क्षेत्रों में पृथक हो।" क्षेत्र को निकटपूर्व और कभी कभी पूर्वी प्रश्न अथवा निकट तथा मध्यपूर्व के नाम से जाना गया है, जिसने इस भ्रांति में वृद्धि ही हुई है। आम प्रयोग में 'मध्य पूर्व' के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसमें जो देश सम्मिलित हैं वे इस प्रकार हैं। अरब मध के देश (मिस्र, ईराक, जोर्डन, साउदी अरब, सीरिया तथा यमन), माइप्रम, ईरान, इजराइल, नूडान, तुर्की, तथा अरब महाद्वीप के दक्षिणी तथा पूर्वी भाग के साथ वाले देश, जैसे अदन का रक्षित-राज्य, मस्कत, ओमान, ट्रसियल ओमान, कातार, बहरीन, कुवैत। इस प्रकार की यदि परिभाषा की जाय तो मध्य पूर्व एक निश्चित क्षेत्र है, न केवल भौगोलिक दृष्टि से, अपितु राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा युद्ध-योजना की दृष्टि में भी। यदि नूडान तथा मिस्र को अलग कर दे तो हम निम्नलिखित रूप में इस क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम एशिया कह सकते हैं। लेकिन मिस्र को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि यह अरब मध का प्रमुख सदस्य है, उम अरब मध का जिसने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् अरब राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रमुख भाग लिया है। क्षेत्र की दृष्टि में मध्य पूर्व का विस्तार ३७ लाख वर्गमील है, जिसकी जनसंख्या लगभग ८ करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या का पाँचवा हिस्सा है तथा हिन्देशिया, अथवा पाकिस्तान अथवा जापान के लगभग बराबर है। इस क्षेत्र की ६० प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानों की है, जो ७ करोड़ ३० लाख है। लगभग ३० लाख ईसाई हैं, जिनमें से आधे लेबनान में तथा एक-तिहाई मिस्र में रहते हैं। यहूदियों की संख्या लगभग १६ लाख है, जो इजराइल में ही मगठिन रूप से बने हैं। २५ लाख मूति-पूजक हैं, जो विशेष रूप से नूडान के ऊपरी हिस्से में बने हैं। लेबनान तथा इजराइल को छोड़ कर मध्य-पूर्व के सभी देश इस्लाम मत के मानने वाले हैं, जो अरब भाषा के समान सूत्र में आबद्ध हैं, जिनके द्वारा सर्व-प्रसववाद अथवा सभी अरब-क्षेत्रों को मगठित करने की प्रेरणा को प्रोत्साहन मिलता है। इस्लाम के अदर मतमनानरवाद ने विश्रुतता को और भी बल मिला है। मुन्नी या कट्टरपंथी मुसलमानों की बहु-संख्या है, यद्यपि गियाओ अथवा

उदार इस्लाम ईरान, तथा यमन का राजकीय धर्म है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं। क्षेत्र के ग्यारह स्वाधीन देशों में से इजराइल, सूडान, सीरिया, लेबनान, मिस्र तथा तुर्की गणराज्य हैं, यमन तथा साउदी अरब इन दोनों में पूर्ण राजतंत्र है, तथा तीन देशों ईरान, ईराक और जोर्डन में सांविधानिक राजतंत्र है। आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र पहले से कृषि प्रधान तथा पशु-पालन पर गुजारा करने वाला है। वहाँ उन देशों में प्रायः प्रतिस्पर्धा है, उनके उत्पादन-पदार्थ पूरक नहीं हैं, कारण अधिकांश देश एक ही ढंग के कृषि-पदार्थों के उत्पादन में प्रवृत्त हैं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक मामलों के विभाग ने पाया है, मध्य पूर्व की आर्थिक स्थिरता में प्रमुख रुकावटें केवल चालू-मुद्रा के अन्तर तथा सीमा शुल्क की ही नहीं हैं अपितु नीचा रहन-सहन का स्तर तथा जनता के बीच माल के सीमित अन्तर्विनिमय की भी हैं। मध्यपूर्व के संपूर्ण समाज में अल्प-संख्या जागिरदारी का बोलबाला है, जिनके साथ को घनाढ्य व्यापारी भी आ जाते हैं तथा कुल जन-संख्या की बहुसंख्या या तो किराये पर खेतों में काम करने वाले कृषकों की है या ऐसे लोगों की है, जिनके अधिकार में जमीन के बहुत ही छोटे-छोटे टुकड़े हैं। इस सम्बन्ध में जे सी हरियूट्ज का कथन इस प्रकार है "शायद ससार में कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पृथक् सम्प्रदायों के रूप में धार्मिक, भाषाई, तथा जातीय अल्पसंख्यक उम हृद तक बच रहे हों, जिस हृद तक मध्यपूर्व में है। लेबनान इसका ज्वलन उदाहरण है, जिनमें तीन मुसलिम सम्प्रदाय, नौ ईसाई सम्प्रदाय तथा यहूदी एक साथ रहते हैं। इनमें से किसी का पूर्ण बहुमन नहीं है तथा इनमें से हरेक सम्प्रदाय विधायिका में प्रतिनिधित्व पाने के लिए प्रतियोगिता करता है।"

१४५३ में मध्य-पूर्व की स्थिति विश्व-इतिहास में अद्वितीय है, जब तुर्की ने कुस्तुन्तुनिया (इन्तम्बूल) पर विजय प्राप्त करके पूर्व और पश्चिम के व्यापार-मार्गों को द्विन्न-विच्छिन्न कर दिया, अतः जिनका परिणाम भौगोलिक खोजों तथा पुनर्जागरण के रूप में दृष्टात्कालीन विद्वानों ने भागकर इटली में शरणा ली तथा शास्त्रीय ग्रन्थों के अध्ययन का फिर ने अभिनवीकरण किया। १५वीं और १९वीं शताब्दी के बीच तुर्की, जिसे यूरोप का बीमार आदमी कह सकते हैं, का पतन होने लगा, वह क्षीण होने लगा। लेकिन, चाहे वास्तव में न हो कम-से-कम नामचारे को तो उमने ईरान को छोड़कर इस क्षेत्र में अपनी प्रभुता को तब तक बनाए रखा जब वह जर्मन का साथी राष्ट्र होने के नाने प्रथम महायुद्ध में पराजित न हो गया तथा २० अगस्त १९२० को 'मैवर्स-नवि' पर हस्ताक्षर हुए।

तुर्की साम्राज्य के अन्तिम रूप में टूटने के पूर्व ही विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रों ने दिन मात्ररूप में प्रत्यक्ष रूप से परिनिहित होने लगे थे। उगमिन्मान की र्वि,

इसमें तब उत्पन्न हुई जब १७६८ में नेपोलियन ने मिन्न पर आक्रमण किया, जिमने भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण के खतरे को बढा दिया। १८३६ में भारत तथा सुहर-पूर्व से टाक सचरण के लिए इंग्लैण्ड ने मिन्न में से मार्ग बनाया। स्वेज नहर के बनने के (१८६६) छः माल पश्चात् यानी १८७५ में इंग्लैण्ड ने स्वेज नहर कंपनी के हिस्से खरीद लिए। ऐसा उन्होंने भारत में अपने महत्वपूर्ण हिता की सुरक्षा के लिए किया। इसलिए उन्होंने तुर्की की क्षेत्रीय स्थिरता का पक्ष लिया, यद्यपि उन्होंने १८८२ से मिन्न पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया।

१६६६ में तुर्की से अजोव की ब्लैक-वन्दरगाह हस्तगत करने के उपरांत रूसियों ने गरम पानी की बन्दरगाह पर अधिकार करना चाहा जो भूमध्यसागर में जाने का मार्ग है। तुर्की पर लगानार विजय करने-करते रूस ने टारडेन्लेन के जलमध्य के व्यापारिक उपयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लिया तथा एक सदी के काल (१७७४-१८७८) तक कुस्तुनियुआ की आर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च का मान्य रक्षक बन गया। ब्रिटेन के विरोध के कारण, कुस्तुनियुआ पर अधिकार करने के तथा तुर्की को विभाजित करने के उसके अनवरत प्रयास विफल हो गये। जर्मनी के एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रकट होने से तथा बालकन द्वीप पर आस्ट्रिया की प्रगति को समर्थन देने के कारण १९०७ में आंग्ल-रूसी सन्धि हुई, जिममें यह निश्चय हुआ कि ईरान में आर्थिक दृष्टि में कौन-सा भाग किसका होगा तथा अफगानिस्तान पर से अपना प्रभाव हटाने पर रूस को विवश होना पडा।

जर्मनी का साम्राज्यवादी विनियम कौन्सल द्वितीय ही था, जिमने १८८६ में कुस्तुनियुआ की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद सर्व-प्रथम 'इस्लाम के रक्षक' तथा तुर्की के हितचिन्तक की पदवी ग्रहण की। जर्मनी जनरल वान डेर गोन्ज ने तुर्की की सेना को व्यवस्थित तथा अनुशासित किया तथा जर्मन ब्रक ने तुर्की में जर्मनी के पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन दिया। १८८६ में जर्मनी ने बलिन-बगदाद रेल लाइन बनाने की नहलियत प्राप्त कर ली, जिमका विश्वव्यापी विरोध हुआ। इस प्रकार यह योजना समाप्त होकर स्वप्नमात्र ही रह गई।

२० वीं नदी के प्रारम्भ में यह आश्चर्यजनक गोज होने पर कि उन क्षेत्र में बड़े पन्माग में पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल है, अमेरिका का भी ध्यान उन ओर आकर्षित हुआ तथा वह व्यापार और लाभ के लिए उन क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। उन क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव के विस्तार का कारण शान्तिपूर्ण आर्थिक हित था, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के कारण उसने युद्ध-योजना के हित का रूप धारण कर लिया। फ्रांसीसियों ने, जिनका नेपोलियन के काल में इन क्षेत्र पर प्रभुत्व था, फ्रांसीसा-युद्ध (१८५४-५६) के मध्य फिर से रच लेना प्रारम्भ कर दिया, प्रमुख रूप से आर्थिक तथा

सांस्कृतिक क्षेत्रों में, विशेषतया सीरिया और लेबनान में । १८६६ में फ्रासीसी विशेषज्ञ द्वारा स्वेज नहर की खुदाई के कारण मिस्र में इनके (फ्रासीसियों के) पैर जम गए, जहाँ वे १९०४ तक अपने प्रतिद्वंदी इङ्ग्लैंड से प्रतियोगिता करते रहे, जब कि वे अन्तिम रूप से इस क्षेत्र से हट न गए । १९०८-१९०९ के युवक-तुर्क आंदोलन के बावजूद भी तुर्की अपने पतन तथा विभाजन को नहीं रोक सका, जो प्रथम महा-युद्ध (१९१४-१८) के होने से और भी तेजी से हुआ ।

१९१६ से १९५७ तक के मध्यपूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के जटिल क्रम को समझने के लिए हमें अपने आप को क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याओं के विश्लेषण तथा अध्ययन तक सीमित रखना होगा । वे समस्याएँ इस प्रकार हैं -

(१) अरब विश्व में राष्ट्रवाद, (२) फिलस्तीन की समस्या, (३) मध्य-पूर्व के सम्बन्धों में तेल का स्थान, (४) स्वेज-नहर-समस्या, (५) मध्य-पूर्व में बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्दिता ।

१ अरब विश्व में राष्ट्रवाद

जैसा कि हमने ऊपर विवेचना करने का प्रयास किया है, १९१६ तक मध्य-पूर्व तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में था । १९५७ में स्वाधीन अरब-राष्ट्रों की सख्या आठ है—मिस्र, सूडान, साऊदी अरब, यमन, जोर्डन, ईराक, सीरिया तथा लेबनान । इनमें से पाँच ने तो अपनी स्वाधीनता द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में प्राप्त की । साथ ही जोर्डन, साऊदी अरब, यमन तथा सूडान को छोड़कर सभी ने अपनी स्वाधीनता किसी न किसी यूरोपीय शक्ति के साथ सघर्ष करके प्राप्त की ।

द्वितीय महायुद्ध के बीच (१९१४-१८) जब इङ्ग्लैंड जर्मनी, आस्ट्रिया तथा तुर्की ने युद्ध कर रहा था, उम समय अग्रेज जनरल मैकमोहन ने मक्का के शेरीफ हुसैन को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह तुर्की आधिपत्य से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन परिचालित करे । जैसा कि हमें १९१७ की बालफोर-घोषणा से पता चलता है, जिम्का वर्णन हम फिलस्तीन समस्या के अन्तर्गत करेंगे, तुर्की नियंत्रण से अरबों के च्युटकारे के भी वायदे किये गए । द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) ने अरब-राष्ट्रवाद को प्रेरित किया, जब मिस्र तथा मध्यपूर्व के लिए नाजी खतरे ने मिस्र राष्ट्रों को उलझा लिया तथा राष्ट्रवादी शक्तियों को अवसर दिया कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने प्रभाव को जमाने के लिए आन्तरिक दृष्टि में अपने को सशक्त करें ।

तुर्की — १९२० की नेत्रम-मधि (पृष्ठ २० पर देखिए) के परिणामस्वरूप तुर्की को अपने नमाम यूरोपीय क्षेत्रों को, जिनमें कुन्तुन्तुनिया भी शामिल है, तथा दक्षिण-पश्चिम एशिया के अपने उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा । तुर्की के नये राष्ट्रवाद को

मुस्तफा कमालपाशा अर्थात् कमाल अतातुर्क (१८८१-१९३८) ने सगठित किया। मुस्तफा को नए तुर्की का जनक कहते हैं, जिसने देश को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करने तथा राष्ट्रीय पुनर्जन्म का आन्दोलन प्रारम्भ किया। उसने राष्ट्र विधान-मंडल को आयोजित किया, राजतंत्र का उन्मूलन किया, तुर्की की स्वाधीनता की घोषणा की तथा तुर्की को गणराज्य घोषित किया (१९२२)।

कमालपाशा ने आक्राता ग्रीको के विरुद्ध बेरहमी में (१९१९-२२) युद्ध छेड़ दिया, जिसका मन्त्रिय समर्थन ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली ने किया। तुर्की भूमि पर से ग्रीको को खदेड़ने में अन्ततः वह मफल हुआ। २४ जुलाई, १९२३ को उसने मित्र-राष्ट्रों को लीजान-संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश किया, जिसके द्वारा नेवर्स-संधि को दुहराया गया। उन्नीस वर्ष सुलतान मोहम्मद पठम को अपदस्थ कर दिया गया तथा आधुनिक तुर्की के जन्मदाता कमालपाशा प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अंकारा को राजधानी बनाया गया। १९२४ में एक संविधान अंगीकार किया गया, जिसमें एक सदनीय पार्लमेंट की व्यवस्था की गई, जिसका चुनाव पुरुष मताधिकार के आधार पर हुआ। कार्यकारी अधिकार मन्त्रिमंडल तथा पार्लमेंट द्वारा चुने गए राष्ट्रपति के हाथ में रहे। बिना किसी जातीय तथा धार्मिक भेद-भाव के गणराज्य के समस्त नागरिक विधि के समक्ष समान हैं, यह घोषणा की गई।

मुस्तफा कमाल नए तुर्की के प्राण ही गए। यद्यपि वास्तविक दृष्टि से ताना-शाह होते हुए भी उनमें अपने अधिकार का प्रयोग इस ढंग से किया कि सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। उसका उद्देश्य था तुर्की को दृढ़, आधुनिक तथा राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप देना। उसने खलीफाशाही का उन्मूलन करके राज्य को धर्म से पृथक् किया। कुरान पर आधारित न्यायालयों तथा विधियों की प्रणाली का उन्मूलन किया गया तथा नवीन विधि संहिताओं को अंगीकार किया गया। १९२५ में बहू-विवाह की प्रणाली का उन्मूलन किया गया तथा नागर-विवाह (civil marriage) को अनिवार्य कर दिया गया। बुर्का तथा तुर्की टोपी के पहनने का उन्सादन किया गया। १९३५ में शुकवार के स्थान पर रविवार को नरकारी अवकाश घोषित किया गया। लिपि-क्षेत्र में लैटिन-मोन्म (Latin alphabet) का प्रयोग प्रारम्भ किया गया तथा अरबी में मुद्रित पुस्तकों पर रोक लगा दी गई। रेलवे, सड़कों तथा निचोई-नाधनों का निर्माण हुआ। नक्षेत्र में, कमालपाशा का उद्देश्य था 'तुर्की तुर्कों के लिए'। उन्नीस उद्देश्य का अनुसरण उसके उत्तराधिकारियों—उम्मत, उन्नीस तथा वर्तमान राष्ट्रपति बेनल बेयर—ने भी किया।

तुर्की की परराष्ट्र नीति पर राष्ट्रवाद का बड़ा प्रभाव पड़ा है। १९३४ में

यगोस्लाविया, रूमानिया तथा ग्रीस के साथ मिलकर बालकन-मधि का निर्माण किया, जिसके अनुसार एक डूमरे की सीमाओं की पारस्परिक गारंटी की गई। १९३६ में मोन्ट्रू-मधि द्वारा तुर्की ने डारडेनलेस की घेरावन्दी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके साथ शर्त यह रही कि शान्ति-काल में विदेशी राष्ट्रों के तमाम व्यापारिक जहाजों के लिए खुले रहेंगे। तुर्की ने अलबर्जेडेट्टा के सन्जाक को सीरिया से प्राप्त कर लिया। उस समय यह फ्रांसीसी-प्राधिकार-क्षेत्र था। तुर्की ने ईराक, ईरान तथा अफगानिस्तान से भी अनाक्रमण-सधि पर हस्ताक्षर किए।

द्वितीय महायुद्ध में तुर्की युद्ध के अन्तिम दौर में तब तक तटस्थ ही रहा, जब तक अन्त में वह मयुक्त राज्य-अमेरिका के पक्ष में शामिल नहीं हो गया। १९४७ में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने तुर्की को महत्वपूर्ण सहायता दी, जिससे वह अपनी मध्य-मेनाओ का अधुनिकीकरण करके तथा उनको मुदृढ करके डारडेनलेस में आधिपत्यपूर्ण-स्थिति के लिए रूसी-दवाव का प्रतिरोध कर सके। इसके बाद १९५२ में तुर्की उत्तर-अतलातक-मधि-संगठन में शामिल हो गया तथा १९५५ में यह बगदाद-मधि का सदस्य हो गया। इस प्रकार राष्ट्रवाद का परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक जागरूकता तथा तुर्की के अधुनिकीकरण में वृद्धि हुई।

ईरान (फारस) — फारस पहला पूर्वी राष्ट्र था, जिसने अपने राष्ट्रीय नेता रेजा खान के दृढ नेतृत्व में अपने-आपको यूरोपीय आधिपत्य से मुक्त किया। १९१९ में शाह ईरान ने ब्रिटेन के साथ एक सधि की, जिसके परिणामस्वरूप उसका देश ईरान ब्रिटेन का लगभग रक्षित राज्य बन गया।

जॉर्ज निकोलस द्वारा ब्रिटेन से की गई १९०७ की विभाजन-सधि के अन्तर्गत, १९२१ में रूस ने ईरान में अपने स्वतंत्रों का परित्याग कर दिया। ईरान के राष्ट्रवादी युद्ध हो गए तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीव्र संघर्ष छेड़ दिया। फरवरी १९०१ में अन्तर्गत अन्तिम के पश्चात् रेजा खान ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की, जिसके प्रधान मंत्री वह स्वयं बने। उसने ब्रिटेन के साथ सधि की भर्त्सना की तथा पूर्ण स्वायत्तता को दृढतापूर्वक स्थापित किया। ब्रिटेन ने उस परिस्थिति को स्वीकार किया तथा ईरान को छोड़ दिया। १९०५ में राष्ट्रीय विधान-मण्डल ने शाह के राज-बग को अन्त कर दिया। १९२६ में रेजा खान जो एक राष्ट्रीय जनरल था, शाह रेजा पहलवी के नाम से मिहामनास्ट हुआ। १९३५ में अधिकृत रूप से खान का नाम बदल कर खान हो गया।

मुस्लिम समाजशास्त्र के नेतृत्व में जिन प्रकार तुर्की में हुआ, उसी प्रकार रेजा खान के नेतृत्व में ईरान को पश्चात्त्य आदेश पर एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठित किया गया। उसने विदेशी-अन्तर्निहित तथा आर्थिक प्रभाव को मिटा दिया। उसने

अंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी को इस बात के लिए विवश किया कि अगर वह ईरान में कार्य करना चाहे तो उसकी शर्तें स्वीकार करे। उसने विदेशी पदाधिकारियों तथा मलाहकारों को अपनी फौज में से हटा दिया, विदेशी राष्ट्रों के साथ पूर्ण बराबरी के सम्बन्धों के लिए निश्चय प्रकट किया। राष्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय स्कूल-प्रणाली तथा राष्ट्रीय राज-कर प्रणाली का उदय हुआ। एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्र के नाते फारस में अब प्रखर राष्ट्रीय जीवन का प्रारम्भ हो गया।

द्वितीय महायुद्ध में अधिकृत रूप से यद्यपि ईरान तटस्थ था, तो भी ऐसा मालूम होता था कि शाह-ईरान जर्मनी-पक्षपाती है और जर्मनी के अधिकार को रोकने के लिए अंग्रेजों तथा रूसियों ने नयुक्त रूप से इस देश पर अग्रस्त, १९४१ में अधिकार कर लिया। उन्होंने शाह को अपदस्थ कर दिया तथा उसके स्थान पर उसके पुत्र मोहम्मद रेजा को शाह बनाया। २९ जनवरी १९४२ को ब्रिटेन तथा रूस ने ईरान के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार ईरान की स्वाधीनता को मान्य ठहराया गया तथा यह प्रतिज्ञा की गई कि युद्ध की समाप्ति के छ महीनों के अन्दर-अन्दर उसके सीमा-क्षेत्र को खाली कर दिया जायगा। यद्यपि ब्रिटिश सेनाएँ युद्ध के दौरान बाद ईरान से हट गईं, पर रूसी सेनाएँ वहाँ मई १९४६ तक बनी रहीं। ये रूसी सेनाएँ ईरान के अनवरत खुले आम प्रतिरोधों तथा नयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा परिषद् के हस्तक्षेप के बावजूद भी ईरान में जमी रही। (पृष्ठ १२६ देखिए)।

१९५१ में एक बार पुनः ईरान के राष्ट्रवाद ने अपने स्वत्व को प्रकट किया, जब अंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया गया। मार्च ७ को राष्ट्रीय धार्मिक बन्धुत्व सम्मेलन 'फादियाने ज्जलाम' के एक सदस्य ने प्रधान मंत्री अली राज-मरा की हत्या कर दी। उन हत्या के आठ दिन बाद मजलिस (ईरानी पार्लमेन्ट) ने नया सम्मति से ईरान के तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए कानून पार किया तथा डा० मुनष्टिक को प्रधान-मंत्री बनाया। १९५३ में जनरल जेहदी ने, जिसे शाह ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, सेना के सहयोग से तेल-राष्ट्रीयकरण के अगुवा डा० मुनष्टिक को उखाड़ फेंका। डा० मुनष्टिक पर यह आरोप लगाया गया कि उनकी तुर्क अथवा तामगार दल ने नाठ-गाठ है, जो एक मान्यवादी दल था तथा सैनिक न्यायालय के द्वारा उन्हें तीन वर्ष के कारावास की सजा दे दी गई। नयुक्त राज्य अमेरिका ने ३५ करोड़ रुपये की सहायता १९५४ में तथा ५० करोड़ रुपये की सहायता १९५५ में दी। ब्रिटेन ने १३ करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया। प्राचीन सामन्ती तरीकों को समाप्त कर दिया तथा जेनिहरो को अधिष्ठान प्रदान करने के लिए जमींदारों को पुनर्गठित किया गया। तुर्क पार्टी यद्यपि युद्ध प्रायः अगुआई देती है लेकिन अब भी यह पार्टी ईरान में एक शक्ति है। राष्ट्र-

वाद की शक्ति ईरान की एक बड़ी शक्ति है, यद्यपि अगस्त १९५३ में घोषित मारशल ला अभी तक वहाँ लागू है। वास्तविक दृष्टि से राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही नहीं है। मतदाताओं को अपने शासकों की निष्पक्षता में इतना थोड़ा विश्वास है कि १९५६ के निर्वाचनों में बहुमत ने अपना मत ही नहीं दिया। प्रधान मन्त्री हुसैन आला के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने अपनी प्रवृत्ति को जिन मुद्दों पर प्रधानतया सीमित कर रखा है, वे हैं—बगदाद संधि में सक्रिय सदस्यता तथा नागरिक सेवा में भ्रष्टाचार, निरक्षरता, अफीम तथा इन सबसे भी अधिक निराशावाद तथा मायूमी के विरुद्ध व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध आन्दोलन। एडिनवरा-विश्वविद्यालय में फार्मी के लेक्चरर एल पी एलवेल-मुट्टन के अनुसार “स्वेज मकट के पश्चात् ईरान में जनमत का यह मदेह अधिकाधिक जोर पकड़ता जा रहा है कि अमेरिकी सहायता के पीछे जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के उद्देश्य की अपेक्षा ईरान को युद्ध रचना की दृष्टि से अड़्डा बनाने का स्वार्थ अधिक है। ईरान में राष्ट्रवाद के दुवारा फैलने पर सबसे पहले हानि विदेशी सरकारों की होगी। ईरान दल, जो डा० मुम्टिक के नेतृत्व को मानने वाला दल है (१९५६ में मुसद्दिक को मुक्त कर दिया गया) अभी जीवित है तथा मगठित है।”

मिस्र — १९१४ में मिस्र ब्रिटिश रक्षित राज्य हो गया लेकिन जल्दी ही राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद पर विजय प्राप्त की। जघलुल पाशा के नेतृत्व में मिस्र के राष्ट्रवादियों ने यह माँग की कि ब्रिटेन उनके देश को छोड़ दे। उन्होंने इसके लिए भूगडो, पटयन्त्रों, हथियारों तथा बहिष्कारों का सहारा लिया। यह मघर्ष इतना प्रचण्ड था कि इंग्लैंड ने रक्षित राज्य का अपना अधिकार छोड़ दिया तथा मिस्र को एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, लेकिन १९२२ की संधि के द्वारा ब्रिटेन ने निम्नांकित अधिकारों को सुरक्षित रखा—

(१) स्वेज नहर के माथ-माथ तथा मिस्र में अन्य स्थानों पर सेनाएँ ठहराने का ब्रिटिश साम्राज्य के प्रातायान की सुरक्षा, (२) विदेशी शक्तियों द्वारा मिस्र पर आक्रमण होने की दशा में मिस्र की सुरक्षा तथा मिस्र की परराष्ट्र नीति का निदेशन, (३) विदेशी हिनो तथा मिस्र में बसने वाले विदेशियों की रक्षा, (४) सूडान पर नियन्त्रण। नई नरकार का प्रादुर्भाव हुआ। यह नरकार वैज्ञानिक गजगाही मरकारों, जिनका वादशाह फौद प्रथम था। पार्लमेंट के चुनाव में मत देने का अधिकार नपनि-प्राणियों को ही था।

उन ब्रिटिश नुविप्रायों ने राष्ट्रवादियों को मतोप नहीं हुआ। नैन्यवादी बन्द-बन्द उन बात के लिए आग्रहीन था कि मिस्र को ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्ण

तरह मुक्त किया जाना चाहिए तथा सूडान को भी खाली किया जाना चाहिए। १९३६ में इथोपिया पर इटली की विजय के पश्चात् इंग्लैंड तथा मित्र ने एक बीस-वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किये। इस संधि में जो बातें तय की गईं वे ये हैं—युद्ध-स्थिति में पारस्परिक सहायता; सूडान पर सयुक्त शासन, स्वेज-नहर क्षेत्र में ही ब्रिटिश फौजों को रहने की अनुमति, पोर्ट सैड व सिकन्दरिया का जहाजी बंदे के लिए ब्रिटेन द्वारा उपयोग करने का अधिकार तथा यदि युद्ध हो जाय तो ब्रिटिश सेनाओं को मित्र में से गुजरने का अधिकार। १९३६ की संधि द्वारा कई सदियों में प्रथम बार मित्र को एक स्वाधीन राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ। १९४५ में मित्र के राष्ट्रवादियों ने मित्र से ब्रिटिश सेनाओं के हटाने की मांग की। ये सेनाएँ द्वितीय महायुद्ध में जर्मनों तथा इटालियनों से युद्ध करने के लिए मित्र में गई थीं। ब्रिटेन के समर्थन से मित्र के राष्ट्रवादियों ने अरब-सघ को जन्म दिया। इस सघ को नवीन इजराइल राज्य के उदय को अवरुद्ध करने, फिलस्तीन में यहूदियों के अधिकार-दावों का विरोध करने तथा इसके साथ में अरब-देशों के लिए स्वाधीनता प्राप्त कराने के लिए जन्म दिया गया। आंग्ल-मिस्री-सम्बन्ध कटु ही रहे। १९५२ में नरेश पाशा की वपद सरकार (१९५०-५२) को शाह फारुक ने बर्खास्त कर दिया। आंतरिक राजनीति में अव्यवस्था तथा विधि हीनता फैल गई। कोई भी नुदूढ सरकार मत्तारूढ न रह सकी। इसका कारण फारुक का हस्तक्षेप तथा उनकी बुरी सगत ही थी। अकस्मात् जुलाई २६, १९५२ को मित्र की राजधानी काहिरा में एक सैनिक क्रांति हो गई। यह क्रांति सेना के नुयोग मेना-नायको—जनरल नगीव तथा कर्नल नामर—के नेतृत्व में हुई। विद्रोही राष्ट्रवादियों ने शाह फारुक को अपदस्थ कर दिया तथा एक क्रांति-परिषद् की स्थापना की जो मित्र-सरकार की बुराइयों को दूर करने, सामाजिक एवं आर्थिक प्रणाली में सुधार करने तथा मित्र को विदेशी नियन्त्रण में मुक्त करने को कृत-मबत्प हुई। बिना किसी रक्तपात के उन्होंने शाह को छुटकारा पाया, बड़ी बड़ी तनखाहे पाने वाले राजनीतिक मलाहकारों को अपदस्थ किया तथा सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया। भूमि सुधार को लागू किया गया कृषि-भूमि के दसवें भाग को बड़े-बड़े जमींदारों ने छीनकर पांच वर्ष के अन्दर कृषकों में बाँटा। बड़े-बड़े जमींदारों के पान अधिक ने अधिक जमीन तीन सौ एकड़ रखी गई तथा जो जमीन उनसे छीनी गई उनके लिए उन्हें क्षति पूति दी गई। यह क्षति-पूति स्वयं जमींदारों के द्वारा अपने कर्णों के नामों में दिनाए गए दणों के अन्तर्गत दी गई। नगीवों पर कर के बोझ को हल्का किया गया। मिस्री राष्ट्रवाद के एक नेता के रूप में बनेन नगीव ने सूडान की समस्याओं पर ब्रिटेन से एक समझौता बन लिया। मित्र को विदेशी आधिपत्य में मुक्त करने के लिए राष्ट्रवादियों ने नरह-क्षेत्र में

ब्रिटिश सेनाओं को हटाने की माग की। अपने तोड़-फोड़ तथा आतंकवादी कार्यों से मित्रियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब ब्रिटेन मित्रियों के समर्थन पर भरोसा नहीं रख सकेगा। आठ वर्षों की निष्फल बातचीत के पश्चात् ब्रिटेन को झुकना पड़ा।

जुलाई १९५४ में कर्नल नासर (नगीव को देशद्रोह के अभियोग में वर्खास्त कर दिया गया था) ब्रिटेन को बीस महीनों के अन्दर स्वेज-क्षेत्र को खाली करने के लिए वाच्य करने में मफल रहा। सिचाई तथा जल-विद्युत-शक्ति के लिए आमवान-वाँध के निर्माण के लिए २६ जुलाई, १९५६ को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन फ्रांस तथा इजराइल ने २९ अक्टूबर को मित्र पर सयुक्त आक्रमण कर दिया, जो रूस तथा सयुक्त राष्ट्र मघ के हस्तक्षेप के कारण ७ नवम्बर को समाप्त हो गया। २३ जून, १९५६ को मित्र ने एक नवीन सविधान अंगीकार किया, जिसमें मित्र को सर्व-प्रभुत्व-सम्पन्न स्वाधीन राष्ट्र घोषित किया गया। इस सरकार का स्वरूप गणतन्त्रीय रखा गया, जिसमें राजकीय धर्म इस्लाम को माना गया तथा सरकारी भाषा का स्थान अरबी को प्रदान किया गया। विधि के समक्ष समानता, सुदृढ राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, भाषण तथा प्रेस की स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा, जमीन की मिल्कियत के आकार पर रोक—इन सब की स्थापना की घोषणा सविधान में की गई है। विधायक अधिकार राष्ट्रीय विधान-सभा का रहेगा, जो हर पाँच वर्ष बाद विशिष्ट विधि के आधार पर चुनी जायगी। गणराज्य का राष्ट्रपति, जिसे राष्ट्रीय विधान-सभा की मिफारिश पर आम जनता चुनती है, राज्य का प्रमुख होता है तथा सेना का प्रभान मनापति भी होता है। वह छ वर्ष तक अपने पद पर रहता है। गमाल अब्दल नासर मित्र के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। जुलाई, १९५६ में यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि मित्र तथा सीरिया को मिलाकर एक मघीय राज्य बना दिया जाय, जो केवन परगट्ट, सैनिक तथा आर्थिक मामलों में एक ही नियन्त्रण में सहयोग करे। २६ फरवरी १९५७ को उच्च अधिकार प्राप्त सम्मेलन हुआ, जिसमें जोर्डन ने भी सीरिया तथा मित्र के नाय प्रस्तावित मघ में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की।

माऊदी अरब — प्रथम राष्ट्रवाद की एक अन्य उल्लेखनीय मफलता स्वतन्त्र माऊदी अरब राज्य को स्थापित करने की है। १९१९ में ब्रिटेन की महायत्ना में डेरिफ हुमैन ने तुर्कों के विरुद्ध मफल शान्ति की तथा शाह बेजाज की उपाधि ग्रहण की। उनका एक बेटा अमीर अब्दुल्ला टामज़ोर्टन का अमीर बन गया। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् उसे जोर्डन के अमीर राज्य के स्वतन्त्र शाह की उपाधि प्रदान की गई।

१९५१ में उसका वध कर दिया गया। दूसरा लडका फैसल, ईराक का ग्राह बन गया। १९२३ में शेरिफ हुसैन ने खनीफा (मुस्लिम जगत का आध्यात्मिक प्रमुख) की उपाधि धारण की। लेकिन नजद के अमीर इब्न साऊद ने उसके दावों को चुनौती दी तथा उसने हुसैन को अपने राजनीतिक तथा आध्यात्मिक पदों को छोड़ने को विवश करने में सफलता पाई। कूटनीति तथा युद्ध से इब्न साऊद अरब का प्रमुख नेता हो गया। १९२७ में इब्न साऊद ने ब्रिटेन के साथ मित्रता की संधि की जो "समानता के आचार पर ब्रिटेन द्वारा किसी भी आधुनिक राज्य को स्वीकृत यह प्रथम मित्रता संधि थी।" १९३४ में उसने अपने नए राज्य का नाम साऊदी अरब रख लिया। उसने अरब अमेरिकी तेल कम्पनी (ARAMCO) को तेल निकालने के सुविधाजनक अधिकार दिये। इनमें अमेरिका का व्यापारिक हित है तथा यही इब्न साऊद की आय का प्रमुख साधन है। १९४५ से उसने देश को सशक्तशाली बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शक्ति बनाए रखने की नीति का अनुसरण किया है। उसने सड़कें बनवाई हैं, रेलें चालू करवाई हैं, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का श्रीगणेश किया है तथा अपनी राजधानी रियाद में विजली तथा दूसरे सुधारों को प्रचलित किया है। उसने आधुनिक वदरगाहों का निर्माण किया है। ८ फरवरी १९५७ में उसने अमेरिका से एक संधि की। इस संधि में साऊदी अरब की सेना के प्रशिक्षण एवं सुमज्जा तथा उनके आर्थिक विकास में सहायता देने का मूल मुद्दा है। साऊदी अरब स्वेज पर मिस्र की प्रभु-सत्ता को मान्यता देता है। अरब मध का समर्थन करता है, अल्जीरिया की स्वतन्त्रता तथा अरब जनता में घनिष्ठ सहयोग चाहता है। बर्मा, नखलिस्तान पर ब्रिटिश आधिपत्य तथा विदेशी आक्रमण के त्तरों के विरुद्ध साऊदी अरब में राष्ट्रवाद जागरूक एवं सजिय है।

यमन — प्रथम महायुद्ध में यमन तुर्की के पक्ष में रहा। दोनों महायुद्धों के बीच के समय में ब्रिटेन के साथ यमन के सम्बन्ध शयुतापूर्ण हो गए। कारण यह था कि ग्राहिया ने अदन के रक्षित प्रदेश में, जिम पर यमन ने अधिकार-दावा किया था, अपनी कबीली सेनाओं को हटाने में इन्कार कर दिया था। आंग्ल-यमनी संधि के नाम में प्रसिद्ध एक संधि फरवरी १९३४ में हुई, जिनमें २२ वर्षों तक सीमा पर होने वाले आक्रमण बंद रहे। ये आक्रमण दिनम्बर १९५६ में फिर प्रारम्भ हो गए। १९५७ के प्रारम्भ की प्रेस-सूचनाएँ इन बातों की ओर संकेत करती हैं कि ब्रिटेन-प्रभिकृत अदन में यमन की ओर से होने वाले कबायली आक्रमणों को दबाने के लिए ब्रिटेन नैतिक-पक्ष उठा रहा है। इनका यमन बड़े पैमाने पर आक्रमण पहता है। अन्तु, यमन में राष्ट्रवाद का समर्थक तन्त्र अदन पर अधिकार करना चाहता है। अतः सीमानन्वन्वी प्रश्न अभी तक नटता पडा है। यमन अरब-मध में शामिल हो गया तथा

अरब राष्ट्रवाद को दृढ़ करने के लिए अपना भाग अदा किया। यमन कभी भी विदेशी दामता में नहीं रहा। लेकिन खानाबदोश जन सख्या तथा कबायली निरक्षर जातियाँ और बाह्य दुनिया से मपर्क न होना, ये सब बातें यमन के राष्ट्रवाद के विकास में बाधक हैं।

ईराक (मिसोपोटामिया) — प्रथम महायुद्ध में ईराक पर ब्रिटेन के आधिपत्य ने ईराकी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। १९२० में पूर्ण तथा तुरन्त स्वाधीनता के लिए ब्रिटेन को गम्भीर त्राति का सामना करना पडा। इसका परिणाम यह हुआ कि इसे राष्ट्रसंघ की देख-रेख में, ब्रिटिश प्रशासन के साथ आदिष्ट क्षेत्र बना दिया गया। काफी अग्रो में स्वायत्त शासन स्वीकार कर लिया गया तथा हेजाज के शाह फ़ैजल के अन्तर्गत राजवश की नींव पडी। १० अक्टूबर १९२२ को एक बीस वर्षीय सधि पर हस्ताक्षर हुए। इस सधि में आभल ईराकी सम्बन्धों की परिभाषा की गई थी। १९२६-२७ में राजनीतिक सुविधाओं की माँग के परिणामस्वरूप सधि को फिर से दुहराया गया। अन्ततः १९३२ में स्थानीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने ब्रिटेन को इसके लिए विवश कर दिया कि वह आदिष्ट प्रणाली को समाप्त करके ईराक को पूर्ण स्वाधीनता की स्वीकृति दे दे तथा साथ ही उसे राष्ट्रसंघ की मददस्यता प्रदान की जाय। लेकिन ३० जून १९३० को पच्चीस वर्षीय आभल ईराकी सधि ने ब्रिटेन को यह अधिकार दे दिया कि वह बाह्य आक्रमणों से ईराक की रक्षा करे। युद्ध की स्थिति में ईराक इसके लिए वचन-बद्ध था कि “रेलवे, नदियों, बन्दरगाहों, हवाई अड्डों तथा यातायात के साधनों” के उपयोग की सुविधा तथा महायुता प्रदान करे। शीतयुद्ध के एक लक्षण के रूप में साम्यवादी प्रवृत्तियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि १६ जनवरी १९४८ को सधि की शर्तों के पुनरीक्षण पर हस्ताक्षरपोर्ट्स माल्ड में हुए। ब्रिटेन की ओर से ब्रिटेन के परराष्ट्र मन्त्रि अर्निस्ट बेव्निन तथा ईराक की ओर से ईराकी प्रधानमन्त्री सलेह जावर ने हस्ताक्षर किये। उस सधि के अन्तर्गत ब्रिटेन ने राजकीय रेलवे तथा बसरा बन्दरगाह का आंशिक नियन्त्रण ईराक को सौंपा। साथ ही हव्वनिया तथा सुयावा के हवाई अड्डे भी ईराक को वापस सौंप दिए गए, यद्यपि आर० ए० एफ० (रोयल एयर फोर्स) द्वारा इन हवाई अड्डों को निरन्तर त्रियागील बनाए रखने की व्यवस्था हुई। उसके अलावा एक नयुक्त प्रतिरक्षा मण्डल बना जिममें ब्रिटेन तथा ईराक को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। उस मण्डल का कार्य प्रतिरक्षा नीति को नियामकता प्रदान करना था। ईराक को केवल ब्रिटिश सैनिक प्रशिक्षकों को ही नियुक्त करना था। उस सधि के समाप्ति का स्वागत बगदाद में दसों में हुआ, जिममें २० व्यक्ति मारे गए तथा २०० घायल हुए। पोर्ट्स माल्ड सधि की अभिपुष्टि कभी नहीं हुई तथा तब तक ईराक ब्रिटेन के साथ हुई १९३० की सधि को ही अस्थिर मान्यता देता रहा, जब तक

कि अप्रैल १९५५ में एक अभिनव सन्धि की अभिपुष्टि नहीं हो गई। इस सन्धि के अनुसार ईराकी राष्ट्रवादियों को और अधिक सुविधाएँ दी गईं। इसके अनुसार हवाई अड्डे अब ईराक के हो गए तथा उनका संचालन रायल ईराकी एयर फोर्स द्वारा होने की व्यवस्था हो गई, यद्यपि मयुक्त प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए रायल एयर फोर्स के क्षेत्रीय कर्मचारी मण्डल को ठहरने की अनुमति मिली। ईराक वगदाद सन्धि में शामिल हो गया जिसका विरोध उत्साही राष्ट्रवादियों के एक वर्ग ने अक्टूबर १९५६ में किया जबकि मित्र पर डब्लू लैंड, फ्रान और इजराइल ने मयुक्त आक्रमण किया। ईराक अब अरब संध का सक्रिय सदस्य नहीं रहा है तथा इमने तुर्की, ईरान तथा पाकिस्तान से गठबन्धन कर लिया है।

सीरिया-लेबनानः— सीरिया-लेबनान में वेस्त, एलप्पो तथा दमिश्क के फ्रामीसी स्कूलों के द्वारा फ्रामीसी क्रान्ति में उत्पन्न विचार फैलने लगे। १९१८ में जेरिफ हुसैन के पुत्र शाह फैजल ने ब्रिटिश धन तथा अस्त्रों की सहायता से इस क्षेत्र पर नियन्त्रण कर लिया। जुलाई १९२० में फ्रांस ने, सर्वोच्च मित्र-राष्ट्रीय युद्ध-परिपद से इस क्षेत्र का अधिकार प्राप्त कर लेने पर दमिश्क पर कब्जा कर लिया और शाह फैजल की सेनाओं को मेसैलुन के स्थान पर कुचल दिया। इमने सीरियायी राष्ट्रवादियों को कट्ट तथा निडर बना दिया। १९२५-२७ के बीच इन्होंने विद्रोह किया तथा फ्रांस को इसके लिए विवश कर दिया कि वह पूर्ण स्वाधीनता के सिद्धान्त को बतौर फ्रासीसी प्रशासन के उद्देश्य के रूप में स्वीकार करे। ६ सितम्बर १९३६ को एक २५ वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। इस सन्धि में सीरिया और लेबनान का पृथक्करण, फ्रान को विधिष्ठ सैनिक अधिकार तथा सीरिया को पूर्ण स्वाधीनता की व्यवस्था की गई। फ्रांस द्वारा इस सन्धि की अभिपुष्टि कभी नहीं हुई। उन्होंने राष्ट्रसंध के समक्ष यह शिनायत रखी कि इतदृष्टे रहने वाले तथा बिखरे हुए ईरानी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की पूर्वाप्त गारन्टी नहीं दी गई है।

८ जून, १९४१ में फ्रान की पराजय के पश्चात् जनरल काटन ने सीरिया तथा लेबनान की स्वाधीनता घोषित कर दी। लेकिन बाद में फ्रान ने विशेष आर्थिक तथा सामरिक सुविधाएँ चाहीं। छः सौ जानें जाने के पश्चात् आंग्ल-अमेरिकी हस्तक्षेप द्वारा १९४५ में फ्रान की पुनिस कार्यवाही को तुरन्त रोक दिया गया तथा अप्रैल १९४६ में सुरक्षा परिपद में याचना के पश्चात् फ्रामीसी निपात्रियों ने सीरिया-लेबनान स्थानीय नर दिया (पृष्ठ १२६ देखिए)। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम-स्वरूप द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी के हाथों फ्रान के पतन पर सीरिया तथा लेबनान पूर्ण स्वाधीन हो गए।

जोर्डन — ट्रांस जोर्डन, जो ब्रिटिश आदिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत फिलस्तीन का भाग था, का एक पृथक क्षेत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। २५ मई १९२५ को अमीर अब्दुल्ला को अग्रेजों द्वारा यह छूट दे दी गई कि वह ट्रांस जोर्डन की स्वाधीनता की घोषणा कर सके। लेकिन इस घोषणा के लिए राष्ट्रसंघ की स्वीकृति अपेक्षित हागी तथा ब्रिटेन को विशिष्ट वित्तीय तथा नैतिक अधिकार प्राप्त होंगे। २० फरवरी १९२८ की ग्रांग्ल-जोर्डन संधि ने विशेष विधायक तथा प्रशासनिक अधिकार नाम मात्र को सौंप दिए तथा इस संधि के द्वारा ब्रिटिश सलाहकारों को जोर्डन में बने रहने की भी व्यवस्था की गई। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् २२ मार्च, १९४६ को जोर्डन पूर्णरूपेण स्वाधीन हो गया तथा १९४८ में ब्रिटेन के साथ गठबंधन में पूरी तरह शामिल हो गया। ब्रिटेन ने अकाबा तथा मालफाक के अड्डों पर अधिकार कर लिया तथा जोर्डन को इसके बदले में लगभग १६ करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता देनी प्रारम्भ कर दी। १९५१ में अब्दुल्ला की हत्या कर दी गई। शाह हुसैन ने उत्तराधिकार ग्रहण किया। उग्र राष्ट्रीय दल ने शाह को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वह अरब सेना के प्रवर्तक जनरल ग्लव पाशा को बर्खास्त कर दे तथा १८-२१ दिसम्बर १९५५ के बीच हिंसक दंगे करके वगदाद संधि में शामिल होने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की। नये निर्वाचनों के पश्चात् मुलैमान नवुल्सी के नेतृत्व में बनी सरकार ने १९४८ की अंग्ल-जोर्डन संधि को समाप्त करने का निर्णय किया, जो पहली अप्रैल १९५७ में लागू होगा, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सेनाएँ छ महीने के अन्दर जोर्डन को खाली कर देंगी। मिस्र, साऊदी अरब तथा सीरिया इसके लिए सहमत हो गए हैं कि वे १९ करोड़ ६० वार्षिक जोर्डन को उसके आंतरिक विकास तथा अरब शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए दे।

३९ वर्ष तक अरब देशों में नौकरी कर चुकने के पश्चात् जोन वागोट ग्लव का तथ्य है कि अग्र राष्ट्रवाद "पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा आविषमय की किसी भी कल्पना के विरोध में विशेष प्रकार से भावनाशील तथा प्रतिशोधात्मक है।" तो भी हाल ही का अनिष्ट यह बताता है कि अरब राष्ट्रों के बीच किस हद तक विभाजनकारी तथा विघटनकारी तत्व विद्यमान हैं तथा पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति उनका रुख किस प्रकार अज्ञान है। मिस्र, सीरिया, साऊदी अरब तथा जोर्डन फिलिस्तीन में अज्ञानकारी तथा अर्थी अर्थियों के मनुष्य रूप में विद्यमान हैं, जबकि दूसरी ओर सीरिया, तुर्की और जॉर्डन ने नाथ वगदाद संधि के मन्त्रिय सदस्य हैं। उनके पर भी वे अनिश्चयता तथा पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संगठित हैं। वे ट्यूनीसिया तथा मोरक्को को प्राचीनी आविषमय के मूल कल्पने में सफल हुए हैं। उन्होंने १९५६ में उन नवोत्पन्न राष्ट्रों को नदस्वता भी प्राप्त कराई है और अरब फ्रान्सीसी अरबों के

अन्जीरिया, ब्रिटेन अधीनस्थ बुरैमी नवलिनस्तान तथा अदन और यहूदी राज्य उज-राउन के साथ अन्तिम फ़ैसले तथा स्वेज नहर प्रश्न आदि समस्याओं का हल होना अभी शेष है। १० फरवरी, १९५७ को राष्ट्रपति नासर ने ठीक कहा है। "अरब-राष्ट्रवाद जो स्वाधीनता की समान रेखा है, अटलांटिक से फारस की खाड़ी तक फैल रहा है। राष्ट्रवाद उन साम्राज्यवादी पट्टयन्त्रों के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक कवच है, जिनका उद्देश्य हमारे देशों पर आधिपत्य स्थापित करना है। अरब राष्ट्रवाद जिन पर हमारा विश्वास है, आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा के पारम्परिक समान हित का नाम है। हम अरब राष्ट्रवाद को न्यायी बनाने के लिए मनन नवर्षधील रहेंगे।" अरब-लीग, जिसका हमने अध्ययन किया है, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मस्यौदा है, जो अरब राष्ट्रों के राष्ट्रवाद को मुदृष्ट बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। २६ फरवरी, १९५७ में मिन्न के राष्ट्रपति नामर, साऊदी अरब के शाह इब्न मऊद, जोर्डन के शाह हुसेन तथा सीरिया के राष्ट्रपति शुक्री-एल-कुअतली ने काहिरा में उन पर चर्चा की कि पश्चिमी शक्तियों के प्रति हमारा क्या रुख रहे। इस उच्चस्तरीय वार्ता में मिन्न, सीरिया, तथा जोर्डन ने अरब-विश्व के संयुक्त राज्यों के मघ की स्थापना के लिए अपने विचार व्यक्त किये हैं।

२ फिलिस्तीन समस्या

महानभा के हमारे विधिष्ट सत्र के प्रधान अर्जन्टाइना के जोस आर्क ने फिलिस्तीन समस्या पर टिप्पणी करते हुए कहा, "फिलिस्तीन की समस्या उत्तराधिकार में राष्ट्रमघ (League of Nations) ने संयुक्त राष्ट्रमघ (UNO) को प्राप्त हुई है, जिसका कारण-विवरण अप्राप्त रहा है तथा उपनिवेशवाद में अद्वितीय राष्ट्र ३० वर्षों में भी इसे हल करने में असफल रहा है।" उन समस्या में अरबों तथा यहूदियों के स्वार्थों के टकराव की ही समस्याएँ नन्निहित नहीं हैं, अपितु ब्रिटेन तथा अमेरिका के सामरिक तथा आर्थिक हित भी हैं।

यह स्मरणीय है कि निवाय कुछ क्षेत्रीय अपवादों के ब्रिटेन द्वारा अरबों को 'त्रिना गतं स्वाधीनता' की प्रतिज्ञा के बावजूद २ नवम्बर, १९१७ को प्रसिद्ध बाल-फोर-घोषणा की गई जिसमें "फिलिस्तीन में यहूदी जनता के लिए एक 'अपने राष्ट्र' की प्रस्थापना की प्रतिज्ञा की गई और साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया कि फिलिस्तीन में रहने वाली गैर-यहूदी जातियों के नागरिक तथा धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।" उन घोषणा का उद्देश्य यह था कि फिलिस्तीन में रहने वाली गैर-यहूदी जातियों के नागरिक तथा धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।" उन घोषणा का उद्देश्य यह था कि फिलिस्तीन में रहने वाली गैर-यहूदी जातियों के नागरिक तथा धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।" उन घोषणा का उद्देश्य यह था कि फिलिस्तीन में रहने वाली गैर-यहूदी जातियों के नागरिक तथा धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बीजमान ने कहा था कि फिलस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना स्वेज नहर की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस प्रकार फिलस्तीन में यहूदी राष्ट्र का जन्म ब्रिटेन के साम्राज्यवादी सामरिक मनसूबों के पूरा होने का ही एक अंग था।

लाई वालफोर ने स्वयं ब्रिटिश-नीति तथा प्रतिश्रव के बीच विरोधाभास को स्वीकार किया, "मेरी समझ में यह कभी नहीं आया कि घोषणा तथा प्रतिश्रव (Covenant) में सामञ्जस्य कैसे लाया जा सकता है। हम यहूदी राज्य की स्थापना के लिए प्रणवद्ध हैं, चाहे यह बात गलत हो या सही, चाहे इसका परिणाम बुरा हो या अच्छा।" राष्ट्रपति विल्सन इस नीति से पूर्णतया सहमत थे, यद्यपि एच० सी० किंग-सी० आर० फ्रेन कमीशन (जुलाई, १९१९) के गोपनीय प्रतिवेदन में कहा गया था, "यहूदी राज्यवादियों को इस बात की आशा है कि फिलस्तीन में रहने वाले गैर-यहूदियों को विभिन्न प्रलोभनों द्वारा वहाँ से हटा दिया जायगा ताकि फिलस्तीन 'प्रत्येक यहूदी राज्य' बन सके।"


इसके बाद की ब्रिटिश-नीति उलझनपूर्ण थी। १९२२ में तत्कालीन उपनिवेश मन्त्री चर्चिल ने कहा "ब्रिटिश सरकार ने अरब जनसंख्या को आधीन करने या उनके समाप्त करने के लिए कभी नहीं सोचा।" साथ ही यहूदियों को यह आश्वासन दिलाया कि "वे फिलस्तीन में अपने अधिकार के बल पर रह रहे हैं न कि किसी की मेहरबानी के कारण।" यहूदी विस्थापितों के लगातार आने से अरबों ने विद्रोह कर दिया। इसके परिणामस्वरूप १९३० में शॉ-आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग ने अरबी फिन्सनीन में आने वाले यहूदी विस्थापितों पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पर बल दिया। बीजमान के नेतृत्व में यहूदियों ने दृढ़ता से इसका प्रतिकार किया तथा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मैकडोनाल्ड ने घोषणा की कि "यहूदियों को दिये गये वायदों में ब्रिटेन का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है और यदि वे चाहे तो फिलस्तीन में जमीन खरीद सकते हैं।" अरबों की भूमि के यहूदियों के हाथों में चले जाने के नियन्त्रण के प्रश्न को ब्रिटेन ने कोई महत्त्व नहीं दिया। हिटलर द्वारा यहूदियों को नरसून किये जाने पर यहूदी विस्थापितों की संख्या ६००० वार्षिक में बढ़कर १९३५ में ६२००० वार्षिक हो गई। उन तेज बटोतरी ने अरबों को नाबखान कर दिया तथा उन्होंने वे मांग रहीं (१) फिलस्तीन में जनतन्त्रीय सरकार, (२) यहूदियों के भूमि हस्तान्तरण पर निषेध, (३) यहूदी निपन्त्रान्तों को फिलस्तीन में प्रवेश करने से तन्त्रान रोका जाय। ब्रिटेन ने उन मांगों की अवहेलना की। परिणामस्वरूप १९३६ में दंगे हुए। उन गठबन्धी के कारणों की जाँच के लिए लार्ड पील के नेतृत्व में एक शक्ति आयोग की नियुक्ति हुई। जुलाई १९३७ में पील-कमीशन ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अरबों तथा यहूदियों की आशावातियों में उनका मतभेद है कि उनमें

कोई समझौता नहीं हो सकता और उसलिये यह योजना प्रस्तुत की कि फिलस्तीन को अरब-राज्य तथा यहूदी-राज्य दो भागों में विभाजित कर दिया जाय। १९३३ में हुड-हेड-आयोग ने इस विभाजन-योजना को ठुकरा दिया क्योंकि यहूदी-राज्य की कुल जनसंख्या में ४६% अरब अल्प मत होता था तथा अरबों ने तो इस विभाजन योजना को स्वीकार ही नहीं किया। मई १९३६ में ब्रिटेन ने घोषणा की कि फिल-स्तीन कभी भी यहूदी राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह फिलस्तीन में अरबों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों के विपरीत है। इसीलिए आगामी पाँच वर्षों में यहूदी निपटान्तों की संख्या ७५,००० तक ही सीमित रही। यहूदियों ने इस घोषणा को विध्वासघात बनाकर भर्त्सना की।

युद्ध के बीच (१९३६-१९४५) यहूदी राज्यवादियों ने अपनी प्रमुख राज-नीतिक प्रवृत्तियों को सयुक्त राज्य अमेरिका में चालू किया। मई १९४२ के अपने प्रसिद्ध विल्समोर-कार्यक्रम का उनका उद्देश्य अमेरिका में रहने वाले घनवान यहूदियों के सक्रिय सहयोग से फिलस्तीन में यहूदी राज्य स्थापित करना था। धीरे-धीरे, लेकिन स्थिरता में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपतियों—हजवेल्ड तथा ट्रूमैन—का सहयोग प्राप्त किया तथा फिलस्तीन में यहूदी-अभिकरण के अध्यक्ष बने गुरियों के सक्रिय सहयोग में हगना, पालमच, इरगुन जैव ल्यूमी, स्टर्न गैंग आदि गुप्त मन्थाओं द्वारा आतंकवादी आन्दोलन प्रारम्भ किया। आंग्ल-अमेरिकी-पूछताछ-समिति, प्रांतीय स्वशासन की त्रेडी-योजना तथा अन्धायी प्रन्थास-योजना आदि के रूप में जब सब प्रयत्न विफल हो गये तो ब्रिटेन द्वारा यह प्रश्न २ अप्रैल, १९४७ को महानभा को सौंप दिया गया।

१३ मई, १९४७ को महासभा के प्रथम विशेष अधिवेशन में फिलस्तीन पर संयुक्त राष्ट्रसंघ-विशिष्ट-समिति (UNSCOP) की स्थापना की गई। इस समिति में बड़ी शक्तियों को छोड़कर स्यारह सदस्य राष्ट्र शामिल थे जिनके नाम हैं कनाडा, जेकोम्बोवाकिया, स्वाटमाल, नीदरलैंड, पेरू स्वीडन, उरगुए, आस्ट्रेलिया, भारत, ईरान तथा यूगोस्लाविया। ३१ अगस्त को यून्कोप ने सर्वसम्मति निर्णय किया कि 'व्यावहारिक दृष्टि में सम्भव तिथि को' ब्रिटिश आदिष्ट प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यून्कोप के प्रथम मान सदस्यों ने फिलस्तीन के विभाजन के पक्ष में अपना मत प्रकट किया। विभाजन इस प्रकार हो : (१) अरब राज्य, (२) यहूदी राज्य तथा (३) यम्यालम का शहर, जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्थास प्रणाली के अन्तर्गत हो तथा यह व्यवस्था हो कि वह दोनों के साथ आर्थिक सहयोग कर सके। यून्कोप के अन्तिम तीन सदस्यों ने एक मधीय राज्य की प्रन्थावना की, जो तीन नाम बाद बने, क्योंकि विभाजन-योजना, जिनका उद्देश्य "आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक एकता प्राप्त करना बताया जाता है, अव्यावहारिक तथा ऐसी है जिसे कार्यान्वित नहीं किया

जा सकता, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि पहले राजनीतिक तथा भौगोलिक विघटन उत्पन्न कर दिया गया हो।”



ब्रिटेन तथा यहूदियों द्वारा विभाजन-योजना हिचकिचाहट के पश्चात् स्वीकार की गई, यद्यपि ब्रिटिश-उपनिवेश सचिव, क्रीच जोन्स, ने महासभा को स्पष्ट वता दिया कि "ब्रिटेन फिलस्तीन में शपित द्वारा कोई भी नीति लागू करने को तैयार नहीं है।" अरब उच्चतर समिति के हमैनी ने, जिन्होंने यून्कोप का वहिष्कार किया था, घोषणा की कि १९१७ की वालफोर-घोषणा यहूदियों को दिये जाने वाले वायदे के रूप में एक 'अतिरिक्त, अनुचित तथा गैर कानूनी' वायदा था क्योंकि मित्र राष्ट्रों के नाम पर ब्रिटेन ने एक 'मुन्न-वर्ता' के रूप में फिलस्तीन पर अधिकार किया था, न कि 'एक विजेता' के रूप में। रूस तथा अमेरिका ने विभाजन-योजना का समर्थन किया। २९ नवम्बर, १९४७ को महासभा ने दो तिहाई के आवश्यक बहुमत पर बहुत ही छोटे अन्तरसे (२ मतों में) विभाजन योजना का प्रकीर्ण कर लिया। साऊदी अरब के अमीर फैजल-अल-माउद ने कहा "हमने यह अनुभव किया कि कुछ बड़ी शक्तियों ने दबाव डाला है, जिन्होंने विभाजन के पक्ष में मन आये।" उंगक के अलजमाली का कथन था 'यून्कोप द्वारा महासभा पर यह एक बड़ा दबाव तथा प्रभाव था, जिन्होंने

मामले को इस तरह मोड़ा कि उनका अन्तिम परिणाम विभाजन-योजना को अंगीकार करने के रूप में हुआ।" सीरिया के अमीर अर्मलान ने, मौत की आशा प्राप्त व्यक्ति की-सी मायूम भावना से घोषणा की, "सज्जनो, सयुक्त राष्ट्र सघ अधिपत्र मर चुका है, लेकिन इसकी यह मृत्यु स्वभाविक नहीं हुई अपितु जान बूझकर इसकी हत्या की गई है और आप सब लोग जानते हैं कि इस पाप का भागी कौन है। मेरा देश इस निर्णय को कभी नहीं मानेगा।"

निश्चित रूप से अब यह पता-लगा है कि विभाजन की सफलता का निश्चय अन्तिम क्षण हुआ, जब लिबेरिया, फिलीपीन्स तथा हैटी के तीन मन पक्ष में चले गये (मतदान उस प्रकार था ३३ १३)। इन तीनों ने तदर्थ समिति में मत नहीं दिया था। तत्कालीन अमेरिकी प्रतिरक्षा सचिव जेम्स फोरेस्टल ने यह स्वीकार किया है कि "इन तीन मतों को प्राप्त करने के लिए अमेरिका की ओर से गैर-सरकारी रूप से पर्याप्त दबाव डाला गया था।" "सरकार की कार्यपालिका आखा के बाहर के व्यक्ति, महामभा में दूसरे राष्ट्रों पर दबाव डालने के लिये जिन तरीकों को काम में लाये थे, वे तरीके अनियमितता की सीमा में आ गये।"

महामभा ने विभाजन-योजना को लागू करने का भार बोलिविया, जैकोबो-वाकिया, डेनमार्क, पनामा तथा फिलीपीन्स के प्रतिनिधियों को साँपा जिनको ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में प्रविष्ट नहीं होने दिया। ११ दिसम्बर, १९४७ को ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया कि १५ मई, १९४८ को आदिष्ट प्रणाली नमान्य कर दी जायगी। घबड़ाये हुए अरबों ने यहूदियों के विरुद्ध मार-धाड़ तथा हिंसा का हथियार अपनाया। यहूदी उस सम्भावित आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तत्पर थे। उसी बीच अमेरिका तथा यूरोप में बसने वाले यहूदियों ने इन्हे गुप्त रूप से विनीय तथा राष्ट्रीय महायत्ना प्राप्त हो गई। इधर अरबों को ब्रिटेन से खुले रूप में एक सन्धि के अन्तर्गत हथियार प्राप्त हुए। ३० नवम्बर, १९४७ तथा १ अप्रैल, १९४८ के समय में ३००० अरब तथा २८०० यहूदी मारे गये। १० अप्रैल को फिलिस्तीन के लिये नियुक्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन महामभा को प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया "फिलिस्तीनी तथा गैर-फिलिस्तीनी अरबों द्वारा समान आक्रमण, ब्रिटेन की ओर से सहयोग की कमी, फिलिस्तीन की विश्व चलिता सुरक्षा-स्थिति तथा सुरक्षा परिषद् ने आवश्यक सन्धियों का न मिलना ये कुछ कारण हैं, जिन्होंने आयोग के लिये महामभा का प्रस्ताव लागू करवाना अशक्य बना दिया है।"

सुरक्षा परिषद् की प्रेरणा से महामभा के दूसरे विवेक अधिवेशन (१६ अप्रैल १९४८) को आयोजना की गई, जिसमें यहूदी अभिप्रेत के राष्ट्रीय गणतन्त्र ने तदा कि अन्तिम निर्णय के लिए सक्रियता प्रयोग करना पड़ेगा और सदियों के मनन

मघर्ष के बाद राज्य प्राप्त करने के उपरांत यहूदी अपनी स्वाधीनता का समर्पण नहीं कर सकते तथा विभाजन एक राजनीतिक तथा आर्थिक तथ्य बन चुका है। प्रतिरक्षा के मामले में ये (यहूदी) पूर्ण रूप से आत्म निर्भर हैं। साथ ही, देश के कुछ भागों में यहूदी सैनिक कमान प्रशासनिक कार्य कर रही है।”


१४ मई, १९४८ को १० बजे प्रातः (वाणिगटन समय) राब्बी सिलवर ने महासभा में तेल अवीव शहर में 'इजराइल' की स्थापना की घोषणा की। यह स्थापना १४ मई, १९४८, यहूदी कलेण्डर के अनुसार इयार ५७०८ का पाचवाँ दिन सव्वाथ (रविवार) की साय ६ बजे हुई तथा दुस्तर प्रशासनिक समस्या के बीच ब्रिटेन ने आदिष्ट प्रणाली की समाप्ति कर दी जिसके कारण ब्रिटिश कर दाताओं को १३० करोड़ रुपये का खर्चा उठाना पड़ता था। दस मिनट के भीतर-भीतर ही अमेरिका ने इजराइल को सरकारी मान्यता की घोषणा की। इस घोषणा को महासभा में एक घंटे पश्चात् पढ़ा गया। मिस्री प्रतिनिधि महुमूद वे फौजी ने उसी समय घोषित किया “फिलस्तीन समस्या पर चर्चा जारी रखना एक चिडम्बना है, जो महासभा तथा समस्त राष्ट्रसंघ के लिए उचित नहीं है। जो भी कार्यविधि इस सम्बन्ध में अपनाई गई, वह तो महज मजाक होकर रह गई। ५८ राष्ट्रों को जो इसके गिकार थे, यह पता ही नहीं लगा कि रंगमंच के पीछे क्या घटना-चक्र चल रहा है। यह कार्य समुक्त राष्ट्र संघ पर ही नहीं अपितु समस्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर भी एक प्रहार है। महासभा के सदस्यों को धोखे में रखा गया है।”

इसी बीच इजराइल पर अरब आक्रमण प्रारम्भ हो गये। मिस्र, साऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, ईराक और जोर्डन ने सभी तरफ से इजराइल (फिलस्तीन) पर हमला कर दिया। यह लड़ाई इतनी भयंकर रही कि फिलस्तीन की आधी अरब आवादी को अपने घरों को छोड़ कर शरणार्थी बन जाना पड़ा। ये शरणार्थी विभिन्न पड़ोसी अरब राज्यों में जा बसे। अरबों को लगातार कई बार हार खानी पड़ी लेकिन अन्त में मिस्र के नेतृत्व में वे गाजा पट्टी पर अधिकार जमाने में नफल रहे। २६ मई को सुरक्षा परिषद् ने युद्ध विराम की आज्ञा जारी की और समुक्त राष्ट्रसंघ के मध्यस्थ के रूप में काउंट वर्नोट के निरीक्षण में अमेरिकी, ब्रिजियम और फ्रान्क के प्रेक्षकों की नियुक्ति की। इसके फलस्वरूप चार सप्ताह तक शांति रही और उसके बाद पुनः लड़ाई छिड़ गई। फिलस्तीन की उच्च-स्वतंत्र अरब समिति ने घोषणा की, “अरबी क्षेत्र में यहूदी राज्य कायम करने का यत्नियों का कोई भी प्रयास दमन की कार्यवाही समझी जायेगी और सुरक्षा के नियमों के तहत उनका मुकाबला किया जायेगा।” जुलाई में सुरक्षा परिषद् द्वारा एक अन्य युद्ध-विराम आज्ञा जारी की गई जो केवल अगस्त तक कायम रह

गयी। उसके बाद दक्षिणी फिलस्तीन के नजीब क्षेत्र में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। १८ नवम्बर १९४८ में संयुक्त राष्ट्रसंघ के अध्यक्ष काउंट बर्नडोट की यत्नशालीय में

WAR AND TRUCE AGREEMENT

1948-1949



हत्या कर दी गई। इनके स्थान पर उनके एक अमेरिकी सहकारी डा० राल्फ बुच को स्थापनापन्न मध्यस्थ नियुक्त किया गया। १ दिसम्बर, १९४८ को जोर्डन ने अरबी-फिलस्तीन पर अपने अधिकार की घोषणा की। १० दिन बाद जनरल अर्नेस्टो ने तुर्की, फ्रांस और अमेरिका को लेकर एक समझौता आयोग (कमीशन) की स्थापना की।

यह बात ध्यान में रखने की है कि इजराइल राष्ट्र के जन्म की घोषणा होने के कुछ मिनटों के भीतर ही प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने इजराइली गणतन्त्र को वास्तविक मान्यता प्रदान की। तीन दिन बाद सोवियत संघ ने नए राज्य को कानूनी मान्यता की घोषणा की। यहूदी, उटली और जेकोस्लोवाकिया ने चोरी टिपे युद्ध नामची लाने तथा अमरीकी यहूदियों से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता पाने में सफल हुए। इन तरह उन्होंने अरबी आक्रमण का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। अरब राज्यों द्वारा घोर विरोध किये जाने के बावजूद भी मई में इजराइल को संयुक्त राष्ट्र संघ में ५६ वे सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। जे. थुंन द्वारा लगातार भारी प्रयास के बाद रोट्टेन द्वीप में २४ फरवरी में २० जून १९४९ के बीच चार युद्धविनाश

ममभौतो पर हस्ताक्षर हुए। मिल्, सीरिया लेवनान, जोर्डन और इजराइल ने वायदा किया कि वे सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन लौसान में बाद की वार्ता अमफल हो गई और शांति की अन्तिम शर्तों पर समझौता नहीं हो सका।

२५ मई १९५० को फ्रॉम, ब्रिटेन तथा अमेरिका ने त्रिपक्षीय घोषणा जारी की। इन तीन राष्ट्रों की घोषणा में यह कहा गया कि तीनों सरकारें इस बात को स्वीकार करती हैं कि अरब राज्यों और इजराइल को अपनी अपनी आन्तरिक सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए कुछ सीमा तक सशस्त्र सेनाएँ रखनी चाहिए। उन्होंने अरब राज्यों और इजराइल के बीच शस्त्रों की होड़ के विरुद्ध घोषणा की। उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया कि शस्त्रों को खरीद करने वाला राज्य किसी दूसरे राज्य के प्रति कोई भी आक्रमक कार्य नहीं करेगा। इस क्षेत्र में अपने अपने महान् हित के कारण तीनों सरकारें सीमा अथवा युद्ध-विग्राम-रेखा उल्लंघन के किसी भी कार्य को चोक्ने के लिये तत्क्षणावधि वदम उठायेगी।

अरब-इजराइली युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए।

(१) इजराइल का जन्म—एक सशस्त्र शिविर के वातावरण में पैदा हुई लडाइयों में इस नये यहूदी राज्य का जन्म हुआ। इसके अस्तित्व में आने के प्रथम ५ वर्षों में बाहर से आये ७ लाख १८ हजार नये यहूदियों ने इजराइल की नागरिकता स्वीकार की। यह सख्या लगभग उतनी ही थी जितनी सख्या में अरबियों को इजराइल में खदेड़ दिया गया था। इन यहूदियों में से ४७ प्रतिशत यूरोप, ३४ प्रतिशत एशिया और १५ प्रतिशत अफ्रीका से आये। युद्ध से इजराइल को एक बहुत बड़ा फायदा यह हुआ कि उसके प्रदेश का क्षेत्रफल २० हजार वर्ग मील बढ़ गया और इस तरह इसका क्षेत्रफल संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा नियत ५६०० वर्ग मील से बढ़ कर ७६०० वर्ग मील हो गया।

इस राज्य का वर्तमान क्षेत्रफल ८०५० वर्ग मील और इसकी आबादी १५ लाख है। वास्तव में आज इस नये यहूदी राज्य की शक्ति के श्रोत जातीय एकता तथा विदेशी यहूदियों से प्राप्त होने वाली पर्याप्त आर्थिक सहायता है।

(२) अरब को लाभ—मिन्नी मेना ने गाजा पट्टी पर जिसमें दो लाख अरबी नगरवासी आकर बस गये हैं कब्जा कर लिया और जोर्डन के शाह अब्दुला ने अरबी फिनिसीन के शेष भागों पर अधिकार जमा लिया।

(३) यरुशलम नगर का विभाजन—युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम ३ अप्रैल १९४९ को हुआ, उजगाटल-जोर्डन युद्ध-विग्राम समझौता था जिसके अनुसार यरुशलम नगर का विभाजन हो गया। विभाजन में बने नये नगर जिसकी आबादी १ लाख है श्री-जिमनी अधिपत्य आवादी यहूदियों की है उजगाटल के हाथ पडा और

जोर्डन के हाथ पुराना नगर पडा जिसकी आबादी ५० हजार है जिसमें अधिकांश अरबी हैं। कोई भी पक्ष इनके पक्ष को वहाँ से निकाल नहीं सका। नगर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक ऐसा क्षेत्र बनाया जिसमें कोई आबादी नहीं है और जो अरबी व यहूदी क्षेत्रों के बीच सीमा का काम करता है। इजराइल यरुशलम को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं बल्कि उनमें अपना विदेश विभाग तेलअवीव से हटाकर नये नगर में स्थापित कर दिया है।

(४) अरब शरणार्थी समस्या — युद्ध से लगभग ६ लाख अरबी बेघर हो गये जो समस्या अरबी लोगों के लिए एक राजनैतिक तथा आर्थिक चुनौती बन गई। यद्यपि मयूक्त राष्ट्र सभ ने कई बार सिफारिश की कि अरबी शरणार्थियों को इजराइल में लौटने की सुविधा दी जाय लेकिन इजराइल सरकार का कहना है कि अरबी शरणार्थियों को इजराइल से निकाला नहीं गया बल्कि उन्होंने स्वच्छा से अपने घरों का त्याग किया इसलिए नया राज्य उन्हें स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं। दलील दी गई है कि अरब राज्यों द्वारा इजराइल के साथ शांति-सन्धियाँ करने में इन्कार करने पर अधिक संख्या में शरणार्थियों को इजराइल लौट आने से भयकर आन्तरिक उपद्रव पैदा हो सकते हैं। उनके अनिश्चित इजराइल का उद्देश्य विश्व के पीड़ित यहूदियों को बसाने के लिए स्थान की व्यवस्था भी करना है। जबतक इस समस्या का हल नहीं निकलता अरब-इजराइली सम्बन्धों में सुधार नहीं हो सकता।

(५) जोर्डन और मिस्र तथा नाऊदी अरब और जोर्डन में मतभेदों के कारण अरब लीग का आर्थिक विघटन।

(६) अरब राज्यों की सैनिक शक्ति के पुनर्गठन की आवश्यकता। (७) अरब राज्यों द्वारा इजराइल की आर्थिक नाकेबन्दी। (८) मिस्र द्वारा इजराइली जहाजों को स्वेज में स्वतन्त्र जहाजरानी अधिकार न देना। (९) जोर्डन तथा यार्मुक नदियों पर अधिकार के विषय में इजराइल और जोर्डन में तनाव तथा (१०) सीमाओं का निर्धारण न होने के कारण सीमा विवादों का पैदा होना।

३ मध्यपूर्व देशों के परस्पर सम्बन्ध में तेल का स्थान

मध्यपूर्व में अब नये महत्वपूर्ण घटना २ लाख बर्ग मील की ऊँची नीची भूमि की तह में विनाश तेल भण्डार की खोज थी। यह तेल भण्डार ईरान, ईराक, माल-मागर और ईरान की गार्दी के बीच अरबी प्रायद्वीप के देशों में फैला हुआ है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए पेट्रोलियम तेल की पर्याप्त सप्लाई बहुत आवश्यक है। क्योंकि यन्त्र, जल, तथा हवाई मार्गों का यानागत तेल पर ही निर्भर है। युद्ध काल में कारो, मोटर गाड़कियों, ट्रकों, टैंक, रेल उजिन, व्यापारी जहाज, तथा युद्ध-

पोत, विमान वाहक जहाज, पनडुब्बी जहाज तथा विभिन्न प्रकार के लडाकू तथा वम-मारक विमानों को चलाने में केवल तेल ही सहायक हो सकता है। यह ठीक है कि भविष्य में जैसी कि आशा है तेल का स्थान अणुशक्ति ले लेगी लेकिन सचालन शक्ति के प्रधान साधन के रूप में वह तेल के महत्व को मिटा नहीं सकती।

आज के विश्व में तेल एक बहुत बड़ी शक्ति है। शांति काल में बड़े उद्योगों तथा यातायात के तरीकों के विकास के लिए तेल बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। युद्ध काल में तेल सामरिक महत्व के क्षेत्रों में उद्योग के विस्तार तथा राष्ट्र को कई दृष्टियों से मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसलिए लडाई की सहायक बातों में तेल का महत्व अनुलनीय है। तेल सप्लाई समस्याओं के पेचीदा बनने तथा राजनैतिक योजनाओं में अनिश्चितता पाये जाने का कारण भूमि में तेल भंडारों का सामान्य वितरण न होना ही है।

जमीन में व्यापारिक महत्व के तेल भंडार अपेक्षाकृत कम हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार विश्व के तेल साधनों का एक तिहाई भाग पश्चिमी गोलार्द्ध (उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका) में पड़ता है। इसमें आधा करीब २ अरब १० करोड़ पीपे तेल अमेरिका के पास है। मैक्सिको सहित दक्षिण अमेरिका के पास अमेरिका का ३ भाग तेल है। मध्यपूर्व में विश्व के कुल तेल भंडार का आधे से भी अधिक भाग पड़ता है। १९५३ के आंकड़ों के अनुसार मध्यपूर्व में लगभग ६ अरब २० करोड़ पीपे तेल है। १९५३ में विश्व में कुल तेल उत्पादन करीब ६० करोड़ टन हुआ जिसमें २० प्रतिशत मध्यपूर्व में हुआ। अन्य देशों में तेल उत्पादन इस प्रकार हुआ अमेरिका में कुल तेल उत्पादन का ५० प्रतिशत भाग, कैरेबियन क्षेत्र में १६ ५ प्रतिशत, सोवियत संघ में ८ ५ प्रतिशत तथा अन्य देशों में ५ प्रतिशत तेल का उत्पादन हुआ।

मध्यपूर्व में तेल का इतिहास ईरान से शुरू होता है। १८७२ में एक ब्रिटिश नागरिक बर्गन डी० गायटर ने ईरान के शाह से देश के प्राकृतिक साधनों की खोज की आज्ञा प्राप्त की। १९०१ में प्जी लगाने वाले एक आस्ट्रेलियाई विलियम नोक्स डी० आर्नी जो बुन लाभ की १६ प्रतिशत गारन्टी तथा प्रारम्भ में कुछ पैसा अदा करने पर पाउप लाउन डालने की मुविधा प्राप्त हुई। कुछ वर्षों तक काफी खोजबीन के बाद १९०८ में गन्ट्ज के पास ११८० फीट नीचे मध्यपूर्व के प्रथम तेल भंडार का पता लगा। १९०९ में आगल-ईरानी तेल कम्पनी लिमिटेड ने तेल निकालने का काम शुरू किया। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान में ईरान का तेल भंडार क्षेत्र जो ५ लाख वर्गमील में फैला हुआ है विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादन केन्द्र बन गया। १९३३ में शाह रेजा ने आगल-ईरानी तेल कम्पनी को ६० वर्ष तक तेल निकालने की नई मुविधा दी। लेगिन नेत्र निताने का क्षेत्र घटाकर १ लाख वर्गमील कर दिया गया। १९५० तक

ईरानी तेल भंडारों से २४२,४७५,००० पीपे तेल जो विश्व के कुल तेल उत्पादन का एक पन्द्रहवाँ हिस्सा था निकाला गया। ईरानी तेल भंडार और तेल शोधक कारखाने कर्हून नदी के मुहाने के पास अवादान के निकट स्थित हैं।

१९११ में तुर्की पेट्रोलियम कम्पनी ने जर्मन तथा ब्रिटिश पूंजी की सहायता में दजला फरात (Tigris-Euphrates) घाटी में पेट्रोल की खोज शुरू की। प्रथम विश्व युद्ध में इस कम्पनी को मोमुल और वगदाद की घाटियों में तेल निकालने की मुविधा प्राप्त हुई। इन घाटियों में तेल भण्डार की नई खोज हुई थी। २४ अप्रैल १९२० को हुए सानरीमो सम्झौते के अनुसार कम्पनी का २५ प्रतिशत जर्मनी का शेयर फ्रांस को दे दिया गया इसके परिणामस्वरूप अमरीकी तेल कम्पनियों ने इस कदम का विरोध किया और सभी के लिए द्वार खुला रखने की नीति अपना देने की माग की। १९२८ में तुर्की पेट्रोलियम कम्पनी में कई अमेरिकी तेल कम्पनियाँ शामिल हो गईं और इसका नाम ईराक पेट्रोलियम कम्पनी हो गया। १९२९ में यह कम्पनी रायल डच शेल, साईफ्रांसिस डीस पेट्रोलस, नियम ईस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन, स्टैंडर्ड आयल कम्पनी और मौकोनी बैकम आयल कम्पनी के सहयोग से एक अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनी बन गई। १९५२ में इसका वार्षिक उत्पादन लगभग १४ करोड़ पीपे हो गया।

१९२५ में बेहरिन में तेल निकालने की प्रथम मुविधा एक ब्रिटिश कम्पनी को मिली। दो वर्ष बाद यह मुविधा कैलिफोर्निया की स्टैंडर्ड तेल कम्पनी को दे दी गई। ब्रिटेन द्वारा भारी विरोध के बावजूद अमेरिका ने स्टैंडर्ड आयल कम्पनी की सहायता से बेहरिन पेट्रोलियम कम्पनी की स्थापना कर दी। १९३४ में ५५ वर्ष के पट्टे पर इस कम्पनी को तेल निकालने की मुविधा मिली। १९३६ में टेक्सास कम्पनी बेहरीन पेट्रोलियम कम्पनी की हिस्सेदार बन गई।

१९३३ में कैलिफोर्निया की स्टैंडर्ड आयल कम्पनी को शाह इब्न नाज्द ने नाज्दी अरब के ६ लाख १७ हजार वर्ग मील क्षेत्र में तेल निकालने की स्वीकृति मिली। १९३६ में टेक्सास कम्पनी अरब में तेल के मुनाफे में आधे की भागीदार बन गई जिसे परिणामस्वरूप १९४४ में इसका नाम बदल कर अरबी अमरीकी आयल कम्पनी रख दिया गया जो अब 'आरामको' (ARAMCO) नाम से विख्यात है। १९५३ में नाज्दी अरब में तेल का वार्षिक उत्पादन ३० करोड़ पीपे तक पहुँच गया जो सन्तार के कुल तेल उत्पादन का लगभग एक पन्द्रहवाँ भाग था और जो एशिया के किसी एक राजनीतिक एतक के अन्दर सर्वाधिक उत्पादन था।

ईरान की प्राचीन केन्द्रीय क्षेत्र में कुवेन शेख-राज्य (Sheikhdom of Kuwait) में तेल निकालने की गवने पहले आज्ञा १९१३ में ब्रिटेन को प्राप्त हुई।

वाद में यह सुविधा एक अमरीकी कम्पनी को, जिसका नाम गल्फ आयल कम्पनी है, सौंप दी गई। १९३४ में कुवेत तेल कम्पनी की स्थापना की गई। इस कम्पनी में गल्फ आयल कम्पनी और आगल-ईरानी कम्पनी का बराबर का हिस्सा है। १९५० वर्ग मील का छोटा सा कुवेत शेख-राज्य तेल भण्डार की दृष्टि से मध्य-पूर्व के राज्यों में सबसे धनी राज्य है। १९५४ में तेल विशेषज्ञों द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार वहां २०० करोड़ पीपे तेल का भण्डार था जो विश्व उपलब्ध कुल तेल भण्डार के एक सातवें भाग से कुछ अधिक था। १९५३ में कुवेत में ३१ करोड़ पीपे तेल का उत्पादन हुआ। इसमें से अधिकांश इसके प्रमुख बरगन तेल भण्डार क्षेत्र से निकाला गया। १९५१ में कम्पनी को तेल निकालने की जो स्वीकृति प्रारम्भ में ७५ वर्ष के लिए मिली थी उसकी अवधि शेख-अब्दुल्ला-अल-सलीम के साथ ५० प्रतिशत रायल्टी के समझौता के आधार पर १७ वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। १९५२ में उन्हें रायल्टी के रूप में ८० करोड़ रुपये (१६० मिलियन डालर) प्राप्त हुए। लेकिन दूसरी और सबसे बड़ी समस्या उन्हें अपने १,६०,००० निराश्रित प्रजा के कल्याण की थी।

१९३५ में इरान की खाड़ी के पाम कातार (Qatar) के शाह ने अपने राज्य के ५ हजार वर्ग मील क्षेत्र में आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी को २५ वर्ष तक तेल निकालने की स्वीकृति दी। १९५३ में कातार में ३ करोड़ २० लाख पीपे तेल का उत्पादन हुआ। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस तेल भण्डार में १५ करोड़ पीपे तेल है। कानून में तेल उत्पादन के विषय पर ईरान, साऊदी अरब, और कुवेत, बेहरीन तथा कातार के शेखों में बड़ा विवाद चलता रहा है। १९४९ तक यह समस्या केवल वाद-विवाद का ही विषय रही जब कि केलिफोर्निया की मुपीरियर आयल कम्पनी ने कुएँ खोदने का अधिकार प्राप्त कर लिया।

अमेरिकी कम्पनी के निरीक्षण में तुर्की में तेल उत्पादन बड़ा भीमिति रहा है। १९५० में रमन दाग तेल क्षेत्र में तेल का पता लगा लेकिन वह तेल बड़ा घटिया किस्म का था। उसका उत्पादन प्रति वर्ष केवल १ लाख ७८ हजार पीपे था। १९४८ में मिश्र सरकार ने देश के तमाम प्राकृतिक साधनों पर अपना सीधा नियंत्रण कायम कर लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि १९४९ में मिश्र की स्टेटर्ड आयल कम्पनी द्वारा किए जा रहे तेल की खोज के कार्य स्थागित हो गये। यह कम्पनी न्यूजर्सी की स्टेटर्ड आयल कम्पनी की साथ कम्पनी थी जो १२ वर्षों में खोज का काम कर रही थी। नवम्बर १९५० में मिश्र की नेशनल पेट्रोल कम्पनी की स्थापना हुई। १९५० तक मिश्र अपने देश के तेल भण्डार का पता लगाने के लिए विदेशी सहायता तथा टेक्निशियनों की खोज में मटकता रहा है। १९५३ में मिश्र केवल २० लाख पीपे तेल का उत्पादन निकाल सका।

इस तरह इस समय मध्य पूर्व में तेल निकालने वाली निम्नलिखित ८ प्रमुख विदेशी कम्पनियाँ हैं जो निम्नलिखित अनुपात में तेल उत्पादन करती हैं

अमेरिकन	१. स्टैंडर्ड आयल कम्पनी, केलिफोर्निया	} उनसे ४० प्रतिशत उत्पादन होता है।
	२. स्टैंडर्ड आयल कम्पनी, न्यूजर्सी	
	३. मेकोनी-वेकम आयल कम्पनी	
	४. टेक्सास आयल कम्पनी	
	५. गल्फ आयल कम्पनी	
ब्रिटिश	६. आंग्ल-ईरानी आयल कम्पनी	—४० प्रतिशत
ब्रिटिश और डच	७. आंग्ल-सैक्सन पेट्रोलियम कम्पनी (रायल डच शैल)	—१४ प्रतिशत
फ्रांसीसी	८. साई फ्रांसिस डीस पेट्रोलैम (Cie Francaise Des Petroles)	—६ प्रतिशत

अरब प्राय द्वीप के प्रत्येक क्षेत्रों, अदन, यमन, मुस्कत, ओमान तथा ट्रुगियल शेख-राज्य (Trucial Sheikhdome) में तेल भण्डार की खोज जारी है। १९५६ तक मध्यपूर्व के तेल क्षेत्रों से लगभग ८,७००,०००,००० पीपे तेल निकाला गया (१९५५ में विश्व में तेल के उत्पादन के लिए देखो परिशिष्ट ३)। अभी भी इन तेल क्षेत्रों में करीब १४४० करोड़ पीपे तेल और है, ऐसा अनुमान है।

इस प्रकार इन तेल क्षेत्रों से तेल निकालने के व्यापार में अधिकांश विदेशी शेयर ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और अमेरिकी कम्पनियों के हाथ में है। इस तरह व्यापारिक दृष्टि से इन कम्पनियों का प्रभाव इन देशों की जनता के जीवन पर पर्यन्त है। पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख तेल उत्पादक कम्पनियों ने बड़े तेल निर्यातक देशों की सरकारों को प्रति वर्ष रायल्टी के रूप में नाहते तीन अरब से भी अधिक रकवा दिया है। अन्य में लग्गी पाइप लाइनों के निर्माण होने योग्य जल की व्यवस्था (आगामकों द्वारा ११०० मील लम्बी पाइप लाइनों का निर्माण), विद्यालय शोधक कारखाने तथा वहाँ के मजदूरों को अच्छी तनखाह की व्यवस्था के बावजूद वहाँ की जनता को विशेष लाभ नहीं हुआ है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार जबकि ईरान और ईजिप्ट में प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय आय ४२० रु० है, नाऊदी अरब में २१० रुपये है। वास्तव में वहाँ के तेल की आय का अधिकांश भाग आम जनता के ह्वागु के लिए प्रयोग न कर शाही परिवारों तथा उनके विश्वान-प्राप्त मन्दारों व अधिकारियों की फिज़ून जर्चों में नमाप्त हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ तेल ने भारी आय के बावजूद भी वे देश गरीबी से ज़रूटे हुए रहते हैं।

मध्य-पूर्व में तेल समस्या कई कारणों से अत्यन्त पेचीदी बन गई है

प्रथम कारण पश्चिमी देशों—ब्रिटेन, फ्रान्स और डच के व्यापारिक हित है। हामकिन के अनुसार १९५२ में अमेरिका का तेल ढोने के जहाजों तथा यूरोपीय तेल शोधक कारखानों पर खर्च को छोड़ कर, तेल व्यापार में २ बिलियन डालर या १०० करोड़ रुपया लगा हुआ था। मध्यपूर्व में यूरोपीय देशों की अधिकांश तेल के निर्यात न वहाँ के उद्योगों और यातायात साधनों में बड़ा भारी विकास हुआ है। मध्य-पूर्व में तेल की कम कीमत तथा सस्ते यातायात और स्थानीय तेल की माग के अभाव के कारण इसमें आश्चर्य नहीं कि पश्चिमी देश, मध्य-पूर्व पर अपना प्रभाव जमाये रखने के लिए बड़े प्रयत्नशील रहेंगे।

दूसरा कारण है सामरिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी समस्या। उत्तर अतलांतिक संधि संगठन के निर्माताओं का विश्वास है कि यदि स्वतंत्र विश्व को साम्यवाद के प्रभाव से बचाना है तो पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस दिशा में उनकी योजना पर्याप्त पुनः शस्त्रीकरण और तीसरे विश्व युद्ध की दशा में सुरक्षा के लिए एक मजबूत मोर्चा तैयार करना है। मैनिंक सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट है कि पश्चिमी देशों की सुरक्षा मोर्चा के लिए मध्य पूर्व की तेल की सप्लाई पर पश्चिमी देशों का एकाधिकार रहना आवश्यक है। यह स्मरण रखने योग्य है कि शान्तिकाल में भी अमेरिका में तेल की खपत विश्व की कुल खपत का दो तिहाई भाग है। इस प्रकार पश्चिमी यूरोप के उद्योगों तथा यातायात व्यवस्था के लिए अमेरिका पर्याप्त तेल सप्लाई नहीं कर सकता। नाटो राष्ट्रों का सबसे पहला उद्देश्य सोवियत संघ को मध्य-पूर्व के तेल भण्डार में वित्कुल बचिन रखना है जो कि भौगोलिक दृष्टि से उसके निकटतम है, क्योंकि वह उनका सम्भावित शत्रु है।

तीसरे, सोवियत प्रभाव का सबसे अधिक खतरा यमन, सीरिया और मिस्र में है जहाँ १९५५ में कम्युनिस्ट प्रभावों के परिणामस्वरूप सीमा मत-भेद तथा ब्रिटेन और इजरायल के साथ पुनः भगड़े शुरू हो गये हैं। अमेरिकी प्रेम के विचार में सोवियत संघ के लिए तेल एक बहुत जरूरी वस्तु है और हाल के वर्षों में तेल की कमी के कारण ही सोवियत संघ किसी भयंकर लड़ाई का समर्थन नहीं कर सका है। इसमें शक नहीं किया जा सकता कि मध्य पूर्व में काफी मात्रा में पेट्रोलियम का होना वहाँ के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण बन गया है। १९४४ में १९६९ तक सोवियत संघ द्वारा ईरान में विश्व के सबसे सम्पन्न तेल क्षेत्रों में प्रवेश का प्रयत्न पूर्णतया असफल रहा। लगभग समस्त प्रमुख तेल क्षेत्र और तेल शोधक कारखाने सोवियत संघ के क्षेत्र में होने पाने हैं जिससे आसानी से वहाँ हमारी कर सकता है। संघ का महाशक्ति बनने के लिए यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि में बहुत कमजोर

है। इस के दृष्टिकोण से मध्य-पूर्व के तेल क्षेत्र नाटो राष्ट्रों की औद्योगिक विकास के लिए बहुत बड़े साधन है। इसलिए इस यूरोपीय राष्ट्रों को तेल मप्लाई भग करने के लिए भरमक प्रयत्नशील

मध्य-पूर्व के बड़े तेल उत्पादक देशों की आंतरिक अस्थिति तथा राष्ट्रमति नामर के नेतृत्व में अरब राष्ट्रीयता के आंदोलन ने आग में ईंधन का काम किया। उदाहरण के लिए आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी के राष्ट्रीयकरण से यह स्पष्ट है कि वहा की जनता अपने वहा के तेल के भारी मुनाफे द्वारा अपना जीवन स्तर उठाने के लिए पूरे जोर शोर से प्रयत्नशील है। इस तरह राष्ट्रीयता की भावना बड़ी बलवती हो गई है और अमेरिकी तथा ब्रिटिश तेल कम्पनियों पर अधिकार जमाने की हर प्रकार ने प्रयत्न कर रही है। साऊदी-अरब, ईरान और ईराक के राजस्व के प्रमुख साधनों में तेल रायल्टी भी एक प्रमुख साधन है। अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की विध्वंसान्मक कार्यवाहियों से उक्त क्षेत्र की रक्षा के लिए पश्चिमी राष्ट्र उक्त क्षेत्रों को प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए प्रयत्नशील है जिनमे वहाँ गरीबी, निरक्षरता और बीमारियों को दूर किया जा सके। भौगोलिक दृष्टि से काफी निरूढ होने के बावजूद सोवियत नष उक्त क्षेत्र पर अब तक अपना प्रभाव फँला नहीं सका है।

४ स्वेज नहर प्रश्न

उन्नीसवीं शताब्दी में स्वेज नहर का तुलना और भाग से चलने वाले जहाजों के आविष्कार ने समुद्री जहाजरानी में क्रांति पैदा कर दी। बहुत पहले आठवीं शताब्दी में फ्रा-इस्यमम नहर खोदने की एक योजना बनाई गई थी किन्तु उस सिलसिले में वास्तविक प्रयास १९ वीं शताब्दी में ही शुरु हुआ। ऐसा देखा गया कि स्वेज नहर बन जाने ने सुइडहोप अन्तरीप ने होकर पूरव की खतरनाक यात्रा लगभग ५ हजार मील कम हो जायगी। १८५४ में फर्डिनन्ड डी लेनेप्स नामक एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने, जो मकन्दरिया में वाणिज्य दूत का काम कर रहा था, मिस्र के न्यायिक (तुर्की के वायनराय) को मुभाव दिया कि 'वारी भंगल (विटर लेट) और निमायनेक से होने हुए स्वेज की खाड़ी ने भू-मध्यसागर तक एक सीधा नहरी रास्ता नैयान किया जाय। फ्रांसीसी इंजीनियर लेनेप्स द्वारा मगठित एक मिस्री इम्प्राइट स्टोक कम्पनी 'फ्रेंचोनी यूनिवर्सल ड् कैनल मेरी टाइम डी स्वेज' को टर्की के मुलतान ने एक फर्मान द्वारा नहर बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई।

स्वेज मेरी टाइम नहर के निर्माण तथा व्यापार के स्वीकृति सम्बन्धी प्रारम्भिक कानून पत्र ३० नवम्बर १८५४ को काहिरा में हस्ताक्षर हुए। कानून के अनुसार उक्त कम्पनी या नहर पत्र २९ वर्ष के लिए अधिगान स्वीकार किया गया।

तय हुआ कि नहर निर्माण का सारा खर्च कम्पनी बर्दाश्त करेगी और मिस्र सरकार कम्पनी से प्रतिवर्ष कुल मुनाफे का १५ प्रतिशत तथा सरकार जितनी पूजा लगायेगी उस पर व्याज तथा लाभांश लेने की हकदार होगी। शेष मुनाफे का ७५ प्रतिशत कम्पनी के हिस्सेदारों को तथा १० प्रतिशत उन सदस्यों पर व्यय करना तय हुआ जो इसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। कम्पनी के डायरेक्टर की नियुक्ति मिस्र सरकार द्वारा शेयर होल्डरों (हिस्सेदारों) में से की जायेगी। स्वेज नहर में से गुजरने का व्यय सभी राष्ट्रों से एक दर से बसूल किया जायेगा और किसी भी देश को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जायेगी। कम्पनी को प्राप्त स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद मिस्र सरकार कम्पनी को अपने हाथ में ले लेगी और नहर पर उस का पूर्ण अधिकार कायम हो जायेगा लेकिन इसके साथ ही उसे कम्पनी की मशीनों तथा मूल सम्पत्ति के लिए मुआवजा अदा कर देना होगा।

उक्त कानून के बाद नहर के निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति पत्र पर ५ जनवरी १८५६ को सिकन्दरिया में हस्ताक्षर हुए। मिस्र की ओर से वायसराय महमूद सडद पाशा ने और यूनिवर्सल कम्पनी की तरफ से लेसेप्स ने हस्ताक्षर किये। इस समझौते के अनुसार कम्पनी को मिस्र सरकार ने नहर क्षेत्र के किनारे तमाम भूमि को बिना किसी किराये अवकाश के उपयोग करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इसके अतिरिक्त मिस्र में नहर निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों के आयात को आयात-कर में छूट दे दी गई। अनुच्छेद १४ में कहा गया है "हम अपनी ओर से तथा अपने उत्तराधिकारियों की ओर से अपय लेकर घोषणा करते हैं कि ग्रेड मेरी टाउम नहर का द्वार सभी व्यापारी जहाजों के लिए एक समुद्र में दूसरे समुद्र में प्रवेश करने के लिए एक तटस्थ मार्ग के रूप में, बिना किसी व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय भेदभाव के, कर् अदा करने पर हमेशा खुला रहेगा।" कम्पनी की उक्त शर्त की मियाद ६६ वर्ष के लिए निर्धारित की गई। नहर निर्माण का कार्य १८५६ में शुरू किया गया और १० वर्ष बाद १७ नवम्बर १८५६ को पोर्ट सईद में स्वेज तक रेगिस्तान में से होती हुई १०३ मील लम्बी नहर यातायात के लिए चालू हो गई। ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस नहर के कठोर निर्माण में १ लाख २० हजार मिनिया जो अपने प्राणों में हाथ धोना पडा। ब्रिटेन ने नहर के महत्व का अनुभव कर ६ वर्ष बाद १८७५ में मिस्र के न्वादिब इम्पैटल ने नहर के १,७६,६०० शेयर ३ ६७६ ५८२ पाउंड में खरीद लिए। उस समय ब्रिटिश सरकार के पास नहर कम्पनी ३ कुन ८०० ००० शेयर्स में से ३५३,५०४ शेयर्स अर्थात् कुल के ४४% प्रतिशत नगर हैं। कम्पनी का न्वायलन ३२ डायरेक्टर्स द्वारा होता था जिनमें से १६ फ्रांसीसी, ६ ब्रिटिश ५ मिस्री एक अमेरिकी और एक टर्क था। उस प्रकार नहर कम्पनी के

अधिकांश शेयर विदेशी सरकारों अथवा विदेशी प्रजाजनों के पास थे। नहर कम्पनी को प्राप्त सुविधा की अवधि १९६८ में समाप्त होने वाली थी जिसके बारे में मिस्र सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि उक्त सुविधा की अवधि बढ़ाई नहीं जायेगी।

२९ अक्टूबर १८८८ को ब्रिटेन, जर्मनी, आस्ट्रिया, स्पेन, फ्रान्स, इटली, नीदर-लैंड, रूस और तुर्की में (जिसके साम्राज्य में मिस्र भी शामिल था) कांस्टेंटिनोपल सम्झौते पर हस्ताक्षर हुए। सम्झौते के अनुच्छेद १ में कहा गया है : "स्वेज नहर का द्वार शांति और युद्धकाल में हमेशा सभी व्यापारी जहाजों अथवा युद्ध पोतों के लिए बिना किसी राष्ट्रीय भेदभाव के खुला रहेगा।" सम्झौते से सम्बन्धित देशों ने तय किया कि वे नहर के स्वतंत्र रूप से प्रयोग पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इस तरह में किसी प्रकार का गतिरोध पैदा नहीं होने देंगे। अनुच्छेद ४ में कहा गया है : "नहर क्षेत्र में तथा इसके प्रवेश की बन्दरगाहों में कोई भी राष्ट्र न तो लड़ाई छेड़ेगा और न ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि नहर के स्वतंत्र यातायात में बाधा उत्पन्न हो।" अनुच्छेद १० में कहा गया है कि "मिस्र के शासक मिस्र की रक्षा तथा शांति कायम रखने के लिए नहर में अपनी सेनाओं का प्रयोग कर सकेंगे।"

प्रारम्भ में स्वेज कैनल कम्पनी का वास्तविक स्वरूप इसलिए जानबूझ कर स्पष्ट नहीं किया गया क्योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीय घोषित होने हुए भी फ्रान्सीसी अधिकार में अधिक थी। यद्यपि कम्पनी के प्रधान कार्यालय सिकन्दरिया में थे लेकिन इसके अन्य कार्यालय पेरिस में स्थापित किए गये। फरवरी १८६६ के एक सम्झौते के अनुसार कम्पनी ने मिस्र के इस अधिकार को मान्यता दी कि वह नहर में रक्षा सेना रख सकता है और आक्रमण होने पर उसकी रक्षा कर सकता है यदि वह नहर नमस्त जहाजों के लिए खुली रहे। यह एक ऐसा पग था जिमने मिस्र के साथ कम्पनी के सम्बन्ध को स्पष्ट कर दिया। नहर क्षेत्र का मिस्र प्रदेश का एक भाग होने का प्रश्न कभी नहीं उठा। परन्तु मिस्र को १८५६ के सम्झौता के अनुसार निर्माण-कार्य में \$ आवश्यक श्रमिक सहायता न दे सकने के कारण ५६,०००,००० फ्रैंक कम्पनी को देने पड़े। इसके अतिरिक्त मिस्र पर नील नदी में काहिरा के निकट निकाली गईं पीठे पानी की नहर (Sweet water canal) को चालू रखने के व्यय का भार भी परावर बना रहा। १८८० में मिस्र ने कम्पनी के कुल मुनाफे का अपना १५ प्रतिशत हिस्सा फ्रान्स को हमेशा के लिए हस्तान्तरित कर दिया। इस प्रकार मिस्र उम महान व्यापारिक लाभ के स्रोत में लगभग पूर्णतया वंचित हो गया जिसके निर्माण में मिस्री साधनों का उतना बड़ा हाथ था। इसके अतिरिक्त १८६९ में पहले जो व्यापार मिस्र के न्यून मार्ग द्वारा होता था वह भी नहर ने समाप्त कर दिया।

अरब के पाशा का विद्रोह असफल हो जाने के परिणामस्वरूप १८८२ में मिस्त्र पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। प्रथम विश्व युद्ध (१९१४-१८) शुरु होने पर मिस्त्र एक ब्रिटिश संरक्षित प्रदेश बन गया। ब्रिटिश शासन ने एक सैनिक आज्ञा जारी कर नहर में शत्रु देशों के जहाजों को गुजरने से मना कर दिया। १९२३ की लीजान माघ के अन्तर्गत तुर्की ने मिस्त्र पर अपने तमाम अधिकारों का परित्याग कर दिया। २८ फरवरी १९२२ को ब्रिटेन ने मिस्त्र की स्वतंत्रता की घोषणा की लेकिन नहर की सुरक्षा के प्रश्न को भविष्य में वार्ता द्वारा तय करने के लिए सुरक्षित रखा। इस सन्धि में स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार किया गया कि यद्यपि नहर ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में संचार का एक प्रमुख साधन है तथापि वह मिस्त्र का एक अविभाज्य अंग है।

१९३६ की आंग्ल-मिस्री संधि ने मिस्त्र को एक पूर्ण सत्ता प्राप्त राज्य घोषित कर दिया लेकिन साथ ही ब्रिटेन को अधिकार दिया गया कि वह नहर को २० वर्ष तक अपने अधिकार में रख सकता है। ६ अगस्त १९३७ को एक अन्य समझौता हुआ जिसके अनुसार नहर कम्पनी में मिस्त्र कर्मचारियों की संख्या ३३ प्रतिशत तक बढ़ा दी गई। इसके अतिरिक्त कम्पनी की आय से मिस्त्र को वार्षिक ३ लाख पाउंड रायल्टी देना तथा हुआ और कम्पनी के डायरेक्टर बोर्ड में दो मिस्री शामिल कर लिये गये। इस प्रकार १८८० के बाद प्रथम बार १९३७ से मिस्त्र को नहर से सीधा लाभ प्राप्त होना शुरु हुआ।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिस्त्र पर पुनः ब्रिटेन का सैनिक अधिकार हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद मिस्त्र ने युद्ध के दौरान में जो धन ब्रिटेन की ओर से व्यय किया था उसके बदले में स्वेज नहर के शेरों को लौटाने की माग की। ७ मार्च १९४६ को काहिरा में कम्पनी और मिस्त्र में एक नये समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के अनुसार नहर के व्यापारिक नियंत्रण तथा संचालन में मिस्त्र एक विशेष भूमिका प्राप्त हिस्सेदार बन गया। कम्पनी के मिस्रीकरण के लिए कम्पनी में मिस्रियों को नौकरी तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। समझौते के अनुसार तय हुआ कि कुल मुनाफे का ७ प्रतिशत जो ३५०,००० पाउंड से कम न हो मिस्त्र को वार्षिक अदा किया जायेगा और कम्पनी के डायरेक्टर बोर्ड में स्थान रिक्त होने पर ५ मिस्री डायरेक्टर और शामिल किये जायेंगे। १९४८-४९ में जब अरब और इजराइल में लड़ाई शुरु हुई, मिस्त्र ने नहर क्षेत्र में ब्रिटिश सेनाओं के हटाने की माग की। मिस्त्र द्वारा उन सम्बन्ध में कई बार विरोध किये जाने के बावजूद ब्रिटेन ने कोई ध्यान नहीं दिया।

१९५० में मिस्त्र ने घोषणा की कि इजराइल जाने वाले तेल जहाजों को रोकने के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो सेना का प्रयोग किया जा सकता है। उनमें

उन सब माल अथवा जनों को ले जाने वाले जहाजों को नहर से गुजरने में रोक दिया जो इजराइली बन्दरगाह से जाएँ अथवा आएँ। अक्रावा की खाड़ी के द्वार की रक्षा तथा इजराइली बन्दरगाह इलाक़ का रास्ता रोक देने के लिए मिनाई प्राय द्वीप के पास तोपें लगा दी गईं। १९५२ में (२६ जुलाई) क्रान्तिकारी युवक नैतिक अधिकारियों के नेता महमूद नजीब ने शासन पर अधिकार कर लिया और शाह फारुक को गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया। जून १९५३ में देश में जनतन्त्र की स्थापना के लिए शाही शासन समाप्त कर दिया गया। १९ अक्टूबर १९५४ को नई मिस्री सरकार और ब्रिटिश सरकार में स्वेज नहर क्षेत्र से ब्रिटिश सेनाओं के निष्क्रमण के सम्बन्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में १३ अनुच्छेद और २ सयुक्तक (Annexures) हैं। अनुच्छेद १ में कहा गया है कि मिस्री प्रदेश में ८० हजार ब्रिटिश सेनाओं को १९ जून १९५६ तक २० महीनों में किस्रो द्वारा पूर्ण रूप से हटा लिया जायेगा। इस समझौते से २६ अगस्त १९३६ को हुई आंग्ल मिस्री संधि समाप्त हो गई। अनुच्छेद ४ में कहा गया है कि अरब लीग के किसी भी सदस्य अथवा तुर्की पर हमला होने की हालत में मिस्र नहर को नैतिक अड्डा बनाने के सम्बन्ध में ब्रिटेन को आवश्यक सुविधायें देगा तथा ज्वतरा समाप्त हो जाने के बाद इन सेनाओं को वापस बुला लिया जायेगा। किसी भी देश पर किसी भी बाहरी देश द्वारा मध्यम आक्रमण की धमकी देने की हालत में मिस्र और ब्रिटेन में अविलम्ब परामर्श होगा (अनुच्छेद ६)। अनुच्छेद ८ में जो सन्धि का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है कहा गया है कि दोनों सरकारें इस बात को स्वीकार करती हैं कि स्वेज नहर जो मिस्र का एक अविभाज्य अंग है आर्थिक, व्यापारिक तथा सामरिक दृष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का जलमार्ग है। निश्चय किया गया कि स्वेज नहर में जहाजरानी की स्वतन्त्रता की गारण्टी सम्बन्धी २९ अक्टूबर १८८८ को कुम्तुनुनिया में हुए समझौते का दोनों देश समर्थन करते हैं। यह समझौता ७ वर्ष तक लागू होना था और इस अवधि के समाप्त होने से १२ मास पूर्व मिस्र और ब्रिटेन को नहर की भावी व्यवस्था के सम्बन्ध में आपस में विचार-विमर्श करना था (अनु० १२)।

स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण (२६ जुलाई १९५६)

उन घटनाओं को समझने के लिए जिनके कारण मिस्र द्वारा स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण हुआ हमें निम्नलिखित बातों का अध्ययन करना होगा. (१) प्रस्तावित मध्यपूर्व सुरक्षा सगठन, (२) मिस्र द्वारा नेटो-सोवियतों से सन्धियों की नरीद तथा (३) आनवान दौध योजना।

(१) मेडो (Medo—मध्यपूर्व सुरक्षा सगठन)—फिनलैंड में ब्रिटेन की आदिष्ट प्रणाली की समाप्ति तथा मिस्र-आदिष्ट समाप्त हो जाने के बाद ब्रिटेन आं

अमेरिका ने मिस्र पर एक समझौते के लिए जोर दिया जिसका उद्देश्य प्रस्तावित मध्यपूर्व सुरक्षा सगठन (मेडो) के अन्तर्गत मिस्र में सैनिक अड्डे कायम करना था। जैसा कि जनरल नजीव ने अपनी 'इजिप्ट्स डेस्टिनी' पुस्तक में लिखा है "अमेरिका ने मिस्र के साथ एक सैनिक समझौते की वार्ता शुरू की तथा यह आश्वासन दिया कि ब्रिटिश सेनाओं के हटने से मिस्र में खाली हुए स्थानों पर रूस के प्रवेश को रोकने में अमेरिका को मिस्र द्वारा सहयोग देने के बदले अमेरिका मिस्र को आर्थिक सहायता देगा।" प्रेसिडेंट नासर के अनुसार यह समझौता मिस्र को स्वीकार नहीं था क्योंकि एक बड़ी शक्ति के साथ एक छोटे देश के समझौते का मतलब छोटे देश का बड़ी शक्ति के मानहान हो जाना है। इसलिए मिस्र ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि वह किसी का पिछू नहीं बनना चाहता।

१९५३ में जनरल रावर्टमन ने मिस्र से ब्रिटेन के साथ एक २५ वर्षीय समझौता करने के लिए वार्ता शुरू की लेकिन मिस्र ने वार्ता भग कर दी। मिस्रियों का कहना था कि एक क्षेत्रीय सुरक्षा समझौता से विस्फोटक स्थिति पैदा होगी जैसी कि आज मध्यपूर्व में कायम है।

(२) शस्त्रों की खरीद—मिस्र पश्चिमी देशों से शस्त्र खरीदना चाहता था और उनका मूल्य नकद चुकाना चाहता था परन्तु पश्चिमी देशों ने पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर बल दिया। वास्तव में मिस्र अपनी सेना को शक्तिशाली बनाना चाहता था जिसमें वह इजराइल की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला कर सके। प्रेसिडेंट नासर के अनुसार "पश्चिमी राष्ट्र मिस्र की उक्त भावना समझ कर यह निर्णय करने में हिचकिचाने लगे कि मिस्र को शस्त्र बेचे जाय अथवा नहीं। हमने शस्त्रों की खरीद के लिए पश्चिमी राष्ट्रों के पास एक शिफ्टमण्डल भेजा लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों ने शस्त्र बेचना अस्वीकार कर दिया।" इसी बीच पश्चिमी राष्ट्रों ने इजराइल को शस्त्र मालाई करना शुरू कर दिया और फ्रॉम को नाटो सेनाओं की सहायता से अल्जीरिया-ईरॉ की हत्या करने में सहायता दी।

इसलिए मिस्र को शस्त्रों की खरीद के लिए रूस से बात चीत शुरू करनी पड़ी। २७ मिनम्बर १९५५ को एक मिस्र-चेकोस्लोवाकिया समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिनमें तय हुआ कि मिस्र को कपास और चावल के बदले २५०० लाख पीड (१०५ करोड़ रुपये) की कीमत के शस्त्र मालाई किये जायेंगे। समझौते में हुए ठेके के अनुसार १०० से भी अधिक एम० आई० जी० जेट लडाकू विमान, २८ छोटे जेट बमबारक विमान, १५०० लाग ने भी अधिक टैंक, कुछ भारी मोविगत टैंक, तोप, विमानमारक तोप हथियार तथा बरीब आधे दर्जन छोटे पनडुब्बी जहाज मिस्र को देना तय हुआ। मिस्र सरकार ने ३ अक्टूबर १९५५ को एक वक्तव्य जारी किया

जिसमें कहा गया कि मित्र पर दबाव डाला जा रहा है कि वह सोवियत गुट के साथ शस्त्र खरीद का समझौता भंग कर दे। कर्नल नामर ने कहा कि मैंने फ्रॉम से शस्त्र मप्लाई को कहा तो उसने शर्त रखी कि यदि मित्र उत्तर अफ्रीका सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन करने तो फ्रॉम उसे शस्त्र मप्लाई करेगा। अमेरिका ने कई राज-नैतिक शर्तें रखी जिनमें एक शर्त यह भी थी कि मित्र पारम्परिक सुरक्षा मन्त्रि में शामिल हो जाय। ब्रिटेन शस्त्र देने को तैयार हुआ लेकिन पर्याप्त मात्रा में मप्लाई करने में असमर्थ रहा। कर्नल नामर ने कहा कि मित्र की नीति विल्कुल स्वतन्त्र रहेगी इसीलिए रूसी शस्त्र हमारे अपने शस्त्र हो जायेंगे और हम उन्हें अपनी इच्छा-नुसार प्रयोग करेंगे। रूस द्वारा मित्र को शस्त्र मप्लाई करना स्वीकार कर लेने पर भारी तूफान उठ खड़ा हुआ। उजराउन ने कहा कि मित्र को शस्त्र मप्लाई करना आश्रमण को प्रोत्साहन देना है। अमेरिकी राजदूत जार्ज एलेन राष्ट्रपति ब्राइजनहावर के एक सन्देश के साथ मित्र खाना हुए लेकिन नामर के इन विचारों को मगभकर सदेव उन्हें नहीं दिया कि मित्र अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा हर कीमत पर करेगा।

(३) आसवान बांध—१९५३ में मित्र सरकार ने मित्र की प्रतिवर्ष ५ लाख बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय आय बढ़ाने के निमित्त १,०००,०००,००० डालर की लागत में एक विशाल ऊँचा बांध बनाने की योजना तैयार की। योजना के अनुसार नील नदी पर बांध बनाना, भूमि मुवार तथा विजली उत्पादन केन्द्र स्थापित करना था। मित्र द्वारा ऋण का अनुग्रह करने पर सबसे पहले ब्रिटेन ने ४५० लाख पाँड (लगभग ६३ करोड़ रुपये) पेशगी देने का वायदा किया जो बाद में घटाकर ५० लाख पाँड (लगभग ७ करोड़ रुपये) कर दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने २००० लाख डालर अथवा १०० करोड़ रुपये ५ वर्ष में किस्तों में देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन इस ऋण के साथ बैंक ने कई शर्तें भी रखी जो निम्नलिखित थीं—आगल अमेरिकी ऋण, मित्री आर्थिक योजना की स्वीकृति, राज्य के व्यय का नियंत्रण तथा बैंक की अनुमति लिये बिना मित्र कोई भी ऐसा भूगतान का समझौता नहीं कर सकता जैसे शस्त्रों की खरीद। अमेरिका ने ७०० लाख डालर (३५ करोड़ रुपये) का अनुदान देने का वायदा किया। मित्र ने उक्त तमाम शर्तों को स्वीकार कर दिया और कहा कि हम कुछ लाख डॉलरों के लिये अपने को बैंक नहीं बनने देंगे कि ऐसा करना हमारी प्रभुमत्ता और स्वतन्त्रता के लिए अन्यन्त हानिकारक है। राष्ट्रपति नामर ने कहा कि अमेरिका उजराउन को ३ करोड़ में ५ करोड़ डॉलर के बीच वित्तीय सहायता दे चुका है तथा इसके अनिश्चित उजराउन के विभिन्न उद्योगों में २१४ मिलियन डॉलर की पूंजी लगाई जा चुकी है। यह बहूत ही आश्चर्य की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर २७० मिलियन डॉलर (१३२ करोड़ रुपये) की व्यवस्था करने का

वायदा किया और मिस्र की ७३० मिलियन डालर (३६५ करोड़ रुपये) की लागत की उपेक्षा करते हुए नियंत्रण लागू किये । १६ जुलाई १९५६ को अमेरिका ने घोषणा की कि वर्तमान परिस्थितियों में योजना में शामिल होना उसके लिये सम्भव नहीं । न्यूयार्क टाइम्स में एक सूचना प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान, ईराक और तुर्की ने मिस्र के आसवान बांध के लिये अमेरिकी ऋण का विरोध किया है क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उन्हें प्राप्त होने वाला ऋण कम हो जायेगा । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा ब्रिटेन ने भी तत्काल अमेरिका की तरह वक्तव्य जारी किये । राष्ट्रपति नासर ने बैंक पर आरोप लगाया कि वह मिस्र पर शर्तें लागू करने में पश्चिमी राष्ट्रों का साथ दे रहा है और इस तरह वह मिस्र की आजादी और अखण्डता को क्षति पहुँचा रहा है । जून १९५६ में सोवियत विदेशमन्त्री शेपीलोव न काहिरा के दौरे में कहा कि सोवियत संघ मिस्र को बिना किसी शर्त के लम्बी अवधि का ऋण दे सकता है । इसी बीच बैंक, ब्रिटेन और अमेरिका ने यह अडगा न्वडा कर दिया कि आसवान बांध का निर्माण उसी हालत में शुरू हो सकता है जब सूडान उसके लिये स्वीकृति दे दे । मिस्र नील नदी से सूडान से वारह गुना अधिक जल उपयोग करता है यद्यपि सूडान और मिस्र की जनसंख्या का अनुपात १ : २ है । इसलिये विशेषज्ञों की राय के अनुसार नील नदी के जल के वितरण के सम्बन्ध में इथोपिया उगाडा, वेतिजयम कागो और सूडान में समझौता आवश्यक समझा गया । पश्चिमी राष्ट्रों में ऐसी चर्चा फैली कि आसवान बांध योजना के लिये मिस्र ने शुरू में पर्याप्त साधनों की व्यवस्था का जो उल्लेख किया था वह अब अनिश्चित जान पड़ता है । यह घोषणा, उस समय हुई जिस समय कि त्रियोनी में श्री नेहरू, टीटो और नासर में वार्ता चल रही थी । कर्नल नासर ने उक्त पश्चिमी राष्ट्रों की ओर मकेन करते हुए कहा 'तुम्हारी घृणा तुम्हारे लिये कब्र बनेगी, अब तुम हम पर शासन नहीं कर सकते क्योंकि हम अब अपना रास्ता समझ चुके हैं ।'

राष्ट्रीयकरण कानून (२६ जुलाई १९५६)

२६ जुलाई १९५६ को सिकन्दरिया में राष्ट्रपति नासर ने मिस्रियों की एक विधान सभा में भाषण देते हुए कहा, "स्वेज नहर के मामले में हम शीघ्र ही अपने नौधे हुए अतिजारों को प्राप्त करने के लिये कदम उठावेंगे ।" उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा, "मैं यहाँ पर यह घोषणा करता हूँ कि भविष्य में मिस्र स्वेज नहर कम्पनी के वापिकर ३६,०००,००० पौड (लगभग ५० करोड़ रुपये) के मुनाफे का हकदार होगा । हम अब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेंगे और जगखोंगे त त मानपना त दुम्नो की यातो में नहीं आयेंगे ।"

राष्ट्रीयकरण कानून में ६ अनुच्छेद है। मित्र नहर कम्पनी एक मित्री ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी बन गई और इसके बोर्ड और पूंजी मित्र सरकार के अधिकार में आ गई। कम्पनी भंग कर दी गई लेकिन हिस्सेदारों (शेयर होल्डरों) को उस समय के शेयरों के भाव के अनुसार मुआवजा देने का वायदा किया गया। इस नयी कम्पनी को वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। कम्पनी की मित्र में तथा मित्र से बाहर की सारी सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया। अनुच्छेद ४ में कहा गया है कि पुरानी कम्पनी के कर्मचारियों को इस्तीफा देने का अधिकार नहीं। इस प्रकार मित्र ने स्वेज नहर के मुनाफे से वार्षिक १ करोड़ डालर (लगभग ५० करोड़ रुपये) लेकर आसन्न बाध योजना को पूरा करने का निश्चय किया। नहर के मुनाफे में मित्र को ३० लाख डालर (डेढ़ करोड़ रुपये) और ब्रिटेन को ७ करोड़ डालर (३५ करोड़ रुपये) मिलते थे। जिस समय कर्नल नामर उपरोक्त घोषणा कर रहे थे उस समय काहिरा स्थित कम्पनी के प्रधान कार्यालयों तथा पोर्ट मईद, इस्माइलिया और स्वेज बन्दरगाह पर मित्री सेना व पुलिस अधिकार जमा रही थी।

स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रति राष्ट्रों की प्रतिक्रिया

मित्र ने स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण निर्धारित अवधि से १२ वर्ष पहले ही कर लिया। मित्र सरकार के स्वेज नहर कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के एक तरफा फैसले ने ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सरकारों में खलबली मच गई। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर एन्थनी ईडन ने कामन्स सभा में घोषित किया कि अमेरिका, फ्रांस तथा दूसरे राष्ट्रमण्डलीय देशों ने तन्मन्वन्धी विचार-विमर्श फौरन प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वेज नहर के मन्वन्ध में मित्र द्वारा की गई स्वेच्छा-चारितापूर्ण कार्यवाही से जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें ब्रिटेन नावधानी तथा दृढता से पग उठाएगा। २७ जुलाई, १९५६ को ब्रिटेन ने मित्र के पाम एक अधिकृत विरोध-पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि मित्र के इस कार्य ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के एक जल-मार्ग पर जहाजगानी की स्वतन्त्रता के नियम गम्भीर पतरा उभराने कर दिया है। तथा उसके जो भी परिणाम होंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी मित्र सरकार पर ही होगी। काहिरा रेडियो ने उन्ही शाम को यह घोषणा कर दी कि मित्र ने ब्रिटेन के विरोध-पत्र को स्वीकार करने में उन्कार कर दिया है। ऐसा उमने उन आधार पर किया कि स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का कार्य मित्र की प्रभु-सत्ता के निर्वध अधिकारों के अन्तर्गत आता है। यह पूरी तरह मित्र के कानून के क्षेत्र का विषय है। उन्ना ही नहीं राष्ट्रीयकरण के कानून का कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है जिसने स्वेज नहर में जहाजों के आवागमन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो।

वायदा किया और मिस्र की ७३० मिलीयन डालर (३६५ करोड़ रुपये) की लागत की उपेक्षा करते हुए नियंत्रण लागू किये । १९ जुलाई १९५६ को अमेरिका ने घोषणा की कि वर्तमान परिस्थितियों में योजना में शामिल होना उसके लिये सम्भव नहीं । न्यूयार्क टाइम्स में एक सूचना प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान, ईराक और तुर्की ने मिस्र के आसवान बांध के लिये अमेरिकी ऋण का विरोध किया है क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उन्हें प्राप्त होने वाला ऋण कम हो जायेगा । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा ब्रिटेन ने भी तत्काल अमेरिका की तरह वक्तव्य जारी किये । राष्ट्रपति नासर ने बैंक पर आरोप लगाया कि वह मिस्र पर शर्तें लागू करने में पश्चिमी राष्ट्रों का साथ दे रहा है और इस तरह वह मिस्र की आजादी और अखण्डता को क्षति पहुँचा रहा है । जून १९५६ में सोवियत विदेशमन्त्री शेपीलोव न काहिरा के दौरे में कहा कि सोवियत संघ मिस्र को बिना किसी शर्त के लम्बी अवधि का ऋण दे सकता है । इसी बीच बैंक, ब्रिटेन और अमेरिका ने यह अड़गा खड़ा कर दिया कि आसवान बांध का निर्माण उसी हालत में शुरू हो सकता है जब सूडान उसके लिये स्वीकृति दे दे । मिस्र नील नदी से सूडान से वारह गुना अधिक जल उपयोग करता है यद्यपि सूडान और मिस्र की जनसंख्या का अनुपात १ : २ है । इसलिये विशेषज्ञों की राय के अनुसार नील नदी के जल के वितरण के सम्बन्ध में इथोपिया उगाडा, वेल्जियम कागो और सूडान में समझौता आवश्यक समझा गया । पश्चिमी राष्ट्रों में ऐसी चर्चा फैली कि आसवान बांध योजना के लिये मिस्र ने शुरू में पर्याप्त साधनों की व्यवस्था का जो उल्लेख किया था वह अब अनिश्चित जान पड़ता है । यह घोषणा, उस समय हुई जिस समय कि त्रियोनी में श्री नेहरू, टीटो और नासर में वार्ता चल रही थी । कर्नल नासर ने उन्नत पश्चिमी राष्ट्रों की ओर सकेत करते हुए कहा 'तुम्हारी घृणा तुम्हारे लिये कब्र बनेगी, अब तुम हम पर शासन नहीं कर सकते क्योंकि हम अब अपना रास्ता समझ चुके हैं ।'

राष्ट्रीयकरण कानून (२६ जुलाई १९५६)

२६ जुलाई १९५६ को मिकन्दरिया में राष्ट्रपति नासर ने मिस्रियों की एक विधान सभा में भाषण देते हुए कहा, "स्वेज नहर के मामले में हम शीघ्र ही अपने योग्ये हुए अग्रिमार्ग को प्राप्त करने के लिये कदम उठावेंगे ।" उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा, "मैं यहाँ पर यह घोषणा करता हूँ कि भविष्य में मिस्र स्वेज नहर कम्पनी के वापिक ३६,०००,००० पाँड (लगभग ५० करोड़ रुपये) के मुनाफे का हकदार होगा । हम अब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेंगे और जगजगो तथा मानप्रता के दुश्मनों की बातों में नहीं आयेंगे ।"

राष्ट्रीयकरण कानून में ६ अनुच्छेद हैं। मित्र नहर कम्पनी एक मित्री ज्वाइंट स्टारक कम्पनी बन गई और इसके कोष और पूंजी मित्र सरकार के अधिकार में आ गई। कम्पनी भंग कर दी गई लेकिन हिस्सेदारों (शेयर होल्डरों) को उस समय के शेयरों के भाव के अनुसार गुआवजा देने का वायदा किया गया। इस नयी कम्पनी को वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। कम्पनी की मित्र में तथा मित्र से बाहर की भारी सम्पत्ति को जप्त कर लिया गया। अनुच्छेद ४ में कहा गया है कि पुरानी कम्पनी के कर्मचारियों को इस्तीफा देने का अधिकार नहीं। इस प्रकार मित्र ने स्वेज नहर के मुनाफे से वार्षिक १ करोड़ डालर (लगभग ५० करोड़ रुपये) लेकर आसवान बांध योजना को पूरा करने का निश्चय किया। नहर के मुनाफे में मित्र को ३० लाख डालर (डेढ़ करोड़ रुपये) और ब्रिटेन को ७ करोड़ डालर (३५ करोड़ रुपये) मिलते थे। जिस समय कर्नल नामर उपरोक्त घोषणा कर रहे थे उस समय काहिरा स्थित कम्पनी के प्रधान कार्यालयों तथा पोर्ट नईद, इस्माइलिया और स्वेज बन्दरगाह पर मित्री सेना व पुलिस अधिकार जमा रही थी।

स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रति राष्ट्रों की प्रतिक्रिया

मित्र ने स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण निर्धारित अवधि से १२ वर्ष पहले ही कर लिया। मित्र सरकार के स्वेज नहर कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के एक तरफा फैसले से ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सरकारों में खलबली मच गई। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर एन्थनी ईडन ने कामन्स सभा में घोषित किया कि अमेरिका, फ्रांस तथा दूसरे राष्ट्रमण्डलीय देशों ने तन्मन्वन्धी विचार-विमर्श फौरन प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वेज नहर के सम्बन्ध में मित्र द्वारा की गई स्वेच्छा-चारितापूर्ण कार्यवाही से जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें ब्रिटेन सामर्थ्य तथा दृढ़ता से पग उठाएगा। २७ जुलाई, १९५६ को ब्रिटेन ने मित्र के पान एक अधिकृत विरोध-पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि मित्र के उन कार्य ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के एक जल-मार्ग पर जहाजगानी की स्वतन्त्रता के लिये गम्भीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। '...तथा इनके जो भी परिणाम होंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी मित्र सरकार पर ही होगी। काहिरा रेडियो ने उनी शाम को यह घोषणा कर दी कि मित्र ने ब्रिटेन के विरोध-पत्र को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। ऐसा उमने उन आधार पर किया कि स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का कार्य मित्र की प्रभु-सत्ता के निर्विध अधिकारों के अन्तर्गत आता है। यह पूरी तरह मित्र के कानून के क्षेत्र का विषय है। '...उतना ही नहीं राष्ट्रीयकरण के कानून का कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है जिससे स्वेज नहर में जहाजों के आवागमन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित हो।

२८ जुलाई, १९५६ को ब्रिटेन के राष्ट्रीय खजाने की ओर से दो निर्देश दिये गये। पहले के अनुसार, बिना सरकारी खजाने की सम्मति के इंग्लिस्तान में स्वेज नहर-कम्पनी का जो सोना या नकद प्रतिभूतिया थी उनका हस्तांतरण नहीं हो सकता था। दूसरा निर्देश इससे भी दूरगामी प्रभाव वाला था। इस निर्देश के अनुसार इंग्लैंड में मिस्र के खाते में जो स्टर्लिंग जमा थे, बिना सरकारी खजाने की सहायता से न तो उसमें से कुछ निकाला जा सकता था और न उसमें कुछ जमा किया जा सकता था। यही व्यवस्था व्यक्तिगत खातों की रकमों के बारे में अपनाई गई। अर्थात् मिस्र का समस्त स्टर्लिंग इंग्लैंड ने जाम कर दिया। दो दिन पश्चात् एन्यनी ईडन ने घोषित किया कि ब्रिटेन यह कदापि नहीं होने देगा कि स्वेज नहर पर किसी एक शक्ति का नियंत्रण हो, जो इसका लाभ विशुद्ध अपनी राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य के लिए उठाये। मिस्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धों को लगाने के पश्चात्, ब्रिटेन ने जितनी भी युद्ध-सामग्री मिस्र को निर्यात होती थी, उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा अपनी सैन्य टुकड़ियों को साइप्रस भेज दिया।

स्वेज नहर कम्पनी पर मिस्र के अधिकार जमा लेने की फ्रांस के प्रधान मंत्री मोले तथा विदेश-मंत्री पीनो ने तीव्र भर्त्सना की। ब्रिटेन ने इस सम्बन्ध में जो रुख अपनाया था उससे सहमत होते हुए मोले ने राष्ट्रपति नासर को एक उदीयमान तानाशाह बतलाया, 'जिसके तौर-तरीके ठीक वैसे ही हैं जैसे तौर-तरीकों का प्रयोग हिटलर किया करता था।' उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस ने भी यह निर्णय कर लिया है कि इस मिस्री तानाशाह को ईट का जवाब पत्थर से दिया जायेगा। यह कायवाही पश्चिमी मित्र राष्ट्रों की सयुक्त कार्यवाही के रूप में होगी। राष्ट्रपति नामर पर यह आरोप लगाया गया कि स्वेज नहर में इजराइली जहाजों के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाकर मिस्र ने अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को तोड़ा है तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। फ्रांस ने भी उन्हीं आर्थिक कार्यवाहियों तथा सैनिक तैयारियों की घोषणा की जिन्हें ब्रिटेन ने अपनाया था।

मिस्र सरकार तथा स्वेज नहर कम्पनी की जितनी भी सम्पत्ति अमेरिका में थी उस सब को अमेरिकी सरकार ने ३१ जुलाई १९५६ को तब तक के लिए जट्ट कर लिया जब तक कि यह निर्णय न हो जाय कि उस सम्पत्ति का वास्तविक अधिकारी कौन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह विचार प्रकट किया कि स्वेज नहर अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था तथा भावी कार्याण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड तथा टर्की ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किये। उन्हीं दिन नामर ने एक बयान निकाला। उसमें यह दुहराया गया कि "स्वेज नहर कम्पनी हमेशा मिस्री

कम्पनी रही है तथा अन्य मित्रों कम्पनियों की ही तरह इमका भी राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। हम हमेशा की ही तरह अपने तमाम अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का सम्मान करने को तैयार हैं तथा १८८८ के व्यवस्थान (Convention) और १९५४ के आंग्ल-मिस्री समझौते का भी हम उसी प्रकार सम्मान करते हैं। स्वेज नहर में जहाजों के आवा-गमन की स्वतंत्रता पर न तो किसी बात का प्रभाव पड़ेगा, ना ही किसी भी सीमा तक या किसी भी तरह उसमें रुकावट पड़ेगी।”

२ अगस्त, १९५६ को ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका के विदेश मंत्रिया (सेलविन लायड, पिनी तथा डलेस)का स्वेज-सकट पर पारम्परिक विचार-विमर्श हुआ। इस विचार-विमर्श के अन्त में यह घोषणा की गई कि १६ अगस्त १९५६ को २४ राष्ट्रों का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन लंदन में हो, जिसमें स्वेज नहर के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की स्थापना पर विचार हो। यह सस्था मित्र के हितों को दृष्टिगत रखते हुए तमाम देशों के लिए स्वेज नहर में अपने-अपने जहाज लाने-लेजाने की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा को सुनिश्चित कराये। इस ने इस सम्बन्ध में राय बनाई कि एक प्रभु-सत्ता सम्पन्न राष्ट्र होने के नाते मित्र को अपनी स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का पूर्ण अधिकार है। अतः इस मामले में किसी प्रकार की चिन्ता तथा घबराहट की कोई बात नहीं है।

प्रथम लंदन सम्मेलन (१६ अगस्त से २३ अगस्त १९५६ तक)

मित्र सरकार ने लंदन में होने वाले स्वेज सम्मेलन में शामिल होने के निमंत्रण को ठुकरा दिया। राष्ट्रपति नासर ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि केवल २४ राष्ट्रों को ही सम्मेलन में क्यों निमंत्रित किया गया, जबकि १९५५ में ४५ राष्ट्रों ने स्वेज नहर का उपयोग किया। साथ-ही-साथ उन्होंने कहा कि सम्मेलन को कोई भी अधिकार नहीं है कि वह मित्र की अनुपस्थिति में मित्र की तथा मित्र के किसी भी भाग की प्रभु-सत्ता के सम्बन्ध में कोई विचार करे।

ब्रिटेन प्रधान मंत्री सर एन्वनी डेडन ने ८ अगस्त के अपने प्रसिद्ध आकाश-वाणी-भाषण में कहा कि 'ब्रिटेन के लिए स्वेज नहर उनी तरह रही है जिन तरह नरीन के लिए प्रमुख धमनी नाडी (जिनके द्वारा समस्त शरीर में रक्त प्रवाहित होता है)। कर्नेल नासर ने स्वेज नहर को अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी को बिना किसी पूर्व मन्नाह गण-विरो के अपने हाथ में रूक लिया है। हमारा मित्र ने किसी प्रकार का भ्रम नहीं छोड़ा ही अरबों ने। हमारा तो वास्तविक मंत्र तर्जुन नासर ने है। उनमें हमारे देश के विरुद्ध विरोध प्रचार के लिए अभियान किया है। उनमें यह भी प्रचार दिया गया है कि वह वास्तव में ऐसा आदमी नहीं है जिन पर यह विश्वास

किया जा सके कि वह किसी भी समझौते को निभायेगा। कर्नल नासर को अपने इस कार्य में हम सब के ऊपर सफलता प्राप्त हो गई तो जिन वस्तुओं पर हमारा जीवन निर्भर है, उनकी पूर्ति के लिए एक ही व्यक्ति की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। तानाशाहों के साथ व्यवहार का यह परिणाम होता है कि अगर उन्हें सहन करते जाँय तो बाद में बहुत कष्ट उठाना पड़ना है क्योंकि ज्यों-ज्यों उनकी अधिकार लिप्सा तृप्त होती रहती है त्यों त्यों वह और भी प्रचंड रूप धारण करती जाती है। हम इस पर कभी भी सहमत नहीं हो सकते कि लूट के ऐसे कार्य को, जो कई राष्ट्रों के जीवन-यापना के लिए खतरा हो, सफल होने दिया जाय। स्वेज नहर का संचालन एक देश के नहीं अपितु समस्त राष्ट्रों के हित में होना चाहिए।”

जिन २४ राष्ट्रों को लदन-सम्मेलन में निमन्त्रित किया गया था उनमें से मिस्र तथा ग्रीस इन दो राष्ट्रों ने सम्मेलन में सम्मिलित होने से मना कर दिया जिसका शीर्षक १६ अगस्त को हुआ था। इसमें अधिकांश देशों के विदेशी-मन्त्री ही शामिल हुए।

प्रतिनिधियों के विचारार्थ तीन निश्चित योजनाएँ प्रस्तुत की गईं। ये योजनाएँ क्रमशः डलेस-योजना, शेपीलोव-योजना तथा मेनन-योजना के नाम से जानी जाती हैं।

अमेरिकी विदेश मन्त्री ने निम्नांकित सुझाव रखे जिनका समर्थन ब्रिटेन तथा फ्रान्स की ओर से भी हुआ। ये सुझाव हैं—

- (१) नहर का संचालन एक अन्तर्राष्ट्रीय मंडल द्वारा होना चाहिए, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र सभ के अन्तर्गत एक समझौते द्वारा हो। मिस्र भी उसका सदस्य हो।
- (२) मिस्र के इन अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए कि उसे न्यायानुकूल लाभ स्वेज नहर के संचालन से मिल सके।
- (३) स्वेज नहर कम्पनी को उचित मुआवजे के देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (४) मतभेद की स्थिति में मामलों का फ़ैमला पंच-फ़ैमले द्वारा होना चाहिए।
- (५) १८८८ के व्यवस्थान (Convention) में निहित सिद्धान्तों के अनुसार नहर का संचालन बतौर एक नवतंत्र तथा सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रीय जल-मार्ग की तरह होना चाहिए।
- (६) किसी भी हाल में, नहर संचालन पर किसी भी देश की राजनीति का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

रूसी विदेश-मंत्री श्री गेपीलोव ने स्वेज नहर विवाद के शान्तिपूर्ण हल के लिए निम्नांकित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया .—

- (१) मित्र के अग्रदूत प्रभु सत्ता-सम्पन्न अधिकारों को मान्य ठहराया जाय । साथ ही जिन राष्ट्रों का नहर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उनके हितों का भी ध्यान रखना चाहिए ।
- (२) सब देशों के लिए समान शर्तों पर ही नहर हमेशा स्वतंत्र तथा खुली रहनी चाहिए ।
- (३) मित्र को अपने उन दायित्वों को ग्रहण करना चाहिए जिनके अनुसार नहर में निर्वाह जहाजरानी के लिए यथेष्ट सुविधाएँ बनी रहें ।
- (४) नहर में जहाज से जाने के शुल्क को मित्र के साथ बातचीत से निर्धारित कर लेना चाहिए ।
- (५) १८८८ के व्यवधान (Convention) से सम्बन्धित पक्षों को नहर की किमी प्रकार की हानि नहीं करनी चाहिए ।
- (६) नहर में किसी भी प्रकार का अवरोध अथवा व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए ।
- (७) अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता द्वारा नहर के विकास के प्रश्न पर मित्र ने विचार-विनिमय कर लेना चाहिए ।

गेपीलोव ने इस ओर भी ध्यान आकषिप्त किया कि १९५५ में रूमनी की आय ३५००० मिलियन फ्रैंक की थी जिसमें कि व्यय १८००० मिलियन फ्रैंक से अधिक नहीं था । १०,००० मिलियन फ्रैंक के लाभ में से मित्र को मात्र १००० मिलियन फ्रैंक ही मिले । यह स्वाभाविक ही था कि मित्र यथेष्ट निर्माण पर पहुँचा तथा उनसे सम्पत्ति वा राष्ट्रीयकरण कर लिया । श्री बी० के० कृष्ण मेनन अपने उन प्रयास में सफल हुए कि उन्होंने गेपीलोव को उस बात के लिए राजी कर लिया कि वह अपनी योजना को हटा लें । यह उन लिए सम्भव हो सका कि श्री मेनन द्वारा सम्मेलन के समय प्रस्तुत योजना पहले की दोनों योजनाओं के बीच का एक सुनहरा मध्यम मार्ग माना गया । मेनन-योजना के आवश्यक पाँच मुद्दे निम्न प्रकार हैं .—

- (१) १८८८ के सुन्तुनियत-व्यवधान (Convention) में निर्धारित किया जाय, विशेषकर नहर को चालू बनाए रखने के लिए उचित तथा व्यायानुसूत माना-यान शुल्क तथा दूसरे शुल्कों के विषय में ।
- (२) १८८८ के व्यवधान पर जिन राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये हैं उनका तथा नहर के प्रयोगका राष्ट्रीय वा एक नववत सम्मेलन उपर्युक्त उद्देश्य के लिए बुलाया जाय ।

- (३) विना किसी पक्षपात के मित्र की मिलकियत पर विचार किया जाय । साथ ही-साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं के हित के लिए नहर संचालन के कार्य पर 'स्वेज नहर के लिए बने किसी निगम' के साथ विचार किया जाय ।
- (४) प्रयोक्ताओं के हित के लिए एक सलाहकार मंडल की स्थापना की जाय । इसमें भौगोलिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाय । इस सस्था के मुख्य कार्य हो—सलाह देना, विचार विनिमय करना तथा सम्बन्ध-निर्धारण करना ।
- (५) मित्र को चाहिए कि वह 'स्वेज-नहर के लिए बने मित्री निगम' का वार्षिक प्रतिवेदन सयुक्त राष्ट्र सघ के समक्ष प्रस्तुत करता रहे ।

२३ अगस्त १९५६ को सम्मेलन समाप्त हुआ जब १७ देशों* ने—स्पेन को छोड़ कर—बहुमत वाली योजना, जो पांच राष्ट्रों की योजना के नाम से जानी जाती है, का समर्थन किया । यह डेलस-योजना थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, ईथोपिया, तथा तुर्की द्वारा सशोधन कर दिया गया था । परिणाम-स्वरूप मेनन-योजना, जिसका समर्थन रूस, हिन्देशिया तथा लका ने किया था, ठुकरा दी गई । अन्त में, सम्मेलन ने आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री डा० मेंजीज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को काहिरा भेजने का निर्णय किया जो अपने साथ सम्मेलन की कार्यवाही का सम्पूर्ण व्योरा ले जाय । इसमें नहर के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की योजना सम्मिलित थी ।

मेजीज-गिष्टमंडल (३-६ सितम्बर १९५६)

आस्ट्रेलिया, अमेरिका, इथोपिया, ईरान तथा स्वीडन इन पाँच राष्ट्रों की स्वेज-नहर-मिति के नेता, आस्ट्रेलिया के प्रधानमन्त्री श्री रावर्ट मेन्जीज ने मित्र के राष्ट्र-पति नामर से ३ सितम्बर से चर्चा प्रारम्भ की । इसके छ दिन बाद श्री मेंजीज को लिखे अपने एक पत्र में राष्ट्रपति नासर ने कहा कि "नहर के अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की १८ राष्ट्रों की योजना से अधिक मित्र के लोगों को उत्तेजित करने वाली किसी भी और बात की कल्पना नहीं की जा सकती ।" वे यह भली प्रकार समझ गए कि "इन योजना का एक मात्र उद्देश्य यही है कि स्वेज नहर को मित्र के हाथों से छीनकर किसी अन्य के हाथों में सौंप दिया जाय । इस प्रकार का कार्य आत्म-पराभव के साथ ही माय उम तरह का भी है जिसमें पारस्परिक अलगाव, गलतफहमी तथा अनवरत भयर्ष पैदा हो ।"

*नाम्बे, स्वीडन, डेन्मार्क, पुर्तगाल, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इथोपिया, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैण्ड, जापान, हालैण्ड, इटली, पश्चिम जर्मनी तथा सयुक्त राज्य अमेरिका ।

पांच राष्ट्रों की स्वेज-समिति ने अपने १९ पृष्ठों के प्रतिवेदन में घोषित किया कि "मिन्न उस सम्बन्ध में अटल रूप से कृत सकल्प है कि वह मिन्न की स्वयं की सरकार के अतिरिक्त किसी भी अन्य शक्ति का नियन्त्रण या व्यवस्था नहर के मचालन या विकास में सहन नहीं करेगा।"

प्रतिवेदन में कहा गया कि इसका परिणाम यह हुआ की जल मार्ग के अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के लिए १८ राष्ट्रों के प्रस्तावों को मिन्न के राष्ट्रपति नामर ने पूर्णरूप से ठुकरा दिया।

द्वितीय लन्दन सम्मेलन (सितम्बर १९-२१, १९५६)

१९ सितम्बर को १८ राष्ट्रों की एक बैठक दूसरी बार लन्दन में इस उद्देश्य से हुई कि इसमें स्वेज-नहर-प्रयोक्ता-सघ (SCUA) के निर्माण के विषय में चर्चा की जाय। इससे नौ दिन पूर्व मिन्न नं १८८८ के व्यवस्थान (Convention) में सम्बन्धित राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन उसने इसलिए आयोजित किया कि उस सम्मेलन के समझ ही नहर में जहाजरानी की स्वतन्त्रता की गारंटी कर दे। लेकिन यह प्रस्तावित सम्मेलन कभी भी नहीं हुआ, हालांकि इसका समर्थन अरब-राष्ट्रों, रूसी-गुट, भारत, हिन्देशिया, यूगोस्लाविया तथा पाकिस्तान ने किया। डलेम ने स्वेज-नहर-प्रयोक्ता सघ (SCUA) के लिए एक विधान प्रस्तुत किया जो १८ राष्ट्रों में से केवल १५ राष्ट्रों ने ही स्वीकार किया। स्वेज-नहर-प्रयोक्ता सघ की स्थापना निर्माकित मिद्धातों के अनुसार होने को थी—

- (१) इसके सदस्य वे ही राष्ट्र होंगे, जिन्होंने द्वितीय लन्दन-सम्मेलन में भाग लिया हों। ऐसा राष्ट्र भी इसका सदस्य हो सकता है जो इसके निर्धारित उद्देश्यों को माने।
- (२) स्वेज नहर प्रयोक्ता सघ (SCUA) को चाहिए कि वह १८८८ के व्यवस्थान (Convention) के अनर्गत मिन्न के तथा स्वेज-नहर-प्रयोक्ताओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए समस्या के समाधान के लिए उपाय मुलभ करे। उसे चाहिए कि वह इस बात का प्रयत्न करे कि किसी भी सदस्य राष्ट्र के जहाज स्वेज नहर में से नुरक्षित, शीघ्रता से, तथा कम-नर्च ने ग्रा जा सके।
- (३) अन्तिम निर्णय के होने तक विद्यमान अधिकारों के प्रति बिना प्रतिग्रह (Prejudice) के उन सघ को चाहिए कि जो शुनक क्रिया भी स्वेज-नहर-प्रयोक्ता से न्ने प्राप्त हो उन्ने प्राप्त करके विनरित करदे।

(४) सदस्यों को एक परिषद में आपसी परामर्श करना चाहिए। इस परिषद में हर सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जायगा। इसे एक कार्यपालिका की स्थापना और साथ ही एक प्रशासक की नियुक्ति करनी चाहिए जो परिषद के निर्देशों के अतर्गत आवश्यक व्यवस्थाएँ करे। साठ दिन की पूर्व-सूचना पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

प्रयोक्ता-सघ के निर्माण की कल्पना के मूल में दो विचार प्रधान थे—(अ) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय कि मित्र-सरकार स्वेज-संचालन के कार्य को विधिवत् सम्पन्न करने में असमर्थ हो जाय तो वे अपने-अपने जहाज स्वेज नहर में से भेजें, (आ) अगर काहिरा सरकार प्रयोक्ताओं के जहाजों के आवागमन को रोक दे तो सब, मित्र को दण्ड देने के बतौर नहर का बहिष्कार करे।

पन्द्रह सदस्यों की प्रारम्भिक सदस्यता के साथ स्वेज-नहर-प्रयोक्ता-सघ (SCUA) का उद्घाटन लन्दन में १ अक्टूबर १९५६ को किया गया। इथोपिया, जापान तथा पाकिस्तान उसमें सम्मिलित नहीं हुए। तीन दिन पश्चात् सात सदस्यों की एक कार्यपालिका का निर्माण हुआ। कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव परिषद् ने एक वर्ष के लिए किया। इस कार्यपालिका का मुख्य कर्तव्य यह निर्धारित किया गया कि वह सघ के उद्देश्यों को समझने के लिए प्रशासक का यथेष्ट मार्गदर्शन करे। परिषद्, जिसके सदस्य सभी प्रयोक्ता-देशों के प्रतिनिधि थे, की बैठक वर्ष में दो बार हो, जिसमें बजट स्वीकार किया जाय तथा कार्यपालिका द्वारा उठाये गए कदमों पर स्वीकृति की मोहर लगाई जाय।

तीन माह के लिए हर सदस्य निधि में बराबर चन्दा दे, जिसका अनुमान लगभग कुल ५०,००० पौड तक कूना जाता है। १९ अक्टूबर को न्यूयार्क में डेन्मार्क के ४० वर्षीय राजदूत श्री डब्लिड वाटेलम को बतौर प्रशासक के नियुक्त किया गया। इस प्रकार मगठन-सम्बन्धी, कार्य-सम्बन्धी तथा वित्त सम्बन्धी जिन भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता स्वेज-नहर प्रयोगना सघ को संचालित करने के लिए थी वे सब व्यवस्थाएँ पूरा हो गईं।

मध्यतः राष्ट्रसंघ में स्वेज नहर का मसला

२६ मितम्बर को ब्रिटेन और फ्रांस ने सुरक्षा परिषद् से प्रार्थना की कि वह उन स्थिति का निरीक्षण करे, जो मित्र द्वारा स्वेज-नहर की उम अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रणाली को समाप्त करने की एकतरफा कार्यवाही से उत्पन्न होगई जिसकी सपुष्टि १९८८ के व्यवस्थान (Covention) द्वारा की गई थी।" अगले दिन मित्र ने ही भी अपनी यात्रिका परिषद् प्रस्तुत की—जिसमें सुरक्षा परिषद् से प्रार्थना की गई कि वह कुछ शक्तियों द्वारा—मिशनरी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा—मित्र के

विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को रोके, जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा है। यद्यपि ब्रिटेन के श्री पियर्सन डिवसन ने मिस्त्र की अपील की भर्त्सना यह कह कर की कि यह एक 'निलंजिता पूर्ण कलक है' तथापि सात के विरुद्ध गून्ध मत से मिस्त्र की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया। विरोधी दृष्टिकोणों पर लम्बे वाद-विवाद के पश्चात् सुरक्षा-परिषद् १३ अक्टूबर १९५६ को मिस्त्र से इस बात को मनवाने में सफल हुई कि वह छ. मुद्दों वाले एक समझौता प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित आकांक्षाओं का उल्लेख था —

- (१) बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह राजनीतिक ही अथवा प्राविधिक, नहर में से जहाजों का आना-जाना निर्वाध खुला रहना चाहिए।
- (२) मिस्त्र की प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए।
- (३) नहर का संचालन किसी भी देश की राजनीति में अलग रहना चाहिए।
- (४) शुल्क निर्धारण करने के तरीके का निर्माण मिस्त्र तथा प्रयोक्ताओं के पारस्परिक समझौते से होना चाहिए।
- (५) शुल्क से प्राप्त रकम के अच्छे-ग्रासे भाग का नहर के विकास-कार्य में विनियोग किया जाना चाहिए।
- (६) स्वेज-नहर कम्पनी तथा मिस्त्र-सरकार के बीच अनिर्णीत मामलों पर उठे विवादों का समाधान पंच फैसले द्वारा होना चाहिए। इस फैसले में अनुकूल शर्तों तथा जो रकम जमा पाई जाय उसकी अदायगी के उचित नियमों का समावेश किया जाना चाहिए।

इस प्रकार शांतिपूर्ण वातचीत के लिए ठोस आधार बना रहे इस पर पारस्परिक समझौता हो गया। इसी बीच भारत ने अपनी मातृ मुद्दों वाली योजना प्रस्तुत की जिसमें इन व्यवस्थाओं को स्थान दिया गया—हिस्सेदारों को मुद्यावजा, मिस्त्र के अधीनस्थ स्वेज-नहर की अधिकृत मस्या की प्रयोक्ता मध के नाथ महकारिता, सर्व-गम्मत-मार्ग-शुल्क तथा अन्य व्यय, प्रयोक्ताओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, संचालन के लिए तथा नहर के लिए बनी अधिकृत मस्या और प्रयोक्ताओं के कर्तव्यों के लिए विस्तृत नहर-सहिता तथा उच्च विनियमों की नियुक्ति।

मिस्त्र पर इजराइल का आक्रमण

अरब-राष्ट्रों तथा इजराइल के बीच बटने हुए तनाव तथा राष्ट्रपति नानर द्वारा स्वेज नहर पर अधिकार जमा लेने का परिणाम यह हुआ कि २९ अक्टूबर १९५६ को मिस्त्र के मिनार्ई द्वीप पर इजराइल ने आक्रमण कर दिया। इसके ग्यारह दिन पूर्व इजराइल के प्रधान मंत्री डेविड बेन गुरियो ने इजराइली मन्त्र (नेगमेट) में बताया कि "इजराइल ही जिम् गवमें बटे और गभीर गन्ने का मुकाबला करना", वह है मिस्त्र के निरकुश तानाशाह के आक्रमण का, जिम्मा

लक्ष्य है समस्त अरब-राष्ट्रो पर अपना आधिपत्य स्थापित करके इजराइल को समाप्त करना।" काहिरा में मिस्र के युद्ध-मंत्री मेजर जनरल अब्दल हकीम अमर ने उत्तर में कहा कि, "अगर किसी भी अरब-भूमि पर कोई भी आक्रमण होगा अथवा अधिकार जमाया जायगा, तो मिस्र की सशस्त्र सेनाएँ फौरन रणक्षेत्र में जायगी।"

यह ध्यान में रखना चाहिए कि इजराइल के आक्रमण का लक्ष्य था उन फेडीन (मिस्री युद्ध-मोर्चों) अब्दों को नष्ट भ्रष्ट करना, जिनसे इजराइल की सीमा में प्रायः आक्रमण होते रहे थे। मिस्र के कथनानुसार मिस्र पर इजराइल के आक्रमणों की सख्या क्रमशः इस प्रकार है—१९४९ में १६, १९५० में ४४, १९५१ में ८७, १९५२ में १५१, १९५३ में १७४, १९५४ में २५९ तथा १९५५ में २७६। १९५६ में इजराइल ने कुख्यात निर्दयतापूर्ण आक्रमण किया, जिसने विश्व-जन-मत को विस्फुट कर दिया।


आक्रमण से एक दिन पूर्व इजराइल ने घोषित किया कि हमें निम्नलिखित कारणों से अपनी सेनाओं का जमाव करना अनिवार्य हो गया है

- (१) इजराइल के विरुद्ध मिस्र की फेडीन कार्यवाहियों का पुनारम्भ।
- (२) मात्र चार दिन पूर्व मिस्र के नेतृत्व में इजराइल के विरुद्ध मिस्र-जोर्डन-सीरियाई सैन्य गठबन्धन का निर्माण।
- (३) मिस्र, जोर्डन तथा सीरिया के शासकों की यह घोषणा कि उनका सकल्प ही इजराइल को समाप्त करने का है।
- (४) जोर्डन की सीमाओं पर ईराकी फौजों का जमाव। इन सबके ही साथ मिस्र द्वारा इजराइली जहाजों के स्वेज नहर में से आने-जाने पर नाकेबंदी। अरब-संघ द्वारा आर्थिक नाकेबंदी तथा मिस्र द्वारा रूसी शस्त्रास्त्रों की खरीदारी आदि कुछ ऐसी और कार्यवाहियाँ हुईं, जिन्होंने मध्यपूर्व में शक्ति-संतुलन को अव्यवस्थित कर दिया।

फ्रॉम के कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों ने समाचार प्रकाशित किया कि २६ अक्टूबर को इजराइली प्रधान मंत्री बेन गुरियो फ्रॉम के प्रधान मंत्री मोले से दो घण्टे की गुप्त वार्ता के लिए चर्चापत्र पेश किए गए। बातचीत के अन्त में उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये—“व्यावहारिक दृष्टि से जिमका अर्थ था फ्रांस तथा इजराइल के बीच गुप्त-सन्धि। उगी समझौते के आधार पर फ्रांस की हवाई तथा जल सेनाओं ने इजराइली आक्रमण में भाग लिया।” दो फ्रासीसी पत्रकार श्री सर्ज तथा मेरे क्रोम्वर्जर ने अपनी पुस्तक ‘मिस्र पर आक्रमण के रहस्य’ में कहा है कि “ब्रिटेन तथा फ्रांस को अग्रिम जानकारी थी कि इजराइल २९ अक्टूबर को मिस्र पर आक्रमण करेगा। जब वास्तविक इजराइली आक्रमण हुआ उसमें बहुत पहले ही गुप्त सैनिक कार्यवाही की, जिसे ‘मस्केटियर’ बताने हैं, मयमत योजना बना ली गई थी।”

एक दिन पूरा होने से पहले ही इजराइली सेनाओं ने गाजा पट्टी पर तथा सिनाई द्वीप पर आधिपत्य जमा लिया तथा स्वेज नहर क्षेत्र में १८ मील अन्दर तक पहुँच गई। २ नवम्बर तक मिस्र के ३०,००० सैनिक सिनाई में या तो खेत नहे या उन्हें बन्दी बना लिया गया। इसी बीच ब्रिटेन तथा फ्रान्स ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया।

INVASION OF EGYPT (1956) AND EVACUATION (1957)



मिस्र पर आंग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण

अक्टूबर १९५६ में मिस्र तथा ब्रिटेन के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। मिस्र ने यह धारणा की कि स्वेज-सुएज चैनल-प्रान्त-प्रान्तीय-शासन-द्वारा द्वारा दृष्टिगत होना से उत्पन्न किया हुआ है, जो सैनिक तथा सामान्य उद्योग के लिए नहर-क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का निश्चय कर चुके हैं। अपने दायित्व के समर्थन में उन्होंने निम्नांकित उदाहरण प्रस्तुत किये —

(१) सैन्य सार्ववाही की धमकी से भरे वातावरण।

मुनिश्चित किया जाय । इजराइल ने चेतावनी को स्वीकार कर लिया पर मित्र ने उसे ठुकरा दिया । परिणाम-स्वरूप ब्रिटेन तथा फ्रांस के जहाजों ने अपने साइप्रस के अड्डों में मित्र के विरुद्ध आक्रमणात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी । ब्रिटेन ने अपने इस कदम को पुलिस कार्यवाही की सजा दी तथा युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाने की आशा प्रकट की । एक सप्ताह के अन्दर अन्दर सिक्न्दरिया, फौद तथा मर्डेद की बन्दरगाहों और इस्माइलिया पर अधिकार जमा लिया गया ।

सयुक्त राष्ट्र-संघ की कार्यवाही

ब्रिटेन तथा फ्रांस ने मित्र पर यह आक्रमण अमेरिका की गैर-जानकारी में किया था । इसका पता निश्चित रूप से अब वील द्वारा लिखित डलेस जीवनी से लगा । अंग्ल-फ्रांसीसी शक्तियों ने अनुभव किया कि अमेरिका स्वेज-नहर समस्या पर हमारा साथ नहीं देगा क्योंकि उसके हित दूसरी तरह के हैं । अमेरिकी प्रार्थना पर, जिसमें ब्रिटेन पर धीरज के अभाव का आरोप लगाया गया था, ३० अक्टूबर को सुरक्षा परिषद् की एक बैठक बुलाई गई । यह बैठक उस अमेरिकी प्रस्ताव पर आवश्यक विचार के लिए हुई, जिसमें इजराइल की निन्दा की गई थी तथा मांग की गई थी कि इजराइल शीघ्र ही अपनी सेनाएँ युद्ध-विराम रेखा के पीछे हटा ले । ब्रिटेन द्वारा यह प्रार्थना करने पर भी कि विवाद को स्थगित कर दिया जाय, अमेरिकी प्रतिनिधि शीघ्र मतदान पर अटा रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन तथा फ्रांस ने अमेरिकी प्रस्ताव पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया । एक नवम्बर को महानभा के आपातकालीन सत्र में २ के विरुद्ध ६२ मतों से अमेरिकी प्रस्ताव पारित कर दिया गया । ब्रिटेन तथा फ्रांस ने ही विरोध में मत दिया । यह वही प्रस्ताव था जिस पर सुरक्षा-परिषद् में ब्रिटेन तथा फ्रांस ने निषेधाधिकार का प्रयोग किया था । इस प्रस्ताव में इस आवश्यकता पर बल दिया गया था कि इस क्षेत्र में जो-जो शक्तियाँ शत्रुतापूर्ण सैनिक कार्यवाहियों में जुटी हुई हैं, वे सब शीघ्र ही युद्ध-विराम करें तथा अपनी सेनाएँ युद्ध-विराम रेखा से पीछे हटाने को सहमत हो जाय (२ नवम्बर, १९५६) । ब्रिटेन तथा फ्रांस ने घोषणा की कि ज्योंही निर्माकित तीन शर्तें स्वीकार कर ली जायेंगी वे सैनिक कार्यवाही को जहाँ की तहाँ रोक देंगे .

(१) मित्र तथा इजराइल दोनों शांति-स्थापना के लिए मधुस्त-राष्ट्र-मधीय सेनाओं का रखा जाना स्वीकार करें ।

(२) जब तक अरब-इजराइली शांति-समझौता न हो जाय तथा स्वेज नहर के संध में सतोपजनक समझौते न हों तब तक मधुस्त-राष्ट्र-मधीय सेनाये वनी रहनी चाहिएँ ।

(२) जबतक मनुक्त राष्ट्र सेनाओं का निर्माण न हो उस बीच दोनों पक्षों—मिस्र तथा इजराइल—को इस पर सहमति प्रकट करनी चाहिए कि उन दोनों पक्षों के बीच में विद्यमान ब्रिटेन तथा फ्रांस की सीमित सेनाओं को बनाए रखा जाय ।

६ नवम्बर को सुरक्षा-परिषद् ने रूस के उभय प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें अमेरिकी तथा रूसी सेनाओं को यह अधिकार देने को कहा गया था कि यदि ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल १२ घंटों के भीतर-भीतर युद्ध-विराम स्वीकार न करें तब ऐसी स्थिति में वे (अमेरिका तथा रूस की संयुक्त सेनाएं) मिस्र में प्रवेश कर जाएं ।

मध्य-पूर्व में रूस की हस्तक्षेप की घमकी

६ नवम्बर को रूस ने ब्रिटेन तथा फ्रांस को चेतावनी दी कि 'रूस का यह पूर्ण विश्वास है कि वह आक्रमण को कुचल दे तथा संयुक्त राष्ट्र-संघ के दूसरे सदस्यों के सहयोग से मध्य पूर्व में शांति स्थापित करे ।' रूस के प्रधान-मंत्री बुलगानिन ने ब्रिटिश प्रधान-मंत्री ईडन को अपने एक पत्र में उनके (ब्रिटेन तथा फ्रांस के) 'वे-वात मान्यता' को निन्दा की । "स्वेज नहर में से जहाजों के आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त करना उपायों के प्रश्न में ब्रिटेन तथा फ्रांस चौकरी नहीं बन सकते । साथ-ही-साथ यह भी भ्रान्ति प्रसिद्ध है कि स्वेज नहर में जहाजों के आने जाने की स्वतंत्रता का मिस्र न पूरी तरह में अनुभूत रखा है । स्वेज नहर की समस्या तो आंग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण का बहाना मात्र थी । इसके दूरगामी उद्देश्य तो अन्य ही हैं—जैसे मध्य-पूर्व के शांति की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को समाप्त करना, तथा औपनिवेशिक गुलामी को पुनः स्थापित करना, उभय औपनिवेशिक गुलामी को जिसे इन राष्ट्रों की जनता ने ठुकरा दिया है ।" इन तथ्यों में किसी भी प्रकार का औचित्य नहीं है कि ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे दाक्षिणगामी राष्ट्र—जो सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं—एक ऐसे उभय पक्ष आक्रमण करें जिसके पास आत्म-रक्षा के पर्याप्त साधन भी न हों । उस समय ब्रिटेन को तथा हालत हो अगर उभय अधिक दाक्षिणगामी राष्ट्र समस्त आधुनिक विनाशक शस्त्रास्त्रों के साथ उभय पर आक्रमण कर बैठें और उन राष्ट्रों को ब्रिटेन के तटों पर हवाई और जल सेनाएं भेजने की कोई आवश्यकता नहीं बरतें वे तो और दमक युद्ध-नाशन भी काम में ला सकते हैं, उदाहरण के लिए गकैट वाले शस्त्रास्त्र । यदि गकैट वाले शस्त्रास्त्रों का प्रयोग ब्रिटेन या फ्रांस के विरुद्ध किया जाय तो आप लोग उभय जननी अमानुषिक कायवाही के नाम से बदनाम करेंगे । लेकिन प्रतिपक्षा की दृष्टि में लगभग निश्चय मिस्र पर जो अमानुषिक आक्रमण किया है उनमें यह हिंस्र क्रम में विपरीत होगा मिस्र में होने वाला युद्ध हमारे देशों में भी फैल सकता है तथा एतन्वीय महायुद्ध का रूप ले सकता है ।" उन्नी तरह का पक्ष प्रधान के प्रधान मंत्री मोने तथा उन्नीतरह के प्रधान मंत्री उन गुणियों को प्रेषित

किया गया, जिसमें यह चेतावनी दी गई थी कि या तो आक्रमणात्मक कार्यवाहियों को रोक दो अथवा रूसी हस्तक्षेप का सामना करने को तैयार हो जाओ।

७ नवम्बर को ठीक अर्द्धरात्रि में ब्रिटेन ने अपनी सेनाओं को युद्ध बन्द करने की आज्ञा दे दी, वगर्त कि उन पर आक्रमण न हो। फ्रांस ने भी ब्रिटेन के ही कार्य का अनुसरण किया। वुलगाइन के पत्र के उत्तर में ईडन ने आधारहीन आरोपों का खण्डन किया और साथ ही कहा, "समय की गम्भीरता इतनी है कि मैं अनुभव करता हूँ कि आपको तर्क पर आधारित विचारों द्वारा ही प्रत्युत्तर देना चाहिये..."

उस तरह नौ दिन बाद युद्ध समाप्त हो गया। मिस्रियों को भयकर हानि उठानी पड़ी, विशेषकर पोर्ट सईद पर। लेकिन मिस्र ने ४६ जहाज, नावें, पुल, क्रेने तथा उसी प्रकार की युद्ध-पोतों में सम्बन्धित सामग्री को स्वेज नहर में स्वयं डुबाकर नहर का मार्ग अवरुद्ध कर दिया : यह सब ऐसा ही हुआ जैसे किसी आपरेशन के ठीक बीच में आपरेशन करने वाला सर्जन एक पास लड़े व्यक्ति की सलाह पर यह समझ कर अपने औजारों को एक तरफ रखकर आपरेशन रोक दे कि आपरेशन करना एक भूल थी। जिन कारणों ने आंग्ल-फ्रांसीसी शक्तियों को युद्ध-बन्दी के लिए विवश कर दिया उनमें से कुछ कारण ये भी थे—(१) रूस द्वारा हस्तक्षेप की सम्भावना, (२) अतलातिक क्षेत्र में ब्रिटेन के सबसे घनिष्ठ मित्र अमेरिका तथा राष्ट्रमंडलीय मित्र-देशों की निरंतर आलोचना, (३) गाजा-पट्टी पर अधिकार जमा-लेने में इजराइल की सफलता तथा स्वयं ब्रिटेन में जनमत का दबाव, जिसकी भाग ही यह थी 'ईडन को अवश्य इस्तीफा देना चाहिये।'

संयुक्त राष्ट्रीय आपातकालीन सेना (U N E F.)

न्यूयार्क में ५ और ७ नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र मध्य की महासभा ने एक संयुक्त राष्ट्र आरक्षी सेना को संगठित करने के पक्ष में मत दिया, जो युद्ध विराम का निरीक्षण करे। कहीं यह विवाद (स्वेज-विवाद) भी अंत-युद्ध के दायरे में न चला जाय, इसलिए महासभा ने सुरक्षा-परिषद् के पांचों स्थायी सदस्य-राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र आरक्षी सेना में अपने अपने सैनिक भेजने में रोक दिया। संयुक्त राष्ट्र मध्य द्वारा की गई युद्ध-विराम की अपील को मानने की घोषणा मिस्र तथा इजराइल दोनों के प्रतिनिधियों ने की।

आठ दिन पश्चात् १५ नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सेना का पहला दल, जिसमें नावें तथा जैनमार्त की टुकड़िया शामिल थी, पोर्ट सईद पर पहुँच गया और ब्रिटिश सेना वहाँ से चली गई। उन्निहाम में अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षी दल का अपनी तरह का यह पहला ही सैन्य-दल था, जिसमें १३ राष्ट्रों के ६००० सैनिक शामिल थे। मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र सेनाओं के प्रवेग की अनुमति दो जगहों पर दी। (१) संयुक्त

राष्ट्र मेना को केवल मात्र आंग्ल-फ्रासीसी सेनाओं के हट जाने तक ही स्वेज-क्षेत्र में रहना होगा, उसके बाद उन सेनाओं को मिस्र-इजराइली सीमा पर चला जाना चाहिये, (२) इन सेनाओं का स्वागत तभी तक होगा जब तक मिस्र यह समझेगा कि इन सेनाओं को मिस्र में रहना चाहिए।

१३ नवम्बर को लेवनान की राजधानी बेशत में नौ राष्ट्रों के अरब-संघ (मिस्र, ईराक, जोर्डन, लेवनान, लीबिया, साऊदी अरब, सूडान, सीरिया तथा यमन) की दो दिवसीय गुप्त बैठक हुई। संघ ने अपना यह निश्चित मन्तव्य प्रकट किया कि अरब ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल 'विना शर्त' अपनी-अपनी सेनाएँ मिस्र से न हटाये तो सब राष्ट्र आत्म-हित की दृष्टि से तथा कानूनी प्रतिरक्षा की दृष्टि से यथेष्ट कार्यवाही करेंगे। इस सम्मेलन ने राष्ट्रपति नासर की इसके लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की कि उन्होंने "अरब राष्ट्रवाद की शानदार तरीके से रक्षा की तथा अरब जनता के गौरव को धक्षुण्ण रखा।" सयुक्तराष्ट्र संघ-सेना के कमांडर जनरल वॉर्स की सगठन कुशलता तथा ब्रिटेन तथा फ्रांस की ओर से मिले ठीक-ठीक सहयोग के कारण ब्रिटेन तथा फ्रांस की अंतिम सैन्य टुकड़ियों ने २२ दिसम्बर, १९५६ को मिस्र की भूमि को छोड़ दिया। इसी बीच सयुक्त राष्ट्रसंघ ने स्वेज नहर को शीघ्र साफ करवाने के दुफ्कर तथा नाजुक काम को हाथ में लिया। इस कार्य ने पाच महीने का समय लिया।

इजराइल का पलायन

जैसा कि हम देग चुके हैं कि इजराइली सेनाओं ने वात की वात में सिनाई द्वीप पर अधिकार जमा लिया और इसके थोड़े ही दिन पश्चात् उन्होंने गाजा पट्टी, गार्स-एल-शेख तथा अकाबा की खाड़ी को भी अपने अधिकार में ले लिया। इजराइल जिमने मिस्र पर आक्रमण इसलिए किया था कि वह मिस्र के आक्रमणों से अपनी रक्षा बचाने के लिए अच्छी स्थिति में आ जाय, अपनी सेनाओं को हटाने के लिए इन शर्तों पर तैयार हुआ कि सयुक्तराष्ट्र संघ यह आश्वासन दे दे कि मिस्र उस पर पुन हमला नहीं करेगा। इजराइल ने चाहा कि गाजा पट्टी—जो ५ मील चौड़ी तथा २५ मील लम्बी है—पर उमका ही अधिकार बना रहे, सिनाई द्वीप किसी के अधिकार में न रहे तथा मिस्र स्वेज-नहर में अपनी नाकेबंदी को हटा ले। अमेरिका द्वारा आक्रमण की भर्त्सना, आक्राताओं के विरुद्ध दस की धमकियों तथा महामता के मतों ने इजराइल को अपनी सेनाएँ शीघ्र हटाने को बाध्य किया। १६ जनवरी को महामता में अरब-गणितवादी प्रस्ताव ७४ के विरुद्ध २ (फ्रांस तथा इजराइल) मतों ने पारित हो गया। उनके परिणाम स्वरूप इजराइल को अपनी सेनाएँ पूर्ण रूप से हटा देने की आज्ञा दी गई। तीन दिन पश्चात् गाजा पट्टी को छोड़कर क्षेत्र सब क्षेत्र में से इजराइली सेनाएँ हट गईं। २ फरवरी को दो अमेरिकी प्रस्तावों द्वारा इजराइल

से कहा गया कि वह बिना विलव के अपनी सेनाएँ गाजा-पट्टी तथा शारम-एल-शेख से हटा ले तथा उसके स्थान पर संयुक्तराष्ट्रीय सेनाएँ भ्रा जाय। इजराइल ने तब भी अपनी सेनाएँ हटाने से इन्कार कर दिया। इसके बाद संयुक्त-राष्ट्र सघ तथा अमेरिका की ओर से उस पर निरंतर दबाव पड़ते रहे। इधर अरब-एशिया राष्ट्रों ने अनुमोदित प्रस्ताव के लिए प्रयत्न करने प्रारम्भ कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इसके सिवाय और कोई चारा ही नहीं रहा कि वह शीघ्र सेनाएँ हटाने के लिए इजराइल पर दबाव डालें। ८ मार्च को इजराइली सेनाओं ने गाजा तथा अकाबा को पूरी तरह से खाली कर दिया तथा वह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सेनाओं के निरीक्षण में १३२ दिनों के इजराइली कब्जे के पश्चात् भ्रा गया।

इजराइली सरकार ने घोषणा की कि उसने अपनी सेनाओं को कुछ विशेष 'अपेक्षाओं' तथा 'स्वीकृतियों' के अन्तर्गत हटाया है। वे हैं : (१) जब तक मित्र तथा इजराइल में शांति समझौता न हो जाय तब तक उस गाजा पट्टी पर संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं (मित्र का नहीं) का सैनिक तथा नागरिक अधिकार रहे, जो आक्रमण से पूर्व इजराइल के विरुद्ध मित्र के गोरीला आक्रमणों के लिए एक अड्डा था, (२) अमेरिका, अन्य प्रमुख समुद्रीय शक्तियों तथा संयुक्त राष्ट्रसघ को चाहिए कि वे "स्वेज नहर तथा अकाबा की खाड़ी में से इजराइली जहाजों के आने जाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाजरानी के लिए निर्वाह तथा सुरक्षित मार्ग बनाए रखने की व्यवस्था करें", (३) अगर मित्र को गाजा पट्टी पर अधिकार कर लेने दिया गया तथा अकाबा नाकेबन्दी को पुनः थोप देने दिया गया तो इजराइल "संयुक्त राष्ट्रसघ के अधिपत्र की धारा ५१ के अन्तर्गत अपने अधिकारों तथा स्वत्वों की रक्षा के हेतु कार्यवाही करेगा।"

मार्च १९५७ के मध्य में मित्र ने गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में ले लिया। उससे पूर्व गाजा पट्टी के ३०० अरब पत्यराव करते तथा मित्री शासन की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्रीय मुख्य कार्यालय की ओर अग्रसर हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय के अभिरक्षकों ने चैतावनी के लिए गोलियाँ चलाई जिनमें एक अरब १० मार्च को बुरी तरह घायल हो गया। राष्ट्रपति नासर ने शीघ्र ही घोषित किया कि क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सघीय सेनाओं ने नागरिकों पर गोनियाँ चलाई हैं। अतएव मित्र गाजा पट्टी पर अपनी जिम्मेदारियों को फौरन ग्रहण करेगा। नासर ने अपने एक जनरल हसन अकल लतीफ को गाजा पट्टी का गवर्नर नियुक्त किया जो १४ मार्च को गाजा पहुँचा। इसके साथ ५० अरबी सेना के तिपाही, १० सैनिक अफसर तथा १२ नागरिक प्रयाणक थे। संयुक्त राष्ट्र सघ के महासचिव हैमर योन्ट मार्च २१ को हवाई जहाज से राष्ट्रपति नासर से मिलने के लिए काहिरा गए। काहिरा बार्ना में उन्होंने

जानना चाहता कि क्या मिस्र इजराइल के विरुद्ध नाकेबन्दी को हटा लेगा। राष्ट्रपति नासर ने माग की कि सयुक्त राष्ट्र सघ आपातकालीन सेनाएँ जिस प्रकार मिस्र में हैं उसी प्रकार इजराइल में भी रहे। महासचिव ने घोषणा की कि युद्ध-बन्दी रेखा को पार न करने देने के लिए मिस्री सेनाएँ सयुक्त राष्ट्र सघीय सेनाओं की सहायता करेंगी। अप्रैल के अन्त तक अरब उपद्रवों के १६ मामलों की सूचना इजराइल ने मुद्रा परिपद में दर्ज कराई जब कि मिस्र ने भी इजराइल पर आक्रमण तथा युद्ध भड़ाने का आरोप लगाया। दोनों में तनाव उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।

नहर संचालन के लिए मिस्री योजना

१० अप्रैल को स्वेज नहर की सफाई का कार्य समाप्त हो गया तथा यातायात फिर से आरम्भ हो गया। २४ अप्रैल १९५७ को ६ सिद्धान्तों के आधार पर (जिनको पहले ही १३ अक्टूबर १९५६ को सुरक्षा परिपद ने मान्य ठहराया था) स्वेज नहर पर नया उसके संचालन पर मिस्र ने अपनी घोषणा प्रकाशित की —

(१) व्यवस्थान का लागू करना — मिस्र ने १९८८ के कुस्तुन्तुनिया व्यवस्थान के प्रति लिखित तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से सम्मान रखने का अपना दृढ़ मकल्प घोषित किया।

(२) सयुक्त राष्ट्र सघ अधिपत्र की मिस्र द्वारा फिर से परिपुष्टि।

(३) नहर से जहाजरानी की स्वतंत्रता, यातायात शुल्क तथा पक्ष निर्णय — यातायात शुल्क की अदायगी २८ अप्रैल १९३६ को मिस्र तथा स्वेज नहर कम्पनी के बीच हुए समझौते के अनुरोधों को ध्यान में रखा जाय।

१२ महीनों के अन्दर यातायात-शुल्क १ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ेगा। आधुनिक जहाजरानी की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वेज-नहर का विकास किया जायगा।

(४) नहर का प्रशासन — स्वेज-नहर का संचालन तथा व्यवस्था स्वाधिकार-सम्पन्न स्वेज-नहर अधिकृत मन्था द्वारा होगी जिसका निर्माण जुलाई २६, १९५६ को मिस्र सरकार ने किया था।

(५) वित्तीय व्यवस्थाएँ — यातायात शुल्क की अदायगी पहले ही स्वेज-नहर अधिकृत मन्था को कर दी जायगी। उन यातायात शुल्क में प्राप्त रकम में से ५% नहर मिस्र को प्रयोग के लिए देनी होगी। नहर अधिकृत मन्था को चाहिए कि वह एक मुद्राभंग कोष की स्थापना करे, जो नहर-भूँजी तथा मुधारकोष कहलाए। इस कोष में यातायात-शुल्क से प्राप्त रकम का २५% रखा जाय।

(६) नहर-नियम संहिता—नहर-संचालन आदि को परिचालित करने के नियम नहर-संहिता के रूप में हैं, जो नहर-विधि है।

(७) भेदभाव तथा शिकायतें.—स्वेज अधिकृत सस्था का अधिकारी ऐसी कोई भी सुविधा किसी एक जहाज या जहाजी कम्पनी को नहीं देगा, जिसे वह दूसरो को नहीं देता। भेदभाव तथा नहर-संहिता के उल्लंघन करने की स्थिति में जो भी शिकायत होगी वह पंच निर्णय के लिए वने न्यायाधिकरण को फँसले के लिए सौंप दी जायगी। इस न्यायाधिकरण में तीन सदस्य होंगे, एक शिकायती पक्ष का होगा, दूसरा नहर अधिकृत सस्था द्वारा नामजद किया जायगा तथा तीसरा वह व्यक्ति होगा, जिसका चुनाव अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष करेगा। इन पंच निर्णय के लिए वने न्यायाधिकरण के निर्णय सब पक्षों को मान्य होंगे।

(८) क्षति पूर्ति तथा दावे —स्वेज नहर मेरीटाइम (समुद्रीय) कम्पनी के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित दलों तथा क्षतिपूर्ति का प्रश्न विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय विधियों के अनुमार पंच-फँसले के लिए सौंप दिया जायगा।

(९) पारस्परिक विवाद तथा मत-भिन्नता —१८८८ के व्यवस्थान के सम्बन्ध में अथवा घोषणा के सम्बन्ध से जो भी पारस्परिक मतभेद एवं विवाद होंगे उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया जायगा।

इन घोषणा को एक 'अन्तर्राष्ट्रीय पुर्जा' के नाम से पुकारा गया जिसे मयुक्त-राष्ट्र मध नविवालय में भी दर्ज करना था। पूरे ६ महीने पश्चात् सामान्य जहाज-रानी के लिए स्वेज नहर को खोलने की घोषणा भिन्न सरकार ने अधिकृत रूप से की।

२९ मार्च को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री हरैल्ड मैकमिलन तथा अमेरिकी राष्ट्र-पति ब्राइजनहावर के बीच वारसूझ में हुई बातचीत के परिणामस्वरूप ब्रिटेन तथा अमेरिका के जहाजों ने राष्ट्रपति नासर की शर्तों पर ही स्वेज नहर का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। मई १९५७ को प्रयोगिता सघ (SCUA) ने भी अपनी नवन बैठक में भिन्न की शर्तों पर ही स्वेज नहर में से वातायात चालू करना स्वीकार कर लिया। मन्त्रिमण्डल की बैठक के बाद ब्रिटिश सरकार ने निर्णय किया कि यातायात शुरू करने में ही मुकनाया जाय क्योंकि नहर का निरंतर बहिष्कार महंगा पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार अब भी मयुक्त राष्ट्रमध से यह गारंटी लेना चाह रही है कि भित्री तानाशाह को, जिनसे अपनी एक पक्षीय नई योजना की योजना की है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इन नियमों को भविष्य में पंचविन नही करने दिया जायेगा।

अक्टूबर में ब्रिटिश-हस्तक्षेप के बाद पहली बार २४ मई १९५७ को युद्ध के परिणामस्वरूप १०० मिलियन पाँड की हानि के मिस्री दावों पर चर्चा करने के लिए, ब्रिटेन तथा मित्र में सीधी वार्ता हुई।

स्वेज-नहर विवाद के परिणाम

स्वेज नहर विवाद बीसवीं सदी की महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। इसके परिणाम अत्यन्त दूरगामी रहे हैं।

पहला इसका परिणाम यह हुआ है कि नहर का मार्ग अवरुद्ध हो गया तथा यूरोप में तेल पहुँचाने के लिए नलों का जो जाल बिछा था, उसके बड़े पैमाने पर छिन्न-भिन्न हो जाने से यूरोप में नलों द्वारा पहुँचने वाले तेल की मात्रा ११८ मिलियन टन से घट कर १६ मिलियन टन वार्षिक पर आ गई।

दूसरा इससे अरब राष्ट्रों में विशेषकर मित्र में इंग्लैंड तथा फ्रांस के सम्मान को पर्याप्त धक्का लगा। "हमने सयुक्त राष्ट्रसंघ को स्थिति की वास्तविकताओं का मामला करने को प्रवृत्त कर दिया है। हमने ऐन मौके पर युद्ध रोकने के लिए हस्तक्षेप किया है नहीं तो रूसी सगठन के अन्तर्गत मित्र की हवाई सेना समस्त मध्यपूर्व को पदाक्रांत कर डालती।" ईडन का यह दावा रोककर श्राँसू पोछने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जैसा कि हमने पूर्व पृष्ठों में से समझा है। ब्रिटेन के इस कार्य से ब्रिटेन तथा अमेरिका के पारम्परिक सम्बन्धों को गहरा धक्का लगा। ९ जनवरी १९५७ को जनमत के भारी विरोध ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ईडन को गद्दी छोड़ने को विवश कर दिया और इस प्रकार ब्रिटिश अनुदार दल में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। वामपक्षी आलोचकों (वेवान तथा जान स्ट्रावी) तथा कई ख्यातनामा कानून-विशेषज्ञों ने प्रभुमत्ता सम्पन्न मित्र के साथ ईडन द्वारा किये गए व्यवहार की जनता के समक्ष कटु आलोचना की। 'सन्डे ईवनिंग पोस्ट' के सम्पादक श्री डेमागी वेस ने यहाँ तक कह डाला कि "१९५३ में ही चर्चिल ने राष्ट्रपति नामर को उग्राड फेंकने की योजना बनाई थी (२० अप्रैल १९५७)"। १९५६ के आक्रमणात्मक अभियान का उद्देश्य यही था कि मित्र के वर्तमान नेतृत्व को बदल दिया जाय, जिससे मित्र को पश्चिम के साथ गठबन्धन के लिए तथा स्वेज-नहर पर पश्चिमी नियंत्रण का अवसर मिल सके। इस बात में शंका नहीं किया जा सकता कि आक्रमण से पूर्व के अन्तिम सप्ताह में जब पारम्परिक वार्ता द्वारा समस्या-समाधान की सम्भावनाएँ थीं उस समय ब्रिटेन तथा फ्रांस की सरकारों ने वानचीन के मार्ग को जरा भी मरल बनाने का प्रयास नहीं किया, दावों त्रिपलैत गुप्त रूप से युद्ध के रास्ते को पकड़ लिया। ब्रिटिश गसद में उत्तेजना के दृश्य दिखाई पड़ने से तथा गनान्ड दल की मुली भर्त्सना की गई।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा साथ ही राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जो कीमत ब्रिटेन को चुकानी पड़ी, निम्नन्देह बहुत बड़ी है क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे मिस्र की ही शर्तों को स्वीकार करना पड़ा तथा नहर पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण को थोपने में असफल रहा।

तीसरा : इसका परिणाम यह भी हुआ कि राष्ट्रमण्डल में गभीर विशोभ उत्पन्न हो गया। युद्ध से पूर्व रस्मी तौर पर राष्ट्रमण्डल के सदस्यों से परामर्श न करने से पाकिस्तान तथा भारत ने इसे विश्वास भंग समझा। केवल आस्ट्रेलिया तथा न्यूजी-लैंड ने ब्रिटिश कार्यवाही का समर्थन किया, दक्षिण अफ्रीका तटस्थ रहा तथा कनाडा में अधिकृत राय ब्रिटेन की कार्यवाही के प्रति आलोचनात्मक थी। वास्तव में ब्रिटेन की इस कार्यवाही ने अस्वस्थ परम्परा की नींव डाली तथा राष्ट्रमण्डल को भग होने की अन्तिम स्थिति में पहुँचा दिया।

चौथा : स्वेज-विवाद का एक परिणाम यह भी हुआ कि एशिया तथा अफ्रीका के देशों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में एशियाई-अफ्रीकी गुट के राष्ट्रों में गहरा सहयोग उत्पन्न हो गया। आज यह दल विश्व-राजनीति में अपना विशेष महत्व रखता है तथा अफ्रीका और एशिया में ब्रिटेन की शक्ति तथा उसके प्रभाव के लिए यह विशेष भ्रष्ट रखता है।

पाँचवा : इमने अरब राष्ट्रों को यह अवसर प्रदान किया कि वे मिस्र के नेतृत्व में एकत्र हो जाय, उस मिन्न के नेतृत्व में जो अरब राष्ट्रों के एक गौरवपूर्ण नेता के रूप में सामने आया है। साऊदी अरब तथा सीरिया ने राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिये तथा अपने देशों में से तेल के प्रवाह को रोक दिया। जोर्डन ने ब्रिटेन को पूर्व सूचना दे दी कि उसे जोर्डन में हवाई अड्डों की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही आग्ल-जोर्डन-सन्धि रद्द कर दी गई। दूसरे अरब राष्ट्रों जैसे ईराक, यमन, नूडान तथा फारस की खाड़ी के शेयडम्म की जनता ने विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शित किया।

. छठा . द्वितीय महायुद्ध के १० वर्ष बाद रूस मध्यपूर्व-क्षेत्र के सुभ्रचितक के रूप में सामने आया। रूस ने मिन्न को युद्धास्त्र दिये तथा आग्ल फ्रासीनी आक्रमण जारी रहने पर हस्तक्षेप की घमकी दे दी। केवल मात्र इन्हीं दो बातों से रूस ने अरब राष्ट्रों और मिन्नियों की सहानुभूति नहीं जीत ली, अपितु युद्ध की समाप्ति पर गेहूँ की गहायता ऐसी स्थिति में देकर, जब अमेरिका ने उसके लिए इन्वार कर दिया हो, रूस ने अरब-राष्ट्रों को अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया। इन प्रकार मध्यपूर्व का द्वार रूस के लिए दृढ़ता गुल गया कि जितना पहले कभी नहीं खुला था और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आग्ल-फ्रासीनी मैनिक कार्यवाही पर है। अमेरिका तथा फ्रांस

ग्रीर इग्लैंड के बीच स्वेज-सकट पर प्रकट हुए पर्याप्त मतभेद का रूस ने लाभ उठाया ।

सातवाँ . आंग्ल-फ्रांसीसी सेनाओं के पलायन से सयुक्त राष्ट्र सघ को एक सुअवसर मिल गया, जिससे कि उसके इतिहास में प्रथम बार आरक्षी-सेना (Police Force) का निर्माण किया गया । ब्रिटेन के कुछ लेखकों का यह दावा है कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए मार्ग प्रशस्त किया तथा सयुक्त राष्ट्र सघ को अधिकार तथा शक्ति प्रदान की । सयुक्त राष्ट्र-सघीय आपातकालीन सेना के निर्माण का श्रेय कनाडा के राजनीतिज्ञ को तथा अमेरिका के सक्रिय समर्थन को जाता है, जिन्होंने गुप्त रूप से ब्रिटेन तथा फ्रांस को धमकी तक दी कि अगरे वे इसके लिए इन्कार करेंगे तो उन पर आर्थिक प्रतिबन्धों का प्रयोग किया जायगा ।

आठवाँ अमेरिका, जो एक तरफ तो आंग्ल-फ्रांसीसी मित्रता में फसा था तथा दूसरी ओर जिसकी नीति उपनिवेशवाद-विरोधी थी, मध्यपूर्व में रूसी हस्तक्षेप को रोकने में इसलिए सफल हो गया कि वह नाटो (NATO) के सदस्य-राष्ट्रों पर दबाव डालता रहा । अगरे अमेरिका न होता तो बिना प्रभावपूर्ण गारंटियों को प्राप्त किए इजराइल कभी भी गाजा-पट्टी तथा अकाबा की खाड़ी को इतनी शीघ्रता से खाली नहीं करता । इसके साथ ही अमेरिका को आइजन हावर-योजना (मध्यपूर्व के लिए) को घोषित करने का एक शानदार सुअवसर मिल गया । इस योजना के सम्बन्ध में हम अगले पृष्ठों में विचार करेंगे ।

नवा . मिनाई द्वीप, गाजा पट्टी, शर्म-एल-शेख तथा अकाबा की खाड़ी पर एक ही झण्डे में अधिकार करके इजराइल ने यह प्रदर्शित कर दिया कि अरब-राष्ट्रों का मुकाबले उसका सैनिक मगठन ऊँचे दर्जे का है । यह ठीक है कि इनमें से किसी पर भी वह स्याही रूप से अधिकार न जमा सका तो भी, जो युद्धास्त्र रूस ने मित्र को दिये थे, उन्हें बहुत बड़ी मर्यादा में इजराइल ने छीन लिया । इस बात की भी पूर्ण सम्भावना है कि उसके जहाजों को स्वतन्त्र रूप से स्वेज-नहर में से आने-जाने का अधिकार प्राप्त हो जायगा जो १९५६ से मित्र द्वारा रोक दिया गया था ।

दसवाँ . इस बात ने टुन्कार नहीं किया जा सकता कि आंग्ल-फ्रांसीसी-उजराइली मयुक्त आक्रमण ने मित्र की आर्थिक योजनाओं पर घुरा बरस डाला है । २५० मिलियन पाउंड के नयी युद्धास्त्र लगभग सब नष्ट हो गये । ब्रिटेन तथा फ्रांस उन विमान योजनाओं में हट आये, जिनमें वे हिम्मा ले रहे थे । अफेने ब्रिटेन ने १०० मिलियन पाउंड मित्र के स्टॉकिंग प्लान में से रोक लिये हैं । इतना ही नहीं, पाउंड स्टैंड, पाउंड फाउंड, रूसी-रुबिया, पाउंड स्वेज, अलकनतारा तथा मिक्न्दरिया

आदि मिस्री शहरों को हवाई आक्रमणों से पर्याप्त हानि पहुँची है। मिस्र पर आक्रमण करने के आग्ल-फ्रांसीसी-इजराइल तिगड्डे के पडयत्र का मिस्र ने भडाफोड कर दिया।

६

१ जनवरी १९५७ को मिस्र ने १९५४ की आग्ल-मिस्री-सधि को रद्द करके ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी बैंको का राष्ट्रीयकरण कर लिया। स्वेज-सकट के परिणाम-स्वरूप अरब-राष्ट्रीयता के नेता तथा प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रपति नासर की प्रतिष्ठा तथा उच्चता में चार चाद लग गये हैं। नासर के अनुमार स्वेज-सकट से चार महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं.—

“पहला, जो मिस्र को ही नहीं ममस्त विश्व को निकालना चाहिये, वह है कि इजराइल उपनिवेशवाद के विकास के लिये एक अड्डा है तथा अपनी कुचेष्टाओं को पूर्ण करने के लिये वह उपनिवेशवादियों के हाथ की कठपुतली मात्र है। अपनी योजनाओं के लिये उपनिवेशवादी शक्तियां हमेशा इजराइल से शिखटी का काम लेगी। दूसरा निष्कर्ष यह है कि हरेक अरब राष्ट्र ने यह अनुभव कर लिया है कि उपनिवेशवाद तथा स्वाधीनता में कभी भी सह-अस्तित्व नहीं हो सकता। तीसरा निष्कर्ष यह है कि हरेक यह अनुभव करता है कि सैन्य शक्ति के रूप में उपनिवेशवाद का खतरा धीरे-धीरे कम हो रहा है। विश्व उसे फिर से सैनिक शक्ति प्राप्त नहीं करने देगा। एक निष्कर्ष यह भी निकाला जा सकता है कि उपनिवेशवादी शक्तियां अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पड्यत्रों तथा आंतरिक कलह का सहारा लेंगी। साथ ही अरब राष्ट्रों ने यह अनुभव कर लिया है कि ब्रिटेन तथा फ्रांस का मध्यपूर्व में रहने का क्या अर्थ है तथा उनके इस क्षेत्र में कौन-कौन मददगार हैं। यह कल्पना कि अरबों के अस्तित्व के लिये ही ब्रिटेन के सहयोग तथा संरक्षण की आवश्यकता है अब धूमिल हो गई है। जहां तक स्वेज समस्या के समाधान का प्रश्न है हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के पक्षपाती हैं तथा हम किसी भी प्रकार के आधिपत्य के विरोधी हैं चाहे फिर वह अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के रूप में ही क्यों न हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन तथा नियंत्रण उपनिवेशवाद का अभिन्न रूप सामूहिक-उपनिवेशवाद है।”

५ मध्यपूर्व में बड़े राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्विता

सूत्रविज्ञ का कथन है “मध्यपूर्व की जो विश्व शक्ति स्थिति है, उसके कारण हैं—प्रथम महायुद्ध के पश्चात् मध्यपूर्व का राजनीतिक दृष्टि में विभाजन, द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति से ब्रिटेन की शक्ति का विघटन होने जाना, अरब इजराइल तनाव तथा अब अरब राष्ट्रों को एक सूत्र में करने में अरब राष्ट्र की समझौता।” हम तथा अमेरिका ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव और नेतृत्व जमाने के लिए जो तीव्र प्रति-

द्वन्द्विता चलाई उसने इस विभाजन को बढ़ावा ही दिया, साथ ही उसका परिणाम यह भी निकला है कि यदा-कदा सघर्ष हो जाते हैं। यह सघर्ष चल ही रहा था कि इस क्षेत्र में आंग्ल-फ्रांसीसी स्थिति के पतन की घटना घटी तथा इसने ही 'शीत युद्ध' को पुनर्जीवित कर दिया। यह ईरान के प्रश्न तथा सीरिया-लेबनान विवाद (पृष्ठ १२५-१२६ पर देखिए) और स्वेज-समस्या में स्पष्ट परिलक्षित होता है।

बड़ी शक्तियों की राजनीति मध्यपूर्व ऐसा क्षेत्र है, जहाँ बड़ी शक्तियों में मत्ता तथा प्रभाव के लिए होड़ लगी है। रूस की दिलचस्पी इसमें है कि अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य शत्रुओं को, जो मध्यपूर्व में सैनिक अड्डे बनाना चाहते हैं, वहाँ से खदेड़ दिया जाय तथा किसी भी बड़ी शक्ति के स्थान पर रूसी प्रभाव को जमा दिया जाय। रूसी तो मध्य-पूर्व के तेल पर निर्भर नहीं हैं, अतः उनकी सीधी दिलचस्पी अरबों को इसके लिए प्रोत्साहित करने में है कि वे पश्चिमी शक्तियों को तेल के लिए मना कर दे। रूस को इसका बड़ा लाभ है कि बड़ी शक्तियों में से यही इस क्षेत्र के सबसे समीप है। इसीलिए पश्चिमी साम्राज्यवादियों तथा इजराइल के विरुद्ध जो इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को थोपना चाहते हैं, रूस तटस्थ राष्ट्रों के सहयोग के लिए प्रयत्न करता है। जब पश्चिमी शक्तियों ने अरबों को युद्धास्त्र न देने का कोरा जवाब दे दिया, तो रूस आगे आया और उसने अरबों को हथियार भेजकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करली। जब मिस्र पर आंग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण हुआ तो रूस ने मिस्र को स्वयं-सेवक अर्पित किये, जिसका अमेरिका ने विरोध किया। मध्य-पूर्व प्रतिरक्षा-संगठन (MEDO) की अमफलता, सूडान तथा स्वेज-नहर के अड्डे से ब्रिटेन का पलायन, वगदाद-मधि के विरुद्ध ब्रिटेन-विरोधी प्रचार, जोर्डन में ब्रिटिश प्रभाव का क्षय, आंग्ल-ईरानी तेल विवाद और ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल के मिस्र पर किए गए न्युक्लियर आक्रमण की अमफलता ने रूस को अरब राष्ट्रों—जनता तथा शासक दोनों—के हित-प्रयोजन को मध्यम द्वारा आगे बढ़ाने का मुशवसर प्रदान किया।

अमेरिका के मध्यपूर्व में तीन बड़े हित हैं (१) तेल प्राप्त करना, (२) नैतिक राष्ट्रों को उपलब्ध करना, (३) साम्यवाद के विस्तार को अवरुद्ध करना तथा स्वेज-नहर पर, जो एशिया तथा अफ्रीका को मिलाने वाला महत्वपूर्ण जलमार्ग है, रूस के प्रतिभार को निषिद्ध करना। अमेरिका फ्रांस तथा ब्रिटेन से भी गठबंधन बनाए रखना चाहता है एवं सैनिक तथा आर्थिक कारणों से अरब राष्ट्रों में भी मित्रता के सम्बन्ध रखने का उत्सुक है। वर्तमान में विश्व भर के तेल का तीन चौथाई भाग मध्य-पूर्व क्षेत्र में है, तथा रूसी प्रभुत्व को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति आउजन हावर ने मध्य-पूर्व पर दृष्टि कात्रेण के लिए अपने विद्यमान प्रदेश में एक नई नीति का सूत्रपात किया जो अरब जनता-सिंहान के नाम से जानी जाती है।

लायड की पंचसूत्री योजना

२७ नवम्बर १९५६ को ब्रिटेन के विदेश मन्त्री सेलविन लायड ने पंचसूत्रीय योजना की रूप रेखा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य था मध्य-पूर्व के बारे में समान नीति अपना कर आंग्ल-प्रमेरिकी गठबन्धन को पुनः घनिष्ट बनाना। वे सूत्र ये हैं

(१) इजराइल तथा मिस्र के बीच भविष्य में युद्ध की कार्यवाहियों को रोकना तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सयुक्त राष्ट्र सघीय सेना को पूरा समर्थन।

(२) १८८८ के व्यवस्थान के अन्तर्गत तथा उन छ. सिद्धान्तों के अनुसार, जिन्हें गत श्रवटूबर में सुरक्षा परिषद् ने सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया था, अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त कर के, स्वेज नहर के लिए एक स्थायी प्रणाली की स्थापना।

(३) इजराइल तथा अरब राष्ट्रों के बीच एक स्थायी समाधान की प्राप्ति, जिसमें उन अरब विस्थापितों की समस्याओं का भी उचित समाधान शामिल हो, जो गत आठ वर्षों की घटनाओं के अभागे शिकार हुए हैं।

(४) बगदाद-संधि को सुदृढ करना। अमेरिका अर्थव्यवस्था समिति का सदस्य तो पहले ही है, क्या उसकी सहायता की आवश्यकता यही तक है।

(५) इस क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं को विचारपूर्वक तथा दूरदर्शिता से हल करना, जिसमें की सम्पूर्ण क्षेत्र में रहन-सहन का स्तर धीरे-धीरे ऊपर उठता जाय।

इन सूत्रों को लागू करने के बारे में वारमूडा में २२ मार्च से २६ मार्च १९५७ तक राष्ट्रपति आइजन हावर तथा ब्रिटिश प्रधान मन्त्री हरोल्ड मैकमिलन में आपसी विचार-विनिमय हुआ। इस बातचीत में यह तय पाया गया कि अमेरिका बगदाद-संधि की सैनिक समिति में सक्रिय भाग लेगा तथा वह मध्यपूर्व के राष्ट्रों एवं पश्चिमी शक्तियों के बीच की गलतफहमियों को कम करने का प्रयत्न करेगा। दोनों ने घोषणा की कि उनका दृढ उद्देश्य है कि मध्यपूर्व में उचित तथा स्थायी शान्ति और उम क्षेत्र की जनता की न्यायपूर्ण प्रेरणाओं को प्राप्त करने में सहयोग देना।

आइजन हावर-सिद्धान्त

५ जनवरी, १९५७ को राष्ट्रपति आइजन हावर ने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष मध्य-पूर्व में शांति के लिए अपनी नवीनतम योजना प्रस्तुत की। उन्होंने घोषणा की - "अपने लम्बे तथा महत्वपूर्ण इतिहास में मध्यपूर्व एकाएक एक नई तथा नमन्यापूर्ण स्थिति में पहुँच गया है। ... इस क्षेत्र में प्रायः उच्च-शुद्ध हर्ड है ... साथ ही इसी मिलितले में उजराजल द्वारा गन आतूवन में मिन पर हुए चडे आतमगु ने उजराजल

तथा उसके पड़ोसी अरब राष्ट्रों के मूलभूत मतभेदों को और भी बढ़ा दिया है। 'यह उथल-पुथल तीव्र कर दी गई है और अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद ने उसे अपने लाभ के लिए और भी तोड़-मरोड़ दिया है। रूसी शासक लम्बे समय से मध्यपूर्व को अपने प्रभुत्व में लाने के प्रयास में लगे हैं।' इस तरह उनके विचार में तीन सरल तथा निर्विवाद तथ्य हैं

(१) आज अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के लिए मध्यपूर्व इतना बहुमूल्य है जितना कि पहले कभी नहीं था।

(२) रूसी शासक यह प्रदर्शित करते रहे हैं कि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये किसी भी तरीके को अपनाने में नहीं चूकेंगे।

(३) मध्यपूर्व के स्वतन्त्र राष्ट्रों को अधिक शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है जिससे वे अपनी स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाये रख सकें।

राष्ट्रपति ने कांग्रेस के समक्ष निम्नांकित सुझाव रखे

(१) अमेरिका को इस बात का अधिकार दे दिया जाय कि वह मध्यपूर्व क्षेत्र में किसी राष्ट्र या राष्ट्र-समूह से आर्थिक सामर्थ्य के विकास में सहयोग कर सके, जिससे कि राष्ट्रीय स्वाधीनता को बनाये रखा जाय।

(२) किसी राष्ट्र या राष्ट्र-समूह के साथ जो सैनिक सहयोग तथा सहायता के इच्छुक हों, ऐसे सहयोग तथा सहायता के लिए कार्यपालिका को अधिकार दे दिया जाय।

(३) इस सहायता तथा सहयोग कार्य में अमेरिका के सशस्त्र सैनिकों को भर्ती करने का अधिकार सम्मिलित किया जाय जो उन राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा क्षेत्रीय एकता की सुरक्षा तथा बचाव करे, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद द्वारा नियंत्रित किसी राष्ट्र की ओर से सशस्त्र आक्रमण के विरुद्ध ऐसी सहायता चाही हो।

(४) १९५८-५९ के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बीच, मध्यपूर्व के राष्ट्रों को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिकी आर्थिक सहायता के बतौर, राष्ट्रपति को सी करोड रुपये खर्च करने का अधिकार दिया जाय। यह सहायता 'पारम्परिक सुरक्षा अधिनियम (१९५८)' के अन्तर्गत प्राप्त निधि के अतिरिक्त होगी।

निर्णय पत्र में राष्ट्रपति ने कहा "उन प्रस्तावित कानूनी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है साम्यवादी आतंकवादी उन्मादना का मुकाबला करना, चाहे वह आतंकवादी प्रयत्न हो अथवा नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि शक्ति के अभाव

को-बाह्य सैनिक महायत्ना से नहीं, अपितु उस क्षेत्र के स्वतन्त्र राष्ट्रों की सुरक्षा तथा बढ़े हुए उत्साह द्वारा पूरा किया जाय ।”

राष्ट्रपति के इन सुझावों पर कांग्रेस के दोनों सदनों ने विचार किया । सीनेट ने तो यह घोषणा भी कर दी कि अमेरिका राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही करने को तत्पर है । इस परिवर्तन से, जिसे राष्ट्रपति ने भी स्वीकार कर लिया, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है । लिवरल डेमोक्रेट्स ने शासन द्वारा अरबों को इस प्रकार रिझाने पर असंतोष प्रकट किया । अनुदार-दली सदस्यों ने सर्वे के पहलू का विरोध किया तथा दोनों दलों ने गिकायत की कि इस सिद्धांत में मध्य-पूर्व की दो महत्वपूर्ण समस्याओं—इजराइल तथा स्वेज नहर—को हल करने का प्रयास नहीं है । अन्त में राष्ट्रपति के दवाव से तथा सिद्धांत का उद्देश्य साम्यवाद विरोधी होने से विरोध शान्त हो गया । राष्ट्रपति आइजन हावर के हस्ताक्षरों के पश्चात् ६ मार्च १९५७ को इस प्रस्ताव ने अधिनियम का रूप धारण कर लिया । प्रस्ताव में यह उल्लिखित है कि इस निधि का एक हिस्सा बतौर ऋण के दिया जायेगा । इस अधिनियम के अन्तर्गत सैनिक सहायता की व्यवस्था इस शर्त पर रखी गई है कि इसका प्रयोग आन्तरिक उद्देश्य से नहीं होगा तथा बिना अमेरिकी वापस की स्वीकृति के इसे किसी तीसरे राष्ट्र को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा । विदेश मंत्री डलेम की परिभाषा के अनुसार मध्य-पूर्व क्षेत्र की सीमाएँ इस प्रकार हैं— पश्चिम में लीबिया, पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर में तुर्की तथा दक्षिण में अरब द्वीप जिसमें स्योपिया तथा सूडान भी शामिल हैं ।

आइजन हावर-सिद्धांत की प्रतिक्रिया

रूस के प्रमुख पत्र 'प्रवदा' ने घोषणा की कि इस सिद्धांत का इरादा है 'नग्न शक्ति के प्रयोग से अरब जनता के राष्ट्रीय स्वाधीनता-आन्दोलन का गला घोटना और साथ ही साथ उनकी आर्थिक सहायता का प्रलोभन देना जिनके साथ बाद में हमें गला गी तरह बाधित करने के ऋणदाता राजनीतिक नुविधाओं की मांग करने ।”

मिस्र, सीरिया, साउदी अरब तथा जार्डन का जिन्होंने पश्चिमी-विरोधी तटस्थ नीति का अनुकरण किया, उच्च-स्तरीय सम्मेलन काहिरा में १६ जनवरी, १९५७ को हुआ ।

उस सम्मेलन ने नाऊरी अरब के शाह को यह अधिकार दे दिया कि वह अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा के दौरान में राष्ट्रपति आइजन हावर को यह बता दें कि अरब-राष्ट्र मध्य-पूर्व में शक्ति रिकतना के सिद्धांत को नहीं स्वीकार करते तथा वे

शेपीलोव की छ सूत्री शांति योजना

आइजन हावर-सिद्धांत की घोषणा के बाद एक पखवारे के अन्दर-अन्दर ही रूसी प्रधानमंत्री मार्शल बुल्गानिन ने अमेरिकी योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा "आइजन हावर योजना निकट मध्य-पूर्व में आर्थिक तथा राजनीतिक विस्तार की योजना है, जिसका आधार सशस्त्र सेना है। इस योजना से उपनिवेशवाद अपने नये रूप में प्रकट हुआ है। वे अरब राष्ट्रों की आर्थिक मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। इन देशों की जनता देखेगी कि इस तथा-कथित सहायता से उन्हें क्या लाभ होगा।" मध्य-पूर्व क्षेत्र में शान्ति तथा सुरक्षा के गम्भीर खतरे से भरी हुई इस योजना को साम्राज्य-विस्तार का षड्यन्त्र कहा गया है।

आइजन हावर योजना के विकल्प स्वरूप १२ फरवरी १९५७ को रूसी विदेश मंत्री श्री शेपीलोव ने मध्य-पूर्व के लिए अपनी छ सूत्री शांति योजना की घोषणा की। अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन को दी गई प्रस्तावितियों में निम्नांकित बातों पर जोर दिया गया —

- (१) विवादाम्पद प्रश्नों को केवल शान्ति-पूर्ण उपायों तथा आपसी बातचीत द्वारा हल करके निकट तथा मध्य-पूर्व में शान्ति को बनाये रखना।
- (२) मध्य-पूर्व के देशों के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा उनकी प्रभुसत्ता और स्वाधीनता के प्रति सम्मान रखना।
- (३) बड़ी शक्तियों के साथ बने सैन्य गठबन्धनों में इन राष्ट्रों को शामिल करने के प्रयत्न का परित्याग।
- (४) मध्य-पूर्व के देशों की सीमाओं से विदेशी अड्डों तथा सैन्य टुकड़ियों का हटाया जाना।
- (५) इन देशों को युद्धास्त्र भेजने का पारम्परिक परित्याग तथा बहिष्कार।
- (६) बिना राजनीतिक, सैनिक अथवा दूनरी प्रकार की उन शर्तों को, जो इन देशों की प्रभु-सत्ता तथा सम्मान से मेल नहीं खाती, इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विकास के लिए महयोग।

यह घोषणा हर उम राष्ट्र के लिए सुनी थी, जो मध्य-पूर्व में शान्ति के लिए महयोग देने का इच्छुक हो। अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस इन पश्चिमी राष्ट्रों ने रूसी योजना को दुर्गम किया, तथा उन आइजन हावर-सिद्धान्त को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दबाव डाला गया। यह स्मरणीय है कि रूसी योजना का उद्देश्य है बड़े राष्ट्रों के बीच परित्याग, उन बड़े राष्ट्रों के बीच जो अभी तक मध्य-

पूर्व में प्रभाव तथा शक्ति की दृष्टि से एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी हैं। इसके विपरीत आइजन हावर सिद्धांत का उद्देश्य है मध्यपूर्व में अप्रत्यक्ष साम्यवाद के विस्तार को रोकना तथा मध्यपूर्व के देशों की स्वाधीनता तथा एकता को आर्थिक तथा सैन्य सहायता देकर अक्षुण्ण रखना यदि वे देश ऐसा चाहें।

जोर्डन में सकट

१९५३ में हुसैन जोर्डन का शाह बना। उस समय वह १८ वर्ष की अवस्था का बालक ही था। इसकी शिक्षा-दीक्षा इंग्लैण्ड में हैरो तथा सैडहर्स्ट में हुई। इसके कार-डीड तथा हवाई-डीड जैसे खर्चिले शौक थे। पहले तो हुसैन ने राजकीय मामलों की उपेक्षा की किन्तु एक-डेड भाल में ही बालक शाह मित्र तथा ब्रिटेन के बीच खँव-तान का विषय हो गया क्योंकि दोनों ही उसके देश में प्रभाव जमाना चाहते थे। ब्रिटेन ही जोर्डन को आस्तित्व में लाया था और इसको एक बड़ी सेना तथा १२ मिलियन पाँड की वार्षिक सहायता देता था। अतः वह चाहता था कि शाह हुसैन पश्चिम-पक्षपाती मुस्लिम गुट में शामिल हो जाय, जिनमें ईराक भी शामिल है। राष्ट्रपति नामर चाहते थे कि हुसैन पश्चिम-विराधी गुट में शामिल हो जाय, जिनमें सीरिया, मित्र तथा साऊदी अरब शामिल हैं।

कुछ तो अरब राष्ट्र के दबाव से तथा कुछ अपनी गद्दी को बनाये रखने की इच्छा के दबाव से शाह हुसैन ने फिनस्तैनीयों की बात मान ली क्योंकि जोर्डन में बहुसंख्यक ये ही हैं। सेनाध्यक्ष जनरल ग्लव पाशा के साथ सभी ब्रिटिश अफसरों को हटा दिया गया। नानर-पक्षपाती लोगों को सेना में ऊँचे स्थानों पर नियुक्त किया गया। जब इजराइल ने जोर्डन पर आक्रमण किया उस समय अक्टूबर १९५६ को उसकी रक्षा करने के लिए सीरिया तथा साऊदी अरब की सेनाएँ जोर्डन में घुस गईं।

अक्टूबर १९५६ में जोर्डन के मसदीय निर्वाचन हुए। फिनस्तैनीयों के वाम-पक्षी दल ने ४० में से २५ न्याय प्राप्त किये। शाह हुसैन ने मुल्कीय नवुल्मी को प्रधान-मन्त्री नियुक्त किया। नवुल्मी सरकार ने अप्रैल १९५६ में ब्रिटेन के साथ की गई १९४८ की सन्धि को नमान्त करके निर्वाचन में की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया तथा दूसरे अरब-राष्ट्रों में वित्तीय सहायता मागी। शाह हुसैन ने अपने प्रधान-मंत्रियों से साम्यवादी गतिविधियों को रोकने को कहा, जिसके लिए उसने इकार बन्द दिया। जैना कि हम पहले डेय चुके हैं, काहिरा सम्मेलन (फरवरी १९५७) में उक्त साऊदी ने जोर्डन को आइक निदान के लिए राजी कर लिया।

१० अप्रैल १९५७ को वह नरैत मिला कि नवुल्मी सरकार एक तो दल में

और भी घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है तथा दूसरे वह जोर्डन की नागरिक सेवाओं में से उन कर्मचारियों की सफाई करना चाहती है जो अत्यधिक शाह-भक्त हैं। एक सेनानायक अली आबू नवर के नेतृत्व में फिलस्तीनियों के पश्चिम विरोधी क्रान्तिकारियों ने गुप्त रूप से हुसैन विरोधी विद्रोह का सगठन प्रारम्भ कर दिया। दो दिन पश्चात् यह विद्रोह कुचल दिया गया तथा नवर सीरिया भाग निकला। नबुल्सी मन्त्रिमण्डल को त्याग पत्र देना पडा। शाह हुसैन ने एक मिला-जुला मन्त्रिमण्डल नियुक्त किया जिसका नेता बना हुसैन फहाकरी खालिदी। इस मन्त्रिमण्डल में विदेश-मन्त्री नबुल्सी को ही रखा गया। जोर्डन की सेना का प्रधान सेनाध्यक्ष जनरल अली हयारी को नियुक्त किया गया, जो नवर का स्कूल का सहपाठी था। २० अप्रैल १९५७ को जनरल हयारी एक वहाने से सीरिया भाग गया तथा वहाँ से त्याग-पत्र देकर राजनीतिक शरण की माँग की। हयारी ने शाह हुसैन पर यह आरोप लगाया कि "वह विदेशी सैनिक अफसरो के सहयोग से जोर्डन की स्वाधीनता के विरुद्ध पड्यन्त्र रच रहा है।" हुसैन ने शीघ्र ही कट्टर विदोइन * जनरल मज्जाली को हयारी के स्थान पर नियुक्त कर दिया। गलियों में उपद्रवों के बाद २५ अप्रैल १९५७ को खालिदी-सरकार ने त्याग पत्र दे दिया। नबुल्सी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। छ महीने के लिए ससद को समाप्त कर दिया गया तथा सैनिक कानून घोषित कर दिया गया। प्रेस पर निगरानी का प्रतिबन्ध लगा दिया गया, जल्मो तथा सभाओं को बन्द कर दिया गया तथा सैकड़ों शाह-विरोधी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक नया शाह-भक्त मन्त्रिमण्डल प्रधान मन्त्री इब्राहीम हशम के नेतृत्व में बना। सुलीमान तुकान को प्रतिरक्षा मन्त्री तथा जोर्डन का सैनिक गवर्नर नियुक्त किया गया। कड़ा कर्फ्यू लगा दिया गया तथा तमाम राजनीतिक सगठनों को समाप्त कर दिया गया। जोर्डन के पश्चिमी किनारे पर रहने वाले फिलस्तीनी अरबों के नेताओं को उनके घरों में ही नजर बन्द कर दिया गया। अपने आकाशवाणी भाषण में हुसैन ने वामाक्षी दलों के नेताओं तथा सैनिक पड्यन्त्रकारियों की यह कह कर भर्त्सना की कि उन्होंने अपने आप को परकीय पड्यन्त्रकारियों के हाथों बेच दिया है।

इसी बीच अमेरिका ने शाह हुसैन को गद्दी पर बनाए रखने के लिए सब प्रकार के उपाय कर लिए। अमेरिकी विदेश-मन्त्रि उलेम ने कहा, 'हमारी इच्छा हर प्रकार से शाह हुसैन के हाथ मजबूत करने की है।' छठा अमेरिकी वेदा वेस्त में उस निष्पत्ति के लिए जोर्डन के अन्दरूनी मामलों में बड़े राष्ट्रों के हस्तक्षेप को रोकना

* जोर्डन में ६ लाख फिलस्तीनी अरब हैं, जो पश्चिमी किनारे पर रहते हैं तथा ४ लाख विदोइन हैं, जो जोर्डन नदी के पूर्वी किनारे पर रहते हैं।

जाय। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि जोर्डन की स्वाधीनता तथा एकता परमा-वश्यक है तथा जोर्डन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नैतिक उपाय किए गये हैं। २६ अप्रैल को वाशिंगटन से जोर्डन को १० मिलियन डालर (५ करोड़ रुपये) की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई तथा दो दिन पश्चात् ही छठा वेड़ा वापिस बुला लिया गया।

इस प्रकार अमेरिका अधिकांशतः आइक-योजना के जरिये ही मध्यपूर्व में अपना राजनीतिक कार्य कर रहा है, जिस योजना के अन्तर्गत मध्यपूर्व के देशों को साम्यवादी आक्रमण से बचाव तथा आर्थिक सहायता देना है। आइक-योजना का प्रमुख रूप जोर्डन की घटनाओं के समय आया जबकि शाह हुसैन ने अमेरिकी सहायता को स्वीकार करने की आकांक्षा प्रदर्शित की तथा पश्चिमी किनारे पर रहने वाले सीरिया तथा मिस्र द्वारा समर्थित फिलिस्तीनी अरबों ने इसका विरोध किया। संकट के विपमत्तम हो जाने की स्थिति में आइजन हावर ने योजना का नैतिक पहलू काम में लिया तथा शाह हुसैन की सहायता के नाम पर छठा वेड़ा पूर्वी भूमध्यसागर को भेज दिया गया। आइक-योजना को स्वीकार कर के भी शाह पश्चिमी किनारे पर रहने वाले अरबों तथा मिस्र और सीरिया की भावनाओं को रोकने को तैयार नहीं है।

ब्रिटेन के मजदूर-दल की दृष्टि से जोर्डन में अमेरिका का यह नया कार्य 'अरब-राष्ट्रों में जबर्दस्ती हस्तक्षेप का अभियान' मालूम होता है। उन्होंने इसकी भर्त्सना उसी प्रकार की जिस प्रकार मिस्र पर आंग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण की की थी। अन्यूरिन वेवान के शब्दों में "अमेरिका हर स्तर पर मध्य-पूर्व में अपने आपको शत्रु के रूप में प्रकट कर रहा है। यह वही कार्य कर रहा जो ब्रिटेन तथा फ्रांस ने किये थे तथा जिनका परिणाम भीषण निकला।" 'ट्रीब्यून' ने आइक-योजना को मध्यपूर्व की धान्ति को खतरा बताया है। यह तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि आइक-योजना से मध्यपूर्व की समस्याओं का हल नहीं होता है, जैसे कि अरब-इजराइल सम्बन्ध, अरब विस्थापितों का भविष्य तथा स्वेज नहर का भविष्य। जोर्डन-संकट ने राष्ट्रीय अरब गुट के बीच झगडा-बखेडा तथा मतभेद उत्पन्न कर दिया, जिसमें एक पक्ष मिस्र तथा सीरिया का है और दूसरा है साऊदी अरब तथा जोर्डन का।

व्याख्यान ६

सन् १९१६ से पूर्वी एशिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

विषय प्रवेश — एशिया विश्व का केवल सबसे बड़ा महादेश ही नहीं बल्कि विश्व की आधी से अधिक आवादी का यह निवास-स्थान है। इस परिच्छेद में हम पूर्वी एशिया के हाल के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि 'पूर्वी एशिया' शब्द से विदित है इसके अन्तर्गत चीन, जापान, फिलीपीन के द्वीप समूह, बर्मा, हिन्द-चीन, मलाया, श्याम और हिन्देशिया के द्वीप समूह आते हैं। इस अध्याय में हम न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, भारत, तिब्बत और सिक्काग पर प्रकाश नहीं डालेंगे क्योंकि उनके हाल की स्थिति का अध्ययन हम ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के एक अङ्ग के रूप में तथा भारत और चीन की विदेश नीतियों के अन्तर्गत करेंगे। मंगोलिया, मचूरिया, कोरिया और फारमोसा पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश डाला जायेगा।

चीन पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा घनी आवादी वाला तथा महत्वपूर्ण देश है। १९१२ में २६८ वर्षों से चला आ रहा मचू वंश का शासन समाप्त करने के बाद वहाँ गणतन्त्र की स्थापना हुई। तत्पश्चात् दो दलों ने जिसमें से एक ने उत्तर में पेकिंग से और दूसरे दल ने दक्षिण में कैंटन से चीन को एक गणतन्त्र सरकार के मातहत पुनः मगठित करने का प्रयास किया। १९४६ तक कोई भी दल समस्त चीन में शांति व व्यवस्था कायम करने में सफल नहीं हुआ हालांकि १९२८ से १९४६ तक चीन की राजनीति पर च्याग काई शेक के नेतृत्व में कोमिताग राष्ट्रवादियों का प्रभाव रहा।

१९१३ में तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और १९५० तक उसे कायम रखा अर्थात् उस समय तक जब तक चीन के कम्युनिस्टों ने दलाई लामा की भूमि पर पुनः अधिकार प्राप्त नहीं कर लिया। सन् १९१७ की रूसी क्रांति ने जापान को एशिया के देशों में अपनी स्थिति मजबूत बनाने में सहायता दी। इसके परिणामस्वरूप उसकी मना कोरिया में ही सीमित न रहकर मचूरिया, माइवेरिया और मंगोलिया आदि देशों में भी फैल गई। १९३१-३३ के मकट के परिणामस्वरूप मचूरिया पर जापान की तटपुत्रनी सरकार मत्तान्द हो गई। इसी बीच रूस ने मंगोलिया और बाहरी मंगोलिया पर चीन की प्रभुमत्ता को स्वीकार करने हुए दोनों देशों में अपना प्राथमिक प्रभाव मजबूती से कायम रखा। १९४५ में बाहरी मंगोलिया

स्वतंत्र हो गया लेकिन सोवियत सघ से इसका निकट सम्बन्ध कायम रहा। दूसरे विश्व-युद्ध के परिणामस्वरूप मंचूरिया पर मे जापान का शासन समाप्त हो गया। वैधानिक तौर पर इस समय मंचूरिया, भीतरी मंगोलिया और सिक्किम पर चीन का अधिकार है।

कदाचित् १९ वीं शताब्दी में जापान का उत्थान एशिया की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है जो ब्रादशाह मेजी के नेतृत्व में ३७ वर्षों तक (१८६७-१९०५) के शासन के दौरान में विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। १८६५ में जापान ने चीन को युद्ध में हराकर फारमोसा और पेसकाडोर्स को अपने आधीन कर लिया। १९०२ में जापान ने ब्रिटेन के साथ सन्धि कर ली। १९०५ में जापान ने रूस को हराकर पोर्ट्स माउथ सन्धि (५ सितम्बर १९०५) के अनुसार दक्षिणी सखालिन, पोर्ट आर्थर की भूमि और लियोटग प्रायद्वीप को तथा दक्षिण मंचूरिया को रेलों तथा खानों को जो पहले रूस के अधिकार में थी अपने कब्जे में कर लिया। १९१० में जापान ने कोरिया को अपने राज्य में शामिल कर लिया और चार वर्षों के पश्चात् जर्मनी से किआंगो (शातुग) को भी अपने अधिकार में ले लिया। इसके अतिरिक्त अपनी १९१५ की '२१ मागो वाली तालिका' में चीन ने अपना संरक्षण कायम करने की माग की। १९१८ में जापान किआंगो (शातुग), मंचूरिया, भीतरी मंगोलिया, उत्तरी सखालिन और पूर्वी साइबेरिया आदि सभी देशों पर अपना प्रभुत्व कायम कर चुका था।

जहाँ तक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सम्बन्ध है फिलीपीन १९४६ तक (१८९८ से) एक अमेरिकी उपनिवेश बना रहा। इसी प्रकार १९४८ तक हिन्देगिया पर डच का और १९५४ तक हिन्दचीन पर फ्रान्स का अधिकार कायम रहा। बर्मा और मनाया क्रमशः १९४८ और अगस्त १९५७ तक ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बने रहे। हांगकांग पर अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व कायम है। केवल स्याम (थाईलैंड) ही अब तक स्वतन्त्र रह सका है। मकाओ और निगूर पुर्तगाल के अधीन हैं।

पेरिस शांति सम्मेलन १९१६ में सुदूर-पूर्वी समस्याएँ

१९१६ के पेरिस शांति अधिवेशन में जापान का स्थान विश्व की पाँच महान् शक्तियों में एक था तथा इसका प्रतिनिधित्व माचिबन सेनोजी, वाइकाऊट चिटा और बैरन मेचिनो ने किया था। परन्तु चीन उस समय गृह-युद्ध में फसा था और इसका प्रतिनिधित्व उत्तरी चीन (पेकिंग सरकार) की ओर से एल्फ्रेड एम० के० जे० और दक्षिणी चीन (कैटन सरकार) की ओर से वी० के० विन्गटन ने किया था।

इस तथ्य ने कि कोई-सा चीनी प्रतिनिधि मण्डल सयुक्त देश का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं करता अधिवेशन में उनकी स्थिति को निर्बल कर दिया ।

शांति अधिवेशन में चीन ने अपनी कुछ मागें पेश भी की थी जिनमें किआशो (शातुग) को जर्मन अधिकार से मुक्त कर चीन को वापस किया जाय, तटकर स्वतन्त्रता हो, अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी कानून का उन्मूलन, विदेशी प्रभाव को समाप्त करने तथा विदेशी सैनिकों को हटाने की मागें शामिल थी । दूसरी तरफ जापान की भी तीन मागें थी (१) प्रशान्त क्षेत्र में विपुक्त रेखा के उत्तरी ओर के भूतपूर्व जर्मन अधिकृत द्वीपों का समर्पण, (२) किआशो (शातुग) पर जैसे जर्मनी का प्रभुत्व था उसी प्रकार इसके (जापान) अधिकार का भी स्पष्टीकरण जिसकी स्वीकृति १९१५ की संधि में चीन दे चुका था और फ्रांस, रूस तथा ब्रिटेन ने भी १९१७ की गुप्त सन्धि में स्वीकार किया था, (३) राष्ट्र सघ के प्रतिश्रव में जातीय समानता को शामिल किया जाय ।

चीन और जापान के प्रतिनिधियों में किआशो (शातुग) के प्रश्न को लेकर काफी सघर्ष चला । अमेरिका को १९१७ की गुप्त संधि के सम्बन्ध में निश्चित जानकारी न होने के कारण प्रेसिडेंट विलसन ने चीन के अधिकार का समर्थन किया । जापान की प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों की माग, प्रेसिडेंट विलसन के एक देश के हिस्से को दूसरे देश में न मिलान वाले सिद्धान्त के विपरीत थी । प्रेसिडेंट विलसन और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री ह्यूज के 'विशेषाधिकार' प्रयोग के कारण जापान की जातीय समानता की माग रद्द कर दी गई । इसका परिणाम यह हुआ कि इटली वालों ने जैसे प्यूम के प्रश्न को लेकर अधिवेशन छोड़ा था उसी प्रकार जापान ने भी अधिवेशन छोड़ने की धमकी दी । तत्पश्चात् प्रेसिडेंट विलसन ने अन्य देशों की भांति जो युद्धकाल में हुए समझौते के कारण जापान के पक्ष में थे, समझौता कर लिया ।

शांति के नियमों के अनुसार जापान को शातुग प्रांत तथा किआशो-वे पर वे ही अधिकार प्राप्त हुए जो पहले जर्मनी के थे । शातुग प्रांत के सम्बन्ध में अपने आर्थिक अधिकारों तथा हितों को सुरक्षित रखते हुए जापान ने इसको भविष्य में चीन को वापस लौटाने की एक मौखिक प्रतिज्ञा भी की । इस प्रकार वीक्सर-संधि के नियमों के अनुसार जर्मनी के दायित्व ने चीन को छुटकारा मिल गया तथा लेनमिन और हांगो के सम्बन्ध में उसे जर्मनी से कुछ मुविधायें भी मिली । चीन को वीक्सर-उपद्रव के समय चले गये ज्योनिय-विद्या सम्बन्धी यत्र मिल गए । वर्षाय सन्धि में मुद्दूर पूर्व सम्बन्धी व्यवस्थाएँ उसी प्रकार थी । मित्र राष्ट्रों ने 'ग' श्रेणी की आदिष्ट प्रणाली के रूप में प्रशान्त द्वीपों अर्थात् मार्शल, मेरियानाम और कैरोलियन्स पर जासन का अधिकार जापान के हाथों में सौंप दिया जो पहले जर्मनी के अधिकार में था ।

चीन के प्रतिनिधि ने सन्धि की शर्तों का विरोध किया और उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं चीन में जापानी वस्तुओं का पूर्णरूपेण बहिष्कार किया गया तथा विद्यार्थियों ने भी जगह-जगह जलून निकाल कर अपना विरोध प्रकट किया। चीन के इन विरोधों के कारण जापानी व्यवसाय को बड़ा धक्का लगा। परिणाम-स्वरूप जापान ने शांत ग प्रांत को चीन को लौटाने के सम्बन्ध में उससे पुनः वार्ता की इच्छा प्रकट की जो वाशिंगटन अधिवेशन में सम्पन्न हुई। इसके पश्चात् चीन माँ जर्म के मधिपत्र पर पस्ताक्षर कर राष्ट्रमन्त्र का सदस्य हो गया तथा जर्मनी के साथ एक अन्य मधि में शामिल होकर उससे अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी कानून को रद्द कराने में सफल हुआ (मई २०, १९२१)।

जातीय समानता की मान्यता प्राप्त करने में सम्मेलन के अमफल हो जाने से जापान अमनुष्ट हो गया और राष्ट्रमन्त्र के प्रति उसे भेद होने लगा।

वाशिंगटन सम्मेलन १९२२

पृष्ठभूमि :—१९१६-२१ के बीच अमेरिका और जापान का परस्पर मन्त्र इतना विगट गया कि मुद्दर पूर्व में जापान अमेरिका का दुश्मन बन गया। यह उमने और न्यष्ट हो गया जब कि अगस्त १९१६ में पूर्वी माटवेरिया पर कब्जा करने के लिए जापानी और अमेरिकी सेनाओं में होड लग गई। इसके अति न्वन अमेरिका में जापानियों के बसने पर नियंत्रणों तथा चीन में अमेरिका की 'चुला द्वार' नीति ने दोनों देशों में और भी तनाव पैदा कर दिया।

वास्तव में निम्नलिखित तीन कारणों से वाशिंगटन सम्मेलन बुलाना पडा। प्रथम, १९०२ की आंग्ल जापानी मधि को पुनः लागू करने सम्बन्धी वार्ता अमेरिका के लिए बड़ी चिन्ता की बात थी यद्यपि ब्रिटेन ने दिसम्बर १९२० में यह स्वीकार किया कि अमेरिका और जापान में गुट्ट की स्थिति में उक्त मधि वैध नहीं होगी। दूसरे, केरोलियन में याप द्वीप की भावी स्थिति का प्रश्न जो हाल में जर्मनी के हाथ में छिन कर जापान के हाथ में एक आदिष्ट क्षेत्र के रूप में आ गया था। यह द्वीप उन-लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें होकर एक समुद्री तार फिनीपीन और हिन्देजिया को जोडना है। तिसरे वांति-सम्मेलन में प्रेसिडेंट विलसन ने याप द्वीप के अन्तर्गोटीय-करण के लिए प्रयत्न किया लेकिन असफल रहे। तीसरे १९१६ के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में विपक्षीय नौ नैतिक बौड न केवल मुद्दरपूर्व की वांति के लिए एक खतरा बन गई बल्कि उनमें उन देशों के बजट पर भारी दबाव पैदा हो गया।

जून १९२१ में अमेरिकी कांग्रेस ने मेनेटन बोग का वह प्रस्ताव भागे बहमन से स्वीकार कर लिया जिनमें प्रेसिडेंट ने कहा गया था कि वह सम्बन्धित देशों का एक

सम्मेलन बुलायें जिसमें पारस्परिक समझौता द्वारा नौ-सैनिक व्यय में कमी करने पर विचार किया जाय। ११ अगस्त १९२१ को प्रेसिडेंट हार्डिंग ने सम्बन्धित राष्ट्रों के पास औपचारिक निमन्त्रण भेजा लेकिन साथ ही उन्होंने सम्मेलन की विचारार्थ सूची में शस्त्रीकरण सीमित करने के विषय के साथ ही सुदूरपूर्व तथा प्रशान्त प्रश्नों को भी शामिल कर दिया। यह सम्मेलन २१ नवम्बर १९२१ से ६ फरवरी १९२२ तक वाशिंगटन में हुआ। इसमें ९ देशों—अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली, चीन, बेल्जियम, पुर्तगाल और नीदरलैंड—ने भाग लिया। अमेरिकी सरकार द्वारा अमान्य स्त्री अधिकारियों से व्यवहार रखने से इन्कार कर देने के कारण रूस को सम्मेलन में नहीं बुलाया गया।

सम्मेलन—सम्मेलन का कार्य दो समितियों के जरिये हुआ एक समिति वह थी जिसमें प्रथम पाँच प्रमुख देशों के प्रतिनिधि शामिल थे और जिसका सम्बन्ध शस्त्रीकरण के मामले से था, दूसरी समिति में उक्त सभी ९ देश थे और इसका सम्बन्ध प्रशान्त तथा सुदूरपूर्वी मामलों से था। सम्मेलन के उद्घाटन के दिन अमेरिकी विदेश-मंत्री ह्यूज ने अध्यक्ष पद से घोषणा की कि बिना गम्भीर त्याग के नौ-सैनिक होड बन्द नहीं की जा सकती। साथ ही ऐसी भी आशा नहीं करनी चाहिए कि इन देशों में मे केवल एक ही डम और कदम उठाये। अल्फ्रेड जे० के नेतृत्व में उत्तरी चीन के एक प्रतिनिधि मण्डल ने सम्मेलन में १० ग्राम मिट्टात रखे जिनमें प्रादेशिक एकता, राजनैतिक तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रता, तटकर स्वतन्त्रता, १९१५ की २१ मांगों पर आधारित चीन-जापानी सन्धियों को भंग करना तथा शातुग की पुनः वापसी आदि वाते थी। लेकिन अमेरिकी चार-मूत्री प्रस्ताव के पक्ष में चीनी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये। वैरन कातो के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधि मण्डल १९०२ की आंग्ल-जापानी संधि को भंग करने, नौ-सैनिक शक्ति घटाने तथा चीन में बिना शर्त सब के लिये 'खुला द्वार' तथा नमान अस्वर देने के निदान्त को सक्रिय ढंग से लागू करने को गंजी हो गया। यद्यपि कातो ने यह बात बहुत समझ की कही कि "आज चीन की आन्तरिक मामलों में जितनी कठिनाइयाँ हैं वे विदेशों के साथ सम्बन्ध में उन्नत कठिनाइयों से कम नहीं हैं।" ब्रिटिश गिफ्टमण्डल के नेता लाई वाल-फर और विदेश मंत्री ह्यूज ने जापानी तथा चीनी प्रतिनिधि-मण्डलों में वार्ता कराने के लिए अपनी मद्भावनाओं का प्रयोग करने का प्रस्ताव रखा। इसके परिणाम स्वरूप दो माम तर्क विचार-विमर्श के बाद किआंगो को लौटाने के सम्बन्ध में चीन और जापान में संधि हुई।

सम्मेलन के परिणाम —सम्मेलन के प्रत्यक्ष परिणामों में ६ संधियाँ, चार राष्ट्रों की प्रशान्त त्रि-सन्धियाँ घोषणा तथा १० प्रस्ताव थे।

अप्रत्यक्ष परिणाम में दो सन्धिया थी जो सम्मेलन से बाहर उन्ही दिनों की गईं। इन दो सन्धियों में एक चीन और जापान में शांतुग के सम्बन्ध में ४ फरवरी १९२२ को हुई और दूसरी सन्धि ११ फरवरी १९२२ को याप द्वीप के सम्बन्ध में अमेरिका और जापान में हुई। सम्मेलन में हुई ६ सन्धियाँ ये थी (१) अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान में नौ-सेना के शस्त्रीकरण सीमित करने सम्बन्धी सन्धि, (२) लडाई में पनडुब्बी जहाजों तथा जहरीली गैसों के प्रयोग के सम्बन्ध में उक्त देशों में सन्धि, (३) अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में उनके प्रशान्त स्थित उपनिवेश द्वीपों सम्बन्धी चार राष्ट्रों की प्रशान्त सन्धि, (४) इन्ही चार राष्ट्रों में प्रशान्त सन्धि से सम्बन्धित एक पूरक सन्धि (५) चीन सम्बन्धी मामलों में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों तथा नीति सम्बन्धी ६ राष्ट्रों की सन्धि और (६) चीन सम्बन्धी ६ राष्ट्रों की तटकर सन्धि। केवल चार राष्ट्रों की प्रशान्त सन्धि को छोड़कर बाकी सन्धियों पर ६ फरवरी १९२२ को हस्ताक्षर हुए।

चार राष्ट्रों की प्रशान्त संधि

यह सन्धि १३ दिसम्बर १९२१ को ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अमेरिका में हुई। इसमें चार अनुच्छेद थे। सन्धि के हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने वायदा किया कि जहाँ तक प्रशान्त सागर स्थित उनके उपनिवेश द्वीपों का सम्बन्ध है वे एक दूसरे के अधिकारों का आदर करेंगे। यदि किसी प्रशान्त प्रश्न पर कोई ऐसा विवाद उठा जिसका प्रभाव उनके अधिकारों पर भी पड़ सकता हो तो उसके निवटारे के लिये एक संयुक्त सम्मेलन आमंत्रित किया जायेगा। किसी अन्य राष्ट्र की आक्रमणकारी कार्यवाही से उनके अधिकारों को खतरा पैदा होने की स्थिति में सब मिलकर विचार करेंगे। सन्धि की अवधि १० वर्ष निश्चित की गई और १२ मास के नोटिस पर उसे समाप्त किया जा सकता था। आंग्ल-जापानी सन्धि जो १९११ में हुई थी समाप्त कर दी गई।

चार राष्ट्रों की सन्धि सम्बन्धी घोषणा में प्रशान्त स्थित आदिष्ट क्षेत्र याप द्वीप के सम्बन्ध में अमेरिका का अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई लेकिन चार राष्ट्रों की सन्धि में, बाहर से आकर बसने तथा तटकर प्रश्नों को अलग रखा गया।

पाँच राष्ट्रों की नौ-संधि

(Five Power Naval Treaty)

फरवरी १९२२ में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली ने एक पाँच राष्ट्रों की सन्धि पर हस्ताक्षर किये। सन्धि के अनुसार इन पाँच राष्ट्रों में बड़े जहाजों की संख्या प्रमाण ५ : ५ : ३ : १ : ६ के अनुपात से निर्धारित की गई। मोटे तौर पर सन्धि के अनुसार हस्ताक्षरकर्त्ताओं के भागी जहाजों की संख्या में

४० प्रतिशत कमी कर दी गई, आगामी १० वर्षों में कोई नया भारी जहाज न बनाने का निश्चय किया गया। २० वर्ष से पहले किसी भी जहाज की जगह नया जहाज न लाया जाय, १० वर्ष के अवकाश के बाद जो जो जहाज बनाये जाय वे ३५ हजार टन तक के होने चाहियें और उनमें १६ इंचो तोपें लगी होनी चाहियें तथा विमानवाहक जहाज २७ हजार टन के होने चाहिये। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने तय किया कि जहाँ तक उनके प्रशान्त क्षेत्र में किलेबन्दियों का सम्बन्ध है हवाई, अलास्का, पनामा नहर, मिगापुर, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में वे यथापूर्व स्थिति कायम रखेंगे। थल सेनाओं के शस्त्रीकरण के विषय में कोई ममभीता नहीं हो सका। सन्धि की अवधि ३१ दिसम्बर १९३६ तक निर्धारित की गई। जो हस्ताक्षरकर्ता सन्धि से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहे उसे दो वर्ष का नोटिस देना होगा।

वांशगटन सम्मेलन १९२२ द्वारा स्वीकृत जहाजों का वजन

	अमेरिका	ब्रिटेन	जापान	फ्रांस	इटली
वटे जहाज	५२५,०००	५२५,०००	३१५,०००	१७५,०००	१७५,०००
विमान वाहक जहाज	१३५,०००	१३५,०००	८१,०००	६०,०००	६०,०००

पनडुब्बियों तथा हानिकारक गैसों के प्रयोग के सम्बन्ध में पाँच राष्ट्रों की सन्धि के हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह स्वीकार किया कि वे युद्ध में पनडुब्बियों का व्यापारिक जहाजों के विद्यमक के रूप में तथा जहरीली गैसों का प्रयोग नहीं करेंगे।

बड़ राष्ट्रों की 'गुला द्वार' सन्धि

इस सन्धि पर ६ फरवरी १९२२ को सभी ९ राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये। सन्धि में मयुक्त रूप में उक्त राष्ट्रों ने प्रतिज्ञा की कि (१) वे चीन की प्रभुमत्ता, स्वतंत्रता, प्रादेशिक तथा प्रशासनिक एकरा का सम्मान करेंगे, (२) चीन में समान व्यापारिक सुविधाओं के सिद्धान्त को कायम रखेंगे तथा उसे प्रोत्साहित करेंगे, (३) ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना अथवा ऐसी कार्यवाही का समर्थन नहीं करना जिससे किसी का विशेष हित निन्द्य होता हो तथा पारम्परिक सुविधाओं की व्यवस्था, (४) चीनी रेलों में सुविधाओं तथा तटस्थ के मामले में किसी प्रकार के अनुचित भेद-भाव को समाप्त कर दिया जायगा (५) युद्धकाल में एका तटस्थ राष्ट्र के रूप में चीन के अधिकारों का प्रादुर्भाव होगा निम्नलिखित शर्तों में जब चीन का युद्ध में कोई सम्बन्ध नहीं होगा, (६) सन्धि की शर्तों को लागू करने के सम्बन्ध में हस्ताक्षरकर्ताओं में स्पष्ट और परस्पर-सहयोग होगा।

६ राष्ट्रों की तटकर सधि

इस सधि के अनुसार (१) मधोधन आयोग की व्यवस्था की गई जो विदेशी व्यापार की वनराशि का पाँच प्रतिशत मुनाफा चीन को दिलाने की व्यवस्था करेगा, (२) ५ प्रतिशत तक एक ग्राम अतिरिक्त कर लागू करने के निमित्त आतरिक यातायात चुगियों को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने पर विचार के लिये विशेष सम्मेलन का आयोजन करना, (३) चीन की थल तथा समुद्री सीमाओं पर चुगी दरों में एक-रूपता कायम करना; (४) चुगियों में सामयिक सशोधन, (५) चुगी के मामले में सधि के हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ समान व्यवहार तथा मुविधायें देना। सधि में तटकर सम्बन्धी स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

चीन-जापानी सधि

४ फरवरी १९२२ को हुई इस सधि के अनुसार जापान ने पट्टे पर प्राप्त हुए शातुग प्रदेश को चीन को लौटाना स्वीकार कर लिया लेकिन इसके साथ ही यह तय हुआ कि सिंगताओ स्थित एक जापानी दूतावास, जापानी स्कूलों और मंदिरों को नहीं लौटाया जायेगा। सिंगताओ-सिनान रेलवे को उसकी कीमत अदा करने के बाद चीन को लौटा दिया जायेगा। कीमत का निर्धारण दोनों राज्यों का एक मयुक्त आयोग करेगा। शातुग से तमाम जापानी सेनायें वापस बुला ली जायेंगी और सिंगताओ स्थित चुगी घर चीनी समुद्री चुगी घर के ही आन्तरिक-भाग के रूप में काम करने लगेगा। चीन ने उचित मुआवजा देकर जापान द्वारा विकसित खानों, तारों, वायरलेम स्टेशनों और नमक उद्योग पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उस प्रकार १९२३ तक शातुग प्रश्न चीन सरकार की इच्छा के अनुसार हल हो गया।

अमेरिकी-जापानी सधि

जापानी आदिष्ट क्षेत्र के मध्य में ग्विन याप द्वीप के सम्बन्ध में ११ फरवरी १९२२ को अमेरिका और जापान में एक सधि पर हस्ताक्षर हुए। सधि के अनुसार अमेरिका को याप द्वीप में प्रवेश की गानी मुविधायें प्राप्त हुईं। उन्ने याप द्वीप को गुआम से जोड़ने के लिए समुद्री तार तथा रेडियो स्टेशन स्थापित करने की मुविधा प्राप्त हुई। इस तन्ह भूतपूर्व जर्मन द्वीप में अमेरिकी हिनो की गारटी हो गई और इस प्रकार प्रयान्त क्षेत्र में दोनों सरकारों के बीच झगड़े का एक महत्वपूर्ण कारण गानिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया।

सम्मेलन द्वारा ल्योकुन १२ प्रस्तावों में ४ प्रस्ताव विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। सधि में दोनों राष्ट्रों ने घोषणा की कि वे चीन में विदेशियों के जीवन तथा

सम्पत्ति की सुरक्षा का पूरा आश्वासन मिल जाने पर वहाँ से अपनी सशस्त्र सेनायें वापस बुला लेगे। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय हुआ कि इस शर्त पर कि चीन में समुचित डाक सर्विस की व्यवस्था की जायेगी, विदेशी डाकखानों को बन्द कर दिया जायेगा। चीन में न्यायिक सुधारों के लिये अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी कानून व्यवस्था की जाँच के निमित्त एक कमीशन की स्थापना का निश्चय किया गया। १९२५ में कमीशन ने उक्त व्यवस्था को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त विदेशी रेडियो स्टेशनों पर चीन का नियंत्रण कायम हो गया।

वाशिंगटन सम्मेलन का मूल्यांकन

१९२१-२२ के वाशिंगटन सम्मेलन की सफलताओं का यदि विस्तार से अध्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि यह सम्मेलन अत्यन्त महत्वपूर्ण था। कार के अनुसार "यह सम्मेलन बड़ा सफल रहा क्योंकि इससे प्रशान्त क्षेत्र में युद्ध पूर्व जैसा सतुंगन कायम हो गया।" मैकनायर और लैश के शब्दों में "चार राष्ट्रों की प्रशान्त संधि तथा पाँच राष्ट्रों की नौ-मन्धि के अतिरिक्त शस्त्रीकरण में खर्चा काफी कम कर देने से तथा आगल-जापानी संधि भंग हो जाने के परिणामस्वरूप अमेरिका, जापान और ब्रिटेन में युद्ध की सम्भावना अनिश्चित काल के लिये समाप्त हो गई।" ६ राष्ट्रों की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद चीन 'खुला द्वार' संधि का प्रथम बार सदस्य बना। डा० विलोगबी के अनुसार "चीन को वाशिंगटन सम्मेलन से यह आश्वासन प्राप्त हुआ कि सम्मेलन से सम्बन्धित राष्ट्र चीन की स्वतंत्र कार्यवाहियों में किसी प्रकार की रुकावटें पैदा करने के लिये उसकी वर्तमान हालतों का लाभ नहीं उठायेंगे।" जैसा कि विनाके ने कहा है कि "चीन को इस सम्मेलन से लाभ ही हुआ क्योंकि जो कुछ वह पहले खो चुका था उसमें अधिक उसने और कुछ नहीं खोया।"

आर्थिक मुद्दों की समानता की नीति का उल्लेख किया गया तथा प्रथम बार जापानी मद्भावनाओं सहित इसकी वैधानिक परिभाषा प्रस्तुत की गई। चीन को एक और अवसर दिया गया, जिससे वह अपनी आंतरिक स्थिति सुधार ले तथा एक आधुनिक प्रभु-सत्ता-सम्पन्न राज्य की हैमियत से विद्य-राजनीति में अपना भाग अदा करे। अमेरिका तथा ब्रिटेन दोनों ने अपने मूल हितों की रक्षा पूरी मानवानी में की।

धीरे-धीरे ही उनकी पहले से चली आ रही कमजोरिया प्रकट हुयी। ६ राष्ट्र-संधि पूरी तरह मद्स्य राष्ट्रों की सद्भावनाओं तथा आत्म-अनुग्रामन पर आधारित थी, मगर सन्धि के प्रयोग की "खुला द्वार" संधि में कोई व्यवस्था नहीं थी। ग्रम ने उनकी टिप्पणी उन शब्दों में की "इसमें हिनी प्रचार की नाकेबन्दी नहीं थी, यह नामुक्ति मुझा नमि न होकर आत्म-निर्गोध की घोषणा थी। इसमें किसी को किसी

कार्य के लिए बधन नहीं था। इसका आधार पूर्णतः सद्भावना पर ही था।” इसमें ऐसा कोई तन्त्र नहीं था, जिसके जोर से इसकी शर्तें लागू हो सकें।

पच-राष्ट्रीय-नी-मधि में जगो-जहाजों, विध्वंसको तथा पनडुवियों पर किसी प्रकार की सीमाएँ नहीं बांधी गईं। अपनी प्रशान्तसागरीय घेरावदियों के सम्बन्ध में यथा-कृत (Status Quo) बनाये रखने के लिए जापान की प्रतिज्ञा का आधार भी सद्भावना का ही आधार था। क्लाइड के कथनानुसार, “बड़े जहाजों में नौ-अवकाश तथा प्रशान्त महासागर और मध्यपूर्व में भविष्य में उठने वाले विवादों के मलाह मशविरे के सिद्धान्त के लिए वे शक्तियाँ सीमित मुविधाएँ देने को तैयार थी।”

वाशिंगटन-सम्मेलन जापान की एक राजनयिक पराजय थी, क्योंकि आंग्ल-अमेरिकी दबाव से विवश होकर उसे निम्न नौ-अनुपात स्वीकार करना पड़ा तथा किआशो चीन को यथा-पूर्व देना पड़ा। आंग्ल अमेरिकी शक्तियों द्वारा जापान पर आक्रमण न करने की गारण्टी दी गई तथा सम्मेलन थल-आयुधों पर सीमाएँ बाधने का कोई भी समझौता करने में असफल रहा, जिसके कारण जापान का एशिया महा-द्वीप में आधिपत्य संभव हो गया। वाशिंगटन में किए गए निर्णय में जापान की जो प्रनिष्ठा-हानि हुई थी, उससे वह बहुत विशुद्ध हुआ और उन अनुरूप अवसर की प्रतीक्षा करने लगा जब वह इसके कार्य को समाप्त कर सके।

यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि इस सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता इसी में रही कि उमने सुदूर पूर्व (पूर्व एशिया) में लगभग १० वर्ष तक शांति रखी। ए० डब्ल्यू० गिस्बोल्ड के अनुसार “सुदूर-पूर्व में यथाकृत विरासत में प्राप्त विरोधी तत्वों के बावजूद भी इन मधियों ने उस हद तक शांति बनाए रखी जिस हद तक किसी भी लिखित पुर्जे द्वारा सम्भव हो सकती है।” एक जापानी प्रतिनिधि ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यद्यपि भविष्य के प्रति इन शक्तियों को विश्वास और गुंभ-आशा दिखाई देती थी, तो भी चोरी से अवकाश-प्राप्त लुटेरों की तरह वे शक्तियाँ लूट के माल पर मे अपना शिकजा टीला करना नहीं चाहती थी। यद्यपि जापान तथा ब्रिटेन के सम्बन्ध टूट गए तो भी जापान अपनी एकाकी स्थिति में से भी अपने यूरोपीय मित्रराष्ट्रों—जर्मनी तथा इटली—के साथ एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रकट हुआ।

विश्व-राजनीति में जापान

१९२२ से १९३१ तक जापान सावधानी तथा अनिश्चितता के साथ अपनी कूटनीति चलाता रहा। वारेन गिल्डेहर्ग के प्रधान-मन्त्रित्व में जापान ने चीन के प्रति नम्रता की नीति अपनाई। वारेन ने जापान का नेतृत्व १९२४-२७ तथा १९२६ से ३१ तक किया। १९२८ में जब नेतृत्व वारेन जनरल टाका के हाथ में आया तो

के प्राकृतिक जगलात तथा चरागाहें जापान के उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति कर सकती थी। प्रत्येक दिन ३०००० टन कोयला, इस्पात तथा शेल आयाल (Shale Oil) आदि खनिज पदार्थों के आगार जापान को वह शक्ति दे सकते थे, जिसकी जापान में पूर्ण कमी थी। इसकी कृषि-योग्य भूमि से जापान की खाद्य-पूर्ति की कमी पूरी होती। इतना ही नहीं जापान ने दो अरब येन (जापानी सिक्का) मचूरिया में दक्षिण मचूरिया-रेलवे, कारखानों, रासायनिक खाद यंत्रों, बन्दरगाहों तथा समस्त शहरों के निर्माण में लगाया। अकेली घरेलू की बन्दरगाह से ही कुल विश्व के सोया-बीन का ६० प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता था। जीवन दायिनी-नीति की दृष्टि से जापानियों ने मचूरिया को रूस तथा चीन से प्रतिरक्षा के लिए प्रथम रोक के रूप में, जापानी उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की विक्री के लिए सम्भावित बाजार के रूप में, कच्चे माल के साधन के रूप में तथा प्रमुख एशियाई भूमि में प्रवेश द्वारा के रूप में माना। १९३० में प्रधानमंत्री हमागुची की हत्या के पश्चात् जापानी मन्त्रिमण्डल पर थल-सेना तथा नौ-सेना का नियन्त्रण हो गया, जिससे मचूरिया पर आक्रमण सम्भव हो गया।

तीसरे, सख्या की दृष्टि से जापानियों तथा चीनियों का अन्तर क्रमशः बढ़ रहा था। तीन करोड़ की कुल जनसख्या में से केवल २५०,००० जापानी, ८००,००० कोरियाई, १००,००० रूसी तथा शेष चीनी थे। गृहयुद्धों तथा बार-बार पड़ने वाले दुर्भिक्षों के कारण चीनी मचूरिया में बसने लगे। चीनी कृषकों ने उन जमीनों पर दखल जमा लिया, जिस पर जापान अधिकार प्राप्त करने को प्रेरित था। अतः जापान ने अनुभव किया कि चीनियों की लगातार बढ़ती हुई जनसख्या को देखते हुए उसे अपना अधिकार वहाँ बनाये रखना कठिन ही है।

चौथे, चीनी राष्ट्रवाद की पुनरहिलोन् ने मचूरिया में खोए हुए अपने स्वत्वों को पुनः प्राप्त करने के आन्दोलन का सूत्रपात किया। चांग-त्सोलिन को जापानी नमर्दन मिलने तथा १९२८ में शातुग में स्थानान्तरित जापानी सेनाओं द्वारा, चीन को मगठिन करने के लिए चांग-मार्ट-शेक की वडती हुई सेना के मार्ग को अवरोध कर देने के कारण जापान-विरोधी भावनाएँ पुनः उभर आईं। चीन लगातार कहता रहा कि मचूरिया चीन का अविभाज्य अंग है तथा जापान ने, जब चीन दुर्बल था, उसका फायदा उठा कर शक्ति की बमकी ने चीन द्वारा कुछ मुविधाएँ प्राप्त कर ली थी। चीन में राष्ट्रवाद की हिलोन् ने उन मन्त्रियों के प्रति विरोध प्रकट किया, जिनपर दशात् ने शांग्ग हस्ताक्षर कर दिये गए थे।

चीन ने यह विश्वास था कि मचूरिया में जापान की विविष्ट स्थिति को मराने लिए बिना पूर्ण राष्ट्रीय एकात्मता स्थापित नहीं हो सकती।

पाचवे, दक्षिण मचूरिया-रेलवे क्षेत्र में १५००० रेलवे-अभिरक्षकों का होना भी मर्घर्ष का एक कारण था। चीनियों ने रेलवे क्षेत्र पर 'प्रशासन के पूर्ण तथा विशेष अधिकार' के जापानी दावे का विरोध किया। चीनियों ने रेलवे-अभिरक्षकों तथा विदेशी पुलिस की मचूरिया में रहने की न्यायोचितता को अमान्य कर दिया, जापान के खनिज निकालने के अधिकार को रद्द कर दिया, जापानी नागरिकों को पट्टे के मजूरी के अधिकार से वंचित कर दिया, उनके यात्रा तथा आवास-सम्बन्धी अधिकारों को सीमित कर दिया, कर देने से इन्कार कर दिया तथा जो कोरियाई जापानी प्रजा थे, उन पर विशेष कर लगा दिया।

छठे, १९०५ की जापान-चीन-संधि के विपरीत चीनियों ने जापान को शाखा लाइनों के निर्माण के लिए छूट देने से इन्कार कर दिया, विशेषतः उन लाइनों के लिए जो कि कोरिया-सीमा तक बनाई जानी थी और रेलवे-निर्माण के लिए जापान से ऋण लेने से इन्कार कर दिया। १९२५ में चीनियों ने दक्षिण मचूरिया रेलवे के समानान्तर लाइने विछानी प्रारम्भ कर दी। इन लाइनों के विछाने में चीनी पूंजी लगी थी तथा १९३१ तक लगभग १ हजार किलोमीटर की रेलवे बनकर तैयार हो गई, जो सीधे दक्षिण मचूरिया-रेलवे के साथ प्रतियोगिता करती थी। जापान द्वारा नियमित धरेन बदरगाह से प्रतियोगिता लेने के लिए चीन ने इको तथा हुलुटो बदरगाहें निर्मित की, जिनसे जापानियों को और भी खिजा दिया। चीन द्वारा उठाये गये इन कदमों को जापानियों ने मचूरिया में जापान के 'संधि-अधिकारों' को रद्द करने के लिए चीन की 'आतिकारी राजनयिकता' बताया।

एक प्रकार मचूरिया में जापान तथा चीन के मध्य तनाव बढ़ता गया। इधर १९३१ में जापान में नैतिक दल के शासनारूढ होने के परिणाम स्वरूप लगातार यह माँग होने लगी कि अधर में लटके तमाम प्रश्नों का समाधान, अगर आवश्यक हो तो, शक्ति द्वारा किया जाय। जापान की साम्राज्यवादी योजनाएँ प्रसिद्ध 'टाका-योजना' में प्रकट हुईं। यह एक योजना का मसविदा था, जिसे प्रधानमंत्री टाका ने १९२७ में जापान के उच्च सैनिक तथा नागरिक अधिकारियों के मचूरिया तथा मंगोलिया में सम्मेलन के पश्चात्, तैयार किया था। योजना के इस प्रारूप में कहा गया था कि जापान के राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि वह मचूरिया, मंगोलिया तथा चीन पर ही विजय प्राप्त न करे, अपितु नमस्त पूर्व-एशिया तथा दक्षिण सामुद्रिक देशों पर भी अधिकार जमा ले।

चीन-जापान विवाद के तात्कालिक कारण ये थे—(१) वानपियोगा-घटना, (२) कप्तान नरामुरा का मामला, (३) चीन में गृहयुद्ध, (४) यूरोप में राजनीतिक तथा आर्थिक सचटों की शृङ्खला, (५) मुकदेन-घटना।

१९३१ की वसत ऋतु में मचूरिया के एक छोटे-से गाव वानपियोशा के पास जमीन के टुकड़ों पर चीनियों तथा कोरियाइयों, जो जापानी सरकार में थे, के बीच विवाद उठ खड़े हुए। परिणाम स्वरूप कोरिया में भूगर्भ प्रारम्भ हो गये तथा चीन में जापान-विरोधी बहिष्कारों को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। इसी बीच जापानी सेना का कप्तान नकामुरा, कृषि-विशेषज्ञ के वेश में यात्रा करता हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया तथा २७ जून १९३१ को उत्तर मचूरिया में तामोनान के निकट उसकी हत्या कर दी गई। चीनियों का दावा था कि वह वेहोशी की दवाइया और सैनिक नक्शे लिये जा रहा था तथा चीनियों से बच भागने के सघर्ष में मारा गया। जापान ने क्षमा-याचना, क्षतिपूर्ति तथा हत्यारे को दण्ड की माग की। छान-बीन के पश्चात् चीन ने औपचारिक रूप से १८ सितम्बर, १९३१ को हत्या के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। इस समय चीन जनरल येन-सी-शान और फेंग-यू-सियांग की उत्तर की सगठित सेना तथा चांग-काई-शेक और नानकिंग-सरकार के बीच होने वाले गृह-युद्ध में फसा था।

मचूरिया के सैनिक प्रशासक मार्शल चांग सुएह-लियांग के व्यक्तिगत प्रभाव में कमी हो जाने ने जापानी सेनानायकों को शक्ति का सहारा लेने को प्रोत्साहित किया। १९३१ में यूरोप राजनीतिक तथा आर्थिक सकटों के दौर में से गुजर रहा था। विश्व की आर्थिक गिरावट के कारण यूरोपीय देशों की वित्तीय स्थिति खस्ता हो गई थी। १८ सितम्बर, १९३१ को इंग्लैंड स्वर्ण-मानक (Gold Standard) से हीन हो गया था। इस के सब वित्तीय साधन प्रथम पंचवर्षीय योजना में केन्द्रित थे। अमेरिकी सरकार ने हूवर-ऋण-अद्वयगी-विलम्ब-आदेश (Moratorium) को एक वर्ष की मजूरी दे दी।

लेकिन मचूरिया-सकट का तात्कालिक कारण था, मुकदेन-घटना। १८ सितम्बर, १९३१ को रात्रि के १० बजे मुकदेन में कुछ मील दूर एक छोटे बम-विस्फोट ने दक्षिण मचूरिया रेलवे को नष्ट कर दिया। कुछ लेखकों के अनुसार नष्ट प्रायः रेलवे की लम्बाई ३१ इंच मानी गई। जापानियों का कथन यह था कि एक चीनी सैनिक ने रेल-मार्ग को उड़ाया तथा जापानी रक्षकों द्वारा उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया गया। रक्षकों ने चीनी फौजों पर गोलियाँ चलाईं, जिन्होंने 'अपमानजनक तथा भडकाने वाला टग' अपनाया था। चीनिया का दावा था कि जापान ने विस्फोट का आयोजन स्वयं किया जिसमें उसे मचूरिया पर विजय प्राप्त करने का वहाना मिल जाय। उनका कहना था कि दक्षिण-गणनद्रीस धनिग्रन्त नाम्ने से ठीक-ठीक गुजर गई तथा मुकदेन भी ठीक समय पर ही पहुँच गई। बिना किसी राजनयिक चेतावनी के तथा बिना किसी पूर्व-घोषणा के जापानी सैनिकों ने चांग-मुएह-लियांग को मुकदेन से बाहर निकाल दिया।

मचूरिया पर जापानी आक्रमण

इस घटना के कुछ ही घटो के भीतर-भीतर जापानियों ने चार-दिवारी में घिरे मुकदेन शहर तथा सामरिक-महत्व की दृष्टि से दक्षिण मचूरिया के प्रमुख गहरो पर अधिकार कर लिया। बिना किसी प्रतिराध के चीनी सैनिक तितर बितर होकर चीन की बड़ी दीवार के दक्षिण में चले गये। युवक मार्शल ने नगर के बाहर चिनचाड में ही एक सरकार की स्थापना कर दी। जन-धन की रक्षा के बहाने जापान ने चांग-चुन, किरिन तथा त्सीत्मीहर पर १६ नवम्बर को आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार ३ जनवरी, १९३२ को जापान ने चिनचाड पर अधिकार जमा कर अपने नियंत्रण को मुकदेन के उत्तर में ३०० मील तक बढ़ा लिया। वास्तव में जेहोल के मिवाय सम्पूर्ण मचूरिया पर जापानी अधिकार हो गया। कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये जापान ने कठपुतली स्थानीय सरकारें बना दी।

राष्ट्रसंघ का रुख

इस समय लीग-परिषद् का जनेवा में सम्मेलन हो रहा था जिसमें चीन तथा जापान दोनों के ही प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रतिश्रव के अनुबध ११ के अन्तर्गत चीन ने राष्ट्रसंघ से अपील की। ३० दिसम्बर, १९३१ को परिषद् ने एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करके यथासभव जितना शीघ्र हो सके, जापानियों ने मचूरिया त्वाली करने को कहा। जापानी नियंत्रण के निरन्तर विस्तार ने चिन्तित होकर परिषद् ने एक अन्य प्रस्ताव २४ अक्तूबर को अंगीकार किया, जिस पर जापान के अलावा नववी महमति थी। उस प्रस्ताव द्वारा जापान से कहा गया कि वह तत्काल अपनी सेनायें मचूरिया से रेलवे क्षेत्र तक हटाना प्रारम्भ कर दे तथा चीन से सीधी बातचीत प्रारम्भ कर दे। जापान ने इस प्रस्ताव को समर्थन देना इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसमें ऐसी किन्हीं भी शर्तों का उल्लेख नहीं था, जो जापान की दृष्टि में उसके राष्ट्रवागियों की जान-माल की रक्षा के लिए कारगर हो सकें। १० दिसम्बर को परिषद् ने एक अन्य प्रस्ताव अंगीकार किया जिसमें जापान को इस प्रार्थना को स्वीकार किया गया कि एक जान आयोग घटना-स्थल पर जाव के लिये नियुक्त किया जाय। एक महीने पश्चात्, २४ जनवरी १९३२ को एक आयोग की नियुक्ति हुई जिसके अध्यक्ष थे लार्ड मिटन (ब्रिटेन)। अन्य सदस्य इस प्रकार थे—काउण्ट मारेम कोटी (इटली)। जनरल हेनरी क्लाउडेल (फ्रान्स), मेजर जनरल फ्रैंक आर० मर्राया (अमेरिका) तथा डा० हेनरिच शेनी (जर्मनी)।

गंधाई-युद्ध

मचूरिया पर जापानी आक्रमण का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि चीन भर में जापान-विरोधी भावनाएँ तीव्र हो गईं। जापानी माल के आराम बहिष्कार ने जापानी माल के चीन में आयात को ६४% प्रतिशत तक घटा दिया। गंधाई विप्लव

की पाँच बड़ी बन्दरगाहों में से एक है और चीन में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जनवरी, १९३२ को शंघाई की एक भीड़ ने पाच जापानी बौद्ध भिक्षुओं पर आक्रमण कर दिया। उनमें से एक की मृत्यु हो गई तथा इस घटना ने बढ कर छोटे-से सैनिक अभियान का रूप ले लिया। फरवरी में जापान ने अपना समुद्री बेड़ा शंघाई भेजा। इसके कमांडर ने मेयर वू से अपराधियों को दण्ड देने तथा जापानी माल के बहिष्कार को रोकने की माग की। जापानी सेनाएँ अपनी माँग जोर-जबर्दस्ती से मनवाने के लिए तट पर उतर आईं तथा उन्होंने चापेइ पर चीन की १९ वीं सेना पर आक्रमण कर दिया। पाच सप्ताह के वीरतापूर्ण प्रतिरोध के बाद चीनी सेनाएँ पीछे हट गईं। भारी हानि उठाने के पश्चात् जापान ने ५ मई, १९३८ को युद्ध-विराम संधि की तथा अपनी सेनाएँ शंघाई से हटा ली। जैक्सन के कथनानुसार, “शंघाई-युद्ध में जापानियों ने जन-धन की हानि से भी अधिक जो एक वस्तु खोदी वह थी चीन में रुचि रखने वाली हरेक बड़ी शक्ति की सहानुभूति।” जापान ने शंघाई में अन्तर्राष्ट्रीय आबंध (Settlement) को २५००० सैनिकों, ४० युद्धपोतों तथा २०० हवाई जहाजों के साथ सैनिक अभियान का अड़्डा बना लिया। ऐसा करने में उसने आबंधविधि तथा ब्रिटिश-वाणिज्य-दूत को दिये गये वायदों का उल्लंघन किया। पश्चिमी शक्तियों ने इस कार्य के लिए जापान को कभी भी क्षमा नहीं किया।

स्ट्रिमसन-सिद्धान्त

यद्यपि अमेरिका संध का सदस्य नहीं था, तो भी चीन-जापान संध का अमेरिका से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था, क्योंकि वह नौ-राष्ट्रों की सन्धि तथा पेरिस-संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र था। एक अमेरिकी पर्यवेक्षक प्रेन्टिस जिलवर्ट ने पेरिस सन्धि को लागू करने के सम्बन्ध में हुई संध-परिपद् की चर्चा में भाग लिया। अमेरिका के तत्कालीन विदेशमन्त्री हेनरी स्ट्रिमसन ने घोषणा की कि अमेरिका किसी भी यथार्थत (de facto) स्थिति की वैधानिकता को मान्यता नहीं दे सकता, ना ही वह किसी ऐसी सन्धि या समझौते को मान्यता दे सकता है, जिससे चीन की एकता तथा प्रभुत्ता एवं ‘खुला द्वार’ नीति पर आघात लगे। ना ही उसके लिये ऐसी नीति मान्य होगी जिसके पालन में प्रतिश्रव तथा २७ अगस्त १९२८ की पेरिस-सन्धि जिसके कि चीन, जापान तथा अमेरिका तीनों सदस्य हैं, उपेक्षा हो। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने अमेरिका की अमान्यता की नीति को अनावश्यक समझा। तो भी, मार्च १९३२ को राष्ट्र-संध की महामंभा ने एक प्रस्ताव अर्गीकार करके स्ट्रिमसन की अमान्यता की नीति का सदस्य-राष्ट्रों द्वारा पालन करने पर जोर दिया।

मचूको का निर्माण

उनी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। यह थी मचूगिया के राष्ट्रवादियों द्वारा १८ फरवरी, १९३२ को एक नए स्वतन्त्र राज्य मचूको की स्थापना की घोषणा।

इस नए राज्य में चीन के तीन पूर्वी प्रदेश तथा जेहोल का प्रदेश शामिल किया गया, जिस पर १९२३ के प्रारम्भ में जापानी सेनाओं ने अधिकार कर लिया था। एक प्रमुख कार्यपालक के अधीन, जो रिजेंट कहलाया, मन्चूको को एक स्वतंत्र गणराज्य अधिकृत रूप से घोषित कर दिया गया। ४ मार्च को चीन के अपदस्थ मन्त्राट, जिन्हें १९१२ के पश्चात् हेनरी-यू-यी के नाम से जाना जाता था, ने रिजेंटी को स्वीकार कर लिया। पाच दिन पश्चात् एक सविधान को लागू करके रिजेंट को सम्पूर्ण कार्यपालक अधिकार दे दिये गये, जिसके पास पूर्ण निषेधाधिकार भी थे। इन सरकार की मर्यादिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि सब महत्वपूर्ण विभागों में जापानी अधिकारी थे। १५ नितम्बर, १९३२ को जापान ने इस नये राज्य को मान्यता प्रदान कर दी। यह कदम उमने राष्ट्र मध को जाच आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने का अवसर मिलने में पहले ही उठा लिया।

मन्चूरिया के मामले में राष्ट्रसंघ की कार्यवाही

१४ जनवरी, १९३२ को लिटन-जाच आयोग की नियुक्ति हुई। यह जाच-आयोग उतिहाम में पहला आयोग था, जो सुदूरपूर्व के मामलों के सम्बन्ध में जाच करने वाला हो और जिनमें नव मदस्य पश्चिमी राष्ट्रों की गोरी जाति के हों। मन्चूरिया के मामले में छ माह के गम्भीर अध्ययन के पश्चात् ४ सितम्बर, १९३५ को लिटन-आयोग ने अपना प्रतिवेदन पूर्ण किया। १३६ पृष्ठ के प्रतिवेदन में आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि मुकदेन-घटना के पश्चात् विस्मृत रूप में हुई सैनिक कार्यवाहियों को 'आत्म-प्रतिरक्षा के लिये कानूनी उपाय' नहीं माना जा सकता। उस मन्चूको-सरकार को आप चीनी समर्थन प्राप्त नहीं है "जो अपने घरेलू तथा विदेशी अधिकारों के लिये जापानी सेनाओं पर निर्भर करती है।" इस समस्या के समाधान के लिए आयोग ने दो हल पेश किये उनमें से एक में एक चीन-जापान-सम्मेलन पर बल दिया गया, जो मन्चूरिया में जापान के विशिष्ट हितों को मान्यता दे। यह मान्यता स्वायत्त-शासन-सम्पन्न हो पर इस पर प्रभुसत्ता चीन की ही रहे। एक जापानी पत्र ने इस प्रतिवेदन पर टिप्पणी करते हुए लिखा, "यह प्रतिवेदन कानूनी तथा साहित्यिक कृति है, जो राष्ट्र-संघ के अजायब घर के पुस्तकालय को शोभित करता रहेगा, पर जिसका अन्तर्राष्ट्रीय आलेख के रूप में कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है।"

६ दिनम्बर, १९३२ को राष्ट्र-संघ की विजिष्ट महासभा ने लिटन-आयोग का प्रतिवेदन उन्तीस राष्ट्रों की एक विशिष्ट नमिति के हाथ में दे दिया, जिसने प्रार्थना की गई कि यह नमाधान-योजना बनाये। नमिति ऐसी कोई भी योजना नहीं बना करती जो चीन तथा जापान दोनों को मान्य हो। तो भी उमने एक प्रतिवेदन तैयार

कर लिया, जिसे २४ फरवरी, १९३३ को राष्ट्र सघ की महासभा ने ४२ मतों से स्वीकार कर लिया। जापान ने विरोध में मत दिया। इस प्रतिवेदन द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि जापान ने बिना किसी युद्ध-घोषणा के चीन के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। उसने ये रायें दी—(१) रेल-क्षेत्र से जापानी सेनाओं का प्रत्यागमन, (२) चीन की प्रभुसत्ता के अन्तर्गत मचूरिया का स्वशासन, (३) जापान-चीन-समझौते के लिये राष्ट्र-सघ समिति की सहायता से वार्ता, (४) राष्ट्रसघ के सदस्यों द्वारा मचूको राज्य को अमान्यता। एक पृथक् प्रस्ताव द्वारा एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की गई जिसमें अमेरिका तथा रूस को मिला कर २१ राष्ट्र थे। यह समिति उसके कार्य में सहयोग करने के लिये बनाई गई थी। क्योंकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी औपचारिक युद्ध-घोषणा नहीं की इसलिये प्रतिबन्धों तथा सैनिक शक्ति का प्रश्न ही नहीं उठा। जापानी प्रतिनिधि मत्सुको ने घोषणा की कि “जापान-चीन सम्बन्धों के मामले में राष्ट्र सघ को सहयोग देने के जापानी सरकार के प्रयत्न अब सीमा पार कर गये हैं।” २७ मार्च, १९३३ को जापान ने दो वर्षों की आवश्यक पूर्व-सूचना के समय की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्र सघ से अपनी सदस्यता समाप्त करने की औपचारिक सूचना दे दी।

जेहोल-विजय, तथा पेकिंग और तीनसिन के मुख्य द्वारों तक जापानी सेनाओं के बढ़ जाने के पश्चात्, दो महीने बाद ३१ मई, १९३३ को जापान-चीन ने तगू पर एक युद्ध-विराम-समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार मचूरिया तथा चीन के बीच अमैतिक क्षेत्र स्थापित कर दिया गया। कहा जा सकता है कि तगू युद्ध-विराम संधि द्वारा जापानी आक्रमण का वह दौर तो समाप्त हो गया, जो ‘मचूरिया घटना’ के नाम से जाना जाता है।

परिशिष्ट १

संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर

संयुक्त राष्ट्रों के हम लोगों ने यह पत्रका निश्चय किया है

कि हम आनेवाली पीढ़ियों को उम युद्ध की विभीषिकाओं ने वचाएँगे जिसने हमारे जीवन काल में ही दो बार मनुष्य मात्र पर अकथनीय दुःख ढाए हैं, और

कि हम मानवता के मूल-अधिकारों में, मानव की गरिमा और महत्व में, और छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के नर नारियों के समान अधिकार में फिर आस्था बनाएंगे और

कि हम ऐसे हालात पैदा करेंगे जिनमें न्याय और उन दायित्वों का सम्मान बना रहे जो कि मन्विधियों और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के हमारे स्रोतों ने हम पर आ पड़ते हैं, और

कि हम अधिक व्यापक स्वतन्त्रता के द्वारा अपने जीवन का स्तर ऊँचा करेंगे और समाज को प्रगतिशील बनाएंगे ।

इन उद्देश्यों के लिये

हम महनशील बनेंगे और अच्छे पड़ोसियों की तरह साथ मिलकर शान्ति से रहेंगे, और

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए अपनी शक्तियों का संगठन करेंगे, और

उन नियमों को मानेंगे और ऐसे साधनों में काम लेंगे, जिनसे इस बात का विश्वास हो जाय कि अपने सामान्य हितों की रक्षा के अलावा हथियारबन्द सैन्याओं का प्रयोग नहीं किया जायगा, और

सभी लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय साधनों का प्रयोग करेंगे ।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमने मिलकर प्रयत्न करने का निश्चय किया है ।

इसलिये हमारे सरकारें अपने प्रतिनिधियों के रूप में मानवामिन्को नगर में एकट्ठी हुई हैं । इन प्रतिनिधियों ने अपने अधिकारपत्र दिखाए हैं जिनको कि ठीक और उचित रूप में पाया गया है, और इन्होंने संयुक्त राष्ट्रों के इस चार्टर को मान लिया है और उसकी रूप से वे अब एक अन्तर्राष्ट्रीय नग्न की स्थापना करने हैं जिसका नाम 'संयुक्त राष्ट्र-नग्न' होगा ।

अध्याय एक
प्रयोजन और सिद्धान्त
अनुच्छेद १

सयुक्तराष्ट्र-सघ के प्रयोजन ये हैं —

१ अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, और इसके लिए सामूहिक और प्रभावपूर्ण प्रयत्नों से शांति के खतरो को रोका और मिटाया जा सके, और अग्रघर्षण की और दूसरी शांति भंग करने वाली चेष्टाओं को दबाया जा सके, और न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर शांतिपूर्ण साधनों से उन अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों और समस्याओं को सुलझाया या निबटाया जाय, जिनसे शांति भंग होने की आशंका हो ।

२ सब राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बढ़ाए जाएं जिनका आधार सब लोगों के समान अधिकार और स्वाधीनता के सिद्धान्त पर हो ।

३ विश्व की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवतावादी समस्याओं को हल करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाय । जाति, भाषा, लिंग या धर्म का भेद किये बिना सबके लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं के सम्मान को बढ़ाया जाय और उसे प्रोत्साहन दिया जाय, और

४ सयुक्तराष्ट्र-सघ को एक ऐसा केन्द्र बनाया जाय जहाँ इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग-अलग राष्ट्र जो काम करें, उनमें सामंजस्य लाया जा सके ।

अनुच्छेद २

पहले अनुच्छेद के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सघ और उसके सदस्य जो भी काम करेंगे, उनमें वे इन सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे कि —

१ हम मध्य का आचार सब सदस्यों की बराबर प्रभुता का सिद्धान्त है ।

२ सभी सदस्य अपने उन सब दायित्वों को ईमानदारी के साथ निभाएंगे, जिन्हें उन्होंने वर्तमान चार्टर के अनुसार अपने ऊपर लिया हो, ताकि सबको इस बात का विश्वास हो जाय कि सदस्य होने के जो भी अधिकार और लाभ हैं, वे उनको मिलेंगे ।

३ सभी सदस्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण साधनों से इस प्रकार तय करेंगे कि विश्व की सुरक्षा, शांति और न्याय खतरे में न पड़े ।

४ सभी सदस्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों में किसी राज्य की अखण्डता, राजनीतिक स्वाधीनता के सिद्ध न तो धमकी देंगे और न बल का प्रयोग करेंगे और कोई भी ऐसा काम न करेंगे जो सयुक्त राष्ट्रों के प्रयोजनों में मेल न खाता हो ।

५. सभी सदस्य संयुक्तराष्ट्र सभ को ऐसी हर कार्यवाही में सब तरह की मदद देंगे जो वर्तमान चार्टर के अनुसार हो, और किसी भी राज्य की मदद न करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र-सभ अमल कराने या रोक थाम की कोई कार्यवाही कर रहा हो।

६. यह सभ इस बात का विश्वास दिलाएगा कि जो राज्य संयुक्तराष्ट्र सभ के सदस्य नहीं हैं, वे भी अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए जहाँ तक आवश्यक हो, इन्हीं सिद्धांतों का पालन करेंगे।

७. वर्तमान चार्टर में जो कुछ कहा गया है उससे संयुक्तराष्ट्र सभ किसी भी राज्य के उन मामलों में दखल देने का अधिकारी न होगा जो निश्चित रूप से उस राज्य के घरेलू क्षेत्र के भीतर आते हैं। न किसी सदस्य के लिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे मामलों को वर्तमान चार्टर के अधीन निबटाने के लिए रखे। लेकिन सातवें अध्याय में अमल कराने के लिए जो कार्यवाहियाँ बतवाई गई हैं, उनके लागू किए जाने पर इस सिद्धान्त का कोई असर न पड़ेगा।

अध्याय दो

सदस्यता

अनुच्छेद ३

संयुक्तराष्ट्र-सभ के आदि सदस्य वही राज्य होंगे जो वर्तमान चार्टर पर हस्ताक्षर करें और अनुच्छेद ११० के अनुसार न्यायान करे, जो सान-फ्रान्सिस्को में अन्तर्राष्ट्रीय-सभ के विषय में संयुक्तराष्ट्रों की सभा में शामिल हुए हैं, या जो संयुक्तराष्ट्र-सभ के १ जनवरी १९४२ के सम्मिलित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

अनुच्छेद ४

१. संयुक्तराष्ट्र-सभ की सदस्यता उन सभी शांति चाहने वाले राष्ट्रों के लिए खुली है, जो वर्तमान चार्टर में दिए हुए दायित्वों को मानें और जिनमें सब की राय में इन दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और योग्यता दोनों हो।

२. किसी राष्ट्र को संयुक्तराष्ट्र-सभ के सदस्यों में तभी शामिल किया जाएगा, जब सुरक्षा परिषद उसकी सिफारिश करेगी और जनरल असेम्बली उस सिफारिश पर अपना निर्णय देगी।

अनुच्छेद ५

अगर संयुक्तराष्ट्र-सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध सुरक्षा परिषद ने रोकथाम की या अमल कराने की कोई कार्यवाही की हो तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर

जनरल असेम्बली उस राज्य को सदस्यता के अधिकारो और विशेषाधिकारो के प्रयोग से रोक सकती है। सुरक्षा परिषद् इन अधिकारो और विशेषाधिकारो के प्रयोग पर से रोक हटा भी सकती है।

अनुच्छेद ६

संयुक्तराष्ट्र-संघ का कोई सदस्य अगर वर्तमान चार्टर के सिद्धान्तो का ब्यार-ब्यार उल्लंघन करता है तो उसे जनरल असेम्बली सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर संघ से निकाल सकती है।

अध्याय तीन

अंग

अनुच्छेद ७

१. संयुक्तराष्ट्र-संघ के ये प्रमुख अंग बनाए जाते हैं:—

- (क) जनरल असेम्बली।
- (ख) सुरक्षा परिषद्।
- (ग) आर्थिक और सामाजिक परिषद्।
- (घ) न्याय परिषद्।
- (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय।
- (च) सचिवालय।

२. वर्तमान चार्टर के अनुसार अन्य सहायक अंग भी आवश्यकता होने पर स्थापित किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद ८

संयुक्तराष्ट्र-संघ अपने प्रमुख या सहायक अंगो में बराबरी की दशा में किसी भी हैमियत में काम करने के लिए किसी भी नर-नारी की पात्रता पर कोई पाबन्दी नहीं लगाएगा।

अध्याय चार

जनरल असेम्बली

रचना

अनुच्छेद ६

१. जनरल असेम्बली में संयुक्तराष्ट्र-संघ के सभी सदस्य रहेंगे।
२. जनरल असेम्बली में किसी भी मदन्य देश के पांच में अधिक प्रतिनिधि नहीं रहेंगे।

काम और शक्तियाँ

अनुच्छेद १०

जनरल असेम्बली किसी भी ऐसे प्रश्न या मामले पर विचार कर सकती है जो वर्तमान चार्टर के क्षेत्र में हो या जिमका सम्बन्ध संयुक्तराष्ट्र-संघ के उन श्रमों में से किसी की भी शक्तियों या कार्यों में हो, जो वर्तमान चार्टर की रू में बनाए जाय, और अनुच्छेद १२ के उपबन्ध को छोड़कर, जनरल असेम्बली किसी भी ऐसे प्रश्न या मामले पर अपना सिफारिशें संयुक्तराष्ट्र-संघ के सदस्यों को या सुरक्षा परिषद् को या दोनों को भेज सकती है ।

अनुच्छेद ११

१. जनरल असेम्बली अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग के साधारण सिद्धान्तों पर विचार कर सकती है, इनमें निःशस्त्रीकरण और शस्त्र-नियंत्रण के सिद्धान्त भी शामिल होंगे, और इनके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिये सहयोग के जो भी सिद्धान्त संभव हो सकते हैं, जनरल असेम्बली इनके सम्बन्ध में सदस्यों को या सुरक्षा परिषद् को या दोनों को अपनी सिफारिशें दे सकती है ।

२. जनरल असेम्बली अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के किन्हीं ऐसे प्रश्नों पर विचार कर सकती है जिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य, या सुरक्षा परिषद् या कोई ऐसा राज्य जो अनुच्छेद ३५ के पैरा २ के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य न हो, पेश करे और जनरल असेम्बली अनुच्छेद १२ में दिए हुए उपबन्ध को छोड़कर ऐसे किसी प्रश्न के बारे में उन राष्ट्र या उन राष्ट्रों को जिन्होंने यह प्रश्न उठाया हो या सुरक्षा परिषद् को या दोनों को अपनी सिफारिशें दे सकती है । यदि कोई ऐसा प्रश्न हो जिस पर कार्यवाही करनी आवश्यक हो, तो जनरल असेम्बली वहल के पहले या वहल के बाद उनको सुरक्षा परिषद् में भेज देगी ।

३. जनरल असेम्बली सुरक्षा परिषद् का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर दिना सकती है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है ।

४. इस अनुच्छेद में जनरल असेम्बली की जो शक्तियाँ दी गई हैं उनमें अनुच्छेद १० का विषय विस्तार सीमित नहीं होगा ।

अनुच्छेद १२

१. वर्तमान चार्टर में सुरक्षा परिषद् को जो काम सौंपे गए हैं उनके अनु-सार जब वह किसी झगड़े या परिस्थिति पर विचार कर रही हो तो उस झगड़े या परिस्थिति के सम्बन्ध में जनरल असेम्बली कोई सिफारिश नहीं करेगी, जब तक सुरक्षा परिषद् उसने ऐसा करने को न बहे ।

२ सुरक्षा परिषद् का प्रधान सचिव सुरक्षा परिषद् की आज्ञा से जनरल असेम्बली को उसके हर अधिवेशन पर अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के सम्बन्ध में उन मामलो की सूचना देगा, जिन पर सुरक्षा परिषद् कार्यवाही कर रही हो। और अगर जनरल असेम्बली का अधिवेशन न हो रहा हो तो उन मामलो पर सुरक्षा परिषद् की कार्यवाही समाप्त होने के बाद तुरन्त ही जनरल असेम्बली को या सयुक्तराष्ट्र सभ के सदस्यो को इस बात की सूचना देगा।

अनुच्छेद १३

१ जनरल असेम्बली नीचे लिखी बातो के अध्ययन की व्यवस्था करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें देगी :—

(क) राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्रमिक विकास और उसके सहिताकरण को प्रोत्साहन देना।

(ख) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रो में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और जाति, लिंग, भाषा, या धर्म का भेद किए बिना सबको मानव अधिकार और मूल स्वतन्त्रता दिलाने में सहायता देना।

२. ऊपर पैरा (ख) में जिन मामलो की चर्चा की गई है उनके बारे में जनरल असेम्बली की जो और जिम्मेदारियाँ, काम और शक्तियाँ हैं उनको नवें और दसवें अध्यायो में दिया गया है।

अनुच्छेद १४

अगर किसी भी कारण से कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, जिससे जनरल असेम्बली की राय में राष्ट्रों के साधारण हितो या राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधो को ठेम पहुँचती है, तो बारहवें अनुच्छेद के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, जनरल असेम्बली उम परिस्थिति को शांति से सुलझाने के लिए सिफारिश कर सकती है।

अनुच्छेद १५

१ जनरल असेम्बली सुरक्षा परिषद् से उसकी वार्षिक और विशेष रिपोर्टें मगाएगी और उन पर विचार करेगी। इन रिपोर्टों में सुरक्षा परिषद् की उन सारी कार्यवाहियो वा लेखा जोखा रहेगा, जो सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बनाए रखने के लिए कर चुकी है या करने वाली है।

२ जनरल असेम्बली सयुक्त राष्ट्रसभ के अन्य अंगो से भी उनकी अपनी अपनी रिपोर्टें मगाएगी और उन पर विचार करेगी।

अनुच्छेद १६

जनरल असेम्बली अन्तर्राष्ट्रीय न्याय-पद्धति के बारे में वह सब काम करेगी, जो चाहें, और नेहवें अध्यायो में उसे माँगे गए हैं। इनमें ऐसे इलाको के लिए

न्याय-समझौते का अनुमोदन भी शामिल होगा, जिनको युद्ध की दृष्टि में कोई महत्व नहीं दिया जाता ।

अनुच्छेद १७

१. जनरल असेम्बली सघ के बजट पर विचार करेगी और उसका अनुमोदन करेगी ।

२. सघ का खर्च सभी सदस्य उठावेंगे और सदस्यों के बीच उनका अनुपात जनरल असेम्बली तय करेगी ।

३. जनरल असेम्बली वित्त और बजट सम्बन्धी उन सभी समस्याओं पर विचार करेगी, और उन पर अपना अनुमोदन देगी, जो अनुच्छेद १७ में बताई विधेय एजेण्डियों के साथ हुए हों, और ऐसी एजेंडियों को अपनी सिफारिशें देने के लिये उनके अभिशामन सम्बन्धी बजटों की जाँच करेगी ।

अनुच्छेद १८

१. जनरल असेम्बली में हर सदस्य का एक वोट होगा ।

२. महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जनरल असेम्बली के निर्णय उस समय मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के दो तिहाई के बहुमत में किए जाएंगे । इन प्रश्नों में नीचे लिखी बातें शामिल होंगी :—

- (क) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के विषय में सिफारिशें,
- (ख) सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव,
- (ग) आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव,
- (घ) अनुच्छेद ८६ के पैरा १ (ग) के अनुसार न्याय परिषद के सदस्यों का चुनाव ।

(च) संयुक्तराष्ट्र सघ में नए सदस्यों की भरती ।

(छ) सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों का छीनना,

(ज) सदस्यों का निकालना,

(झ) न्याय पद्धति के काम सम्बन्धी प्रश्न,

(ञ) बजट के प्रश्न ।

३. हमारे प्रश्नों का निर्णय उस समय मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत में किया जाएगा । इन प्रश्नों में उन प्रश्नों की अनिश्चित श्रेणियों का तय करना भी शामिल होगा जिनका निर्णय दो तिहाई बहुमत में किया जाता है ।

अनुच्छेद १९

अन्य संयुक्तराष्ट्र सघ के किसी सदस्य ने नया नही चुनाया है और वेनाज उनके पिटने पूरे दो सालों के चर्चे के योग्य के बराबर या उससे बराबर हों, तो वह

क्रिया विधि

अनुच्छेद २८

१ सुरक्षा परिपद का सगठन इस प्रकार होगा कि वह लगातार काम कर सके। इसलिए सघ स्थान में सुरक्षा परिपद के हर सदस्य का प्रतिनिधान हर समय रहेगा।

२. सुरक्षा परिपद की बैठकें समय समय पर हुआ करेंगी। इसमें यदि कोई सदस्य राष्ट्र चाहे तो उसका प्रतिनिधान उसकी सरकार का कोई सदस्य या विशेष रूप में नामजद कोई दूसरा प्रतिनिधि कर सकता है।

३ सुरक्षा परिपद सघ-स्थान के अलावा किसी दूसरी ऐसी जगह, जहाँ वह काम में आसानी समझे, अपनी बैठकें कर सकती है।

अनुच्छेद २९

सुरक्षा परिपद अपने कार्यों के लिए आवश्यक समझे तो सहायक अगो की स्थापना कर सकती है।

अनुच्छेद ३०

सुरक्षा परिपद अपनी क्रियाविधि के नियम आप बनाएगी। अपना अध्यक्ष चुनने की विधि भी वह स्वयं तय करेगी।

अनुच्छेद ३१

मयुक्तराष्ट्रमघ का कोई भी सदस्य, चाहे वह सुरक्षा परिपद का सदस्य न भी हो, सुरक्षा परिपद के मामले आये हुए किसी भी मामले की वहम में भाग ले सकता है, बशर्ते कि सुरक्षा परिपद यह समझे कि उस मामले से उस सदस्य के हितों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। मगर ऐसे सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

अनुच्छेद ३२

जब कोई झगडा सुरक्षा परिपद में पैदा हो तो मयुक्त राष्ट्र सघ का वह सदस्य जो सुरक्षा परिपद का सदस्य नहीं है, अथवा वह राज्य जो मयुक्त राष्ट्र मघ का सदस्य न हो, यदि वह विवादो पक्ष है तो वहमें में भाग लेने के लिए बुला लिया जायगा, पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। सुरक्षा परिपद अपनी वहसों में ऐसे राष्ट्र के भाग लेने के नियम, जो मयुक्त राष्ट्रों का सदस्य नहीं है, ऐसे नियम बनाएगी जिन्हें वह न्याय्य समझे।

अध्याय छः भगडों का शांतिपूर्ण निपटारा

अनुच्छेद ३३

१. अगर किसी भगडे से विश्व की शांति और सुरक्षा को खतरा हो तो दोनों विवादी पक्ष उस भगडे को सबसे पहले बात-चीत, पूछ-ताछ, वीच-विचाव, मेल, विवाचन, न्याय सम्मत समझौते, प्रादेशिक मंस्याओ या व्यवस्थाओ द्वारा या अपनी पसंद के दूसरे शांतिपूर्ण साधनों से मुलभाने की कोशिश करेंगे ।

२. सुरक्षा परिपद् जब आवश्यक समझे, विवादी पक्षों को अपने भगडे ऐसे साधनों से निपटाने की माग करेगी ।

अनुच्छेद ३४

सुरक्षा परिपद् किसी ऐसे भगडे या स्थिति की जांच पडताल कर सकती है जो अन्तर्राष्ट्रीय सधर्प का रूप ले सकता हो, या जिसमे कोई दूसरा भगडा उठ सकता हो, वह इस बात का भी निश्चय करेगी कि यह भगडा या स्थिति यदि जारी रहे तो विश्व की शांति और सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो सकता है या नहीं ।

अनुच्छेद ३५

१ अगर कोई भगडा या स्थिति ऐसी है, जैसी अनुच्छेद ४३ में बताई गई है तो नयुक्त राष्ट्र सघ का कोई सदस्य उसकी और जनरल असेम्बली अथवा सुरक्षा परिपद् का ध्यान खींच सकता है ।

२ कोई भी राष्ट्र जो किसी भगडे में एक फरीक है और जो नयुक्त राष्ट्र-सघ का सदस्य नहीं है, उस भगडे को सुरक्षा परिपद् अथवा जनरल असेम्बली के नामने ला सकता है; बशर्ते कि भगड के शांतिपूर्ण समझौते के लिए जितने भी दायित्व वर्तमान चार्टर में दिये गए हैं, उनको वह पहले ही स्वीकार कर ले ।

३ इस अनुच्छेद के अधीन जिन किन्हीं मामलों की और जनरल असेम्बली का ध्यान दिनाया जाए, उन पर उनकी कार्यवाहिया अनुच्छेद ११ और १२ के उप-बन्धों के अधीन की जाएगी ।

अनुच्छेद ३६

१. यदि कोई ऐसा भगडा जिनका उल्लेख अनुच्छेद ३४ में किया गया है, या उनी प्रकार की कोई स्थिति पैदा हो जाए तो सुरक्षा परिपद् किनी भी नमय उनके लिए उचित कार्यवाही या मुनभाने के उपायों की सिफारिश कर सकती है ।

२. सुरक्षा परिपद् उन कार्यवाहियों का भी ध्यान रखेगी जो फरीकों के भगडों को मुनभाने के लिए तब तक की हो ।

दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हथियारबंद सेनाएँ मागने से पहले, अगर वह सदस्य चाहे तो उसको सुरक्षा परिषद् में उसकी हथियारबंद सेनाओं के प्रयोग करने के बारे में बातचीत में भाग लेने के लिए बुलाएगी ।

अनुच्छेद ४५

अमल कराने की सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए, सदस्य अपनी अपनी राष्ट्रीय वायुसेना के दल जल्दी से जल्दी मुहय्या करेंगे, जिससे सयुक्तराष्ट्र सघ तुरन्त सैनिक कार्यवाही कर सके । सुरक्षा परिषद्, सैनिक अमला समिति की मदद से इन सैन्य दलों की सख्या और तैयारी की मात्रा तय करेगी और सामूहिक कार्यवाही के लिए योजनाएँ बनाएगी । इन बातों का निर्णय अनुच्छेद ४३ में दिए हुए समझौते या समझौतों की सीमाओं के भीतर ही होगा ।

अनुच्छेद ४६

सुरक्षा परिषद् सैनिक अमला समिति की सहायता से हथियारबंद सेनाओं को काम में लाने की योजनाएँ तैयार करेगी ।

अनुच्छेद ४७

१ सुरक्षा परिषद् को नीचे लिखे प्रश्नों पर सलाह देने और सहायता करने के लिए एक सैनिक अमला समिति बनाई जाएगी —

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा परिषद् की सैनिक आवश्यकताएँ, (11) उसके अधीन सेनाओं का प्रयोग और उनकी कमान, (111) शस्त्रों का नियंत्रण और (1V) नभाषित नि शस्त्रीकरण ।

२ सैनिक अमला समिति में सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के अमला अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि रहेंगे । अगर सयुक्तराष्ट्र सघ का कोई सदस्य समिति का स्थायी प्रतिनिधि न हो और समिति के दायित्वों को अच्छी तरह पूरा करने में उस सदस्य का भाग लेना आवश्यक हो तो समिति उसको अपने साथ काम करने के लिए बुला लेगी ।

३ सुरक्षा परिषद् के उपयोग के लिए जो हथियारबंद सेनाएँ दी जाएँगी, उन का युद्ध नम्वन्धी निर्देशन सैनिक अमला समिति के हाथ में रहेगा और यह समिति सुरक्षा परिषद् के अधीन रहेगी । इन हथियारबंद सेनाओं के कमान नम्वन्धी प्रश्न बाद में तय किए जायेंगे ।

४ सैनिक अमला समिति उपयुक्त प्रादेशिक नम्वन्धी से सलाह लेने के लिए प्रादेशिक उप-समितियाँ भी बना सकती है । सैनिक अमला समिति को यह अधिकार सुरक्षा परिषद् ने मिलेगा ।

अनुच्छेद ४८

१. अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद् के निर्णयों पर जो कार्यवाही होगी, उस की सुरक्षा परिषद् के निर्णय के अनुसार सयुक्तराष्ट्र संध के सब सदस्यों को या उन में से कुछ एक को करना होगा ।

२ सुरक्षा परिषद् के इन निर्णयों पर सयुक्तराष्ट्र संध के सदस्य स्वयं अमल करेंगे और अपनी कार्यवाही द्वारा उन सब अन्तर्राष्ट्रीय सस्याओं से भी कराएँगे, जिनके वह स्वयं सदस्य हों ।

अनुच्छेद ४९

सुरक्षा परिषद् जो भी कार्यवाही तय करेगी उसको पूरा करने में संयुक्तराष्ट्रों के सब सदस्य सामूहिक रूप से एक दूसरे को सहयोग देंगे ।

अनुच्छेद ५०

जब सुरक्षा परिषद् किसी राष्ट्र के विरुद्ध रोक थाम की या अमल कराने की कार्यवाही कर रही हो, उस समय उस कार्यवाही को पूरा करने में ही मकता है कि किसी दूसरे राष्ट्र के सामने कुछ विशेष आर्थिक समस्याएँ उठ खड़ी हों । ऐसी सूरत में चाहे वह राष्ट्र सयुक्तराष्ट्र संध का सदस्य ही या नहीं, उसको उन समस्याओं के हल करने के लिए सुरक्षा परिषद् से सलाह लेने का अधिकार होगा ।

अनुच्छेद ५१

अगर संयुक्तराष्ट्र संध के किसी सदस्य पर कोई सशस्त्र आक्रमण होता है तो वह व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से आत्म रक्षा करने का अधिकारी है, वर्तमान चार्टर के अनुसार उस पर उस समय तक कोई रोक न होगी जब तक सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये आप कोई कार्यवाही न करे । आत्मरक्षा के लिए सदस्य जो भी कार्यवाही करेंगे, उनकी सूचना तुरन्त ही सुरक्षा परिषद् को देंगे । पर इन चार्टर के अनुसार इनमें सुरक्षा परिषद् के अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा । वह अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने या फिर नें स्थापित करने के लिए जब कभी, जो कार्यवाही चाहे कर सकती है ।

अध्याय आठ

प्रादेशिक प्रबन्ध

अनुच्छेद ५२

१. अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों को नय करने वाली प्रादेशिक कार्यवाही के लिए जितने भी उपयुक्त प्रबन्ध और माधन उस समय हैं, उनके बने रहने में वर्तमान चार्टर के अनुसार कोई बाधा नहीं पड़ेगी । इन यद् हे

कि वे प्रबन्ध या सस्थाएँ और उनके काम सयुक्तराष्ट्र सघ के प्रयोजनो और सिद्धान्तो से मेल खाते हो ।

२ अगर सयुक्तराष्ट्र सघ के सदस्य ऐसी सस्थाओ के सदस्य हो या उन्होने ऐसे प्रबन्ध किए हों तो वे स्थानीय भगडों को सुरक्षा परिषद् के सामने आने से पहले इन्ही प्रादेशिक सस्थाओ या प्रबन्धो के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करेंगे ।

३ अगर राष्ट्र अपनी इच्छा प्रकट करे या सुरक्षा परिषद् की ओर से कोई सकेत मिले तो स्थानीय भगडे इन्ही प्रादेशिक सस्थाओ या प्रबन्धो के द्वारा सुलझाए जायेंगे । सुरक्षा परिषद् इस प्रकार के रूझान को बढावा देगी ।

४ इस अनुच्छेद से अनुच्छेद ३४ और ३५ के लागू होने पर कोई असर नहीं पडेगा ।

अनुच्छेद ५३

१ जहाँ उचित होगा, सुरक्षा परिषद् अपने अधिकार में इन प्रादेशिक संस्थाओ या प्रबन्धो से अपनी अमल कराने की कार्यवाही में काम लेगी, लेकिन इन प्रादेशिक सस्थाओ या प्रबन्धो के अधीन अमल कराने की कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक सुरक्षा परिषद् ऐसा करने का अधिकार न दे दे । परन्तु यदि इस अनुच्छेद के पैरा २ में बताए किसी शत्रु-राष्ट्र के खिलाफ अनुच्छेद १०७ के अनुमार कार्यवाहिया की जा रही हो, तो इस प्रकार अधिकार पाने की आवश्यकता तब तक नहीं होगी, जब तक उस मामले से सम्बन्ध रखने वाली सरकारो की प्रार्थना पर सयुक्तराष्ट्र सघ को उस राष्ट्र को आगे अग्रघर्षण करने से रोकने की जिम्मेदारी न दे दी जाए ।

. इस अनुच्छेद के पहले पैरा में जो 'शत्रु राष्ट्र' शब्द प्रयुक्त हुआ है वह उस राष्ट्र के लिए लागू होता है, जो हमारे महायुद्ध में इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले किसी राष्ट्र का शत्रु रहा हो ।

अनुच्छेद ५४

इन प्रादेशिक मस्याओ और प्रबन्धो के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जो भी कार्यवाही होगी, उनकी सूचना सुरक्षा परिषद् को हर समय दी जाएगी ।

अध्याय नौ

अन्तर्गष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग

अनुच्छेद ५५

बोमों के नमानाधिकार और स्वाधीनता के आधार पर राष्ट्रों के बीच शांति

श्रीर मित्रता के मन्वन्ध स्थापित करने के लिये, जनहित श्रीर स्थिरता की जो स्थितियाँ आवश्यक हैं, इनको पैदा करने के लिये, समुक्त राष्ट्र संघ नीचे लिखी बातों को बढ़ावा देगा :—

- (क) रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना, सबको काम दिलाना, आर्थिक श्रीर सामाजिक उन्नति श्रीर विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करना ।
- (ख) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य श्रीर तत्सम्बन्धी समस्याओं का सुलभाना श्रीर सस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ।
- (ग) जाति, लिंग, भाषा श्रीर धर्म का भेद किये बिना सबके लिये मानव अधिकारी श्रीर मूल स्वतन्त्रता के प्रति सर्वत्र सम्मान, श्रीर उनका पालन ।

अनुच्छेद ५६

सब सदस्य प्रतिज्ञा करते हैं कि अनुच्छेद ५५ के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये, वे संघ के सहयोग से, मिलकर अथवा अलग-अलग कार्यवाही करेंगे ।

अनुच्छेद ५७

१. विशेष कार्य करने वाली वे अनेक संस्थाएँ अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर बनाई जावेंगी श्रीर, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य श्रीर तत्सम्बन्धी क्षेत्रों में उनकी बहुत बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियाँ होंगी, इन जिम्मेदारियों की परिभाषा इन संस्थाओं के आधार-भूत प्रपत्रों में की जायगी, समुक्त राष्ट्रसंघ में उनका सम्बन्ध अनुच्छेद ६३ के उपबन्धों के अनुसार स्थापित करना होगा ।

२. जिन संस्थाओं का सम्बन्ध उस प्रकार संयुक्तराष्ट्र संघ में स्थापित हो गया है, उनको, आगे चलकर विशेष कार्य करने वाली संस्थाएँ कहा जायगा ।

अनुच्छेद ५८

विशेषकार्य करने वाली संस्थाओं की नीतियों श्रीर कार्यवाहियों में ताल मेल स्थापित करने के लिये संयुक्तराष्ट्र संघ निफारित करेगा ।

अनुच्छेद ५९

अनुच्छेद ५५ में दिये दूजे प्रयोजनों के लिए आवश्यकता होने पर परि उचित

होगा तो संयुक्तराष्ट्र संघ नई विशेष कार्य करने वाली संस्थाओं की बातचीत राष्ट्रों के बीच चलायेगा ।

अनुच्छेद ६०

इस अध्याय में दिये संयुक्तराष्ट्र संघ के कार्य पूरे करने की जिम्मेदारी जनरल असेम्बली पर होगी । लेकिन जनरल असेम्बली के अधिकार के अधीन यह जिम्मेदारी आर्थिक और सामाजिक परिपद के ऊपर होगी । उसको इस मतलब के लिये दसवें अध्याय में दी हुई शक्तियाँ मिलेंगी ।

अध्याय दस

आर्थिक और सामाजिक परिपद

अनुच्छेद ६१

१. आर्थिक और सामाजिक परिपद में जनरल असेम्बली द्वारा चुने हुए संयुक्तराष्ट्र संघ के अठारह सदस्य रहेंगे ।

२. पैरा ३ के उपबन्धों के अधीन आर्थिक और सामाजिक परिपद के ६ सदस्य हर साल तीन साल के लिये चुने जायेंगे । सेवा मुक्त सदस्य तुरन्त ही फिर चुनाव के लिये खड़ा हो सकेगा ।

३. पहले चुनाव में आर्थिक और सामाजिक परिपद के अठारह सदस्य चुने जायेंगे । जनरल असेम्बली के प्रबन्ध के अनुसार इस तरह चुने हुए ६ सदस्यों की पदावधि एक साल और, दूसरे छ सदस्यों की दो साल होगी ।

४. आर्थिक और सामाजिक परिपद के हर सदस्य राष्ट्र का एक प्रतिनिधि रहेगा ।

कार्य और शक्तियाँ

अनुच्छेद ६२

१. आर्थिक और सामाजिक परिपद अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और तत्सम्बन्धी मामलों का अध्ययन कर सकती है, और उन पर अपनी रिपोर्ट दे सकती है, या इस प्रकार के अध्ययन का प्रबन्ध कर सकती है, और वह ऐसे मामलों के बारे में जनरल असेम्बली, संयुक्तराष्ट्र संघ के सदस्यों और विशेष कार्य करने वाली संस्थाओं को निफारिशें कर सकती है ।

२. वह सत्रों के लिये मानव अधिकारों तथा मूल स्वतन्त्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाने के लिये उनसे पानन करने के लिये निफारिशें कर सकती है ।

३ वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले मामलों के विषय में जनरल अग्नेम्बली में पेश करने के लिये अभिसमयों का मसौदा तैयार कर सकती है।

४. वह, संयुक्त राष्ट्रमण्डल के बनाये नियमों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करा सकती है।

अनुच्छेद ६३

१. आर्थिक और सामाजिक परिपक्व अनुच्छेद ५७ में बताई गई किसी नस्था के साथ समझौते कर सकती है। साथ ही वह उन शर्तों को भी तय कर सकती है, जिनके आधार पर उसका संयुक्त राष्ट्रमण्डल में सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा। इन समझौतों पर जनरल अग्नेम्बली का अनुमोदन आवश्यक होगा।

२. वह विशेष कार्य करने वाली नस्थाओं में मिलावट करके या उन्हें अपनी सिफारिशें देकर, या जनरल अग्नेम्बली और संयुक्त राष्ट्रमण्डल के सदस्यों को अपनी सिफारिशें दे कर, इन नस्थाओं की कार्यवाहियों में तालमेल रख सकती है।

अनुच्छेद ६४

१. वह विशेष कार्य करने वाली नस्थाओं से वाकायदा रिपोर्टें लेने के लिये उचित कदम उठा सकती है। वह संयुक्तराष्ट्र मण्डल के सदस्यों और विशेष कार्य करने वाली नस्थाओं के साथ ऐसा प्रबन्ध भी कर सकती है कि वह उनसे अपनी सिफारिशों और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले मामलों पर जनरल अग्नेम्बली की सिफारिशों के बारे में अमली कार्यवाहियों की रिपोर्टें ले सके।

२. इन रिपोर्टों पर उसके जो विचार होंगे, वह उनको जनरल अग्नेम्बली तक पहुँचा सकती है।

अनुच्छेद ६५

वह आर्थिक और सामाजिक परिपक्व सुरक्षा परिपक्व को सूचनाएँ देगी और उनकी प्रार्थना पर उसको सहायता भी देगी।

अनुच्छेद ६६

१. जनरल अग्नेम्बली की सिफारिशों पर अमल करने के लिये आर्थिक और सामाजिक परिपक्व वही कार्य करेगी, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

२. वह जनरल अग्नेम्बली के अनुमोदन पर, संयुक्तराष्ट्र मण्डल के सदस्यों की और विशेष कार्य करने वाली नस्थाओं की प्रार्थना पर जो सेवा दस्तावेज हो, कर सकती है।

३. वह दूसरे ऐसे काम भी करेगी जो वर्तमान चार्टर में नहीं और दिखे गये हैं या जिन्हें जनरल अग्नेम्बली ने करने मौता हो।

वोट देना

अनुच्छेद ६७

१. आर्थिक और सामाजिक परिपद के हर सदस्य का एक वोट होगा ।
२. आर्थिक और सामाजिक परिपद में निर्णय मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत से किये जायेंगे ।

क्रियाविधि

अनुच्छेद ६८

आर्थिक और सामाजिक परिपद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिये कमीशन बनायेगी, साथ ही अपने कार्यों की पूर्ति के लिये भी अन्य आवश्यक कमीशनों की स्थापना करेगी ।

अनुच्छेद ६९

आर्थिक और सामाजिक परिपद जब किसी मामले पर विचार कर रही हो, और उस मामले का सयुक्तराष्ट्र सभ के किसी सदस्य से विशेष सम्बन्ध हो तो वह उस सदस्य को विचार विमर्श में भाग लेने के लिये बुला सकती है । पर वह सदस्य वोट नहीं दे सकेगा ।

अनुच्छेद ७०

आर्थिक और सामाजिक परिपद चाहे तो यह प्रवन्ध कर सकती है कि विशेष कार्य करने वाली सस्थाओं के प्रतिनिधि विना वोट दिए उसके विचार विमर्श में और उनके बनाये कमीशनों के विचार-विमर्श में भाग ले सकें, और उनके अपने प्रतिनिधि विशेष कार्य करने वाली सस्थाओं के विचार विमर्श में भाग ले सकें ।

अनुच्छेद ७१

आर्थिक और सामाजिक परिपद चाहे तो अपने अधिकार के भीतर आने वाले मामलों में सम्बद्ध गैर सरकारी मगठनों से सलाह लेने का उचित प्रवन्ध कर सकती है । ये प्रवन्ध अन्तर्राष्ट्रीय मगठनों के साथ और जहाँ ठीक हो, उन मामलों में सम्बन्ध रखने वाले सयुक्तराष्ट्र सभ के सदस्य राष्ट्रों से सलाह करने के बाद राष्ट्रीय मगठनों के साथ किए जा सकते हैं ।

अनुच्छेद ७२

आर्थिक और सामाजिक परिपद अपनी क्रियाविधि के नियम स्वयं बनाएगी । अपना अल्पतम चुनने की विधि भी वह स्वयं तय करेगी ।

२. आर्थिक और सामाजिक परिपद में सम्भाएँ जब आवश्यक हो उनके अपने

नियमों के अनुसार होगी, इन नियमों के अन्तर्गत यह उपबन्ध भी होगा कि जब कभी उसके सदस्यों का बहुमत प्रार्थना करे तो उसकी सभा बुलाई जाए।

अध्याय ग्यारह

परतत्र इलाकों के बारे में घोषणा

अनुच्छेद ७३

मयुक्तराष्ट्र मण्डल के वे सदस्य जिन पर उन इलाकों के अभिशासन की जिम्मेदारियाँ हैं या होंगी, जहाँ लोगों ने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं पाई है, यह स्वीकार करते हैं कि उन इलाकों के निवासियों के हितों की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, और वे एक पुण्य न्यास के रूप में अपना यह दायित्व मानते हैं कि वर्तमान चार्टर में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा-प्रणाली के अधीन, अधिक में अधिक, इन देशों के निवासियों की भलाई करनी है और इसके लिए उन्हें —

(क) इन इलाकों के लोगों की मस्कृति का पूरा ध्यान रखने हुए, उन की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की उन्नति, उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार और उन्हें अत्याचारों से बचाने का पूरा प्रबन्ध करना होगा।

(ख) हर इलाके और उनके लोगों की अपनी-अपनी परिस्थितियों के और उनके विकास की अवस्था के अनुसार, उन में स्वशासन को बढ़ावा देने का, उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं में उचित ध्यान रखने का, और उनकी आजाद राजनीतिक समस्याओं के अधिकाधिक विकास में सहायता देने का पूरा प्रबन्ध करना होगा।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बढ़ानी होगी।

(घ) इस अनुच्छेद में बताए सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए, विकास के रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना होगा, शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना होगा, और एक दूसरे के साथ, और जब और जहाँ ठीक हो, विशेष कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के साथ, सहयोग स्थापित करना होगा।

(ङ) सुरक्षा और सविधानी बातों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मन्त्रियों को उन इलाकों की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा मन्त्रियों परिस्थितियों के अलग-अलग झूठे और दूसरी तरफ़ की नूतनायुक्त देनी होगी, जिनके लिए वे जिम्मेदार हैं, निवाय उन इलाकों के जिन पर दमर्ष और ग्यारह्व अत्याचारों के उपबन्ध लागू होते हैं।

अनुच्छेद ७४

मयुक्तराष्ट्र मण्डल के सदस्य उन बात पर भी राजी हैं कि जिन इलाकों पर उन अध्याय के उपबन्ध लागू होने हैं, उनके बारे में, सामाजिक, आर्थिक और शान्ति

जाएगा और उस अधिकारी राष्ट्र का नाम दिया जाएगा, जो न्यास इलाके का अभिशासन चलाएगा। ऐसे अधिकारी राष्ट्र को आगे चल कर अभिशासक अधिकारी कहा जायगा, जो एक या कई राष्ट्र या स्वयं सयुक्तराष्ट्र सघ भी हो सकता है।

अनुच्छेद ८२

किसी न्यास समझौते में युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र या क्षेत्रों का नाम दिया जा सकता है, और हो सकता है कि इस क्षेत्र में न्यास इलाके का कुछ भाग या समस्त भाग आ जाए। पर इससे अनुच्छेद ४३ के अधीन किए गए विशेष समझौते या समझौतों का अहित न हो सकेगा।

अनुच्छेद ८३

१. युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में सयुक्तराष्ट्र सघ के जितने भी कार्य होंगे वे सब सुरक्षा-परिपद पूरे करेगी। इनमें न्यास समझौते की शर्तों और उनमें अदल-बदल और सशोधन या अनुमोदन भी शामिल होगा।

२ अनुच्छेद ७६ के जो मूल उद्देश्य बताए गए हैं वे युद्ध के लिए महत्वपूर्ण हर इलाके के लोगों पर लागू होंगे।

३ न्यास पद्धति के अधीन युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी मामलों के विषय में सयुक्तराष्ट्र सघ के जो कार्य हों, उनको सुरक्षा-परिपद ही करेगी। इस काम में वह न्यास समझौतों के उपबन्धों के अधीन और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए न्यास परिपद की सहायता ले सकेगी।

अनुच्छेद ८४

अभिशासक राष्ट्र का काम होगा कि वह इस बात का पक्का प्रबन्ध करे कि न्यास इलाका अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपना योग देगा। इस काम के लिए अभिशासक राष्ट्र ने सुरक्षा-परिपद के अधीन इस सम्बन्ध में जो दायित्व ले रखे हों, उनको पूरा करने के लिए, और स्थानीय रक्षा और न्यास इलाके में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह न्यास इलाके से स्वयंसेवक-दल और दूसरी मृदिघाए और सहायता ले सकता है।

अनुच्छेद ८५

१ न्यास समझौतों की शर्तों, और उनमें अदल-बदल और सशोधन के अनुमोदन नभेत, युद्ध के लिए गैरजहरी इलाकों के न्यास समझौतों के जितने भी नाम सयुक्तराष्ट्र सघ के जिम्मे हैं, उनको जनरल प्रमेम्बनी पूरा करेगी।

२. जनरल असेम्बली के अधिकार में काम करते हुए न्यास-परिपद उन कामों को पूरा करने में जनरल असेम्बली की सहायता करेगी ।

अध्याय तेरह न्यास परिपद

रचना

अनुच्छेद ८६

- (१) न्यास परिपद में सयुक्तराष्ट्र सघ के नीचे लिखे सदस्य होंगे .
- (क) वे सदस्य जो न्यास इलाको का अभिशासन कर रहे हैं,
- (ख) वे सदस्य जिनके नाम अनुच्छेद २३ में दिए हैं और जो न्यास इलाको का अभिशासन कर रहे हैं, और
- (ग) जनरल असेम्बली द्वारा तीन साल की अवधि के लिए चुने हुए दूसरे सदस्य, जिनकी गिनती उतनी ही होगी जिससे इस बात का विश्वास हो जाय, कि सयुक्तराष्ट्र सघ के जो सदस्य न्यास इलाको का अभिशासन करते हैं और जो सदस्य नहीं करते, न्यास परिपद के सदस्यों में उनकी महया बराबर रहे ।

२. न्यास परिपद का हर सदस्य विशेष रूप से एक विशेष योग्यता वाले व्यक्ति का नाम उसमें अपना प्रतिनिधान करने के लिए देगा ।

कार्य और शक्तियाँ

अनुच्छेद ८७

जनरल असेम्बली, और उनके अधिकार में न्यास परिपद, अपने कार्य करने में :

- (क) अभिशासनक राष्ट्र की दी हुई रिपोर्ट पर विचार कर सकती है,
- (ख) फरियादों स्वीकार करके अभिशासनक राष्ट्र के साथ परामर्श करने हुए उनकी जांच कर सकती है,
- (ग) अभिशासनक राष्ट्र के नाथ होने तय हुआ हो, समय-समय पर न्यास इलाको में दौरे का प्रवन्ध कर सकती है,
- (घ) न्यास समझौतों के अनुरूप, ये कार्यवाहियाँ अथवा दूसरी कार्यवाहियाँ कर सकती है ।

अनुच्छेद ८८

न्यास-परिपद न्यास इलाके के निवासियों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी विकास पर एक प्रश्नावली तैयार करेगी, और हर न्यास इलाके का अभिशासक राष्ट्र, जनरल असेम्बली के अधिकारक्षेत्र की सीमा के भीतर ही इस प्रश्नावली के आधार पर जनरल असेम्बली को वार्षिक रिपोर्ट देगा ।

वोट देना

अनुच्छेद ८९

१. न्यास परिपद के हर सदस्य का एक वोट होगा ।

२. न्यास परिपद में निर्णय—मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे ।

क्रियाविधि

अनुच्छेद ९०

१. न्यास परिपद अपनी क्रियाविधि के नियम स्वयं बनाएगी । अपना अध्यक्ष चुनने की विधि भी वह स्वयं तय करेगी ।

२. न्यास परिपद की सभाएँ उसके नियमों के अनुसार हुआ करेंगी । इन नियमों में इस बात का भी प्रवन्ध होगा कि सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर इसकी बैठकें बुलाई जा सकें ।

अनुच्छेद ९१

न्यास परिपद जहाँ भी उचित होगा, आर्थिक और सामाजिक परिपद और विशेष कार्य करने वाली मन्त्रालयों से, उन मामलों पर सहायता ले सकेगी, जिनसे उनका अपना-अपना सम्बन्ध हो ।

अध्याय चौदह

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

अनुच्छेद ९२

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायानय मन्त्रालय का प्रमुख न्याय अग होगा । यह माय नगी मन्त्रिधि के अनुसार कार्य करेगा, जिसका आधार स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की मन्त्रिधि होगी । और यह वर्तमान चार्टर का एक अभिन्न अंग होगा ।

अनुच्छेद ९३

१. मन्त्रालय के मय सदस्य अपने सदस्य होने के नाते से ही अन्तर्राष्ट्रीय न्यायानय की मन्त्रिधि को मानने वाले समझे जाएंगे ।

२. कोई राज्य सयुक्तराष्ट्र सघ का सदस्य न होने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि का हामा उन शर्तों पर बन सकता है, जो सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर जनरल असेम्बली तय करे ।

अनुच्छेद ६४

१. सयुक्त राष्ट्रसघ का प्रत्येक सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी मामले में फरीक होने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानेगा ।

२. अदालत के फैसले के अनुसार किसी फरीक के जो दायित्व हो जाते हैं, अगर वह उनको पूरा नहीं करता तो दूसरा फरीक सुरक्षा परिषद् का आश्रय ले सकता है । सुरक्षा परिषद् जैसा भी ठीक समझे उस फैसले पर अमल कराने के लिए चाहे सिफारिश कर सकती है, चाहे दूसरी कोई कार्यवाही कर सकती है ।

अनुच्छेद ६५

जो समझौते पहले हो चुके हैं या आगे चलकर होने वाले हैं, उनकी बिना पर सयुक्तराष्ट्र सघ के सदस्य अपने मतभेदों को सुलभाने के लिए उन्हें दूसरे अधिकरणों को दे सकते हैं । वर्तमान चार्टर के अनुसार इस पर कोई रोक न होगी ।

अनुच्छेद ६६

१. किसी भी कानूनी सवाल पर सुरक्षा परिषद् या जनरल असेम्बली अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह के रूप में राय देने की प्रार्थना कर सकते हैं ।

२. अगर जनरल असेम्बली अधिकार दे दे तो सयुक्तराष्ट्र सघ के अन्य अंग और विशेष कार्य करने वाली सस्वायें भी अपने कार्यक्षेत्र सम्बन्धी कानूनी सवालों पर न्यायालय से सलाह के रूप में राय देने की प्रार्थना कर सकते हैं ।

अध्याय पन्द्रह

सचिवालय

अनुच्छेद ६७

सचिवालय में प्रधान सचिव और सघ की आन्वयतानुसार कर्मचारी वर्ग रहेगा । प्रधान सचिव की नियुक्ति सुरक्षापरिषद् की सिफारिश पर जनरल असेम्बली करेगी । वहाँ सघ का प्रमुख अभिगामक अधिकारी होगा ।

अनुच्छेद ६८

प्रधान सचिव, इसी हित्तिवत से जनरल असेम्बली में, सुरक्षा परिषद् में, आर्थिक और नानाजिक परिषद् में, और न्याय परिषद् की सभी बैठकों में नाम

करेगा । इसके अलावा वह उन कामों को भी पूरा करेगा जो ये अग उसे सौंप दें । प्रधान सचिव सघ के काम के विषय में जनरल असेम्बली को वार्षिक रिपोर्ट भी देगा ।

अनुच्छेद ६६

अगर प्रधान सचिव यह समझे कि किसी मामले से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, तो सुरक्षापरिषद् का ध्यान उस मामले की ओर खींच सकता है ।

अनुच्छेद १००

१ अपने कर्तव्यों की पूर्ति में प्रधान सचिव और कर्मचारी वर्ग किसी राज्य में या सघ के बाहर किसी दूसरे अधिकारी से सलाह न मांगेंगे और न पाएंगे । वे अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारी हैं, और केवल सघ के प्रति उत्तरदायी हैं । वे कोई भी ऐसा काम न करेंगे जिसमें उनकी इस हैसियत पर हरफ आए ।

२. सयुक्तराष्ट्र-सघ का हर सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह प्रधान सचिव और उसके कर्मचारियों के दायित्वों के पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को मानेगा और उन दायित्वों के निर्वह में किसी प्रकार का प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करेगा ।

अनुच्छेद १०१

कर्मचारियों की नियुक्ति प्रधान सचिव जनरल असेम्बली द्वारा बनाए नियमों के अनुसार करेगा ।

२ आर्थिक और सामाजिक परिषद् और न्यास परिषद् को स्थायी रूप में यथोचित कर्मचारी दिये जायेंगे, और सयुक्तराष्ट्रों के अन्य अगों को भी आवश्यकतानुसार कर्मचारी दिए जाएंगे । ये कर्मचारी सचिवालय के एक भाग होंगे ।

३ कर्मचारियों के भरती करने और उनकी नौकरियों की शर्तों को निर्धारित करने में सबसे अधिक ध्यान इस बात पर दिया जायगा कि दक्षता, क्षमता और ईमानदारी के उँचे ने उँचे न्तर कायम हो सकें । साथ यह भी देखा जायगा कि भन्ती अधिक से अधिक विमृत भौगोलिक आधार पर हो ।

अध्याय सोलह

द्विविध व्यवस्थाएँ

अनुच्छेद १०२

१ वनमान चाट्टर के ताग होने ने बाद सयुक्तराष्ट्र-सघ का कोई सदस्य

अगर कोई संधि या अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करता है, तो उसको सचिवालय जल्दी से जल्दी अपने यहाँ रजिस्टर करके प्रकाशित करेगा।

२. अगर कोई संधि या समझौता इस अनुच्छेद के पैरा १ के अनुसार रजिस्टर नहीं हुआ है, तो कोई भी फरीक सयुक्तराष्ट्र सभ के किसी अङ्ग के आगे उस सन्धि या समझौते का उल्लेख नहीं कर सकेगा।

अनुच्छेद १०३

अगर सयुक्तराष्ट्र-सभ के किसी सदस्य के वर्तमान चार्टर के दायित्व किसी दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के दायित्वों के विरुद्ध पड़ते हो, तो उस स्थिति में वर्तमान चार्टर के ही दायित्वों को माना जायगा।

अनुच्छेद १०४

सभ को अपने हर सदस्य के देश में अपने कार्यों और प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद १०५

१. सभ को अपने हर सदस्य के देश में अपने प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होंगी।

२. उन्मी प्रकार सयुक्तराष्ट्र-सभ के सदस्यों के प्रतिनिधियों और सभ के अधिकारियों को सभ के कामों को स्वतन्त्ररूप से पूरा करने के लिए आवश्यक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होंगी।

३. इस अनुच्छेद के पैरा १ और २ के लागू होने की मारी तफर्सीलों को तय करने के लिए जनरल असेम्बली सिफारिशें कर सकती है या सयुक्तराष्ट्र-सभ के सदस्यों के सामने इसके लिए अभिनमनों का प्रस्ताव रख सकती है।

अध्याय सत्रह

अन्तर्कालीन सुरक्षा व्यवस्थाएँ

अनुच्छेद १०६

अनुच्छेद ४३ में जिन विनियम प्रवन्धों का उल्लेख किया गया है और जिनके द्वारा सुरक्षापरिषद् की राय में वह अपने दायित्वों पर काम शुरू कर सकती है, उनके अन्तर्गत में आने तक पान और वे राष्ट्र जिन्होंने ३० जनवरी, १९४३ को मान्यता से सयुक्तराष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, उन घोषणा के पैरा ५ के उपबन्धों के अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, सयुक्तराष्ट्र-सभ की ओर से जो सयुक्त कार्यवाही आरम्भ की, उनके अन्तर्गत में एक-दूसरे में, और भीता पड़ने पर सयुक्तराष्ट्र-सभ के दूसरे सदस्यों में भी भिन्नता रख सकते हैं।

अनुच्छेद १०७

हमारे महायुद्ध में अगर कोई राष्ट्र किसी हस्ताक्षरकारी सदस्य का शत्रु रहा हो और, जिन सरकारों के ऊपर इसके खिलाफ कार्यवाही करने की जिम्मेदारी माँपी गई हो, अगर उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की हो या करने के अधिकारी हो, तो वर्तमान चार्टर के अनुसार उस कार्यवाही को किसी प्रकार न रोका जा सकेगा और न रद्द ही किया जा सकेगा।

अध्याय अठारह

सशोधन

अनुच्छेद १०८

वर्तमान चार्टर में जो भी सशोधन होंगे वे सयुक्त राष्ट्र-संघ के सब सदस्यों पर तभी लागू हो सकेंगे जब उनको जनरल असेम्बली दो-तिहाई के बहुमत से मान ले, और सुरक्षा-परिषद् के सभी स्थायी सदस्यों सहित सयुक्तराष्ट्र-संघ के सदस्य अपनी-अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार दो-तिहाई के बहुमत से उनका सत्याकन कर दें।

अनुच्छेद १०९

१ जब कभी वर्तमान चार्टर के पुनरवलोकन की बात हो तो उसके लिए सयुक्तराष्ट्र-संघ के सदस्यों का एक सामान्य सम्मेलन किया जा सकता है जिसकी तारीख, समय और स्थान जनरल असेम्बली दो-तिहाई बहुमत से और सुरक्षा परिषद् अपने किन्हीं मात सदस्यों के वोट में तय करेगी। उस सम्मेलन में सयुक्तराष्ट्र संघ के हर सदस्य का एक वोट रहेगा।

२ अगर सम्मेलन में वर्तमान चार्टर का कोई परिवर्तन दो-तिहाई के बहुमत से मान लिया जाता है तो वह तभी लागू हो सकेगा, जब सुरक्षा परिषद् के सभी स्थायी सदस्यों सहित सयुक्तराष्ट्र संघ के सदस्य अपनी-अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार दो-तिहाई के बहुमत से उसका सत्याकन कर दें।

३ चार्टर के अमल में आने के बाद जनरल असेम्बली के दसवें वार्षिक अधिवेशन के पहले अगर ऐसा सम्मेलन नहीं होता तो ऐसा सम्मेलन करने का प्रस्ताव जनरल असेम्बली के उभों अधिवेशन के एजेन्डा पर रक्खा जायगा, और अगर जनरल असेम्बली में बहुमत से और सुरक्षा परिषद् में किन्हीं मात सदस्यों की वोट में यह स्वीकार किया जाता है तो ऐसा सम्मेलन किया जायेगा।

अध्याय उन्नीस

सत्याकन और हस्ताक्षर

अनुच्छेद ११०

१. हस्ताक्षरकारी राष्ट्र अपनी-अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं द्वारा वर्तमान चार्टर का सत्याकन करेगे ।

२. सत्याकन पत्र संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की सरकार के पास जमा किए जायेंगे और वह हर हस्ताक्षरकारी राष्ट्र को, और प्रधान सचिव की नियुक्ति पर उस को भी, प्रत्येक सत्याकन-पत्र के जमा किये जाने की सूचना देगी ।

३. जब चीन गणराज्य, फ्रांस, सोवियत रूस, ग्रेटब्रिटेन, और उत्तरी आयर-लैंड का संयुक्तराज्य, अमेरिका के संयुक्तराज्य और बाकी हस्ताक्षरकारियों में से अधिकांश अपने सत्याकन-पत्र जमा कर देंगे तभी वर्तमान चार्टर अमल में आयेगा । संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की सरकार सत्याकन पत्रों की प्राप्ति का एक आदि-लेख बनाएगी और उसकी नकलें सब हस्ताक्षरकारी राष्ट्रों को भेजेगी ।

४. जो हस्ताक्षरकारी राष्ट्र वर्तमान चार्टर के अमल में आने के बाद उनका सत्याकन करेगे, वे अपना सत्याकन पत्र जमा करने की तारीख से ही संयुक्तराष्ट्र संघ के आदि सदस्य हो जाएँगे ।

अनुच्छेद १११

वर्तमान चार्टर के चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, अंग्रेजी और स्पैनिश पाठ समान रूप से अधिकारी हैं, और ये संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की सरकार के राजकाय पुरालेख नगर-हालय में जमा रहेंगे । अमेरिका सरकार उसकी प्रमाणित नकलें हस्ताक्षरकारी राष्ट्रों की सरकारों के पास भेज देगी ।

अब वर्तमान चार्टर पर संयुक्त राष्ट्रों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पूरा श्रद्धा के साथ हस्ताक्षर किए हैं ।

यह चार्टर छद्मरीस जून उन्नीसवीं पैंतालीस को मान फ्रान्किंगो नगर में तैयार हुआ ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि

अनुच्छेद १

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्तराष्ट्र-संघ के प्रमुख न्यायालय के रूप में स्थापित

चार्टर के द्वारा स्थापित हुआ है। वह वर्तमान सविधि के उपबन्धों के अनुसार बनाया जायगा और काम करेगा।

अध्याय एक

न्यायालय का संगठन

अनुच्छेद २

न्यायालय में स्वतन्त्र जजों का एक दल रहेगा। वे जज, चाहे वे किसी कौम के भी हों, ऐसे लोगों में से चुने जाएँगे जिनका नैतिक स्तर बहुत ऊँचा हो, जिनमें वे योग्यताएँ हों जिनसे वे अपने-अपने देशों में ऊँचे से ऊँचे न्यायपदों पर नियुक्त किए जा सकते हों, या जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के माने हुए न्यायसलाहकार हों।

अनुच्छेद ३

१ न्यायालय के पन्द्रह सदस्य होंगे। एक ही राष्ट्र के दो सदस्य नहीं हो सकेंगे।

२ न्यायालय की सदस्यता के लिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो एक से अधिक राष्ट्रों का राष्ट्रिक माना जा सकता है, तो वह उसी राष्ट्र का माना जाएगा जहाँ वह आम तौर पर अपने राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का प्रयोग करता हो।

अनुच्छेद ४

१ न्यायालय के सदस्यों को जनरल असेम्बली और सुरक्षा परिषद् उन लोगों की सूची में से चुनेगी, जिनको नीचे दी हुई बातों के अनुसार स्थायी विवाचन अदालत के राष्ट्रीय दलों ने नामजद किया हो।

२ मयुक्तराष्ट्र मण्डल के जिन सदस्यों के प्रतिनिधि स्थायी विवाचन अदालत में न हों, उनके उम्मीदवारों को वे राष्ट्रीय दल नामजद करेंगे जिनकी नियुक्ति उनका सरकार ने इसी मतलब के लिए की हो। इस नियुक्ति की शर्तें वही रहेगी जो अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों की शांति में मुनिकाने के लिए हेग अभिसमय १९०७ के अनुच्छेद ४४ में, स्थायी विवाचन अदालत के सदस्यों के लिए रखी गई हैं।

३ जो राष्ट्र मयुक्तराष्ट्र मण्डल का सदस्य न हों, पर वर्तमान सविधि को मानता हो वह कोई विशेष मतभौता न होने की शर्त में न्यायालय के सदस्यों के चुनाव में उन शर्तों पर भाग ले सकता है, जो सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर जनरल असेम्बली तय कर दे।

अनुच्छेद ५

१ चुनाव के कम से कम तीन महीने पहले मयुक्तराष्ट्र मण्डल का प्रधान सचिव स्थायी विवाचन अदालत के उन सदस्यों के आगे, जो वर्तमान सविधि को मानते हैं और

राष्ट्रीय दलों के उन सदस्यों के आगे, जो अनुच्छेद २ के पैरा ४ के अधीन नियुक्त किए गए हों, एक लिखित प्रार्थना पत्र रखेगा। उस प्रार्थना पत्र में प्रवान नचिव राष्ट्रीय दलों से, एक निश्चित समय के भीतर ऐसे लोगों को नामजद करने की प्रार्थना करेगा जो न्यायालय के एक सदस्य के कर्तव्य निभा सकते हों।

२ कोई दल चार से अधिक व्यक्तियों को नामजद नहीं कर सकेगा, उनमें भी दो से अधिक उसकी अपनी टीम के न होंगे। किसी भी मूरत में जितनी जगहें खाली हैं उनके दुगुने से अधिक उम्मीदवार एक दल नामजद नहीं कर सकेगा।

अनुच्छेद ६

इन व्यक्तियों को नामजद करने के पहले हर राष्ट्रीय दल से सिफारिश की जाएगी कि वह अपने देश में उच्चतम न्यायालय, कानूनी अधिकारियों, कानूनी सस्थाओं और कानून के अध्ययन में लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय एकाडमियों के राष्ट्रीय विभागों से परामर्श करले।

अनुच्छेद ७

१. प्रधान सचिव इस तरह नामजद लोगों के नामों की अक्षरक्रम में एक सूची बनाएगा। केवल यही व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े हो सकेंगे, निचाय जब अनुच्छेद १२ के पैरा २ के अधीन कुछ और उपबन्ध किया जाय।

२. प्रधान सचिव इन सूची को जनरल असेम्बली और सुरक्षा परिषद् दोनों को भेजेगा।

अनुच्छेद ८

जनरल असेम्बली और सुरक्षा परिषद् न्यायालय के सदस्यों के चुनाव अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से करेगी।

अनुच्छेद ९

चुनाव में निर्वाचकों को केवल यही ध्यान में नहीं रखना है कि उम्मीदवारों में व्यक्तिगत रूप से आवश्यक विविधताएं हैं कि नहीं, उनको यह भी देखना होगा कि नामांकित रूप से उन निताय में, मानव न्ययता के प्रदान रूपों और नियमों की प्रमुख कानूनी पद्धतियों का प्रतिनिधान होता है या नहीं।

अनुच्छेद १०

१. चुनाव में वही उम्मीदवार नफ्ताने जाएँ जितनी जनरल असेम्बली और सुरक्षा परिषद् में सम्पूर्ण बहुमत प्राप्त हो।

२ चाहे जजों का चुनाव हो, चाहे अनुच्छेद १२ में कहे गए सम्मेलन के सदस्यों की नियुक्ति हो, सुरक्षा परिपद् में वोट देने में स्थायी और अस्थायी सदस्यों में कोई भेद नहीं माना जाएगा ।

३ अगर एक ही राष्ट्र के दो व्यक्तियों को जनरल असेम्बली और सुरक्षा परिपद् दोनों में सम्पूर्ण बहुमत मिल जाय तो दोनों में जो जेठा होगा उसी को चुना माना जाएगा ।

अनुच्छेद ११

अगर चुनाव के लिए पहिली बैठक हो जाने के बाद एक या दो से अधिक जगहें खाली रह जाती हैं, तो दूसरी, या जरूरत हो तो तीसरी बैठक भी की जाएगी ।

अनुच्छेद १२

१. अगर तीसरी बैठक के बाद भी एक या अधिक जगहें खाली रह जाती हैं, तो जनरल असेम्बली या सुरक्षा परिपद् की प्रार्थना पर किसी भी समय छह सदस्यों का एक मिला जुला सम्मेलन हो सकता है । इस सम्मेलन के तीन सदस्य जनरल असेम्बली और तीन सुरक्षा परिपद् नियुक्त करेगी । हर जगह के लिए एक नाम संपूर्ण बहुमत के आधार पर चुना जाएगा, फिर वे नाम जनरल असेम्बली और सुरक्षा परिपद् में भेजे जायेंगे, जिन पर वे दोनों अपनी अलग-अलग स्वीकृतियाँ देंगी ।

२ अगर मरुवत सम्मेलन एक राय से किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुन ले जो आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो, तो उसके नाम को उस सूची में रखा जा सकता है, चाहे अनुच्छेद ७ के अनुसार उसको नामजद व्यक्तियों की सूची में शामिल न किया गया हो ।

३. अगर मिला जुला सम्मेलन यह समझे कि वह चुनाव कराने में सफल न हो सकेगा, तो न्यायालय में पहले से चुने हुए सदस्य सुरक्षा परिपद् द्वारा निश्चित समय के भीतर ही उन जगहों को उन उम्मीदवारों में से चुनकर भर देंगे, जिनको जनरल असेम्बली या सुरक्षा परिपद् में वोट मिला हो ।

४ अगर जजों के वोट बराबर-बराबर बट गए हों तो सबसे बड़े जज का वोट निर्णायक होगा ।

अनुच्छेद १३

१ न्यायालय के सदस्य ६ साल के लिए चुने जाएंगे और दुबारा चुने जा सकते हैं । लेकिन ध्यान यह है कि पहले चुनाव में सफर पांच जजों की पदावधि तीन साल में और दूसरे पांच जजों की पदावधि छह साल के अन्त में समाप्त हो जाए

२. पहली बार के चुनाव में जिन जजों की पदावधि ऊपर कहे गए तीन और छ साल के अरसे में समाप्त होनी होगी, उनके नाम चुनाव खतम होते ही प्रधान सचिव स्वयं लाटरी निकाल कर तय करेगा ।

३. खाली जगहों के भरने तक न्यायालय के सदस्य अपना कार्य करते रहेंगे । उनकी जगह दूसरे व्यक्तियों के आने पर, उन्हें उन मामलों को निपटाना पड़ेगा, जो उन्होंने शुरू कर दिए हों ।

४. अगर न्यायालय का कोई सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह इस्तीफा न्यायालय के सभापति के नाम लिखेगा, फिर वह प्रधान सचिव के पास भेज दिया जायगा । प्रधान सचिव के पास इस प्रकार इस्तीफा भेजे जाने का नोटिस होने पर वह जगह खाली हो जाएगी ।

अनुच्छेद १४

जिस ढग से पहला चुनाव होगा उसी ढग में नीचे दिए उपबन्ध के अधीन खाली जगहें भी भरी जाएगी । जगह खाली होने के एक महीने के अन्दर प्रधान सचिव अनुच्छेद ५ के अनुसार सूचनाएं भेजेगा और सुरक्षा परिषद् चुनाव की तारीख तय करेगी ।

अनुच्छेद १५

अगर न्यायालय के एक सदस्य के स्थान पर काम करने के लिए दूसरे सदस्य का चुनाव किया जाए तो दूसरा सदस्य अपने पूर्ववर्ती की पदावधि के शेष भाग तक उस पद पर रहेगा ।

अनुच्छेद १६

१. न्यायालय का कोई सदस्य राजनीतिक या अभियानन सम्बन्धी काम नहीं कर सकेगा और न कोई व्यवसाय ही करेगा ।

२. इन विषय में किसी भी शंका को न्यायालय के फैसले से दूर किया जाएगा ।

अनुच्छेद १७

१. न्यायालय का कोई सदस्य किसी भी मामले में एजेंट, साक्षर या अधिवक्ता की हैमियत में भाग नहीं ले सकेगा ।

२. अगर किसी मामले में किसी सदस्य ने किसी पक्ष की ओर में न्यायालय या सचिवता या राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रदानत या जाय समीक्षण के सदस्य के रूप में या किसी दूसरी हैमियत में पहले भाग लिया हो तो वह उसके फैसले में भाग नहीं ले सकेगा ।

३. इस विषय में जो शका उठे उसे सुरक्षा परिपद के फैसले से दूर किया जाएगा ।

अनुच्छेद १८

१ न्यायालय का कोई सदस्य बरखास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि दूसरे सदस्य एक राय होकर यह न मान लें कि वह अब आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता ।

२ रजिस्ट्रार इसकी नियमानुसार सूचना प्रधान सचिव को देगा ।

३ इस सूचना का अर्थ होगा वह जगह खाली हो गई है ।

अनुच्छेद १९

१. न्यायालय के सदस्य जब तक न्यायालय का काम करें, तब तक उनको राजनयिक विरोधाधिकार और उन्मुक्तियाँ मिलेंगी ।

अनुच्छेद २०

अपना काम सभालने से पहले न्यायालय का हर सदस्य आम न्यायालय में इस बात की शपथ लेगा कि वह बिना किसी पक्षपात के और ईमानदारी से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

अनुच्छेद २१

१ न्यायालय अपना सभापति और उपसभापति तीन साल के लिए चुनेगा, वे दुबारा भी चुने जा सकते हैं ।

२ न्यायालय अपना रजिस्ट्रार स्वयं नियुक्त करेगा और जितने अधिकारी आवश्यक हों उनकी नियुक्ति का भी प्रवन्ध कर सकता है ।

अनुच्छेद २२

१ न्यायालय का स्थान हेग नगर में होगा । लेकिन अगर कभी न्यायालय की इच्छा हो तो वह दूसरे स्थान पर भी बैठ सकता है, और वही अपने काम कर सकता है । उन पर किसी प्रकार की रोक न होगी ।

२ सभापति और रजिस्ट्रार न्यायालय के स्थान पर ही रहेंगे ।

अनुच्छेद २३

१ न्यायालय हमेशा गुना रहेगा, सिवाए उन दिनों के जब अदालती छुट्टियाँ हों । उन छुट्टियों की तारीखें और अवधि न्यायालय तय करेगा ।

२ न्यायालय में नदम्यों को समय-समय पर छुट्टी मिल सकती है । हेग से

हर जज के घर की दूरी का ध्यान रखते हुए, न्यायालय इन छुट्टियों की तारीख और अवधि तय करेगा ।

३. न्यायालय के सदस्यों को स्थायी रूप से न्यायालय के काम के लिए तय्यार रहना होगा, सिवाय जब कि वे छुट्टी पर हो या किसी बीमारी या दूसरे बड़े कारणों से जो कि सभापति को विधिवत बता दिए गए हों, न्यायालय न आ सके ।

अनुच्छेद २४

१. अगर किसी विशेष कारण से न्यायालय का कोई सदस्य यह समझना है, कि उसे किसी विशेष मामले के फैसले में भाग नहीं लेना चाहिए, तो वह उसकी सूचना सभापति को देगा ।

२. अगर सभापति यह समझे कि किसी विशेष कारण ने किसी सदस्य को किसी विशेष मामले के फैसले में भाग नहीं लेना चाहिए तो वह सदस्य को वैसी सूचना दे देगा ।

३. अगर किसी ऐसी बात पर न्यायालय के सदस्य और सभापति में मतभेद हो जाए तो उन मामले को न्यायालय अपने फैसले से तय करेगा ।

अनुच्छेद २५

१. केवल उन अवसरों को छोड़कर जिनके लिए वर्तमान सविधि में बन्दान किया गया हो. हमेशा पूरा न्यायालय लगा करेगा ।

२. न्यायालय के नियमों में यह बन्दान किया जा सकता है कि परिस्थिति के अनुसार और बारी-बारी से, एक या अधिक जजों को अदालत में बैठने में टुट्टी दे दी जाए, परन्तु यह है कि किसी समय भी अदालत में बैठने के लिए उपलब्ध जजों की नर्या ग्यारह से कम न हो ।

३. नौ जजों का कोरम होने पर न्यायालय लग सकता है ।

अनुच्छेद २६

१. धर्म नवम्बरी, और जाने लेजाने व नचार जैसे विशेष क्लोटि के मामलों को तय करने के लिए न्यायालय नमय-नमय पर एक या अधिक नवम्बर भी बना सकता है । प्रत्येक नवम्बर में तीन या तीन से अधिक, जितने न्यायालय तय करें, उतने जज रहेंगे ।

२. न्यायालय किसी विशेष मामले के लिए किसी नमय नवम्बर बना सकता है, लेकिन उस नवम्बर के जजों की नर्या न्यायालय तय करेगा और दोनों क्लोटि उनका अनुमोदन करेंगे ।

३ अगर दोनो फरीक प्रार्थना करें तो इस अनुच्छेद में जिन चेम्बरो के लिए वन्दान किया गया है वे ही उनके मामलो को सुनेंगे और उन पर अपना फैसला देंगे ।

अनुच्छेद २७

अनुच्छेद २६ और २६ के उपबन्धो के अनुसार बनाए चेम्बरो के निर्णय न्यायालय के निर्णय माने जाएंगे ।

अनुच्छेद २८

अनुच्छेद २६ और २९ के उपबन्धो के अनुसार बनाए चेम्बर फरीको की सहमति से हेग के अलावा किसी दूसरे स्थान पर अपने काम कर सकते हैं ।

अनुच्छेद २९

काम जल्दी निपटाने की दृष्टि से न्यायालय हर साल पाँच जजो का एक चेम्बर बनाएगा, जो फरीको की प्रार्थना पर सक्षिप्त क्रियाविधि से मामलो की सुनवाई और फैसला करेगा । इसके अतिरिक्त दो जज और चुने जाएंगे जो उन जजो के स्थान पर काम करेंगे जिनके लिए किसी कारण अदालत में आना असम्भव हो ।

अनुच्छेद ३०

१ अपने काम करने के नियम न्यायालय स्वयं बनाएगा । विशेषकर वह क्रियाविधि के नियम तय करेगा ।

२ इन नियमो के अनुसार असेसर भी अदालत या उसके किसी चेम्बर में बैठ सकेंगे । पर उनको वोट देने का अधिकार न होगा ।

अनुच्छेद ३१

१ जो जज फरीको की कौम के हैं, उनको इस मामले में न्यायालय के सामने बैठने का अधिकार न होगा ।

२ अगर न्यायालय बेंच में एक फरीक की कौम का एक जज शामिल करले तो दूसरा फरीक भी किसी व्यक्ति को जज के रूप में बैठने के लिए चुन सकता है । प्रायः ऐसा व्यक्ति उन्ही लोगो में से चुना जायगा जो अनुच्छेद ४ और ५ के उपबन्धो के अनुसार उम्मीदवार नामजद किए जा चुके हों ।

३ अगर न्यायालय बेंच में फरीको की कौम का कोई जज नहीं शामिल करती तो भी हर फरीक इस अनुच्छेद के पैरा २ के उपबन्ध के अनुसार एक जज चुन सकता है ।

४ उन अनुच्छेद के उपबन्ध, अनुच्छेद २६ और २९ के मामलो पर लागू होंगे । ऐसी मृतो में उभापति चेम्बर के सदस्यो में से एक या जल्दत हुई तो दो सदस्यो में

प्रार्थना करेगा कि वे अपने स्थान फरीको की कीम वाले न्यायालय के सदस्यों के पक्ष में छोड़ दें, और यदि ऐसे जज न हों, या वे आ न सकें, तो उनके स्थान पर उन जजों के पक्ष में अपना स्थान छोड़ दें, जिनको फरीक विशेष रूप से चुनें ।

५. यदि एक ही हित के कई फरीक हो जाएँ तो ऊपर बताया उपबन्धों के मतलब के लिए उन सब को एक ही फरीक समझा जाएगा । इस विषय में जो शंका उठे उसे न्यायालय अपने फैसले से दूर करेगा ।

६. इस अनुच्छेद के पैरा २, ३ और ४ के अनुसार जो जज चुने गए हों, वे वर्तमान सविधि के अनुच्छेद २, १७ (पैरा २), २० और २४ में दी हुई शर्तों को पूरा करेंगे । वे फैसले में अपने सहयोगियों के साथ पूरी बराबरी की हैसियत से भाग लेंगे ।

अनुच्छेद ३२

१. न्यायालय के हर सदस्य को सालाना वेतन मिला करेगा ।

२. सभापति को एक विशेष सालाना भत्ता मिलेगा ।

३. उप सभापति जिस दिन सभापति के पद पर काम करेगा उस दिन का उसे विशेष भत्ता मिलेगा ।

४. अनुच्छेद ३१ के अनुसार न्यायालय के सदस्यों के अलावा जो जज चुने जाएँगे उनको भी प्रतिदिन काम करने का मुआवजा दिया जाएगा ।

५. वे वेतन, भत्ते और मुआवजे जनरल असेम्बली तय करेगी और ये पदावधि के बीच घटाये नहीं जाएँगे ।

६. रजिस्ट्रार का वेतन न्यायालय के प्रस्ताव पेश करने पर जनरल असेम्बली तय नहीं करेगी ।

७. जनरल असेम्बली वे नियम भी बनाएगी, जिनके अनुसार न्यायालय के सदस्यों और रजिस्ट्रार को सेवा-मुक्ति पेंशन दी जाएगी और न्यायालय के सदस्यों और रजिस्ट्रार को मार्ग खर्च वापस किया जायगा ।

८. इन भत्तों, वेतनों और मुआवजों पर कर नहीं लगेगा ।

अनुच्छेद ३३

न्यायालय का सारा खर्च संयुक्तराष्ट्र-सभ बरदास्त करेगा और उनकी विधि जनरल असेम्बली तय करेगी ।

अध्याय दो

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

अनुच्छेद ३४

१. न्यायालय के मामले जो नामने आँ, उनके फरीक के वक्त राष्ट्र ही हों

३ अगर दोनो फरीक प्रार्थना करें तो इस अनुच्छेद में जिन चेम्बरो के लिए बन्धान किया गया है वे ही उनके मामलो को सुनेंगे और उन पर अपना फैसला देंगे ।

अनुच्छेद २७

अनुच्छेद २६ और २६ के उपबन्धो के अनुसार बनाए चेम्बरो के निर्णय न्यायालय के निर्णय माने जाएंगे ।

अनुच्छेद २८

अनुच्छेद २६ और २९ के उपबन्धो के अनुसार बनाए चेम्बर फरीको की सहमति से हेग के अलावा किसी दूसरे स्थान पर अपने काम कर सकते हैं ।

अनुच्छेद २९

काम जल्दी निपटाने की दृष्टि से न्यायालय हर साल पाँच जजो का एक चेम्बर बनाएगा, जो फरीको की प्रार्थना पर सक्षिप्त क्रियाविधि से मामलो की सुनवाई और फैसला करेगा । इसके अतिरिक्त दो जज और चुने जाएंगे जो उन जजो के स्थान पर काम करेंगे जिनके लिए किसी कारण अदालत में आना असम्भव हो ।

अनुच्छेद ३०

१ अपने काम करने के नियम न्यायालय स्वयं बनाएगा । विशेषकर वह क्रियाविधि के नियम तय करेगा ।

२ इन नियमो के अनुसार असेसर भी अदालत या उसके किसी चेम्बर में बैठ सकेंगे । पर उनको वोट देने का अधिकार न होगा ।

अनुच्छेद ३१

१ जो जज फरीको की कौम के हैं, उनको इस मामले में न्यायालय के सामने बैठने का अधिकार न होगा ।

२ अगर न्यायालय बेंच में एक फरीक की कौम का एक जज शामिल करले तो दूसरा फरीक भी किसी व्यक्ति को जज के रूप में बैठने के लिए चुन सकता है । प्रायः ऐसा व्यक्ति उन्ही लोगो में से चुना जायगा जो अनुच्छेद ४ और ५ के उपबन्धो के अनुसार उम्मीदवार नामजद किए जा चुके हो ।

३ अगर न्यायालय बेंच में फरीको की कौम का कोई जज नहीं शामिल करना तो भी हर फरीक इस अनुच्छेद के पैरा २ के उपबन्ध के अनुसार एक जज चुन सकता है ।

४ इन अनुच्छेद के उपबन्ध, अनुच्छेद २६ और २९ के मामलो पर लागू होंगे । ऐसी बातों में न्यायालय चेम्बर के सदस्यों में से एक या ज़रूरत हुई तो दो सदस्यों में

प्रार्थना करेगा कि वे अपने स्थान फरीकी की कीम वाले न्यायालय के सदस्यों के पक्ष में छोड़ दें, और यदि ऐसे जज न हों, या वे आ न सके, तो उनके स्थान पर उन जजों के पक्ष में अपना स्थान छोड़ दें, जिनको फरीक विशेष रूप में चुनें ।

५. यदि एक ही हित के कई फरीक हो जाएँ तो ऊपर बताए उपबन्धों के मतलब के लिए उन सब को एक ही फरीक समझा जाएगा । इस विषय में जो शंका उठे उसे न्यायालय अपने फैसले से दूर करेगा ।

६. इस अनुच्छेद के पैरा २, ३ और ४ के अनुसार जो जज चुने गए हों, वे वर्तमान सविधि के अनुच्छेद २, १७ (पैरा २), २० और २४ में दी हुई शर्तों को पूरा करेंगे । वे फैसले में अपने सहयोगियों के साथ पूरी बराबरी की हैसियत से भाग लेंगे ।

अनुच्छेद ३२

१. न्यायालय के हर सदस्य को सालाना वेतन मिला करेगा ।

२. सभापति को एक विशेष सालाना भत्ता मिलेगा ।

३. उप सभापति जिस दिन सभापति के पद पर काम करेगा उस दिन का उसे विशेष भत्ता मिलेगा ।

४ अनुच्छेद ३१ के अनुसार न्यायालय के सदस्यों के अलावा जो जज चुने जाएँगे उनको भी प्रतिदिन काम करने का मुआवजा दिया जाएगा ।

५. ये वेतन, भत्ते और मुआवजे जनरल असेम्बली तय करेगी और ये पदावधि के बीच घटाये नहीं जाएंगे ।

६ रजिस्ट्रार का वेतन न्यायालय के प्रस्ताव पेश करने पर जनरल असेम्बली तय नहीं करेगी ।

७. जनरल असेम्बली वे नियम भी बनाएगी, जिनके अनुसार न्यायालय के सदस्यों और रजिस्ट्रार को सेवा-मुक्ति पेंशन दी जाएगी और न्यायालय के सदस्यों और रजिस्ट्रार को मार्ग खर्च वापस किया जायगा ।

८ उन भत्तों, वेतनों और मुआवजों पर कर नहीं लगेगा ।

अनुच्छेद ३३

न्यायालय का नारा खर्च मुख्यतः राष्ट्र-सच बरदाश्त करेगा और जनरल असेम्बली तय करेगी ।

अध्याय दो

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

अनुच्छेद ३४

१. न्यायालय के नामने जो मानने आगे, उनके करीब के सब राष्ट्र भी हो सकते हैं ।

- (ग) कानून के सामान्य सिद्धान्त, जिनको सभ्य राष्ट्रों ने मान लिया हो ।
(घ) अनुच्छेद ५६ के उपबन्धों के अधीन विभिन्न राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय कानून को जानने वाले सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों के न्याय-निर्णय और कथन, जो कानूनी नियमों के तय करने में सहायक साधन होंगे ।

२ अगर फरीक राजी हो तो न्याय और हित के आधार पर किसी मामले का फैसला करने की न्यायालय की शक्ति पर इस उपबन्ध का कोई असर न पड़ेगा ।

अध्याय तीन

क्रियाविधि

अनुच्छेद ३६

१ न्यायालय की सरकारी फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषाएँ होंगी । अगर फरीक कहे कि मामले की कार्यवाही फ्रांसीसी में हो तो फैसला भी फ्रांसीसी भाषा में दिया जाएगा और अगर फरीक कहे कि मामले की कार्यवाही अंग्रेजी में हो, तो फैसला भी अंग्रेजी में दिया जाएगा ।

२ अगर भाषा के विषय में कोई समझौता न हो सके तो हर फरीक विवाद में जो भी भाषा चाहे प्रयोग कर सकता है । न्यायालय अपना फैसला अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं में देगा । ऐसी सूरत में न्यायालय यह बात भी उसी समय तय करेगा कि दोनों में से कौन सा पाठ अधिकारी माना जाय ।

३ किसी फरीक के प्रार्थना करने पर, न्यायालय उसको अंग्रेजी और फ्रांसीस के अलावा जो वह कहे, उस भाषा का प्रयोग करने का अधिकार दे सकता है ।

अनुच्छेद ४०

१. मामले न्यायालय के मामले, विशेष मामलों की सूचना में या रजिस्ट्रार के नाम के लिखे हुए प्रार्थनापत्र के द्वारा जैसी सूरत हो, लाए जायेंगे । दोनों ही सूरतों में विवाद का विषय और फरीकों के नाम का उल्लेख अवश्य किया जाएगा ।

२ उनके बाद रजिस्ट्रार प्रार्थना पत्र की सूचना तत्सम्बन्धी सब लोगों को देगा ।

३. वह प्रदान मन्त्रिमंत्रियों द्वारा मयुक्तराष्ट्र-सभ के सदस्यों को और उन राष्ट्रों को भी सूचना देगा जो न्यायालय के मामले आने के अधिकारी हों ।

अनुच्छेद ४१

१. न्यायालय, परिस्थितियों के अनुसार अगर आवश्यक समझे तो उन अस्थायी कार्यवाहियों को भी बतता सकता है जो दोनों फरीकों के अधिकारों की रक्षा के लिए की जानी चाहिए ।

२. इस प्रकार की जिन कार्यवाहियों का मुद्दा दिया गया हो उन सब की सूचना, अन्तिम फैसला होने तक, फरीकों को और सुरक्षा-परिपद को दी जाएगी ।

अनुच्छेद ४२

१. फरीकों के एजेंट उनका प्रतिनिधान करेंगे ।

२. वे न्यायालय के सामने सलाहकार या अधिवक्ता की सहायता ले सकते हैं ।

३. फरीकों के एजेंटों, सलाहकारों और अधिवक्ताओं को, अपने कर्तव्यों को स्वतन्त्रतापूर्वक निभाने के लिए आवश्यक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ मिलेंगी ।

अनुच्छेद ४३

१. क्रियाविधि के दो भाग होंगे, एक लिखित और दूसरा जवानी ।

२. लिखित क्रियाविधि में न्यायालय को और फरीकों को, यादियाँ, प्रति-यादियाँ और जहाँ आवश्यक हो, उत्तर भेजना शामिल होगा । इसके साथ-साथ इनके समर्थन में सारे कागजात और दस्तावेज भी शामिल होंगे ।

३. यह सारा पत्र व्यवहार रजिस्ट्रार के द्वारा न्यायालय की आज्ञा के अधीन और उम नमय के भीतर किया जायगा, जो न्यायालय तय कर दे ।

४. एक फरीक ने जो दस्तावेज पेश किए हों, उनमें से हर एक की प्रमाणित नकल दूसरे फरीक को भेजी जाएगी ।

५. जवानी कार्यवाहियों में न्यायालय के आगे गवाहों, विशेषज्ञों, मनाहदारों और अधिवक्ताओं की मुतवाइयाँ होंगी ।

अनुच्छेद ४४

१. एजेंटों, सलाहकारों और अधिवक्ताओं के अलावा अगर और लोगों को नोटिस भेजने हो तो न्यायालय, जिन देश के इलाके में नोटिस भेजने हो उनकी सरकार के पान नीचे प्रार्थना पत्र भेजेगा ।

२. घटनास्थल पर गवाही इकट्ठा करने की तावंगरी के दाने में भी यही उपबन्ध लागू होगा ।

अनुच्छेद ५९

फरीकी और उनके मामलो को छोडकर न्यायालय के फैसले की कोई बधन-क शक्ति न होगी ।

अनुच्छेद ६०

फैसला अन्तिम होगा और उसकी कोई अपील न होगी । अगर फैसले के प्रभावक्षेत्र या उसके अर्थ के बारे मे कोई विवाद उठे, तो किसी भी फरीक की प्रार्थना पर न्यायालय उसका अर्थ निर्धारण करेगा ।

अनुच्छेद ६१

१. फैसले पर फिर विचार करने का प्रार्थना पत्र केवल तभी दिया जाएगा, जब वह इस बात पर आधारित हो कि कोई ऐसा नया तथ्य मिला है जो मामले के लिए निर्णायक हो सकता था, पर जो तथ्य फैसला देने के समय तक न्यायालय और फिर विचार के लिए प्रार्थी फरीक को पता नही था । पर यह बात सदा ध्यान में रखनी होगी कि यह अज्ञानता लापरवाही के कारण तो नही थी ।

२ फिर विचार की कार्यवाही का प्रारम्भ न्यायालय के एक अदालती निर्णय से किया जाएगा, जिममे नए तथ्य के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से अभिलेखन किया जायगा, और इस बात को माना जाएगा कि वह तथ्य ऐसा है कि जिससे मामले को फिर विचार के लिए खुल जाना चाहिए, और इसी विना पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार्य घोषित किया जाएगा ।

३ फिर विचार की कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने की अनुमति देने से पहले न्यायालय अगर चाहे तो यह माँग कर सकता है कि उसके फैसले की शर्तों पर पहले अमल किया जाए ।

४. नये तथ्य के पता चलने के छ महीने के भीतर ही फिर विचार का प्रार्थना पत्र दे देना चाहिए ।

५ फैसला देने की तारीख ने दस साल के बाद फिर विचार का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सकेगा ।

अनुच्छेद ६२

१ अगर कोई राष्ट्र ममभे कि किमी मामले के फैसले मे उसके किमी बान्नी हिन पर अमर पडेगा तो वह उम मामले मे बीच में पडने के लिए न्यायालय को प्रार्थना पत्र दे सक्ता है ।

२ न्यायालय को अधिकार होगा कि वह डम प्रार्थना को स्वीकार करे या न करे ।

अनुच्छेद ६३

१. अगर किसी ऐसे अभिसमय के अर्थ लगाने के वारे में कोई विवाद उठे, जिसमें मामले में सम्बन्ध रखने वाले राष्ट्रों के अनाया दूसरे राष्ट्र भी फरीक हो, तो रजिस्ट्रार उन सब राष्ट्रों को इसकी सूचना देगा।

२. इस प्रकार जिन राष्ट्रों को भी सूचना मिलेगी उनमें से हर एक को कार्यवाही के बीच में पड़ने का अधिकार होगा, परन्तु यदि वह उस अधिकार का प्रयोग करता है तो फैसले में जो अर्थ दिया जाए वही उस राष्ट्र को अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा।

अनुच्छेद ६४

जब तक न्यायालय कोई दूसरा फैसला न करे, हर फरीक को अपना-अपना खर्चा उठाना पड़ेगा।

अध्याय चार

सलाह के रूप में सम्मतियाँ

अनुच्छेद ६५

१. न्यायालय किसी ऐसी सलाह की प्रार्थना पर किसी कानूनी सवाल के वारे में सलाह के रूप में अपनी सम्मति दे सकता है, जिसको संयुक्तराष्ट्र-संघ के वर्तमान चार्टर के अनुसार या उसके द्वारा ऐसी प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त हो।

२. जिस प्रश्न पर सलाह के रूप में न्यायालय की सम्मति माँगी जाए, वह न्यायालय के आगे लिखित प्रार्थना के रूप में रखा जाएगा। इन प्रार्थना में सम्मति माँगे जाने वाले प्रश्न का विवरण होगा और उनके साथ वे सब दस्तावेज रहेंगे, जिनमें सवाल पर कुछ प्रकाश पड़ता हो।

अनुच्छेद ६६

१. जब कभी सलाह के रूप में सम्मति के लिए कोई प्रार्थना की जाए तो रजिस्ट्रार तुरन्त उसकी सूचना उन सब राष्ट्रों को देगा, जिनको न्यायालय के सामने आने का अधिकार है।

२. रजिस्ट्रार प्रत्येक ऐसे राष्ट्र को, जिसे न्यायालय के सामने आने का अधिकार है, एक विशेष और सीधा सदेश भेज कर वह नोटिस देगा कि न्यायालय, महापति द्वारा लिखित दायि के अन्दर जिसे विवरण लेने के लिए, या एफ गुर्नो बेंचरु में, जो तबान तौर पर उस काम के लिए की जायगी, इन सबान में सम्मति रखने वाले जवानी जमान सुनने को तैयार है। यदि न्यायालय या एफ गुर्नो बेंचरु न हो रही हो तो महापति, यह समझे कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय-संघ उस सवाल पर कुछ

वातें वता सकता है, तो रजिस्ट्रार उस सस्था को भी इसी प्रकार का नोटिस भेज सकता है ।

३ अगर ऐसे किसी राष्ट्र को जो न्यायालय के सामने आने का अधिकारी है, इस अनुच्छेद के पैरा २ में दी हुई विशेष सूचना न मिली हो तो वह राष्ट्र अपनी यह इच्छा प्रकट कर सकता है कि वह कोई लिखा विवरण या जबानी बयान पेश करना चाहता है । न्यायालय उस प्रार्थना पर अपना निर्णय देगा ।

४ जिन राष्ट्रों या सघों ने लिखे विवरण या जबानी बयान दिए हो, उनको यह अधिकार होगा कि वे, उस रूप में, उस हद तक और उस कालावधि के भीतर, जो न्यायालय या यदि वह न बैठा हो तो सभापति, हर मामले में तय कर दे, दूसरे राष्ट्रों और सघों के विवरणों पर अपनी टिप्पणी दें । इसलिए रजिस्ट्रार उचित समय के भीतर ऐसे सब विवरण उन राष्ट्रों और सघों को भेज देगा जो इसी प्रकार के विवरण दे चुके हो ।

अनुच्छेद ६७

न्यायालय सलाह क रूप में जो भी सम्मतियाँ देगा, वह खुली अदालत में देगा । और इसका नोटिस प्रधान सचिव को, और उस मामले से निकटतम सम्बन्ध रखने वाले संयुक्तराष्ट्र-सघ के सदस्यों, दूसरे राष्ट्रों और अन्तर्राष्ट्रीय सघों के प्रतिनिधियों को पहले ही भेज दिया जाएगा ।

अनुच्छेद ६८

सलाह देने के अपने काम में न्यायालय वर्तमान सविधि में दिए हुए और विवादग्रस्त मामलों पर लागू होने वाले उपबन्धों के अनुसार उस हद तक चलेगा, जिस हद तक वह समझता है कि ये उपबन्ध लागू होते हैं ।

अध्याय पाँच

सशोधन

अनुच्छेद ६९

वर्तमान सविधि में सशोधन उमी क्रियाविधि के अनुसार होगा, जो चार्टर में मसौदा के लिए संयुक्तराष्ट्र सघ के चार्टर में दी हुई है । पर ये सशोधन उन उपबन्धों के अंगीन होंगे जिनको जनरल असेम्बली ने सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर माना हो और जिनका सम्बन्ध सशोधन की कार्यवाही में उन राष्ट्रों के भाग लेने से हो, जो वर्तमान सविधि को तो मानते हैं पर जो संयुक्तराष्ट्र-सघ के सदस्य नहीं हैं ।

अनुच्छेद ७०

न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह वर्तमान सविधि में अनुच्छेद ६९ के उपबन्ध के अनुसार प्रधान सचिव के विचारार्थ, ऐसे सशोधनों के प्रस्ताव लिखे नमूने द्वारा भेजे, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

